पालिप्राकृत साहित्य के व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता

Rational Approach & Relevance of Pali-Prakrit Literature in Modern Era

प्रधानसम्पादक

प्रो. अर्कनाथ चौधरी

Chief Editor

Prof. Ark Nath Chaudhary

सम्पादक

प्रो. श्रीयांशकुमारसिंघई

डॉ. धर्मेन्द्रजैन

डॉ. जयवन्त खण्डारे

Editors

Prof. Shriyansh Kumar Singhai

Dr. Dharmendra Jain

Dr. Jaiwant Khandare

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

ISBN : 978-81-926664-8-8

संरक्षक :
प्रो. परमेश्वरनारायण शास्त्री
कुलपति

संपादकमण्डल :
प्रो. श्रीयांश कुमार सिंघई
प्रो. रामकुमार शर्मा
प्रो. कमलेश कुमार जैन
डॉ. आनंद कुमार जैन
डॉ. प्रभातदास
डॉ. सतेन्द्र कुमार जैन
डॉ. अमित कुमार
डॉ. दर्शना जैन

© प्रकाशकाधीन

मूल्य : 500 रुपये

संस्करण : प्रथम, 2019

प्रतियाँ : 300

टंकक एवं मुद्रण :
एम.वी. प्रिन्टर एण्ड जनरल सप्लायर,
जयपुर

प्रकाशक :
प्राचार्य
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानितविश्वविद्यालय)
जयपुर परिसर, त्रिवेणी नगर, जयपुर
दूरभाष : 2761115 (का.)
फैक्स : 0141-2760686
ईमेल : principaljp.in@gmail.com
वेबसाइट : www.rsksjaipur.ac.in

Petron :
Prof. Parmeshwar Narayan Shastri
Vice-Chancellor

Editorial Board :
Prof. Shriyansh Kumar Singhai
Prof. Ram Kumar Sharma
Prof. Kamlesh Kumar Jain
Dr. Anand Kumar Jain
Dr. Prabhat Das
Dr. Satendra Kumar Jain
Dr. Amit Kumar
Dr. Darshana Jain

© Under the Publisher

Price : 500/-

Edition : First, 2019

Copies : 300

Type Setting & Printer :
M.V. Printer & General Supplier
Jaipur

Publisher :
Principal
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University)
Jaipur Campus, Triveni Nagar,
Jaipur-302018
Phone : 0141-276115
Fax : 0141-2760686
Email : principaljp.in@gmail.com
Website : www.rsksjaipur.ac.in

प्रो. पी.एन्. शास्त्री
कुलपति
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
मानित विश्वविद्यालय
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
('ए' ग्रेड के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं
प्रत्यायन परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त)



Prof. P.N. Shastry
Vice-Chancellor
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
Deemed to be University
(Under MHRD, Govt. of India)
(Accredited by NAAC with 'A' Grade)

श्रीः

समृज्यते सुकर्मभिः। (ऋ.9.99.7)

''पालि-प्राकृतसाहित्ये व्यावहारिकपक्षः, वर्तमानकाले तस्य उपयोगिता'' इति विषयम् आदृत्य राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य जयपुरपरिसरे संगोष्ठी समायोज्यते इति विदित्वा सन्तोषम् अनुभवामि। राष्ट्रियसंगोष्ठ्यां चर्चितानां नवोन्मेषाणां सङ्कलनेन स्मारिका प्रकाश्यते इति भृशम् आनन्दं प्रकटयामि। ।

भाषा न केवलं सम्पर्कं साधयति अपितु समाजस्य सम्पूर्णं स्वरूपं प्रकाशयति। संस्कृत-पालि-प्राकृतभाषासरितः भारतीयं प्राचीनं तत्त्वं वहन्त्यः प्रवहन्ति। प्राचीनं ज्ञानं प्रसारयन्ति। वर्तमाने काले गुप्तगामिनी सरस्वती इव पालि-प्राकृतभाषयोः स्थितिः जाता किम्? इति संशीतिरुदेति। सोऽयं व्यावहारिकः पक्षः संगोष्ठ्यां चर्चार्थं समाद्रियते इति मन्ये। प्राचीनभारतीयभाषाणां साहित्यस्य उपयोगिताविषये नास्ति संशयः। तत्तद्भाषागतं साहित्यिकस्वारस्यं मूलभाषाद्वारा आस्वादयितुं शक्यते इति अभिप्रयन्ति अभिज्ञाः। भाषाप्रवाहः पुनः प्रसरतु। तदर्थं संगोष्ठी मार्गं दर्शयतु।

'कल्पिष्यमाणा महते फलाय
वसुन्धरा काल इवोप्तबीजा' – (शा. 6.26)

इत्याशयेन सह मङ्गलं कामये–

भावत्कः
(परमेश्वरनारायणशास्त्री)
कुलपतिः

प्रकाशकीयम्

शास्त्रशिक्षणपूर्वकतत्संरक्षणाय यथा शास्त्राणां पठनपाठनादिकं संस्थानस्य जयपुरपरिसरे भवति तथैव प्राचीनभारतीयभाषामूर्धन्यायाः प्राकृतभाषायाः अध्ययनं शोधकार्यं प्राकृतभाषाग्रन्थानां संरक्षणं संस्कृतरूपान्तरणादिकार्यमपि च क्रियमाणमस्ति। जयपुरपरिसरवदेव लखनऊपरिसरेऽपि महत्त्वपूर्णायाः पालिभाषायाः तत्र विद्यामानसाहित्यानि च अवगाह्य अध्ययनं शोधकार्यञ्च प्रवर्तमानं विद्यते।

पालिप्राकृतभाषानिबद्धसाहित्यमादाय 2019 ई. वर्षस्य 5-6 मार्चमासे जयपुरस्थ-राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन एका राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजिता, यस्यां देशस्य विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागता आचार्याः भागमगृह्णन्।

दिवसत्रयव्यापिन्यां संगोष्ठ्यां प्रस्तुतानां महत्त्वपूर्णानां शोधलेखानां प्रकाशनं पत्रिकामाध्यमेन परिसरेण क्रियते इति महान्तं सन्तोषमावहामि।

उद्घाटनसत्रे कुलपतयः प्रो. पी.एन शास्त्रिमहोदयाः उद्घाटनविषयप्रवर्तकाः प्रो. एस.पी शर्माणश्चान्यैः विद्वत्तल्लजैः साकं समुपस्थिताः अभूवन्। परिसरस्य प्राकृतविभागसदस्याः प्रो. श्रीयांशकुमार सिंघई महोदयस्य संयोजकत्वे संगोष्ठी सफलयितुं प्रशंसनीयं योगदानं चक्रुः।

स्मारिकापुस्तिकायां महत्त्वपूर्णाः शोधालेखाः प्रो. सत्यप्रकाशशर्मणां प्रो. प्रेमकुमारजैनानां, प्रो. श्रीयांशकुमारसिघईवर्याणां प्रो. संघसेनमहोदयानां प्रो. सुदीपकुमार जैन, प्रो. विजयकुमार जैन, डॉ. बलरामशुक्ल प्रो. उमाशंकर व्यास डॉ. रामनन्दनसिंहप्रभृतीनाञ्चेतरेषां मूर्धन्यविदुषां प्रकाश्यन्ते। तेषां समेषां हृदयेन कृतज्ञतां वहामः।

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य मान्यकुलपतिकुलसचिवयोः सत्प्रयासेन मुख्यालयस्थाः डॉ. मालाचन्द्रा डॉ. धर्मेन्द्र जैन डॉ. जयवन्तखण्डारे महोदयाः भृशं साहाय्यं कृतवन्तः इति तान् प्रति धन्यवादवितरणेन साकं परिसरस्य प्राकृतविभागस्य वरिष्ठशोधाध्येतृभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छामि।

पत्रिकेयं येषामालेखैः सुरभिता जायमाना वर्तते तान् प्रत्यपि हार्दं धन्यवादं प्रयच्छामि।

भावत्कः

प्रो. अर्कनाथ चौधरी

प्राचार्यः

सम्पादकीयम्

विविधधर्मदर्शनसाहित्येतिहाससंस्कृतिसुमण्डितोऽयं भारतदेशः सर्वोदयभावनासम्पृक्तोऽभूद्वर्तते च साम्प्रतम्। अत्र धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थदिशा बहुभाषानिबद्धं वाङ्मयं खल्वद्यापि समुपलभ्यते। पालिप्राकृतवाङ्मयमपि भारतीयसंस्कृतेः गौरवं वर्धयितुमलमास्ते। पालिप्राकृतभाषे हि साम्प्रतं शास्त्रेष्वेव परिदृश्येते। अतश्चैव पालिप्राकृतसाहित्यमधिगन्तुं सम्यगेवैतयोः भाषयोरध्ययनं परिशीलनं वै विधेयमस्माभिः बुद्धिजीविभिर्विद्वत्तल्लजैरिति। अन्यथा पुराशास्त्रसम्पदो वेदराशेश्च सत्यानुगुम्फितं रहस्यं कथं वयं ज्ञास्यामः?

प्रागैतिहासिकयुगे वैदिककाले वा वैदिकपौरजनाः यां कामपि लोकभाषां व्यवहरन्ति स्म सा खलु लौकिकसंस्कृततः प्राग्वर्तिनी हि तेषां व्यवहारभाषा स्यादिति दिक्। किमपि वाङ्मयमिदानीं नोपलभ्यते यतो वयं वक्तुं शक्नुमो यदियमेव भाषाऽनादितो वर्तते सनातनीति। भाषाव्यवहारो लिपिवर्णसमाम्नायतो भवति। पुराकाले भाषाव्यवहाराय ये लिपिवर्णशब्दादयः प्रयुञ्जमाना अभूवन्। ते वै साम्प्रतं नैव सन्ति भाषाऽपि च काचिन्नैवानुमीयते या स्यादधुना पुराकालीनैव। वस्तुतः प्रत्येकमपि भाषा स्वभावतः परिवर्तनशीलैव परिज्ञायते। सा पुनः सर्वत्र सर्वदैव च समानैकस्वरूपा नैव भवति यतो हि सम्प्रति या खलु भाषाऽस्माभिर्व्यवह्रियते सा खलु शनैः शनैः कालक्रममनुसृत्य विकसमाना सती स्वकीयपूर्वस्वरूपतो वैभिन्न्यं व्यनक्त्येवेति दिक्।

भारतीयसंस्कृतौ पालिप्राकृतभाषयोः गौरवास्पदत्वमङ्गीक्रियते यतो हि पालिभाषायां भगवतो बुद्धस्य प्राकृतभाषायाञ्च भगवतो महावीरस्य धर्मोपदेशाः संकलिताः दरीदृश्यन्ते। धर्मोपदेशानाञ्चैतेषां प्रभावो वस्तुतः सम्पूर्णमानवजातेः समुत्थानाय सर्वत्र सर्वदैव रराजते।

भारते खलु बौद्धवाङ्मयस्य मूलभाषा पालिभाषा स्वीक्रियते ततो ज्ञायते यद्भगवता बुद्धेन पालिभाषायामेव धर्मोपदेशाः प्रदत्ता इति। बोधिलाभानंतरं बौद्धधर्मस्य प्रचारः स्वयं भगवता बुद्धेनैव विधत्तस्ततश्च तन्निर्वाणलाभे सति तदनुयायिनो महायानहीनयानेति सम्प्रदायद्वये विभक्ताः जाताः बौद्धधर्मश्च भारतदेशादतिरिच्यापि चीनजापानश्रीलङ्कावर्मामलेशिया-इण्डोनेशिया वियतनाम कम्बोडिया इत्यादिबहुषु देशेषु व्याप्तोऽभूत्। सम्प्रति खलु भारते बौद्धवाङ्मयं यदुपलभ्यते तत्खलु तिब्बतीत्यादिभाषातोऽनूदितमेव ज्ञेयमिति।

किञ्च, भगवतो महावीरस्य जिनोपदेशाः भारतवर्षस्य बहुभागेषु त्रिंशत् वर्षाणि यावदभूवन्। जैन परम्परायां भगवान् महावीरस्तु चतुर्विंशतितमस्तीर्थङ्करो बभूवामुस्यामवसर्पिण्यामिति। तीर्थकराणां धर्मोपदेशस्तु भवति स्म खलु समवसरणसभायां दिव्यध्वनिस्वरुपेणेति ज्ञेयम्।

तीर्थङ्करमहावीरस्य जिनोपदेशस्तु तत्प्रथमगणधरेण महर्षिणा इन्द्रभूतिगौतमेन द्वादशाङ्गश्रुतस्कन्धे निबद्धीक्रियते स्म। द्वादशाङ्गश्रुताभिधेयस्य जैनागमस्य संरक्षणं प्रचारो वा त्र्यशीत्यधिकषट्शतवर्षाणि

यावत् केवलिभिः श्रुतकेवलिभिः श्रुतधराचार्यैरङ्गपूर्वधारिभिश्च यथायोग्यकालगणनया स्मृतिबलादेव समभवदिति स्वीक्रियते। एतदन्तराल एव जैनधर्मानुयायिनोऽपि दिगम्बरश्वेताम्बरसम्प्रदायद्वये विभक्ता आसन्। दिगम्बरसम्प्रदाये तावत् छक्खंडागमसुत्तं पेज्जदोसपहुदी चेति द्वादशमाङ्गस्य किञ्चिदंशं विहाय स्मृतिभ्रंशदोषादवशिष्टं सर्वं जैनागमस्वरूपं श्रुतं विलुप्तमिति मन्यते। एतयोः छक्खंडागम-सुत्तपेज्जदोसपहुदीतिप्राकृतग्रन्थयोः रचनानन्तरं बहुभिः श्रुतधराचार्यैः प्राकृतग्रन्थाः विरचिताः। इमे चैव दिगम्बरपरम्परायां मूलागमग्रन्थाः सन्तीति स्वीक्रियते। श्वेताम्बरसम्प्रदाये तु द्वादशाङ्गश्रुतं यावत्स्मृतिः तावदेव लेखनीयमिति कृत्वा संरक्षितं सूरिभिरिति। तदनुसारेण ४५ अथवा ३२ संख्याका आगमग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते साम्प्रतं समेषां हि तेषां भाषाऽस्ति खल्वर्धभागधीप्राकृतभाषेति। एवं खलु जैनवाङ्मयस्य मूलभाषा प्राकृतभाषात्वेनाङ्गीक्रियते। अत्र त्वर्धमागधीशौरसेनीपैशाचीमहाराष्ट्रीत्यादिलोकभाषाणां संज्ञाकरणं हि प्रकृतेः जनतायाः वा भाषात्वात् प्राकृतभाषाऽभवदिति ज्ञेयम्। देशकालभेदाच्चेमे लोकभाषाः परस्परं किञ्चित् साम्यवैषम्यादिकं भजमाना अपि तत्तन्नामतः प्राकृतभाषारुपेण वाङ्मये समुपलभ्यन्ते।

संस्कृतप्राकृतभाषयोः परस्परं घनिष्ठः सम्बन्धोऽधिगम्यते उभयत्र च संस्कृतप्राकृतवाङ्मये भाषिकप्रकृतिः समानैव ज्ञायते। संस्कृतवाङ्मयं वैदिकलौकिकसंस्कृतभेदात् द्विविधं वर्तते। लौकिकसंस्कृते तावत् व्याकरणिकसंस्काराः प्रमुखायन्ते यथा न तथा वैदिकसंस्कृते खलु। लोकभाषास्तु पालिप्राकृतादयो वै व्याकरणादिसंस्कारनिरपेक्षाः सत्योऽपि लोकव्यवहारे वाच्यवाचकत्वमनुसृत्य व्याकरणादिसंस्कारं सहजतयैवानुसरन्ति। किञ्चित् कथञ्चिच्च तत्र परिवर्तनमपि दृश्यते। व्याकरणिकनियमादिकमुपेक्ष्यापि लोकभाषाः प्रवर्तन्ते न खलु संस्कृतभाषायामेवं भवति। लोकभाषा खलु कापि स्यात् सा चेत् केनापि सृष्टा कविना वै वाङ्मये साहित्ये शास्त्रेषु वा प्रयुज्यते यदा तदा सा काव्यशास्त्रीयं व्याकरणशास्त्रीयञ्च संस्कारमनुसृत्यैव प्रवर्तते न खलु तद्विना साहित्यसृष्टिः संभवति। वैदिककाले लोकभाषया हि वैदिकजनाः साधारणाः वा लोकाः यानि खलु सूक्तानि स्तुतिगानानि वा यदा स्वीयधार्मिककर्त्तव्यानि निर्वहन्तोऽभाषिष्यन्त तदा तत्र तानि लोकभाषात्वात् व्याकरणादिसंस्कारनिरपेक्षा अभविष्यन्नेवेति। किञ्च, मानवीयमूल्यसंरक्षणाय विश्वशान्तिसमवेतमानवजीवनोत्थानाय च कल्पितानि वै सूक्तानीमानि स्मृतिगर्ते हि विलुप्तानि नो भवेयुस्तेषामवस्थितिर्भवतादेवेति धिया बुद्धिजीविनो महर्षिणो वै प्रयतितवन्तः। सूक्तानाञ्चामीषां द्रष्टारो वयं नैव कर्त्तार इति मेधया ते यथा स्तवनमकरिष्यन्त तथैवालेखिष्यन्। अतश्चानुमातुं शक्यते यदत्र लोकभाषीयतत्त्वमनुरक्ष्यैव साहित्यसृजनहेतुकाः संस्काराः समागताः स्युस्तस्मादेव लौकिकसंस्कृततो वैदिकसंस्कृतस्य भेदोऽवगम्यते। वैदिकवाङ्मयस्य प्राकृतवाङ्मयस्य च भाषावैज्ञानिकमध्ययनं शोधप्रविधिमूलकं स्याच्चेदभिज्ञातुं शक्यते यत्कुत्र खलु वैदिके प्राकृते वा वाङ्मये लोकभाषानुगुणाः संस्काराः बहुलायन्ते ततश्चैव तयोः पूर्वापरवर्तित्वं प्रमातुमर्हन्ति केचन वै प्राज्ञाः विवेकिनः।

मेधाविनो वै महर्षिणो हेमचन्द्रसूरेः शब्दानुशासने प्राकृतापभ्रंशसाहित्यमधिगन्तुं निर्देशो वर्तते ''प्रकृतिः संस्कृतम्'' इति। अनेन सूचितं भवति यदेतासां प्राकृतापभ्रंशलोकभाषाणां व्याकरणं संस्कृतवदेव ज्ञेयं यतः प्राकृतापभ्रंशविषयकः संज्ञासन्धिसुबन्ततिङन्तकृदन्तकारकतद्धितसमासादिनियमाः शब्दानुशासनस्य प्रथमतः सप्तमाध्यायपर्यन्तं निर्दिष्टात् संस्कृतव्याकरणत एवाधिगम्यन्ते। अतएव न

खलु तेऽत्राष्टमेऽध्याये पुनः वक्तव्याः स्युरिति। प्राकृतापभ्रंशयोः लोकभाषयोः साहित्यं यदुपलभ्यते तत्र शब्दाः तदुपयोगश्च संस्कृतवन्नैवेति दृश्यते ततः कथमिव संस्कृतव्याकरणं प्राकृतापभ्रंश-साहित्यमधिगन्तुमर्हतीति कृत्वा सूरिणा संस्कृततो प्राकृतीकरणमपभ्रंशीकरणञ्च यथा संभवेत्तद्विषयकं प्ररूपितं यतोभवेत् खल्वस्माकमर्थबोधः प्राकृतापभ्रंशसाहित्यस्येति। शब्दार्थयोः वाच्यवाचकत्वमधिगन्तुं ये नियमाः संस्कृते सन्ति त एव प्राकृतापभ्रंशयोरपि ज्ञेयाः। कर्तृवाच्यानि कर्मवाच्यानि भाववाच्यानि च प्राकृतापभ्रंशसाहित्ये संस्कृतवदेव प्रयुज्यन्ते। केवलं तत्रासंस्कृता अपि देशजशब्दाः लोकव्यवहारे मातृभाषात्वेनैव यथा व्यवह्रियन्ते तथैव व्याकरणादिचिन्तां विना प्रयुक्तास्तस्मादेव प्रकृतेः जनतायाश्च कृते प्राकृतापभ्रंशसाहित्यं लोकरूढितः संस्कृतादपभ्रष्टहेतोश्चैव शब्दार्थयोः मध्ये वाच्यवाचकत्व-मधिगमयितुमलमास्ते।

प्राकृतवाङ्मये मानवजीवनस्य प्रायः सर्वाः प्रवृत्तयः पर्यवलोकिता भवन्ति तत्र जीवनस्य जगतो वा सत्यं परिज्ञातुं दार्शनिकचिन्तनं यथार्थवादिपदार्थनिरुपणया राराजते, सुखदुःखानुभूतिभिः समृद्धा कथासरित् प्रवहति, सामाजिकसांस्कृतिकमूल्यानां वैविध्यं तथैव पर्यवलोक्यते यथा फलन्ति खलु धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थाः। धर्मोपदेशपरतेह मुक्तितन्मार्गनिरुपणतया सर्वेभ्यो हितं संवर्धयति प्रेरयति च विश्वशान्तिं प्रति। प्राकृतवाङ्मये खल्वध्यात्मचेतनोज्जागरणप्रयासो यो वर्तते स परमार्थलाभायैव जनान् भृशं संबोधयति चेत्तर्हि विषयभोगलिप्सानुगता लोकानुभूतयोऽपि श्रोतॄन् पाठकांश्च भृशं रमयन्त्येव। रागविरागयोरुपदेशोऽत्र संसारचक्रं प्रद्योत्य ततो निस्सरितुं दुःखाभावतया सुखमधिगन्तुं विवेकिनो जीवानवश्यमेव प्रेरयति। इह प्राकृतवाङ्मये धार्मिकसाहित्यं प्राचुर्येण लभ्येतैव तदितरसाहित्यस्यापि बहुलता ज्ञेया। किञ्च, न केवलं जैनपरम्परायामपितु जैनेतरपरम्परास्वपि प्राकृतवाङ्मयोपलब्धिर्भवत्येवेति। एवं खलु पवित्रग्रन्थानां पावनीविद्यानाञ्चाधिकरणं प्राकृतवाङ्मयमास्ते भाषा चासौ तद्वाहिनीति ज्ञेयम्।

पालिप्राकृतवाङ्मयस्य साम्प्रतं मूल्याधारितं शोधकार्यमध्ययनञ्चास्माभिर्विधेयं खलु। संस्कृतवाङ्मये प्राकृतभाषया विरचितोऽपि बहुभागः समुपलभ्यतेऽद्यापि ततो विनिश्चीयते यत्संस्कृताध्येतारः पालिप्राकृतभाषामवश्यमेव जानीयुः प्राकृताध्येतारो वा पालिप्राकृतवाङ्मयस्य गभीरमध्ययनं संस्कृतभाषाज्ञानं विना विधातुमेव नार्हन्तीति दिक् संस्कृतमपि जानीयुरेव। संस्कृतस्य पालिप्राकृतयोश्च परस्परं सहकारित्वमुपकारित्वञ्च तद्वाङ्मये सत्यानुसंधित्सुभिरध्येतृभिर्दृश्यते वै भृशम्। यथापूर्वं खलु भारतस्य प्रायः सर्वत्र विश्वविद्यालयीयसंस्कृतविभागेषु व्यवस्थाऽऽसीद्यदधिस्नातकाः छात्राः पालिप्राकृतयोः किञ्चिदिव ज्ञानमवश्यं प्राप्नुयुस्तदर्थं तैरनिवार्यपत्रे पालिप्राकृतविषयकमधीयते स्म। सम्प्रतिरेवं नास्ति। कथमिति चेत्प्राज्ञैश्चिन्तनीयमेव। लोकभाषाविषयकं किमपि तत्त्वमुपेक्ष्यं न भवति जनकल्याणबलादिति।

अधुना खलु भारतसर्वकारेण पालिप्राकृतवाङ्मयस्य संरक्षणार्थं तत्प्रचारेण च समाजोपयोगित्वं पुरस्कर्तुं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थाने मानितविश्वविद्यालये हि संस्कृतेन सह तदध्ययनशोधकार्यप्रायोजनाः साकारीकृताः। अद्यत्वे तु पालिविकासाधिकारी प्राकृतविकासाधिकारी च मुख्यालये दिल्लीति देशस्य राजधान्यामेव कार्यं कुरुतः। पञ्च वरिष्ठशोधाध्येतारः (Post Doctoral Fellows) पालिवाङ्मयमाश्रित्य

लखनऊपरिसरे शोधकार्यं विदधति। पञ्च च वरिष्ठशोधाध्येतारः जयपुरपरिसरे प्राकृतवाङ्मयमाश्रित्य शोधकार्यं कुर्वन्ति। तत्र सर्वत्र संस्कृतविदुषां सहयोगो लभ्यते तथापि गतिरधिगतिर्वा न्यूनायते ततोऽधिकप्रगतिरपेक्षणीयैव। अत एव हि भारतसर्वकारेण वर्षेऽस्मिन् पालिप्राकृतभाषयोः विकासाय समितिद्वयं विज्ञापितम्। तत्रैकोनविंशति-सदस्यानामेकैका पृथक् पृथक् समितिः प्राकृतभाषायाः कृते पालिभाषायाश्च कृते मानवसंसाधनमंत्रालयेन संगठिता। अत्र प्राकृतभाषासमितौ वर्तन्तेऽध्यक्षाः प्रो. सत्यप्रकाशशर्माणः आचार्यचराः अलीगढमुस्लिमविश्वविद्यालये संस्कृतविभागस्य। एवमेव पालिभाषासमितौ प्रो. वैद्यनाथलाभः नवनालन्दाविहारेति विश्वविद्यालायस्य कुलपतिवर्याः सन्ति। उभयत्र सर्वकारस्योच्चाधिकरिणो देशस्य च सुप्रतिष्ठिताः पालिप्राकृतयोः विद्वान्सो वर्तन्ते ये ते खल्वेतयोः भाषयोः विकासाय समवेतत्वेन चिन्तनं विधाय यथा निर्देक्ष्यन्ति सर्वकारं तथैव भवितुमर्हति वै एतयोः भाषयोः विकास इति दिक्।

२०१८-१९ सत्रेऽस्मिन् राष्ट्रियपालिप्राकृतसंगोष्ठी जयपुरपरिसरस्थप्राकृताध्ययनशोधकेन्द्रेण भवेदिति मुख्यालयेन सूच्यते स्म। तदनुसारेण झटित्येव प्रयत्नं विधाय ०५-०६ मार्च २०१९ दिनाङ्क्योः द्विदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठीयं सम्पन्नाऽभूत्। संगोष्ठया उद्घाटनसत्रस्याध्यक्षता आस्माकीनैरेव कुलपतिभिः प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्रिवर्यैः कृता। कृत्रिमस्य जयपुरपादस्य कृते (For Jaipur Foot) येषां ख्यातिर्वर्तते ते खलु पद्मभूषणेति सम्मानेन सभाजिताः करुणामूर्तयश्च श्रीदेवेन्द्रराजमेहतावर्याः मुख्यातिथित्वेन समागताः स्वीयवक्तव्येन च परोपकारपरेण धन्यीकृतवन्तः। संगोष्ठयाः मुख्यवक्तृत्वं खलु प्रदत्तवन्तः प्रो. सत्यप्रकाशशर्माणः अध्यक्षचराः संस्कृतविभागे अलीगढ़मुस्लिमविश्वविद्यालयस्येति। एतदनन्तरं ''पालिप्राकृत साहित्य के व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता'' इति संगोष्ठयाः विषयोपरि पालिप्राकृतयोः पृथक्-पृथक् षट् षट्सत्राणि अभूवन् यत्र द्विपञ्चाशत् शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः विद्वान्सो वै शोधार्थिनः। शोधपत्राणां खल्वेतेषां प्रकाशनमिह स्मारिकायां पुस्तकाकारेण विधीयते। स्मारिकापुस्तकमिदं समेषां शोधार्थिनां जिज्ञासूनाञ्च सामाजिकानां कृते व्यावहारिकं मूल्यं पुरस्कुर्यादिति वयमाशास्महे।

संगोष्ठ्याः संयोजने पुस्तकस्य चामुष्य प्रकाशने येषां हि प्रत्यक्षपरोक्षरुपेण योगदानं जातं ते सर्वेऽपि मया प्रणम्याः धन्यवादार्हा अपि सन्ति। विशेषतः खलु राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य कुलपतयः प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्रिणः साधुवादेन प्रणम्याः सन्ति। जयपुरपरिसरस्य च प्राचार्याः सर्वं वै सुष्ठु निर्विघ्नं भवेदिति सर्वत्र समुत्साहितवन्तो निर्दिष्टवन्तस्तस्मात्तेऽपि प्रणम्याः खलु। सर्वेषां भद्रं भूयादिति कामनया विरमामि।

चैत्रकृष्णा सप्तमी
दिनाङ्क २७ मार्च २०१९

विदुषां वंशवदः
प्रो. श्रीयांशकुमारसिंघई
संगोष्ठीसंयोजकः
सम्पादकश्च

❊ अनुक्रमणिका ❊

1.	पालि एवं प्राकृत साहित्य के व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता (मुख्य सम्बोधनं-Keynote Address)	प्रो. सत्यप्रकाश शर्मा	1
	प्राकृतभाग:		
2.	सौरसेनी प्राकृत साहित्य में अध्यात्म निरूपण का व्यावहारिक पक्ष	प्रो. श्रीयांश कुमार सिंघई	7
3.	कुवलयमालाकहा की लोकधर्मिता और प्रासंगिकता	प्रो. प्रेम सुमन जैन	20
4.	प्राकृत उपांग साहित्य में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता	डॉ. ऋषभ चन्द्र जैन 'फौजदार'	30
5.	प्राकृत अलंकारों में लोकधर्मिता की आधुनिक काल में उपयोगिता	प्रो. कमलेश कुमार जैन	44
6.	The Yoga tradition as reflected in the Prakrit texts and Commentaries with special reference to meditation based on the Dhyānaśataka of Āvaśyaka Niryukti	Jagat Ram Bhattacharyya	51
7.	आधुनिक युग में प्राकृत भाषा के विकास की संभावनाएं	प्रो अनेकांत कुमार जैन	60
8.	प्राकृतभाषा एवं साहित्य के व्यावहारिक-पक्ष	प्रो. सुदीप कुमार जैन	65
9.	गउडवहो महाकाव्य की लोकधर्मिता की प्रासंगिकता	प्रो. डॉ. दीनानाथ शर्मा	72
10.	अपभ्रंश कथाकाव्यों के व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में उपयोगिता	प्रो. सलोनी जोशी	77
11.	प्राकृत साहित्य में लोकोक्तियाँ और उनका प्रचलन	प्रो. कमलेशकुमार जैन	81
12.	वसुदेवहिण्डी प्राकृत कथासाहित्य में अंकित वास्तुविज्ञान की वर्तमान में प्रासंगिकता	प्रो.जयकुमार उपाध्ये	89
13.	प्राचीन प्राकृत साहित्य में वाचिक व्यवहार के सूत्र	प्रो. दामोदर शास्त्री	98
14.	प्राकृत शिलालेखों में निहित व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में प्रासंगिकता	डॉ. महावीर प्रभाचंद्र शास्त्री	105
15.	उवासकदसाओ में वर्णित अनर्थदण्ड विरमण व्रत की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	113
16.	दशवैकालिक आगम में समय-प्रबंधन के सूत्र	डॉ. समणी भास्कर प्रज्ञा	122
17.	उत्तराध्ययनसूत्र में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता	डॉ. सुमत कुमार जैन	128
18.	शौरसेनी प्राकृत साहित्य में दार्शनिक तथ्यों की प्रासंगिकता	डॉ. अनिल कुमार जैन	137
19.	प्राकृत मुक्तकों के व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में प्रासंगिकता	डॉ. रजनीश शुक्ल	150
20.	दंसणकहरयणकरंडु की प्रासंगिकता	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार जैन	160
21.	प्राकृत साहित्य में वर्णित पारिवारिक संबंधों की उपादेयता (प्राकृत कथा-ग्रंथों के संदर्भ में)	डॉ. तारा डागा	168

22. शौरसैनी प्राकृत श्रावकाचारों में प्रयुक्त व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता	डॉ. ज्योतिबाबू जैन	177
23. धर्मोपदेशमालाविवरण में निहित राजीमतीचरित्र की प्रासंगिकता	रेखा जैन	188
24. मागधी प्राकृत में निहित व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में उपादेयता	डॉ. सुदर्शन मिश्र	191
25. प्राकृत दसभत्ति संगहों का व्यवहारिक पक्ष	डॉ. मनीषा जैन	201
26. संस्कृत काव्यशास्त्रों में प्राकृत गाथाओं की प्रासंगिकता	डॉ. राकेश कुमार जैन	210
27. वसुदेवहिण्डी में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता	डॉ. आनन्द कुमार जैन	222
28. जम्बुचरियं के लोककल्याण तत्त्व की साम्प्रतिक उपयोगिता	डॉ. अमित कुमार	227
29. गाहासत्तसई की लोकधर्मिता -एक प्रासङ्गिक निरूपण	डॉ. बलराम शुक्ल	231
30. पउमचरिये साम्प्रतिके च सन्दर्भे युद्धं परिणामश्च	डॉ. प्रभात कुमार दास	241
31. प्राकृत कोश साहित्य का व्यावहारिक पक्ष	डॉ. पत्रिका जैन	250
32. प्राकृत साहित्य में वर्णित वैवाहिक जीवन की प्रासंगिकता	डॉ. सतेन्द्र कुमार जैन	255
33. प्राकृत कथा साहित्य में वर्णित जीवनशैली एवं सामाजिक प्रभाव	डॉ. दर्शना जैन	265
34. तीसरी से दसवीं शताब्दी के प्राकृत चरित ग्रन्थों की वर्तमान में उपादेयता	प्रो. कल्पना जैन	272

पालिविभाग:

35. पालि भाषा और साहित्य की उपयोगिता	प्रो. संघसेन सिंह	284
36. पालि साहित्य में वर्णित राजनैतिक सन्दर्भों की उपयोगिता	प्रो. विजय कुमार जैन	289
37. पालि अट्ठकथाओं की उपयोगिता	प्रो. धर्मचन्द्र जैन	299
38. पालि साहित्य के संस्कृत छायानुवाद की व्यावहारिक उपादेयता	प्रो. उमाशंकर व्यास	305
39. पालि सूक्तियों की सामाजिक उपयोगिता	डॉ. राका जैन	310
40. सतिपट्ठान सुत्त की वर्तमान में प्रासंगिकता	प्रो. बालचंद्र खांडेकर	318
41. केसमुत्तिसुत्त-कालाम सुत्त की वर्तमान में उपयोगिता	डॉ. मालती साखरे	324
42. पालि साहित्य में निहित राजनैतिक अवधारणा की आधुनिक समय में उपयोगिता	डॉ प्रियसेन सिंह	328
43. थेरीगाथापालि का व्यवहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता	डॉ. नीलिमा चौहान	334
44. वंश साहित्य का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता	डॉ. सोनल सिंह	339
45. मैत्री ब्रह्मविहार का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता	डा. जगमोहन	347
46. चूळवंश की व्यावहारिकता तथा उपयोगिता	डॉ. मोहन मिश्र	350
47. सुत्तपिटक में आगत सांस्कृतिक पक्षों की उपादेयता	डॉ. जयवंत खंडारे	355
48. पालि त्रिपिटक में वर्णित बुद्ध की जीवनचर्या की प्रासंगिकता	डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव	359
49. संयुत्तनिकायपालि का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता	डॉ. वेदव्यास पाण्डेय	367
50. अपदान का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता	डॉ. प्रियंका	373
51. आधुनिक सन्दर्भ में पालि सुत्तपिटक में प्राप्त बुद्ध के उपदेशों की उपयोगिता	डॉ. घनश्याम पाल	380
52. सुबोधालंकार का पालि साहित्य के विकास में योगदान	डॉ. सुष्मिता व्यास	385

पालि एवं प्राकृत साहित्य के व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता

प्रो. सत्यप्रकाश शर्मा

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः।
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः
सोऽयं विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः।।

सम्मान्याः श्रीमन्तोऽध्यक्षवर्य्याः, मञ्चस्थाः मनीषिणः, ज्येष्ठाः प्रेष्ठाश्चात्र समुपस्थिता विद्वाँसः, श्रद्धेया मातृशक्तिश्च।

महतः प्रमोदस्यायम् अवसरः यद् राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानद्वारा संस्कृतेन साकं पालि-प्राकृतभाषयोरपि संरक्षणाय समुन्नयनाय च भूरिशोऽनेकानि प्रयत्नानि क्रियन्ते। वस्तुतोऽस्माकं संस्कृतिः संस्कृत-पालि-प्राकृतभाषाश्रिताऽस्ति। यद्यपि अत्र बह्वीनां भाषाणां महदवदानं वर्तते, परं तत्र मूर्ध्नि तु भाषात्रयी एव। यथाऽस्य देशस्य भारतम्, भारतवर्षम्, भारतद्वीपश्चेति त्रिधा विकासः समजायत तथैवास्य संस्कृतेरपि विकासः क्रमबद्धरूपेणाऽभवत्। वैदिकी संस्कृतिः 'आर्यसंस्कृति' रूपेण विकासमलभत्। तत्र 'आर्य' इति पदं श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयति न तु कस्यापि प्रजातेर्जातेर्वा धर्मस्य वाचकः। न केवलं वैदिकाः बुद्धानुगामिनः जैनशासनानुरक्ताश्चापि एवं स्वं देशं 'आर्यावर्ते'ति पदेनैव अलङ्कुर्वन्ति, भवतु नाम तत्र स्थानभेदो देशभेदो वा। एवमेव सर्वेऽपि सम्प्रदायाः स्वां स्वां भाषां मूलभाषारूपेण दैवीभाषारूपेण वा उद्घोषयन्ति। वस्तुतः भारते आप्रारम्भादेव भाषाणां वैविध्यं धर्मणामनेकत्वं प्रजानां बहुविधत्वं ऋषिभिः दृष्टम्, अनुभूतं स्वीकृतञ्चापि। ऋषेः स्पष्टमुद्घोषः 'जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नाना धर्माणंपृथिवीमिवौकसम्'। एवं भारतीयसंस्कृतेर्विकासे विविधजनधर्म-भाषाणां महदवदानं वर्तते, तथ्यमिदमस्माभिर्निर्विरोधेन हृदयेन च स्वीकर्त्तव्यम्।

मान्याः!

अद्य इयं सङ्गोष्ठी पालि-प्राकृतभाषयोर्व्यावहारिकपक्षान् आदाय वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये तेषाम् उपयोगिताम् आकलयितुं प्रवर्तते। प्रासङ्गिकोऽयं विषयः। उपयोगितावादिन्यस्मिन् युगे सर्वस्य

वस्तुजातस्य आकलनं तदुपयोगितामेवाभिलक्ष्यीकृत्य क्रियते। आपणे हट्टके वा कस्य कियन्मूल्यम्? किं वस्तु कियद् धनप्रदम्? इदमेव लक्ष्यम् अभिलक्ष्य सर्वेजनाः स्व-स्व कार्येषु प्रवृत्ताः सँल्लक्ष्यन्ते। न केवलं जनानामपितु नेतृणामपि एतादृश एव दृष्टिकोणः सञ्जातः। विद्यार्जनक्षेत्रेऽपि उपयोगितावादस्यैव डिण्डिमघोषः कर्णकुहरेषु तप्ततैलमिव अस्मान् सन्तापयति। प्राचीनभाषाविषये इयं भीषा अतीव भयावहा। अतः प्रकृतसंगोष्ठ्याः प्रासङ्गिकता तत्र विचार्यमाणविषयस्य च सार्थकता - उभेऽपि नितरां समीचीने स्तः। विषयस्य स्फोटनमत्र सभायां सर्वजनसुबोध्यभाषामाध्यमेन सुकरं भवेदिति विचारेण हिन्दीभाषामाध्यमेन किञ्चिदुच्यते। मित्रो!

किसी भी भाषा एवं साहित्य की सामयिक उपयोगिता का मूल्याङ्कन तीन दृष्टियों में सम्यक् है– प्रथम नैतिक एवं मानव मूल्य; द्वितीय आध्यात्मिक लाभ एवं तृतीय भौतिक लाभ। जहाँ तक प्रथम दृष्टि का सम्बन्ध है, विश्व की सभी समृद्ध भाषाओं के साहित्य का मुख्य लक्ष्य ही समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना रहा है। पालि साहित्य में त्रिपिटक एवं प्राकृत साहित्य में आगम साहित्य इसके उत्कृष्ट निदर्शन हैं। पालि साहित्य में पाखण्ड की भर्त्सना है, मानव कल्याण के लिए प्रयासों की एक लम्बी और सशक्त शृङ्खला देखी जा सकती है तो उधर प्राकृत साहित्य में भी पाखण्ड एवं दुराचार की पोल खोलने वाले प्रसङ्गों की कमी नहीं है। इस साहित्य में सद्-असद् प्रवृत्तियों का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन हुआ है। धुत्तक्खाण (धूर्ताख्यान) जैसे ग्रन्थों की रचना प्राकृत में ही हुई। प्राकृत का कथा साहित्य, धूर्तों, वंचकों, प्रच्छन्नचरित व्यक्तियों की पोल खोलने वाला साहित्य है जिसमें मानव कल्याण की भावना सन्निहित है। धर्मकथा, अर्थकथा, कामकथा जैसा कथा-साहित्य का वर्गीकरण केवल प्राकृत साहित्य में ही पाया जाता है। नैतिक मूल्यों का सार भरा संग्रह यदि देखना है तो पालि के धम्मपद और प्राकृत के उत्तराध्ययन पर्याप्त है। इन दोनों ही ग्रन्थों में गाथाओं का संग्रह पालि में त्रिपिटक एवं प्राकृत के आगम ग्रन्थों से चुन-चुन कर किया गया है। पालि एवं प्राकृत-दोनों ही साहित्यों में प्रस्फुटित नैतिक मूल्य यथार्थवाद के धरातल पर टिके हैं और नितान्त आदर्श भी हैं। यहाँ यथार्थवाद और आदर्शवाद का सुन्दर समन्वय है। इस साहित्य में जीवन संघर्ष और पुरुषार्थसाधन के प्रति निष्ठा दर्शनीय है। धर्म या धम्म की प्रमुखता दोनों ही साहित्यों का चरम लक्ष्य रहा है। त्रिपिटक में धम्म की विस्तृत और अनेकधा व्याख्या पायी जाती है तो प्राकृत में भी धम्मसाहित्य का विशद निर्माण हुआ है। अहिंसा, संयम और तप के समन्वित रूप को 'धर्म' कहा गया है और उत्तम मंगल भी। यथा–

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो।
देवावि तं नमस्संति, जस्स धम्मे सया मणो।।

लेकिन, धर्म का गुणगान करने वाले इन दोनों साहित्यों को केवल धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत रखना अन्यायपूर्ण होगा। वह स्वावलम्बन पर जोर देता है किसी के आगे हाथ फैलाने और संसार की यथार्थता से दूर रहने की बात नहीं कहते। धम्मपद में कहा गया है–

अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया।
अत्तना व सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं।।

तो समणसुत्त भी उद्घोषित करता है–

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खु दुद्धयो।
आपा दन्तो सुही होई, अस्सि लोए परत्थ य।।

संक्षेप में पालि एवं प्राकृत–दोनों ही साहित्यों में मानव बनने का सन्देश सन्निहित है जिसके लिए कुशल–अकुशल कार्यों की विस्तृत व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलन्द है। ऊँच–नीच का प्रबल विरोध है। पाखण्डवाद के प्रति रोष है। बुद्धिबल की सर्वत्र प्रशंसा है। त्याग और अस्तेय की महत्ता का प्रतिपादन है। अध्यात्म के प्रति तीव्र गवेषणा है।

यह तो रही, पालि एवं प्राकृत साहित्य के मङ्गलमय व्यावहारिक पक्ष की यथार्थता जो वर्तमान में भी अत्यन्त उपयोगी है।

अब हम इन दोनों साहित्यों के उस व्यावहारिक पक्ष की ओर दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे जिसे भौतिक लाभ के रूप में रेखाङ्कित किया जाता है। प्रायः प्रश्न होता है कि पालि एवं प्राकृत जैसी outdated भाषाओं के अध्ययन से व्यक्ति को आजीविका तो मिलती नहीं, न तो विद्यालयों–महाविद्यालयों में इसके अध्ययनादि को प्रचुर अवकाश है और न इस व्यावसायिक युग में इसका कोई उपयोग ही। पालि–प्राकृत पढकर या तो साधु–संन्यासी, भिक्खु या मुनि बन जाइये और मुफ्त की रोटी खाइये। अधिक से अधिक धर्मोपदेशक या कहीं–कहीं अध्यापक बन जाइये। बस इतनी ही उपयोगिता इन दोनों साहित्यों की है। ऐसा आज का युवक मानता है और आधुनिक समाज की भी यही सोच है। जिसका परिणाम है कि आज का जैन समाज भी प्राकृत का गुणगान तो करता है उसमें श्रद्धा भी रखता है किन्तु न स्वयं प्राकृत का अध्ययन करता है और न अपने बच्चों को ही प्राकृत पढ़ाता है। यही स्थिति पाली और यत्किञ्चित् संस्कृत की भी है। वस्तुतः पालि

और प्राकृत भाषाओं की आज भी महती उपयोगिता है जिसे निम्नाङ्कित बिन्दुओं पर केन्द्रित कर देखा जा सकता है।

1. सर्वप्रथम यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि भारत की अस्मिता के रूप में मान्य संस्कृत भाषा और साहित्य का समग्र एवं बहुआयामी अध्ययन पालि-प्राकृत के अध्ययन के अभाव में सम्भव नहीं है। संस्कृत में कितना ही उत्कृष्ट साहित्य है, उसके निष्णात विद्वान् पण्डित भी हैं किन्तु उसमें अनुस्यूत पालि एवं प्राकृत की धाराएँ उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण है जिस प्रकार है प्रयाग में गङ्गा-यमुना के सङ्गम में अदृश्य किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरस्वती है जिसके बिना न त्रिवेणी सार्थक है और न प्रयाग का तीर्थराजत्व। अतः संस्कृत के भाषिक एवं साहित्यिक अध्ययन की समग्रता के लिए पालि-प्राकृत के भाषा सन्दर्भों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है।
2. भारतीय संस्कृति की समग्रता के अध्ययननार्थ संस्कृत के सम्यक् ज्ञान के साथ-साथ पालि प्राकृत भाषाओं और उनमें निबद्ध साहित्य का गम्भीर आलोडन नितान्त अपेक्षित है। वस्तुतः जो संस्कृति जितनी अधिक समृद्ध होगी उसके उतनी ही विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का अवदान होगा जैसे कि गङ्गा की विशालता और अविरलता में विभिन्न छोटी-बड़ी नदियों का और अगाध समुद्र की नितान्त परिपूर्णता में विश्व की सभी नदियों का।
3. भारतीय इतिहास के सही आकलन के लिए भी पालि साहित्य का वंस साहित्य और प्राकृत का चरित काव्य साहित्य अत्यन्त उपयोगी और संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति अपने विविध पक्षों के साथ प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययन का विषय है। वहाँ ऐसे अध्यापकों की नितान्त कमी है जो पालि-प्राकृत स्रोतों का उपयोग कर भारतीय इतिहास संस्कृति की छूटी हुई कड़ियों को जोड़कर उसकी मजबूत श्रृंखला का निर्माण कर सकें।
4. पालि एवं प्राकृत का अभिलेख साहित्य भी विशाल है। वस्तुतः पालि-प्राकृत के अभिलेखों की प्राचीनता संस्कृत अभिलेखों से अधिक है। पाँचवीं-छठी शताब्दी से पूर्व के संस्कृत अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते जबकि पालि-प्राकृत अभिलेखों की उपलब्धि अशोकसम्राट् से प्रारम्भ हो जाती है।
5. खरोष्ठी लिपि और प्राचीन ईरानी लिपियों में निबद्ध साहित्य प्रायः पालि एवं प्राकृत भाषा का ही साहित्य है।

6. भाषा विज्ञान का अध्ययन आज महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारोपीय भाषाओं के विशेष रूप से मध्यकालीन भारोपीय भाषाओं के विशेष रूप से मध्यकालीन भारोपीय भाषाओं का अध्ययन पालि एवं प्राकृतों के अध्ययन के अभाव में सम्भव नहीं है।
7. बौद्ध और जैन-दोनों ही सम्प्रदायों की मूल भाषाओं पाली प्राकृतों या मागधी और अर्धमागधी के तुलनात्मक अध्ययन के बिना तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन का अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।
8. पालि एवं प्राकृत का पाण्डुलिपि भण्डार अत्यन्त विशाल है। इस विशाल भण्डार में छिपे हुए ज्ञान-कोश के उद्धार हेतु पालि-प्राकृत के विद्वानों की महती आवश्यकता है।
9. पुरातत्त्व के क्षेत्र में पालि-प्राकृतज्ञों का नितान्त अभाव है।
10. पालि एवं प्राकृत भाषाओं में आयुर्वेद विषय की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्राकृत में तो न केवल आयुर्वेद अपितु ज्योतिष, गणित, चित्रकला आदि विषयक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। दर्शनशास्त्र पर दोनों ही भाषाओं में उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु पालि-प्राकृत दर्शन का महत्त्व कम नहीं है। अब तो पालि एवं प्राकृत में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के सूत्र भी ढूंढे जा रहे हैं। इसका अध्ययन अभी तक अधूरा है। जैन भूगोल पर भी प्रामाणिक अनुसन्धानों का अभाव है। बौद्ध और जैन ललित कलाओं तथा वास्तुशिल्पों पर भी अन्वेषण के लिए पर्याप्त अवकाश है। खेद है, पाश्चात्य विद्वान् तो इस ओर सचेष्ट एवं प्रयत्नशील हैं किन्तु भारतीय अनुसन्धाताओं का ध्यान इस ओर कम ही गया है।

इस प्रकार पूर्वोक्त क्षेत्रों में पालि एवं प्राकृत के अध्ययन का व्यावहारिक महत्त्व अक्षुण्ण एवं उपयोगी है। यह अध्ययन केवल स्वान्तः सुखाय ही नहीं जीविकोपार्जन का भी सशक्त साधन बन सकता है, बस आवश्यकता है इसे आधुनिक किंवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की।

उपर्युक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और उभरता हुआ क्षेत्र है-प्रबन्धन। आज प्रबन्धन के क्षेत्र में 'गीता' को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान मिल चुका है। उसमें प्रतिपादित विभिन्न योग-दृष्टियों का आधुनिक प्रबन्धन व्यावहारिक उपयोग भी होने लगा है। इस दृष्टि से पालि और प्राकृत साहित्य की भी परम्परा अत्यन्त समृद्ध है। पालि

में 'विपस्सना' और प्राकृत में 'प्रेक्षाध्यान' की उपलब्धि ने डाक्टरों और उद्योगपतियों का ध्यान आकृष्ट किया है। Stress Management आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है। सेना, पुलिस, उद्योग कम्पनियों के कर्मचारी अवसादग्रस्त हैं, उन पर काम का भार है, भौतिक लाभ पाने की दौड़ में वे व्यथित एवं निराश हैं, आत्महत्या तक पर उतारू हो जाते हैं। उनको इस स्ट्रैस से राहत दिलाने के लिए विपस्सना एवं प्रेक्षाध्यान के कुशल प्रशिक्षकों की कमी है। इसके लिए पालि एवं प्राकृत का अध्ययन बहुत उपयोगी हो सकता है।

शिक्षण पद्धति–

विभज्यवाद और नयवाद के सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग शिक्षापद्धति को तर्कसङ्गत और रोचक बना सकता है जिससे छात्रों का स्वतन्त्र बौद्धिक विकास अनायास होगा।

अन्त में और संक्षेप में, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति की यह त्रिवेणी (संस्कृत, पालि-प्राकृत) ही भारत को 'विश्वगुरु' की पदवी प्रदान करती है। आज इसके संरक्षण की वैसी ही आवश्यकता है जैसी कि पतितपावनी गंगा और यमुना के संरक्षण की। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ भौतिक लाभ भी है। वैशेषिक दर्शन में भौतिक अभ्युदय और अध्यात्मिक निःश्रेयस्– दोनों के सुमधुर, मङ्गल-मिलन को ही तो 'धर्म' कहा गया है– 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः'।

अन्त में, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (जयपुर परिसर) के यशस्वी मनीषी प्राचार्य अर्कनाथ चौधरी के प्रति सादर, सविनय आभार-प्रदर्शन मेरा धर्म है जिन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया और अत्यन्त शीघ्रता एवं व्यस्तता में भी जितनी कुछ बात आप मनीषियों के समक्ष रख सका। आप सभी के प्रति मेरा सविनय शिष्टाचार एवं अभिनन्दन-अभिवन्दन। मेरी मङ्गलकामना है–

सव्वावमङ्गलमुपद्दवदुन्निमित्तं
सब्बीतिरोगगहदोसमसेसनिन्दा।
सब्बन्तरायभयदुस्सुपिनं अकन्तं
संघानुभावपवरेन पयातु नासं।।

सौरसेनी प्राकृत साहित्य में अध्यात्म निरूपण का व्यावहारिक पक्ष

प्रो. श्रीयांश कुमार सिंघई

भाषिक ऊहापोह की दृष्टि से प्राकृत वाङ्मय के विविध आयाम आज उपलब्ध होते हैं। उनमें कौन मूल एवं प्राचीन प्राकृत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तथा इसके इतने आयाम उत भेद प्रभेद क्यों हुये और कैसे उनकी उपादेयता होती रही? यह सब तो ऊहापोह की कसौटी पर विचार योग्य है ही यहाँ पर यह भी विचार किया जाना चाहिये कि जिस भाषा या वाङ्मय में प्राकृत शब्द का व्यवहार ही जब कहीं पर नहीं हुआ है और न ही संभव है तो फिर पाइय/पागद/पायड-भासा या वाङ्मय के स्थान पर प्राकृत भाषा या प्राकृत वाङ्मय अभिधानों का व्यवहार क्यों प्रचलित हुआ?

प्रागैतिहासिक काल किम्वा पुरा वैदिककाल में जो भी भाषा-व्यवहार लोकजीवन में होता रहा होगा वह सहज-सरल या स्वभावजन्य होने से एवं व्याकरणिक संस्कारों से शून्य होने के कारण नाना विविधताओं से प्रभावित हुआ और प्रादेशिक प्रभाव को लिये हुये तत्तद्देशीय अभिधानों से जाना जाने लग गया होगा। फलतः उस काल में उन उन देशों-प्रदेशों के नाम पर मागधी सौरसेनी आदि भाषाओं का प्रचलन हुआ। कालान्तर में यही भाषायें बौद्धिकता से प्रभावित होती हुयीं प्रकृति यानि जनता की भाषा होने से प्राकृत नाम से व्यवहृत हुयीं। मातृभाषा व्याकरणिक व्यवधानों-प्रावधानों की चिन्ता से मुक्त होती है और भाषिक संस्कारों की अपेक्षा के विना अर्थबोध की वाहक बनती है। माता की गोद में खेलते- खेलते बालक जितनी सरलता से भाषा व्यवहार करने लगता है। वह वहाँ व्याकरणिक संस्कार बोध के विना ही जो भी भाषा सीख जाता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। माता एवं मातृमूलक व्यवहार ही यहाँ बालकों के लिये प्रकृति है। अतः जिनकी मातृभाषा जहाँ जो भी रही, वहाँ वह भाषा प्राकृत भाषा कहलायी। इस प्रकार मातृभाषा भी प्राकृत मानी जा सकती है।

साहित्य सृजन में भाषिक शब्दों का संयोजन मात्र नहीं होता है; अपितु वहाँ शब्दानुशासन का संस्कार भी विकसित होता जाता है। अतः कहना होगा कि किसी भी भाषा का साहित्य

व्याकरणिक एवं काव्यशास्त्रीय अनुशासन से रहित नहीं होता है। पुराकालीन भाषाओं में विरचित साहित्य भी इसका अपवाद नहीं हो सकता है। निष्कर्ष यहाँ यह है कि पुराकालीन लोकभाषाओं में निबद्ध साहित्य जो प्राकृत वाङ्मय के रूप में ख्यात है। उसका अध्ययन कर पाना एवं उसमें निहित रहस्यों से परिचित होना हमें तभी संभव है जब हम व्याकरणिक एवं काव्य शास्त्रीय अनुशासन से संस्कारित हों।

महर्षि पाणिनीय विरचित अष्टाध्यायी यद्यपि संस्कृत भाषा का व्याकरण माना जाता है तथापि वह भारत की अधिकांश भाषाओं के व्याकरणिक विश्लेषण के लिये आधारभूत ग्रन्थ भी है। इसका एक कारण यह भी समझ में आता है कि पाणिनीय काल तक संस्कृत वाङ्मय में लोकभाषाओं के शब्द प्रचुरता से संस्कारित होकर समाविष्ट हो चुके थे। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और पाणिनीय व्याकरण भी उन देशज शब्दों को संस्कारित करने में समर्थ है।

किसी भी भाषा व्यवहार से हमें अर्थबोध तब होता है जब हम उस भाषा के वाक्य संगठन से परिचित होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त कारक बोधक सुबन्त और क्रिया बोधक तिङन्त पदों के परिज्ञान से सम्पन्न होकर लोकप्रचलित वाच्य वाचक सम्बन्ध को समझते हैं। प्रत्येक भाषा के शब्दों से होने वाला अर्थबोध लोकानुगामी वाच्यवाचक सम्बन्ध की समझ पर निर्भर होता है। जो समझ अलग-अलग भी होती है और कई भाषाओं में सदृश भी होती है, शब्दों से अर्थबोध होने का कारण वक्ता-श्रोता या लेखक-पाठक की बौद्धिक क्षमता है न कि केवल अचेतन शब्दों का व्यवहार या मूर्त-अमूर्त नाना वस्तुओं का विद्यमान होना। बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग करने पर ही शब्द अपेक्षित वस्तुओं का परिज्ञान होने में अर्थात् अर्थबोध होने में निमित्त माने गये हैं, बुद्धि के अभाव में नहीं।

संस्कृत वाङ्मय विश्व में प्राचीनतम होने के गौरव से तो मंडित है ही नानाविध ज्ञान विज्ञान की सम्पदा का प्रमुख स्रोत भी है। इसमें जहाँ बौद्धिक निष्कर्ष समाविष्ट हैं तो अनुभवगम्य मूल्यों की विरासत भी यहाँ उपलब्ध होती है। मानवीय संवेदनाओं, सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यों और धार्मिक दार्शनिक निष्ठाओं का रत्नाकर हम इसे मान सकते हैं। संस्कृत वाङ्मय के उत्कृष्ट होने में संस्कृत भाषा की अपनी अनूठी सामर्थ्य है जो उसे अन्य भाषाओं से गरिष्ठ और वरिष्ठ सिद्ध करती है। बौद्धिक संस्कारों की बहुलता होने के कारण इसे बुद्धिजीवियों ने ही पुराकाल से अपनाया है और लोकजीवन में सर्वाधिक प्रतिष्ठित भी किया है तथापि बुद्धिजीवी वर्ग की न्यूनता के कारण यह लोकधारा की भाषा नहीं बन सकी।

प्राकृत और संस्कृत वाङ्मय आज भी परस्पर पूरक एवं सहचर प्रतीत होते हैं। संस्कृत नाटककारों एवं प्रसिद्ध काव्यशास्त्रियों ने अपनी रचनाओं की जिन्दादिली के लिये प्राकृत भाषा को अपनाया है तो प्राकृतविद् संस्कृतज्ञ रचनाकारों ने प्राकृत वाङ्मय को अमर बनाने के लिये संस्कृत टीकाओं से उसे गौरवान्वित किया है। छक्खंडागमसुत्त की धवला-महाधवला टीकायें तथा पेज्जदोसपहुदी की जयधवला टीका ऐसे उदाहरण हैं जहाँ संस्कृत और प्राकृतभाषायें सहचरी बनकर जी रही हैं। आचार्य कुन्दकुन्द का प्राकृत वाङ्मय अमृतचन्द्रसूरि की संस्कृतटीकाओं से जैसा भी समलङ्कृत हुआ है वहाँ हमें लगने लगता है कि यदि संस्कृतभाषा का यह अमर दार्शनिक एवं महाकवि नहीं होता तो शायद ही हम उन प्राकृत ग्रन्थों का दार्शनिक महत्त्व समझ पाते। उपलब्ध प्राकृत वाङ्मय की भाषिक प्रकृति संस्कृत सम ही अवगत होती है क्योंकि प्राकृत भाषाओं के तिङन्त सुबन्त शब्द अर्थावबोधन के लिये संस्कृत व्याकरण का ही अनुसरण करते हैं तथा वाक्य संगठन भी संस्कृत के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुसार ही प्राकृतभाषाओं में हैं। प्राकृतवाङ्मय में सौरसेनी प्राकृत भाषा का सर्वाधिक साम्य यदि किसी भाषा से है तो वह संस्कृत ही है। सौरसेनी प्राकृत साहित्य मोक्ष पुरुषार्थ को प्रद्योतित करता है। उसके प्रादुर्भाव और विकास की कथा से भी हमें ज्ञात होता है कि यह वाङ्मय ऋषियों-महर्षियो की उस चेतना से सम्पन्न है जिसे जानकर हम भी अपनी चेतना को जगाने की जिज्ञासा से सम्पन्न होंने लगते हैं। यदि प्रमाद न हो और इस वाङ्मय के प्रमेय को हम साम्प्रदायिक व्यामोह के विना समझने का श्रम करें तो मेरा मानना है कि सत् चित् और आनन्द की सही समझ से हम उस डगर के राही बन जाते हैं जो अन्तरोन्मुखी यात्रा के लिये आलम्बन है और सच्चिदानन्द की अनुभूति के लिये अपरिहार्य भी।[1]

सौरसेनी प्राकृत साहित्य के अन्तर्गत आचार्य कुन्दकुन्द के पंचत्थिकायसंगहो और पवयणपाहुड में हम लोक और उसमें मौजूद वस्तुओं की यथार्थ अवधारणा से परिचित होने का अवसर पा जाते हैं। जड़-चेतन वस्तुओं की विवेचना यहाँ कल्पनाजन्य विश्वासों पर आधारित नहीं है अपितु तर्क निकष पर प्रमाणित होती हुई आगम, युक्ति और अनुभव से हमारी चेतना को जगाने के लिये वरदान हैं। यह वाङ्मय सचमुच ही ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में प्रस्फुटित, प्रद्योतित एवं पुरस्थापित होता हुआ हमारे लिये अमूल्य प्राचीनतम धरोहर है। जगत् और जागतिक वस्तुओं की जो भी यथार्थ निरूपणा यहाँ हुई है कि हम उसका मूल्यांकन विज्ञान निकष पर करने में समर्थ हो सकते हैं। एतदर्थ वैज्ञानिक बुद्धि सम्पन्न बुद्धिजीवियों को इस बहुमूल्य वाङ्मय का अध्ययन करने का गंभीर श्रम करना होगा। यदि वैज्ञानिक अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में जैनदार्शनिक प्रतिपत्तियों पर शोधात्मक विमर्श संभव हो तो

जैन तत्त्वज्ञान (Jain Philosophy) को हम जन-जन में स्वीकार्य बना सकते हैं। जिससे विश्वशान्ति का अभियान भी सफलता के चरम लक्ष्य को छू सकता है। अस्तु, अब हमें अध्यात्म के सन्दर्भ से सौरसेनी वाङ्मय की उपादेयता पर कुछ प्रकाश डालने का श्रम करना है।

मोक्ष पुरुषार्थ की दृष्टि से अध्यात्म की उपादेयता सर्वत्र ही दार्शनिकों ने स्वीकार की है। अध्यात्म का सीधा और सटीक अर्थ है आत्मा को जानना। आत्मानमधिकृत्यैव तदधिष्ठीयैव वैति जानाति यज्ज्ञानं तदात्मज्ञानमध्यात्ममुच्यते। आत्मानमध्येतीति निरूक्ति भी अध्यात्म शब्द के रहस्य को उजागर कर देती है कि आत्मा का ज्ञान अर्थात् आत्मा को जान लेना ही अध्यात्म है। अब यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि आत्मा को जाना कैसे जा सकता है। जगत् के सारे चिदचित्पदार्थ हमसे भिन्न होने के कारण पर हैं उनका ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। परसत्ता का ज्ञान आत्मज्ञान हो भी कैसे सकता है। प्रत्येक आत्मा अमूर्त्त, सूक्ष्म और चित्पदार्थ है। लोक में अनन्त आत्मायें हैं जिनमें एक मैं भी हूँ और संसार परिभ्रमण करते हुये वैभाविक परिणामों से और प्रातिभासिक पर्यायों के कारण अपने आप को मनुष्य आदि जानता हूँ। यह जानना भी आत्मज्ञान नहीं है क्योंकि आत्मा होकर भी मैं पराधीन कर्मों या शरीर आदि नोकर्म पदार्थों और उनके परिणामों को ही आत्मा समझता हूँ। यह आत्मा का अनुभव गम्य यथार्थ जानना नहीं है। आत्मज्ञान उसे माना जा सकता है जो मनुष्य पर्याय से परिणत होने पर भी अपनी आत्मा को स्वानुभव से मात्र आत्मा जान लेता है। अपनी आत्मा का साक्षात्कार या स्वानुभव उसे तब होता है जब वह पंचभूतमय पौद्गलिक शरीर में विद्यमान किन्तु उससे भिन्न अपने चिन्मय या सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा को जानने में अर्थात् अध्यात्म स्वरूप निज ज्ञान को प्रस्फुटित करने में सफल होता है। अध्यात्म ही हमें प्रातिभासिक सत्यों के मायाजाल से बचाकर और दुःखमय अनादि संसार से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यात्म के विना मोक्ष पुरुषार्थ की संभावना ही नहीं है। मोक्षपुरुषार्थ की निरूपणा जैन वाङ्मय में प्रचुरता से पायी जाती है और सौरसेनी प्राकृत वाङ्मय विशेषतः पंचत्थिकायसंगहो, पवयणपाहुड, समयपाहुड, नियमपाहुड, बारसाणुवेक्खा, कत्तिगेयाणुवेक्खा, दव्वसंगहो परमप्पयासु आदि में अध्यात्म का उपदेश परिलक्षित होता है। अध्यात्म का उपदेश ही यहाँ अध्यात्म की निरूपणा है। यहाँ यह जानना भी नितान्त आवश्यक है कि अध्यात्म निरूपणा अध्यात्म नहीं है क्योंकि अध्यात्म अर्थात् अनुभूतिगम्य आत्मज्ञान या आत्मानुभूति स्वरूप ज्ञान हमें सर्वविध उपदेशों या निरूपणाओं के तिरोभूत होने पर ही संभव होता है। आत्मानुभूति अनिर्वचनीय है और मात्र स्वानुभवगम्य होने से अपने ही गुणों एवं पर्यायों से अद्वैत स्वरूप, निजसत्तात्मक,

परिपूर्ण और अखण्ड आत्म तत्त्व की ही होती है। यहाँ अनुभव में आने वाला आत्मा गुणी है और अनुभव करने वाली आत्मा के ही ज्ञान गुण की पर्याय गुण है। गुण गुणी में परस्पर तादाम्य संबन्ध है जिसे जान लेना ही अध्यात्म या अद्वैतानुभूति है। इस दृष्टि से जैन अद्वैतवादी हैं। यथा–

''उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं
क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम्।
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वङ्कषेऽस्मिन्
अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव।।''[1]

जैन तत्त्वज्ञान के आलोक में द्रव्य और गुण परस्पर अद्वैत हैं, दो पदार्थ नहीं हैं। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही उसके अपने अनादि अनन्त और अनवच्छिन्न गुण हैं जिनमें प्रतिक्षण परिणमन होता है। स्वभाव यानि योग्यता प्रत्येक वस्तु में अपनी अपनी ही लक्षित होती है उनमें परिणमनशीलता भी अनुभवगम्य है। इस प्रकार द्रव्य अपने गुण एवं पर्यायों (परिणामों) से अद्वैत स्वरूप है। जैनदार्शनिकों ने इनमें परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध माना है अर्थात् द्रव्यों का अपना स्वभाव ही उसके गुण हैं और गुणों के अतिरिक्त द्रव्य अलग से कुछ भी नहीं है। प्रत्येक आत्मा द्रव्य है और चेतन पदार्थ है। जानना केवल आत्म द्रव्यों में ही संभव है। प्रत्येक आत्मा प्रतिक्षण ज्ञान गुण के परिणाम स्वरूप ज्ञान पर्याय से जानने का व्यवहार करता रहता है। संसार परिभ्रमण के दौरान आत्मा की जानन स्वभाव वाली योग्यता अल्पपने ही प्रगट होती है और एक समय में एक ही ज्ञेय पदार्थ को जानने में समर्थ होती है जब स्व को जानेगी तो पर को नहीं जानेगी या पर को जानेगी तो स्व तो को नहीं जानेगी। आत्मा का जानन व्यवहार जब तक परोन्मुखी होता है तब तक वह अध्यात्म अर्थात् आत्मज्ञान के व्यवहार से शून्य रहता है और जब भी वह संसरण व्यवहार अर्थात् भव-भवान्तरों में बुद्धि के उस विकास को प्राप्त होता है कि अपने ज्ञान से अपने को ही जानने की सामर्थ्य उसमें हो तब ही वह अध्यात्म परक पुरुषार्थ के लिये सक्षम माना गया है। आत्मा के इस विकास की दशा को जैनदार्शनिकों ने संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव या आत्मा के अभिधान से ज्ञापित किया है। संसारी जीव जानन व्यवहार की अपेक्षा पञ्चविध निरूपित हुये हैं। यथा – (1) एकेन्द्रिय जीव (2) द्वीन्द्रिय जीव (3) त्रीन्द्रिय जीव (4) चतुरिन्द्रिय जीव और (5) पञ्चेन्द्रिय जीव। इनमें पञ्चेन्द्रिय जीव समनस्क और अमनस्क के भेद से द्विविध माने गये हैं। मन सूक्ष्म होने से ईषत् इन्द्रिय अर्थात् अनिन्द्रिय कहा जाता है। इन्द्रियाँ पाँच प्रकार की हैं– स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। यहाँ पाँचो इन्द्रियों और मन रूपी उपकरणों के निमित्त से जानने की योग्यता रूप ज्ञान पर्याय की

सामर्थ्य से सम्पन्न जीव ही संज्ञी पञ्चेन्द्रिय माने गये हैं। जिनके मन नहीं है वे पाँचो इन्द्रियों वाले मात्र होने से असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव कहलाते हैं। तथा चार इन्द्रियों वाले या तीन इन्द्रियों वाले या दो इन्द्रियों वाले या एक इन्द्रिय वाले जीव क्रमशः चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय एवं एकेन्द्रिय जीव जानने चाहिये। जैन दार्शनिकों के अनुसार संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों में ही ऐसी सामर्थ्य होती है कि वे आत्मज्ञान अर्थात् अध्यात्म को प्राप्त हो सकें। जो ऐसा कर पाते हैं वे ही संसार सागर से तिरने में सफल होते हैं उन्हें सचमुच ही मोक्षमार्ग का अवलम्बन मिलता है। जहाँ अप्रमत्त पुरुषार्थ से अध्यात्मशीलता की परिणति उन्हें परमात्मा बना देती है। जीव का परमात्मा बनना ही उन्हें उनके दुःखों से छूटने का प्रतीक होने से मोक्ष पाना है। संसारी जीव त्रिविध दृष्टिगत होते हैं जो बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा बताये गये हैं। अध्यात्म शून्य या आत्मज्ञान विरहित सभी संसारी जीव बहिरात्मा कहलाते हैं तथा अध्यात्म यानि आत्मज्ञान परिणति से सम्पन्न संसारी प्राणी साधक दशा (मोक्षमार्ग) में अन्तरात्मा कहे जाते हैं। अन्तरात्माओं में जो साधक अध्यात्म परिणति की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। इस प्रकार मोक्षमार्ग विषयक साधना के व्यवहार की यथार्थ निरूपणा जैन वाङ्मय में उपलब्ध है जिसका मूलस्त्रोत आज सौरसेनी प्राकृत वाङ्मय को माना जा सकता है।

सर्वविध दुःखों से छूटना एवं अपने अतीन्द्रिय आनन्द से परिपूर्ण निर्मल आत्मा की दशा का प्रगट हो जाना ही आत्मा के लिये मोक्ष होना माना गया है। अतः मोक्ष पुरुषार्थ को आत्माधीन ही माना जा सकता है। जैन दार्शनिकों ने मोक्ष पाने के उपायभूत मोक्षमार्ग का दिग्दर्शन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र स्वरूप रत्नत्रय परिणामों के प्रद्योतन से कराया है। वह संसारी आत्मा ही मोक्षमार्गस्थ हो सकता है जो अपने में उपर्युक्त रत्नत्रय परिणति का प्रादुर्भाव कर ले। कोई भी संज्ञी पञ्चेन्द्रिय भव्य आत्मा यथायोग्य कारणों के मिलने पर तभी रत्नत्रय सम्पन्न हो सकता है जब वह अध्यात्म अर्थात् आत्मज्ञान का पुरुषार्थ कर पाये। अध्यात्म के विना मुक्तिमार्ग का मिलना, उस मार्ग पर गतिशील होना और मोक्षरूपी मंजिल पर पहुँचना संभव नहीं है। अतः अध्यात्म का पुरुषार्थ ही मोक्षमार्ग के साधक को अपरिहार्य होता है और उसके जो बाह्य प्रयत्न अर्थात् शारीरिक और मानसिक व्यवहार अध्यात्म चेतना को जगाये रखने के लिये होते हैं; उन्हें अध्यात्म का व्यवहार माना जा सकता है। यद्यपि अध्यात्म का प्रादुर्भाव जीवन में तभी संभव होता है जब सर्वविध व्यवहारों एवं उनके विकल्पात्मक चिन्तन से उसका बचाव हो। एतदर्थ परपदार्थोन्मुख ज्ञान व्यापार से विरत होने पर और एकमात्र स्वज्ञेय स्वरूप निज आत्मतत्त्व को जानने की जिज्ञासा प्रबल होते जाने पर जब इन्द्रियों और मन के निमित्त से जानने का व्यापार अवरुद्ध होने लगता है

तब इन्द्रियों और मन के अवलम्बन से मुक्त साधक की बुद्धि (प्रगट ज्ञान पर्याय) अतीन्द्रिय ज्ञान होती हुई तथा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता अथवा ध्यान, ध्येय और ध्याता के विकल्प से शून्य होती हुई परिणमती है। परिणामतः जो अद्वैतानुभूति स्वरूप चैतन्यानुभूति या शुद्धोपयोग परिणति होती है, वह ही अध्यात्म है। जिससे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणतियों का प्रादुर्भाव आत्मा में होने लगता है। आचार्य नेमिचन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती ने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणामों को व्यवहार से और उन तीनों से युक्त आत्मा को निश्चय से मोक्षमार्ग कहा है। रत्नत्रय परिणाम आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी नहीं होते हैं इसलिये उनमय अर्थात् रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का कारण है। यथा-

सम्मद्दंसणणाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे।
ववहारा णिच्छयदो तत्तियमइयो णिओ अप्पा।।
रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाणं मुइत्तु अण्णदवियम्हि।
तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मुक्खस्स कारणं आदा।।[2]

सम्यग्दर्शन एवं सम्यक्चारित्र की प्रादुर्भुति के लिये आचार्य नेमिचन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती ने जिन पञ्च लब्धियों का उल्लेख कर पुरुषार्थ की निरूपणा की है उसे हम अध्यात्म का व्यावहारिक पक्ष मान सकते हैं। वे पञ्च लब्धियाँ हैं- (1) क्षयोपशम लब्धि (2) विशुद्धिलब्धि (3) देशनालब्धि (4) प्रायोग्यलब्धि (5) करणलब्धि। इनमें प्रथम चार साधारण कारण हैं तो पांचवी करणलब्धि साध्य सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र के प्रगट होने में ऐसी अविनाभावी कारण है कि उसके होने पर साधक में उनके नहीं होने का विकल्प ही समाप्त हो जाता है अर्थात् सम्यग्दर्शन एवं सम्यक्चारित्र का होना अवश्यंभावी हो जाता है। गाथा इस प्रकार है-

खउवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलद्धी य।
चत्तारि वि सामण्णा करणं सम्मत्तचारित्ते।।[3]

इन पांचों लब्धियों को समझाते हुये जो प्ररूपणा यहाँ हुई है उसे लब्धिसार ग्रन्थ से समझने पर इंगित हो जाता है कि कर्मप्रकृतियों के उपशमन-क्षपण आदि के होने में जो पुरुषार्थ अपेक्षित है, वह अध्यात्म ही है और अध्यात्मसम्पन्न साधकों को ही सम्यग्दर्शन एवं सम्यक्चारित्र की प्रादुर्भूति में बाधक कर्मप्रकृत्तियों से छुटकारा संभव है। इन पञ्चलब्धियों द्वारा निर्दिष्ट पुरुषार्थ से सम्पन्न होकर अर्थात् इनको अपने जीवन में समाहित कर पाने के व्यवहार से होते हुये ही कोई भी साधक अध्यात्म चेतना के बल से सम्पन्न होने पर सम्यग्दृष्टि

और सम्यक्चारित्री होते हैं। अतः उक्त पुरुषार्थ को भी हम अध्यात्म निरूपणा के लिये आवश्यक व्यावहारिक पक्ष मान सकते हैं।

आचार्य नेमिचन्द्र ने सचमुच ही यह स्पष्टतः घोषणा कर दी है कि निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग की साधना के लिये हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिये।

दुविहं पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा।
तम्हा पयत्तचित्ता जूयं झाणं समब्भसह।।[4]

ध्यान, ध्याता और ध्येय के सन्दर्भ में कुछ सारगर्भित एवं आवश्यक उपदेश देने के बाद वे स्पष्ट घोषणा कर देते हैं कि ''अप्पा अप्पम्मि रओ'' अर्थात् ''आत्मा जो आत्मा में ही रत है'' यही उसका परम ध्यान है। यहाँ यह परिणति अध्यात्म ही है। गाथा इस प्रकार है–

मा चिट्ठह मा जंपह मा चिंतह किं वि जेण होई थिरो।
अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव परं हवे ज्झाणं।।[5]

अध्यात्म के लिये पूर्वोक्त पञ्च लब्धियों के पुरुषार्थ से गुजरना अपरिहार्य होता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने समयपाहुड में प्रायोग्यलब्धि के पुरुषार्थ में मूलतत्त्व स्वरूप भेदविज्ञान की विधि का निदर्शन सांकेतिक शैली में किया है और करण लब्धि के मूलतत्त्व स्वरूप ज्ञायकभाव रूप आत्म परिणाम को समझने का ही सर्वाधिक उपदेश दिया है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने समयपाहुड में ग्रन्थ के आरम्भ में स्व समय और पर समय की अवधारणा को स्पष्ट करने के उपरान्त एकत्व के निश्चय से परिज्ञात समय को ही लोक में सर्वत्र सुन्दर कहा है।[6] यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति या विरुद्धोक्ति नहीं है कि स्व समय में एकत्वानुभूति एकमात्र अध्यात्म ही है अथवा अध्यात्म से ही हमें स्व समय एकत्व के निश्चय स्वरूप परिज्ञात होता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लौकिकजनों को काम भोग बंधन की कथा अच्छी तरह से सुपरिचित और अनुभूत है पर अपने स्वत्व में एकपने की अनुभूति का होना अर्थात् समस्त पर पदार्थों से विभक्त अपने आत्मा का अनुभव होना सुलभ नहीं है। अतः पर से विभक्त और अपने स्वकीय स्वभाव से एकत्व को प्राप्त जो आत्मा है उसे ही मैं अपने स्वानुभव स्वरूप वैभव से दिखाऊँगा। तुम भी उसे अपने वैभव से जानना यदि जान सको तो ही समझना कि मैंने दिखाया। विना जाने मत समझ लेना कि मैंने दिखाया। स्वानुभव के विना कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानता है। अतः इन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात होने पर छल

ग्रहण मत कर लेना[7] कि मैंने आत्मा को जान लिया है। स्वानुभूति गम्य आत्मा शुद्ध होता है तो कैसा होता है? इसका उत्तर देते हुये वे लिखते हैं–

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो।
एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव।।[8]

अध्यात्म की महत्ता इससे द्योतित होती है कि आचार्य उसे श्रुतकेवली कहते हैं जो अपने स्वसंवेदन स्वरूप श्रुतज्ञान से अपनी आत्मा को केवल शुद्ध जान लेता है। उनके अनुसार जो श्रुतज्ञान से अकेले शुद्ध आत्मा को जानता है तो वह परमार्थ श्रुतकेवली है और जो सारे द्वादशाङ्ग श्रुतज्ञान को जानता है तो वह व्यवहार श्रुतकेवली होता है।[9] वे शुद्धनय उसे कहते हैं जो श्रुतज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त जानता है।[10] यही तो अध्यात्म है। निम्न गाथाओं से अवगत होने पर हमें अवश्य ही अध्यात्म की सुध आती है–

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य।
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे।।[11]
दंसणणाचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं।
ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो।।[12]

जो साधक स्वयं को केवल उपयोग स्वरूप जानता है उसे मोह रहित एवं धर्मादि द्रव्यों से निर्मोही कहा जाता है। वह जानता है कि मैं सदा अरूपी, दर्शन-ज्ञान-चारित्र स्वरूपी, अकेला, शुद्ध आत्मा हूँ। अन्य कुछ भी परमाणुमात्र तक भी इस लोक में मेरे लिये नहीं है।[13] यह व्यवहार या लोकानुभव ही तो अध्यात्म की व्यवहार निदर्शना है।

कर्तृकर्मविषयक अवधारणा का खुलासा करने के लिये वे आत्मा और आस्त्रवों के भेद को जानने की प्रेरणा देते हैं तथा कर्ता और कर्म की यथार्थ प्ररूपणा भी कर देते हैं। वे यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा कर्म एवं नो कर्म के परिणामों का कर्त्ता नहीं है। वही आत्मा ज्ञानी है, जो मात्र जानता है कर्म नो कर्म को परिणमाता नहीं है और न ही उनका कर्त्ता है। नयों की प्ररूपणा से वे इस तथ्य को वैसे ही स्पष्ट समझाते हैं जैसे वस्तु स्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा सुरक्षित हो जाती है। नयों की निरूपणा से सत्य का यथार्थबोध कर लेना तो ठीक है पर नयों के पक्षपात में हमें नहीं पड़ना चाहिये। नयपक्षपातविहीन साधक ही मोह राग आदि विकल्पों से च्युत होकर अध्यात्म रस का पान कर लेता है। टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्र के निम्न छन्द को समझेंगे तो अध्यात्म कैसे होता है, इसकी समझ हमें आ जायेगी–

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम्।
विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति।।[14]

यहाँ नय विकल्पों अर्थात् उनके पक्ष से रहित पक्षातिक्रान्त आत्मा को ही समयसार कहा गया है। जो अध्यात्म के बल से सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान स्वरूपी आत्मतत्त्व को पा लेता है वही पक्षातिक्रान्त हो सकता है। यही तो स्वानुभूतिगम्य दशा का दिग्दर्शन होने से अध्यात्म का मूल तत्त्व है। गाथा यह है–

सम्मद्दंसणणाणं एदं लहदि त्ति णवरि ववदेसं।
सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो।।[15]

शुभ–अशुभ परिणामों या पुण्य–पाप विषयक अवधारणा को वे संसार का ही कारण समझने के लिये एवं अध्यात्म में बाधक जानने के लिये उपदेश देते हैं।[16] इतना ही नहीं वे आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध एवं मोक्ष अधिकारों में उन उन तत्त्वों को समझाने की जो शैली एवं तात्त्विक अवधारणायें प्रस्तुत करते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने पाठक या शिष्य को आत्मज्ञान करने की ही प्रेरणा दे रहें हैं और आत्मानुभव में बाधक भावनाओं से बचने की बात भी कर रहे हैं।[17] सर्वत्र उनकी निरूपणा अध्यात्म के लिये आवश्यक चेतना को जगाने का व्यवहार करती दिखायी देती है।

पवयण पाहुड में आचार्य कुंदकुंद ने शुद्धोपयोग को ही मुक्ति का कारण प्ररूपित किया है क्योंकि शुद्धोपयोग ही बंध का हेतु नहीं होता है। यहाँ उन्होंने आत्मा के समभाव, जो मोह एवं क्षोभ से रहित हैं, को धर्म बताया है और कहा है कि धर्म चारित्र होता है– ''चारित्तं खलु धम्मो।''[18] उनके अनुसार धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग सहित होता है तो निर्वाण सुख पाता है, यदि शुभोपयोग परिणत होता है तो स्वर्गसुख पाता है तथा सम्यक्चारित्र स्वरूप धर्म का उल्लंघन करने वाले अशुभोपयोग से युक्त होकर रहता है तो बहुत दु:खों से दु:खी होता है और कुमनुष्य, तिर्यञ्च और नारकी होता हुआ संसार परिभ्रमण करता रहता है।[19] यहाँ सुस्पष्ट है कि दु:ख विमुक्ति जिस पुरुषार्थ से होती है वह शुद्धोपयोग है, चारित्र है और वही धर्म है।

धर्मात्माओं में पञ्चपरमेष्ठी शुद्धोपयोगयुक्त पुरुषार्थ के कारण ही तो प्रसिद्ध हैं। अरिहन्त और सिद्धपूर्ण शुद्धोपयोगी होने से सुखी हैं तथा आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी शुद्धोपयोगी होते रहने के पुरुषार्थ में आंशिकरूप से लगे होने से सुखी माने गये हैं। इन सभी के धर्मात्मा होने में शुद्धोपयोग की ही भूमिका प्रमुख है। शुद्धोपयोग के सर्वथा अभाव

में अभव्य जीवों के शुभोपयोगी या अशुभोपयोगी होने पर भी उन्हें न तो मोक्षमार्गी माना गया है और न ही सुखी। अत एव इस प्रकरण में शुद्धोपयोग का महत्त्व ही उसके फल का उद्योतन करते हुये आचार्य बता रहे हैं–

अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं।
अव्वुच्छिण्णं च सुहं सुद्धुवओगप्पसिद्धाणं।।
सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो।
समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगो त्ति।।[20]

जिनोपदेश स्वरूप आगम को जानने वाले स्पष्टत: जानते हैं कि शुद्धोपयोग, शुभोपयोग एवं अशुभोपयोग स्वरूप जीव परिणामों में शुद्धोपयोग केवल उन्हें होता है जो केवल अपने शुद्ध आत्मा को जानते हैं। यही तो अध्यात्म है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्पष्ट रूप से यह भी प्रतिपादित कर देते हैं कि आत्मा को जानना इन्द्रियों और मन के निमित्त से व्यापारशील ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। उनकी दृष्टि में इन्द्रिय ज्ञान और इन्द्रिय सुख अध्यात्म के लिये परिहार्य हैं। जब तक इन्द्रियों और मनोवृत्तियों का पक्ष है तब तक बुद्धि आत्मा को नहीं जानती है क्योंकि अपनी या अन्य की आत्मा में स्पर्शादि विषय ही नहीं हैं तो इन्द्रियों और मन के निमित्त से स्व या पर आत्मा कैसे ज्ञात हो सकते हैं। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही गम्य है, यह समझाने के लिये उन्होंने कहा है कि आत्मा अरस, अरूप, अगन्ध, अव्यक्त, अशब्द और चेतनागुण स्वरूप है। उसका कोई निर्दिष्ट संस्थान भी नहीं है उसे किसी लिङ्ग से भी वह नहीं जाना जा सकता है। गाथा निम्नानुसार दृष्टव्य है–

अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं।
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिद्दिट्ठसंठाणं।।[21]

आत्मज्ञान या अध्यात्म का फल दु:खों से मुक्ति है। संसारी प्राणियों को दु:खों का कारण उनका मोह परिणाम है। जिसे अध्यात्म से ही मिटाया जा सकता है। अत एव दु:ख विमुक्ति के लिये उपाय स्वरूप निम्न उपदेश पर्यवलोकनीय है–

जो मोहरागदोसे विहणदि उवलंब्भ जोण्हमुवदेसं।
सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण।।
णाणप्पगमप्पाणं परं च दवत्तणाहि संबद्धं।
जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि।।

तम्हा जिणमग्गादो गुणेहिं आदं परं च दव्वेसु।
अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा।।
सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामण्णे।
सद्दहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि।।
जो णिहदमोहदिट्ठी आगमकुसलो विरागचरियम्हि।
अब्भुट्ठिदो महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदो समणो।।[22]

मोक्षमार्ग में साधक को टिकाये रखने वाला तत्त्व अध्यात्म ही है। यदि अध्यात्म का सर्वथा अभाव है तो मोक्षमार्ग ही नहीं है। अध्यात्म ही एक मात्र ऐसा पुरुषार्थ है जिसके होने पर कषायों का अभाव होता है। साधक मोक्षमार्ग में अध्यात्म अर्थात् आत्मानुभव के पुरुषार्थ से ही शुद्धोपयोग सम्पन्न रहता है किन्तु जब शुद्धोपयोग नहीं रहता है तो वह शुद्धपरिणति सम्पन्न रहता है। उस काल में अर्थात् शुद्ध परिणति के काल में तब तक ही शुद्ध परिणति सुरक्षित है जब तक कषाय की वासना का अभाव है। अनन्तानुबन्धिकषाय की वासना का जघन्य काल छह माह और उत्कृष्ट काल अनन्त माना गया है। अतः चतुर्थगुणस्थानवर्ती मोक्षमार्गी अविरत सम्यग्दृष्टि के लिये छह माह के अन्तराल में यदि अध्यात्म परिणति स्वरूप शुद्धोपयोग नहीं हो तो वह मोक्षमार्ग से च्युत इसलिये हो जाता है कि उसके अनन्तानुबन्धि कषाय की वासनायें जग गयी हैं। इस प्रकार हर अविरत सम्यग्दृष्टि को अपनी स्थिति चतुर्थगुणस्थान गम्य मोक्षमार्ग में बनाये रखने के लिये शुद्धोपयोगस्वरूप अध्यात्म का पुरुषार्थ करना ही होता है। यदि साधक में यह पुरुषार्थ उग्र हो जाये और पन्द्रह दिनों के अन्तराल में अध्यात्म अर्थात् शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ होने लगे तो वह साधक एकदेश व्रताचरण के साथ पञ्चमगुणस्थानवर्ती मोक्षमार्गी हो जाता है। यह देशव्रती श्रावक अध्यात्म के द्वारा अप्रत्याख्यानवरण कषाय चतुष्क की वासना से शून्य होता है। अप्रत्याख्यानवरण कषाय चतुष्क की वासना का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 15 दिन होता है। यह साधक यदि पन्द्रह दिनों के भीतर आत्मानुभव स्वरूप शुद्धोपयोग या अध्यात्म के पुरुषार्थ से सम्पन्न न हो तो नीचे गिर जाता है अथवा शुद्धोपयोग की सम्पन्नता प्रबल और शीघ्र होने लगे तो वह देशव्रती श्रावक से महाव्रती मुनि बन जाता है। मुनिदशा में केवल संज्वलन कषाय का उदय होता है जिसकी वासना का जघन्य एवं उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही बहुलता एवं प्रगाढता से होता है। मुनिदशा में छठवां प्रमत्त विरत नामक गुणस्थान शुभोपयोग का है तो सातवाँ अप्रमत्त विरत गुणस्थान शुद्धोपयोग का ही होता है। छठवें गुणस्थान में संज्वलन कषाय की तीव्रता होती है तो सातवें गुणस्थान में संज्वलन कषाय की मंदता रहती है। आठवें, नवमें

एवं दसवें गुणस्थानों में संज्वलन कषाय एवं नो कषायों की मंदता होते होते दसवें गुणस्थान के अंत में सभी कषायों का अभाव हो जाता है। उपशम श्रेणी में उपशमपने अभाव और क्षपक श्रेणी में क्षयपने अभाव होता है। क्षपकश्रेणी वाला साधक अविच्छिन्न शुद्धोपयोग से शुक्लध्यानी बनकर परमात्मा बनता है तो उपशमश्रेणी वाला साधक ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँचकर नीचे गिरता ही है तथा यथायोग्य पतन के बाद पुनः उत्थान कर वह भी उसी भव से या आगामी भवों में शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

मुनिराज जोइन्दुदेव ने 'परमप्पयासु' नामक ग्रन्थ में आत्मज्ञान यानि अध्यात्म तत्त्व की सुविशद निरूपणा की है जिसे हम मोक्ष पुरुषार्थ के लिये अध्यात्म की निरूपणा का व्यावहारिक पक्ष कह सकते हैं। अध्यात्म का व्यावहारिकपक्ष ही निरूपित हो सकता है पारमार्थिक पक्ष निरूपणाशून्य होने से मात्र स्वानुभवगम्य ही समझना चाहिये।[23]

सन्दर्भोल्लेख–

1. समयपाहुडं (आत्मख्याति टीका) श्रीमपरमश्रुतप्रभावकमण्डल श्रीमद्राजचन्द्रआश्रम अगास 1997, गाथा 13
2. बृहद् द्रव्यसंग्रह, श्री वीतराग सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट भावनगर, 1977, गाथा 39-40
3. लब्धिसार, श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास, 1980, गाथा 3
4. बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा 47
5. वही, गाथा 56
6. समयपाहुड, गाथा 2-3
7. वही, गाथा 4-5
8. वही, गाथा 6
9. वही, गाथा 9-10
10. वही, गाथा 14
11. समयपाहुड (तात्पर्यवृत्ति टीका) में प्रक्षिप्त गाथा पृष्ठ 41
12. समयपाहुड, गाथा 16
13. वही, गाथा 36-38
14. वही (आत्मख्याति टीका) गाथा 142
15. वही, गाथा 144
16. वही, पुण्यपाप अधिकार, गाथा 145-163
17. वही, गाथा 164-306
18. पवयणपाहुड 1/07
19. वही 1/11-12
20. वही 1/13-14
21. वही 2/80
22. वही 1/88-92
23. परमात्मप्रकाश-सम्पूर्ण

कुवलयमालाकहा की लोकधर्मिता और प्रासंगिकता

प्रो. प्रेम सुमन जैन

आचार्य हरिभद्रसूरि के दाक्षिणात्य शिष्य उद्द्योतनसूरि ने ई. सन् 779 में राजस्थान के जालोर नगर में कुवलयमालाकहा की रचना की है। यह कथा-ग्रन्थ गद्य-पद्य दोनों में लिखा गया है। अपनी इसी विशिष्ट शैली के कारण कई प्राकृत विद्वान् इसे कथा-ग्रन्थ की श्रेणी में न रखकर 'प्राकृत चंपूकाव्य की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन स्वयं ग्रन्थकार उद्योतनसूरि ने इसे कथा-ग्रन्थ ही माना है। कुवलयमाला में मुख्य रूप से कुमार कुवलयचन्द व राजकुमारी कुवलयमाला की प्रणय-कथा वर्णित है। इस कथा-ग्रन्थ में कवि ने अनेक नवीन उद्भावनाएँ प्रकट कर अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। विषय व कथा-विस्तार की दृष्टि से कदली के स्तंभ की तरह मूल कथानक के साथ अनेक अवान्तर कथाएँ इसमें गुम्फित हुई हैं। मूल कथानक के पात्रों के पूर्वभवों के कथानक को समाहित करते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ एवं मोह इन पाँचों अमूर्त भावों को मूर्त पात्रों का रूप देकर उनकी कथावस्तु को मूल कथानक के साथ प्रस्तुत किया है। प्राकृत साहित्य में इस प्रकार की प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करने वाले उद्योतनसूरि प्रथम आचार्य थे। इसमें भारत की लोक संस्कृति के अनेक विवरण उपलब्ध हैं।[1]

प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य से लोक-चेतना के सम्बन्ध को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साहित्य का लोकजीवन से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए प्राकृत साहित्य की प्रत्येक अवस्था एवं विधा ने कार्य किया है। जनसाधारण के निश्चल हृदय से जो भाषा फूटती है उसमें और उसके दैनिक सरल व्यवहारों में कोई अन्तर होने की सम्भावना नहीं है। प्राकृत साहित्य के लोक संस्कृति से ओत-प्रोत होने में एक कारण यह भी है कि प्रायः प्राकृत साहित्य का सम्बन्ध प्राचीन समय से लोकधर्म से बना रहा है। श्रमणधर्म ग्राम्य-जीवन प्रधान संस्कृति का पोषक रहा है अतः उसके आचार्यों ने, लेखकों ने लोकभाषाओं को अपनाया। साहित्य में साधारण कोटि के चरित्रों को उभार कर अभिजात वर्ग का नायकत्व समाप्त किया तथा धार्मिक क्षेत्र में इन्द्र आदि देवताओं को तीर्थकरों का भक्त बताकर मनुष्य जन्म को देवत्व से श्रेष्ठता प्रदान की। इतना ही नहीं, प्राकृत साहित्य के माध्यम से सभी लोककलाओं की सुरक्षा भी की है।[2]

लोक संस्कृति के अन्तर्गत अनेक तत्त्व समाहित होते हैं। इस दृष्टि से 1. लोकसाहित्य 2. लोकभाषा, 3. लोकजीवन, 4. लोकविश्वास 5. लोककला तथा 6. लोकचिकित्सा आदि उनमें प्रमुख हैं। लोक साहित्य लोकवार्ता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अन्तर्गत - धर्मगाथा (लोकगीत), लोककथा, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ आदि प्रमुख हैं।[3] प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य में इन सभी तत्त्वों का समावेश है।

धर्मगाथा- प्राकृत साहित्य का गाथा से निकट का सम्बन्ध है। उसका बहुत-सा भाग गाथाबद्ध ही है। साहित्य रचना में गाथा का प्रयोग प्राकृत साहित्यकारों ने लोक से ही ग्रहण किया है। क्योंकि लोक में सरलता से गाये जाने और कंठ तक स्मरण बनाए रखने में पद्यों का प्रयोग बहुप्रचलित था। प्राकृत की गाथाओं की यह अर्थवत्ता ही आज के लोकगीतों की उत्सभूमि है। धीरे-धीरे गाथाओं में लोक अनेक आख्यान भी गाये जाने लगे। गाथाओं में निबद्ध अनेक प्राकृत लोककथाएँ उपलब्ध हैं।

लोककथा- प्राकृत एवं अपभ्रंश कथा साहित्य में लोककथा के अनेक तत्त्व विद्यमान हैं क्योंकि इन कथाओं की उत्सभूमि ही लोकजीवन है और साहित्य का लोक सम्बन्ध बना रहे, इसके लिए प्राकृत कथाकारों ने जो कुछ भी कहा है उसे समूह की वाणी बनाकर और जन-समूह में घुल मिलकर कहा है। यही कारण है कि उनकी कथाओं में लोकधर्म, लोकचित्र और लोकभाषा लोककथा के ये तीन तथ्य विद्यमान हैं। इनकी प्रचुरता का कारण यह भी है कि प्राकृत कथाकारों का मुख्य उद्देश्य जन जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाना था। अतः उन्होंने बिना किसी भेद-भाव के लोक जीवन में प्रचलित कथाओं को ग्रहण कर उन्हें धार्मिक एवं उपदेशात्मक शैली में प्रस्तुत कर दिया।

प्राकृत कथाओं में लोकतत्त्वों का समावेश क्रमशः हुआ है। आगमकालीन कथाएँ यद्यपि बीज रूपा हैं, विकसित नहीं। फिर भी उनके कथा-बीजों में लोकतत्त्वों का पुट है।[4] ज्ञाताधर्मकथा की धरणी का दोहदे, विजयचोर, सागरदत्त और वैश्या, धन्ना सेठ और उसकी पतोहू आदि कथाएँ लोककथाओं का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं। महारानी धारिणी देवी ने अपने दोहद में 'असमय में ही वर्षाकालीन दृश्य देखने की इच्छा प्रगट की थी', जो कथा के अन्त में पूरी की गई। कथा का यह स्वरूप लोककथा शैली का है। प्रारम्भ में अनहोनी जैसी बात को समस्या के रूप में रखकर पाठक में कौतुहल उत्पन्न किया गया है और बाद में उसकी पूर्ति की गयी है।

टीकायुगीन कथाओं में नीतिकथा और लोककथा के तत्त्व अधिक मिलने लगते हैं,

इन कथाओं की नीति उन्मुखता पूर्णतः व्यापक जीवन के संदर्भ में घटित होती है इसलिए वह सार्वभौमिक और साधारण जन आस्वाद्य है, लोक जीवन का ग्रहण कथाओं को एक नयी शैली प्रदान करता है। आवश्यकचूर्णि की लालच बुरी बलाय, पंडित कौन, कोक्कास बढई, चतुर रोहत, चतुराई का मूल्य, पढ़ो और गुनो, इतना बड़ा लडडू आदि कथाएं, व्यवहारभाष्य की भिखारी का सपना, अकल बड़ी या भैंस, आदि कथाएँ तथा उत्तराध्ययन टीका की मण्डित चोर, गंगा की उत्पत्ति आदि कथाएँ लोककथाओं के सुन्दर नमूने हैं।[5] इनमें से बहुत ही कथाएं तो आज भी लोक में प्रचलित हैं। स्वतन्त्र प्राकृत कथा ग्रन्थों में लौकिक तत्त्व प्रचुर मात्रा में समाविष्ट हैं, इनमें अनेक लोककथाएँ स्वतन्त्र रूप से निर्मित हुई हैं। वसुदेवहिण्डी विशुद्ध लोककथा ग्रन्थ है। इसकी लोक कथाएँ मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन भी करती हैं। इसके शीलमती, धनश्री, विमलसेना, ग्रामीण गाड़ीवान वसुदत्ताख्यान, रिपुदमन आदि आख्यान सुन्दर लोक कथानक हैं। इनमें लोक कथाओं के सभी गुण और तत्त्व विद्यमान हैं।

प्राकृत कथा साहित्य की सम्पन्नता का युग 8-9 वीं सदी है। इस समय कथानक शिल्प और भाषा इन तीनों का पर्याप्त विकास हुआ है। मूल कथा के साथ अवान्तर कथाओं का कलात्मक संश्लेष इस युग की पहली चेतना है।[6] अतः स्वाभाविक रूप से लोक प्रचलित अनेक कथाएँ एवं कथातत्त्व प्राकृत व अपभ्रंश कथाओं में समाहित हुए हैं। हरिभद्रसूरि की समराइच्चकहा और उद्द्योतनसूरि की कुवलयमालाकहा में लोककथा के पर्याप्त गुण, धर्म विद्यमान हैं। लोकभाषा में लोक परम्परा से प्राप्त कथानक सूत्रों को संघटित कर लोक मानस को आन्दोलित करने वाली लोकानुरंजक कथाएँ लिखकर इन प्राकृत कथाकारों ने लोककथा के क्षेत्र को अनुपम योगदान दिया है। विश्लेषण करने पर इन प्राकृत कथाकृतियों में निम्नांकित लोककथा के तत्त्व उपलब्ध हैं-

1. लोकमंगल की भावना
2. धर्म श्रद्धा
3. कुतूहल
4. अमानवीय तत्त्व
5. मनोरंजन
6. अप्राकृतिकता
7. अतिप्राकृतिकता
8. अन्धविश्वास
9. अनुश्रुत मूलकता
10. हास्य विनोद
11. साहस का निरूपण
12. जनभाषा का प्रयोग
13. मिलन-बाधाएँ
14. प्रेम के विभिन्न रूप
15. उपदेशात्मकता इत्यादि।

लोककथा का प्रधान तत्त्व कथानकरूढ़ि है। कथानकरूढ़ि के आदि स्रोत के रूप में लोक प्रचलित अनेक संस्कार विश्वास एवं आचारों को स्वीकार किया जा सकता है। कुवलयमालाकहा में अनेक कथारूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। यथा- (1) लोक प्रचलित विश्वासों से सम्बद्ध (2) अमानवीय शक्तियों से सम्बद्ध (3) अतिमानवीय प्राणियों से सम्बद्ध (4) काल्पनिक रूढ़ियाँ (5) सामाजिकता की द्योतक रूढ़ियाँ (6) मन्त्र-तन्त्र सम्बन्धी (7) पशु-पक्षी सम्बन्धी तथा (8) आध्यात्मिक अभिप्राय आदि। ये कथानक रूढ़ियाँ भारतीय साहित्य में हर जगह मिल जायेंगी। कुवलयमालाकहा की विशेषता यह है कि उसके लेखक ने लोक जीवन में से अनेक ऐसी कथानक-रूढ़ियों का निर्माण किया है, जिनका अब तक साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ था। अतः अभिजात साहित्य तक लोक संस्कृति को पहुंचाने में उद्द्योतनसूरि द्वारा किया गया प्रयत्न महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट है।[7]

अपभ्रंश कथाओं ने प्राकृत साहित्य की अनेक लोककथाओं को नया रूप प्रदान किया गया है। भविसयत्तकहा उनमें से एक है।[8] प्राकृत एवं अपभ्रंश लोककथाओं का अन्य भारतीय लोककथाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित हैं। डॉ. सत्येन्द्र ने कुछ कथाओं की लोकयात्रा का विवेचन प्रस्तुत कर इस क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त किया है।[9]

1. लोकोक्तियां :

लोक साहित्य में लोकोक्तियों, पहेलियों, मुहावरों आदि का विशेष महत्त्व है, इनके द्वारा लोकचिन्तन धारा का प्रतिनिधत्व होता है। प्राकृत साहित्य में इनकी भरमार है। उदाहरण स्वरूप कुछ यहाँ दृष्टव्य हैं–

1. मरइ गुडेण चियं तस्स विसं दिज्जए किं व।
   जो गुड देने से मर सकता है उसे विष देने की क्या आवश्यकता है?
2. किं न सम्भवन्ति लच्चिनिलयेसु कमलेसू किमओ - (समरा. 4. 268)
   क्या सुन्दर कमलों में कीड़े नहीं होते?
3. हत्थठियं कंकणयं को भण जोएह आरिसए ? (ज्ञानपंचमीकहा)
   हाथ कंगन को आरसी क्या?
4. न हि गेहम्मि पलित्ते अवडं खणिउं तरइ कोई - (भवभावना)।
   घर में आग लगने पर क्या कोई कुँआ खोद सकता है ?

कुवलयमालाकहा में अनेक लोकोक्तियाँ प्रयुक्त हैं। एक कथा के प्रसंग में कहा गया

है कि यदि कुम्हार की पत्नी प्रसूता है तो लुहार की पत्नी को घी पिलाने से क्या लाभ?[10] यथा–

जइ अप्पा पावमणो बाहिं जल-धोवणेण किं तस्स।
जं कुंभारी सूया लोहारी किं घयं पियउ?॥

2. लोक भाषा :

समस्त प्राकृत साहित्य की भाषा लोकभाषा है। लोकजीवन की जब बात कहनी है तो उसी भाषा में कहना उपयुक्त होगा जिसे जनमानस हृदयंगम कर सके। प्राकृत कथाकारों ने देशी भाषा को विशेष महत्त्व दिया है। कुवलयमालाकहा पढ़ने का अधिकारी उसको समझा गया है जो देशी भाषा और गाथा आदि का अच्छा जानकार हो –

जो जाणइ देसीओ भासाओ लक्खणाई धाउं य।
वय-णय-गाहा-छेयं कुवलयमालं पि सो पढउ॥

यही कारण है कि इस ग्रन्थ में जैसे पात्रों की रचना हैं, वैसी ही उनकी भाषा है। विभिन्न देशों के व्यापारी अपनी-अपनी लोक भाषाओं में बात करते हैं। अन्य प्राकृत ग्रन्थों में भी अनेक ऐसे लोक शब्द मिलते हैं जो आज भी प्रान्तीय जन-भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं।[11]

3. लोकजीवन :

प्राकृत कथाओं में प्रायः मध्यमवर्गीय पात्रों को लोक जीवन के वातावरण में प्रस्तुत किया गया है, अतः ग्रामीण और लोक जीवन के विविध दृश्य इस साहित्य में देखने को मिलते हैं। उन्हें प्रमुख पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं- (1) ग्राम्य वातावरण (2) पारिवारिक जीवन (3) रीति-रिवाज (4) त्योहार-पर्व एवं (5) लोकानुरंजन कुवलयमालाकहा में लोक जीवन के अनेक दृश्य उपलब्ध हैं।

कुवलयमालाकहा में गाँव में पड़े दुष्काल का सजीव वर्णन प्राप्त है। बारह वर्ष तक अनावृष्टि हुई, उससे औषधियाँ नहीं पनपीं, वृक्ष नहीं फले, फसल व्यर्थ हो गयी, पशुओं का चारा नहीं उगा। केवल पवन चलती रही, धूल उड़ती रही, पृथ्वी कंपती रही, मेघ गरजते रहे, उल्काएं पडती रही, दिशाएँ गूंजती रही और बारह सूर्यों के तेज जैसा कठोर ताप करने वाली गर्मी पड़ती रही।[12]

गाहासत्तसई में ऐसा ही एक सजीव वर्णन वर्षा ऋतु का चित्रित है। गाँव में मूसलाधार

पानी बरस रहा है। झोपड़ी में टप-टप पानी चू रहा है। किसान की पत्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए उस पर झुक कर पानी की बूंदे अपने सिर ले रही है, किन्तु अपनी दरिद्रता के लिए रोती हुई उसे नहीं पता कि वह अपने नयनों से झरते जल से बच्चे को भिगो रही है।[13]

परिवार की प्रतिष्ठा और पाहुने सत्कार के प्रति एक कुलवधू के कर्तव्य का वर्णन देखिए- किसी प्रिय पाहुने के आ जाने पर उनके आतिथ्य के लिये उसने अपना मंगलवलय बेच दिया। इस प्रकार उस कुल बालिका की दयनीय दशा देखकर सारा गाँव रो पड़ा।

मालूम नहीं गांवों के पारिवारिक जीवन के ऐसे कितने चित्र इस साहित्य में उपलब्ध हैं। जन-जीवन को ज्यों कथाओं में उतारकर रख दिया गया है। केवल एक उदाहरण पर्याप्त है। एक गरीब व्यक्ति का दैनिक जीवन के प्रति चिन्तन दृष्टव्य है-

मेरे घर में पैसा नहीं है और लोग उत्सव मनाने लगे हैं, बच्चे मेरे रो रहे हैं, अपनी घर वाली को मैं क्या कहूँ? कुछ भी तो नहीं मेरे पास देने को। मेरे स्वजन-सम्बन्धी अपनी समृद्धि में मस्त हैं, दूसरे धनी लोग भी तिरस्कार ही करते हैं, वे सम्मान नहीं देते। आज मेरे घर में घी, तेल, नमक, ईधन और वस्त्र कुछ भी नहीं है, तौनी (मिट्टी की कुठिया) भी आज खाली है, कल कुटुम्ब का क्या होगा? घर में कन्या सयानी हो रही है, लड़का अभी छोटा है इसलिए धन कमा नहीं सकता। कुटुम्ब के लोग बीमार हैं और दवा लाने के लिए पास में पैसे नहीं हैं। घरवाली गुस्से से मुँह फुलाए बैठी है, बहुत से पाहुने घर में आये हुए हैं। घर पुराना हो गया है, वह चूता है, सब जगह पानी गिर रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? साहूकार कर्ज वापिस माँगते हैं। कहाँ जाऊँ?'[14]

4. रीति रिवाज :

लोक-जीवन अनेक रीति-रिवाज से भरा होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कई सामाजिक रीतियाँ निभानी पड़ती हैं। प्राकृत कथाओं में दोहद, पुत्रजन्म, विवाह, धार्मिक, अनुष्ठान आदि अवसरों पर कई परम्पराएँ निभाने का उल्लेख मिलता है। गर्भकाल में दोहद का बहुत महत्त्व था, भिखारिन से लेकर पटरानी तक के दोहद पूरे किये जाते थे, दोहदों के विचित्र प्रकार उपलब्ध होते हैं। कोई पत्नी पति का मांस खाने का दोहद प्रगट कर उसके प्राण संकट में डाल देती थी तो कोई ऐसी भी पत्नी थी कि उससे पूछे जाने पर उसने अपने दोहद में खाली पानी पीने की इच्छा व्यक्त की, जिससे गरीब पति को परेशान न होना पड़े। पुत्र एवं पुत्री के जन्मोत्सव मनाने के अनेक वर्णन उपलब्ध हैं। जन्म के बाद

परंगमण, चकमण, जेमामण, प्रजल्पन, कर्णवेधन, सम्वत्सर प्रतिलेखन, चोलोमण, उपनययन और कलाग्रहण आदि संस्कार भी मनाये जाने के उल्लेख हैं। इन संस्कारों और हिन्दू संस्कारों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, इससे स्पष्ट है कि प्राकृत साहित्य मात्र जैन धर्म का साहित्य नहीं था, जन-सामान्य की संस्कृति को प्रतिबिम्बित करना भी उसका कार्य था।

5. लोकानुरंजन :

लोक जीवन में मनोरंजन के साधन निराले होते हैं। बच्चों के अलग और प्रौढों तथा वृद्धों के अलग। नागरिक जीवन के मनोरंजन के साधनों के अतिरिक्त प्राकृत साहित्य में लोकजीवन में व्यहृत मनोरंजन के साधनों का भी उल्लेख मिलता है। पर्व-सत्त्व के अतिरिक्त लोग विभिन्न प्रकार के खेल-खिलौनों द्वारा अपना मनोविनोद करते थे।[15] खिलौनों के अतिरिक्त मल्लयुद्ध, कुक्कुटयुद्ध तथा मय-पोत युद्ध आदि मनोरंजन के प्रधान साधन थे। लोकजीवन इन्हीं के सहारे जीवन्त बना रहता था।

6. लोक विश्वास :

मानव समाज में आदि काल से अनेक प्रकार के ऐसे विश्वास, जो तर्क और बुद्धि से परे होते हैं, मान्य और प्रचलित रहे हैं। इन अन्धविश्वासों का लोककथाओं में समावेश है। लोकसाहित्य इनसे भरा होता है। प्राकृत साहित्य में जो अन्धविश्वास व्यक्त हुए हैं उन्हें इस तरह विभाजित किया जा सकता है-

1. विद्या, मन्त्र और योग
2. जादू-टोना और झाड़-फूक
3. शुभाशुभ शकुन विचार
4. अलौकिक चमत्कारों से सम्बद्ध

प्राकृत साहित्य में जादू-टोने और झाड-फूंक के भी अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। प्राय: लोग स्नान करने के बाद कौतुक, मंगल, प्रायश्चित आदि करते थे। कुवलयमालाकहा में पुत्रप्राप्ति के लिए अनेक जादू-टोने और टोटके करने का उल्लेख है। शुभाशुभ शकुन से सम्बन्धित अनेक कथाएँ प्राप्त होती हैं। कुवलयमालाकहा में कुमार कुवलयचन्द्र की विदा के समय शुभ-अशुभ शकुनों पर विचार किया जाता है। विभिन्न दिशाओं, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे तथ शारीरिक क्रियाओं से शुभ-अशुभ शकुनों का विचार किया जाता है।[16]

इनके अतिरिक्त यज्ञपूजा, वटवासिनी देवी की पूजा, गंगा में अस्थियों का विसर्जन, सिद्धों की साधना आदि कितने लोकविश्वास की जानकारी प्राकृत साहित्य के माध्यम से होती है। यद्यपि जैन धर्म ईश्वरकर्तृत्व आदि पर विश्वास नहीं करता, किन्तु उसके साहित्य में

इन सब विश्वासों का उल्लेख मिलता है। लौकिक देवी-देवताओं को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। इन्द्र, स्कन्द, रूद्र, मुकुन्द, शिव, वैश्रमण, नाग, यक्ष, भूत आर्या और व्योहकिरिया मह का विशेष प्रचलन था। इनके अतिरिक्त वानमंतर वामन्तरी, गुह्यक और पिशाचों की भी अर्चना की जाती थी।[17]

7. लोक कला :

लोक संस्कृति की वास्तविकता का ज्ञान लोक कला के माध्यम से होती है। लोक कलाओं के अन्तर्गत वे सभी कार्य विशेष परिगणित होते हैं, जिनमें लोक के मूक कलाकारों के सरल हृदय और प्रतिभा को अभिव्यक्ति मिलती है। विभिन्न अवसरों पर बनायी गई मिट्टी व काष्ट की मूर्तियाँ, विवाह आदि उत्सवों पर खींची गयी रेखानुकृतियाँ मुक्त कंठो से गाया गया संगीत तथा विभोर कर देने वाली उछल-कूद के प्राकृत साहित्य में जो उल्लेख मिलते हैं, वे लोककला की समृद्ध लोकप्रियता के उद्घोषक हैं। तत्कालीन संगीत तथा नाट्यकला के लोकरूप दृष्टव्य हैं।

लोक नाट्य से सम्बन्धित कुवलयमाला का एक प्रसंग उल्लेखनीय है। एक गाँव में पृथ्वी को धन-धान्य से समृद्ध देखकर फसल काटने के समय नट, नर्तक, मुष्टिक और चारणों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ आ पहुंचा। गाँव के मुखिया ने उन नटों के तमाशे को देखने के लिए सारे गाँव में निमन्त्रण दिया। दिन में काम-काज के कारण ठीक अवसर न जानकर रात्रि के प्रथम पहर में उसे दिखाने की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण जनता घर के सब कार्यों को निपटाकर अपने-अपने आसन और मशाल ले लेकर तमाशा देखने पहुँच गई। एक परिवार के तो सभी लोग उसे देखने का मोह संवरण न कर सके और गये, किन्तु घर की बहु नन्दिनी पति के चण्ड स्वभाव के कारण अपने जीवन की रक्षा करती हुई घर पर ही रह गयी। काफी रात्रि तक वह नाटक चला जिसमें स्त्रीपात्र भी थे तथा संगीत और गीत आदि द्वारा किसी श्रृंगार-प्रधान आख्यान को अभिनीत किया गया।

इसके अतिरिक्त अन्य नाट्यविधियों का उल्लेख भी कुवलयमालाकहा में मिलता है। नट लोग स्त्री का वेषधारण कर नृत्य करते थे। रास का भी उल्लेख मिलता है। गांधर्व, नाट्य आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था के उल्लेख इस ग्रन्थ में आते हैं। इस प्रकार की लोक कलाओं द्वारा प्रजा मनोरंजन करने वाले कितने ही लोगों के नाम आते हैं। उदाहरण के लिए नट, नर्तक जल्ल (रस्सी पर खेल दिखाने वाले) मल्ल, मोष्टिक, विदूषक, कथक, लंख (उछलने कूदने वाले), मंख (चित्रपट दिखाने वाले), लूणइल्ल, तुम्बवीणिक भोजक

और मागध के नाम लिए जा सकते हैं। मंखों की परम्परा तो आज भी पट दिखाने वाले भोमा लोगों से की जा सकती है।

कुवलयमालाकहा प्राकृत साहित्य में अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसमें प्रथम बार कथा के भेद प्रभेदों में संकीर्णकथा के स्वरूप का परिचय दिया गया है, जिसका उदाहरण यह कृति स्वयं है। सांस्कृतिक सामग्री से यह रचना पूर्ण है जो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। ग्रन्थ की रचना शैली पर बाण की कांदबरी, त्रिविक्रम की दमयंतीकथा और हरिभद्रसूरि की समराइच्चकहा आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रौढ़ शैली में लिखे हुए इसके वर्णनों की तुलना संघदासगणि वाचककृत वसुदेवहिंडि से की जा सकती है। सम्पूर्ण कथानक में पूर्वजन्म व कर्मफल की सम्बंध श्रृँखला को विवेचित करते हुए अंत में आत्मशोधन द्वारा मुक्ति प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है। वस्तुतः कुवलयमालाकहा द्वारा असद्वृत्तियों पर सद्वृत्तियों की विजय का संदेश देकर आचार्य ने व्यक्ति के नैतिक आचरण को उठाने का प्रयास किया है।

इस प्राकृत कथा ग्रन्थ के पाँचों पात्र चंडसोम, मानभट्ट, मायादित्य, लोभदेव और मोहदत्त अपने-अपने नाम व गुण के अनुसार अपनी पराकाष्ठा को लाँघते हुए दुष्कृत्य, पाप आदि में लिप्त रहते हैं, जिनका फल नरक की यातना भोगने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आचार्य ने मानव जीवन के इस अंधकारमय पहलू को प्रकाशित करने के लिए इन पात्रों के अगले चार जन्मों की कथा का निर्माण किया। अपने अगले भवों में ये पात्र, स्व-निरीक्षण, पश्चाताप व आत्मशोधन द्वारा असद् मानसिक-वृत्तियों का परिष्कार कर संयम व तप द्वारा उन्हें सद्वृत्तियों में परिवर्तित कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। क्रोध आदि अमूर्त भावों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने से कुवलयमालाकहा को भारतीय रूपात्मक काव्य परम्परा का जनक कहा जा सकता है। इसकी कथावस्तु कर्मफल, पुनर्जन्म एवं मूलवृत्तियों के परिशोधन जैसी सांस्कृतिक विचारधाराओं पर आधृत है।[19] वर्तमान में ग्रन्थ का यह संदेश बहुत उपयोगी है।

कुवलयमालाकहा एक ओर जहाँ उद्योतनसूरि के अगाध पाण्डित्य और विशद ज्ञान का परिचायक है, वहाँ दूसरी ओर प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और कलाओं का दिग्दर्शक भी। पूर्वमध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में इस ग्रन्थ के प्रामाणिक तथ्य सुदृढ़ आधार सिद्ध होंगे। साहित्य वृत्तिपरिष्कार के द्वारा हमें नैतिक मार्ग में प्रवृत्त करता है। कुवलयमालाकहा को धार्मिक एवं सदाचारपरक दृष्टि साहित्य के इस उद्देश्य को भी चरितार्थ करती है। यही इसकी प्रासंगिकता है।

इस प्रकार प्राकृत साहित्य में लोक-संस्कृति के सभी पक्षों लोक साहित्य भाषा जीवन, विश्वास, कला, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है पालि और अपभ्रंश साहित्य की खोज से इसमें और वृद्धि हो सकती है। लोक संस्कृति की सामग्री की विविधता और प्रचुरता को देखते हुए यह निःसन्देह रूपसे कहा जा सकता है कि प्राकृत साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन शोध एवं अनुसंधान का एक स्वतन्त्र विषय है। इस पर निष्ठा और परिश्रमपूर्वक किया गया कार्य निश्चय ही भारतीय लोक संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालेगा।

सन्दर्भ–

1. जैन, प्रेम सुमन, कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन, वैशाली, 1975
2. शास्त्री, नेमिचन्द, प्राकृत भाषा एवं साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वाराणसी, 1966 3.सत्येन्द्र , भारतीय लोक साहित्य, जयपुर, पृष्ठ 221
4. उपाध्ये, ए. एन., बृहत्कथाकोश, भूमिका पृष्ठ 8
5. जैन जगदीशचन्द्र : प्राकृत जैन कथा साहित्य, पृष्ठ 168, अहमदाबाद
6. मुनि जिनविजय, सम्पादक- 'द जैनस इन द हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर', पृष्ठ 5
7. जैन, प्रेम सुमन, प्राकृत-अपभ्रंश साहित्य और संस्कृति, जयपुर
8. शास्त्री. देवेन्द्रकुमार, भविसयतकहा और अन्य अपभ्रंशकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ 1975
9. सत्येन्द्र, मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन
10. जैन, प्रेम सुमन, सम्पा. कुवलयमालाकहा भाग प्रथम, जयपुर, 2015, अनुच्छेद 95, पृ. 180
11. जैन, प्रेम सुमन, प्राकृत-अपभ्रंश तथा अन्य भारतीय भाषाएँ, बम्बई, 1975
12. कुवलयमालाकहा भाग प्रथम, जयपुर, 2015, अनुच्छेद 202, पृ. 430
13. सम्पा. आचार्य, हरिराम, गाथासप्तशती-जयपुर, 1989
14. जैन जगदीशचन्द्र : जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृष्ठ 240, वाराणसी, 1965
15. जैन जगदीशचन्द्र : जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, वाराणसी, 1965
16. कुवलयमालाकहा भाग द्वितीय, जयपुर, 2015, अनुच्छेद 262, पृ. 590
17. जैन, प्रेम सुमन, प्राकृत रत्नाकर, जयपुर , 2012, पृ. 255
18. कुवलयमालाकहा भाग प्रथम, जयपुर, 2015, अनुच्छेद 89, पृ. 170
19. कुवलयमालाकहा भाग 1-2, जयपुर, 2015, प्रस्तावना

प्राकृत उपांग साहित्य में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता

डॉ. ऋषभ चन्द्र जैन 'फौजदार', वैशाली (बिहार)

प्राचीन भारतीय साहित्य श्रुति, श्रुत, वेद, आगम, पिटक आदि नामों से जाना जाता है। सनातन परम्परा का सर्वप्राचीन साहित्य वेद कहा गया है। उसके भी अंग और उपांग प्राप्त होते हैं। जैन परम्परा के प्राचीन साहित्य को आगम कहा जाता है। वह आगम साहित्य बारह अंग, बारह उपांग, पाँच मूलसूत्र, छः छेदसूत्र और दस प्रकीर्णकों में विभाजित है, जिनकी कुल संख्या 45 मान्य है। ये आगम अर्धमागधी प्राकृतभाषा में लिपिबद्ध/संकलित हैं। आयारंग, सूयगडंग, ठाणांग, समवायांग, वियाहपण्णत्ति, नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हवागरणाइं, विवागसुयं और दिट्ठिवाय- ये बारह अंग कहलाते हैं। इनमें से प्रारंभ के ग्यारह अंग ग्रंथों को दिगंबर परम्परा अमान्य करती है। उनकी मान्यतानुसार ये विलुप्त हो गये हैं। श्वेताम्बर परम्परा बारहवें दिट्ठिवाय को विलुप्त मानती है, जिसके कुछ अंश को दिगंबर परम्परा बचा हुआ मानती है। दिट्ठिवाय की उक्त बची हुई ज्ञान सम्पदा से ही छक्खंडागम और कसायपाहुड जैसे आगम ग्रन्थ निष्पन्न हैं, जो शौरसेनी प्राकृतभाषा में रचित हैं। दिगम्बर परम्परा में दृष्टिवाद के पाँच अधिकार बताये गये हैं-1. परिकर्म, 2. सूत्र, 3. प्रथमानुयोग, 4. पूर्वगत और 5. चूलिका। इनमें परिकर्म के भी पाँच भेद कहे गये हैं- 1. चन्द्रप्रज्ञप्ति, 2. सूर्यप्रज्ञप्ति, 3. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, 4. द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और 5. व्याख्याप्रज्ञप्ति। अर्धमागधी प्राकृत के उपांग ग्रन्थों में प्रारंभ के चार परिगणित किये गये हैं तथा व्याख्याप्रज्ञप्ति पाँचवें अंग के रूप में परिगणित है। दृष्टिवाद के सूत्राधिकार में जीव तथा त्रैराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद और पुरुषवाद का कथन है। प्रथमानुयोग में तिरेसठ शलाकापुरुषों के जीवन चरित तथा उनके जीवनदर्शन से सम्बन्धित विशेष घटनाओं का विवेचन है। पूर्वगत के उत्पादादि 14 भेद हैं। ये परिमाण की दृष्टि से विशाल और पूर्व में कथित/उपदेशित हैं। 1. जलगता, 2. स्थलगता, 3. मायागता, 4. रूपगता और आकाशगता के भेद से चूलिका के पाँच भेद हैं।[1]

आगमों के इतिहास का प्रकरण बहुत व्यापक और जोखिम भरा है। उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं 'प्राकृत उपांग साहित्य में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता' विषय पर कुछ लिखने का प्रयत्न करूंगा। अंगों की तरह उपांगों की संख्या भी बारह है, जिनके नाम इस प्रकार हैं 1. उववाइय (औपपातिक), 2. रायपसेणइय (रायपसेणिय-राजप्रश्नीय), 3. जीवाजीवाभिगम, 4. पन्नवणा (पण्णवणा-प्रज्ञापना), 5. सूरियपन्नत्ति (सूरियपण्णत्ति-सूर्यप्रज्ञप्ति), 6. जंबूद्दीवपन्नत्ति (जंबूद्दीवपण्णत्ति-जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति), 7. चंदपन्नत्ति (चंदपण्णत्ति-चन्द्रप्रज्ञप्ति), 8. निरयावलिया अथवा कप्पिया (कल्पिका), 9. कप्पवडंसिया (कल्पावतंसिका), 10. पुप्फिया (पुष्पिका), 11. पुप्फचूलिया (पुष्पचूलिका), और 12. वण्हिदसा (वृष्णिदशा)। इन बारह उपांगों में विभिन्न प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें से कतिपय महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर यहाँ विचार किया जा रहा है

पहले उपांग औपपातिकसूत्र में तत्कालीन धार्मिक स्वतन्त्रता, समरसता और विविधता का वर्णन प्रचुरता के साथ प्राप्त होता है। उस समय वहाँ विभिन्न प्रकार के परिव्राजक, तापस, श्रमण, साधु आदि साधना में संलग्न रहते हुए विहार करते रहते थे। औपपातिकसूत्र में जिन साधु-संन्यासियों के उल्लेख मिलते हैं, उनका सम्बन्ध भारत की प्राचीन वैदिक और श्रमण दोनों धाराओं से प्रमाणित होता है। यहाँ उनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है

(क) परिव्राजक :

1. **गौतम**- ये साधु कौड़ियों की माला पहनाकर एक बैल रखते थे। इस बैल के साथ ये साधु भिक्षा मांगते थे। बौद्धग्रन्थ अंगुत्तरनिकाय में भी ऐसे साधुओं का उल्लेख है।
2. **गोव्रतिक**- ये साधु गोव्रत रखते और गाय के साथ ही परिभ्रमण करते थे। ये गाय की इच्छानुसार उसके साथ ही चारा-आहार, पानी आदि ग्रहण करते थे। मज्झिमनिकाय और ललितविस्तर में भी इन साधुओं का उल्लेख मिलता है।
3. **गृहिधर्म**- ये अतिथि, देव आदि को दान देकर प्रसन्न होते थे और स्वयं को गृहस्थ धर्म का सच्चा पालक मानते थे।
4. **धर्मचिन्तक**- ये धर्म-शास्त्र के पठन और चिन्तन में लीन रहते थे।
5. **अविरुद्ध**- देवता, राजा, माता-पिता, पशु और पक्षियों की समान रूप से भक्ति करने वाले अविरुद्ध साधु कहलाते थे। ये सभी को नमस्कार करते थे इसलिए विनयवादी भी कहलाते थे। जैन और बौद्ध दोनों परम्परा के ग्रन्थों में इनका उल्लेख मिलता है।
6. **विरुद्ध**- ये पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक नहीं मानते थे। ये अक्रियावादी थे।

7. **वृद्ध**- तापस लोग प्रायः वृद्धावस्था में संन्यास लेते थे इसलिए वृद्ध कहलाते थे।
8. **श्रावक**- धर्म-शास्त्रों को श्रवण करने वाले ब्राह्मण श्रावक कहलाते थे।

ये सभी आठ प्रकार के परिव्राजक साधु दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, मद्य, माँस और मधु को नहीं खाते थे। केवल सरसों के तेल का उपयोग करते थे।

(ख) वानप्रस्थी तापस :

9. **होत्तिय**- अग्निहोत्र करने वाले।
10. **पोत्तिय**- वस्त्रधारी।
11. **कोत्तिय**- भूमि पर सोने वाले।
12. **जण्णई**- यज्ञ करने वाले।
13. **सड्ढई**- श्रद्धाशील।
14. **थालई**- सब सामान लेकर चलने वाले।
15. **हुंबट्ठ**- कुण्डी लेकर चलने वाले।
16. **दंतुक्खलिय**- दाँतों से चबाकर खाने वाले।
17. **उम्मज्जक**- उन्मज्जन मात्र से स्नान करने वाले अर्थात् कानों तक पानी में जाकर स्नान करने वाले तापस।
18. **सम्मज्जक**- अनेक बार उन्मज्जन करके स्नान करने वाले तापस।
19. **निमज्जक**- स्नान करते समय कुछ क्षणों के लिए जल में डूबे रहने वाले।
20. **सम्पखाल**- शरीर पर मिट्टी घिस कर स्नान करने वाले॥
21. **दक्खिणकूलग**- गंगा के दक्षिण तट पर रहने वाले।
22. **उत्तरकूलग**- गंगा के उत्तर तट पर रहने वाले।
23. **संखधमक**- शंख बजाकर भोजन करने वाले। वे शंख इसलिए बजाते थे कि कोई अन्य व्यक्ति भोजन करते समय उनके समीप न आये।
24. **कुलधमक**- गंगा के किनारे पर खड़े होकर उच्च स्वर करते हुए भोजन करने वाले।
25. **मियलुद्धक**- पशु-पक्षियों का शिकार कर भोजन करने वाले।
26. **हत्थीतावस**- जो हाथी मारकर बहुत समय तक उसका भक्षण करते थे। इनका अभिमत था कि एक हाथी को एक वर्ष या छह महीने में मार कर हम केवल एक ही जीव का वध करते हैं, अन्य जीवों को मारने के पाप से बच जाते हैं। ललितविस्तर में ऐसे तापसों का उल्लेख मिलता है।

27. **उड्ढडंक**- दण्ड को ऊपर उठाकर चलने वाले। ये साधु केवल शरीर मात्र परिग्रही थे। पाणिपुट में ही भोजन किया करते थे।
28. **दिसापोक्खी**- जल से दिशाओं का सिंचन कर पुष्प-फल आदि बटोरने वाले।
29. **वक्कवासी**- वल्कल के वस्त्र पहनने वाले।
30. **अम्बुवासी**- जल में रहने वाले।
31. **बिलवासी**- बिलों में रहने वाले।
32. **जलवासी**- जल में निमग्न होकर बैठने वाले।
33. **वेलवासी**- समुद्र के किनारे रहने वाले।
34. **रुक्खमूलिया**- वृक्षों के नीचे रहने वाले।
35. **अम्बुभक्खी**- जल भक्षण करने वाले।
36. **वाउभक्खी**- वायु पीकर रहने वाले। रामायण और महाभारत में भी वायुभक्षी तापसों के उल्लेख मिलते हैं।
37. **सेवालभक्खी**- केवल शैवाल को खाकर जीवन-यापन करने वाले।

ये सभी साधु गंगातट अथवा वन में निवास करते थे। विविध प्रकार के कंद, मूल, फल, शाक आदि का भक्षण करते थे। ये अपने ढंग के विचित्र तपस्वी थे।

(ग) प्रव्रजित श्रमण :

38. **संखा**- सांख्य मत के अनुयायी।
39. **जोई**- योगी, जो अनुष्ठान पर बल देते थे।
40. **कपिल**- निरीश्वरवादी सांख्य, जो ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते थे।
41. **भिउच्च**- भृगु ऋषि के अनुयायी।
42. **हंस**- जो पर्वत की गुफाओं में, रास्तों में, आश्रमों में, देवकुलों और आरामों में रहते थे, केवल भिक्षा के लिए गाँव में प्रवेश करते थे।
43. **परमहंस**- जो सरिता के तट पर या सरिता के संगम-प्रदेशों में रहते और जीवन की सांध्य बेला में चीर, कोपीन, कुश आदि का परित्याग कर प्राणों का विसर्जन करते थे।
44. **बहुउदय**- जो गाँव में एक रात्रि और नगर में पाँच रातों तक रहते थे।
45. **कुडिव्वय**- ये साधु घर में रहते हुए क्रोध, लोभ और मोह आदि से रहित होकर अहंकार आदि का परित्याग करने में प्रयत्नशील रहते थे।
46. **कन्नपरिव्वायग**- कृष्ण परिव्राजक अर्थात् नारायण के परम भक्त।

(घ) ब्राह्मण परिव्राजक

47. **कण्डु**- अथवा कण्ण॥
48. **करकण्डु**
49. **अम्बड**- ऋषिभासित, थेरीगाथा और महाभारत में भी उम्बड परिव्राजकों का उल्लेख है।
50. **परासर**- सूत्रकृतांग में परासर को शीत, उदक और बीज रहित फलों आदि के उपभोग से सिद्ध माना गया है। उत्तराध्ययन की टीका में द्वीपायन परिव्राजक की कथा है। उसका पूर्व नाम परासर था।
51. **कण्हदीवायण**- कण्हदीवायण जातक और महाभारत में इनका उल्लेख है।
52. **देवगुप्त**
53. **नारय**- नारद।

(ङ) क्षत्रिय परिव्राजक :

54. **सेलई**
55. **ससिहार (ससिहार अथवा मसिहार?)**
56. **णग्गई (नग्नजित्)**
57. **भग्गई**
58. **विदेह**
59. **रायाराय**
60. **रायाराम**
61. **बल**

ये साधु वेद-वेदांगों के ज्ञाता तथा दान और शौच धर्म के उपदेशक होते थे। ये वाहन का उपयोग नहीं करते और जल, वनस्पति आदि को कष्ट नहीं देते। केवल गेरुआ वस्त्र पहनते थे।

(च) आजीवक श्रमण :

62. **दुघरंतरिया**- एक घर में शिक्षा ग्रहण कर उसके पश्चात् दो घरों से भिक्षा न लेकर तृतीय घर से भिक्षा लेने वाले।
63. **तिघरंतरिया**- एक घर से भिक्षा ग्रहण कर तीन घर छोड़ कर भिक्षा लेने वाले
64. **सत्तघरंतरिया**- एक घर से भिक्षा ग्रहण कर सात घर छोड़ कर भिक्षा लेने वाले।

65. **उप्पलबेटिया**- कमल के डंठल खाकर रहने वाले।
66. **घरसमुदाणिय**- प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने वाले।
67. **विज्जुअंतरिया**- बिजली गिरने के समय भिक्षा न लेने वाले।
68. **उट्टियसमण**- किसी बड़े मिट्टी के बर्तन में बैठ कर तप करने वाले।

(ज) अन्य श्रमण :

69. **अत्तुक्कोसिय**- आत्म प्रशंसा करने वाले।
70. **परिवाइय**- पर-निन्दा करने वाले। भगवती सूत्र में अवर्णवादी को किल्विषक कहा है।
71. **भूइकम्मिय**- ज्वरग्रस्त लोगों को भूति (राख) देकर नीरोग करने वाले।
72. **भुज्जो भुज्जो कोउयकारक**- बार-बार सौभाग्य वृद्धि के लिए कौतुक, स्नानादि करने वाले।

औपपातिकसूत्र चम्पा नगरी के सांगोपांग वर्णन से प्रारंभ होता है। यहाँ की भूमि सैंकड़ों हलों से जुती हुई थी, उसकी समीपवर्ती भूमि सुन्दर मार्ग-सीमा सी लगती थी। उसके आसपास की भूमि ईख, जौ, धान के पौधों से लहलहाती थी। इस नगरी में शालि-धान की उपज भी अच्छी होती थी। चम्पा नगरी में धान और ईख की फसल का नामोल्लेख मिलता है। चम्पा नगरी के वैभव व उसकी समृद्धि का श्रेय उस समय की उत्तम कृषि व्यवस्था को जाता है। धान का समय, वितरण और समृद्धि के होने से उस नगरी में उपद्रव नहीं था और चारों ओर सुखशान्ति थी। भिक्षुओं को भिक्षा भी सुखपूर्वक मिलती थी। कृषिकर्मकार, उससे सम्बन्धित अनेक उद्यमकार और व्यापारियों की घनी बस्ती होते हुए भी यह शान्तिमय थी। गाय, बैल, भैंस आदि पशुधन से यह नगरी परिपूर्ण थी। इनके अतिरिक्त उत्तम घोड़े व मदोन्मत्त हाथी राजा तथा धनी लोगों की शान-शौकत के प्रतीक थे।

सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के बिना फसलों, वनस्पतियों तथा वृक्षों का पोषण संभव नहीं था। वहाँ बगीचे, कुएँ, तालाब, बावड़ी और जल संग्रह के लिए छोटे-छोटे बांध थे। पशुओं का गोबर उर्वरक के रूप में प्रयोग होता था। अपितु वह स्वच्छता के लिए भूमि पर लीपा भी जाता था। पाँच वर्ण के फूल सजावट के काम आते थे। मालाकार का भी उत्तम व्यवसाय था। वन-समृद्धि, स्वास्थ्य, उत्तम पर्यावरण और हरीतिमा के परिचायक हैं। सामान्य लोगों के भोज्य पदार्थों में दूध, दही, मक्खन, घृत, तेल, गुड, मधु, माँस, सरसों का तेल आदि का वर्णन है।

महावीर के जीवनकाल में हमारा देश ग्राम प्रधान था। साधु भी भिक्षा के लिए गाँव में आते थे। 72 कलाओं में पन्द्रहवीं कला उदकमृत्तिका कला है। यह ग्राम्य जीवन की प्रतिनिधि

कला है। इसमें जल तथा मिट्टी के मेल से भाण्ड (बर्तन) आदि के निर्माण का ज्ञान कराया जाता रहा है। सोलहवीं कला का नाम अन्नविधि है। इसमें अन्न पैदा करने और भोजन पकाने का ज्ञान कराया जाता है। पानविधि अर्थात् पेय पदार्थों के निष्पादन तथा उनके प्रयोग का ज्ञान और वस्त्र-विधि अर्थात् वस्त्र-सम्बन्धी कला का ज्ञान उस समय के व्यवसाय के मुख्य अंग रहे हैं।

औपपातिक सूत्र में बहत्तर कलाओं का प्रसंग आया है। वहाँ कहा गया है कि जब देवलोक से च्युत होकर अम्बड परिव्राजक महाविदेह में उत्पन्न हुआ तब उसका नाम दृढ़प्रतिज्ञ रखा गया और उसे आठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् शुभ मुहूर्त में कलाचार्य के समीप शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया, जहाँ उसे निम्नांकित 72 कलाओं की शिक्षा दी गयी

1. लेह (लेखन)
2. गणिय (गणित)
3. रूव (चित्र बनाना)
4. नट्ट (नृत्य)
5. वाइय (वादित्र)
6. सरगय (सात स्वरों का ज्ञान)
7. पोक्खरगय (मृदंग वगैरह बजाने का ज्ञान)
8. समताल (गीत आदि के समताल का ज्ञान)
9. जूय (जूआ)
10. जणवय (एक प्रकार का जूआ)
11. पासय (पासे का ज्ञान)
12. अट्ठावय (चौपड़)
13. पोरेकव्व (शीघ्रकवित्व)
14. दगमट्टिय (मिश्रित द्रव्यों की पृथक्करण-विद्या)
15. अण्णविहि (पाकविद्या)
16. पाणविहि (पानी स्वच्छ करने और उसके गुण-दोष परखने की विद्या, अथवा जल-पान की विधि)
17. वत्थविहि (वस्त्र पहनने की विद्या)

18. विलेवणविहि (केशर, चन्दन आदि के लेपन करने की विद्या)
19. सयणविहि (पलंग, बिस्तरे आदि के परिमाण का ज्ञान अथवा शयन सम्बन्धी ज्ञान)
20. अज्ज (आर्या छंद के भेद-प्रभेदों का ज्ञान)
21. पहेलिय (पहेली का ज्ञान)
22. मागहिय (मगधी छंद का ज्ञान)
23. गाहा (गाथा का ज्ञान)
24. सिलोय (श्लोक के भेद-प्रभेदों का ज्ञान)
25. हिरण्णजुत्ती (चाँदी के आभूषण पहनने का ज्ञान)
26. सुवण्णजुत्ती (सुवर्ग के आभूषण पहनने का ज्ञान)
27. चुण्णजुत्ती (स्नान, मंजन आदि के लिए चूर्ण बनाने की युक्ति)
28. आभरणविहि (आभरण पहनने की विधि)
29. तरुणीपडिकम्म (युवतियों के सुन्दर होने की विधि)
30. इत्थीलक्खण (स्त्रियों के लक्षण का ज्ञान)
31. पुरिसलक्खण (पुरुषों के लक्षण का ज्ञान)
32. हयलक्खण (घोड़ों के लक्षण का ज्ञान)
33. गयलक्खण (हाथियों के लक्षण का ज्ञान)
34. गोणलक्खण (गायों के लक्षण का ज्ञान)
35. कुक्कुडलक्खण (मुर्गों के लक्षण का ज्ञान)
36. चक्कलक्खण (चक्र के लक्षण का ज्ञान)
37. छत्तलक्खण (छत्र के लक्षण का ज्ञान)
38. चम्मलक्खण (चमड़े के लक्षण का ज्ञान)
39. दंडलक्खण (दंड के लक्षण का ज्ञान)
40. असिलक्खण (तलवार के लक्षण का ज्ञान)
41. मणिलक्खण (मणि के लक्षण का ज्ञान)
42. काकणीलक्खण (काकणी रत्न के लक्षण का ज्ञान)
43. वत्थुविद्या (वास्तुविद्या)
44. खंधारमाण (सेना के परिमाण का ज्ञान)

45. नगरमाण (नगर के परिमाण का ज्ञान)
46. वत्थुनिवेसण (घर की नींव आदि रखने का ज्ञान)
47. वूह (व्यूह-रचना का ज्ञान)
48. पडिवूह (प्रतिद्वंदी के व्यूह का ज्ञान)
49. चार (ग्रहों की गति आदि का ज्ञान)
50. प्रतिचार (ग्रहों की प्रतिकूल गति का ज्ञान)
51. चक्रव्यूह
52. गरुडव्यूह
53. शकटव्यूह
54. जुद्ध (युद्ध)
55. निजुद्ध (मल्लयुद्ध)
56. जुद्धातिजुद्ध (घोरयुद्ध)
57. मुट्ठियुद्ध (मुष्टियुद्ध)
58. बाहुजुद्ध (बाहुयुद्ध)
59. लयाजुद्ध (लता की भाँति शत्रु से लिपटकर युद्ध करना)
60. इसत्थ (इषु अर्थात् बाण और अस्त्रों का ज्ञान)
61. छरुप्पवाय (खड्गविद्या)
62. धणुव्वेय (धनुर्वेद)
63. हिरण्णपाग (चाँदी बनाने की कीमिया)
64. सुवण्णपाग (सोना बनाने की कीमिया)
65. वट्टखेड (वस्त्र का खेल बनाना)
66. सुत्तखेड (रस्सी या डोरी से खेल करना)
67. णालियाखेड (एक प्रकार का जूआ)
68. पत्तच्छेज्ज (पत्ररचना)
69. कडच्छेज्ज (अनेक वस्तुओं को क्रमशः छेदना)
70. सज्जीव (मृत धातुओं को स्वाभाविक रूप में लाना)
71. निज्जीव (सुवर्ण आदि धातुओं को मारना)
72. सउणरुअ (शकुन और विभिन्न आवाजों का ज्ञान)।

ये सभी कलाएँ मनुष्य को परिपूर्ण बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता किसी भी कालखण्ड में और कभी भी कम नहीं होगी।

राजप्रश्नीयसूत्र :

राजप्रश्नीयसूत्र में कहा गया है कि आमलकप्पा नगरी के अम्बसाल चैत्य में विहार करते हुए जब भगवान महावीर पहुँचते हैं तब वहाँ उनके सम्मान में सूर्याभदेव एक कलात्मक विमान की रचना करता है, जो वास्तु का अनुपम उदाहरण है। यहाँ शंख, शृंग, शंखिका आदि 49 प्रकार के वाद्यों का भी उल्लेख है। सूर्याभदेव देवकुमारों एवं देवकुमारियों के द्वारा नृत्य और गीत के साथ बत्तीस प्रकार की नाट्यविधियों का प्रदर्शन भगवान महावीर के समक्ष करवाता है, जिनमें सर्वप्रथम स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य और दर्पण, इन आठ मंगलद्रव्यों के आकार रूप दिव्य नाट्य-अभिनय किये गये। इसी प्रकार अन्य नाट्यविधियों का प्रदर्शन भी किया गया। नाट्यकला के विविधरूप आज भी विद्यमान हैं और प्राचीन नाट्यविधियाँ लुप्त हो रही हैं; उनके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्रमण केशीकुमार के श्रावस्ती नगरी में आगमन का समाचार सुनकर जन-जन का मन एक अपूर्व उल्लास से भर गया। विशाल जन समूह उनकी धर्मदेशना श्रवण करने के लिए प्रस्थित हुआ। यहाँ जिन इन्द्र, स्कन्द आदि उत्सवों का वर्णन आया है, उनका उल्लेख ज्ञाताधर्मकथा, व्याख्याप्रज्ञप्ति, निशीथ आदि ग्रन्थों में भी पाया जाता है। केशीकुमार के आगमन के प्रसंग में वर्णित विविध उत्सवों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

इन्द्रमह :

प्राचीन काल में 'इन्द्रमह' उत्सव सर्वश्रेष्ठ उत्सव माना जाता था और इस उत्सव को सभी लोग बड़े उत्साह से मनाते थे। निशीथसूत्र में इन्द्र, स्कन्द, यक्ष, और भूत नामक महामहों का वर्णन है। जो क्रमशः आषाढ़, आसौज, कार्तिक और चैत की पूर्णिमाओं को मनाये जाते थे। इन्द्रमह आदि उत्सवों में लोग मनपसन्द खाते-पीते, नाचते-गाते हुए आमोद-प्रमोद में तल्लीन रहते थे। इन उत्सवों में अत्यधिक शोरगुल होता था, जिससे श्रमणों को स्वाध्याय करना वर्जित था। जो खाद्य पदार्थ उत्सव के दिन तैयार किया जाता था। सबके सम्बन्धी भी इस अवसर पर बुलाये जाते थे। 'इन्द्रमह' उत्सव के दिन लोग स्वच्छ वस्त्र पहनते थे।

स्कन्दमह :

दूसरा उत्सव 'स्कन्दमह' का था। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार स्कन्द अथवा

कार्तिकेय महादेव के पुत्र और युद्ध के देवता माने गये हैं। तारक, राक्षस और देवताओं के युद्ध में 'स्कन्द' देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त हुए थे। उनका वाहन 'मयूर' था। 'स्कन्दमह' उत्सव आसौज की पूर्णिमा को मनाया जाता था।

रुद्रमह :

'रुद्रमह' तीसरा उत्सव था। वैदिक दृष्टि से रुद्र ग्यारह थे। वे इन्द्र के साथी शिव और उसके पुत्रों के अनुचर तथा यम के रक्षक थे।

मुकुन्दमह :

चौथा उत्सव 'मुकुन्दमह' था। महाभारत में मुकुन्द यानि बलदेव को लांगुली-हलधर कहा है। हल उनका अस्त्र है। भगवान् महावीर छद्मस्थ अवस्था में विहार करते हुए गोशालक के साथ 'आवत्त' ग्राम में पधारे थे। वहाँ पर वे बलदेवगृह में ठहरे थे, बलदेवगृह में बलदेव की अर्चना होती थी।

शिवमह :

'शिवमह' पाँचवाँ उत्सव था। हिन्दू साहित्य के अनुसार शिव भूतों के अधिपति, कामदेव के दहनकर्ता और स्कन्द के पिता थे। उन्होंने विष का पान किया तथा आकाश से गिरती हुई गंगा को धारण किया। उनके सम्मान में वैशाख मास में उत्सव मनाया जाता है। भगवान् महावीर के समय शिव की अर्चा प्रचलित थी। ढ़ोंढसिवा अचितशिव माना जाता था, उसकी भी उपासना शिव के रूप में ही होती थी।

वैश्रमणमह :

'वैश्रमणमह' छठा उत्सव था। वैश्रमण उत्तर दिशा का लोकपाल और समस्त निधियों का अधिपति था। जीवाजीवाभिगम में वैश्रमण को यक्षों का अधिपति और उत्तर दिशा का लोकपाल कहा गया है।

नागमह :

'नागमह' सातवाँ उत्सव था। वैदिक पुराणों के अनुसार शेषनाग अपने सहस्त्र फन से पृथ्वी के भार को सम्हाले हुए हैं। जैन दृष्टि से सगर चक्रवर्ती के जण्हुकुमार आदि साठ हजार पुत्र थे। उन्होंने दण्डरत्न से अष्टापद पर्वत के चारों ओर एक खाई खोदी और गंगा के नीर से उस खाई को भरने लगे। पर खाई का पानी नागभवनों में जाने से नागराज क्रुद्ध हुआ। उसने नयन-विष महासर्प प्रेषित किये, जिन्हें देखते ही सगरपुत्र भस्म हो गये। ज्ञाताधर्मकथा के अनुसार रानी पद्मावती ने नागदेव की अर्चा की थी। नागकुमार धरणेन्द्र ने

भगवान् पार्श्व की छत्र बनाकर रक्षा की थी। नाग के भय से लोग उसकी उपासना करते थे। आज भी भारत में लोग 'नागपंचमी का पर्व मनाते हैं, जो एक प्रकार से नागमह का ही रूप है।

यक्षमह :

'यक्षमह' आठवाँ उत्सव था। नगरों और गाँवों के बाहर यक्षायतन होते थे। लोगों की यह धारणा थी कि यक्ष की पूजा करने से कोई भी संक्रामक रोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। यक्ष इन रोगों से हमारी रक्षा करेगा। अभिधान-राजेन्द्रकोष में पूर्णभद्र, मणिभद्र आदि तेरह यक्षों का उल्लेख हुआ है। औपपातिक में चम्पानगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य का उल्लेख है। आवश्यकनिर्युक्ति के अनुसार भगवान् महावीर जब छद्मस्थ अवस्था में ध्यानमुद्रा में खड़े थे तब 'बिभेलक' यक्ष ने उपद्रव से उनकी रक्षा की थी। ज्ञाताधर्मकथा के अनुसार शैलक यक्ष चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसने चम्पानगरी के जिनपाल और जिनरक्षित की रत्नादेवी से रक्षा की थी। यक्षों से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए यह उत्सव होता था।

भूतमह :

'भूतमह' नवम उत्सव था। हिन्दू पुराणों में भूतों को भयंकर प्रकृति के धनी और मांस-भक्षी कहा है। भूतों को बलि देकर प्रसन्न किया जाता था। 'भूतमह' चैत्री पूर्णिमा को मनाया जाता था। भूतगृह से पीड़ित मानवों की चिकित्सा भूतविद्या के द्वारा की जाती थी। कहा जाता है-'कुत्तियावण' में सभी वस्तुएँ मिलती थीं। वहाँ पर भूत भी मिलते थे। वृहत्कल्पभाष्यवृत्ति में एक कथा का उल्लेख किया गया है कि राजा प्रद्योत के समय उज्जयिनी में इस प्रकार की दुकानें थी, जहाँ पर मनोवाञ्छित वस्तुएँ मिलती थीं। उसी समय उज्जयिनी में भूत को खरीदने के लिए भृगुकच्छ का एक व्यापारी आया था। दुकानदार ने उसे बताया-आपको भूत तो मिल जायेगा पर आपने यदि उस भूत को कोई काम न बताया तो वह आपको समाप्त कर देगा। यह जान-सुनकर भी व्यापारी भूत को लेकर वहाँ से चला गया। वह उसे जो भी कार्य बताता वह भूत उसे चुटकियों में सम्पन्न कर देता था। अन्त में भूत से तंग आकर उस व्यापारी ने एक खम्भा गाड़ दिया और भूत से कहा-मैं जब तक तुम्हें नया काम नहीं बताऊँ जब तक तुम इस खम्भे पर चढ़ते-उतरते रहो।

इनके अतिरिक्त स्तूपमह, चैत्यमह, रुक्खमह, गिरिमह, दरि (गुफा) मह, कूपमह, नदीमह, सरमह अथवा सागरमह आदि उत्सव मनाये जाते थे। (राजप्रश्नीयसूत्र, सूत्र-215 पृष्ठ-139)

केशीकुमार श्रमण के आगमन की बहुत अधिक धूमधाम देखकर चित्तसारथी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि उक्त उत्सवों की तरह यहाँ कोई विशेष उत्सव होने वाला है। सामान्यत: ये उत्सव किसी धर्म और सम्प्रदायविशेष से सम्बन्धित न होकर लोकजीवन से सम्बन्धित थे। भगवान् महावीर कालीन समाज में ऐसे उत्सवों की प्रचुरता थी। इन उत्सवों के पीछे लोगों की लौकिक कामनायें थीं और जनमानस में समाया हुआ भय भी इन उत्सवों को मनाने के लिए प्रेरित तथा बाध्य करता था।

राजा प्रसेनजित् और मुनि केशीकुमार का शरीर और आत्मा की एकता और अनेकता के विषय में विशेष संवाद राजप्रश्नीय का हार्द है, जो तार्किक तथा दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

जीवाजीवाभिगम नामक तीसरे उपांग में जीव और अजीव के भेद-प्रभेदों का विवेचन, द्वीप-सागरों का वर्णन, रत्न, आभूषण, भवन, वस्त्र, लोकोत्सव, यान, अलंकार और मिष्ठान्नों का विस्तार से वर्णन है। सांस्कृतिक, कलात्मक और प्राकृतिक सामग्री की परिपूर्णता का भी इसमें प्राचुर्य पाया जाता है।

चौथे **पन्नवणा** नामक उपांग में छत्तीस पद हैं, जिनमें जीव से सम्बन्धित विविध विषयों का प्रतिपादन है। यहाँ साढे पच्चीस आर्य देशों का उल्लेख है। केकय (श्वेतिका) को आधा आर्य देश बताया गया है। कर्म, शिल्प और भाषा जैसे आर्य जाति भेदों का विवेचन यहाँ उपलब्ध है। बहुत से मौलिक विषयों तथा पारिभाषिक शब्दों की प्रचुरता यहाँ देखी जा सकती है।

पाँचवें **सूरियपन्नत्ति** नामक उपांग में सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों की गतियों का विस्तार से वर्णन हुआ है। द्वीप-सागरों का भी यथाप्रसंग निरूपण है। ज्योतिष सम्बन्धी प्राचीन मान्यताएँ, सूर्य के उदय और अस्त का विचार, दो सूर्य और दो चद्रमा का सिद्धान्त, दिनमान का कथन, नक्षत्रों के गोत्रादि का विवेचन यहाँ उपलब्ध है।

छठे **जंबूदीवपन्नत्ति** नामक उपांग में जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, उनके पर्वतों, नदियों, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों, ऋषभदेव का चरित, 72 और 63 कलाओं का वर्णन निरूपित है। तीर्थंकरों के कल्याणकों, चकवर्ती, बलदेव और वासुदेवों के संक्षिप्त परिचय पुराणों के विकास के लिए बीजरूप हैं।

सातवें **चंदपन्नत्ति** नामक उपांग में चन्द्र के सन्दर्भ में सूर्य और चन्द्र की गतियों, छाया साधन, छाया प्रमाण, कीलच्छाया, शंकुच्छाया, पुरुषछाया, गोल, त्रिकोण, चौकोर वस्तुओं

की छाया आदि का विवरण परवर्ती काल में निमित्त और ज्योतिष के विकास में सहयोगी बने हैं।

आठवें से बारहवें उपांग निरयावलियाओ में **कप्पिया (कल्पिका), कप्पावडंसिया (कल्पावतंसिका), पुप्फिया (पुष्पिका), पुप्फचूला (पुष्पचूला) और वण्हिदसा (वृष्णिदशा)** ये पाँच उपांग शामिल हैं। कल्पिका में मगध नरेश श्रेणिक और उनके वंशजों का वर्णन है। कल्पावतंसिका में श्रेणिक के दस पौत्रों के उत्थान-पतन की कथाएँ वर्णित हैं। पुष्पिका में ब्राह्मणों की कथाएँ दी गयी हैं, जिनमें राग, मोह और ममताओं का कुतूहलपूर्ण सफल चित्रण है। पुष्पचूला में धार्मिक साधना द्वारा स्वर्ग और दिव्य सम्पदाओं को प्राप्त करने वालों की कथाएँ हैं। इनके नाम श्री, ही, धृति आदि हैं। वृष्णिदशा में बारह अध्ययन हैं। इसमें कृष्ण वासुदेव तथा वृष्णिवंशीय बारह राजकुमारों के दीक्षित होने की कथाएँ और अरिष्टनेमि के विहार का वर्णन है।

उक्त बारह उपांगों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनमें सर्वत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में संकलित की गयी है, वर्तमान में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी इनके रचना/संकलन के काल में थी। सम्प्रति समाज में जो विसंगतियाँ, धर्म और नीतिपूर्ण आचरण में गिरावट देखी जा रही है, उनमें आवश्यक सुधार के लिए इनका अनुकरण उपयोगी हो सकता है।

सहायक सामग्री :

1. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास- डा. नेमिचन्द्र शास्त्री
2. प्राकृत साहित्य का इतिहास-डा. जगदीश चन्द्र जैन
3. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग-1, 2,
4. औपपातिक सूत्र : एक मीमांत्मक अध्ययन- साध्वी प्रवीणलता
5. सभी उपांग ग्रन्थ मूल एवं हिन्दी अनुवाद।

प्राकृत अलंकारों में लोकधर्मिता की आधुनिक काल में उपयोगिता

प्रो. कमलेश कुमार जैन, वाराणसी (उ.प्र.)

एक मान्यता के अनुसार संस्कृत और प्राकृत– ये दोनों सहोदरा भाषाएँ हैं। इन दोनों भाषाओं में सामान्यतः भेद नहीं किया जा सकता है। फिर भी यदि हम दोनों भाषाओं में भेद करें तो मात्र इतना ही कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा राजघरानों में पली-पुसी है और प्राकृत भाषा ग्रामीण परिवेश में। इस सबके बावजूद दोनों भाषायें एक-दूसरे के साथ ऐसी जुड़ी हैं कि एक दूसरे को पृथक्-पृथक् करके नहीं देखा जा सकता है क्योंकि चाहे लक्ष्य ग्रन्थ हो अथवा लक्षण-ग्रन्थ, दोनों प्रकार के ग्रन्थों में संस्कृत के साथ प्राकृत की सहभागिता इस बात की प्रमाण है कि दोनों भाषायें एक दूसरे की पूरक हैं।

संस्कृत भाषा में अलंकारशास्त्रों की रचना हुई तो प्राकृत भाषा में भी हुई, किन्तु दोनों के मापदण्ड एक ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार संस्कृत भाषा में प्रभूत मात्रा में अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना हुई है वैसी प्राकृत भाषा में अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना नहीं हुई है, किन्तु अल्पमात्रा में ही सही प्राकृत में अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना हुई अवश्य है और वर्तमान में अज्ञातकर्तृक अलंकारदप्पण एकमात्र, इकलौता ग्रन्थ है, जो प्राकृतभाषा में लिखित अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों का प्रतिनिधित्व करता है। अलंकारदप्पण के अतिरिक्त प्राकृत भाषा में लिखे गये ग्रन्थ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि विविध ग्रन्थ-भण्डारों में और भी प्राकृत अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थ होंगे या नष्ट हो गये हैं, जिनका लेखा-जोखा सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

संस्कृत अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों में जिस प्रकार अलंकारों के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि– अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः अर्थात् जिससे काव्य या कविता अलंकृत की जाये वह अलंकार है।

अलंकार वस्तुतः उत्कर्षाधायक तत्त्व हैं और ये अलंकार काव्य या कविता में चार-चाँद लगा देते हैं। सामान्य नायिका भी नायिका है और आभूषणों से अलंकृत नायिका भी

नायिका है, किन्तु आभूषणों से अलंकृत नायिका आकर्षण पैदा करती है अर्थात् मन को आनन्दित करती है। पर ऐसा भी नहीं है कि आभूषणों से रहित नायिका नायिका नहीं है। अतः काव्य में अथवा कविता में उत्कर्ष पैदा करने वाले तत्त्वों का नाम अलंकार है। ये अलंकार कविता के स्वरूपाधायक अथवा जीवनाधायक तत्त्व नहीं हैं।

अलंकारदप्पणकार ने लिखा है कि–

सव्वाइं कव्वाइं सव्वाइं जेण होंति भविआइं।

तमलंकारं भणिमोऽलंकारं कुकविकव्वाणं।।[1]

अर्थात् जिससे सभी काव्य भव्य या सुन्दर बन जाते हैं और कुकवियों के काव्यों को भी अलंकृत कर देते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं।

अलंकारदप्पणकार का कहना है कि जिस प्रकार अत्यन्त सुन्दर युवती भी अलंकारविहीन होने पर शोभायमान नहीं होती है, उसी प्रकार कविता कितनी भी निर्दोष हो, किन्तु यदि अलंकारों से रहित है तो वह शोभायमान नहीं होती है।

अच्चंत-सुंदरं-पि हु निरलंकारं जणम्मि कीरंतं।

कामिणि-मुहं व कव्वं होइ पसण्णं पि विच्छाअं।।[2]

वस्तुतः अलंकारदप्पणकार की दृष्टि में अलंकार ही वे शोभाधायक तत्त्व हैं जो कविता कामिनी को मण्डित करते हैं।

अलंकारदप्पण उस काल की रचना है, जब कविता में शब्दालंकारों को विशेष महत्त्व दिया जाता था। अतः यह कहना समीचीन होगा कि अलंकारदप्पण पर भामह और दण्डी जैसे अलंकारवादी आचार्यों का प्रभाव परिलक्षित होता है।

अलंकारदप्पणकार ने उपमा, रूपक, दीपक, रोध, अनुप्रास, अतिशय, विशेष, आक्षेप, जाति, व्यतिरेक, रसिक, पर्याय, यथासंख्य, समाहित, विरोध, संशय, विभावना, भाव, अर्थान्तरन्यास, अन्यपरिकर, सहोक्ति, ऊर्जा, अपह्नव, प्रेमातिशय, उदात्त, परिवृत्त (परिवृत्ति), द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर, गुणोत्तर, श्लेष, व्यपदेश-स्तुति, समयोगिता (तुल्ययोगिता), अप्रस्तुतप्रशंसा, अनुमान, आदर्श, उत्प्रेक्षा, संसृष्टि, आशीष, उपमारूपक, निदर्शन, उत्प्रेक्षा, उद्भेद, वलित और यमक– इन चवालीस अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। यद्यपि अलंकारदप्पणकार ने प्रारम्भ में अलंकारों का नामोल्लेख करते हुये चालीस अलंकार कहे हैं,[3] किन्तु जिन अलंकारों का नामोल्लेख किया हैं, वे उपर्युक्त चवालीस हैं।

उपर्युक्त चवालीस अलंकारों में अधिकतर तो वे ही हैं जिनका उल्लेख पूर्वाचार्यों ने किया है, किन्तु रसिक, प्रेमातिशय, द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर, गुणोत्तर एवं उपमा रूपक जैसे कुछ अलंकार ऐसे हैं जो नवीन प्रतीत होते हैं। यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर कुछ अलंकार तो नामान्तर ही प्रतीत होते हैं।

अलंकारदप्पणकार ने द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर और गुणोत्तर अलंकारों में क्रमशः द्रव्य, क्रिया और गुणों की प्रधानता मानी है। अर्थात् द्रव्योत्तर में द्रव्य की प्रधानता, क्रियोत्तर में क्रिया की प्रधानता और गुणोत्तर में गुणों की प्रधानता होती है।

अलंकारदप्पणकार की अपनी एक विशेषता यह है कि उन्होंने जहाँ प्रत्येक अलंकार का लक्षण प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है, वहीं उन्होंने अलंकारों के जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, वे भी प्राकृत भाषा में तो हैं ही, स्वनिर्मित भी हैं। जैसे अन्य आचार्यों ने अलंकारों के लक्षण तो स्वयं लिखे हैं किन्तु उदाहरण प्रायः अन्य लक्ष्य-ग्रन्थों से प्रस्तुत किये हैं, जो एक स्वस्थ परम्परा है क्योंकि लक्ष्य-ग्रन्थों के आधार पर ही लक्षण ग्रन्थों की रचना होती है, किन्तु अलंकारदप्पणकार ने स्वयं ही प्राकृत भाषा में उदाहरणों की रचना कर अपना वैशिष्ट्य स्थापित किया है।

स्वादिष्ट भोजन का आनन्द तो सभी लोग लेते हैं, किन्तु स्वादिष्ट भोजन बनाने की कला कुछ ही लोगों में होती है और अंगुलियों पर गिनने लायक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वादिष्ट भोजन का आनन्द लेना भी जानते हैं और भोजन बनाना भी। अलंकारदप्पणकार उस श्रेणी के विद्वान् हैं, जो अलंकारों के लक्षणों की रचना तो करते ही हैं, साथ ही उसका सटीक उदाहरण भी स्वनिर्मित प्रस्तुत करते हैं, जो अपने लक्ष्य का भेदन करता है।

अब यहाँ प्रश्न यह है कि अलंकार करते क्या हैं? इसका उत्तर यह है कि अलंकार उपकार करते हैं। भारतीय परम्परा में सर्वाधिक मान्य एवं प्रतिष्ठित ग्रन्थ वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष- ये छह अंग माने गये हैं, किन्तु यायावर राजशेखर ने उपकारक होने के कारण अलंकार को वेद का सप्तम अंग स्वीकार किया है- **उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गम्**[4] तात्पर्य यह कि अलंकार जनसामान्य का उपकारक होने से वेद का सप्तम अंग कहा जाता है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने लिखा है कि-

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः।।[5]

अर्थात् जैसे हारादि आभूषण नायिका के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं अर्थात् नायिका का

उपकार करते हैं, वैसे ही अनुप्रास आदि शब्दालंकारों और उपमा आदि अर्थालंकारों के माध्यम से ये अलंकार काव्य अथवा कविता में सौन्दर्य की वृद्धि करते हुये उसका उपकार करते हैं। यतः उपकार करने के कारण ये अलंकार लोकधर्म है, अतः वर्तमान काल में उनकी उपयोगिता भी असन्दिग्ध है।

स्वस्थ रहने के लिये मनोरञ्जन आवश्यक है। बड़े-बड़े कवि-सम्मेलनों का आयोजन करने के मूल में आयोजनों का लक्ष्य कविता का आस्वादन करते हुये जन सामान्य में मनोरञ्जन करना है। फिर चाहे इनका आयोजन किसी स्थान विशेष में हो अथवा दूरदर्शन के माध्यम से सर्वदेशीय हो। परन्तु इस सबके मूल में जनसामान्य का मनोरञ्जन करते हुये स्वस्थ समाज का निर्माण अपेक्षित है। कविता संस्कृत में भी हो सकती है और प्राकृत में भी, किन्तु दोनों का लक्ष्य मनोरञ्जन ही है और यह मनोरंञ्जन मनोविकारों किंवा मानसिक तनाव के निवारण हेतु रामबाण औषधि है।

अलंकारदप्पणकार ने अलंकारों के जो भी उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे लौकिकजनों के लिये होने से लोकधर्मिता का निर्वाह तो करते ही हैं, साथ ही आपाधापी से भरे हुये इस वर्तमान जीवन में अत्यन्त उपयोगी भी हैं। कतिपय अलंकारों के लक्षणों और विशेषकर उनके उदाहरणों के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जा सकती है।

अलंकारदप्पणकार ने उपमालंकार के सत्तरह भेदों का निरूपण किया है, जिसमें पूर्णोपमा का लक्षण करते हुये वे लिखते हैं कि जिस कविता में न तो उपमान न्यून हो और न अधिक हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं।[6] पूर्णोपमा के चार स्तम्भ हैं– उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। कविता में जहाँ इन चारों का एक साथ समावेश हो वहाँ पूर्णोपमा होती है और जहाँ उपर्युक्त में से किन्हीं एक-दो आदि का अभाव हो उसे लुप्तोपमा कहते हैं।[7] अलंकारदप्पणकार के द्वारा स्वीकृत उपमालंकार के सत्तरह भेदों में निन्दाप्रशंसोपमा अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उनके अनुसार निन्दाप्रशंसोपमा अलंकार वह है, जिसमें निन्दित उपमान के उपमेय की प्रशंसा की जाती हो।[8] इसका उदाहरण इस प्रकार है–

तुह संढस्स व णरवद भुज्जड़ भिच्चेहिं पाअदा लच्छी।
हिअआइं काअरस्स व वअणिज्ज-भएण ओसरइ।।[9]

अर्थात् हे राजन्! नपुंसक की लक्ष्मी की तरह आपकी जो नैसर्गिक लक्ष्मी है उसका उपभोग आपके नौकर-चाकर कर रहे हैं क्योंकि कायर व्यक्ति के हृदय के समान लक्ष्मी निन्दा के भय से दूर ही रहती है।

यहाँ जो राजा की लक्ष्मी है उसका कायर व्यक्ति की लक्ष्मी के साथ सादृश्य दिखलाने के कारण यद्यपि निन्दा प्रतीत हो रही है, किन्तु नौकरों-चाकरों के द्वारा राजा की लक्ष्मी का उपभोग किया जाना राजा की उदारता को प्रकट कर रहा है, अतः यहाँ निन्दाप्रशंसोपमालंकार है। अन्य पूर्वाचार्यों ने निन्दोपमा और प्रशंसोपमा- इन दो अलंकारों को पृथक्-पृथक् भी स्वीकार किया है।[10]

अलंकारदप्पणकार ने दीपकालंकार का लक्षण करते हुये लिखा है कि- दीपकालंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही क्रियापद के द्वारा अनेक कारक पदों का अन्वय होता है- **जीविज्जइ पयाइं एक्काए चेव जत्थ किरिआए।**[11] यहाँ पर मुखदीपक का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। वे लिखते हैं कि-

भूसिज्जंति गअंदा मअेण सुहडा उ असिप्पहरेण।

गइतुरएणं तुरआ सोहग्ग-गुणेण महिलाओ।।[12]

अर्थात् हाथी मद से, सुभट तलवार के प्रहार से, घोड़े गति की तीव्रता से और महिलायें सौभाग्य-गुण के कारण सुशोभित हो रही है। यहाँ यद्यपि 'भूसिज्जंति' यह एकमात्र क्रियापद हे, किन्तु उसका अन्वय हाथी के मद से, सुभट की तलवार के प्रहार से, घोड़े की गति की तीव्रता से और महिलाओं के सौभाग्य-गुण के साथ हो रहा है, अतः दीपकालंकार है।

सन्देहालंकार का लक्षण करते हुये अलंकारदप्पणकार ने लिखा है कि-

अवमाणेण सरूअं भणिऊण भस्सए जहिं भेओ।

थुइकरणेणं संदेह-संसिओ सो हु संदेहो।।[13]

अर्थात् जहाँ उपमान के द्वारा स्वरूप का कथन कहकर भेद का कथन किया जाता है तथा स्तुति करने में सन्देह का आश्रय लिया जाता है वहाँ सन्देहालंकार होता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुये अलंकारदप्पणकार लिखते हैं कि-

किं कमलमिणं (णो) तं सकेसरं किं ससी ण तत्थ मओ।

दिट्ठं सहि तुज्झ मुहं ससंसअं अज्ज तरुणेहिं।।[14]

अर्थात् हे सखि! क्या यह कमल है? किन्तु कमल तो केसरों से युक्त होता है। तब फिर क्या यह चन्द्रमा है? किन्तु चन्द्रमा तो मृगलाञ्छन से युक्त होता है, अतः वह भी नहीं है। इस प्रकार युवकों द्वारा आज तुम्हारा मुख संशय के साथ देखा गया।

यहाँ इस पद्य में कमल उपमान है और मुख उपमेय है। उपमेय मुख में कमल का

संशय होने से अथवा उपमान चन्द्रमा में उपमेय मुख का संशय होने से सन्देहालंकार है। यहाँ उपमान के द्वारा पहले वस्तु का कथन किया गया है, तदनन्तर उसमें भेद का कथन है। अर्थात् यह कमल है (कमलमिदम्) के माध्यम से वस्तु का कथन किया गया है। पुनः कमल तो केसर से युक्त (सकेसरम्) होता है, ऐसा भेद किया है। इसी प्रकार द्वितीय क्रम में क्या यह चन्द्रमा है, इस प्रकार वस्तु का कथन किया गया है, पुनः चन्द्रमा में तो मृगलाञ्छन होता है, ऐसा भेद किया गया है। इस प्रकार उपमान में उपमेय का संशय होने के कारण सन्देहालंकार है।

अब यहाँ उन अलंकारों का विवेचन द्रष्टव्य है, जिन्हें अलंकारदप्पणकार ने अन्य पूर्वाचार्यों से भिन्न नवीन अलंकारों को स्वीकार किया है। इन नवीन अलंकारों में द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर और गुणोत्तर अलंकार प्रमुख हैं। उनके अनुसार कवियों के द्वारा जब कविता में द्रव्य, क्रिया अथवा गुणों की प्रधानता होती है तो उन्हें क्रमशः द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर और गुणोत्तर अलंकार कहते हैं।[15] इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं।

द्रव्योत्तर अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये अलंकारदप्पणकार लिखते हैं कि–

वर-कदि-तुरंग--मंदिर-आणाअर-सेवअ-कणय-रअणाइं।
चिंतिअ मेत्ताइं चिअ हवंति देवे पक्षण्णम्मि।।[16]

अर्थात् देवता के प्रसन्न होने पर श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, भवन, आज्ञाकारी नौकर-चाकर, स्वर्ण और रत्न आदि चिन्तन मात्र से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पूर्वार्ध में वर्णित सभी वस्तुएँ द्रव्य-वाचक हैं, अतः द्रव्योत्तर अलंकार है।

इसी प्रकार क्रियोत्तर अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये वे लिखते हैं कि–

मा रूसउ मा किसाअउ मा खिज्जउ मा विहिं उआलहउ।
जा णिक्किअ तुह बहु-वल्लहस्क्ष वरई पडे पडिआ।।[17]

अर्थात् मत रोओ, क्लेश मत करो, खिन्न मत होओ, विधि (ब्रह्मा) को उपालम्भ मत दो क्योंकि अनेक वल्लभाओं वाली एवं दया विहीन (निर्दय) नायिका अब तुम्हारे चरणों में आ पड़ी है। यहाँ ये कथन उस नायक के प्रति है जो नायिका के द्वारा पहले प्रताड़ित किया गया है, किन्तु अब नायिका पुनः नायक के गुणों में अनुरक्त होकर नायक के अनुकूल हो गई है। यहाँ पूर्वार्ध में अनेक क्रिया-पदों की प्रधानता होने से क्रियोत्तर अलंकार है।

इसी प्रकार गुणोत्तर अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अलंकारदप्पणकार लिखते हैं कि–

ससिसोम्म! सरल! सज्जन! सच्च-वअ! सुहअ! सुवरिअ! सलज्ज!
दिट्ठोसि जहिं रूअं ते ताइ (तुह) रुहं णु णरिंद?[18]

अर्थात् हे चन्द्रमा के समान सौम्य, सरल, सज्जन, सत्यवचन, सुभग, सुवरेण्य, सलज्ज राजन्! तुम पहिचान लिये गये हो क्योंकि जहाँ रूप होता है वहाँ उपर्युक्त सौम्य आदि गुण अवश्य होते हैं। यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति। यहाँ पूर्वार्ध में राजा के सौम्य आदि गुणों की प्रधानता होने से गुणोत्तर अलंकार है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राकृत अलंकारशास्त्र के लेखक अलंकारदप्पणकार ने अलंकारों के विवेचन के क्रम में लोकधर्मों का समावेश कर मानसिक तनाव मुक्ति में अपनी सहभागिता का निर्वहन किया है। अतः इन लोकधर्मों की न केवल भूतकाल में उपयोगिता रही है, अपितु वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी रहेगी।

ग्रन्थ सन्दर्भः

1. अलंकारदप्पण, गा.2
2. अलंकारदप्पण, गा. 3
3. अलंकारदप्पण, गा. 10
4. काव्यमीमांसा, अ.2
5. काव्यप्रकाश, सूत्र 87
6. अलंकारदप्पण, गा. 22
7. अलंकारदप्पण, गा. 23 की व्याख्या
8. अलंकारदप्पण, गा. 31
9. अलंकारदप्पण, गा. 32
10. अलंकारदप्पण, गा. 32 की व्याख्या
11. अलंकारदप्पण, गा. 46
12. अलंकारदप्पण, गा. 47
13. अलंकारदप्पण, गा. 74
14. अलंकारदप्पण, गा. 75
15. अलंकारदप्पण, गा. 96
16. अलंकारदप्पण, गा. 97
17. अलंकारदप्पण, गा. 98
18. अलंकारदप्पण, गा. 99

The Yoga tradition as reflected in the Prakrit texts and Commentaries with special reference to meditation based on the *Dhyānaśataka* of *Āvaśyaka Niryukti*

Jagat Ram Bhattacharyya, Shanti Niketan (W.B.)

The ancient Indian literature is basically identified with three major traditions. These are based on Sanskrit, Pali and Prakrit. The literature of these three languages represents the culture, religion and philosophy of three major sects in ancient India, such as, Hinduism, Buddhism and Jainism. But this classification is a gross. It is interesting to note that even the philosophical tenets of both Buddhism and Jainism have been written in Sanskrit in a major way. Although the Pali language represents the Buddhist canon, Prakrit does not always mean for the language of the Jain canons and natuarally it does not bear the ethos and culture of Jainism. A major part of Prakrit represents non-Jain literature, such as, the Inscriptional Prakrit, Dramatic Prakrit and Prakrit literature in general. All these literatures encompass the field of various aspects in which Philosophy is one. Philosophy, itself comprises many other branches like metaphysics, epistemology, and ethics and so on. Ethical doctrines are important in terms of upliftment to the divinity that ultimately leads the human being towards the path of spirituality.

Yoga Philosophy is directly related with the ethics in its fundamental standpoints. Although Yoga is basically a philosophical aspect, its sources can be identified in a dormented form in the canons in both the Veda and of the Jain and Buddhist canonical scriptures. [The study of the Yoga tradition will be dealt only on Prakrit literature based on the Śvetāmbara canons and Digambara Philosophical texts written in Śaurasenī Prakrit and also on the basis of Apabhraṁśa literature.] As Yoga tends to practice for self-awakening and self realization, it is exclussively related with the ethical doctrine of the Jains – both asceticism and domestic life as well. According to the Śvetāmbara canons, the preaching of Lord Mahāvīra inspires the mankind to be free from the fetters of karmic life and attain final liberation. Canons are not only the preaching but the reflection of the experience of life of the Lord.

The philosophical tenets are based on the canonical texts. In the canons while discussing on the spiritual progress and its means, basically two categories of people come under the category, the ascetics and the house-holders. In Jain canonical literatures there are ample examples of the life of the householders, those who adopt the life of *Śramaṇopāsaka*, earlier known as the follower of *agāraviṇaya*, followed four-fold house-hold life (*cāüjjāma gihidhamma tattha ṇaṁ je se agāraviṇae, se ṇaṁ cāüjjāmie gihidhamme* - *Nāyā*. 1,5,59). Even in case of asceticism, before Lord Mahāvīra *aṇagāraviṇaya* was in vugue (*tattha je te ṇaṁ aṇagāraviṇae se ṇaṃ cāüjjāmā, taṁ jahā – savvāo pāṇāivāyāo veramaṇaṁ, savvāo musāvāāo veramaṇaṁ, savvāo adiṇṇādāṇāo veramaṇaṁ, savvāo bahiddhādāṇāo veramaṇaṁ*). This is fact worthnoting that five great vows were observed during the period of the first Tīrthaṅkara Lord Ṛṣabha and at the time of Lord Mahāvīra. In between the two it is said that during the periods of rest 22 Tīrthaṅkara four-fold asceticism (*cāturyāma dharma*) was in practice. In the cluster of five great vows, the last two vows, such as, celibacy and non-possession have been splitted from the fourth vow – *bahiddhādāṇa* of four-fold arduous practices.

Yoga, the word has many meanings. Here we consider this term related to spirituality. In Prakrit the word *joa* or *joga* has its origin in Sanskrit where derivation of the word is necessary. The Sanskrit word yoga is derived from root *yuj* with the suffix *ghañ*. The simple meaning denotes meditation and more precisely the meaning goes to the unification of the soul with the supreme soul. In Indian philosophical tradition yoga has been established with a unique identity. In fact, in its relation with spirituality it has inherent approach towards the ethos of the theist philosophies. Although Jainism and Buddhism along with the Cārvākas are considered to be the atheist schools of Indian Philosophy, but in consideration with the belief of spirituality and the existence of soul Jainism may be marked as the philosophy of the theist belief. Since yoga, the philosophy of the Jainism mainly based on the canonical literature written in Prakrit, a study of the commentary literature of the canons may hold good.

Commentaries play a vital role in getting the essence of the meaning of original texts. Unless and until a subtle observation is made on the stable ground of the commentary, most of the important matters become laid as obscurant. This happens, indeed, in the case of ancient Indian literature. It is a very old tradition in Indian history of literature that original texts mostly, are narrated to make-out different meanings through the commentary literature. It is inhereted from the Vedic tradition that Yāska introduced the same as *nirukta* while analysing the technical terms of the Vedas through the commentary named *nighaṅṭu*. One of

the reasons behind making of commentary literature is that the commentators have ample scope in establishing their own views on that particular matter. Moreover it makes easier to the reader to accumulate profound and deep meaning of the original texts.

The commentary literatures on Jain Canonical texts have an important place in ancient commentary literatures. This can be categorised in five classes, such as, *nijjutti* (*niryukti*), *bhāsa* (*bhāṣya*), *cuṇṇi* (*cūrṇi*), Sanskrit commentaries and commentaries written local languages. There are some *saṅgahanī*s (compilatory verses) also which introduce the canons in short. These are assumed as very old and kālakācārya is said to be the author of these works. *Niryukti* and *bhāṣyas* are written in Prakrit verses. The main characteristic feature of *niryukti* is to analyse the technical terms instead of explaining the texts as a whole.

Niścitā yuktiḥ iti niryuktiḥ. The style of teaching of *niryukti* is based on *nikṣepa*. This style was introduced in the *Anuyogadvāra* and is considered to be archaic. The main in writing *niryukti* is to explain the technical terms found in the canonical texts.

Haribhadra Sūri (8th century CE) has a great contribution in explaining the *Āvaśyaka niryukti*. In the *Dhyānaśataka*, there is a vast explanation on meditation based on the concept of the Canonical texts. The *Dhyānaśataka* is composed in one hundred and five verses. The *Dhyānaśataka*, being part of the *Āvaśyaka niryukti* is based on the Śvetāmbara canon. In the *Sthānāṅgasūtra* and *Samavāyāṅgasūtra*, there are some mentions of names and characteristic features of meditation. Thus the sources of Jain system of meditation can be found there in. The source of *Dhyānaśataka* can be traced in the fourth *sthāna* of *Sthānāṅgasūtra* and *Samavāyāṅgasūtra*.

In the commentary of Haribhadra Sūri, the reference of *Tattvārthasūtra* is found in many cases, the commentary being closely related to the *Tattvārthasūtra*, directly related with Jain Canons.

The very first verse of the *Dhyānaśataka* is benedictory verse. Yogeśvara has been obeisanced in a very beautiful literary manner. Yogeśvara is depicted as the burner of the *karma*-fuel and He performs this by the fire of white meditation. Like other schools of the system of meditation, here in the *Dhyānaśataka* also the primary stages of the psyche which is based on meditation (*bhāvanā*), contemplation and thoughts have been narrates as essential. The stability of meditation is mentioned as intra-hour. The *Tattvārthasūtra* also admits it in the same way. An intra-hour is explained in such a way that *pānu* consists of one inhalation and exhalation, one *thova* is equal to seven *pānu*s, one *lava* consists of seven *thova*s and seventy *lava*s make an hour.

Meditation is of four types and the order is ārta, raudra, dharmya and śukla.

aṭṭa ruddaṃ dhammaṃ sukkaṃ jhāṇāi tattha aṃtāiṃ /
ṇivvāṇa-sāhaṇāiṃ bhavakāraṇam attaruddāiṃ //

It means that there are four types of meditation, such as, mournful (*ārta*), wrathful (*raudra*), analytic (*dharmya*) and white or pure (*śukla*) in which mournful means the meditation causing of misery and pain, the causes behind wrathful meditation are violence and mercilessness, the analytic meditation follows the scripture and the white meditation acts for the rectification of eight types of karma. Out of these four, the first two leads to the path of reincarnation, such as, mournful meditator goes to the birth of sub-human being and the wrathful meditator goes to the birth of hellish being. On the contrary, the analytic meditator goes to heaven and the white meditator achieves the state of salvation. In the commentary of Haribhadra on *Tattvārthasūtra* we can find the citation on the same spirit –

ārtamanojñānānāṃ samprayoge tad viprayogāya smṛtisamanvāhāraḥ /
Vedanāyāśca, viparītaṃ manoñānāṃ, nidānaṃ ca // (Tvs IX. 31-34)

–that means, dwelling on riding oneself of contact with disagreeable objects or getting out of an unhappy situation is mournful meditation; dwelling on riding oneself of unpleasant feeling is also mournful meditation; dwelling on recovering contact with an agreeable object or repeating pleasant feeling is also mournful meditation; Intence anxiety to fulfill unfulfilled desires in future lives is also mournful meditation.

Mournful meditation is again classified into four categories, such as, *amaṇuṇṇa sampaoga sampaütte* (employed with the contact which is not charming), *maṇūṇṇa sampaoga sampaütte* (employed with the contact which is charming) and *parijusita kāmabhoga sampaoga sampaütte* (employed with the contact of desire and enjoyment which are served). The other features of mournful meditation are *kaṃdaṇatā* (lamenting), *soyaṇatā* (feeling sorrow), *tippaṇatā* (weeping with tears) and *paridevaṇatā* (to cry before every one).

In the *Dhyānaśataka*, the features of mournful meditation are depicted in some verses. Firstly, the uncharming state has been mentioned in respect of sound. The commentator here says these for bray, the cry of an ass and at the same time mentions about the employment of the contact of poverty. The second state of mournful meditation is a disease of severe headache. In the same condition there is an intensive urge to be free from the attachment of the employment of the deficiency or poverty. Another nature of mournful meditation as mentioned in the *Dhyānaśataka* is deeply attachment with sensual pleasures. The contemplation

against non-attachment and longing for beneficial as these types of nature of the soul based on aversion and attachment causes for the unlimited cycles of birth and death. For this reason human being goes to the state of sub-human being. The aural colouration of mournful meditator has been depicted in the *Dhyānaśataka*. It is grey, blue and black colourations but not so dark like those of a wrathful meditator. Such a meditator has a nature to cry loudly, of shedding tears, harsh speech, beating and scolding and pulling haor of himself. He odes it for the presence of harm and absense of desires objects. He blames himself fruitless result of his deeds and at the same time gets delighted for success of others as if he can enjoy the same on behalf of them. It is due to remissness he often becomes reluctant to the saying of the Jinas. Haribhadra distinguished the remissness as caused by intoxication. Being aversed from scriptural laws he gets attached to the worldly matters.

In the *Sthānāṅgasūtra* the wrathful meditation is mentioned in four ways, such as, *hiṃsānubandhī* (injurious thought activity), *mosānubandhī* (liar), *teṇānubandhī* (thinking of stealing) and *sārakkhānubandhī* (eager for protecting worldly objects). The same can be found in the *Tattvārthasūtra* as *hiṃsānṛtasteyaviṣaya saṃrakṣaṇebhyo rodramavirata deśaviratayaḥ* // (IX.36). "Dwelling on the perception of violence, falsehood, theft and the preservation of one's possessions is wrathful meditation. People who are in lower spiritual stages in non-abstinence and partial abstinence are subject to it.

In the Niryukti there is very good explanation on wrathful meditation and its meditator. The nature of such person is killing of one-sensed beings, piercing nose of cattles etc., tie, burn and piercing the body of the animals and kill them. He possesses a firm insistence on evil deeds, possesses blazing anger and arogant in behaviour. Such a wrathful meditator acquire the state of infernal being.The other features of the wrathful meditator are hard-hitting voice, falsehood and to cheat others in many ways. He is angry and greedy like a carnivorous animal, savage and killer, plunderer of other's posessions, possessor of worldly beings and a heart full of attachment and aversion. He acts such violence, inspires others to do that and recommends others to who are indulging in same kind of activities. In such a way a wrathful meditator prolongs his worldly exixtence and obtains the state of hellish beings. He has very dark aural colouration of grey, blue and black. He accumulates sin for ever, fearless from misdeeds, hard-hearted and is delighted with sinful activities.

These two types of meditation are negative in nature and dscedning is the mode of the soul. But other two types of meditations are the causes of spiritual

upliftment and the soul achieves the state of heavenly being or emancipation. Based on the Jain canonical texts as well as the *Tattvārthasūtra*, *Dhyānaśataka* mentions in the features of analytic and white meditations.

The analytic meditation is classified in four categories in the Jain canonical treatises, such as, *āṇāvijae* (contemplation on scripture), *avāyavilae* (meditation upon faults arising upon passions), *vivāgavijae* (meditation upon the intensity of the karma) and *saṇṭhāṇavilae* (meditation upon the form of universe, continents, ocean etc.). In the *Niryukti*, analytic meditation and the meditator both are depicted as very pure. The analytic meditator is self-restrained, having pure aural colouration, faith and attains the state of heavenly beings. Analytic meditation is known with the relation of the thought of acknowledge faith, conduct and renunciation. The thought of knowledge consists of the study of the scriptures, pure heart, impartial thought on the mode of the soul and non-soul and firm perceptual cognition.

The thought of faith is depicted as free from doubt etc. Here, doubt etc. means for scepsis, perverse proclavity, doubt, admiration for heretics and cultivation of familiarity with them. The *Tattvārthasūtra* admits thus –

śaṅkā-kaṃkhā-vicikitsā-nyadṛṣṭipraśaṃsā-saṃstavāḥ samyagdṛṣṭeraticārāḥ // (VII.18)

The transgressions of the enlightened world view are : suspicion, misguided inclinations, doubt and praise for the heretical doctrines. So to attain the thought of faith one should be free from these misdeeds. Almost the same nature of explanation can be found in the case of the thought of conduct in the Dhyānaśataka. The resistence of knowledge-obscurant karma occurs through the thought of conduct. This is such type of activity which makes free from any sinful acts.

After this thought of conduct, another important point is the thought of renunciation. Being conversant with this world, he becomes free from worldly attachment, worldly distress and the desire of heaven. On this point, Jain canons elaborately mentions that —

abhigaya jīvājīve uvaladdha puṇṇapāve āsava-saṃvara-nijjarā kiriyā-ahigaraṇa-bandha-mokkha kusale asahejje devāsura-nāga-jakkha-rakkhasa-kinnara-kimpurisa garula-gandhavva mahoragāiehiṃ devagaṇehiṃ ṇigganthāo pāvayaṇāo aṇaikkamaṇijje ṇissaṃkie ṇikkaṃkhie ṇivvitigicche laddhaṭṭhe gahiyaṭṭhe pucchiyaṭṭhe abhigayaṭṭhe aṭṭhimiṃjapemāṇu-rāgaratte ayamāuso! ṇigganthe pāvayaṇe aṭṭhe ayaṃ paramaṭṭhe sese aṇaṭṭhe ūsiyaphalihe avaṃgayaduvāre ciyattanteura paragharadārappavese cāuddasaṭṭham-uddiṭṭha puṇṇamāsiṇīsu

padipuṇṇaṃ posahaṃ sammaṃ aṃpālettā samaṇe ṇigganthe phāsu esaṇijjeṇaṃ asaṇa-pāṇā-khāïma-sāïmeṇaṃ-vattha-padiggaha-kambala-pāyapuṃchaṇeṇaṃ-osaha-bhesajjeṇaṃ pādihārieṇaṃ ya pīḍhaphalaga sejjā saṃthāraeṇaṃ padilābhemāṇe viharaï // (*Uvās*. I.55)

Analytic meditation and white meditation being the meditation of higher spiritual stages, their characteristic features are defined elaborately in the *Dhayānaśataka*. So the analytic meditator is related to them who are free from remissness, the ascetics who have the subsidence cum destruction of deluding karma and other self-restrains of same category. The meditator is ornamented with enlightment. The characteristic features of analytic meditation are liking produced by the order, teaching of omnicient (*āṇārui*), natural faith or inclination (*nisaggarui*), faith in scripture (*suttarui*) and love for religion excited by a study of scriptures (*ogāḍharui*). The four types of support or basis are reading of holy scripture (*vāyaṇā*), doing work by the permission of the Master (*padipucchaṇa*), to discuss or examine the meaning of the sūtra (*pariyaṭṭaṇa*) and contemplation (*aṃuppehā*). Four types of *aṃuppehā* discussed in the canons are contemplation upon the solitariness of the soul (*egāṃuppehā*), contemplation upon the impermanence of the wealth etc.(*aṇiccāṃuppehā*), contemplation upon soul's helplessness in the world (*asaraṇāṃuppehā*) and contemplation that the world is endless, full of troubles etc. (*saṃsārāṃuppehā*).

In connection with the analytic meditation, there are some verses in the *Dhyānaśataka*. The meditator always contemplates on the transitoriness of things in all times and conditions. Haribhadra here adds that with the contemplation of transitoriness of things, the contemplation on utter helplessness also occurs by which the worldly possessions are found transitory and unsubstantial. According to the gradation of purity as far as colouration is concerned, the red aural colouration is better than yellow but white is regarded as the best. Some other features of analytic meditator are faith on them, offer food and clothings to them, he observes abstinence from all sinful activities and maintains restraint from any kind of violence. The result of the analytic meditation also has been marked in this context and maintained that it is lighter and smaller than the result of white meditation.

The last and the highest stage of meditation is stated to be the white meditation. Out of these four types of meditation, like all canonical texts, the Dhyānaśataka places the white meditation on the highest state of meditation.

The white meditation is known for forgiveness, humility and straightforwardness. The means of the meditation are to be free from or subdue

the rise of passions like anger, pride, deceit and greed. The mental state of the meditator becomes completely tranquil. Gradually it comes to the second stage of white meditation. At the moment of emancipation the mental and vocal activities of the Omnicient become ceased and the physical activity becomes halfly confined. In the third variety of white meditation, subtle infalliable activity, which is undertaken by the Omniscient a few moments before final liberation, all the activities, gross and subtle, of the mind and speech organs and also gross activities of the body are absolutely stopped. Only the subtle activities of the body, such as, respiration and the like, persists. There is, moreover, no fall, because one does not return to the previous state when the meditation is over, but rises up to the final stage of white meditation. In the fourth and final variety, irreversible stillness, even the residual subtle activities of the body are stopped and the self becomes as still as a rock. All activities become stationary and the soul attains its nature. The other feture of the meditator is *avādhāsammoha-viveka-vyutsargāḥ*, that is, the enlightened one becomes completely unshaked from any obstructions. He does not attain even subtle state of delusion. The perception of difference between the soul and body becomes experienced. There is no reversion from the last state of white meditation because it is followed by disembodied liberation.

Through the study of the *Dhyānaśataka*, a detailed description regarding the Jain system of meditation can be known. The *Dhyānaśataka* has become very controversial on having its position in the *Niryukti*s. In the *Āvaśyaka niryukti* it has very important place where Haribhadra made a detailed commentary on it. Keeping in view of its being part of the *Āvaśyaka niryukti*, *Dhyānaśataka* is believed, somewhere to be written by Jinabhadragaṇi Kṣamāśramaṇa (5th / 6th century CE) as in the last verse of the *Dhyānaśataka* consisting of 106 verses, the name of the author and the number of the verse have been mentioned. But keeping aside this view of its being authorised by Jinabhadragaṇi, an humble effort haa been made for a general survey of the *Dhyānaśataka* as it is also considered to be a part of the *Āvaśyaka niryukti*. So it can be assumed that the *Dhyānaśataka* is incorporated in the *Āvaśyaka niryukti* as a later addition. Jainism has a very rich tradition in meditation and many scriptures have been made to narrate the theory and practice of the Jain system of meditation. The *Dhyānaśataka*, though, a meagre in volume but its substantiality can be realised on the basis of the subject matter consisting in it.

Books consulted

1. *Adhyātma kamala mārtaṇḍa* of Kavirāja Malla, edited by Pandit Darbari Lal Kothiya, Veer Seva Mandir, 1944.
2. *Adhyātma vicāraṇā*, Pandit Sukhlal Sanghvi, Gujarat Vidya sabha, Ahmedabad, 1958.
3. *Adhyātmaśāstra*. (Yaśovijaya) Kesarbai Jñāna Bhāṇḍār Sthāpak, Jamnagar, VS 1994.
4. *Ācārāṇgabhāṣya* by Ācārya Mahāprajña, Jain Vishva Bharati.
5. *Āvaśyaka Niryukti* (Commentary of Haribhadra) 1. D L Jain Pustokoddhāra Fund, Surat, 2. Āgamodaya Samiti, Mehsana.
6. *Uvāsagadasāo*, Jain Vishva Bharati Publication
7. *Kārtikeyānuprekṣā* (Svāmikumāra), Rajchandra Granthamālā, Agas, 1960.
8. Jaina Yoga (Muni Nathmal), Adarsha Sahitya sangha, Churu, 1978.
9. *Tattvārthavārtika* (Akalaṇka). Part I and II, edited by Pandit Mahendra Kumar Nyayacharya, Bharatiya Jñān peeth, Kashi, 1953, 1957.
10. *Tattvārthasūtra* (with Sukhabodha commentary of Bhaskaranandi), Oriental Library Publication, Mysore, 1944.
11. *Dhyānaśataka* and *Dhyānastava*, Edited by Balchandra Siddhantasastri, Veer Sewa Mandir, Delhi, 1976.
12. *Dhyānastava* (Bhaskaranandi), edited by Suzuko Ohira, Bharatiya Jnan Peeth, delhi, 1973.
13. *Bṛhad-dravyasaṇgraha*, translated by Jawaharilal Shastri, Param Shrut Prabhavak Mandal, Shrimad rajchandra Ashram, Agas, VS 2022.
14. *Yogasāra* (Yogindu Dev), Param Shrut Prabhabak Mandal, Bombay, 1937.
15. *Samavāyāṅga*, Edited by Muni Kanhaiyalal, Agam Anuyoga Prakashan, Delhi, 1966.
16. *Sthānāṅgasūtra* (with the commentary of Abhayadeva Suri), Publisher Seth Manakalal and Seth Kantilal, Ahmedabad, 1937.

आधुनिक युग में प्राकृत भाषा के विकास की संभावनाएं

प्रो अनेकांत कुमार जैन, नई दिल्ली

प्राकृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है जिसने भारत की अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्धि प्रदान की है। भगवान् महावीर की दिव्यध्वनि में जो ज्ञान प्रकट हुआ वह मूल रूप से प्राकृत भाषा में संकलित हैं जिन्हें प्राकृत जैन आगम कहते हैं सिर्फ जैन आगम ही नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में रचा गया क्योंकि यह प्राचीन भारत की जन भाषा थी।

आश्चर्य होता है कि भारत वर्ष की प्राचीन मूल मातृभाषा होने के बाद भी आज इस भाषा का परिचय भी भारत के लोगों को नहीं है। प्राकृत परिवर्तन प्रिय भाषा थी अतः वह ही काल प्रवाह में बहती हुई अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आई तथा कालांतर में वही परिवर्तित रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में हिंदी के विविध रूपों में हमें प्राप्त होती है। प्राकृत भाषा ने लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया है।

आज भाषा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। संस्कृत, हिंदी आदि भारतीय भाषाओं के रक्षण की भी बात बहुत होती है और कार्य भी बहुत हो रहे हैं किन्तु प्राकृत भाषा की संपदा को बचाने और समृद्ध करने की दिशा में अभी वैसे कार्य न तो सामाजिक स्तर पर हो रहे हैं और न ही राजकीय स्तर पर।

आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई भाषाओं में अपने पूरे प्रभाव पर है। यह भाषा प्रौद्योगिकी का परिणाम है। अभी पिछले कुछ वर्षों तक हम सभी हिंदी या अन्य भाषाओं में टाइपिंग को लेकर चिंतित रहते थे और टाइपिस्ट खोजते थे, टाइप होने के बाद भी वह फॉन्ट सभी जगह कंप्यूटर पर नहीं खुलता था तथा उस फॉण्ट में हम मैसेज, ईमेल आदि नहीं लिख सकते थे। हमें रोमन में ही हिंदी लिखनी होती थी या फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर के मेल करना होता था किन्तु यूनिकोड ने इन पूरी समस्याओं को हल कर दिया और आज हम अनेक भाषाओं में सन्देश टाइप भी कर लेते हैं और अनुवाद भी।

यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह प्राकृत भाषा के अभ्युदय के लिए बहुत अनुकूल है।

हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। प्राकृत भाषा पर कुछ सॉफ्टवेयर तैयार करने की आवश्यकता है। माइक्रोसॉफ्ट भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहा है उन्हें इस विषयक सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

आधुनिक युग में प्राकृत भाषा के विकास की और क्या संभावनाएँ हैं? उनका यहाँ बिन्दुवार चिंतन अपेक्षित है।

प्राकृत भाषा में मशीनी अनुवाद कार्य

कम्प्यूटर-अनुवाद में अनेक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन धीरे-धीरे इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा रही है। हिन्दी अनुवाद के प्रयास किए गए हैं। डॉ. ओम विकास के सतत प्रयत्नों का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। उन्होंने राजभाषा विभाग के सहयोग से 'अनुवाद प्रारूप' तैयार करने के लिए कम्प्यूटर से वैज्ञानिक अनुवाद कार्य की योजना तैयार की है। अंग्रेजी से हिन्दी में कम्प्यूटर अनुवाद की दिशा में बंगलौर, पिलानी और दिल्ली के संस्थान सक्रिय हैं। एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में समान शब्दावली है और व्याकरणिक समानता भी मिलती है।

इस दृष्टि भारत में यहाँ की भाषाओं के सन्दर्भ में 'कम्प्यूटर से अनुवाद' का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अनुवाद के कार्य के लिए दो महत्त्वपूर्ण चीजें काम में आती हैं :

(1) कोश (डिक्शनरी)

(2) भाषिक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

प्राकृत भाषा में कम्प्यूटर अनुवाद तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि द्विभाषी कोश तैयार न हो। प्रारम्भ में भाषात्मक विश्लेषण और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग को साथ-साथ रखा गया। बाद में अनुभव किया गया कि दोनों को अलग-अलग करना उचित होगा, क्योंकि भाषिक विश्लेषण में किसी कारण से हेर-फेर करना पड़े तो सारा प्रोग्राम बदलना पड़ेगा जो पर्याप्त श्रमसाध्य होगा।

प्राकृत साफ्टवेयर का निर्माण

आज आवश्यकता है कि प्राकृत भाषा के व्याकरण, शब्दकोश का एक अत्याधुनिक साफ्टवेयर तैयार हो जो लाखों की संख्या में उपलब्ध प्राकृत भाषा की पाण्डुलिपियों को पढ़कर हिन्दी तथा अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर सके। प्राकृत भाषा में रचित आगम ग्रन्थों में ज्ञान-विज्ञान का अथाह भण्डार पड़ा है जो पर्याप्त प्रकाशन और परियोजनाओं के अभाव में सामने नहीं आ पा रहा है।

एक ही विषय की विभिन्न पाण्डुलिपियाँ विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। उनके एक एक शब्द के विभिन्न पाठान्तर प्राप्त होते हैं। पर्याप्त प्रशिक्षित अध्येताओं के अभाव में उन हजारों पाण्डुलिपियों का समुचित सम्पादन नहीं हो पा रहा है। यदि कम्प्यूटर की इस अति विकसित टैक्नोलोजी के माध्यम से ऐसे साफ्टवेयरों का निर्माण हो जो पाठ भी पढ़ सकें, साथ ही उस पाठ का अन्य भाषाओं में रूपान्तरण और अनुवाद कर सकें तो भारत के प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को दुनिया के समक्ष लाने के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति हो सकती है। इसके लिए हो सकता है एक से अधिक सॉफ्टवेयर बनाने पड़ें किन्तु शुरुआत तो करनी ही चाहिए। भारत सरकार को इस कार्य हेतु पूर्ण सहायता भी करनी चाहिए। प्राकृत कोश से प्राकृत भाषा का एक ऑनलाइन एनरोइड एप्प कोश के रूप में बनाना बहुत आवश्यक है, यहाँ किसी भी भाषा का कोई भी शब्द डालने पर उसका प्राकृत रूप क्या बनता है वह तुरंत बन कर पता लग सके साथ में किसी भी प्राकृत शब्द का संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में क्या अर्थ होगा? उसका भी ज्ञान तुरंत हो सकता है। पाइयसद्दमहण्णव आदि कोशों के एप्प बनाये जा सकते हैं।

प्राकृत की एक प्रामाणिक वेबसाइट

प्राकृत भाषा की हर तरह की जानकारी के लिए, सभी तरह सूचना के लिए, साहित्य की पीडीऍफ़, प्राकृत शिक्षण, गोष्ठी आदि अनेक तरह की सुविधाओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाने के लिए प्राकृत की एक प्रामाणिक वेबसाइट का निर्माण भी अवश्य होना चाहिए जहाँ पूरी दुनिया के लोग जो भी इस भाषा को सीखना चाहें या इस पर कार्य करना चाहें उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

प्राकृत यूनिकोड ट्रांसलिटरेशन

अब कंप्यूटर अनुवाद की दिशा में सफलता प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में गूगल ने ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन के साफ्टवेयर तैयार किये हैं। जहाँ अंग्रेजी में किसी भी अन्य भाषा में मशीनी अनुवाद हो जाता है, यद्यपि अभी यह बहुत ज्यादा कारगर नहीं है फिर भी भाषाओं को समझने की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार प्राकृतभाषा में मशीनी अनुवाद संभव हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से अन्य भाषाओं में प्राकृत भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा इस बात की ज्यादा आवश्यकता है कि प्राकृत के ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाय ताकि प्राकृत भाषा के साहित्य का ज्ञान विज्ञान सभी लोगों तक पहुँच सके।

प्राकृत चैनल

वर्तमान में यूट्यूब चैनल बहुत लोक प्रिय हो रहे हैं, उसमें सीमित संसाधनों के माध्यम से हम प्राकृत शिक्षण की कक्षाएँ चला सकते हैं। गाज़ियाबाद के एक C.A. गौरव जैन ने यह प्रयास किया भी है। प्राकृत भाषी के शिक्षण के लिए बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस तरह के विडियो बनाने की आवश्यकता है। प्राकृत की संस्थाओं को इस तरह के ई-शिक्षण की परियोजना पर कार्य करना चाहिए।

प्राकृत कैंप

प्राकृत भाषा से परिचित करवाने के लिए समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अंशकालिक प्राकृत कैंप का सञ्चालन बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्राकृत मंगलाचरण

हम अपनी संगोष्ठी या आम सभाओं में प्रत्येक कार्यक्रम के पहले एक मंगलाचरण प्राकृत गाथाओं का अवश्य करें अथवा करवाएँ तथा उससे पूर्व सभा में यह घोषणा करें कि अब प्राकृत भाषा में मंगलाचरण होगा, हो सके तो उसका अर्थ भी बताएँ सामायिक तथा प्रतिक्रमण पाठ मूल प्राकृत में ही कराएँ, भले ही बाद में हिंदी में अर्थ समझा दें।

प्राकृत सूक्ति/सुभाषित

प्राकृत भाषा में सूक्तियों और सुभाषितों का भण्डार है, जो जीवन को नई दिशा देने का कार्य करती हैं। ये सूक्तियाँ समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में अर्थ सहित नियमित प्रकाशित हो सकती हैं। हम अपनी संस्थाओं का ध्येय वाक्य, लोगो वाक्य आदि प्राकृत भाषा में लिखकर उसे स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, यहाँ आगम की सूक्तियां बहुत उपयोगी रहेंगी।

प्राकृत पोस्टर

प्राकृत भाषा की प्रेरक शुद्ध गाथा/सूक्ति आदि अर्थ सहित फ्लेक्स आदि पर छपवा कर मंदिर, स्थानक, पंडाल तथा संस्थाओं के प्रमुख स्थानों पर लगवाना चाहिए। प्राकृत आगमों और उसमें निहित ज्ञान विज्ञान को पोस्टरों पर प्रकाशित करके सार्वजानिक स्थानों पर उसकी प्रदर्शनी लगाकर सामान्य जन तक इस भाषा के महत्त्व को पहुँचाया जा सकता है।

प्राकृत साइन बोर्ड

हम अपने भवनों, कक्षों तथा प्रतिष्ठानों के नाम प्राकृत में रख सकते हैं। अभी कई लोगों ने ऐसे प्रयोग किये हैं जो काफी लोकप्रिय रहे।

शिक्षा में प्राकृत

भारत की प्रारंभिक शिक्षा में कम से कम विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा का परिचय अवश्य देना चाहिए हिंदी या संस्कृत की किताबों में यदि एक अध्याय भी इस भाषा के परिचय के रूप में रहेगा तो नयी पीढ़ी कम से कम इस भाषा से अनजान नहीं रहेगी। उच्च शिक्षा में संस्कृत साहित्य, हिंदी तथा इतिहास पुरातत्व के विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा का एक प्रश्नपत्र अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। इसके अलावा पत्राचार पाठ्यक्रम से प्राकृत का शिक्षण भी प्रभावी है, जयपुर का जैन विद्या संस्थान तथा उसके निदेशक प्रो कमलचंद सौगाणी जी इस दिशा में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके इन प्रयासों से आज देश में प्राकृत जानने वालों की संख्या बढ़ गयी है।

व्यवहार में प्राकृत प्रयोग

सामाजिक निमंत्रण पत्रिकाओं में एक प्राकृत गाथा अर्थ सहित अवश्य प्रकाशित करवाएँ बातचीत और भाषण, प्रवचन में प्राकृत के कई तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग अवश्य करें जैसे नमोस्तु के स्थान पर णमोत्थु आदि का प्रयोग प्रारंभ करें।

प्राकृत पाठशाला

वर्तमान में अनेक जैन मंदिरों, स्थानकों में प्राकृत आगमों को पढ़ाया जा रहा है किन्तु वे उसे कोई अन्य नाम देते हैं तथा प्राकृत भाषा की दृष्टि से नहीं पढ़ाते हैं। अतः उन पाठशालाओं को प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्यापन हेतु प्रेरित करना चाहिए तथा उनका नामकरण भी प्राकृत पाठशाला करना चाहिए इस दिशा में मुनि प्रणम्यसागर जी ने बच्चों को प्राकृत सिखाने के उद्देश्य से कई पुस्तकें सरल तरीके से लिखी हैं तथा उनकी प्रेरणा से कई स्थानों पर प्राकृत पाठशालाएँ प्रारंभ भी हो गयी हैं।

इस प्रकार और भी अनेक उपाय प्राकृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किये जा सकते हैं।

प्राकृतभाषा एवं साहित्य के व्यावहारिक-पक्ष

प्रो. सुदीप कुमार जैन, नई दिल्ली

पाइयकव्वस्स णमो, पाइयकव्वं च णिम्मियं जेण।
ताहं चिय पणमामो, पढिऊण य जे वियाणंति॥

विश्व की समस्त भाषाओं में व्यावहारिक-सम्प्रेषणीयता ही सबसे प्रमुख और प्रभावी-गुण माना जाता है और यदि इसे ही भाषा और साहित्य की गुणवत्ता का निकष माना जाये, तो प्राकृतभाषा और इसका साहित्य संभवतः सर्वोत्तम-अंकों से गौरवान्वित होगा।

लोकप्रभाव को यदि हम साहित्य का मानक-गुण मान लें, (जो कि वास्तव में है भी), तो प्राकृतभाषा का साहित्य निर्विवादरूप से मनीषियों से जनसामान्य तक अपनी महत्ता को प्रमाणित करवा ही लेगा। भले ही कुछ साहित्यकार प्रगल्भ-पांडित्य के प्रदर्शन से क्लिष्ट-कृतियों की रचना करके अपना लोहा मनवा लें, किन्तु साहित्य की सफलता व सार्थकता तो लोकजीवन में बहुजन-हिताय का रूप लेकर ज्ञानवर्द्धन के साथ लोकरंजन में ही चरितार्थ होती है। साहित्यिक दृष्टि से भी प्राकृतभाषा का साहित्य अपनी लोकप्रभावकता के कारण व्यावहारिक-धरातल पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसके कतिपय प्रमाण निम्नानुसार हैं :--

1. लक्षण-शास्त्रीय ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में प्राकृत-साहित्य की व्यावहारिकता :-

संस्कृत के साहित्यशास्त्रीय-ग्रन्थों में जहाँ विभिन्न-लक्षणों का निरूपण संस्कृतभाषा के माध्यम से ही किया है, वहीं उनको समझाने व पहचान कराने की दृष्टि से जो दृष्टान्त दिये गये हैं, वे अधिकांशतः प्राकृतभाषा के साहित्य से दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतभाषा के साहित्य की लोकप्रभावकता को लक्षण शास्त्री स्पष्ट रूप से न केवल स्वीकार करते थे, बल्कि उन्होंने ऐसे प्रयोगों के द्वारा इसे प्रमाणित भी किया है। 'साहित्यदर्पण' आदि सभी लक्षणग्रंथ इस तथ्य की मुखर-पुष्टि करते हैं।

2. रूपकशास्त्रीय-कथनों में प्राकृतभाषा व साहित्य की व्यावहारिकता:-

इसी प्रकार रूपकशास्त्रीय-लक्षणग्रंथों में तो समाज के अधिकांश-वर्ग के 'वाग्व्यवहार

की भाषा' के रूप में प्राकृतभाषा के विविधरूपों की पुष्टि की है और नाना-अवस्थाओं वाली प्राकृतभाषा को सीखने व समझने की प्रेरणा स्वयं आचार्य भरतमुनि 'नाट्यशास्त्र' ग्रंथ में देते हैं...

''विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्यं, नानावस्थान्तरात्मकम्।'' (नाट्यशास्त्रम्, 18/2)

उन्हीं आचार्य भरतमुनि ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिये जिन-जिन प्राकृतों के प्रयोग का विधान 'नाट्यशास्त्र' में किया है, उसके कतिपय निदर्शन द्रष्टव्य हैं...

एतेषामपि सर्वेषां नायकानां प्रयोगजम्।

कारणव्यपदेशेन प्राकृतं संप्रयोजयेत्॥ -(नाट्यशास्त्रम्, 17/30)

(इन सभी नायकों को व्यावहारिक रूप में कारणवशात् प्राकृतभाषा का प्रयोग करना चाहिए।)

ऐश्वर्येण प्रमत्तानां, दारिद्र्येण प्लुतात्मनाम्।

अनधीतोत्तमानाञ्च संस्कृतं न प्रयोजयेत्॥ -(नाट्यशास्त्रम्,17/31)

(जो वैभव से रहित हो गये हों, दरिद्रता से जिनका मनोबल टूट गया हो. जो उत्तमकुलोत्पन्न होकर भी पढ़े-लिखे न हों; इन सबको संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।)

व्याज-लिङ्ग-प्रविष्टानां, श्रमणानां तपस्विनाम्।

भिक्षु-चक्रचराणाञ्च, प्राकृतं संप्रयोजयेत्॥ -(नाट्यशास्त्रम्,17/32)

[जो किसी बहाने या प्रयोजन से वेश धारण किये हुए हैं, जो श्रमण हैं, जो तपस्वी हैं, जो भिक्षु या चक्रचर हैं - इन सभी को प्राकृतभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।)

भागवत-तापसोन्मत्त-बाल-नीचग्रहोपसृष्टेषु।

स्त्री-नीचजातिषु तथा नपुंसके प्राकृतं योज्यम्॥''-(नाट्यशास्त्रम्, 17/33)

(जो भागवत हो, तापस हो, उन्मत्त हो, बच्चा हो, नीचग्रहों की बाधा से युक्त हो, स्त्री हो, नीचजाति-उत्पन्न हो अथवा नपुंसक हो - इन सभी को प्राकृतभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।)

सर्वास्वेह शुद्धासु जातिषु द्विजसत्तमाः।

शौरसेनीं समाश्रित्य भाषा काव्येषु योजयेत्॥ -(नाट्यशास्त्रम्, 17/41)

(सभी श्रेष्ठ/शुद्ध जाति में उत्पन्न द्विजों के समकक्ष लोगों को शौरसेनी-प्राकृतभाषा का आश्रय लेकर उसी का काव्य में प्रयोग करना चाहिए।)

सुरंग-खनकादीनां शुण्डकाराश्वरक्षिणाम्।

व्यसने नायकानां स्यादात्मरक्षासु मागधी। -(नाट्यशास्त्रम्,17/56)

(सुरंग खोदने वालों को, महावतों को, घोड़े के साईसों को, व्यसनग्रस्त-नायकों को अपनी जान बचाने की स्थिति में मागधी-प्राकृतभाषा का प्रयोग करना चाहिए।)

शबराणां शकादीनां तत्स्वभावश्च यो गणः।

शकारभाषा योक्तव्या चाण्डाली पुक्कसादिषु॥ -(नाट्यशास्त्रम्, 17/53)

(शहर, शक आदि जाति के लोगों को तथा ऐसे ही अन्य लोगों को, शाकारी-प्राकृतभाषा का प्रयोग करना चाहिए।)

अंगारकरव्याधानां, काष्ठयन्त्रोपजीविनाम्।

योज्या शबरभाषा तु..... ।। -(नाट्यशास्त्रम्, 17/54)

(लुहारों को, बढ़ईयों को, शाबरी-प्राकृतभाषा का प्रयोग करना चाहिए।)

प्राच्या विदूषकादीनां, धूर्तानामप्यवन्तिजा।

नायिकानां सखीनाञ्च, शूरसेन्यिरोधिनी। -(नाट्यशास्त्रम्,17/46)

(विदूषक आदि श्रेणी के पात्रों को प्राच्या-प्राकृतभाषा का, धूर्तों के लिये आवन्ती-प्राकृतभाषा का, नायिका और उसकी सखियों को निर्विरोध रूप से शौरसेनी-प्राकृतभाषा का प्रयोग करना चाहिए।)

शकाराभीर-चाण्डाल-शबर-द्रमिलान्ध्रजाः।

हीनां वनचेराणां च, विभाषा नाट्ये स्मृताः॥ -(नाट्यशास्त्रम्,17144)

(शकार को, आभीरों को, चांडालों को, शबरों को, द्रमिलों को, आंध्रवासियों को, हीनवृत्तिवालों को, वनेचरों को नाट्यकर्म में विभाषा का प्रयोग करने का विधान है।)

प्रयुज्यते नाटकादौ, द्यूतादिव्यवहारिभिः।

वणिग्भिर्हीनदेहैश्च, तदाहुष्टक्कभाषितम्॥ -(प्राकृतसर्वस्व, 16/1)

(नाटक आदि में जुआ आदि खेलनेवालों के द्वारा, बनियों के द्वारा, हीनशरीरी लोगों के द्वारा ढक्की-प्राकृतभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।)

3. कथा-साहित्य की दृष्टि से प्राकृतभाषा व साहित्य की व्यावहारिकता:-

लोकजीवन को व्यावहारिक धरातल पर सबसे अधिक प्रभावित करने वाली साहित्यिक विधा 'कथा' है। संस्कृत साहित्य में जहाँ पौराणिक व अति मानवीय-चरित्रों की ही कथायें मूलत: मिलतीं थीं, तो वहीं प्राकृतभाषा के साहित्य में लोकजीवन के चरित्रों की कथायें प्रमुखता से लिखीं गयीं। इससे जनमानस ने सहजता और आत्मीयता का अनुभव किया तथा व्यापकरूप से अपनाया पौराणिक कथाओं को जहाँ मात्र श्रद्धा और पुण्य की लालसा में पढ़ा-सुना जाता था, वहीं प्राकृतभाषा की इन लोकचरित्रों वाली कथाओं को जनमानस ने अपने बीच की कथा के रूप में अनुभव किया और व्यापक सम्मान व अपनापन दिया। महाकवि गुणाढ्य की 'वड्ढकहा' का तो इतना व्यापक प्रभाव संस्कृत के कथा-साहित्य पर पड़ा कि 'कथासरित्सागर' एवं 'वृहत्कथाकोश' जैसे ग्रंथ पूरी तरह से इसी प्राकृतभाषा के कथाग्रंथ पर आधारित रहे। प्राकृतभाषा की सुगंधदशमीकथा से तो सुदूर यूरोप तक का कथा-साहित्य प्रभावित हुआ है। प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक- मनीषियों ने भी प्राकृतभाषा के कथा-साहित्य की इस लोकप्रभावकता को मुखरित-स्वरों में स्वीकार किया है। यह व्यावहारिक रूप से प्राकृतभाषा के कथा-साहित्य की सबसे बड़ी उपादेयता है।

4. वैयाकरणों एवं भाषाशास्त्रियों की दृष्टि से प्राकृतभाषा एवं साहित्य की व्यावहारिकता:-

विभिन्न संस्कृतभाषाविदों व वैयाकरणों ने भी प्राकृतभाषा की लोकोपयोगिता स्वीकार करते हुये उसका मुखर-शब्दों में यशोगान किया है :-

अहो तत् प्राकृतं हारि,
प्रिया-वक्त्रेन्दुसुन्दरम्।
सूक्तयो यत्र राजन्ते,
सुधानिष्यन्दनिर्भरा:॥ -(आ. वररुचि, प्राकृत-मञ्जरी)

(अहो मुझे यह प्राकृतभाषा प्रिया के मुखचंद्र के समान सुन्दर प्रतीत होती है, जिसमें अमृत के झरने के समान सूक्तियाँ सुशोभित होती हैं।)

अनल्पार्थसुखोच्चारशब्द: साहित्यजीवितम्।
स च प्राकृतमेवेति मतं सूत्रानुवर्तिनाम्॥ -(त्रिविक्रमदेव, प्राकृतवृत्ति)

(प्रचुर-अर्थ/व्यापक-अभिप्राय वाली, सुखद-उच्चारण वाले शब्दों वाली, साहित्य में

जीवित रहने वाली यदि कोई भाषा है, तो वह प्राकृतभाषा ही है -ऐसा सूत्रानुवर्तियों का मत है।)

णवमत्थदंसणं संणिवेससिसिराओ बंधरिद्धीओ।

अविरलमिणमो आभुवणबंधमिह णवरि पाअअम्मि।

-(वाक्पतिराज, गउडवहो)

(नित-नूतन-अर्थ का दर्शन, सन्निवेश की शीतलता, प्रबंध की बहुलता -ये सभी इस लोक में अविरलरूप से एकमात्र प्राकृतभाषा में ही मिलते हैं।)

गूढत्थदेसिरहिअं, सुललिअवण्णेहिं विरइअं रम्मं।

पाइअकव्वं लोए, कस्स ण हिअअं सुहावे। -(महेश्वर सूरि, णाणपंचमीकहा)

(जो गूढ-अर्थ/कठिन-अर्थ तथा संकीर्ण-प्रयोगों से रहित हो, सुललित-वर्गों से विरचित हो, रमणीय हो-- ऐसा प्राकृत काव्य लोक में किसके मन को सुखयुक्त नहीं करता है?)

संभवत: इसी कारण से प्राकृतभाषा के साहित्य में एक व्यावहारिक सत्य इन शब्दों में उद्घोषित हुआ है-

सयलाओ इयं वाआ, विसंति एत्तो य णेति वायाओ।

एंति समुद्दे चिय, णेति सायराओच्चिय जलाई॥ -(वाक्पतिराज, गउडवहो)

पृथिवीतल की समस्त भाषायें इसी प्राकृतभाषा से नि:सृत होती हैं और सभी भाषायें इसी प्राकृतभाषा में समाहित हो जातीं हैं। जैसे कि बादलों के रूप में जलकण समुद्र से ही निकलते हैं और अंतत: बारिश के जल के रूप में बहकर समुद्र में ही मिलते हैं।

5. प्राकृत-व्याकरण-वाङ्मय के निर्देश और परवर्ती भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के अनुबद्ध-प्रयोगों में प्राकृतभाषा की व्यावहारिकता :--

(क) यष्ट्यां ल:।

यष्टि:>लट्ठी>लाठी

(ख) वृश्चिक: बिच्छुओ।

वृश्चिक > बिच्छुओ/ बिच्छू

(ग) लोपोऽरण्ये।

> अरण्य>रण्ण>रणा(कच्छ का रण)।

(घ) एच शय्यादिषु।

शय्या>सेज्जा>सेज।

(ङ) ओ बदरे देन।

बदर>बोर।

(च) लवण-नवमल्लिकयोर्वेन।

लवण>लोणा

(छ) उलूखले ल्वा वा।

उलूखले>ओखल>ओखली।

(ज) वृक्षे वेन रुर्वा।

वृक्ष>रुक्ख>रूख>रूखड़ा।

(ये सभी सूत्र आचार्य वररुचि कृत 'प्राकृतप्रकाश' से उद्धृत हैं।)

उपर्युक्त सभी दृष्टान्तों में जो प्राकृतभाषा के रूप हैं, आज के लोकजीवन में भी वे ही प्रचलित हैं। यह प्राकृतभाषा की व्यावहारिकता की पुष्टि करनेवाला महत्त्वपूर्ण-प्रमाण है।

6. कुछ रोचक व्यावहारिक-प्रसंग :-

प्राकृतभाषा के रूपों में प्रसंगवश दन्त्य सकार को हकार आदेश देखने को मिलता है। आज भी पश्चिमोत्तर भारत की मेवाड़, गुजराती, पंजाबी आदि बोलियों में 'स' को 'ह' बोलते हैं। इसका मजेदार रूप देखिये-

आशीर्वादोऽपि नो ग्राह्यः, मरुस्थलनिवासिनाम्॥

शतायुरित्युक्तेऽपि हतायुरित्युच्यते।

(अर्थात् मरुस्थल के निवासियों से तो आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वे 'स' का भी 'ह' उच्चारण करते हैं। इसलिये यदि वे आशीर्वाद स्वरूप 'शतायुः भव' यह भी बोलना चाहेंगे, तो भी उनका उच्चारण 'हतायुः भव' ही निकलेगा। परिणामस्वरूप जो आशीर्वाद है, वह भी श्राप बन जायेगा।

7. प्राकृतभाषा के भेद-प्रभेद व्यावहारिकता के समर्थकः-

प्राकृतभाषा का सर्वाधिक व्यावहारिक पक्ष यह है कि वह लोक के प्रयोगों को प्रमुखता से वरीयता देती है। यही कारण है कि इसके क्षेत्रीय-संस्करण भी हुये, जैसे कि शौरसेनी-

प्राकृत, पैशाची-प्राकृत, मागधी-प्राकृत आदि; तो कालिक संस्करण भी हुये, जैसे कि महाराष्ट्री प्राकृत, विविध अपभ्रंश आदि। ये सभी परिवर्तन व्यावहारिक-दृष्टि के कारण ही प्राकृतभाषा के अंग बन सके हैं।

विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि हमारे लोकजीवन की एक प्रचलित कहावत है कि 'कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर वानी' अर्थात् थोड़ी दूर पर क्षेत्रगत कारणों और उच्चारण की विविधता से हमारी वाणी अर्थात् भाषा का रूप कुछ न कुछ बदल ही जाता है। तब इतने विशाल देश में क्षेत्रगत-उच्चारण-वैविध्य के कारण भाषिक-परिवर्तन आने स्वाभाविक ही हैं। प्राकृतभाषा ने इस व्यावहारिक सत्य को स्वीकार किया और इसे भाषिक एवं व्याकरणिक रूप से मान्यता देते हुये प्राकृतभाषा के क्षेत्रगत-संस्करणों को वैधानिकता प्रदान की। यह इसके व्यावहारिक पक्ष का महनीय बिंदु है।

इसीप्रकार वैयक्तिक चरित्र (कैरेक्टर) भी उच्चारण की विशेषतायें रखते ही हैं। जैसे कि बच्चों का तोतला उच्चारण, पियक्कड़ों की विशिष्ट उच्चारण शैली के प्रयोग हम एक ही क्षेत्र में स्पष्ट देखते हैं। इससे भरतमुनि ने जो पात्रगत प्राकृत वैविध्य का कथन किया है, वह भी व्यावहारिक धरातल पर पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध होता है।

8. निष्कर्ष :-

यदि हमें भारतीय भाषाओं और बोलियों के वर्तमान वैविध्य में भाषिक एकात्मता को पहिचानना है, तो हमें प्राकृतभाषा और साहित्य को ही नहीं, बल्कि प्राकृत की प्रकृति को भी पहिचानना होगा, तभी हम इसकी व्यावहारिकता का समीचीन मूल्यांकन कर सकेंगे।

इस प्रकार अनेकों ऐसे पक्ष हैं, जिनसे चिरकाल से निरन्तर भारतीय लोकजीवन एवं साहित्य में प्राकृतभाषा की और इसके साहित्य की व्यावहारिक दृष्टि से महत्ता प्रमाणित रही है और इसके लोकोपयोगी-मूल्यों के कारण हमेशा बनी रहेगी।

गउडवहो महाकाव्य की लोकधर्मिता की प्रासंगिकता

प्रो. डॉ. दीनानाथ शर्मा, अहमदाबाद (गुज.)

नाट्यशास्त्र में प्राकृत के प्रयोग यूँ ही नहीं हैं। इनका नाटक में प्रयोग उससे बहुत पहले का रहा होगा। प्राकृत की स्थापना के लिए विद्वानों और आचार्यों को उद्धृत करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुमान प्रमाण से उसकी विद्यमानता सिद्ध है। शिक्षा की तत्कालीन स्थिति के अनुसार नियम बनाये गये हैं।

अलंकारशास्त्र के आचार्यों ने काव्य प्रयोजन अनेक प्रकार से बताये हैं। इनमें आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में जो प्रयोजन बताये हैं, वह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसलिये उसका उल्लेख करना उचित लगता है–

काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ 1.4

अर्थात् काव्य यश के लिये होता है, अर्थोपार्जन के लिये होता है, व्यवहार ज्ञान के लिये होता है, अमंगलनाश के लिये होता है, तत्काल अन्य कष्टकारी दुःखों से छुटकारा पाने के लिये होता और पत्नी के समान उपदेश के लिये होता है।

इन प्रयोजनों में तीन प्रयोजन कवि के लिये लाभकारी होते हैं- यश, अर्थोपार्जन और अमंगलनाश और तीन पाठक के लिये होते हैं- व्यवहारज्ञान, दुःखों से छुटकारा और पत्नी के समान उपदेश। पाठक के लिये बनाये गये दो प्रयोजन व्यवहारज्ञान और पत्नी के समान उपदेश, इस शोध लेख का विषय है।

प्रसिद्ध कवि वाक्पतिराज की अनुपम रचना गउडवहो महाकाव्य माहाराष्ट्री प्राकृत का 1209 गाथाओं वाला एक अद्वितीय ऐतिहासिक काव्य है। जिसकी रचना 700 से 725 ई.स. के बीच हुई इसमें मुख्य विषय के अलावा अनेक अन्य विषयों का समावेश है। वैसे तो यह महाकाव्य है लेकिन इसका विभाजन सर्ग, अध्याय या उच्छ्वास में नहीं हुआ है। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता राजा यशोवर्मा के दिग्विजय का वर्णन किया है जिसमें शीर्षक के अनुसार मुख्य घटना गौड देश के राजा का वध होना चाहिए लेकिन ऐसा है

नहीं। इसका नामकरण मृच्छकटिकम् की तरह आकस्मिक ढंग से कर दिया गया है। आरम्भ में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, काली और सरस्वती की स्तुति की गई है। तत्पश्चात् कवि-प्रशंसा, सज्जन, दुर्जन के लक्षण बताए गये हैं। कवि ने प्राकृत भाषा की प्रशंसा में कहा है कि जिस प्रकार समुद्र में सब जगह का जल आकर समा जाता है और समुद्र से जल भाप बनकर उड़ जाता है उसी प्रकार प्राकृत भाषा में सभी भाषाएँ समा जाती हैं और उसी प्राकृत से सभी भाषाएँ निकलती हैं।

गउडवहो में जहाँ तक व्यावहारिकता का सम्बन्ध है, उसके तत्त्व इस महाकाव्य में व्याप्त हैं। कवि ने डेढ़ सौ गाथाओं में सांसारिक जीवन के यथार्थ का निरूपण किया है। वे कहते हैं कि संसार में प्रायः गुणों की अवमानना होती है। अधिकारी पुरुष प्रायः रागद्वेष के वशीभूत होते हैं। स्वभावतः अच्छे लोगों की संख्या कम होती है और जो थोड़े बहुत अच्छे लोग होते हैं उनका इस संसार के अरण्य में कोई पता नहीं चलता। धनवान् प्रायः कृपण हुआ करते हैं और दुष्टता उद्दाम रहती है। कवि ने तत्कालीन सामाजिक जीवन की आलोचना संयत ढंग से की है। गुणप्रिय राजाओं के लिये गुण पाना आसान है क्योंकि वे स्वयं भी गुणी होते हैं। ये गुण दरिद्र को आजीविका दिला सकते हैं फिर भी दरिद्र के लिये सम्भव नहीं है। समृद्धि का रहस्य यही है कि सच्चरित मात्र की खोज में रहने वाले सज्जन लोग कभी भी गुणों से भटकते नहीं। अधिकारी लोग गुण के सार को सह नहीं सकते जो कि उनके लिए अच्छा होता है और न ही वे दोषों को विवेकपूर्वक देखते हैं अर्थात् दोषों को अच्छी तरह जानने की चेष्टा नहीं करते। वे तो नैतिकता के आधार पर दोषों को सुनते हैं और समाज में गुणी कहलाते हैं।

सुलहं हि गुणाहाणं सगुणाहाराण णणु नरिंदाण।
अण्णेसिअव्वमग्गा कत्तो वि गुणा दरिद्धाण॥ 859॥
तं खलु सिरीए रहस्सं जं सुचरिअमरगणेक्क-हिअओ वि।
अप्पाणमोसरंतं गुणेहिं लोओ ण लक्खेइ॥860॥
ण सहंति सीलसारं दोसे विचिणंति णच्चिअ विवेआ।
दोसम्मि गुणाआरे णवरं पहुणो णिसम्मंति॥861॥

वास्तव में ऐसी स्थिति पूरे विश्व में देखने को मिलती है। शेक्सपियर ने ओथेलो नामक अपने नाटक में स्पष्ट उल्लेख किया है कि भाई भतीजावाद के कारण बहुत से गुणवान् अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाता है

Preferment goes by letters and affections and not by old gradation

Where every heir stood second to the first - Othello.

अविवेक से डरे गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुणों की प्रशंसा ही करते हैं। जबकि जो लोग गुणप्राप्त किये हों वे दूसरों के गुणों के प्रति विपरीत आशय वाले होते हैं। अपने गुणों के उत्कर्ष को चाहने वाला हर व्यक्ति उत्साह को धारण करता है लेकिन वे निर्गुणी लोग दुष्ट होते हैं जो दूसरों के गुणों के उद्गार को सह नहीं पाते।

अविवेअ-संकिणो च्चेअ णिग्गुणा परगुणे पसंसंति।

लधगुणा उण पहुणो बाढं वामा परगुणेसु॥880॥

सव्वो च्चिअ सगुणुक्करिस-लालसो वहइ मच्छरुच्छाहं।

ते पिसुणा जे ण सहंति णिग्गुणा पर-गुणुगारे॥881॥

राजा द्वारा किये गये अपमान से क्षण भर के लिये विचलित हुए गुरुओं का हृदय दुष्टों के किये जा रहे सम्मान को देखने में सान्त्वना पाते हैं। राजाओं के महल में यदि गुणी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है तो समझिये कि वह एक जनसामान्य के लिये है या उसमें कोई कारण है। जिन गुणों के कारण सज्जन लोग राजाओं के द्वेष के भाजन बनते हैं उन्हीं गुणों से वे राजाओं से सम्मान की अपेक्षा क्यों करते हैं? कौन है जो गुणहीन से विमुख नहीं होता और कौन है जिसे गुणी लोग दु:खी नहीं करते। जो गुणी नहीं है और जो गुणहीन नहीं है वही सुखपूर्वक जीता है।

अंदोलंताणं खणं गरुआण अणाअरे पहुक्कअम्मि।

हिअभं खल- बहुमाणावलोअणे णवर णिव्वाइ॥875

पत्थिव-घरेसु गुणिणो वि णाम जइ केवि सावसास व्व।

जणसामण्णं तं ताण किंपि अण्णेच्चिय णिमित्तं॥876

वच्चंति वेसभावं जेहिं चिअ सज्जणा गरिंदाण।

तेहिं चिअ बहुमाणं गुणेहिं किं णाम मउगंति॥877

कोव्व ण परंमुहो णिग्गुणाण गुणिणो ण कं व दूमेंति।

जो वा ण गुणी जो वा ण णिग्गुणो सो सुहं जिअइ॥878

दोषों का सेवन करने के बाद आत्मा को गुण में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है

लेकिन जिसने गुण प्राप्त कर लिया है उसकी बुद्धि को दोषों में प्रतिष्ठापित करना सम्भव नहीं है। सज्जन यदि गुणरहित हो जाय तो भी वह जन सामान्य की तरह तो रह ही सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आम का पेड़ फल रहित हो जाय और उसके फल का रस चूस लिया जाय तो भी पेड़ की छाया का सेवन किया जाता है। जो लोग गुणहीनता से प्रतिष्ठा पाने की भावना वाले होते हैं, ऐसे कायर लोग गुण से उत्पन्न महत्ता के मामले में गुणों की विपरीत भावना की इच्छा करते हैं। गुणों से उत्पन्न मद सज्जनों के हृदय में प्रवेश नहीं करता है इसलिये मद को धारण नहीं करने वाले उन सज्जनों के लिये उनके गुण ही महान् होते हैं।

संसेविऊण दोसे अप्पा तीरइ गुणठिओ काउं।
णिव्वडिअगुणाण पुणो दोसेसु मई ण संठाइ॥887॥
सुट्ठु वि परिहीणगुणो सुअणो अण्णेहि होइ सामण्णो।
सहआरे गलिअरसे वि भूअकज्जं ठिअं चेअ॥888॥
माहप्पे गुणकज्जम्मि अगुणकज्जे णिबद्धमाहप्पा।
विवरीअं उप्पत्तिं गुणाण इच्छंति कावुरिसा॥894॥
गुणसंभवो मओ सुपिरिसाण संकमइ णेअ हिअअम्मि।
तेण अणिव्वूढमअ व्व ताण गरुआ गुणा होंति॥895॥

कंजूस लोग पास में रही हुई लक्ष्मी को नहीं छूते हैं ठीक वैसे जैसे कोई पति अपनी पत्नी को उसके मासिक धर्म के दौरान नहीं छूता है क्योंकि उस दौरान उसकी कान्ति क्षीण होती है। उत्तमकार्य से प्राप्त गुण वाले लोग महान् लक्ष्मी को छोटा ही मानते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि लक्ष्मी का गुणों से विरोध निष्कारण नहीं है। जो भौभंगिमा से आदिष्ट लक्ष्मी सज्जन के पास तुरंत नहीं जाती तो हमें लगता है कि जल्दी से दौड़ती हुई वह लड़खड़ा गई होगी। सज्जन के अभाव में लक्ष्मी सहारे के बिना नष्ट ही हो जाती है। इस प्रकार वह दैववशात् अनपेक्षित विरह की भागी बनती है।

अच्छंति च्चिअ किविणा अछिवंता पासगोअरं लच्छिं।
परिहारवई व पियं मइलच्छायं णिअच्छंता॥921
परमत्थ-पाविअ-गुणा गरुओं पि हु पलहुअं व मण्णंति।
तेण सिरीए विरोहो गुणेहिं णिक्कारणं ण उण॥922

भुमआ भंगाणा वि सुवुरिसं जं ण तुरिअमल्लिअइ।
तं मण्णे धावंती रहसेण सिरी परिक्खलइ॥923॥
णणु णासमणवलंबा एइ च्चिअ सा वि सुवुरिसाभावे।
देव्ववसा तेण सिरीए होइ णासंसिओ विरहो॥924॥

दु:ख का अभाव सुख नहीं है। सुख के साधन भी सुखकारी नहीं हैं। जो सुख मुक्त सुख हैं वही वास्तविक सुख है। सुख जितना ही अधिक प्रगाढ़ होगा दु:ख उतना ही कष्टकारी होगा ठीक वैसे ही जैसे जितना ही अधिक तेज प्रकाश होगा छाया उतनी है अधिक गाढ़ी होगी। सुख में ही लीन रहने वाले लोगों को सुख का संग सतत विस्फुरित ही होता रहता है जैसे अंगुली से कानों को बन्द करने वालों को भी ध्वनि सतत सुनाई पड़ती रहती है। महान् लोगों के हृदय अपने दु:खों से दु:खी होने के बावजूद सुखी होते हैं जैसे कविजन रसयुक्त काव्य रचना से करुणा का विस्तार किये रहते हैं फिर भी उनके हृदय को सुख मिलता है।

दुक्खाभावो ण सुहं ताई वि ण सुहाइं जाइं सोक्खाई।
मोतूण सुहाई सुहाई जाई ताई चिअ सुहाई॥935॥
सुहसंग-गारवे च्चिअ हवंति दुक्खाई दारुणअराई।
आलोअ-उक्करिसे च्चिअ च्छाया बहलत्तणमुवेइ॥936॥
सुहसंगो सुहविणिवत्तिएक्क-चित्ताण अविरअं फुरइ।
अंगुलिपिहिआण रवो अव्वोच्छिण्णो व्व कण्णाण॥937॥
दूमिज्जंताई वि सुहमुवेंति गरुआण णिअअ-दुक्खेहिं।
रसबंधेहिं कईण व विइण्ण-करुणाई हिअआई॥938॥

ग्रन्थ सूची

1. गउडवहो- वाक्पतिराज, संपा-एन. जी. सुरू,
प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, अहमदाबाद, 1975
2. Othello- Shakespeare

अपभ्रंश कथाकाव्यों के व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में उपयोगिता

प्रो. सलोनी जोशी, अहमदाबाद

अपभ्रंश साहित्य बहुधा धर्मकथा साहित्य के स्वरूप में है। यह साहित्य किसी व्रत, पंचनमस्कार, जिनपूजा आदि के परिणाम स्वरूप प्राप्त फल का वर्णन करता है। सत्कर्म के सत्परिणाम और दुष्कर्म के दुष्परिणामों का विस्तृत वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। ये धर्मकथाएँ मनुष्य के वैयक्तिक जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाती हैं और समग्र समाज को भी आत्म कल्याण का मार्ग दर्शाती हैं।

इस आलेख में मुख्यत्वेन अपभ्रंश भाषाबद्ध इन कृतियों का संदर्भ लिया गया है। कवि वीर कृत जंबूसामिचरिउ जिसका रचना समय वि.सं. 1076 है। 11 संधि में रचित इस कृति में जंबूस्वामि की जीवनचर्या का विस्तृत आलेखन है। कवि नयनंदि कृत सुदंसणचरिउ, रचना समय वि.सं. 1100 की है। 12 संधि में बद्ध इस कृति में सुददर्शन श्रेष्ठी के चरित्र का वर्णन है। इस कृति का लक्ष्य व्रत में दृढ़ रहना और नमस्कार महामंत्र के प्रभाव को प्रगट करना है। कनकामर कृत करकंडचरिउ जिस का रचना समय अनुमान से ग्यारहवी शती है। 10 संधि में रचित इस कृति में जिनपूजा के सुफल का वर्णन है। पुष्पदंत कृत णायकुमार चरिउ में श्रुतपंचमी के व्रत के सुफल का वर्णन बैसाहारण कृत विलासवईकहा अनुमान 1150 और सुगन्ध दशमी कहा 1123 11 संधि में निबद्ध इस कृति में परदोषदर्शन, परजनपीडा और प्रमाद के कटु फल का वर्णन है। पुष्पदन्त कृत 4 संधि में बद्ध जसहरचरिउ में हिंसा के कुफल का वर्णन है, जीव किस प्रकार जन्मों तक हिंसा के पाप के फल को सहन करता है। उदयचन्द्र कृत दो संधि में बद्ध सुगन्धदशमी में मुनि को दुर्भिक्षा दान के दुष्फल का निरूपण है।

किसी भी समय में शिक्षा और विद्याएं अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इन कथाकाव्यों के नायक बहुधा राजपुत्र हैं अत: उनकी विद्या साधना का वर्णन मिलता है। उस समय प्रचलित समस्त विद्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है। णायकुमार चरिउ (3.1-3) में नागकुमार की शिक्षा के

वर्णन में 18 प्रकार की लिपि, गणित, व्याकरण, छंद, संगीत, अलंकार, निघण्टु, ज्योतिष, ग्रहों, काव्य, आयुधविद्या, विवध प्रकार के पटहवाद्य, ध्वनिवाद्य तन्त्री, ताल आदि, पत्र, पुष्प, फल चयन, हाथी घोडे पर आरोहणविद्या, चन्द्रबल, स्वरोदयविधान, सप्तखण्ड महलों के प्रमाण, तन्त्र, मन्त्र, वशीकरण, व्यूहरचना, प्रहार निवारण, विविध प्रकार के शिल्प, चित्र, चित्राभास, इन्द्रजाल, शत्रुस्तंभन, मोहन, संक्षोभ उत्पन्न करने वाली विद्या के साधन, पुरुष स्त्री के लक्षण, भूषण विधि, कामुक विधि, सेवाविधि, गन्धर्व युक्ति, मणियुक्ति, औषधियुक्ति, राजनीति आदि की शिक्षा भी विस्तार से वर्णित है, जिसमें--- करकंडचरिउ में (2.9) भी बहु रसात्मक काव्य,वात्स्यायन प्रणित नव रस, समस्त तन्त्र, मन्त्र, वशीकरण, और सुशोभनीय यन्त्र, असि, चक्र, कुन्त, छुरी, धनुर्वेद, शक्ति, दृढतोमर, मल्लों के युद्ध, तनुघट्टन, उल्लण, वलण, लोटन, विद्याओं के उल्लेख हैं। मातंग विद्याधर करकंड को इन विद्याओं की शिक्षा देता है साथ में व्यवहार ज्ञान की शिक्षा चार लघुकथाओं के माध्यम से देता है। यथा विद्यावान् की संगति का फल, मूर्ख संगति का फल, नीच संगति की कहानी, उच्च संगति की कहानी। जंबूसामिचरिउ में (4.9)जंबूकुमार की शिक्षा का उल्लेख संक्षिप्त में है- त्रिवर्गफल धर्म अर्थ काम का संपादन करने वाली विद्या और चित्त में रस, आनंद उत्पन्न करने वाली नि:शेष कलाओं का जंबू कुमार ने अभ्यास किया। सुदंसण चरिउ में भी सुदंसण को मुनिवर ने विविध विद्याओं की शिक्षा प्रदान की। व्याकरण, काव्य, छंद, देशी नाम-राशि, दृष्टिज्ञान, लुप्त-मुष्टिज्ञान, नागक्रीडा, दावपेच का चातुर्य, गंधयुक्ति, राजनीति, पत्रछेद, नृत्य, गेय, पटवाद्य, वीणावाद्य, खड्ग, कुंत, व्यूहयन्त्र, चन्द्रवेध्य, मल्लयुद्ध, काष्टकर्म, चित्र कर्म, लेप्य कर्म, धातुवाद, चूर्णयोग, अग्निस्तंभन, जलस्तंभन, इन्द्रजाल, पुष्पमाला, नारीलक्षण, हस्तिज्ञान आदि।

इन कथाओं का मुख्य लक्ष्य धर्मोपदेश के माध्यम से व्यक्तिगत और उससे समग्र समाज की सुखकारिता का है। इन कथाओं में दार्शनिक चर्चा की अपेक्षा आचरण का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। उपदेश के विषयों में दान, अणुव्रत, भावना व्यसन मुक्ति आदि है। सुदंसणचरिउ (2.10-11) में सप्तव्यसन के दुष्परिणामों का वर्णन कर के उनके त्याग का उपदेश है। विषय लालसा, द्यूत के दुष्परिणाम, मांसभक्षण, मदिरा सेवन, वेश्यागमन, शिकार, चौर्यकर्म। अन्यत्र(6.2) दिये गए उपदेश में पंचउदुंबर, मदिरापान, मांसभक्षण, मधुपान रात्रिभोजन के त्याग आदि विषयों का वर्णन है। बारह प्रकार के व्रत, अहिंसा, इन्द्रिय विजय के सुफल और पंचनमस्कार मंत्र के प्रभाव का भी वर्णन है। जंबूसामि चरिउ में (11.1-14)बारह भावना का विस्तृत वर्णन है। वैराग्यपरक उपदेश भी बहुलता से उपलब्ध होते हैं। जसहरचरिउ में (2.15) हिंसा की निन्दा, श्रावकधर्म एवं भावनाओं (4.5.9) का वर्णन है।

समाज में प्रचलित व्यवहारों का वर्णन भी इन कृतियों में निरूपित है। सुदंसणचरिउ (5.5-6) में सुदर्शन और मनोरमा के विवाह का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है जिसमें ज्योतिषी के पास से शुभ मुहुर्त से शुरु करके, विवाह की विस्तृत विधि एवं भोजन समारंभ का वर्णन है। जंबूसामिचरिउ (8.12-13) में भी इसी प्रकार विवाह एवं भोजन समारंभ का वर्णन है। जसहरचरिउ (9.26.21) में विवाह विधि का विस्तृत वर्णन है। सुदंसण चरिउ (4.5-14) में कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों के लक्षण, विविध देश की स्त्रियों का वर्णन, स्त्रियों के विवध भाव, शुभ अशुभ लक्षण आदि का विस्तृत वर्णन है। इन कृतियों में इसके अलावा कई सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लेख प्राप्त होता है।

समाज में चारित्र निर्माण के जो नैतिक मापदण्ड है उसमें और प्राचीन काल के मापदण्ड में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे सत्यवचनपालन, अन्यों से सद्व्यवहार, पीड़ितों की सहायता, दु:खी जीवों की अनुकंपा, परोपकार के कार्य आदि। णायकुमार चरिउ में नायक नागकुमार बन्दीगृहों में कैद कन्याओं को संग्राम करके जुल्म से मुक्त करवाता और अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। अपनी शबरी के विरह में व्याकुल शबर को आश्वासन दे कर (9.13) वापस लाता है। शबर के प्रति अलंकी अनुकंपा सराहनीय है। राजकीय अन्याय से पीडित वनराज को युद्ध कर के उनका राज्य वापस दिलवाता है। गिरिनगर के राजा अरिवर्मन (7.5)को युद्ध में सहायता करके उनकी पुत्री की विपत्ति दूर करता है।

इस कथासाहित्य में नायक के कार्यों द्वारा समाजोपयोगी गुणों का माहात्म्य प्रदर्शित किया गया है जैसे-

अनुकंपा, अबलाओं की रक्षा करना, उनको अधम पुरुषों की कैद से छुड़वाना, अन्याय पीडित की सहायता करना, सत्य के पक्ष में रह कर अन्य राजाओं की युद्ध में सहायता करना इत्यादि।

संदर्भ-

1. करकंडचरिउ- मुनि कनकामर, संपा. अनु. हीरालाल जैन. भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, 1964
2. जंबूसामिचरिउ-वीर कवि, संपा.विमलप्रकाश जैन. भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी,1968
3. जसहरचरिउ- पुष्पदन्त, संपा. अनु. हीरालाल जैन. भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी,1972

4. णाय कुमार चरिउ- पुष्पदंत. संपा. अनु. हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, 1972

5. सुगंधदशमी कहा- उदयचन्द्र, संपा. अनु. हीरालाल जैन. भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, 1966

6. सुदंसणचरिउ- नयनंदी. , संपा. अनु. हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी,1964

7. विलासवई कहा- साहारण, संपा. आर.एम. शाह. एल.डी. इन्स्टीट्युट ओफ इन्डोलोजी, अहमदाबाद, 1977

प्राकृत साहित्य में लोकोक्तियाँ और उनका प्रचलन

प्रो. कमलेशकुमार जैन, जयपुर

लोक शब्द का अर्थ है– जनसाधारण या लोक व्यवहार और उक्ति शब्द का अर्थ है– वक्तव्य, वाक्य, भाषण, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करने की शक्ति। इस तरह लोकव्यवहार में प्रचलित उक्ति, वक्तव्य या कथन को लोकोक्ति, लोकमत या लोक कहावत कहा जा सकता है।[1] प्राकृत भाषा में निबद्ध साहित्य लोक या जनसाधारण से सीधा जुड़ा होता है, अतः यह सहज तथा स्वाभाविक है कि प्राकृत साहित्य में लोकोक्तियों या लोक में प्रचलित सूक्तियों की अधिकता हो।

लोकोक्ति में अर्थगाम्भीर्य और विषय विशेष या भावविशेष को स्पष्ट या व्यक्त करने की पूर्ण सामर्थ्य होती है, जिससे प्रत्येक पाठक या श्रोता विवेच्य प्रसंग या विषय को पूर्ण रूप से हृदयंगम कर लेता है। वस्तुतः लोकोक्ति लोक जीवन जन्य यथार्थ की प्रस्तुति होती है, इसमें सैकडों वर्षों का अनुभव व प्रयोग निहित होता है। यही कारण है कि ये लोकोक्तियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानान्तरित होती रहती हैं। इनकी निरन्तरता एक भाषा से दूसरी भाषा और उससे विकसित अन्यान्य भाषाओं में भी देखी-पायी जाती है।

प्राकृत भाषा का साहित्य विस्तृत एवं विशाल है। इसमें भारतीय विद्या की विविध विधाओं का साहित्य लिखा गया है और प्राकृत में लेखन की परम्परा भी सुदीर्घ एवं बहुआयामी है। अतः सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक आदि सभी प्रसंगों से सम्बद्ध उक्तियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं।

यह भी एक तथ्य है कि प्राचीन प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच अपभ्रंश एक कड़ी या सेतु के रूप में देखी-पायी जाती है, अतः प्राकृत साहित्य के साथ-साथ अपभ्रंश साहित्य में लोकोक्तियों या लोकमतों की भरमार है। यद्यपि अपभ्रंश स्वयं अपने में एक प्राकृत भाषा ही है, तथापि प्राकृतों का विकसित या परिवर्तित रूप होने के कारण और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का पूर्व रूप होने के कारण इसको नया नाम अपभ्रंश दिया गया। वस्तुतः अपभ्रंश एक ऐसा साहित्य है जो सामान्य लोक जीवन के

गहरे सम्पर्क में रहा है। इसी लोक तत्त्व के द्वारा अपभ्रंश साहित्य ने भारतीय साहित्य में अपना ऐतिहासिक कार्य भी सम्पन्न किया और इसी लोक जीवन या लोकतत्त्व से अपभ्रंश साहित्य में मानव हृदय को आनन्दित करने की शक्ति आयी है।[2]

इस आलेख में कुछ ग्रन्थों को लेकर लोकोक्तियों/सूक्तियों की चर्चा प्रस्तुत की गई है–

1. संवेदना के भाव को व्यक्त करने के लिए एक उक्ति दी गई है। कहा गया है[3]–

   अणुभूयवेयणो च्चिय जाणइ परवेयणं जणो पायं अर्थात् स्वयं वेदना का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही दूसरों की वेदना को जान सकता है। इसी भाव को व्यक्त करने वाली कहावत है– **जिसके पाँव न फटी विंवाई वो क्या जाने पीर पराई।**

2. गुरुजनों का गौरव व्यक्त करने वाली उक्ति दी गई है। कहा गया है– **अलंघणीयवयणो गुरुयणो**[4] अर्थात् गुरुजनों अर्थात् बड़े लोगों के वचनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता– **गुरोर्राज्ञा अविचारणीया।**

3. अज्ञान दशा का संकेत करते हुए एक उक्ति दी गई है। **अंधाण पुरो जेउज्जलो वि किं दीपओ कुणउ**[5] अर्थात् अंधों के सामने अच्छी तरह प्रकाशित दीपक भी क्या प्रकाशित कर सकते हैं, अर्थात् कुछ भी नहीं। प्रयोग चलता है– **अंधों को दीपक दिखाना।**

4. अज्ञान अवस्था के प्रसंग में एक उक्ति दी गई है कि[6]– **अंधस्स कूवपडणे को देइ बुहो उवालंभं?** अर्थात् अन्धे व्यक्ति के कुएँ में गिरने पर बुध (सूर्यादि) को उलाहना कौन देता है? अर्थात् कोई नहीं।

5. माध्यस्थ भाव की स्थिति को व्यक्त करती एक उक्ति है कि[7]– **उवभुंजइ पुव्वकयं सव्वो वि जणो सुहासुहं सव्वं** अर्थात् सभी लोग अपने अपने पूर्वकृत कर्मों का ही सब सुख-दुःख भोगते हैं। सब अपने-अपने भाग्य का खाते हैं। या सुख दुःख अपने कर्मों का फल है।

6. किंकर्तव्यमूढता की स्थिति का संकेत करते हुए एक कथन है[8]– **एगओ वग्घो अन्नओ दुत्तडी**, अर्थात् एक तरफ बाघ और दूसरी तरफ गहरी खाई या कठिन तटों वाली नदी (दुस्तटी) इस भाव को 'लोक में एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई', या 'एक ओर शेर और दूसरी ओर खाई' के रूप में व्यक्त किया जाता है।

7. अच्छे सेवक के विषय में कथन है कि[9]– **केरिसओ सो भिच्चो हियाहियं सामिणो न जो मुणइ**, अर्थात् ऐसे भृत्य या नौकर से क्या प्रयोजन? जो अपने स्वामी का हिताहित नहीं जानता। कहते हैं– नौकर और कुत्ते को मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए।

8. राजा और प्रजा, बड़ो और छोटों में अनुकरण तथा प्रभाव को व्यक्त करती एक उक्ति है[10]– **जह राया तह पया होई**, अर्थात् जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। लोक में भी कहावत है– जैसे माता-पिता वैसे ही उनकी सन्तानें। बुन्देलखंड में भी एक ऐसी ही उक्ति प्रचलित है। कहते हैं– **जी के जैसे बाप मताई, उसई उनके लरका बिटिया।**

9. लोभ और आसक्ति के सन्दर्भ में एक उक्ति दी गई है। कहा है[11]– **जोयणसयं न दूरं पडिहासइ लोह मोहियमणस्स**, अर्थात् लोभ से मोहित (आसक्त) मन के लिए सौ योजन की दूरी भी अधिक नहीं लगती। लोक में एक कहावत है कि दावत का निमंत्रण मिलने पर भोजनासक्त व्यक्ति तीन कोस भी पैदल चलकर पहुँच जाते हैं।

10. धर्म के स्वभाव से सम्बन्धित कथन है[12]– **तुरिओ धम्मस्स गइमग्गो**, अर्थात् धर्म की गति त्वरित (शीघ्र) होती है। कहा गया है– **धर्मस्य त्वरिता गतिः**। तात्पर्य यही है अच्छे-बुरे कार्यों का फल अवश्य तथा शीघ्र मिलता है।

11. आसक्ति और उसके परिणाम के प्रसंग में यह उक्ति दी गई है। कवि कहता है[13]– **पेच्छइ दुद्धं मुद्धो मज्जारो, न उण लउडयपहारं**, अर्थात् दूध पर मुग्ध (मोहित) मार्जार (बिलाव या बिल्ली) दूध पर झपटता है, परन्तु वह डण्डे के प्रहार को नहीं देखता। इसी बात को संकेतित करता हुआ हिन्दी कवि कहता है– **भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता।**

12. मुख्यलाभ के साथ आनुषंगिक लाभ की चर्चा में एक उक्ति है। लेखक कहता है[14]– **धन्नत्थिणो किसीए पलाललाभे किमच्छेरं** अर्थात् कृषि के द्वारा धान्य के इच्छुक के लिए यदि पलाल (पुआल) का लाभ हो तो क्या आश्चर्य है? इसी बात को 'गेहूँ के साथ पलाल (पुआल) का लाभ' उक्ति दी जाती है।

13. श्रेयस् या कल्याणप्रद कार्यों में विघ्न की संभावना के लिए एक उक्ति है[15]– **बहुविग्घा सेयसंपत्ती** अर्थात् अच्छे कार्यों में रुकावटें या बाधाएँ बहुत होती हैं। इसे कहा जाता है– **श्रेयांसि बहुविघ्नानि**। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि शुभ कार्य में विघ्न होते ही हैं।

14. जीवन की क्षणभंगुरता एवं नश्वरता के प्रसंग में एक उक्ति है। कहा है[16]– **जीविउ जलबुब्बुयफेणणिहु**, अर्थात् जीवन जल में उठे हुए बुलबुले (बुद्बुदे) के समान एवं जल में उत्पन्न झाग (फेन) के समान क्षणिक है। हिन्दी भाषा में प्रचलित है– जीवन है पानी की बूंद, अथवा जीवन पानी में उठने वाली लहर के समान क्षणिक तथा विनाशशील है।

15. इन्द्रियप्रत्यक्ष की प्रामाणिकता के प्रसंग में एक उक्ति है। **पच्चक्खपमाणि किमारिसेण करि कंकणे व किं आरिसेण**, अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाण को आरसी (दर्पण) की क्या जरूरत और हाथ में रखे कंकण को भी आरसी (दर्पण) की क्या आवश्यकता? वे तो स्वतः प्रमाण हैं। इस प्रसंग में आज ऐसी ही कहावत चलती है। परतक्ष कंकण को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या?

16. अज्ञान दशा हेतु एक अन्य उक्ति दी गई है। कहा गया है[18]– **अंधस्स खुलियपडणे को अवराहो वरायस्स**? अर्थात् अंधे व्यक्ति के गड्ढे में गिर जाने से उस दीन-विचारे का क्या दोष है? ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है।

17. नारी को मारने-ताड़ने का निषेध करते हुए एक उक्ति है[19]– **होइ अवज्झा नारी** अर्थात् नारी अवध्य है, उसे मारना-पीटना नहीं चाहिए।

18. जलशुद्धि के विषय में एक उक्ति है कि[20]– **सुई धरणिगयं तोयं**, अर्थात् पृथ्वी के नीचे का जल पवित्र होता है।

19. इन्द्रियविषयजन्य दुःखों के सम्बन्ध में उक्ति है[21]– **इंदियवसेण मूढा लहंति वध बंध मरणाइं**, अर्थात् इन्द्रियविषयों के वशीभूत होकर अज्ञानी जन वध, बंधन और मरण को प्राप्त करते हैं।

20. मनुष्य जीवन की दुर्बलता के विषय में सूक्ति है[22]– **गउ जिह रयणायरम्मि रयणु दुल्लहु मणुयत्तणु तिह जि गणु**, अर्थात् जिस प्रकार समुद्र में गिरा हुआ रत्न मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य तन जाने के बाद उसे पुनः प्राप्त करना भी दुर्लभ है।

21. यौवन की गति कैसी होती है, इस विषय में उक्ति दी गई है[23]– **जोव्वणु गिरिवाहिणिवेयगउ**, अर्थात् यौवन पर्वत से बहने वाली नदी के समान शीघ्र गमन करने वाला है, अर्थात् युवावस्था शीघ्र निकल जाती है।

22. संसार की असारता को व्यक्त करते हुए एक उक्ति दी गई है। कवि कहता है[24]–

संसारि असारु सव्वु अथिरु पियपुत्तमित्त मायातिमिरु, अर्थात् संसार में प्रिय पुत्र मित्र माता सभी अंधकार के समान असार और अस्थिर है।

23. गुणों से प्रेम या प्रीति होती है। इस विषय में एक उक्ति दी गई है। कवि कहता है[25]– **गुणो क्खु अणुराअस्स कारणं,** अर्थात् अनुराग का कारण गुण है।

24. महान् आत्माओं के वचन असत्य नहीं होते। इस बात को व्यक्त करने वाली उक्ति है[26]– **न अन्नहा होइ मुणि भणियं**, अर्थात् मुनियों-ज्ञानियों के वचन अन्यथा नहीं होते। कहते हैं– **मृषा न होय देव रिसी वाणी।**

25. अनुशासन के सम्बन्ध में एक उक्ति है[27]– **अप्पणो य परं णालं कुतो अण्णेणुसासिउं**, अर्थात् जो अपने आपको अनुशासन में रखने में समर्थ नहीं है वह दूसरों को अनुशासित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? आधुनिक समय में आचार्य तुलसी ने भी एक नारा दिया था– **निज पर शासन फिर अनुशासन।**

26. कर्मफल की प्राप्ति के सम्बंध में एक उक्ति मिलती है[28]– **सव्वो पुव्वकयाणं कम्माण पावए फलविवागं**, अर्थात् सभी पूर्वकृत कर्मों का समय आने पर फल प्राप्त होता है। आज कल भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल मिलता है।

27. मित्रता के कारणों में एक उक्ति है[29]– **सरिससहावाण होइ किर पेमं** अर्थात् समान स्वभाव एवं चरित्र वालों में प्रेम या दोस्ती शीघ्र हो जाती है। इसी भाव को व्यक्त करती संस्कृत में कहावत है– **समानव्यसनशीलेषु सख्यम्।**

28. निजभ्राता की लोक में दुर्लभता स्पष्ट करती एक उक्ति है[30]– **सहोयरा दुल्लहा लोए** अर्थात् संसार में सहोदर मिलना अत्यन्त दुर्लभ है।

29. संसार में सच्चे गुरु की दुर्लभता के विषय में एक उक्ति दी गई है। कहा गया है[31]– **दुलहो गुरुसंजोगो** अर्थात् गुरु का संयोग दुर्लभ है। तात्पर्य यही है कि ऐसे तो जीवन में अनेक गुरु होते हैं, परन्तु जीवन में कल्याण को देने वाला गुरु दुर्लभ है।

30. बुद्धि के कौशल की विशेषता संकेतित करते हुए उक्ति दी गई है कि[32]– **णयणेहिं अपेच्छंता कुसला बुद्धीए पेच्छंति** अर्थात् आँखों से नहीं देखता हुआ भी कुशल व्यक्ति बुद्धि के द्वारा देखता है। यहाँ पर चर्म चक्षुओं की अपेक्षा बुद्धि-ज्ञान को महत्त्व दिया गया है।

31. मनुष्य जीवन में धर्म का महत्त्व स्पष्ट करते हुए एक उक्ति है[33]– **न य मित्तो धम्म सारिच्छो** अर्थात् जीवन में धर्म के समान बड़ा अथवा हितकारी दूसरा मित्र नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति को धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए।

32. जीवन में पुरुषार्थ का महत्त्व एवं आलस्य त्याग को इंगित करती एक उक्ति दी गई है कि[34]– **न य पमाय समो सत्तू** अर्थात् मनुष्य जीवन में प्रमाद (आलस्य) के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। यही बात नीतिशास्त्र में **आलस्येव मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः** के रूप में कही गई है।

33. धर्म की साधना में शरीर की सुरक्षा का महत्त्व बताते हुए एक उक्ति है[35]– **देहो धम्मस्स साहणं पढमं,** अर्थात् धर्म का प्रथम साधन या उपाय शरीर है, अतः शरीर की रक्षा करना प्रथम कर्त्तव्य है। संस्कृत में समानन्तर ऐसी ही उक्ति मिलती है। यहां कहा गया है– शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। इसमें देहरक्षण की स्पष्ट रूप से महत्ता निर्देशित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकोक्ति जन जन में प्रचलित तथा सत्यानुभूति से युक्त एक ऐसा सूत्रबद्ध और विदग्धता पूर्ण कथन है, जिससे अभिव्यक्ति को सजीवता और सशक्तता प्राप्त होती है और भाषा के अर्थ गौरव की वृद्धि होती है।

प्राकृत साहित्य में जीवन के विविध पक्षों पर आधारित ग्रन्थों में विपुल मात्रा में उक्तियों, लोकोक्तियों, सुभाषितों, नीतिवाक्यों के उल्लेख/प्रयोग मिलते हैं। प्राकृत भाषा में साहित्य की प्रत्येक विधा का साहित्य पाया जाता है, जिसमें शिलालेख, काव्य, नाटक, पुराण, चरित व्यंग्य, आख्यान, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, लोकसंरचना, धार्मिक, दार्शनिक-सिद्धान्त, अध्यात्म, कर्मविवेचन आदि साहित्य प्रमुख है। इसमें उक्तियों की बहुलता पायी जाती है।

कभी कभी एक ही प्राकृत ग्रन्थ में सैंकडों उक्तियों का प्रयोग देखा/पाया जाता है, जिनमें जीवन का यथार्थ अनुभव एवं अस्तित्व पाया जाता है। प्राकृत की उक्तियाँ विविध अपभ्रंशों के माध्यम से हिन्दी मराठी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में रूपान्तरित होती गई हैं।

प्राकृत साहित्य मूलतः जनसामान्य और संस्कृति से जुड़ा है अतः प्राकृत के प्रायः सभी ग्रन्थों में लोक और संस्कृति का वर्णन पाया जाता है। इसलिए यह साहित्य लोकजीवन एवं संस्कृति से भौतिक एवं भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राकृत साहित्य का महत्त्व और अधिक हो जाता है।

किसी भाषा साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण गुण या अंग है, उससे उत्पन्न या विकसित भाषाओं या बोलिओं की उत्पत्ति। इस दृष्टि से प्राकृत साहित्य का विशेष योगदान है, क्योंकि इससे विविध भारतीय आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति या विकास हुआ है।

किसी भाषा या साहित्य का महत्त्वपूर्ण बिन्दु है – प्राचीनता। प्राचीनता एवं विशालता की दृष्टि से भी प्राकृत का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृत में साहित्य लेखन की सुदीर्घ परम्परा है।

अपभ्रंश प्राकृत की एक उपभाषा है, इसलिए अपभ्रंश को प्राकृत का विकसित या उत्पन्न रूप कहा जा सकता है। प्राकृत साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जैसे-जैसे जनभाषा प्राकृत का साहित्यिक विकास हुआ, वैसे-वैसे ही उसकी क्षेत्रीयता बढ़ती गई। प्रारम्भ में यह क्षेत्रीयता मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची आदि के रूप में विभाजित और विकसित हुई। धीरे-धीरे इन भाषाओं का विकास हुआ। और प्राकृत सरलीकरण की ओर अग्रसर हो गई, जिसे अपभ्रंश नाम दिया गया। प्रथमतः अपभ्रंश जन बोली बनी और साहित्यकारों ने इसको साहित्य लेखन का माध्यम बनाया। इसके व्याकरण की भी रचना हुई।

वस्तुतः प्राकृत साहित्य में लोकजीवन एवं लोकोक्तियों की चर्चा एक लेख में नहीं की जा सकती। अतः यहाँ पर मात्र कुछ एक ग्रन्थों से चयनित लोकोक्तियों को आधार बनाकर एक झलक प्रस्तुत की गई है।

सम्पूर्ण प्राकृत साहित्य में उपलब्ध लोकोक्तियों/सुभाषितों और नीतिवाक्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण एक विस्तृत प्रायोजना की अपेक्षा रखता है, जिसमें प्रत्येक प्राकृत ग्रन्थ से ऐसी उक्तियों का संकलन कर उनको विषय तथा अकारादि क्रम से संयोजित कर प्रस्तुत किया जा सके।

सन्दर्भ–

1. संस्कृत हिन्दी कोश, आप्टे, पृष्ठ 181 एवं 884
2. प्राकृत साहित्य का इतिहास, डॉ. जगदीश चन्द्र जैन
3. पुहईचंदचरियं, पत्र 18, प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी (शान्तिसूरि सन् 1104 में रचना)
4. वही, पत्र 127
5. वही, पत्र 20
6. वही, पत्र 48
7. वही, पत्र 100

8. वही, पत्र 180
9. वही, पत्र 20
10. वही, पत्र 139, 213
11. वही, वही, पत्र 120
12. वही, पत्र 187
13. वही, पत्र 179
14. वही, पत्र 164
15. वही, पत्र 136
16. कहकोसु, संधि 1, कडवक 1, श्रीचन्द्रमुनि विरचित
17. वही, संधि 2, कडवक 17
18. पुहईचंदचरियं पत्र 153
19. वही, पत्र 191
20. वही, पत्र 23
21. वही, पत्र 48
22. कहकोसु संधि 1, कडवक 3
23. कहकोसु संधि 1, कडवक 1
24. वही, संधि 1, कडवक 1
25. मृच्छकटिकम् 1 गद्य
26. आख्यानमणिकोश, पत्रांक 49 गाथांक 45
27. सूयगडंगसुत्तं 1.1.2.44 (प्राकृतसूक्तिकोश 10-11)
28. पुहईचंदचरियं, पत्र 25
29. वही, पत्र 107
30. वही, पत्र 20
31. वही, पत्र 136
32. वही, पत्र 9
33. वही, पत्र 108
34. वही, पत्र 108
35. वही, पत्र 135

वसुदेवहिण्डी प्राकृत कथासाहित्य में अंकित वास्तुविज्ञान की वर्तमान में प्रासंगिकता

प्रस्तुतिः प्रो.जयकुमार उपाध्ये, नई दिल्ली

वसुदेवहिण्डी प्राकृतकथा ग्रन्थ का स्वरूप–

प्रस्तुत वसुदेवहिण्डी एक विशिष्ट पौराणिक कथा ग्रन्थ है। यह आर्ष प्राकृतभाषा (प्राचीन महाराष्ट्री) में निबद्ध श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण का वृत्तान्त है। 'हिण्डी' प्राकृत पद भ्रमण के लिए प्रयुक्त है। इसे वसुदेवचरित भी कहा गया है। यह रचना प्राचीनतम कथासाहित्य है। आगम बाह्य ग्रन्थों में इसकी गणना की गई है। यह कथा आत्मवृत्तान्त होते हुए गुणाढ्य की पैशाची प्राकृत में रचित नायक नरवाहन दत्त कथा का अनुकरण जान पड़ता है।

पालि कथा और प्राकृत कथाओं में बहुशः साम्य परिलक्षित होता है। फिर भी पालि कथाओं में पात्रों का वर्णन उनके पूर्वभव के प्रसंग का प्रारम्भ करके मुख्यता से प्राप्त होता है, परंतु प्राकृत कथाओं में पात्रों का वर्णन कथा के उपसंहार के प्रसंग में मिलता है। पालि कथाओं अथवा जातक कथाओं में मुख्य केन्द्र बिन्दु बोधिसत्व है। जो उपदेश के रूप में प्राप्त है। प्राकृत कथाओं में पालि कथाओं जैसी एकरसता नहीं है, अपितु घटनाओं में विविधता उसके प्रवाह में समन्वयात्मक आयोजन है।

प्राकृत कथाओं की शैली गहराई और विस्तार में अपनी विशेषता प्रकट करती है। प्राकृत कथाओं में लोकप्रियता, हृदयग्राहिता, कलापूर्णता, उच्च नीच की विषमता को दूर करने वाली मनोवैज्ञानिकसूक्ष्मता की सामग्री प्राप्त होती है। इनके पठन से पाठक को निराशा नहीं मिलती है। अपितु उत्सुकता बढ़ जाती है।

इस ग्रन्थ में दो खण्ड है–प्रथम और द्वितीय। प्रथम खण्ड में 29 लम्भक है, जिसमें ग्यारह हजार गाथा प्रमाण विस्तार प्राप्त है। द्वितीय खण्ड में 71 लम्भक है, जिसमें सत्रह हजार श्लोक प्रमाण ग्रन्थ का विस्तार है। समस्त ग्रन्थ में सौ लम्भक है।

पृष्ठ नामक अधिकार का आरम्भ शंब और भानु की ललित क्रीडाओं से हुआ है। भानु

के पास शुक था और शंब के पास सारिका। दोनों परस्पर में सुभाषित कहते हैं। शुक ने कहा–

सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ।
वत्ता सयसहस्सेसु, दाया जायति वा ण वा॥
इंदियाण जए सूरो, धम्मं चरति पंडिओ।
वत्ता सच्चवओ होइ, दाया भूयहिए रओ॥ –पृ.105

सैकड़ों में एकाध शूर होता है, सहस्त्रों में एकाध पंडित होता है, लाखों में एकाध वक्ता होता है और दाता व्यक्ति क्वचित् ही उत्पन्न होता है।

इन्द्रियों का विजयी शूर कहलाता है, धर्माचरण करने वाला पंडित, सत्यवचन बोलने वाला वक्ता एवं प्राणियों के कल्याण में संलग्न रहने वाला दाता कहा जाता है।

वसुदेवहिण्डी मुख्यतया गद्यात्मक समासांत पदावलि में लिखी गई एक विशिष्ट रचना है, बीच-बीच में पद्य भी आ जाते हैं, कहीं गद्य-पद्य मिश्रित भी हो गये हैं। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रसादगुणसंपन्न है, संवाद चुस्त हैं। कितने ही प्रयोग बड़े विलक्षण हैं जिनका व्याकरण के नियमों से मेल नहीं बैठता और जिनका प्राकृत के विकास के प्राचीनतम स्तर से संबंध रखता है।

रचनाकार संघदासगणी वाचक

बृहत्कल्पभाष्य के रचयिता क्षमाश्रमण संघदासगणी, वाचक संघदासगणी से भिन्न हैं। वाचक संघदासगणी के विषय में अल्पमात्रा में परिचय प्राप्त होता है। आपका समय ईसा की तृतीय या चतुर्थ शती माना गया है। परवर्ती विद्वानों ने आपके रचनाशिल्प को जानकर निष्णात विद्वान् के रूप में इन्हें सम्मानित किया है। 'गणी' शब्द जैन परम्परा में श्रमण के लिये प्रयुक्त किया है। श्रमण परम्परा मानवतावादी है। उन्होंने जनसामान्य के लोकभाषा में प्राकृत कथाओं का निर्माण कर भगवान महावीर के मानववादी दर्शन को विवेचित किया है।

प्राकृत आगम के मध्य अनेक प्रकार की कथाओं के विलक्षण विवेचन प्राप्त होते हैं। उनमें तीन प्रतिनिधि आचार्यों ने कथा जगत के निर्माण में अपूर्व मापदण्ड स्थापित किया है। जैसे विमलसूरि ने पउमचरिउ, संघदासगणी वाचक ने वसुदेवहिण्डी एवं हरिभद्रसूरि ने कथासाहित्य की रचना की। ये तीनों प्राकृत कथा साहित्य के आचार्यत्रयी में माने जाते हैं।

यह ग्रंथ प्राकृत के सुप्रसिद्ध पंडित मुनि चतुरविजय और मुनि पुण्यविजयी द्वारा विभिन्न

जैन भंडारों की 12 हस्तलिखित प्रतियों (इनमें ताड़पत्रीय प्रतियाँ भी शामिल हैं) के आधार से संपादित किया गया है। फिर भी दुर्भाग्य से यह अशुद्ध रह गया है। प्रियंगुसुंदरी-लंभ (18) और केतुमती-लंभ (21) सबसे अधिक विस्तृत लंभ है, और उल्लेखनीय है कि इन दोनों लंभों के बीच के महत्त्वपूर्ण 19 और 20 लंभ अनुपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथ का अंतिम देवकी-लंभ (28) अपूर्ण है। ग्रन्थ का उपसंहार नहीं है। इसके सिवाय, विद्वान् संपादकों द्वारा ग्रंथ की अक्षरशः गणना करने पर यह पता लगा है कि ग्रन्थ का चतुर्थांश से कुछ ही कम भाग त्रुटित है। ग्रन्थ की बाह्य सामग्री का भी इसमें समावेश हो गया है, बीच-बीच में असंगतियाँ और अस्पष्टतायें देखने में आती हैं। ग्रन्थकार ने पाठभेद का भी उल्लेख किया है।

प्रतिपाद्य विषय वास्तुविद्या

गृह-निर्माण सम्बन्धी विद्या या कला ही वास्तुविद्या या वास्तुकला है। गृह या वासस्थान को ही 'वास्तु' कहते हैं। जिसमें प्राणी निवास करते हैं इसीलिए वास्तु की व्युत्पत्ति में कहा गया है: 'वसन्ति प्राणिनो यत्र।' निवासार्थक वस् धातु के साथ 'तुण्' प्रत्यय के योग से वास्तु' शब्द निष्पन्न हुआ है। इस वास्तु का आधार घर या भवन अवश्य है; किन्तु भवन-निर्माण के अतिरिक्त यह कुछ और भी है। एक वास्तुशास्त्री ने वास्तुकला की ललितकला से तुलना करते हुए बड़ा सटीक कहा है कि कविता केवल पद्य-रचना ही नहीं है। उसके साथ जब उपयुक्त संगीत और लययुक्त नृत्यचेष्टाएँ भी होती हैं, तब वह केवल मनुष्य के हृदय या इन्द्रियों को ही आकृष्ट नहीं करती, अपितु इनके गौरवपूर्ण मेल से निर्मित सारे वातावरण से उसे अवगत कराती हैं। इसी प्रकार, वास्तु-कल्पना दार्शनिक गतिविधियों, काव्यमय अभिव्यक्तियों और सम्मिलित लयात्मक, संगीतात्मक एवं वर्णात्मक अर्थों से परिपूर्ण होती हैं और ऐसी उत्कृष्ट वास्तुकृति मानव के अन्तर्मानस को छूती हुई सभी प्रकार से उसकी प्रशंसा का पात्र बनती है और फिर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित करती है, साथ ही भावी पीढ़ियों की प्रेरिका भी होती है।

कौटिल्य के युग में वास्तुविज्ञान प्रसिद्धि के चरम शिखर पर था। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के इक्कीसवें अध्याय में कुशल वास्तुवैज्ञानिकों का सादर उल्लेख किया है, साथ ही वास्तुविधि के समस्त उपकरणों की विशद चर्चा की है। ग्राम-समुदायों और नगरों की रचना विशेषतः दुर्ग-निर्माण की रूपरेखाओं का स्पष्ट अंकन इस ग्रन्थ में हुआ है। कौटिल्य ने वास्तु-परिमाण की प्राचीन मान्यता में विकास करके यह नियम बनाया था कि गृह-निर्माण के लिए भूमि-

अंशों का विभाजन एवं वितरण निर्माताओं की वृत्ति के अनुरूप होना चाहिए। आधुनिक काल के वास्तुओं का निर्माण परम्पराधृत न होकर निर्माताओं की रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार ही हुआ करता है।

प्राचीन वास्तुदेवताओं के अनुसार, वास्तुमण्डल को सामान्यतः इक्यासी पद का होना चाहिए। वास्तु के समीप पेड़ लगाने का भी विशिष्ट विधान प्राप्त होता है। वास्तु के समीप कण्टकमय वृक्ष से शत्रुभय, क्षीरीवृक्ष से अर्थनाश और फलीवृक्ष से प्रजाक्षय होता है। इन सब वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग भी गृहनिर्माण में नहीं करना चाहिए। यदि इन वृक्षों को लगाकर काटने की इच्छा न हो, तो दोष-परिहार के लिए उन वृक्षों के निकट पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट, बकुल, पनस, शमी और शालवृक्ष लगा देना चाहिए।

वास्तुमण्डल में कौन-सा वास्तु किस दिशा में रहना चाहिए, इसका भी निर्देश प्राचीन वास्तुकारों ने किया है। वास्तु के सम्मुख देवालय, अग्निकोण में पाकशाला, पूर्व में प्रवेश-निर्गम और यज्ञमण्डप, ईशानकोण में गन्धपुष्पालय, उत्तर में भाण्डारगृह, वायुकोण में गौशाला, पश्चिम में वातायनयुक्त जलागार, नैर्ऋत कोण में कुश, काष्ठ आदि का गृह और अस्त्रागार तथा दक्षिण की ओर अतिथिशाला का निर्माण करना चाहिए।

जैन मान्यता के अनुसार, वास्तुकला करणानुयोग का विषय है। यतिवृषभाचार्य रचित 'तिलोयपण्णत्ति' के नौ अधिकारों में वर्णित नौ लोकों (सामान्यलोक, नरकलोक, भवनवासीलोक, मनुष्यलोक, तिर्यग्लोक, व्यन्तरलोक, ज्योर्तिलोक, देवलोक और सिद्धलोक) के वर्णन के क्रम में, तृतीय अधिकार की गाथा बाईस से बासठ तक असुरकुमार आदि भवनवासी देवों के भवनों, वेदिकाओं, कूटों, जिनमन्दिरों एवं प्रासादों का वर्णन उपलब्ध है। भवन की वास्तु-संरचना में बताया गया है कि प्रत्येक भवन की चारों दिशाओं में चार वेदियाँ होती है, जिनके बाह्य भाग में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, इन वृक्षों के उपवन रहते हैं। इन उपवनों में चैत्यवृक्ष स्थित हैं, जिनकी चारों दिशाओं में तोरण, आठ महामंगल द्रव्य और मानस्तम्भ-सहित जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। वेदियों के मध्य में वेत्रासन के आकार वाले महाकूट होते हैं और प्रत्येक कूट के ऊपर एक-एक जिनमन्दिर स्थित होता है। प्रत्येक जिनालय क्रमशः तीन कोटों से घिरा हुआ होता है और प्रत्येक कोट में चार-चार गोपुर होते हैं। इन कोटों के बीच की वीथियों में एक-एक मानस्तम्भ, नौ-नौ स्तूप, वन, ध्वजाएँ और चैत्य स्थित हैं।

इस प्रकार, यतिवृषभाचार्य ने वास्तु का सामान्य आदर्श प्रस्तुत किया है। प्राकृत-साहित्य

में वर्णित वास्तु-विन्यास के आदर्श के रूप में 'तिलोयपण्णत्ति' की उपयोगिता सन्दिग्ध नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण कृति भारत के स्वर्णकाल की अवधि 176ई. सन् में लिखी गई है, इसलिए सम्भव है कि संघदासगणी ने भी अपने वास्तुवर्णन के सन्दर्भ में 'तिलोयपण्णत्ति' का प्रभाव ग्रहण किया हो॥

'वसुदेवहिण्डी' में आचार्य संघदासगणिवाचक ने विभिन्न वास्तुओं का विधि-विधान विवेचित किया है, उससे उनके गम्भीर वास्तुप्राज्ञ होने का संकेत मिलता है। यहाँ उनकी कतिपय वास्तु-परिकल्पनाएँ द्रष्टव्य हैं।

इक्कीसवें केतुमतीलम्भ (पृ.341) की कथा है कि जब तीर्थंकर शान्तिनाथ को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था, जब यथोचित 'समवसरण' का, देवलोक जैसा वास्तुविन्यास किया गया था, जिसका वर्णन इस प्रकार है: भवन और विमान के अधिपति गन्धोदक और फूल बरसाते आये तथा भगवान् की वन्दना करके अतिशय प्रसन्न मन से खड़े हो गये। व्यन्तर देवों ने चारों ओर एक योजन-पर्यन्त देवलोक जैसा परिवेश खड़ा कर दिया। विकसित नेत्रोंवाले वैमानिक ज्योतिष्क और भवनपति देवों ने रत्न, सोना और चाँदी के प्राकार क्षणभर में बना दिये, जो मणि, सोना और रत्न से निर्मित कपिशीर्ष (कंगूरे) से सुशोभित थे। उनमें से प्रत्येक में रजतगिरि (वैताढ्य) के शिखर-सदृश चार द्वार बनाये। वहाँ जगद्गुरु तीर्थंकर जिस नन्दीवत्स वृक्ष के नीचे प्रसन्नमुख बैठे, वह आच्छादित हो गया। उसके नीचे आकाशस्फटिक से निर्मित, पादपीठ-सहित और देवों के लिए विस्मयजनक सिंहासन रखा गया। ऊपर गगनदेश के अलंकारभूत, पूर्णचन्द्र के प्रतिबिम्ब के समान छत्र-पर-छत्र तन गये। भव्यजनों के बोधनहेतु भगवान् पूर्वाभिमुख बैठे। यक्ष खड़े होकर चँवर डुलाते रहे। सोने के सहस्त्र कमलों से प्रतिष्ठित तरुण रविमण्डल के समान, सामने तीर्थंकर के चरणमूल में धर्मचक्र था। सभी दिशाओं के मुख ध्वजाओं से सुशोभित थे। तुष्ट होकर देवों ने दुन्दुभियाँ बजाई। नर्तकियों ने नृत्य प्रदर्शित किये। गन्धर्वों ने गान किया। भूतों ने सिंहनाद किया और जृम्भक देवों ने फूल बरसाये। सिद्ध चरणों ने स्तुति की। वैमानिक देवियाँ प्रदक्षिणा करके प्रणाम की मुद्रा में भावी साधु के स्थान से दक्षिण और अग्निकोण में आकर बैठ गई। भावी साध्वियों के पश्चिम दिशा की ओर भगवान् के नैऋत्यकोण में व्यन्तर और ज्योतिष्क देवियाँ आकर बैठीं। पश्चिम द्वार के उत्तर में भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव बैठे। उत्तर द्वार पर वैमानिक देव और पूर्व द्वार पर मनुष्य-मानुषियाँ आकर बैठे।

प्राचीन युग में चतुश्शाल भवन बनाने की परिपाटी थी। संघदासगणी ने भी चतुश्शाल

भवन का उल्लेख किया है। धम्मिल्ल किसी दिन प्रियजन के साथ चतुश्शील भवन के भीतरी भाग में बैठा था (अन्नया कयाइ पियजणसहिओ अब्भितरिल्ले चाउसाले अच्छइ; व.हि.: पृ.3)। चार मकानों के वर्ग या चारों ओर चार भवनों से घिरे हुए चतुष्कोण वास्तु को चतुश्शाल कहा जाता था। परवर्तीकालीन वास्तुविद् भोजदेव (विक्रम की नवम-दशम शती) के 'समरांगण-सूत्रधार' में भी संघदासगणी द्वारा उल्लिखित चतुश्शाल के निर्माण की परिपाटी का समर्थन होता है। भोजदेव ने अपनी उक्त कृति में 'चतुश्शालविधान' नामक एक स्वतन्त्र अध्याय (सं.26) की ही रचना की है। इसमें उन्होंने बताया है कि चतुश्शाल भवन के अनेक भेद होते हैं और राजाओं के लिए आठ सौ हाथ के व्यास में निर्मित चतुश्शाल शुभप्रद होता है। धम्मिल्ल को यह चतुश्शाल राजभवन कुशाग्रपुर के राजा अमित्रदमन से प्राप्त हुआ था।

चौथे नीलयशालम्भ (पृ.171) में संघदासगणी ने सर्वतोभद्र प्रासाद का उल्लेख किया है। कथा है कि एक दिन स्वयम्प्रभा सन्ध्या समय 'सर्वतोभद्र' प्रासाद पर बैठी हुई थी, तभी उसने नगर के बाहर, देव को आकाश से उतरते देखा। (कयाइं च पओसे सव्वओभद्दगं पासायमभिरूढा पस्सामि नयरबाहि देवसंपायं)। प्राचीन दैवज्ञ वास्तुकारों में वराहमिहिर (ई.पू. प्रथम शती) और उनकी ज्योतिष-कृति 'बृहत्संहिता' की बड़ी प्रसिद्धि है। प्राचीन वास्तु में छतदार बरामदे की संरचना की जाती थी। संघदासगणी ने इस प्रकार के वास्तु को 'अवलोकन' (=अवलोयण) की संज्ञा दी है: ''अवलोयणगएण य में दिट्ठो नयरमज्झे बहुजनसाउहकयपरिवारो .....'' (पुण्ड्रालम्भ: पृ. 213) यह 'अवलोकन' राजभवन के ऊँचे शिखर पर छतदार बरामदे या मण्डप के रूप में होता था, जहाँ से राजा-रानी नगर के और नगर के बाहर के दृश्यों का अवलोकन करते थे। कथानायक वसुदेव ने भी तारक सेठ के विमान के 'अवलोकन' से नगर के बीच का दृश्य देखा था। बड़े भवनों को विमान कहा जाता था, जो प्राय: सात मंजिलों से कम का नहीं होता था। कालिदास ने भी अलका-वर्णन के क्रम में 'विमानाग्रभूमि' की चर्चा अपने मेघदूत-काव्य में की है।

वास्तु या भवन-निर्माण के मुख्य उपादान ईंट और पत्थर हैं। प्राचीन वास्तुकारों ने ईंट और पाषाण को मिलाकर वास्तुनिर्माण को अनुचित माना है। वास्तु का निर्माण केवल ईंट या केवल प्रस्तर से ही होना चाहिए। प्राचीन वास्तुशास्त्र 'हयशीर्षपंचरात्र' में बारह अंगुल की पूर्णत: लाल रंग की पक्की ईंटों को वास्तुनिर्माण के लिए उपयुक्त माना गया है। किन्तु संघदासगणी ने मिट्टी से छियानब्बे अंगुल की ईंटे बनाने का प्रावधान रखा। है। उन्होंने यह भी कहा है कि आग में पकाने के बाद सभी ईंटे एक-एक अंगुल छोटी हो जाती हैं।

इक्कीसवें केतुमतीलम्भ (पृ.314) में, संघदासगणी द्वारा स्वयंवर द्वारा स्वयंवर-मण्डप का मनोहारी वास्तुविधान उपन्यस्त किया गया है। राजा अर्ककीर्ति की पुत्री सुतारा के लिए पोतनपुर के राजा त्रिपृष्ठ द्वारा आयोजित स्वयंवर के निमित्त मण्डप सजाया गया। मण्डप के दोनों ओर कमल से ढके जलपूर्ण स्वर्णकुम्भ रखे गये और मण्डप को मणिमण्डित तोरणों से अलंकृत किया गया; सरस और सुगन्धयुक्त मालाओं से वेष्टित सैकड़ों स्तम्भ बनाये गये; स्वर्णकमलों की मालाओं से आवेष्टित विपुल पुतलियाँ खड़ी की गईं, पाँच रंग के फूलों से मण्डपभूमि को आच्छादित किया गया और घ्राण तथा मन को प्रिय लगनेवाले विविध धूप जलाये गये। उसके बाद विद्याधर-सहित सभी राजा अपने-अपने राजचिह्नों से अलंकृत होकर, देवकुमार के समान सज-धजकर मंच पर आरूढ़ हुए।

गवाक्षों से झाँकते हुए स्त्रीमुख की अंकन-रुचि भारतीय स्वर्णकाल के वास्तु की विशेषता थी। संघदासगणी ने भी 'वसुदेवहिण्डी' में, जगह-जगह, प्रसंगानुसार भवन के वातायनों (खुली खिड़कियों), गवाक्षों (जालीदार खिड़कियों) एवं द्वारों पर आकर सुन्दरियों के झाँकने या पुष्पवृष्टि करने आदि का वर्णन किया है। रूपवान् वसुदेव जब घर से बाहर निकलते थे तब रूपलोलुप तरुणियाँ वातायनों, गवाक्षों एवं द्वारों पर आकर उनके पुनर्दर्शन की प्रतीक्षा में चित्रांकित-सी खड़ी रहकर पूरा दिन बिता देती थीं। मूल इस प्रकार है: **कुमारो सारयचंदो विव जणणयणसुहओ सुद्धचारितो जाए जाए दिसाए निज्झाइ ततो ततो तरुणिवग्गो तेण समं तक्कम्मो भमति, जा य तरुणिओ ताओ वायायणगवक्खजालंतरदुवारदेसेसु 'नियत्तमाणं पस्सिस्सामो' त्ति पोत्थकम्मजक्खीओ विवे दिवसं गमेंति .....**'' (प्रथम श्यामाविजयालम्भ, पृ.120)॥

इस प्रकार संघदासगणी ने आस्थानमण्डप, अभ्यन्तरोपस्थान, शयनगृह आदि राजप्रासाद के वास्तुविषयक विभिन्न अंगों और उपांगों का उल्लेख किया है। मनुष्यों के वासगृह को भवन और देवों के वासगृह को विमान कहा जाता था। 'स्थानांग' (6.107) के अनुसार, विमान की ऊँचाई छह सौ योजन होती थी। संघदासगणी ने यथाप्रसंग भवन और विमान, दोनों ही वास्तुओं का अंकन किया है। प्राचीन वास्तुकारों (वर्द्धकिरत्न) में वास्तुनिर्माण के प्रति सहज आदर रहता था और वे दैवी शक्ति से सम्पन्न होते थे तथा अपनी वास्तुरचना में सहज सुख का अनुभव करते थे। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर संघदासगणी ने 'वसुदेवहिण्डी' (सोमश्रीलम्भ: पृ.309) में लिखा है कि परमगुरु तीर्थंकर ऋषभस्वामी की परिनिर्वाण-भूमि में, प्रथम-चक्रवर्ती राजा भरत के आदेश से, दैवी शक्ति से सम्पन्न श्रेष्ठ वास्तुकारों ने सम्पूर्ण आदर के साथ सुखपूर्वक अनेक स्तूपों और जिनायतनों का निर्माण किया था। वह जिनायतन

सभी प्रकार के रत्नों से जडित था और वहाँ देव, दानव और विद्याधर आग्रहपूर्वक अर्चना-वन्दना के लिए आते थे। संघदासगणी के अनुसार, प्रासाद के साथ अतिशय दुर्लभ रूप (सुन्दरियाँ) और विषयसुख का नित्यसम्बन्ध है **(दुल्लहतरे व्व रूव-पासाय विसयसुहसंपगाढे,** केतुमतीलम्भः पृ.340)।

उपसंहार

संघदासगणिवाचक ने यदुवंशियों को इसी सांस्कृतिक आदर्श के प्रतीक के रूप में देखा है। धर्मशास्त्रों में उद्घोषित पुरुषार्थचतुष्टय के निमित्त सदाचेष्ट यदुवंशियों की आदर्श प्रतीक-कथा के माध्यम से मानव-जीवन के मूल्यों के विषय में 'वसुदेवहिण्डी' अपना विशिष्ट दृष्टिकोण उपस्थित करती है, इसलिए यह मानव-संस्कृति की अतिशय उदात्त और अद्वितीय ललित कथा है। दूसरे शब्दों में, यह भारतीय जीवन और संस्कृति का महामहिम महार्णव है।

'वसुदेवहिण्डी' के वास्तुविषयक उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि संघदासगणी विविध इमारतों की व्यापक संकल्पना और दूरगामी वास्तु-कल्पना के अभिकल्पन से सम्बद्ध कलाओं और विद्याओं में पारंगत थे। नक्शे और पैमाने द्वारा प्रतिरूप बनाये बिना उन्होंने अपनी वैचारिक शक्ति से उत्कृष्ट कोटि के भवन और उनके पर्यावरण तैयार करने में जिस कलारुचिर आस्था का परिचय दिया है, उससे यह सहजगम्य है कि वह वास्तुकला को यथोचित रूप में समझते थे और भवनों या विभिन्न वास्तुओं के रचना के निर्देशन की अपूर्व क्षमता उनमें आत्मस्थ थी। वह सच्चे अर्थ में वास्तुक (आर्चिटेक्ट) थे।

संघदासगणी की वास्तु-कल्पना में कालबोध तथा स्थान-ज्ञान के साथ ही युगीन प्रवृत्ति भी प्रतिबिम्बित है। अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा के बल पर कथाकार ने जो वास्तुसृष्टि की है, वह नवीन और असाधारण होने के साथ ही भावनापूर्ण और उपयुक्त है। कथाकार का वास्तुविषयक अनुमान बिलकुल स्पष्ट है, जिसे उन्होंने प्रत्युत्पन्न कल्पना-चातुर्य तथा विपुल वर्णनप्रौढि से मूर्त एवं प्रत्यक्ष कर दिया है। कथाकार द्वारा सृष्ट वास्तु से वास्तुकार के उद्यम, उत्साह, संरचनात्मक समृद्धि रचना-पद्धति की अनेकतानता, सातिशय सौन्दर्य और वास्तविक उपयोगिता के साथ ही उसके सांस्कृतिक स्वरूप की पवित्रता प्रकट होती है। इसी नेतृत्वपूर्ण नैष्ठिक सर्जनात्मकता के कारण ही वास्तुकार को मूर्त्तिमान् स्रष्टा कहा गया है और वास्तुकला को सभी कलाओं की जननी माना गया है।

संदर्भग्रन्थसूची

1. डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव, वसुदेवहिण्डी: भारतीय जीवन और संस्कृत की बृहत्कथा, प्राकृत-जैनशास्त्र और अहिंसा शोध-संस्थान वैशाली, सन-1993
2. नेमिचन्द्र शास्त्री, प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तारा बुकएजेन्सी वाराणसी,सन-1988
3. डॉ. जगदीशचन्द्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, सन-1985
4. डॉ. प्रेम सुमन जैन, कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन, प्राकृत-जैन-शास्त्र एवं अहिंसा शोध-संस्थान वैशाली (बिहार) सन-1975
5. जिनेन्द्र वर्णी, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भारतीय ज्ञानपीठ 18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली -110003, सन-1998
6. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी कोश, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, पटना, वाराणसी, सन-1973
7. A.M. Ghatage. A comprehensive and critical Dictionary of the Prakrit Languages with Special Reference to Jain Literature, Bhandarkar Oriental Rescarch Institute Pune-411004 (India), Year-2005

प्राचीन प्राकृत साहित्य में वाचिक व्यवहार के सूत्र

प्रो. दामोदर शास्त्री, लाडनूं (नागौर) राज.

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिकता का आधार उसका वाचिक व्यवहार है। आचार्य दण्डी के अनुसार, लोकयात्रा (समस्त लौकिक व्यवहार) वाणी के प्रसाद से ही सम्भव होती है। यदि यह शब्दात्मक ज्योति नहीं होती तो तीनों लोकों में अन्धकार होता।[1] नीतिकार भर्तृहरि ने वाणी को इसी दृष्टि से मानवों का वास्तविक आभूषण बताया है।[2] अतः समस्त व्यवहारों में वाणी-सम्बन्धी व्यवहार की प्रमुखता निर्विवाद सिद्ध होती है।

सामान्य व्यवहार-सूत्र

प्राचीन प्राकृत साहित्य में, विशेषतः आगम एवं उसकी व्याख्याओं में अनेक ऐसे प्रसंग वर्णित हैं, जिनसे हमें पारस्परिक व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, सम्राट् भरत को एक बार अनेक शुभ समाचार प्राप्त हुए- (1) पिता भगवान् ऋषभदेव को 'केवलज्ञान' प्राप्त हो गया। (2) आयुधशाला में चक्ररत्न हुआ है। (3) अन्तःपुर में पुत्ररत्न हुआ है। अब सम्राट् भरत के समक्ष यह व्यावहारिक समस्या थी कि वे किसे प्रथम स्थान या बहुमान दें। उन्होंने केवलज्ञान की उत्पत्ति को बहुमान दिया, क्योंकि पिता इहलोक व परलोक के लिए सुखावह है, जब कि अन्य घटनाएं वर्तमान ऐहलौकिक जीवन के लिए ही सुखप्रद हैं। उक्त व्यावहारिक सूत्र के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता भगवान् ऋषभदेव को सर्वाधिक पूज्य माना और उन्हें सर्वप्रथम वन्दना करने हेतु प्रस्थित हुए।

जैन धर्म-दर्शन तथा विस्तृत जिनवाणी के सार को व्यावहारिक दृष्टि से अल्पतम शब्दों में कैसे कहा जाय, इस सम्बन्ध में भी जैन मनीषियों का ध्यान था, अतः उन्होंने एक गाथा में समाहित करते हुए कहा- ''जो तुम अपने लिए चाहते हो, वैसा ही तुम औरों के लिए चाहो और जो तुम स्वयं के लिए न चाहो, उसे औरों के लिए भी मत चाहो, बस इतना-सा जिन-शासन है।''[4]

परिवार की सदस्य नारियों को उनके व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर ही घर के उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जाते थे-ऐसा नायाधम्मकहाओ (ज्ञाता धर्मकथा) से ज्ञात होता है। वहाँ उज्झिता, भोगवती, रक्षिता व रोहिणी-इन चार पुत्रवधुओं की कथा है, जिनमें प्रत्येक को, व्यवहारज्ञान की तरतमता के आधार पर पारिवारिक उत्तरदायित्व दिया गया था।[5] इस

प्रकार, प्राचीन प्राकृत (जैन आगम व व्याख्या) साहित्य में व्यावहारिक सूत्र यत्र-तत्र निरूपित हुए हैं।

वाचिक व्यवहार के सूत्र

अपराधी के प्रति वाचिक व्यवहार

प्रस्तुत निबन्ध में वाचिक व्यवहार से सम्बन्धित कुछ उपयोगी सूत्रों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है। राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आदि स्तरों पर छोटे-बड़े अपराध होते हैं। इन पर वाचिक प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस विषय में तीन प्रकार की दण्डनीतियों का निर्देश प्राप्त होता हैं। वे हैं-हाकार, माकार व धिक्कार नीति। अपराध के स्वरूप आदि को दृष्टि में रखकर, इन दण्डनीतियों के अनुरूप वाचिक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए-ऐसा व्यवहारसूत्र प्राप्त होता है।[6] इन नीतियों का विवरण इस प्रकार ज्ञातव्य है-

(हाकार नीति)

सात कुलकरों की दृष्टि से प्रथम कुलकर विमलवाहन के समय 'हाकार' नीति का प्रचलन हुआ। उस युग का मानव आज के मानव की तरह अमर्यादित व उच्छृखल नहीं था। वह स्वभाव से ही संकोची और लज्जाशील था। अपराध करने पर अपराधी को इतना ही कहा जाता- ''हा! अर्थात् तुमने यह क्या किया?'' यह शब्द-प्रताड़ना उस युग का महान् दण्ड था। अपराधी पानी-पानी हो जाता। प्रस्तुत नीति द्वितीय कुलकर ''चक्षुष्मान'' के समय तक सफलता के साथ चली।

(माकार नीति)

जब ''हाकार नीति'' विफल होने लगी, तब ''माकार नीति'' का प्रयोग आरम्भ हुआ। तृतीय और चतुर्थ कुलकर ''यशस्वी'' और ''अभिचन्द्र'' के समय तक लघु अपराध के लिए ''हाकार नीति'' और गुरुतर अपराध के लिए ''माकार नीति'' प्रचलित रही। ''ऐसा मत करना'' यह निषेधाज्ञा महान् दण्ड समझी जाने लगी।

(धिक्कारनीति)

मगर जनसाधारण की धृष्टता क्रमशः बढती जा रही थी, अतः माकारनीति के भी असफल हो जाने पर 'धिक्कारनीति' का प्रादुर्भाव हुआ। यह नीति पांचवें प्रसेनजित्, छठे मरूदेव तथा सातवें कुलकर नाभि तक चलती रही। इस प्रकार खेद, निषेध और तिरस्कार-ये मृत्युदण्ड से भी अधिक प्रभावशाली थे, क्योंकि उस समय का मानव स्वभाव से सरल और मानस से कोमल था और उस समय तक अपराधवृत्ति का विशेष विकास भी नहीं हुआ था।

सम्प्रदायातीत व्यवहार

किसी भी अन्य परम्परा या धार्मिक सम्प्रदाय का व्यक्ति हो, उसके साथ भी यथोचित आदर या सम्मान की भावना रख कर ही परस्पर वार्तालाप या संवाद करना चाहिए-यह व्यवहार सूत्र में उत्तराध्ययन सूत्र के केशीगौतमीय सूक्त (23 वें अध्ययन) से प्राप्त होता है। केशीकुमार श्रमण पार्श्वनाथ-परम्परा से सम्बद्ध थे और गौतम गणधर भगवान् महावीर की परम्परा के थे। दोनों का श्रावस्ती नगरी में पदार्पण हुआ। चूंकि केशीकुमार श्रमण का ज्येष्ठ कुल था, इसलिए गौतम गणधर कोष्ठक उद्यान से तिन्दुग उद्यान पधारे, जहां केशीकुमार विराजमान थे।[7] केशीकुमार ने सम्प्रदाय की संकीर्ण परिधि से ऊपर उठ कर गौतम का यथोचित आदर-सत्कार किया।[8] दोनों में धार्मिक-दार्शनिक विषयों पर तत्त्वचर्चा हुई। केशीकुमार ने बार-बार अपनी वाणी से गौतम गणधर की प्रशंसा करते हुए कहा-तुम्हारी प्रज्ञा उत्तम है। (साधु गोतम पण्णा ते)। इतना ही नहीं, उन्होंने गौतम को 'सर्वसूत्रमहोदधि' विशेषण से सम्बोधन करते हुए नमस्कार-वचन कहे।[9] यह सारा प्रकरण दो सम्प्रदायों के आचार्यों के मध्य वाचिक व्यवहार कितना सारगर्भित, सम्प्रदायातीत व विनयपूर्ण होना चाहिए, इसको व्यवहारसूत्र प्रस्तुत करता है।

उपदेशक का वाग्व्यवहार

अनार्य लोगों से अनार्य भाषा में ही वाचिक व्यवहार करना चाहिए-यह व्यवहार सूत्र आचार्य कुन्दकुन्द-कृत समयसार से प्राप्त होता है। अतः जो उपदेशक हैं, गुरु हैं, धर्म-प्रभावक हैं, शिक्षक हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वचनों को श्रोता के लिए हृदयग्राही बनाने के लिए, श्रोता की भाषा में तथा उसके मन-मस्तिष्क के स्तर के अनुरूप ही प्रयुक्त करना चाहिए-ग्रह उक्त व्यवहार-सूत्र का हार्द है। यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव स्वयं अनार्य देशों में पधारे और उन्होंने अपने उपदेशों से उन्हें भद्रपरिणामी बनाया था।[11] भगवान् महावीर भी अनार्य देशों में गए और अनेक उपसर्ग सहे थे।[12] उनकी उत्तम तपसाधना भी म्लेच्छ लोगों को तितिक्षा का मौन सन्देश दे रही थी। यह मौन सन्देश भी अनेक आलाप-संलापों से अधिक प्रभावक बना होगा। अतः कभी-कभी वाणी का मौन रहना भी एक प्रभावक व्यवहार होता है, इस तथ्य की पुष्टि उनकी साधना कर रही थी।

निष्ठुर व मर्मभेदी वचन न बोलें

कभी-कभी सत्य भी अप्रिय होता है और दूसरों के लिए मर्मभेदी व कठोर होता है। उस अप्रिय सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। आज भी लोग अन्धे को अन्धा नहीं कहते,

सूरदास या प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। लूले-लंगड़े को दिव्यांग कहा जाता है। सभ्य समाज का यही व्यवहार है। जैन परम्परा में तो मुनियों के लिए 'भाषा-समिति' का विशेष विधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत साधक को भाषा प्रयोग सम्बन्धी विवेक या 'यतना' (संयम) का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है।

दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि भड़काने वाली या दूसरों को पीड़ा देने वाली अविवेकपूर्ण (भूतोपघातिनी) सत्य भाषा भी न बोले, क्योंकि इससे पाप कर्म का बन्ध होता है। अतः काने को काना और चोर को चोर न कहे। परपीड़ाकारक या हिंसक भाषा का प्रयोग न करे।[13] इसी प्रकार, अरे कुत्ते! अरे साले! आदि अपशब्दों से सम्बोधित करना भी उचित नहीं हैं।[14] मुनि के लिए तो विशेष निर्देश है कि वह जीवघातकारक, क्रोधादि कषायों से प्रेरित एवं दूसरों का मजाक उड़ाने वाले वचनों को कदापि नहीं बोले।[15]

शिक्षार्थी के लिए भी विशेष निर्देश है कि वह मर्मान्तक या मर्मभेदी व कटुवचन न बोले।[16] काने को काना कहना, अन्धे को अन्धा कहना भी मर्मभेदी वचन है। किसी की गुप्त बात या रहस्य को प्रकाशित कर देना भी मर्मभेदी माना गया है। चूर्णिकार के मत में किसी के जन्म व कर्म को लेकर भी मर्मभेदी वचन बोले जा सकते हैं। जैसे- तुम तो चोर-डाकू के बेटे हो, तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम हो, आदि आदि वचन मर्मभेदी ही होते हैं। अतः व्यक्ति को इन वचनों का त्याग करना चाहिए।''[17] भगवान् बुद्ध ने भी कहा है कि निरवद्य वचन बोलना चाहिए। उनके मत में जो स्वयं व दूसरों को कष्ट न दे-ऐसा निर्दोष वचन, धर्मानुरूप वचन, प्रिय वचन, सत्य वचन ही बोलने चाहिए, न कि दोषपूर्ण, अधार्मिक, अप्रिय व असत्य वचन।[18]

भगवती सूत्र में देवों को 'असंयत' कहना भी अनुचित बताया गया है, जब कि उन्हें असंयत मानना असत्य नहीं है। देव न तो संयत होते हैं और न संयतासंयत। चूंकि उन्हें असंयत कहना निष्ठुर वचन है, इसलिए उन्हें 'नोसयंत' कहा जाना चाहिए। उन्हें नोसंयत कहना निष्ठुर भी नहीं है और यथार्थता से परे भी नहीं है।[19]

आवश्यक निर्युक्ति में महावीर के साधना-काल की एक घटना वर्णित है। महावीर म्लेच्छ देशों में विहार कर रहे थे। गौशालक शिष्य के रूप में उनके साथ-साथ था। वह भाषासंयत नहीं था। उसने म्लेच्छों को 'म्लेच्छ' पद से सम्बोधित कर दिया। म्लेच्छों ने कुपित होकर उसे उठा कर पटक दिया। भाषाविवेक के अभाव में उसकी यह दुर्गति हुई।

उपर्युक्त वैचारिक पृष्ठभूमि में, प्राकृत साहित्य में अनेक स्थलों पर अप्रिय व निष्ठुर

वचन के प्रयोग को अकरणीय व गर्हित बताया गया है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में स्वपरभयोत्पादक, संक्लेशकारक, पीड़ाकारक आदि वचनों को अलीक (असत्य, मिथ्या) भाषण की कोटि में परिगणित किया गया है।[21] भगवती आराधना के अनुसार, कर्कश, निष्ठुर, चुगली, हास्य एवं अंटसंट बोलना-ये सभी गर्हित वचन हैं।[22] असत्य वचन के जो भी दोष हैं, उन दोषों का पात्र वह भी है, जो कर्कश वचन आदि बोलता है।[23] अतः एक दूसरे में भेद (लड़ाई, कलह, मनमुटाव, वैमनस्य आदि) पैदा करने वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए।[24]

ठाणं में भी कहा गया है कि असत्य वचन की तरह, तिरस्कारयुक्त वचन, झिड़कने वाला वचन, कठोर वचन, अविचारपूर्ण वचन तथा शान्त कलह को पुनः भड़काने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए।

इस प्रकार, आगमादि में वाणी-व्यवहार से सम्बन्धित उपर्युक्त सूत्र आज भी उपयोगी प्रतीत होते हैं।

सार्थक, सारगर्भित व विनयपूर्वक बोले

अधिक वाचाल (बातूनी) होना, निरर्थक बोलते रहना, ऊलजलूल बकना, अंटसंट बोलना तथा अनावश्यक-अनपेक्षित बोलना- ये पूर्णतः वर्जनीय हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है। कि शिक्षार्थी 'सिया अमुहरी' अर्थात् मुखर न हो, वाचाल न हो।[26] बहुयं न आलवे- अर्थात् बहुत न बोले।[27] बिना गुरु के पूछे न बोले,[28] गुरु आदि आदरणीय व्यक्ति बुलाएं तो मौन न रहे, बैठे-बैठे, अविनय से प्रश्नादि न पूछे, कुछ भी बोले तो विनयपूर्वक ही बोले[29], शिक्षादाता या गुरु के प्रति वाणी में विनय का सदा ध्यान रखे।[30]

दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि जो भी बोले, वह तोल-मोल कर, विवेकपूर्वक (परीक्ष्यभाषी) बोले।[31] वेद में भी कहा गया है

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥[32]

जैसे चलनी से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग बुद्धि के बल से भाषा को परिष्कृत करते हैं। उस समय विद्वान् लोग अपने अभ्युदय को जानते हैं। विद्वानों के वचन में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है।

इसी प्रकार, किसी के बीच में न बोले और किसी की चुगली न खाए।

दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि 'अयतना' पूर्वक बोलने वाला त्रस-स्थावर

जीवों की हिंसा करता है, जिससे उसके पापकर्मों का बन्ध होता है, किन्तु यतनापूर्वक बोलने वाले को पापकर्म का बन्ध नहीं होता।[33]

इस प्रकार, प्राकृत साहित्य में वाणी-व्यवहार-सम्बन्धी जो व्यवहार-सूत्र उपलब्ध हैं, उनका संक्षिप्त निरूपण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि कुछ व्यवहार-सूत्र मुनि या शिक्षार्थी को उद्दिष्ट कर निर्दिष्ट किये गये हैं, तथापि सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये उपादेय हैं। इन व्यवहार-सूत्रों को अपना कर, सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन को प्रशंसित व निरापद कर सकता है।

सन्दर्भ स्थल–

1. दण्डी-कृत काव्यादर्श, 1/3-4:
   इदमन्धन्तमं कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्।
   यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न विद्यते॥
2. वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते।
   क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्॥ (नीतिशतक, 21)
3. आवश्यक निर्युक्ति (गाथा-208-209) तथा विशेषावश्यक भाष्य (गाथा-1707-8) में मात्र प्रथम दो सूचनाएं निर्दिष्ट हैं, जब कि आदिपुराण (24/3-11) में तीसरी सूचना भी निर्दिष्ट है। परन्तु केवलज्ञान व पिता की पूज्यता सर्वत्र प्रतिपादित हुई है।
4. जं इच्छसि अप्पणतो, जं च न इच्छसि अप्पणतो। तं इच्छ परस्स वि, एत्तियगं जिणसासणयं॥ (बृ. कल्पभाष्य-4584)
5. नायाधम्मकहा, 7 वां अध्ययन
6. आवश्यक नियुक्ति, 135/15-16, विशेषावश्यक भाष्य, 1568-70,
7. उत्तराध्ययन, 23/15
8. उत्तराध्ययन, 23/16
9. उत्तराध्ययन, 23/86
10. समयसार, गाथा-8,
11. आवश्यक नियुक्ति, 204/2
12. आवश्यक नियुक्ति, 306
13. दशवैकालिक सूत्र, 7/11-13
14. दशवैकालिक सूत्र, 7/14
15. दशवैकालिक सूत्र, 7/54
16. उत्तराध्ययन सूत्र 1/25
17. उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. 39
18. सुत्तनिपात, सुभाषित सुत्त

19. भगवती सूत्र, 5/4/81-82
20. आवश्यक निर्युक्ति, 306
21. प्रश्नव्याकरण सूत्र, 1/2/सू. 44, 48
22. भगवती आराधना, 824
23. भगवती आराधना, 844
24. (क) प्रश्नव्याकरण सूत्र, 2/2 सू. 120,
(ख) भगवती आराधना, 826-827
25. ठाणं (स्थानांग) 6/3/100
26. उत्तराध्ययन, 1/8
27. उत्तराध्ययन, 1/10
28. उत्तराध्ययन, 1/14, दशवैकालिक 8/46
29. उत्तराध्ययन, 1/20-23
30. दशवैकालिक, 9/1/12
31. दशवैकालिक, 7/57
32. ऋग्वेद, 10/71
33. दशवैकालिक, 8/46
34. दशवैकालिक, 4/गाथा 6-8

प्राकृत शिलालेखों में निहित व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. महावीर प्रभाचंद्र शास्त्री, सोलापुर (महा.)

आज का युग अत्यंत गतिमान् एवं परिवर्तनशील है। नये-नये आविष्कार जन्म ले रहे हैं। संस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव होकर नये परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसा सब होते हुए भी प्राचीन आचार्य, ऋषि-मुनि, युगप्रभावक सम्राटों ने जो संदेश दिए हैं वे आज भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। नया साहित्य सृजन होते हुए भी प्राचीन साहित्य की ओर जब दृष्टि जाती है, तब उनमें दर्शाये गये मार्ग आज भी अत्यंत प्रभावनीय मालूम पड़ते हैं।

प्राचीन काल से लेखन साहित्य शिला, स्तंभ, मिट्टी की ईंटें, विविध धातु, भूर्जपत्र-ताड़पत्र इस प्रकार विविध स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। शिलालेख को प्रस्तर लेख भी कहा जाता है।

शिलालेख (प्रस्तर)- प्राचीन काल में लेखन शिला पर उत्कीर्ण किया जाता था। पत्थर पर स्याही से लिखा जाता था। उसके पश्चात् उत्कीर्णकार छन्नी से अक्षर अंकित करता था। रचना करनेवाला विद्वान्, सुंदर अक्षर लिखनेवाला लेखक, अक्षर खुरेदनेवाला कलाकार इस प्रकार तीन व्यक्तियों की सहायता से शिलालेख पूरा होता था। भारतवर्ष में पाये जानेवाले सब से प्राचीन शिलालेख ब्राह्मी लिपी एवं प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं।[1]

द्वितीयस्तरीय प्रथम युगीन मध्यभारतीय आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन आर्ष प्राकृत है। शिलालेखी प्राकृत शिलालेखी प्राकृत का स्थान उसके पश्चात् ही आता है। यद्यपि लिखित रूप में मध्य युग का अत्यन्त पुरातन जो भी साहित्य उपलब्ध है, वह शिलालेखी प्राकृतों का ही है, तो भी आर्ष प्राकृत को प्राचीन मानना उचित और न्यायसंगत है।[2]

प्राकृत भाषा का अभिलेखीय साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राप्त अभिलेख भाषा, इतिहास, भूगोल और साहित्य की दृष्टि से कई बातों में विशिष्ट है। उपलब्ध अभिलेखीय साहित्य में (प्राकृत) भाषा के अभिलेख ही सबसे अधिक प्राचीन है। प्रारम्भ से ई. सन् की चौथी शती तक के समस्त अभिलेख प्रायः प्राकृत में ही है। इन अभिलेखों में किसी व्यक्ति

विशेष का केवल यशोगान ही निबद्ध नहीं है बल्कि मानवता के पोषक सिद्धांत अंकित हैं। इस प्रकार असाम्प्रदायिक और विश्वसनीय साहित्य संसार में बहुत कम मिलेगा। प्राकृत अभिलेखों में साहित्य के अनेक विधाओं के बीज वर्तमान है।

साहित्य की व्यवस्थित अध्ययन की परम्परा सब से अधिक शिलालेखों में सुरक्षित रहती है। अतः अभिलेखीय साहित्य का किसी भी प्रकार संशोधन और परिवर्तन सम्भव नहीं है। शिलालेखों पर उत्कीर्ण साहित्य समय के शाश्वत प्रवाह में तदवस्थ रहता है। यही कारण है कि शिलालेखों का अध्ययन किसी भी भाषा और साहित्य की परम्परा में नितान्त आवश्यक होता है।[3]

प्राकृत में सब से प्राचीन अभिलेख प्राकृत-**मौर्यकालीन** है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के अभिलेख ई.पू. 269 में राज्याभिषेक के बारह वर्ष पश्चात् गिरनार, कालसी, धौली, जौगढ़ एवं मानसेहरा आदि स्थानों पर उत्कीर्ण कराये गये हैं। इन शिलालेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके द्वारा सम्राट अशोक ने प्रजा में '**अहिंसा**' के प्रति आस्था जागृत करने का प्रयास किया गया है। समाज में सदाचार, सुव्यवस्था एवं निश्छल प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास भी इन अभिलेखों में पाया जाता है। त्याग, आत्मसंयम एवं रागरहित प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए क्षमादेश प्रचारित किये गये हैं। अशोक ने कलिंग के अभिलेखों में कहा है- '**मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान है और मैं चाहता हूँ कि सबको इस लोक तथा परलोक में सुख एवं शान्ति मिले।**' अशोक के अभिलेखों से उपलब्ध होनेवाले तथ्य निम्न प्रकार हैं-

1. मौर्य साम्राज्य पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान से उड़ीसा तक तथा हिमालय की तराई से नेपाल की तराई का स्तम्भ लेख सम्मनदेई तथा कालसी के लेख मद्रास प्रान्त के एरगुडी तक व्याप्त था क्योंकि शिलालेखों का सीमा क्षेत्र उपर्युक्त ही है। अशोक के द्वितीय तथा तेरहवें अभिलेख में राजाओं की जो नामावली आयी है, उससे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है।
2. मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का परिज्ञान भी अशोक के अभिलेखों से प्राप्त किया जा सकता है। पाँचवे धर्म-स्तम्भ लेख में धर्म माहात्म्य को बताने वाले नये कर्मचारी की नियुक्ति का वर्णन है। तीसरे में रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को प्रजाहित के लिए राज्य में परिभ्रमण करने की आज्ञा दी गयी है। चतुर्थ स्तम्भ अभिलेख में अशोक ने स्वयं रज्जुक के विभिन्न कार्यों का निर्देश किया है। उसने प्रजा के

हितचिन्तन पर विशेष बल दिया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसल्ली, स्वर्णगिरि नामक प्रान्तों में उसने शासन को विभक्त किया था। अशोक के अष्टम अभिलेख में आए हुए वाक्य- 'सम्बोधित तेनेसा धर्म यात्रा' मिलता है। ज्ञान प्राप्त के स्थान बोधगया भी गया। सम्बोधि धर्म माता से बोधगया तीर्थयात्रा का संकेत प्राप्त होता है। अन्य स्थानों के सम्बल में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, पर सारनाथ का स्तम्भलेख तथा धर्मराज का स्तम्भलेख निर्माण अशोक की सारनाथ तीर्थयात्रा को प्रमाणित करता है। सारनाथ स्तम्भ लेख में संघ-भेद के प्रसंग पाटलीपुत्र का नाम उल्लिखित है।

3. अभिलेखों में जनता के प्रधान कर्तव्यों का भी विवेचन किया गया है। बताया गया है कि माता-पिता की सेवा, प्राणियों के प्राणों का आदर, विद्यार्थियों को आचार्य की सेवा एवं जातिभाइयों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के धर्म और विश्वासों के साथ सहानुभूति रखने का निर्देश करते हुए द्वादश अभिलेख में लिखा है-'देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी विविध दान और पूजा से गृहस्थ तथा संन्यासी सभी सम्प्रदायवालों का सत्कार करते हैं, किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते हैं, जितना इस बात की कि इन सम्प्रदायों में सारवृद्धि हो। सम्प्रदायों के 'सार' की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसका मूल वाक् संयम है। अर्थात् लोक के बल ही सम्प्रदाय को आदर और दूसरों की निन्दा न करें।' तृतीय अभिलेख में बताया है। कि माता-पिता की सेवा करना, मित्र, परिचित एवं स्वजातीय ब्राह्मण को दान देना अच्छा है। कम खर्च करना और कम संयम करना भी हितकर है।

4. यात्रियों की सुख-सुविधा का निरूपण करते हुए सम्पन्न अभिलेख में बताया गया है कि सड़कों पर मनुष्य और पशुओं को छाया देने के लिए बरगद के पेड़ लगवायें, आम्र वाटिकाएँ लगवायें, आधे-आधे कोश पर कुएँ खुदवायें, सराय बनवायें और जहाँ-तहाँ मनुष्यों तथा पशुओं के उपकार के लिए तालाब खुदवायें। रोगी मनुष्य और पशुओं की व्यवस्था का प्रतिपादन द्वितीय अभिलेख में किया गया है। उस समय मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध था।

5. द्वितीय स्तम्भ लेख में धर्म के सार्वजनिक स्वरूप का विवेचन किया है। धर्म का यह रूप किसी सम्प्रदाय विशेष का नहीं है, मानवरूप किसी सम्प्रदाय विशेष का नहीं है, मानव मात्र का है। बताया गया है-अपासिनवे बहूक याने दया दान सचे य सोचये-

पाप से दूर रहना, बहुत अच्छे कल्याण के कार्य करना तथा दया, दान, सत्य एवं शौच का पालन करना धर्म है।

6. जीवन में अहिंसा को उतारने के लिए आहारपान की शुद्धि का भी निर्देश किया गया है। माँस-मदिरा का त्याग कर शुद्ध शाकाहारी बनने की ओर संकेत किया है।

मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंगवंशी पुष्यमित्र ने अपने को कोशलाधीश कहा है। जिसका अर्थ है कि वह उत्तर कौशल का शासक था, जिसकी राजधानी **अयोध्या और त्रिपुरी** (जबलपुर) थी। दक्षिण भारत के शासक सातवाहन नरेशों के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, गोवर्धन-नासिक जय स्कन्धवार के रूप में उल्लिखित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय प्रसंग के प्रदेश तथा नदियों के नाम आये हैं। सातकर्णी समकालीन **खारवेल ने हाथीगुंफा अभिलेख में कलिंग नगर** का नाम आया है। उड़ीसा के जैनधर्म का प्रवेश शिशुनागवंशी राजा नन्दवर्द्धन के समय में ही था तथा खारवेल के पूर्व भी उदयगिरि पर्वत पर अर्हन्तों के मन्दिर थे। सम्राट सम्पत्ति के समय में वहाँ वादिवंश का राज्य था। इसी वंश में जैन सम्राट खारवेल हुआ, जो उस समय का चक्रवर्ती राजा था। उसका एक अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर तीर्थ के पास उदयगिरि पर्वत के एक गुफा में खुदा मिला है, जो हाथी गुम्फा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें प्रतापी राजा खारवेल के जीवन वृत्तान्तों का वर्णन है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि खारवेल ने मगध पर दो बार चढ़ाई की और वहाँ के राजा बहसतिमित्र को पराजित किया। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र और बहसतिमित्र को एक बताने का अनुमान किया है। शुंगवंशी अग्निमित्र के सिक्के के समान ठीक उसी रूप का सिक्का बहसतिमित्र का मिलता है।[4]

दक्षिण आन्ध्रवंशी राजा सातकर्णी खारवेल का समकालीन था। अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातकर्णी की परवाह न कर खारवेल ने दक्षिण में एक बड़ी भारी सेना भेजी, जिस ने दक्षिण के कई राज्यों को परास्त किया। सुदूर दक्षिण के पण्डित राजा के यहाँ से खारवेल के पास बड़े बहुमूल्य उपहार आते थे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक समस्त भारत में उस की विजयपताका फहरायी।[5]

खारवेल एक वर्ष में विजय के लिए प्रस्थान करता था तो **दूसरे वर्ष में महल आदि बनवाता, दान देता तथा प्रजा के हित** के लिए कार्य करता था। उसने अपनी पैंतीस लाख प्रजा पर अनुग्रह किया था। विजय यात्रा के पश्चात् राजसूय यज्ञ किया और बडे-बडे ब्राह्मणों को दान दिया। **उसने एक बड़ा जैन सम्मेलन बुलाया था**, जिसमें सम्पूर्ण भारत के जैन

तपस्वी, ऋषि और पण्डित सम्मिलित हुए थे। जैन संघ ने खारवेल को खेमेराजा, भिक्षुराजा और धर्मराजा की पदवी प्रदान की थी। यह अभिलेख ई.पू. 150-100 के लगभग का है। इतिहासकारों का मत है कि मौर्यकाल की वंश परम्परा तथा कालगणना की दृष्टि से इसका महत्त्व अशोक के शिलालेखों से भी अधिक है। देश में उपलब्ध अभिलेखों में यही एक ऐसा अभिलेख है, जिसमें वंश तथा वर्ष संख्या का स्पष्ट उल्लेख है। प्राचीनता की दृष्टि से यह अशोक के बाद का अभिलेख माना जाता है। इसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का सुन्दर चित्रण है। सत्रह पंक्तियों का यह अभिलेख इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से बेजोड़ है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख की 10 वी पंक्ति में भरहवस्स-भारतवर्ष के रूप में मिलता है।

भारत में दानपत्र और ताम्रपत्रों की परम्परा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। मौर्यकालीन गया जिले में स्थित बरार पर्वत का गुहालेख दान सबसे प्राचीन उदाहरण है। ई.पू. सदियों में साँची वेदी पर वंश के दानकर्ता का नाम खुदा है। नासिक लेख में उषमदत्त द्वारा दान का उल्लेख मिलता है। उसने 3000 काषपिण श्रेणियों के बैंक के सूद पर जमा किये थे। उस आय से भिक्षुओं के भोजन और जीवन का प्रबन्ध किया जाता था। उसने ब्राह्मण कन्याओं के विवाह करने के लिए भी दान दिया।

प्राकृत अभिलेखों में इतिहास और पुरातत्त्व सम्बन्धी प्रचुर सामग्री है। अशोक, कनिष्क, खारवेल, गौतमी पुत्र-सातकर्णी, नईपान, रुद्रदामन, पुलमाभी, वाकाटक आदि के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री मिलती है। अशोक के धर्मलेख में मौर्य साम्राज्य की विशेषता प्रकट करते हैं। अशोक के अभिलेखों से ही उसके पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य की शक्ति का अनुमान होता है। यों तो उसके लेख प्रायः सम्पूर्ण भारत पर विस्तृत साम्राज्य की जानकारी कराते हैं। परन्तु त्रयोदश लेख में कलिंग विजय की बात कही गयी है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कलिंग को छोड़कर हिमालय से मद्रास तक का प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य ने जीता था। इस प्रकार प्राकृत अभिलेखों में इतिहास की प्रचुर सामग्री निहित है।[6]

प्राचीन शिलालेख में वर्णन किए हुए उपदेशों का अनुपालन किया जाए तो आज के युग की अनेक समस्याओं पर एक उचित समाधान प्राप्त हो सकता है। अशोक के शिलालेखों में वर्णन किये हुए सिद्धांत आज भी व्यावहारिक पक्ष में खरे उतरते हैं। उन में से कुछ मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं।

1. **सहिष्णुता**- यदि कोई अपने धर्म की भक्ति के कारण अथवा अपने धर्म के उन्नति

की इच्छा से अपने धर्मवालों को पूजता है और दूसरे धर्मवालों की बुराई करता है तो ऐसा करने से वह अपने धर्म पर ही कठोर प्रहार करता है। -**बारहवाँ अभिलेख**

आज धर्म के नाम पर पूरे विश्व में झगड़े हो रहे हैं। विश्व में अशांति का माहोल फैल रहा है, ऐसे में **विश्वशांति के लिए सम्राट अशोक** ने प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किये हुए उपर्युक्त बारहवें अभिलेख का अनुसरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है।

2. **शील**- यह धर्म प्रचार का सर्वोत्तम कार्य है, शीलरहित पुरुष के लिये धर्माचरण असम्भव है। -**चौथा अभिलेख**

व्यक्ति को शीलवान् रहने के लिए चतुर्थ अभिलेख में प्राप्त उपदेश आज महिला समस्या के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार आदि की समस्याएँ उनके आदर भावना को, महिला सम्मान को ठेस पहुँचा रही हैं। ऐसे में सम्राट अशोक के संदेशों की प्रासंगिकता बहुमूल्य है।

3. **विजय**- यह धर्म-लिपि लिखवाई गई है कि मेरे पुत्र तथा पौत्र किसी नवीन विजय को प्राप्त करने की चेष्टा न करें, यदि वे किसी विजय को प्राप्त करें, तो वह क्षमा और लघु दण्ड होना चाहिये। -**तेरहवाँ अभिलेख**

मनुष्य कितना भी धन, भूमि या सत्ता अर्जित कर ले लेकिन वह सुखी नहीं हो सकता। आत्मसाधना ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने से भी खुद पर विजय प्राप्त करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। विश्वविजयी अलेक्झेंडर की तरह अपने अनुभव से तेरहवें अभिलेख में सम्राट अशोक ने अपने परिवार एवं समाज को दूसरों पर विजय प्राप्त करने के बजाय आत्मविजय प्राप्त करें यह मंगल संदेश दिया है। यह आज के युग के लिए भी अत्यंत प्रभावी है।

4. **भलाई**- भलाई कठिनता से होती है, जो मनुष्य भलाई प्रारम्भ करता है वह बहुत कठिन कार्य करता है। पाँचवा अभिलेख खुद के लिए जीने से भी दूसरों के लिए कार्य करना कठिन है एवं ऐसे लोग विरले ही पाये जाते हैं। इस समाज में सुख-समृद्धि के लिये मनुष्य को एक-दूसरे की भलाई करनी चाहिए, यह प्रासंगिक उपदेश पाँचवें अभिलेख से प्राप्त होता है।

5. **धर्म**- धर्म वही है कि पाप से दूर रहें, बहुत से अच्छे कार्य करें, दया, दान, सत्य तथा शौच (पवित्र) का पालन करें। -**ग्यारहवाँ अभिलेख**

आज विश्व सांप्रदायिकता की चपेट में आया है। धर्म की सच्ची व्याख्या आपसे दूर रहने की बात बताकर अशोक ने पूरे विश्व को एकता का संदेश दिया है। आज जातिवाद के माहौल में सम्राट अशोक के इस सिद्धांत का भाईचारे हेतु महत्त्व है।

6. **सेवाभाव तथा गुरुसम्मान**- धर्म यही है कि दासों और सेवकों से उचित व्यवहार किया जाय, माता-पिता की सेवा की जाय, श्रमणों तथा ब्राह्मणों को दान दिया जाय और हिंसा न की जाय -**11 वाँ अभिलेख**

अपने सेवकों के साथ उचित व्यवहार करना ही सच्चा धर्म है। आज वृद्धाश्रम की समस्या भी गंभीर रूप ले रही है। ऐसे में 2000 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने दिए संदेश की प्रासंगिकता महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। गुरुसेवा के माध्यम से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यह महत्त्वपूर्ण संदेश भी आज की पीढ़ी को प्राप्त होता है।

7. **कालगणना**- सम्राट खारवेल के हाथीगुंफा शिलालेख में वंश एवं वर्षसंख्या का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इससे हमारे अनेक इतिहास की कालगणना को पुष्टि मिलती है। इससे हम यही प्रासंगिक संदेश दे सकते हैं कि किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य का स्पष्ट कालानुरूप उल्लेख रहना आवश्यक है।

8. **ऐतिहासिक पुष्टि**- सम्राट खारवेल के शिलालेख से ही स्वतंत्र भारत के नामकरण को पुष्टि मिली थी। इस हाथीगुंफा शिलालेख से ही भरहवस्स इस नामकरण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'भारत' इस नाम को सबसे प्राचीन उल्लेख होने से निश्चित किया था। **हमारे ऐतिहासिक तथ्यों को व्यवस्थित लिपिबद्ध रखा जाना चाहिए** यह प्रासंगिक संदेश भी हमें इससे प्राप्त होता है।

9. **सम्मेलन, चर्चा आयोजन**- सम्राट खारवेल ने सिर्फ विजय यात्रा ही नहीं की बल्कि उस के साथ साथ प्रजाहित के लिए भी अनेक कार्य किए। उसने विराट जैन सम्मेलन आयोजन किया था। सिर्फ अपने मत को प्रसारित न करते हुए बुद्धिवादी, ऋषि-मुनियों से भी **चर्चा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए**, यह महत्त्वपूर्ण संदेश सम्राट खारवेल के शिलालेख से हमें प्राप्त हो सकता है।

उपसंहार–

इस प्रकार अन्य भी अनेक शिलालेख हैं, जिनके वर्णन से आज भी हमें अनेक ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलती है। आज के वाद-विवाद के संदिग्ध

काल में शिलालेख में उल्लेखित प्रमाण, उसमें दिए गये संदेश हमारे लिए अत्यंत व्यावहारिक सिद्ध होते हैं। ऐसे माहौल में प्राकृत शिलालेखों का संरक्षण, संवर्धन एवं संशोधन व्यावहारिक पक्ष की अपेक्षा से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

संदर्भ :

1. जैनबोधक, लिपि विशेषांक, डॉ. महावीर शास्त्री, ध.रा.स.दो.स्मा.संघ, सोलापुर, 1-31 जनवरी 2015.
2. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ. 247, नेमिचंद्र शास्त्री, तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी, 1988.।
3. वैशाली इन्स्टीट्यूट रिसर्च बुलेटीन नं. 6, चंद्रदेव राय, प्राकृत अभिलेखों का महत्व, पृ. 68, वैशाली-बिहार, 1988.
4. अशोक के अभिलेख, प्रस्तावना, वा.रा.गाणार, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, 1975.
5. वैशाली इन्स्टीट्यूट रिसर्च बुलेटीन नं. 6 चंद्रदेव राय, प्राकृत अभिलेखों का महत्व, पृ. 70, वैशाली-बिहार, 1988.
6. अशोक के अभिलेख, राजबली पांडेय, पृ. 128, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, 1965.

उवासकदसाओ में वर्णित अनर्थदण्ड विरमण व्रत की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता

डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा, लाडनूँ (राज.)

इस अवसर्पिणी काल में भगवान् महावीर ने साधु के लिए पाँच महाव्रत तथा श्रावक के लिए पाँच अणुव्रत और सात शीलव्रत धर्म का प्रतिपादन किया, इसी आधार पर महाव्रती और व्रती समाज की संरचना हुई, तीर्थ का प्रवर्तन किया, चतुर्विध संघ का समुदय हुआ- श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका।[1] महाव्रत धर्म का पालन करने वाले पुरुष श्रमण तथा स्त्रियाँ श्रमणी संज्ञा से अभिहित हुईं। पाँच अणुव्रत और सात शील-व्रत की साधना करने वाले श्रावक-श्राविकाएँ कहलाए। भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस द्विविध धर्म की परंपरा के हजारों-लाखों व्यक्ति संवाहक बने।

भगवान् महावीर के शासन काल में गणधर गौतम आदि चौदह हजार पुरुषों तथा महासती चंदना आदि छत्तीस हजार स्त्रियों ने पँच महाव्रत धर्म को स्वीकार किया। बारह प्रकार के श्रावक-धर्म को स्वीकार कर एक लाख उनसठ हजार पुरुष श्रमणोपासक तथा तीन लाख अठारह हजार स्त्रियाँ श्रमणोपासिकाएँ बनीं।[2] वर्तमान उपभोक्तावादी और पदार्थवादी युग में भी पाँच महाव्रत और बारह व्रत के संवहन की परंपरा प्रतिष्ठित बनी हुई है।

भगवान् महावीर के शासन में पँच महाव्रतधारी साधु-साध्वियों के प्रति हार्दिक श्रद्धा और सम्मान की भावना व्यापक है। यह पूजा प्रतिष्ठा चारित्र की है, व्यक्ति की नहीं। श्रमणोपासकों का स्थान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहा है। अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने अध्यात्म-साधना के उच्चतम शिखर का स्पर्श किया है। स्थानांग का यह उल्लेख इसका प्रमाण है-महावीर के तीर्थ में नौ जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया है। उनमें श्रेणिक, सुपार्श्व, शतक, शंख, सुलसा, रेवती आदि श्रावक-श्राविकाओं का उल्लेख है। वे आगामी चौबीसी में तीर्थंकर बनेंगे, धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। श्रावक धर्म की उत्पत्ति और उपलब्धि का यह गरिमामय इतिहास है।

भगवई आगम के सातवें शतक में 'प्रत्याख्यान' का सुंदर प्रकरण है। इसमें गणधर गौतम के प्रत्याख्यान के संदर्भ में पूछे गए सात प्रश्नों के उत्तर भगवान महावीर ने दिए हैं। इन प्रश्नोत्तरों में अनगार और अगार धर्म का व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है।[4]

जैनधर्म में अनुयायियों की तीन श्रेणियाँ निर्दिष्ट हैं-सुलभ-बोधि, सम्यग्दृष्टि और व्रती। जिसे धर्म अच्छा लगता है पर वह आचरण कुछ भी नहीं करता और न उसका दृष्टिकोण ही सम्यक् बना है-केवल धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो गया, वह कहलाता है सुलभ-बोधि।

दूसरा होता है सम्यक्-दृष्टि। दृष्टिकोण सम्यक् हो गया। वह जीव-अजीव को जानता है, नव तत्त्व को जानता है, देव, गुरु और धर्म को ठीक से जानता है। सम्यक् दर्शन प्राप्त हो गया, वह सम्यक् दृष्टि श्रावक होता है पर वह व्रती श्रावक नहीं होता। अध्यात्म की भाषा में वह पंडित भी नहीं है, बाल-पंडित भी नहीं है, केवल सम्यक् दृष्टि है, अविरत सम्यक्-दृष्टि है।

तीसरी श्रेणी है व्रती श्रावक की। एक बारह व्रती श्रावक और एक सामान्य गृहस्थ-दोनों में अंतर क्या है? यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। इसका उत्तर होगा-जो श्रावक बन गया, वह पहले निश्चित सम्यक् दृष्टि बन गया। व्रत सम्यक्त्वी के ही होता है। मिथ्यादृष्टि के व्रत नहीं होता। पहले सम्यक् दृष्टि बना, फिर व्रती श्रावक बना। पाँच अणुव्रत स्वीकार कर लिए। उससे भी आगे एक और विवेक चेतना जाग गई। भगवान् महावीर ने उस विवेक का नाम दिया अनर्थदंड-विरमण व्रत।

आनंद श्रावक बन रहा है। कुछ बन गया, वह प्रत्याख्यान कर रहा है- 'भंते! मैं चतुर्विध अनर्थ दंड का प्रत्याख्यान करता हूँ।'[5] यह बड़ा महत्त्वपूर्ण व्रत है, प्रतिक्षण जागरुकता का व्रत है। गृहस्थ है, वह रोटी भी पकाता है, शाक-सब्जी भी लाता है, व्यापार भी करता है, कोई व्यक्ति खेती भी करता है और भी बहुत काम करता है। सब काम करते हुए भी इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है कि अनर्थ दंड न हो।

हिंसा के दो प्रकार

हिंसा दो प्रकार की है-अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा। प्रयोजनवश, आवश्यकता के अनुरूप हिंसा के गृहस्थ गृहकार्य करता है जिसमें अपरिहार्य हिंसा होती है। पर अनावश्यक हिंसा मत करो। प्रयोजन नहीं, मतलब नहीं तो हिंसा न करे। प्रश्न होगा-बिना मतलब हिंसा कौन करता है? यदि व्यक्ति ध्यान दे तो पता चलेगा-आदमी आवश्यकता के साथ जितनी हिंसा करता है, शायद उससे ज्यादा अनावश्यक हिंसा करता है, बिना मतलब हिंसा करता है।

अनर्थ दंड है अनावश्यक प्रवृत्ति

हम इसी भाषा में सोचें कोई व्यक्ति बिना मतलब हिंसा करना नहीं चाहता। जब-जब

कषाय, मोह कर्म का प्रबल वेग आता है, उस समय अनावश्यक काम करता है। भगवान महावीर ने यह समझाया- 'भाई! तुम एक साधना करो, अनावश्यक पाप मत करो, अनावश्यक हिंसा मत करो, अनर्थ दंड मत करो। अर्थदंड छोड़ना तुम्हारे लिए शक्य नहीं है तो कम से कम अनर्थ दंड मत करो।'

अनर्थदंड के चार प्रकार बतलाए गए-1. अपध्यानाचरित 2. प्रमादाचरित 3. हिंस्रप्रदान 4. पापकर्मोपदेश।

अपध्यानाचरित

पहला प्रकार है-अवज्झाणाचरियं-अपध्यानाचरित, अपध्यान यानि अनिष्ट ध्यान, बुरा ध्यान।

जैन आगम साहित्य में अपध्यान के संदर्भ में तंदुल मत्स्य का दृष्टांत मिलता है। तंदुल मत्स्य पँचेन्द्रिय है, समनस्क है। उसका शरीर चावल जितना छोटा होता है किंतु अपध्यान कितना होता है। वह बैठा रहता है विशाल मगरमच्छ की भौंहो पर। मछलियाँ आती हैं, जाती हैं। मगरमच्छ बिना मतबल उन्हें खाता नहीं है। कभी-कभी मछलियां उसके मुंह में घुसती हैं, फिर बाहर चली जाती हैं। वह तंदुलमत्स्य सोचता है-अरे! यह कितना मूर्ख है! इतनी मछलियाँ आ गईं पर खाता ही नहीं है। अगर मैं इसके स्थान पर होता तो सबको खा जाता। वह कभी खाता नहीं है। चावल जितना छोटा तंदुल मत्स्य मछली को खा भी नहीं सकता, किंतु केवल अपध्यान के कारण इतना भारी कर्म का बंध करता है कि अधोगति में चला जाता है।

अपध्यान है अनिष्ट चिंतन

यह अपध्यान मनुष्य में भी होता है। जो ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरे की प्रगति को सह नहीं पाते, वे निरंतर अपध्यान में रहते हैं। पड़ोसी का अच्छा मकान देखा, ईर्ष्या से जल-भुन गया। सोचा-अरे! इसका मकान इतना बड़ा है, गिर क्यों न जाए? यह इतना अच्छा बगीचा है, इसको आग क्यों नहीं लग गई? इसका परिवार इतना संपन्न है, सबमें बड़ा प्रेम है। इनमें कलह क्यों न पैदा हो जाए? वह बुरी बात सोचता रहता है। यह सारा अनर्थ दंड है। कोई प्रयोजन नहीं कोई अपेक्षा नहीं, बिना मतलब केवल बुरा ध्यान। हमेशा सोचता-देखता है- 'इसका बुरा हो जाए।' सतत अपध्यान चलता रहता है।

अपध्यानाचरित अनर्थदंड का पहला अंग है। हम दो राष्ट्रों की समस्या को लें। एक राष्ट्र हमेशा इस ताक में रहता है कि दूसरा राष्ट्र कभी मेरी बराबरी में न आ जाए। उसको

गिराने का प्रयत्न होता है। यह प्रयास होता है कि वह ऊपर न उठ पाए। कैसे दूसरे राष्ट्र को गिराने और कमजोर करने का प्रयत्न होता है? सारी दुनिया में यह अपध्यान का चक्र चल रहा है। इसीलिए सर्वत्र भय, आशंका और आंतक का वातावरण है।

प्रमादाचरित

अनर्थदंड का दूसरा महत्त्वपूर्ण अंग है प्रमादाचरित। आदमी प्रमाद के कारण अनर्थ हिंसा करता है। नशा, नींद, विकथा-ये सारे प्रमाद के अंग बन जाते हैं। आज जितने अपराध होते हैं, वे सारे अनर्थदंड हैं। कोई भी अपराध मतलब से नहीं होता। अपराध क्यों होता है? सारी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो अधिकांश अपराधों का मूल कारण है-नशा है। शराब आदि नशे के कारण बहुत अपराध होते हैं। शराब पी ली, पता ही नहीं चला। थोड़ी-सी बात हुई और मार डाला, गोली चला दी, तलवार चला दी, लाठी चला दी और मार दिया। मनुष्य नशे में धुत होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। प्रमाद के कारण, नशे के कारण बहुत अपराध बढ़ते हैं, अनावश्यक हिंसा होती है। आज आतंक का वातावरण है, लोग भयभीत हैं। समाचार पत्रों को देखें तो पहले पृष्ठ में लगभग दस से अधिक ऐसी घटनाएं हैं-वहाँ इतने मरे, वहाँ इतने मरे। प्रमुख समाचार है मरण का। चाहे रेल दुर्घटना में मरे, बस और स्कूटर की टक्कर से मरे, ट्रक और कार की टक्कर से मरे, चाहे आतंकवादियों द्वारा मारे गए। मरने का, मारने का समाचार, हिंसा प्रधान समाचार आकर्षण पैदा कर रहा है। यह सारा क्यों हो रहा है? प्रमादाचरित-प्रमाद के कारण एक ऐसी मूर्च्छा पैदा हो गई कि आदमी यही सोचता है-गोली चलाना ही समस्या का समाधान है, शस्त्र का प्रयोग करना ही समस्या का समाधान है।

हिंस्र प्रदान

अनर्थदंड का तीसरा अंग है-हिंस्र-प्रदान शस्त्रों का प्रदान, शस्त्र देना।

एक बड़ा प्रश्न है सारी दुनिया में। आज शस्त्रों का ऐसा धंधा चल रहा है कि जो शस्त्रों के व्यापारी हैं, शायद दुनिया के बड़े-बड़े धनिकों में गिने जाते हैं। आज अनेक बड़े धनपति वे लोग हैं, जो शस्त्रों का धंधा करते हैं। शस्त्रों के निर्माण ने ऐसी समस्या पैदा कर दी है कि आज केवल सेना और पुलिस ही मारक नहीं रही, हर व्यक्ति मारने वाला बन गया है। अगर यह शस्त्रों का खुला व्यापार नहीं होता तो दुनिया में इतना आतंक नहीं छाता। अगर शस्त्रों का बेतहाशा निर्माण नहीं होता तो देश-विदेश में इतनी मारकाट की बात नहीं चलती। आज सारी दुनिया में जहाँ देखो, वहाँ आतंकवाद ही आतंकवाद है। इसका मूल

कारण बना है हिंस्रप्रदान-शस्त्रों का वितरण, शस्त्रों का निर्माण, शस्त्रों का व्यवसाय यह बात समझ में नहीं आती-शस्त्रों के व्यापार से धनी बनेंगे तो क्या स्वयं खतरा मोल नहीं लेंगे? जो राष्ट्र ज्यादा शस्त्रों का निर्माण करते हैं, क्या वहाँ के नागरिक ज्यादा क्रूर नहीं बन जाते हैं? हिंसा में नहीं चले जाते हैं? नियम होना चाहिए कि शस्त्र का हर कोई उपयोग न करें और हर किसी के पास शस्त्र न रहे। लाठी का शस्त्र भी घातक बन जाता है, फिर जिनके पास रॉकेट हैं, ए.के.47 राइफलें हैं और भी घातक शस्त्र हैं, वे कैसे शांत रहेंगे? थोड़ी-सी बात हुई, आवेश में आया, हाथ सीधा बंदूक पर जाएगा, सीधा-दबाव बटन पर पड़ेगा और हिंसा का चक्र चल पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान् महावीर ने दिया था-हिंस्र-प्रदान-हिंसक शस्त्रों का निर्माण मत करो, संयोजन मत करो, विनिमय मत करो, व्यापार मत करो।

पापकर्मोपदेश

अनर्थदंड का चौथा अंग है-**पापकर्मोपदेश**। पाप कर्म का उपदेश बहुत मिलता है, हिंसा सिखाई जाती है। 'तुम यह काम करो, यह काम करो' -हिंसा का शिक्षण मिलता है। झूठ बोलना भी सिखाया जाता है। कहा जाता है-देखो, ऐसे बोलोगे तो तुम्हारा काम बन जायेगा। बात सही कह दी तो ठीक नहीं होगा। झूठ बोलने का प्रशिक्षण मिलता है। बाप बेटे को झूठ बोलना सिखा देता है, माँ चोरी करना सिखाती है। प्रश्न होता है। यह कैसे संभव है?

यह पाप कर्म का उपदेश है। व्यक्ति जाने-अनजाने में सिखा देता है, किंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। बहुत सारी गलती बातें सिखायी जाती हैं। दो नंबर का खाता बनाना प्रारंभ में कोई नहीं जानता। ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे धन को छिपाया जाए? कैसे रखा जाए? विधिवत् ट्रेनिंग मिलती है। यह सारा पापकर्म का उपदेश है।

मानसिक हिंसा है अपध्यानाचरित

बहुत सारे लोग कहते हैं-जैनों की अहिंसा केवल 'जीव को मत मारो' तक सीमित है। जो ऐसा कहते हैं, शायद उन्होंने अहिंसा दर्शन को ठीक से नहीं समझा। यदि अनर्थदंड विरति को समझ लें तो अहिंसा की पूरी बात समझ में आती है।

प्रश्न होता है यह अपध्यानाचरित क्या है? जितना-जितना अपध्यान, दूषित ध्यान है, वह हिंसा है। यह अपध्यान मानसिक हिंसा है। अनेक विद्वानों ने यह टिप्पणी की, आरोप लगाया-जैन लोग मानसिक हिंसा पर बल नहीं देते, केवल कायिक हिंसा पर बल देते हैं। 'किसी को मत मारो' -बस यहाँ तक सीमित रहते हैं, किंतु यह बात सही नहीं है।

अपध्यानाचरित मानसिक हिंसा है। किसी के अनिष्ट का चिंतन मत करो। अनिष्ट का चिंतन करना हिंसा है और बहुत जटिल हिंसा है। आदमी हर किसी को सामने जाकर मार भी नहीं सकता, किंतु अपध्यान तो घर बैठे-बैठे कर सकता है। उसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। न शस्त्र लाना पड़ता, न और कुछ करना पड़ता। केवल बुरा विचार, दूसरे का अनिष्ट सोचना और अनिष्ट का संकल्प करना-यह अपध्यानाचरित बहुत बड़ी हिंसा है, मानसिक हिंसा है।

हिंसा और प्रमाद

यह प्रमादाचरित क्या है? प्रमादपूर्ण आचरण करना भी हिंसा है। एक आदमी शराब पीता है, वह क्या करता है? वह हिंसा कर रहा है वह किसी को मार नहीं रहा है, किंतु प्रमादपूर्ण आचरण कर रहा है इसीलिए कहा गया-जितने प्रमाद के स्थान हैं वे हिंसा के स्थान हैं। प्रमत्त आदमी हिंसा करता है। उमास्वाति ने ठीक लिखा-प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा-प्रमत्त योग से किसी के प्राण का व्यपरोपण करना हिंसा है। जैन दर्शन में केवल मर जाने को हिंसा नहीं माना है। कोई मर गया, इतने मात्र से हिंसा नहीं होती। हिंसा के साथ कोई अध्यवसाय जुड़ा होता है तब हिंसा होती है। प्रमाद का अध्यवसाय, कषाय का अध्यवसाय जुड़ा रहता है तब हिंसा है और वह नहीं है तो हिंसा नहीं है। वीतराग से कोई जीव मर जाए तो क्या वह हिंसा है? एक अप्रमत्त मुनि बैठा है या चल रहा है, कोई जीव मर भी गया तो हिंसा नहीं है। वह मात्र द्रव्य हिंसा है, भाव-हिंसा नहीं। जहाँ हमारा मन जुड़ता है, अध्यवसाय जुड़ता है, प्रमाद होता है, वहाँ भाव हिंसा होती है। मानसिक हिंसा से हिंसा को बहुत व्यापक रूप मिल गया। ज्यादा नींद लेना भी हिंसा है। नींद भी एक सीमा तक ठीक है क्योंकि निद्रा भी एक प्रमाद है। सारे दिन सोया पड़ा रहता है, खाट को तोड़ता रहता है तो हिंसा ही कर रहा है। जहाँ-जहाँ प्रमाद योग आ गया, हिंसा हो गई।

एक सीधी परिभाषा बन जाती है-अप्रमत्त रहना अहिंसा और प्रमत्त रहना हिंसा। मद्य, विषय, कषाय, विकथा-ये सब हिंसा से जुड़ी प्रवृत्तियाँ हैं। अनेक लोग बैठ गये और दूसरों का मैल धोना शुरू कर दिया। एक युग था-हर गाँव में धोबी पाटे होते थे। वहाँ कपड़े नहीं धोये जाते, कपड़ों की धुलाई नहीं होती। वहाँ दूसरे लोगों के मैल को धोया जाता, उनके मैल की सफाई की जाती। धोने वाला कोई धोबी नहीं होता। बड़े-बड़े लोग बैठते, दूसरों की निंदा, चुगली, हल्की बातें करते-यह धोबी पाटे का काम था। यह सारा क्या है? हिंसा है। जहाँ भी मन का बुरा संकल्प, अनिष्ट संकल्प आया, हिंसा हो जाती है।

हम हिंसा को केवल जीव मारने तक सीमित न करें एक चींटी मर जाए तो मन में ग्लानि होती है। बहुत लोग आते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं। साधु-साध्वियां भी जब प्रतिक्रमण होता है तो प्रायश्चित्त करते हैं-आज एकेन्द्रिय जीव की विराधना हो गई, आज द्वीन्द्रिय की विराधना हो गई। इसकी तो आलोचना होती है और प्रायश्चित्त भी लिया जाता है। चींटी मर गई, मकोड़ा मर गया, मक्खी मर गई या प्रमाद से कोई छिपकली कट गई बड़ी ग्लानि होती है। अपध्यान चाहे जितना चले, न कोई आलोचना करता और न कोई ग्लानि करता।

हिंसा कौन सी बड़ी है? केवल जीव मर गया, वह बड़ी है? या तुम्हारा जो अपध्यान है, वह बड़ी है? यह मानसिक हिंसा कितनी क्रूर होती है। स्वयं व्यक्ति को जलाती है और दूसरे को भी जला देती है।

यह जो प्रश्न उठाया गया-जैन लोगों ने केवल कायिक हिंसा पर बल दिया, वह सही नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जैन अहिंसा को समझा नहीं।

जघन्य कर्म है अनर्थदंड

अनर्थदंड हिंसा का सबसे बड़ा प्रकार है। आवश्यक हिंसा तो करनी पड़ती है। उससे आदमी बच नहीं पाता। जीवन और शरीर की आवश्यकता को पूरा करना होता है। कोई उपाय नहीं है, किंतु यह जो अनर्थदंड होता है, अनावश्यक हिंसा होती है, प्रमादाचरित, अपध्यानाचरित और पापकर्मोपदेश होता है-यह कितना जघन्य कर्म है। न जाने कितने लोग दूसरों को गलत सलाह देते हैं। गलत सलाह देकर आपस में लड़ा देते हैं। पति-पत्नी को लड़ा देते हैं, बाप-बेटे को लड़ा देते हैं, भाई-भाई को लड़ा देते हैं, ऐसी गलत बात बता देते हैं कि कलह का बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार पाप कर्म का उपदेश देना भारी हिंसा है।

मानसिक हिंसा, भावात्मक हिंसा, बुरा मन, बुरा भाव, बुरा चिंतन, बुरी लेश्या-यह सारी अनर्थ हिंसा है। यह धारणा बना लें-जीव के मरने पर जितनी ग्लानि होती है, उतनी ग्लानि दूसरे की चुगली करने में होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। किसी जीव के मर जाने पर जितना मन में कंपन होता है उतना ही कंपन या उससे ज्यादा कंपन दूसरे की निंदा करने में होना चाहिए, उतना ही कंपन दूसरे को बुरी सलाह देने में, बुरी बात सिखाने में होना चाहिए। अगर इस अहिंसा का विकास होता है तो समाज बहुत स्वस्थ बनता है, समाज की बहुत सारी बुराइयाँ समाप्त होती हैं। मनुष्य एक शालीन और सज्जन आदमी बन जाता है। हमारे आख्यानों में, पुराणों में, उदात्त चरितों में ऐसे प्रसंग आते हैं। युधिष्ठिर की

सत्यनिष्ठा प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर ने कहा-मैं गलत बात नहीं कह सकता। शत्रु आया तो उसको भी सही बात बताई।

आतंकवाद का प्राचीन इतिहास

भारतीय चिंतन परंपरा में राजनीति पर कुछ ग्रंथ लिखे गये। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। शुक्र नीति और नीति वाक्यामृत लिखा गया। राजनीति और अर्थशास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गये। उनमें पाप-कर्मों का उपदेश बहुत प्रचुरता से मिलता है। एक राजनीति का क्षेत्र और एक धर्म का क्षेत्र। दोनों अलग-अलग हैं पर उनमें पापकर्मोपदेश का कितना वर्णन है? किस प्रकार शत्रु राजा को कमजोर बनाना चाहिए? कैसे उसके स्वत्व को छीनना चाहिए? कैसे उसे काबू में करना चाहिए? कैसे विषकन्याओं का निर्माण करना चाहिए? कैसे विषकन्याओं के द्वारा उन्हें अकाल मौत के मुँह में ढकेल देना चाहिए। इत्यादि बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं।

तंत्रशास्त्र में भी मारण, उच्चाटन और विद्वेषण-ये सारे कर्म मिलते हैं। मारण-कैसे अपने शत्रु को मारना चाहिए? कैसे उसका उच्चाटन करना चाहिए? यह जादू-टोना कैसे करना चाहिए? कैसे विद्वेषण करना चाहिए ये सारे उपदेश दिये गये हैं।

जैन धर्म की दृष्टि से ये सारे पापकर्मोपदेश हैं। कोई विरोधी हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मार डालो। यह मनोवृत्ति मनुष्य में क्यों पनपी? लोग कहते हैं कि आज पनपी। ऐसा नहीं है कि आज इसका विकास हुआ है। जब तंत्रशास्त्र की मारण, विद्वेषण और उच्चाटन की क्रियाओं को देखते हैं, जब राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में वर्णित अपने शत्रु राजा को नष्ट करने के प्रयोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह आतंकवाद कोई एक दिन में चार-दस वर्ष में नहीं आया है। बहुत पुराना है आतंकवाद का इतिहास। मनुष्य का मन ऐसा रहा है कि बस कोई अपना विरोधी बना है तो उसे गिरा दो, उसके प्रति घृणा पैदा कर दो और यहाँ तक कि उसे समाप्त भी कर दो। यह मनोवृत्ति बहुत पनपी है। जैन धर्म ने हमेशा इस मनोवृत्ति का विरोध किया है। यह मनोवृत्ति अच्छी नहीं है। इससे दोनों का पतन होता है। जब व्यक्ति इसमें आतंक को देखता है तब यह बात समझ में आ सकती है कि यह अनर्थदंड मेरे लिए आदेय नहीं है।

अहिंसा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। वह केवल कायिक नहीं है-वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा और भावात्मक हिंसा भी हिंसा है। अहिंसा के भी चार प्रकार बन जाते हैं-कायिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा और भावात्मक अहिंसा।

अहिंसा के इस व्यापक स्वरूप को समझकर अहिंसा की साधना करने वाला व्यक्ति बहुत लाभ उठा सकता है और अहिंसा को तेजस्वी बना सकता है।

ग्रंथ सूची–

1. भगवई-वाचना प्रमुख, गणाधिपति तुलसी, प्रधान सम्पादक, आचार्य महाप्रज्ञ, जैन विश्व भारती, लाडनूं
2. ठाणं- वाचना प्रमुख, गणाधिपति तुलसी, प्रधान सम्पादक, आचार्य महाप्रज्ञ, जैन विश्व भारती, लाडनूं
3. श्रमण महावीर- आचार्य महाप्रज्ञ, जैन विश्व भारती, लाडनूं
4. उवासगदसाओ- वाचना प्रमुख, गणाधिपति तुलसी, प्रधान सम्पादक, आचार्य महाप्रज्ञ, जैन विश्व भारती, लाडनूं
5. श्रावक धर्म- आचार्य महाप्रज्ञ जैन विश्व भारती, लाडनूं

दशवैकालिक आगम में समय-प्रबंधन के सूत्र

डॉ. समणी भास्कर प्रज्ञा, लाडनूँ (राज.)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक इकाई के रूप में वह समाज में रहता है। सभी प्राणियों की जीवनशैली अलग-अलग होती है। पशु-पक्षी आदि सभी प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन जीते हैं। मनुष्य उनमें श्रेष्ठ प्राणी है, वह अपने बुद्धि-कौशल से जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीता है। मनुष्य अपने जीवन में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी शक्तियों को प्रभावी ढंग से नियोजित करता है और अपने जीवन को संतुलित एवं व्यवस्थित बनाये रखता है, यही जीवन-प्रबंधन कहलाता है।

जीवन-प्रबंधन

जीवन-प्रबंधन वह प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य वैयक्तिक जीवन का सम्यग् विकास करना है। जीवन-प्रबंधन के द्वारा जीवन के विविध तत्त्वों का सम्यक् समायोजन करके जीवनशैली को व्यवस्थित किया जाता है। जीवन-प्रबंधन वह महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वस्थ जीवनशैली ही स्वस्थ समाज के निर्माण में विशिष्ट भूमिका निभा सकती है। जीवन प्रबंधन के रूप में समाज की शक्ति निर्माण अर्थात् सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में लगती है, जिससे विकास की अनन्त सम्भावनाएँ उजागर हो जाती हैं।

जीवन-प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि साध्यसिद्धि के लिए जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रबंधन हो। दशवैकालिक आचारपरक ग्रंथ है। अतः जो आचरण में आता है, जो जीवन का आधार है, वह आचार ही जीवनशैली का प्रतिरूप है। जहाँ जीवनशैली के निर्माण की बात कही है वहाँ समय-प्रबंधन भी अछूता नहीं रहेगा। वैसे तो जीवन-प्रबंधन के अनेक घटक होते हैं, परन्तु समय प्रबंधन के बिना लक्ष्य की प्राप्ति अशक्य है।

समय-प्रबंधन की अवधारणा

व्यक्ति की प्रगति का मुख्य घटक है-समय। जैन दर्शन के अनेक सिद्धान्त समय प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। जैन आचार में जो अप्रमत्त शब्द आता है। उसका सामान्य अर्थ है-

समय का सदुपयोग करना, समय को व्यर्थ नहीं गँवाना। **उत्तराध्ययन** सूत्र के दसवें अध्ययन के प्रत्येक श्लोक की अंतिम पंक्ति यही है

समयं गोयम! मा पमायए।[1]

भगवान् महावीर ने कहा है कि हे गौतम! समय मात्र भी प्रमाद मत करो। भगवान् महावीर के अनुसार प्रत्येक कार्य की सफलता चार कारकों के समुच्चय पर निर्भर करती है। ये हैं-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अन्य सभी कारकों की उपस्थिति होने पर भी काल अर्थात् समय के प्रबंधन के बिना वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है। आचार्य तुलसी ने 'आत्मा के आसपास' नामक पुस्तक में कहा है -

घटना के पीछे सदा रहते पाँचों भाव।

काल, नियति, प्रारब्ध है पौरूष और स्वभावः[2] ॥

जैनदर्शन के समवाय के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक घटना के पीछे काल का विशेष स्थान है। समय की प्राप्ति के साथ-साथ समय का प्रबंधन भी आवश्यक है।

समय-प्रबंधन क्या?

समय-प्रबंधन समय नष्ट करने वाले कारकों का और समय को बचाने वाले कारकों का प्रबंधन है। समय नष्ट करने वाले कारकों का, संयम एवं समय बचत करने वाले कारकों का विस्तार करना ही समय का सटीक प्रबंधन है। समय को उचित कार्यों में खर्च करना तो समय प्रबंधन है, अन्यथा समय का कुप्रबंधन ही है। समय को नष्ट करने वाले घटक दो प्रकार के होते हैं-1. आन्तरिक 2. बाह्य। आन्तरिक कारण में स्वास्थ्य, आदतें, मनःस्थिति, आलस्य आदि आते हैं और बाह्य कारणों में है-पारिवारिक और व्यावसायिक स्थितियाँ, यात्रा, मनोरंजन के खेल आदि अनेक बाह्य कारण समय की बर्बादी के कारण बनते हैं। समय का उचित उपयोग करके प्रगतिशील बनकर ही मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है।

दशवैकालिक में निश्चय भाषा के संबंध में तीनों कालों का उल्लेख किया है।[3] समय के तीन विभाग हैं-1. अतीत 2. वर्तमान 3. भविष्य। अतीत बीत चुका है। भविष्य अनागत है, केवल वर्तमान को ही जीते हैं, अतः वर्तमान क्षण का सम्यक् प्रबंधन करना ही समय-प्रबंधन है। समय गतिशील है, अतः वह लौटकर भी नहीं आता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-

जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई॥

धम्मं च कुणमाणस्स सफला जंति राइओ[4] ॥

जो जो रात्रियाँ बीत गई हैं, वे लौटकर नहीं आती हैं। जो धर्म करता है, उसकी रात्रियाँ सफल होती हैं। अतीत का प्रबंधन संभव नहीं है अतः वर्तमान का प्रबंधन ही जरूरी है। भगवान् महावीर ने श्रमण-श्रमणियों को माध्यम बनाकर सार्वभौमिक सिद्धान्त दिया है कि उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए।

दशवैकालिक का यह सूक्त **'काले कालं समायरे'** व्यक्तित्व विकास का महत्त्वपूर्ण सूत्र है।[5] जिस कार्य के लिए जो समय उचित है, उसको उसी समय करना लाभदायक होता है, जैसे-भिक्षा के समय भिक्षा लेने जाना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना। यह सूक्त सर्वांगीण विकास का द्योतक है। शारीरिक स्वास्थ्य में भी सहायक है क्योंकि शरीर की क्रियाएँ समयानुसार नहीं होगी तो शरीर रोगों का आश्रय स्थल बन सकता है, जैसे-खाने के समय सोना, देर रात को सोने के समय खाना इत्यादि क्रियाएँ हमारी पाचन शक्ति, लीवर आदि को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। अतः अनुपयुक्त काल में कार्य करना स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होता है।[6]

समय के प्रबंधन से मन पर भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है इसीलिए समय का सम्यक् नियोजन स्वास्थ्य का आधार है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए समय-प्रबंधन आवश्यक है। सूत्रकार ने कहा है कि जो व्यक्ति अकाल में विचरण करता है, वह ज्यादा क्लान्त होता है और वह अन्य पर आरोप-प्रत्यारोप करता है।

अकाले चरसि भिक्खू कालं न पडिलेहसि।
अप्पाणं च किलामेसि सन्निवेसं च गरिहसि[7]॥

अतः उचित काल में कार्य करने वाला शारीरिक व मानसिक दृष्टि से अक्लान्त रहता है।

समय का सही प्रबंधन हो इसीलिए टीकाकार ने अप्रमत्त रहने का उपदेश देते हुए कहा है कि निद्रा को बहुमान न दें।[8] निर्धारित समय से ज्यादा सोना अहितकर होता है, समय का अपव्यय होता है। निद्रा के लिए भी निश्चित समय होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए उचित मात्रा में उचित समय पर निद्रा लेना आवश्यक होता है। समय की बचत के लिए अतिनिद्रा सर्वथा वर्जनीय है। आलस्य रहित होकर जीवनयापन करना उत्तम माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है-**'घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं भारंडपक्खी व चरप्पमत्तो'**[9]।

भारुण्ड पक्षी की भांति अप्रमत्त होकर विचरण करना चाहिए। समय के सम्यक् नियोजन

के लिए समय-सारणी बनाना आवश्यक है। मुनि की भिक्षाचर्या के दौरान यह निर्दिष्ट किया गया है कि भिक्षा के लिए गया हुआ साधु आहार लाने के बाद स्वाध्याय प्रारम्भ करें, तत्पश्चात् क्षण भर विश्राम करके आहार का संविभाग करें।[10] समय-सारणी के निर्माण से समय का दुरुपयोग नहीं होता है। समय का सही मूल्यांकन तभी होगा जब समय के उपयोग पर चिंतन किया जाएगा। दशवैकालिक की चूलिका में कहा गया है-

जो पुव्वरत्तावरत्तकाले संपिक्खई अप्पगमप्पएणं।

कि में कडं? किं च मे किच्चसेसं? किं सक्कणिज्जं न समायरामि[11]॥

साधक स्वयं सुबह और शाम आत्म-निरीक्षण करें कि मैंने क्या किया? और क्या कर सकता हूँ जो प्रमादवश नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार चिंतन करने वाला समय-प्रबंधन को स्वीकार करता है॥

इस प्रकार व्यक्ति की प्रगति में समय-प्रबंधन का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कार्य की निष्पत्ति और सफलता की प्राप्ति समय-प्रबंधन से ही होती है। जैन दर्शन में '**समय**' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, जैसे-सम्पूर्ण, आत्मा, सिद्धान्त, सूक्ष्म कालखण्ड आदि। इतने अर्थ होते हुए भी कालखण्ड के रूप में ही समय की प्रसिद्धि हुई है। समय सदा बीतता रहता है, जीवन का एक भी अंश बिना समय के नहीं है। जीवन का प्रत्येक परिवर्तन समय सापेक्ष होता है, जैसे-उद्भव, परिवर्तन, नया-पुराना, ज्येष्ठ-कनिष्ठ आदि के व्यवहार का आधार समय ही है। एक ही जीवन की सम्पूर्ण पर्यायों के केन्द्र में समय ही है, जैसे-गर्भ, जन्म, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, मृत्यु आदि। समय जीवन का आधार है और समय-प्रबंधन उत्तम-जीवन का।

समय-प्रबंधन भगवान् महावीर के उपदेशों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। आचारांग सूत्र में समय की मूल्यवत्ता प्रकट करते हुए कहा है कि- हे साधक! जो बीत गया सो बीत गया, शेष रहे जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त अवसर को परख अर्थात् समय का मूल्य समझ।[12] समय-प्रबंधन के लिए दिनचर्या व्यवस्थित होनी जरूरी है। साधु की दिनचर्या का विवेचन अनेक आगम ग्रंथों एवं उनकी टीकाओं में मिलता है। उनकी दिन-रात संबंधी सारणी इस प्रकार है

दिन के प्रथम प्रहर में - स्वाध्याय

दिन के द्वितीय प्रहर में - ध्यान

दिन के तृतीय प्रहर में - भिक्षाचर्या

दिन के चतुर्थ प्रहर में – स्वाध्याय

रात्रि के प्रथम प्रहर में – स्वाध्याय

रात्रि के द्वितीय प्रहर में – ध्यान

रात्रि के तृतीय प्रहर में – निद्रा

रात्रि के चतुर्थ प्रहर में – स्वाध्याय।[13]

ये दिनचर्या एवं रात्रिचर्या तो स्थूल रूप में बताई गई है। वैसे तो साधु का उठना, बैठना, सोना, आहार करना, मल-मूत्र विसर्जन करना इत्यादि शारीरिक क्रियाएँ और स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि धार्मिक क्रियाएँ समय पर ही होनी चाहिए। सूत्रकृतांग में कहा है–

अन्नं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले।''[14]

जब जो करणीय है उसको उसी समय करना तथा कम समय में ज्यादा काम करना समय-प्रबंधन का मूल लक्ष्य है। उपयोगी कारकों का प्रयोग कर एवं अनावश्यक कारकों का वर्जन कर दिया गया है। उचित समय-प्रबंधन, जीवन-प्रबंधन का आधार घटक बन जाता है। जिसका समय-प्रबंधन अच्छा होगा, उसका ही जीवन-प्रबंधन अच्छा होगा। समय-प्रबंधन जीवन को अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है।

संदर्भ सूची

1. उत्तरज्झयणाणि, 10/1
2. आत्मा के आसपास, पृ. 39
3. दशवैकालिक, 7/7
4. उत्तरज्झयणाणि, 14/25
5. दशवैकालिक, 5/2/4
6. दशवैकालिक हरिभद्रीय टीका, पृ. 122
7. दशवैकालिक, 5/2/5।
8. दशवैकालिक, 8/41, निद्दं च न बहुमन्नेज्जा।
9. उत्तरज्झयणाणि, 4/6।
10. दशवैकालिक, 5/1/93, 94
11. दशवैकालिक चूलिका, 2/12
12. आचारांग, 2/1/23, 24, अणभिक्कतं च खलु वयं संपेहाए, खणं जाणाहि पंडिए!।
13. उत्तरज्झयणाणि, 26/12, 18।
14. सूत्रकृतांग, भाग-2, 1/66

संदर्भग्रन्थ

आत्मा के आसपास- आचार्य तुलसी आदर्श साहित्य संघ, नई दिल्ली, सन् 2014।

आयारो- संपा. मुनि नथमल, जैन विश्वभारती प्रकाशन, लाडनूं, विसं. 2031।

उत्तरज्झयणाणि-भाग-1- संपा. युवाचार्य महाप्रज्ञ, जैन विश्वभारती, लाडनूं, सन् 1992।

उत्तराध्ययन टीका- श्रीशान्त्याचार्य, देवचन्द्र लालभाई, जैन पुस्तकोद्धार, सूरत॥

उवासगदसाओ- संपा. आचार्य महाप्रज्ञ, मुनि दुलहराज, जैन विश्वभारती, लाडनूं सन् 2010।

औपपातिकसूत्र- संपा. युवाचार्य मधुकर, श्रीआगमप्रकाशनसमिति, ब्यावर, तृतीय संस्करण, सन् 2000।

दसवेआलियं- संपा. मुनि नथमल, जैन विश्वभारती, लाडनूं, सन् 1974

दशवैकालिकसूत्रम्- संपा. पुण्यविजयजी, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी, सन् 1973।

दशवैकालिकसूत्र- संपा.युवाचार्यश्री मधुकर, श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, सन् 2000।

मूलाचार- अनु. आर्यिका ज्ञानमतीजी, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सन् 1944

समवायांग सूत्रम्- संपा. मुनि वल्लभविजय, मास्टर, नगीनदास नेमचंद, ठेत्र डोशीवाडानी पोल, अहमदाबाद, सन् 1935॥

उत्तराध्ययनसूत्र में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता

डॉ. सुमत कुमार जैन, जयपुर

'उत्तराध्ययनसूत्र' जैनागम परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह श्वेताम्बर जैनागम साहित्य के मूलसूत्र के अन्तर्गत परिगणित है एवं भगवान् महावीर की अंतिम देशना के रूप में माना जाता है। इस ग्रन्थ का रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं है। इसमें जहाँ वेद और ब्राह्मण साहित्य-कालीन यज्ञ और जातिवाद की चर्चा है, वहाँ द्रव्य, गुण और पर्याय का वर्णन भी है। यदि इन्हें दर्शन-कालीन माना जाए तो यह निष्पन्न होता है कि निर्युक्तिकार की दृष्टि में भी उत्तराध्ययन एक कर्तृक नहीं है।[1]

उत्तराध्ययनसूत्र के अध्ययनों की रचना विभिन्न कालों में हुई और अंतिम वल्लभी वाचना के समय (ईस्वी सन् की 5 वीं शताब्दी) देवर्द्धिगणी ने उनका छत्तीस अध्ययनात्मक एक ग्रन्थ के रूप में संकलन किया।

विभिन्न कथाओं के माध्यम से जीवन के विविध सम्बन्धों की उचित और न्यायपूर्ण व्याख्याएँ एवं नैतिक और आचारभूत अवधारणाओं की स्थापना करके काव्य, कला, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का उचित रूप में मिश्रण किया गया है। इनके अतिरिक्त धर्मशास्त्र के तत्त्वों और संदर्भो को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे इस आगम-ग्रन्थ की प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ गयी है।

व्यावहारिक प्रासंगिकता - इससे तात्पर्य ग्रन्थ में प्रतिपादित वैसे तथ्यों से है, जिसके निष्पादन से लोककल्याण सम्भव होता है। आगम-ग्रन्थों में प्रायः ऐसे व्यवहारों को अंकित करने का प्रयत्न किया जाता है, जो मानव मात्र को सद्भाव के लिये प्रेरित करते हैं, मानव मात्र के लिए कल्याण का साधन बनकर पृथ्वीतल को सुखसम्पन्न एवं शान्ति-भूषित स्वर्ग के रूप में परिणत करने की क्षमता रखते हैं तथा जिनका अनुसरण लोकस्तर को ऊँचा उठाता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुनि, आचार्य एवं मनीषी अपने ग्रन्थ में लोक-व्यवहारों का चित्रण करते हैं।

उत्तराध्ययनसूत्र का प्रयोजन भी लोककल्याण से ओतप्रोत आदर्श लोक-व्यवहारों की स्थापना करना ही रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षा का महत्त्वपूर्ण घटक अनुशासन एवं विनय, सहनशीलता का उत्कर्ष परिषहजय, मानवता, सद्धर्म श्रवण, जागरुकता का संदेश, लोभ की अभिवृद्धि पर रोक, कर्म प्रधान समाज, ब्रह्मचर्य व्रतों का राजा, अनुशासनहीनता का प्रतीक अविनय, हिंसा पर अहिंसा की विजय, व्यापारिक-समुद्र यात्रा, राजीमती के रूप में उत्कृष्ट नारी-चरित्र, जातिवाद पर करारी चोट, तप की महत्ता, प्रमाद एक विघ्न, कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाव-परिवर्तन का हेतु लेश्याचिंतन आदि विषयक व्यावहारिक प्रसंग वर्तमान में भटके, तनाव एवं अबोध व्यक्ति के जीवन में सम्यक्-प्रकाश करने वाले हैं। इन लोक-व्यवहारों को सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, राजनीति व्यवहार, समन्वयात्मक व्यवहार आदि में ग्रहण किया जा सकता है। इन आदर्श व्यवहारों को समाज में स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन ही उत्तराध्ययनसूत्र की प्रमुख उपयोगिता है।

सामाजिक व्यवहार

सामाजिक व्यवहार से तात्पर्य उन वृत्तियों से हैं, जिन पर मानव की समृद्धि एवं शान्ति निर्भर करती है और जिनके अभाव में वे नष्ट हो जाती हैं। रचना का सृजन करने वाला भी एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज का शुभ चिन्तक होता है और अपनी रचनाओं में सामाजिक आदर्शों का निरूपण करता है। इन आदर्शों से मानव-जीवन में सुख एवं शान्ति का विकास होता है। सामाजिक व्यवहारों के अन्तर्गत मुख्य रूप से वर्णव्यवस्था, आजीविका के साधन, समाज में मुनियों का स्थान, समाज में नारी का स्थान, शिक्षा आदि तत्त्व आते हैं।

वर्णव्यवस्था- उत्तराध्ययन के पच्चीसवें अध्ययन में जन्मना जातिवाद का खंडन कर कर्मणा जातिवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें वर्णित है कि सम्यक्-बोध की प्राप्ति किसी भी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है क्योंकि स्पष्टरूप से कहा गया है कि वर्णव्यवस्था जन्मगत नहीं, कर्मगत है। कहा भी है- कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है।[2] उत्तराध्ययन में हरिकेशकम्बल नामक चाण्डाल का उल्लेख आता है, जो श्रमणों से शिक्षा पाकर ऋषि बन गया था और सभी गुणों से अलंकृत हुआ।[3] यहाँ पर वर्तमान में बढ़ रहे जातिवाद पर करारी चोट की गयी है क्योंकि मानव जन्म से नहीं कर्म से महान् बनता है।

आजीविका के साधन- समाज-संचालन में आजीविका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आजीविका प्राप्ति के विभिन्न साधन सदैव उपलब्ध रहते हैं। परन्तु समाज में वही साधन उपयोगी कहे जाते हैं, जो लोगों के

लिए शांति और सुख को प्रदान करते हों। उत्तराध्ययनसूत्र में भी यत्र-तत्र आजीविका के प्रधान साधनों का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। 'समुद्रपालीय' नामक इक्कीसवें अध्ययन में समुद्र-यात्रा का महत्त्वपूर्ण उल्लेख है। इस अध्ययन में जहाँ एक ओर धर्मतत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, वही दूसरी ओर तत्कालीन प्रचलित व्यापारिक समुद्रयात्रा का भी वर्णन किया गया है। उस काल में भारत के व्यापारी दूर-दूर व्यापार के लिए जाते थे। सामुद्रिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापारियों के निजी यानपात्र होते थे और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेकर आते-जाते थे। उस समय अनेक वस्तुओं का भारत से निर्यात होता था। उनमें सुपारी, स्वर्ण आदि मुख्य थे। इस तरह व्यापार व आजीविका का वर्णन उपलब्ध होता है, यह व्यवहार वर्तमान में भी दृष्टिगोचर होता है। इस अध्ययन में **ववहार (व्यवहार)** शब्द का उल्लेख हुआ है[4], जो आगम-काल में क्रय-विक्रय का द्योतक था।[5]

समाज में मुनियों का स्थान- भारतीय सामाजिक व्यवस्था सदा से धर्म प्रधान रही है। उसका धार्मिक अंग इतना सबल रहा है कि अन्य अंग भी इसके द्वारा प्रशासित होते रहे हैं इसीलिए धर्म के प्राण रूप मुनियों का स्थान समाज में सदैव ऊँचा रहा है। उत्तराध्ययनसूत्र में मुनियों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, किन्तु उन्हें जो समभाव में स्थित हों, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हों, तपस्या में रत हों और ज्ञान की आराधना में लीन हों।[6]

समाज में नारी का स्थान- भारतीय संस्कृति में नर की अपेक्षा नारी की विशेषता सिद्ध करने का प्रयास किया है। नारियों की प्रशंसा में कहा गया है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी आनन्दपूर्वक निवास करते हैं। वस्तुत: घर को सुख-समृद्धि से परिपूर्ण बनाने में नारियों का ही प्रथम हाथ होता है। पुरुष तो हमेशा एक रूप में ही दिखाई पड़ता है, जबकि स्त्रियाँ अपने विविध रूप में होकर अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करती हैं। मुख्यत: नारियों के कन्या, पत्नी और माता रूप होते हैं। इन सभी रूपों की अभिव्यक्ति उत्तराध्ययनसूत्र में उपलब्ध होती है। इसमें राजीमती का कन्या के रूप में उत्कृष्ट आदर्श वर्णित है, जो अनुकरणीय की श्रेणी में रखे जाने योग्य है।

शीलवती स्त्री के रूप में राजीमती का जैसा वर्णन उत्तराध्ययन में वर्णित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। नेमिनाथ का लघुभ्राता रथनेमि राजीमती से विवाह का प्रस्ताव रखता है, तो वह स्पष्ट ही मना कर देती है, क्योंकि उसने मन से नेमिकुमार को अपना जीवन-साथी स्वीकार कर लिया था। पुन: जब साध्वी के रूप में पवित्र राजीमती को रथनेमि विषयभोग के लिए प्रेरित करता है, तब वह उसे फटकारती है और प्रतिबोधित करती है। जैसे कहा है।

धिगत्थु ते जसोकामी! जो तं जीवियकारणा।
वंतं इच्छसि आवेउं सेयं ते मरणं भवे॥[7]

अर्थात् हे यश:कामिन्! धिक्कार है तुझे जो तू भोगी जीवन के लिए वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करता है। इससे तो तेरा मरण श्रेष्ठ है। इन बोधवचनों से राजीमती संयम से भटके रथनेमि को प्रतिबोधित कर सन्मार्ग पर लाती है। यहाँ राजीमती के रूप में नारी की उदात्तता का चित्रण किया गया है। इस प्रकार नारियाँ जहाँ भोग्योपभोग, ऐहिकसुख एवं सन्तानोत्पत्ति की साधन मानी जाती हैं, वहाँ राजीमती द्वारा अपने शील की रक्षा करना अत्यन्त अनुकरणीय व्यवहार है।

शिक्षा- यह समाज का एक अनिवार्य अंग है। इसके अभाव में समाज जड़ हो जाता है। प्राकृत ग्रन्थों में शिक्षारूप ज्ञान का उत्कृष्ट महत्त्व बताया गया है। ज्ञान आत्मा का भाव है।[8] ज्ञान स्वपरप्रकाशक है। ज्ञान को मनुष्य जीवन का सार कहा गया है।[9] यह मानव को मृदु बनाता है।[10] ज्ञान संसार के समस्त रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है।[11]

विनय का जीवन में अत्यन्त महत्त्व है। विद्या से विनय आती है। विनयशीलता व्यक्तित्व की पहचान है। विनय नामक अध्ययन में विनय और अविनय के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा है कि अविनीत शिष्य सूकर और कुतिया की तरह होता है, वह सभी के लिए हेय होता है, जबकि विनीत शिष्य मेधावी होता है और वह गुरु एवं सभी के लिए उपादेय होता है।[12] विनीत का कथन करते हुए कहा गया है कि वह गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता, गुरु की शुश्रुषा करता है, गुरु के इंगित और आकार को जानता है। बिना पूछे कुछ नहीं बोलता, पूछने पर असत्य नहीं बोलता, क्रोध आ जाए तो उसे जीत लेता है, प्रिय और अप्रिय को अंगीकार करता है अर्थात् गुरु जैसा कहे उसे शिरोधार्य करता है।[13]

वर्तमान में विपरीत मार्ग पर चल रहे शिक्षार्थियों के सम्यक् बोध हेतु उत्तराध्ययन में वर्णित है कि विद्यार्थी की योग्यता एवं अयोग्यता क्या हो? इस हेतु बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। यहाँ विद्यार्थी की योग्यता के लिए कहा है कि उसका आचार्यकुल में रहना, उत्साही, विद्या-प्रेमी, मधुरभाषी तथा शुभकर्मा होना आवश्यक माना गया है।[14] विद्यार्थी की योग्यताओं का विवेचन करते हुए उसमें इन आठ गुणों का रहना आवश्यक बताया गया है[15]- सहनशीलता, इन्द्रियनिग्रही, मधुर भाषी, शीलवान्, रसों में अलोलुपता, अक्रोधी, शीलवृत्ति की दृढ़ता और सत्यभाषी। आदिपुराण के अनुसार विद्यार्थी में जिन मौलिक गुणों का होना अनिवार्य है, वे ये हैं[16] - जिज्ञासावृत्ति, श्रद्धा (अध्ययन और अध्यापक दोनों के प्रति आस्था),

विनयशीलता, शुश्रूषा, श्रवण (पाठ-श्रवण के प्रति सतर्कता एवं जागरूकता), ग्रहण (गुरु द्वारा अध्यापन किए गए विषय को ग्रहण करने की अर्हता), धारणा (पठित विषय को सदैव स्मरण रक्षने की क्षमता), स्मृति (कालान्तर में नहीं भूलना), ऊह (तर्कणा-शक्ति), अपोह (पठित ज्ञान के आधार पर विचार-शक्ति का प्राबल्य एवं अकरणीय त्याग), निर्णीति (विचार करने की क्षमता), संयम, प्रमाद का अभाव, सहज प्रतिभा (विशेष क्षयोपशम शक्ति) और अध्यवसाय॥

उत्तराध्ययन में विद्यार्थी की अयोग्यता के सम्बन्ध में वर्णित है कि अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग तथा आलस्य से युक्त विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।[17] इसी प्रकार जिनसेनाचार्य ने भी कठोर परिणामी, विषयी, सारतत्त्व के स्थान पर निःसार का ग्राहक, हिंसकवृत्ति, शब्द ज्ञान और अर्थज्ञान की न्यूनता, धूर्तता, कृतघ्नता, ग्रहण-शक्ति का अभाव, दुर्गुण ग्राहकता, उद्दण्डता, प्रतिभा की कमी, स्मरणशक्ति का अभाव, धारणशक्ति का अभाव तथा हठग्राहिता को अयोग्यता माना है।[18] षट्खंडागम मे भी बुरे शिष्य के लक्षण संक्षेप में उपमा के माध्यम से वर्णित हैं। कहा गया है कि शैल धन, भग्न घट, अहि, चलनी, भैंसा, गैंडा, जोंक, शुक, माटी और मच्छर के समान शिष्यों को जो श्रुत का व्याख्यान करता है, वह मूढ़ रस-गारव के अधीन होकर विषयों की लोलुपता रूप विष के वश मूर्छित हो बोधि अर्थात् रत्नत्रय की प्राप्ति से भ्रष्ट होकर भव-भवन में चिरकाल तक परिभ्रमण करता है।[19]

उक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि आज जनजीवन में अशान्ति और अनुशासनहीनता के काले बादल मँडरा रहे हैं। उसका मूल कारण जीवन में विनय का अभाव है और अहंकार की वृद्धि है तथा विनय का अभाव पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय जीवनशैतान की आँत की तरह बढ़ रहा है, जिससे न परिवार सुखी है, न समाज सुखी है और न राष्ट्र के अधिनायक ही शान्ति में हैं।

पारिवारिक व्यवहार

मानव निर्मित समस्त संस्थाओं में परिवार एक आवश्यक आधारभूत संस्था है। संसार के प्रत्येक वर्ग में इसका संगठन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। यह मुख्यरूप से भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण तैयार करता है तथा शिशु का समुचित पालन-पोषण कर उसके विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसका व्यावहारिक स्वरूप उसके घटकों यथा- माता-पिता, भाई-भावज के पारस्परिक सम्बन्धों पर निर्भर करता है। अतः इस व्यवहार के अन्तर्गत हम दाम्पत्य, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, भाई-भाई, पिता-पुत्री, माता-पुत्री, भाई-बहिन,

चाचा-भतीजा, देवर-भावज के पारस्परिक सम्बन्धों को ले सकते हैं। प्रायः इन सभी का हृदयग्राही चित्रण उत्तराध्ययनसूत्र में प्राप्त होता है।

धार्मिक व्यवहार

धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में धर्म का निरूपण अनिवार्य रूप से उपलब्ध होता है। इस सम्बन्ध में आचार्य जिनसेन का स्पष्ट कथन है - कविता वही प्रशंसनीय समझी जाती है, जो धर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखती है। शेष कविताएँ तो मनोहर होने पर भी मात्र पापास्त्रव के लिए ही होती हैं। कितने ही मिथ्यादृष्टि कानों को प्रिय लगने वाले, मनोहर काव्यों की रचना करते हैं, परन्तु उनके वे काव्य अधर्मानुबंधी होने से धर्मशास्त्र के निरूपक न होने के कारण सज्जनों को संतुष्ट नहीं कर पाते। अतः बुद्धिमानों को शास्त्र और अर्थ का अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकवियों की उपासना करके ऐसे काव्यों की रचना करनी चाहिए जो धर्मोपदेश सहित हो, प्रशंसनीय हो और यश को बढ़ाने वाला हो।[20]

उत्तराध्ययनसूत्र में धार्मिक व्यवहार काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इसमें धार्मिक व्यवहार के अन्तर्गत कदम-कदम पर धार्मिक प्रसंगों के दर्शन उपलब्ध होते हैं, जिनमें मुनियों के धार्मिक व्यवहार प्रमुख हैं। इस ग्रन्थ में प्रायः सभी ने धर्म को जीवन के लिए एक आवश्यक तत्त्व स्वीकार किया है। धर्म के अन्तर्गत जीवन की यथार्थता का विवेचन करते हुए कथन है कि यह जीवन बिजली की तरह अस्थिर है और सब कुछ क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। यदि प्राणी शाश्वत सुख चाहता है, तो उसे धर्म को अनिवार्यतः अंगीकार करना चाहिए। एक प्रसंग में राजीमती को दीक्षा के लिए जाते हुए कृष्णजी ने धार्मिक भावना से ओतप्रोत आशीर्वाद देते हुए कहा- संसारसागरं घोरं, तर कन्ने! लहुं लहुं।[21] अर्थात् हे कन्या! तू घोर संसार-सागर को शीघ्रता से पार कर।

जीवन में धर्म का पालन अनिवार्य बताया गया है। इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रायः सभी पात्रों को चाहे वह राजा हो या रंक, पुरुष हों या स्त्री धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाया गया है। इसके परिणाम में स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति और तिरस्कार में दुःख का प्रतिपादन किया गया है।

धर्म का प्राण अहिंसा को माना है। वर्णित है कि अहिंसा की परिपालना के लिए नेमिकुमार ने विवाह का परित्याग कर दिया और प्रव्रज्या धारण कर मोक्ष को प्राप्त किया।[22]

राजनीतिक व्यवहार

राजनीतिक व्यवहार से तात्पर्य राजनीति की उस आदर्शनीति से है, जिसके अनुगमन

पर प्रजा की रक्षा और शासन की सुदृढ़ता निर्भर करती है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य मानव-चेतना को दिशा-निर्देश कर विकास के चरम-लक्ष्य तक पहुँचाना है और यह तभी सम्भव हो सकता है, जब राजनीति एक आदर्श व्यावहारिक नीति से प्रेरित हो। उत्तराध्ययनसूत्र में उल्लिखित कुछ ऐसे ही राजनीतिक व्यवहारों का निरूपण निम्न प्रकार अवलोकनीय है-

राज्य के उत्तराधिकारी का चुनाव- उत्तराधिकारी के चुनाव में राजतंत्र के अनुरूप वंश-परम्परा की पद्धति ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस पद्धति में पंचों की राय, विद्वानों की राय, प्रजा की राय आदि अपेक्षित नहीं है। इस पद्धति के अनुसार राजा अपने बड़े पुत्र अथवा अपने भाई को राज्यपद का अधिकार प्रदान करता है। जिसको यह पद मिल गया उसे ही प्रजा को अपना राजा मानकर उसके आदेशों का पालन करना है। ऐसे प्रसंग उत्तराध्ययन के कथानकों में पदे-पदे देखे जा सकते हैं, जहाँ पिता ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित कर स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली।

राज्य में संचालित दण्डविधान के सम्बन्ध में कहा गया है कि उस समय जो व्यक्ति चोरी करता था, उसको कठोर दण्ड दिया जाता था। जिसे मृत्युदण्ड दिया जाता था, उसे कनेर के लाल फूलों की माला पहनाई जाती थी, लाल वस्त्र पहनाये जाते थे, फिर उसे नगर में उसके कुकृत्यों की जानकारी दी जाती थी और उसे नगर के राजमार्ग से वधभूमि की ओर ले जाया जाता था। यह इसीलिए किया जाता था, जिससे दर्शक इस प्रकार के अपराध करने का दुस्साहस न करें।[23]

इक्कीसवें अध्ययन में तात्कालिक राज्य-व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। भारत उस समय अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। उनमें परस्पर संघर्ष भी होता था। अतः मुनि को उचित काल में एवं सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाहिए।[24]

उपर्युक्त राजनीतिक प्रसंगों के अतिरिक्त राजा और व्यापारी का सम्बन्ध, राजा के कुशल दूत आदि प्रसंग भी यथास्थान प्राप्त होते हैं, जो व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

समन्वयात्मक व्यवहार

लोककल्याण का एक महत्त्वपूर्ण उपाय समन्वयात्मक व्यवहार अर्थात् एकान्त दृष्टि का त्याग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कवि लोक व्यवहारों की स्थापना अपने काव्य में जब इसी दृष्टिकोण से करता है, तभी उसका काव्य लोक-कल्याणकारी तथा सर्वव्यापी बन पाता है, अन्यथा नहीं। डॉ. हीरालाल जी का कथन है कि राम और लक्ष्मण तथा कृष्ण

और बलदेव के प्रति जनता का पूज्य भाव रहा है व उन्हें अवतार-पुरुष माना गया है। जैनपरम्परा में इन्हें त्रेसठ-श्लाका पुरुषों में माना है और अपने पुराणों में विस्तार से उनके जीवन-चरित्र का वर्णन किया है। जो लोग जैन पुराणों को हल्की और उथली दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात पर हँसते हैं कि इन पुराणों में महापुरुषों को जैन मतावलम्बी माना गया है व कथाओं में व्यर्थ हेर-फेर किए गये हैं। उनकी दृष्टि इस बात पर नहीं जाती कि कितनी आत्मीयता से जैनियों ने उन्हें अपने भी पूज्य बना लिया है और इस प्रकार अपने तथा अन्य देशीय भाईयों की भावना की रक्षा की है। डॉ. जैन का यह मन्तव्य समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। उत्तराध्ययनसूत्र श्रमण परम्परा में इसी समन्वय का ही प्रतिनिधित्व करता है।

अन्ततः संक्षेप में कहा जा सकता है कि 'उत्तराध्ययन' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है, जिसमें सामान्य जीवन से लेकर परलोक जीवन तक को संवारने के लिए उत्तमोत्तम व्यावहारिक उपाय समाविष्ट हैं। सामान्य जीवन में श्रावक धर्म का निर्वहण कर तथा विशिष्ट जीवन में श्रमण धर्म का पालन कर मनुष्य अपने जीवन का परम-लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। व्यावहारिक उपाय इस रीति से निरूपित किये गये हैं कि अन्य की धार्मिक भावनाएँ किसी तरह आहत न हों। 'उत्तराध्ययन' की यह वर्णन-शैली आज भी उपयोगी है। आज जहाँ असहिष्णुता का मुद्दा सम्पूर्ण समाज को उद्वेलित किये हुए है, वहीं इस ग्रन्थ की कथन-शैली समस्या के समाधान में मार्गदर्शक का काम करती है।

सन्दर्भ सूची

1. अंगप्पभवा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया।
   वंधे मुक्खे य कया छत्तीसं उत्तरज्झयणा। उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा 4
2. कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तियो।
   वइस्सो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा। उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन-25 गाथा 31 जैनविश्वभारती, लाडनूं, 2006ई.
3. सोवागकुलसंभूओ, गुणत्तरो मुणी।
   हरिएसबलो नाम, आसि भिक्खू जिइंदियो। उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन-12 गाथा 31, जैनविश्वभारती, लाडनूं, 2006ई.
4. पिहुंडे ववहरंतस्स, वाणिओ देइ धूयरं।
   तं ससत्तं पइगिज्झ, संदेसमह पत्थिओ। उत्तराध्ययनसूत्र, गाथा 21/3
5. उत्तरज्झयणाणि, सम्पा. आचार्य महाप्रज्ञ, वाचना प्रमुख- आचार्य तुलसी, जैनविश्वभारती, लाडनूं, पंचम संस्करण, 2006ई. पृष्ठ 346

6. समयाए समणो होइ, बम्भचेरेण बम्मणो।
णागेण य मुणी होई, तवेणं होइ तावसो। उत्तराध्ययनसूत्र, गाथा 25/30
7. उत्तराध्ययन,22 अध्ययन गाथा 42
8. णाणं भावो ततो णऽण्णो निशीथे भाष्य, गाथा-75, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, 2008ई.
9. णाणं णरस्से सारो, सारो वि परस्स होइ सम्मत्तं।
सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं।-दर्शनपाहुड़(गाथा-31)/ अष्टपाहुड, आचार्य कुन्दकुन्द, श्रीश्रुतसागरसूरि कृत संस्कृतटीका सहित, हिन्दी अनुवाद- डॉ. पन्नालाल साहित्याचार्य, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत् परिषद्, वाराणसी, 1995ई.
10. मद्दवकारणं नाणं, तेणेव य जे मदं समुवहंति।
ऊणगभायणसरिसा, अगदो वि विसायते तेसिं॥ - बृहत्कल्पभाष्य(गाथा-783), संघदासगणि, सम्पा.अनु.- मुनि दुलहराज, जैन विश्वभारती, लाडनूं, पहला संस्करण, 2007ई.
11. सव्वजगुज्जोयकरं नाणं। व्यवहार भाष्य(गाथा-7/216) सम्पा.अनु.- मुनि दुलहराज, जैन विश्वभारती, लाडनूं, पहला संस्करण, 2004ई.
12. जहा सुणी पूइकण्णी निक्कसिज्जइ सव्वसो।
एवं दुस्सील पडिणीए मुहरी निक्कसिज्जई॥
कणकुण्डगं चइत्ताणं विट्ठं भुंजइ सूयरे।
एवंशीलं चइत्ताणं दुस्सीले रमई मिए। उत्तराध्ययन, 1/4 से लेकर 14 तक
13. उत्तराध्ययन, गाथा-1/2 एवं 14
14. वसे गुरुकुले निच्चं जोगवं उवहाणवं।
पियंकरे वियंवाई से सिक्खं तदुभरिहई॥ - उत्तराध्ययन,11.14
15. उत्तराध्ययनसूत्र (लाहौर संस्करण), 11.4-5, पृ.438-39.
16. आदिपुराण (भाग-1) - 1.68, 1.140-48 एवं महापुराण (भाग-2) 38.106-118, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
17. अह पंचहिं ठाणेहि जेहि सिक्खा न लाइ।
थम्मा कोहा पमाएणं रोगेणा लस्सएण य॥ - उत्तराध्ययनसूत्र, 11/3
18. आदिपुराण (भाग-1) - 1.138-141
19. षट्खंडागम - धवला टीका समन्वितः, 62-63, प्र. जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय, अमरावती, 1939ई।
20. आदिपुराण, आचार्य जिनसेन, सम्पा.-डॉ. पन्नालाल साहित्याचार्य, प्रकाशन- भारतीय ज्ञानपीठ, नईदिल्ली, 1/63-64व 74
21. उत्तराध्ययनसूत्र, 22 वाँ अध्ययन, गाथा 31
22. उत्तराध्ययनसूत्र, 22 वाँ अध्ययन, गाथा 14
23. उत्तराध्ययनसूत्र, 21 वाँ अध्ययन, गाथा 8 एवं पृष्ठ 346
24. कालेण कालं विहरेज्ज रट्ठे, बलावलं जाणिय अप्पणो य।
सीहो व सद्देण न संतसेज्जा, वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु। उत्तराध्ययन, गाथा 21/14

शौरसेनी प्राकृत साहित्य में दार्शनिक तथ्यों की प्रासंगिकता

– डॉ. अनिल कुमार जैन

प्राचीन भारतीय भाषाओं में प्राकृत भाषा का विशेष महत्त्व है। यह सिद्धान्त, दर्शन और काव्य की भाषा रही है। प्रारम्भ में यह भाषा लोक भाषा के रूप में रही। पश्चात् लोकजीवन का काव्यात्मक चित्रण, वस्तु स्वरूप का दार्शनिक सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक, आगमिक आदि अनेक दृष्टियों से विवेचन प्राकृत साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। जहाँ तक प्राकृत साहित्य में दार्शनिक तथ्यों या दार्शनिक विवेचन की बात है तो शौरसेनी प्राकृत के कसायपाहुड, षट्खंडागम, आचार्य कुंदकुंद कृत समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार और अष्टपाहुड आदि ग्रन्थों में दर्शन के मूल तथ्य उपलब्ध होते हैं। इन्हीं को आधार बनाकर उत्तरवर्ती परम्परा में दर्शन का विस्तृत विवेचन किया गया। उक्त प्राकृत साहित्य में उपलब्ध दार्शनिक तथ्यों की वर्तमान समय में अनेक दृष्टियों से प्रासंगिकता है, जिसको प्रस्तुत आलेख में स्पष्ट किया जायेगा।

दर्शन

मनुष्य में जो स्वाभाविक विचार शक्ति है उसी का नाम दर्शन है अथवा जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाये वह दर्शन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह संसार नित्य है या अनित्य? इसकी सृष्टि करने वाला कोई है या नहीं? आत्मा का स्वरूप क्या है ? इसका पुनर्जन्म होता है या नहीं? इत्यादि प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर देना दर्शनशास्त्र का कार्य है।

शास (आज्ञा करना) तथा शंस् (वर्णन करना) शासन अर्थ में शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र वह है जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया जाय। धर्मशास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का प्रतिपादन करने के कारण पुरुष आश्रित हैं किन्तु दर्शनशास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से वस्तु आश्रित हैं।

सत् की व्याख्या करने में भारतीय दार्शनिकों ने विषय की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना विषयी-आत्मा की ओर। आत्मा को अनात्मा से पृथक् करना दार्शनिकों का प्रधान कार्य था इसीलिये आत्मा को जानो यह प्राकृत साहित्य का मूलमन्त्र है। यही कारण है कि

प्राय: समस्त भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता पर प्रतिष्ठित हैं और धर्म तथा दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रारम्भ से ही चला आ रहा है। दर्शन शास्त्र के द्वारा सुचिन्तित आध्यात्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धर्म की दृढ़ प्रतिष्ठा है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन महर्षियों ने अपनी तात्त्विक दृष्टि से जिन-जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया उनको दर्शन शब्द के द्वारा कहा गया है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार है तो फिर विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक भेद का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि अनन्त धर्मात्मक वस्तु को विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया और तदनुसार ही उसका प्रतिपादन किया है। अत: यदि हम दर्शन शब्द के अर्थ को भावनात्मक साक्षात्कार के रूप में ग्रहण करें तो उपर्युक्त प्रश्न का समाधान हो सकता है क्योंकि विभिन्न ऋषियों को अपनी-अपनी भावना के अनुसार वस्तु के स्वरूप का दर्शन हुआ।

दर्शन का प्रयोजन

जब हम दर्शन के प्रयोजन पर विचार करते हैं तो समस्त भारतीय दर्शनों का लक्ष्य इस संसार में दु:खों से छुटकारा पाना अर्थात् मुक्ति या मोक्ष पाना है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन प्रकार के दु:खों से पीड़ित है। अत: उक्त दु:खों से निवृत्ति का उपाय बतलाना दर्शनशास्त्र का प्रधान लक्ष्य है। अत: दु:ख, दु:ख के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारणों को खोजकर साधारण जन के लिए उनका प्रतिपादन करना दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोग निदान, आरोग्य और औषधि इन चार तत्त्वों का प्रतिपादन आवश्यक है उसी प्रकार दर्शनशास्त्र में भी दु:ख, दु:ख के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारणों का प्रतिपादन करना आवश्यक है।

जहाँ तक प्राकृत साहित्य में दार्शनिक तथ्यों की बात है तो प्राकृत साहित्य में दर्शन के समस्त तथ्य (विषय) उपलब्ध हैं यथा-प्रमाण, नय, अनेकान्त, स्याद्वाद, सप्तभंगी, सर्वज्ञ सिद्धि, सृष्टि व्यवस्था, वस्तु स्वतंत्रता, कार्यकारण व्यवस्था आदि। जहाँ तक इनकी प्रासंगिकता की बात है तो इनके स्वरूप से ही इनकी प्रासंगिकता स्वयमेव सिद्ध है। फिर भी प्रमाण आदि का विवेचन करते समय यथा स्थान उनकी प्रासंगिकता का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है।

प्रमाण

भारतीय प्रमाण शास्त्र का विकास विभिन्न चिन्तन धाराओं के सैद्धान्तिक समीक्षण

प्रतिसमीक्षण के फलस्वरूप हुआ है। विकास की इस यात्रा में प्राकृत साहित्य का महत्त्वपूर्ण अवदान है। प्राकृत साहित्य षट्खण्डागम और प्रवचनसार आदि में ज्ञानमीमांसा के रूप में प्रमाण की चर्चा उपलब्ध होती है। इन ग्रन्थों में प्रमाण और अप्रमाण के स्थान पर सम्यक् और मिथ्या जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ज्ञान मीमांसा मोक्षमार्ग को केन्द्र बिन्दु मानकर हुई है। ज्ञान आत्मा का गुण होने के कारण उसका आत्मा के साथ एकत्व स्थापित कर उसका स्वभाव और विभाव के रूप में प्रतिपादन किया गया है। संशय, विमोह और विभ्रम से रहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहा गया है–

संसयविमोहविब्भमविवज्जियं होदि सण्णाणं।

प्राकृत साहित्य में मिथ्यादृष्टि का प्रत्येक ज्ञान संसार में भटकाने वाला होने से मिथ्या और सम्यग्दृष्टि का प्रत्येक ज्ञान मोक्षमार्गोपयोगी होने के कारण सम्यक् है, परन्तु संस्कृत के दार्शनिक ग्रन्थों में ज्ञान के मोक्षमार्गोपयोगी या संसारवर्धक होने के आधार से प्रमाणता-अप्रमाणता का विचार प्रस्तुत नहीं है। वहाँ प्रतिभासित विषय का निर्दोष होना ही प्रमाणता की कुञ्जी है, जिस ज्ञान के द्वारा प्रतिभासित पदार्थ जैसा का तैसा जाना जाता है वह अविसंवादी ज्ञान सत्य और प्रमाण है[2] शेष अप्रमाण हैं, भले ही उनका उपयोग संसार में हो या मोक्ष में।

प्रमाण के भेद

शौरसेनी प्राकृत साहित्य में ज्ञान के आभिनिबोधिक ज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन पाँच ज्ञानों का उल्लेख मिलता है। इनमें आदि के तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं - यथा मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंगज्ञान।[3] इनमें आदि के पाँच ज्ञान प्रमाण हैं। इनके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं। प्राकृत साहित्य में स्वावलम्बी ज्ञान को, जो इन्द्रिय और मन की सहायता से भी रहित है, वह आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष और इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को परोक्ष कहा गया है–

जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदमत्थेसु।
जदि केवलेण णाणं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं।।[4]

आचार्य कुंदकुंद ने आत्म सापेक्ष अतीन्द्रिय केवलज्ञान को प्रत्यक्ष और एक देश आत्म सापेक्ष और इन्द्रिय सापेक्ष ज्ञान को परोक्ष कहा है। क्रमवर्ती ज्ञान नित्य, क्षायिक और सर्वगत नहीं हो सकता युगपत् होने वाला ज्ञान ही सर्वगत है–

उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अत्थे पडुच्च णाणिस्स।
तं णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं णेव सव्वगदं।।[5]

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि शौरसेनी प्राकृत ग्रन्थ प्रवचनसार में आचार्य कुंदकुंद ने ज्ञानों का प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व विषयाधिगम के क्रम और अक्रम के आधार पर निर्धारित किया है। जबकि आचार्य उमास्वामी ने पाँच ज्ञानों को प्रमाण कहकर प्रथम दो ज्ञानों को परोक्ष प्रमाण और उत्तरवर्ती तीन ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है।[6] परन्तु इनके द्वारा कहे जाने का आधार ज्ञान के कारणों की आत्म सापेक्षता और इन्द्रिय सापेक्षता है। आचार्य समन्तभद्र ने आचार्य कुन्दकुन्द का अनुकरण करते हुये पूर्ण प्रमाणता केवलज्ञान में स्थापित की तथा क्रमभावी ज्ञान को स्याद्वाद और नय से संस्कृत कहा–

तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम्॥

क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम्॥[7]

नियमसार में आत्मा की शुद्धता और अशुद्धता को ध्यान में रखकर ज्ञान के स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान ये दो भेद किये हैं। उनमें कर्मोपाधि रहित केवलज्ञान को स्वभावज्ञान तथा कर्मोपाधि सहित मति आदि चार सम्यग्ज्ञानों को एवं कुमति आदि तीन मिथ्याज्ञानों को विभाव ज्ञान कहा है।[8]

अनेकान्त

अनेकान्त यह शब्द अनेक और अन्त इन दो पदों के मेल से बना है। अनेक का अर्थ है– एक से भिन्न और अन्त का अर्थ है– धर्म। इस प्रकार अनेक शब्द द्वारा दो से लेकर अनन्त धर्मों का ग्रहण किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु में विभिन्न अपेक्षाओं से अनन्त धर्म रहते हैं।

अनेकान्तवाद बहु–आयामी वस्तु तत्त्व के सम्बन्ध में ऐकान्तिक विचारों का निषेध करता है तथा परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली विचार धाराओं को समन्वित करने का प्रयास करता है। प्राकृत साहित्य में अनेकान्त पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है।

अनेकान्त की आवश्यकता

प्रत्येक वस्तु के यथार्थ परिज्ञान के लिए अनेकान्त की महती आवश्यकता है। किसी वस्तु को ठीक–ठीक न समझकर उसको हठपूर्ण विचार या एकान्त अभिनिवेशवश सर्वथा एकान्त रूप स्वीकार करने पर बड़े–बड़े अनर्थों की संभावना रहती है। एकान्तदृष्टि कहती है कि तत्त्व ऐसा ही है और अनेकान्तदृष्टि कहती है कि तत्त्व ऐसा भी है। यथार्थ में सारे झगड़े या विवाद ''ही'' के आग्रह से ही उत्पन्न होते हैं। विवाद वस्तु में नहीं, किन्तु देखने वालों

की दृष्टि में है। जिस प्रकार पीलिया रोग वाले को सब वस्तुयें पीली ही दिखती हैं। उसी प्रकार एकान्त के आग्रह से जिनकी दृष्टि विकृत हो गयी है, उसको वस्तु एकान्तरूप ही दिखाई देती है।

एक पक्ष के दुराग्रह/हठाग्रह के कारण हमारी उलझनें बढ़ जाती हैं। यदि हम व्यवहार और विचार में अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर चलें तो हम एक-दूसरे से निकट के सम्पर्क स्थापित कर तनाव और संघर्ष से बच सकते हैं। सूत्रकृतांग में लिखा है -

सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वयं।

जो उ तथ्थ विउस्संति संसारे ते विउज्जिया॥[9]

अपने-अपने मत की प्रशंसा और दूसरे मतों की निंदा करते हुये जो गर्व से उछलते हैं वे संसार को बढ़ाते हैं। अपने सिद्धान्त की प्रशंसा और दूसरे सिद्धान्त की गर्हा करना वर्तमान की मनोवृत्ति नहीं, यह बहुत पुरानी मनोवृत्ति है। यही सत्य है, दूसरा सिद्धान्त सत्य नहीं इसी आग्रह ने संघर्ष को जन्म दिया है। इससे बचने के लिये अनेकान्त की अत्यन्त आवश्यकता है। अनेकान्त दृष्टि वाला दूसरे सिद्धान्त के विरोध में या प्रतिपक्ष में खड़ा नहीं होता, किन्तु सत्य को सापेक्ष दृष्टि से स्वीकार करता है। जब नियतिवादी नियति के सिद्धान्त को ही परम सत्य मानकर दूसरे के सिद्धान्तों का खण्डन करते थे तब भगवान महावीर ने कहा- नियतिवाद ही तत्त्व है, इस प्रकार का गर्व दु:ख के पार पहुँचाने वाला नहीं, दु:ख के जाल में फँसानेवाला है।[10]

आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है -

जेण विणा लोगस्य वि ववहारो सव्वहा ण णिव्वई।

तस्य भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स॥''

अर्थात् अनेकान्त का आश्रय लिये बिना परमार्थ और व्यवहार दोनों ही नहीं बन सकते। यथार्थ में वस्तु का सत्य ही ग्रहण करने योग्य है क्योंकि व्यवहार में व्यक्ति के सत्य में विभिन्नता लक्षित होती है। अनेकान्तवाद परमार्थ और व्यवहार दोनों का समान रूप से साधक है अतएव सम्पूर्ण विश्व का यह एक अद्वितीय गुरु है।

अनेकान्त सब जीवों के लिए सन्मार्ग प्रदर्शक है-

नीतिविरोधध्वंसी लोकव्यवहारवर्तकः सम्यक्॥

परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः॥

अर्थात् जैनी नीति का वही मूलाधार है। जो लोग अनेकान्त का सचमुच आश्रय लेते हैं वे कभी स्व-पर वैरी नहीं होते उनसे पाप नहीं बनते, उन्हें आपदायें नहीं सताती और वे लोक में सदा ही उन्नत उदार तथा जयशील बने रहते हैं।

आचार्य अमृतचन्द्र ने परमागमस्य बीजं इत्यादि कारिका में अनेकान्त को परमागम का बीज कहा है।'

सत्ता में अनेकान्त

आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है -

सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा अणंतपज्जाया।

भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का॥[13]

अर्थात् सत्ता सम्पूर्ण पदार्थों में स्थित है, अनेक रूप है, अनन्त पर्यायों से सहित है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप है, एक है तथा प्रतिपक्षी धर्मों से युक्त है। सत्ता स्वभाव से सिद्ध है और जो स्वभाव में अवस्थित है वह द्रव्य सत् है। स्वभाव में अवस्थित द्रव्य, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य परिणाम वाला है। द्रव्य का अस्तित्व गुणों और अनेक प्रकार की पर्यायों से है।'' द्रव्य और पर्याय में अभेद है-

पज्जयविजुदं दव्वं दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्थि।

दोण्हं अणण्णभूदं भावं समणा परूविंति॥[14]

अर्थात् द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती दोनों अभेदस्वरूप हैं।

व्यवहार और परमार्थ का समन्वय जैनदर्शन की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-

जं सुत्तं जिण उत्तं ववहारो तह जाण परमत्थो।

तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंजं॥[15]

अर्थात् जिनेन्द्र कथित सूत्र को हे योगिजन व्यवहार और परमार्थ के भेद से दो प्रकार का जानो क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों को जानकर ही योगिजन कर्ममल समूह का नाशकर आत्मीय सुख को प्राप्त करते हैं।

तप और ज्ञान का समन्वय बताते हुये आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है-

तवरहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो।

तम्हा णाणतवेण संजुत्तो लहइ णिव्वाणं॥

अर्थात् जो ज्ञान तप से रहित है वह व्यर्थ है और जो तप ज्ञान से रहित है वह भी व्यर्थ है इसलिये ज्ञान और तप से युक्त पुरुष ही निर्वाण को प्राप्त होता है।

शुद्धोपयोग का शुभोगपयोग से समन्वय स्थापित करते हुये कहा गया है-

वरवयतवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ णिरइ इयरेहिं।

छायातवट्ठाणं पडिवालंताण गुरुभेयं॥

अर्थात् व्रत और तप से स्वर्ग को प्राप्त होना अच्छा है, परन्तु अव्रत और अतप के द्वारा नरक के दु:ख प्राप्त होना अच्छा नहीं है। छाया और धूप में बैठकर इष्टस्थान की प्रतीक्षा करने वालों में बहुत अन्तर है।

स्याद्वाद-सप्तभंगी

वस्तु के अनेकान्तात्मक स्वरूप के प्रतिपादन के लिए जैन परम्परा में तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित उस स्याद्वादरूप वचन पद्धति का आश्रय लिया गया है, जिसके द्वारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होने के साथ वक्ता का भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। स्याद्वाद और अनेकान्त में वाच्य-वाचक संबंध है अर्थात् स्याद्वाद और अनेकान्त वाच्य-वाचक हैं। अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य में स्यात्-सिया शब्द का प्रयोग मिलता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने विधि और निषेध के विकल्प से अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति के सात प्रकार बताकर प्रत्येक में स्यात् शब्द का प्रयोग किया है-

सिय अत्थि णत्थि उहयं अव्वत्त्वं पुणो य तत्तिदयं ।

दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि॥[17]

स्यात् अर्थात् अपेक्षा भेद से एक द्रव्य में सत्-असत् अन्यत्व-अनन्यत्व आदि एक साथ घटित हो जाते हैं। स्वभाव में अवस्थित द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से सद्भाव निबद्ध है और द्रव्य पर्यायार्थिक नय से असद्भाव निबद्ध है।[18]

शौरसेनी प्राकृत में निबद्ध आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य को आधार मानकर आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद और सप्तभंगी का व्यवस्थित निरूपण किया है।[19]

नय

जैन दर्शन के अलावा अन्य सभी जैनेतर दर्शन वस्तु को एक धर्मात्मक ही मानते हैं।

अतः उनमें प्रमाण के अलावा अंशग्राही रूप नय संबंधी कोई चर्चा नहीं की गई है किन्तु अनेकान्तवादी जैनदर्शन का कार्य नय के बिना संभव नहीं है अतः शौरसेनी प्राकृत साहित्य में नय का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है।

नय की आवश्यकता

विभिन्न दर्शनों के बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन दो के बीच विरोध है, उस विरोध का परिहार किया जाये। विरोध का कारण अपनी दृष्टि को एकान्त से सत्य समझना तथा दूसरे की दृष्टि को सर्वथा असत्य समझना है किन्तु ये दोनों ही दृष्टिकोण समीचीन नहीं हैं। जैनाचार्यों ने वक्ता और श्रोता दोनों की ही दृष्टि को समझने पर जोर दिया और कहा एक दृष्टिकोण सत्य के अंश का ही प्रतिपादन कर सकता है पूर्ण सत्य का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के इस दृष्टिकोण को समझने के लिए उन्होंने नय का विवेचन कर कहा कि वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है। अतः सामान्य जनों के द्वारा एक साथ संपूर्ण वस्तु का कथन हो सके यह संभव नहीं है। उसके अनेक स्वरूपों को लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं और कथन करते हैं। ये विभिन्न दृष्टिकोण ही नय की मूल आवश्यकता हैं। अनन्तस्वरूपवाली वस्तु के आंशिक स्वरूप को स्वीकार करने के साथ उसके अन्य अंशों की सत्ता को ही सत्य मानकर अन्य का निराकरण करना नय दृष्टि न होकर वह असत्यानुसरण है। नय की उपयोगिता को समझते हुये प्राकृत साहित्यकार आचार्य गुणधर, पुष्पदंत, भूतबलि, कुन्दकुन्द आदि ने नय का विवेचन किया है। प्राकृत साहित्य में नय को नेत्र की उपमा दी गई है जिससे स्पष्ट होता है कि नय वस्तु के पक्षविशेष को जानने का साधन है। नय चक्र में कहा गया है कि-

जीवा पुग्गलकालो धमाधम्मा तहेव आयासं।

णियणिय सहावजुत्ता दट्ठव्वा णयपमाणणयणेहिं॥[20]

अर्थात् अपने-अपने प्रतिनियत स्वभाव से युक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को नय और प्रमाणरूपी नेत्रों से देखना चाहिये।

वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो नयरूपी दृष्टि से रहित हैं उन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तु स्वरूप के ज्ञान से रहित जीव सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है?[21]

नय के भेद

नय के दो भेद हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। अध्यात्म में द्रव्यार्थिक नय

को निश्चयनय और पर्यायार्थिकनय को व्यवहार नय के नाम से जाना जाता है। आचार्य श्री अमृतचन्द्र ने समयसार की टीका में स्पष्ट किया है कि निश्चयनय द्रव्याश्रित है और व्यवहारनय पर्यायाश्रित है।

सिद्धसेन ने नैगम नय का कथन न करके नय के संग्रह आदि छह भेदों का ही कथन किया है।[23]

निश्चयनय और व्यवहारनय ये दोनों सत्य के दो रूप हैं। जीव का स्वतः सिद्ध चैतन्यस्वभाव परमार्थसत्य है, पुद्गल कर्मों के निमित्त से उत्पन्न मोहरागादिभाव व्यवहारसत्य हैं। आत्मा और उसके दर्शनज्ञानचारित्रादि धर्मों में जो प्रदेशगत मौलिक अभेद है वह परमार्थसत्य है तथा जो संज्ञादिगत बाह्य भेद हैं वह व्यवहारसत्य है। निश्चयदृष्टि से अवलोकन करने पर आत्मा का अबद्ध-स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त रूप दृष्टि गोचर होता है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं -

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठं अणण्णयं णियदं।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि॥[23]

अर्थात् जिस दृष्टि से देखने पर आत्मा अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त दिखाई देता है वह दृष्टि शुद्धनय है।

निश्चय नय से शरीर और आत्मा में एकत्व का निषेध

निश्चयनय से शरीर और आत्मा में एकत्व का निषेध करते हुये आचार्य कुंदकुंद ने कहा है–

ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को।

ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्ठो॥

अर्थात् जीव और देह एक हैं ऐसा व्यवहारनय से कहा जाता है किन्तु निश्चयनय से देखा जाये तो जीव और देह कभी एक नहीं हो सकते।

निश्चयनय से आत्मा और कर्म से उसका बद्धत्व या संश्लेष का निषेध करते हुये–

आचार्य कुंदकुंद ने कहा है कि -

जीवे कम्मं बद्धं पुढं चेदि ववहारणयभणिदं।

सुद्धणयस्य दु जीवे अबद्धपुट्ठं हवइ कम्मं॥[24]

अर्थात् जीव और पुद्गलकर्म की संयुक्त बन्धपर्याय पर दृष्टि डालने से वे अभिन्न दिखाई देते हैं इसलिये व्यवहार नय का अनुसरण करते हुये कहा जाता है कि जीव में कर्मबद्ध स्पष्ट है किन्तु जब उनके भिन्नवस्तुत्व पर दृष्टिपात किया जाता है तब वे एक दूसरे से पूर्णतः पृथक् दिखाई देते हैं। तब निश्चयनय का अनुगमन करते हुये कहा जाता है कि जीव में कर्म अबद्धस्पष्ट हैं।

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द ने निश्चयनय के अवलम्बन द्वारा आत्मा के कर्मबद्ध होने का निषेध कर आत्मा की सत्ता में परद्रव्य की सत्ता के अभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

निश्चय नय से जीव का पर-द्रव्य के साथ स्वस्वामि सम्बन्ध का निषेध करते हुये आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है -

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी।
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई॥
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं।
जीवस्स एस वण्णो जिणेहिं ववहारदो उत्तो॥
गंधरस फासरूवा देहो संठाणमाइया जे य।
सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति॥[25]

अर्थात् यद्यपि अरहन्तदेव ने जीव में बन्ध पर्याय से अवस्थित कर्म या नोकर्म के वर्ण दो देखकर आधाराधेय सम्बन्ध के कारण यह जीव का वर्ण है ऐसा उपचार से प्रज्ञापित किया है, किन्तु निश्चय नय से विचार करने पर प्रतीत होता है कि जीव नित्य अमूर्त स्वभाव वाला है एवं उपयोग गुण के कारण शेष समस्त द्रव्यों से भिन्न है, अतः उसके कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, देह तथा संस्थान आदि को भी निश्चय द्रष्टा ऋषि व्यवहारनय से जीव का कहते हैं निश्चयनय से नहीं। निश्चयनय से इन्हें जीव का क्यों नहीं कहा जा सकता इसका व्याख्यान करते हुये आचार्य कुन्दकुन्द देव ने इस प्रकार कहा है-

एएहिं य संबंधो जहेय खीरोदयं मुणेदव्वो।
ण य हुँति तस्य ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा॥[26]

अर्थात् वर्णादिभावों के साथ जीव का वैसा ही एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है जैसा दूध और पानी का होता है। जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है अर्थात् जैसे अग्नि उष्णतारूप ही होती है। वैसा तादात्म्यसम्बन्ध वर्णादि के साथ जीव का नहीं है क्योंकि जीव अपने चैतन्यरूप अतिविशिष्ट स्वभाव के कारण अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न है।

आगे कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं

ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो यह कहे कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है? ज्ञानी तो निश्चित रूप से निजात्मा को ही अपना परिग्रह मानता है। वह सोचता है कि यदि जड़ परद्रव्य मेरा परिग्रह हो तो उससे मेरे अभिन्न होने का प्रसंग आयेगा, जिससे मैं भी जड़ ठहरूँगा। किन्तु मैं तो ज्ञाता हूँ इसलिये जड़ द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। मेरी अपनी वस्तु तो एकमात्र ज्ञायकभाव है। वही मेरा स्व है, उसी का मैं स्वामी हूँ।[27] इसी प्रकार प्राकृत साहित्य में निश्चय नय की दृष्टि से कहा गया है कि-

1. परमभाव से कर्ता-कर्म सम्बन्ध का निषेध है।
2. परद्रव्य से भोक्ता भोग्य सम्बन्ध का निषेध है।
3. पर से ग्रहण-त्यागसम्बन्ध का निषेध है।
4. परद्रव्य से निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध का निषेध है।
5. पर के साथ ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध का निषेध है।
6. पर से श्रद्धेय श्रद्धानकारक सम्बन्ध का निषेध है।
7. पर के साथ आधाराधेय सम्बन्ध का निषेध है।
8. धर्म-धर्मी में भिन्नत्व का निषेध है।
9. शुद्धोपयोग की मोक्षमार्ग संज्ञा है।
10. रागद्वेषमोह की आस्रव बन्ध संज्ञायें है।
11. रागद्वेषमोहाभाव की संवर संज्ञा है।
12. शुद्धोपयोग की निर्जरा संज्ञा है।

निश्चयनयात्मक उपदेश के प्रयोजन बताते हुये प्राकृत साहित्य में कहा गया है -

1. मिथ्या धारणाओं का विनाश होता है।[28]
2. अहंकार ममकार की बुद्धि का अभाव होता है।[29]

3. सम्यक् धारणाओं की उत्पत्ति होती है।[30]
4. स्वपद का निश्चय होता है।
5. मन: स्थिति में परिवर्तन होता है।

इस प्रकार प्राकृत साहित्य में जहाँ जीव का परद्रव्य के साथ सभी संबंधों का निषेध किया गया वहीं व्यवहार नय से जीव का परद्रव्य के साथ सम्बन्ध है, इसका भी प्रतिपादन किया गया है। प्राकृत साहित्य में जहाँ अलौकिक दृष्टि का प्रतिपादन है वहीं लौकिक दृष्टि कोण को भी स्थान दिया गया है। मात्र विवक्षा में दृष्टि भेद है।

सर्वज्ञ -

सामान्यत: हमारे ज्ञान की सीमा होती है क्योंकि वह किसी न किसी माध्यम या साधन से होता है और जब वह किसी न किसी साधन से होता है तब उस साधन का ग्राह्य विषय भी सीमित होता है। उस ग्राह्य विषय के अतिरिक्त वह किसी अन्य विषय का ग्राहक नहीं होता है तथा एक साधन के द्वारा दूसरे साधन के ग्राह्य विषय का ग्रहण नहीं कर पाने के कारण ही हमारे ज्ञान की सीमा होती है, जैसे चक्षु द्वारा रूप का ज्ञान होता है। रूप के अतिरिक्त शब्दादि विषयों का नहीं, किन्तु जो ज्ञान किसी साधन के विना मात्र आत्मा से उत्पन्न पूर्ण ज्ञान होता है वह सीमा से रहित होता है क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण और जानना आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध आत्मा को बिना किसी साधन के सूक्ष्म, दूरस्थ, प्रकृष्ट, अतीत और भविष्यत काल सम्बन्धी विषयों का ज्ञान होता है किन्तु कर्मों के आवरण के कारण आत्मा के ज्ञान में न्यूनता आ जाती है। जब ज्ञान के समस्त आवरणों का नाश हो जाता है तब निरावरण ज्ञान अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न होता है जो अनन्त और अतीन्द्रिय होता है। इस अनन्त और अतीन्द्रिय ज्ञान से युक्त को सर्वज्ञ नाम से संबोधित किया गया है। शौरसेनी प्राकृत में आचार्य कुंदकुंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञता के रूप में प्रतिपादित करते हुये कहा है - जो अप्रदेशी परमाणु और कालाणु को सप्रदेशी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश इन मूर्तिक और अमूर्तिक को द्रव्यों अतीत और अनागत पर्यायों को जानता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं।[31]

सन्दर्भ सूची

1. नियमसार गाथा 51
2. प्रमाण ही ज्ञानमविसंवादकमिष्यते। युक्त्यनुशासनालंकार कारिका 59 की टीका
3. षट्खण्डागम 1.1 1 5.38

4. प्रवचनसार 1.58
5. वही 1.50
6. तत्त्वार्थसूत्र 1.10-12
7. आप्तमीमांसा कारिका 101
8. नियमसार गाथा 10-12
9. सूयगडो 1/50
10. सूयगडो अध्ययन/टिप्पण 101
11. सन्मति सूत्र गाथा 3/69
12. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय कारिका
13. पंचास्तिकाय गाथा 8
14. पंचास्तिकाय गाथा 12
15. सुत्तपाहुड गाथा 7
16. मोक्षपाहुड गाथा 59
17. पंचास्तिकाय गाथा 1 4
18. प्रवचनसार गाथा 2/19
19. आप्तमीमांसा एवं युक्त्यनुशासन
20. प्राकृत नयचक्र गाथा 3
21. वही गाथा 181
22. समयसार गाथा 56 की टीका
23. समयसार गाथा 27
24. वही गाथा 141
25. वही गाथा 58-60
26. वही गाथा 57
27. वही गाथा 207-208
28. वही गाथा 11 (29) वही गाथा 20-23
29. समयसार कलश 242
30. वही कलश 139
31. प्रवचनसार 1.41

प्राकृत मुक्तकों के व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. रजनीश शुक्ल, नई दिल्ली

भारतीय साहित्यशास्त्र परम्परा में काव्य का विभाजन अनेक आधारों पर किया गया है, जैसे इन्द्रिय, आकार और बन्ध। इन्द्रिय के आधार पर काव्य का विभाजन दो प्रकार का है। श्रव्यकाव्य और दृश्य काव्य, आकार के आधार पर काव्य के तीन रूप होते हैं गद्य, पद्य और चम्पू तथा बन्ध के आधार पर काव्य के दो रूप हैं- प्रबन्ध और मुक्तक।

मुक्तक का अर्थ है- '**मुच्यते स्मेति मुक्तम्, मुक्तम् ह्रस्वं द्रव्यं मुक्तकम्** अर्थात् मुक्तक उस द्रव्य का नाम है जो मुक्त हो और जिसका कलेवर छोटा हो। '**मुच्**' धातु में निष्ठार्थक '**क्त**' प्रत्यय का, जो भूतकाल में कर्मकारक में होता है और फलाश्रय के समानाधिकरण विशेषण का बोध कराता है[1] तथा योग करने से 'मुक्त' शब्द बना, उसे संज्ञार्थक बनाने के लिए उसमें 'कन्' प्रत्यय जोड़ने से 'मुक्तक' शब्द निष्पन्न हुआ। 'केशवकृत कल्पद्रुमकोश में' '**मुक्त**' शब्द का अर्थ है-

विनाकृतं विरहितं व्यवच्छिन्नं विशेषितम्।
भिन्नं स्यादथ निर्व्यूहे मुक्तं यो वाऽतिशोभनः॥

अर्थात् विनाकृत, विरहित, व्यवच्छिन्न और भिन्न एकार्थवाची है। 'मुक्तक' का प्रयोग ऐसे काव्य के लिए किया जाता है जो पूर्वापरनिरपेक्ष, स्वतः पर्यवसित एवं प्रबन्ध भिन्न होता है। अतः 'मुक्त' शब्द से निष्पन्न होने के कारण 'मुक्तक' शब्द का यह अर्थ उपयुक्त है। जो काव्य अर्थ प्रतीति लिए परापेक्षी न हो, वह मुक्तक कहलाता है। वह 'विशेषित' भी होता है और 'अतिशोभन' भी।

डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ने प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में मुक्तक के लिए लिखा है कि जिसमें पद्य परत, निरपेक्ष रहते हुए, पूर्व अर्थ की अभिव्यक्ति में समर्थ, काव्य के लिए अपेक्षित चमत्कृति आदिविशेषताओं से युक्त अपनी काव्यगत विशेषताओं

के कारण जो आनन्द देने में समर्थ, जिसका गुम्फन अत्यन्त रमणीय और जिनका परिशीलन ब्रह्मानन्द सहौदर रसचर्वणा के प्रभाव से हृदय की मुक्तावस्था को प्रदान करने वाला हो वह मुक्तक काव्य है। तथा उन्होंने यह भी कहा कि मुक्तक की शोभा नारी के समान है जो पद ध्वनियों से युक्त हो, काव्य में मुक्तक वह है जिसमें रस के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कराने में सहायक हों, जो पद पूर्व और पर में रस की सम्पूर्ण रूप से प्रतीति करावे वही मुक्तक है।

प्राकृत का विकास मध्य भारतीय आर्यभाषा से माना जाता है। प्राचीन प्राकृतों का साहित्यिक स्वरूप आगम ग्रन्थों, शिलालेखों एवं अश्वघोष के नाटकों, गीतिकाव्य और महाकाव्यों में तथा अर्वाचीन प्राकृत का स्वरूप अपभ्रंश साहित्य में प्राप्त होता है।

प्राकृत में मुक्तक का विकास आगम-साहित्य की प्रवचन पद्धति से हुआ है, जिसमें उपदेश की बात को सरस पद्य में कहा गया है। वैराग्य भाव या सिद्धान्त के अतिरिक्त प्रकृति के चित्र, जीवनमूल्य, व्यवहार की गाथाएं भी इसमें मिलती है। प्राचीन काव्यों के उत्स तक पहुँचने के लिये जैन आगम महत्वपूर्ण हैं। ये आगम अर्धमागधी और शौरसेनी प्राकृत में हैं और भगवान् महावीर के उपदेशों का संकलन है। आगमों और उनके व्याख्या-साहित्य में अनेक स्थलों पर धर्म, नीति और सदाचार परक मुक्तक पाये जाते हैं। जो कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 2600 सौ साल पहले थे। प्राकृत लौकिक साहित्य में मूल मुक्तक ग्रंथ भी मिलते हैं। उनमें 1- गाहासत्तसई 2- गाहाकोश, 3- वज्जालग्गं 4- श्रृंगारशतक, संदेशरासक, नीतिशतक, योगसार आदि हैं।

आगम ग्रन्थों में प्राप्त मुक्तकों का विवेचन

भगवान महावीर ने जन-जन को सरल, सात्विक, शालीन, अभिमान रहित, प्रदर्शनरहित, सहज जीवन जीने की प्रेरणा दी। दु:खित, पीड़ित तथा संकटग्रस्त प्राणियों, वृद्धों, रोगियों, अभाव पीड़ितों को सहयोग करने का, उनकी सेवा करने का संदेश प्रदान किया। उन्होंने विश्व-मानव को व्यक्ति, जाति, समाज तथा राष्ट्र इत्यादि के परिपार्श्व में पनपने वाली संकीर्णताओं से ऊँचे उठकर विश्वमैत्री, ऐक्य, समता एवं सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी, दूसरों के स्वत्वों, अधिकारों का हरण न करने, दंभ, माया, छल, कपट, धोखा, जालसाजी, असत्य, वैमनस्य, द्वेष आदि दुर्गुणों से बचने, किसी के भी साथ शत्रु भाव न रखने तथा किसी से भी घृणा न करने का अग्रह किया। भगवान् महावीर ने मानव जीवन की महत्ता और उपादेयता बताते हुए सब को प्रेरित किया कि इस अमूल्य धरोहर को मूर्खतावश व्यर्थ नहीं खो देना चाहिए। जीवन की क्षणभंगुरता बताते हुए उन्होंने मनुष्य मात्र को क्षण भर भी प्रमाद न करने का कर्त्तव्य-बोध दिया। वर्तमान में हम धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से अपना

सर्वस्व खोते जा रहे हैं, भगवान् महावीर के उपदेश प्राचीन काल की अपेक्षा वर्तमान में अधिक सामयिक है। प्राकृत आगमों में अनेक मुक्तक मानव जीवन के मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। विभिन्न आगमों में प्राप्त मुक्तकों का क्या स्वरूप है, यहाँ पर उन्हीं के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित है-

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे।
मित्ती मे सव्वभूएसु, वेर मज्झं न केणवि॥

अर्थात् मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सब प्राणियों के प्रति मैत्री-भाव है। मेरा किसी से भी वैर नहीं है।

दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा।
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गइं॥

अर्थात् इस विश्व में नि:स्वार्थ दाता और नि:स्पृह जीवन जीने वाला पात्र दोनों ही दुर्लभ है। इस तरह के मुधादायी और मुधाजीवी दोनों ही सुगति में जाते हैं।

वड्ढदि बोही संसग्गेण, तध पुणो विणस्सेदि।
संसग्गविसेसेण दु, उप्पलगंधो जहा गंधो॥

संगति से ही बोधि की वृद्धि होती है और संगति से ही वह नष्ट हो जाती है। जैसे कमल आदि की गंध के संसर्ग से जल सुगंधित हो जाता है और अग्नि आदि के सम्बन्ध से उष्ण और विरस।

निशीथभाष्य में एक सुक्ति के माध्यम से कहा गया है कि-

ण हु होति सोयितव्वो, जो कालगतो दढो चरित्तम्मि।
सो होइ सोयियव्वो, जो संजम-सब्बलो विहरे॥

वह शोचनीय नहीं है, जो अपनी साधना में दृढ़ रहता हुआ कालगत हो गया है अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो गया है। शोचनीय तो वह है, जो समय से भ्रष्ट होकर जीवित घूमता फिरता है।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि संसार के सभी भौतिक साधन मानव को सुख देने में असमर्थ हैं। यथा-

'सव्वं जगं जई तुहं, सव्वं वा वि धणं भवे।
सव्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तवे॥

अर्थात् यदि यह सारा जगत् और सारा धन भी तुम्हारा हो जाय, तो भी वे सब अपर्याप्त ही होंगे और ये सब तुम्हारा रक्षण करने में भी समर्थ नहीं होंगे। यथा-

वित्तं पसवो य नाइयो, तं बाले सरणं ति मन्नई।
एए मम तेसु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई॥

अर्थात् मूर्ख मनुष्य धन, पशु और सजातीय जनों, कौटुम्बिक पुरुषों, को अपनी शरण-आश्रय स्थान मानता है और समझता है - 'ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ।' परन्तु उनमें से कोई भी आपत्तिकाल में त्रण तथा शरण देने वाला नहीं है।

आगमों में नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। वासना, विकार व कर्मजाल को काटकर नारी और पुरुष दोनों ही समान रूप से मुक्ति पाने के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा -

'किं पुण गुणसहिदाओ, इत्थीओ अत्थि वित्थडजसाओ।
णरदोगदेवदाओ, देवेहिं वि वंदणिज्जाओ॥

अर्थात् ऐसी भी शीलगुणसम्पन्न स्त्रियाँ हैं, जिनका यश सर्वत्र व्याप्त है। वे मनुष्यलोक की देवियाँ हैं और देवों के द्वारा भी वंदनीय है।

आगमों के ऊपर लिखे हुये व्याख्या-साहित्य यथा निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका-में लक्षण और व्यंजना से पूर्ण अनेक सुभाषित और सूक्तियाँ कही गई है। जो कि मुक्तक रूप में हैं। एक-एक सुभाषित इतना सुन्दर एवं प्रेरणादायक है कि वह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। आगम गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। दार्शनिक और सैद्धान्तिक विषयों का विवेचन सूत्रशैली में किया गया है। दृष्टान्तों, कथाओं और छन्दोबद्ध उपदेशों में कल्पना की रमणीयता के साथ काव्यतत्वों की कमी नहीं है।

आगम परम्परा के बाद काव्यों में मुक्तक पदों का स्वतन्त्र रूप से विकास होने लगा। प्राकृत गाथाओं का मुक्तक रूप में जो विकास दिखाई पड़ता है, वह परम्परा अनुसार कथाओं और कल्पनाओं से सदा सम्बद्ध रहा है। काव्यशास्त्र के अनुसार प्राकृत काव्य को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। यथा इन्द्रियगत, अर्थगत, शैलीगत और प्रबन्धगत। इन्द्रियगत दृष्टि से दृश्यकाव्य और श्रव्यकाव्य ये दो भेद होते हैं। श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत प्रबन्धकाव्य, मुक्तक, कथा आदि हैं और दृश्यकाव्य के अन्तर्गत सट्टक, नाटक आदि। प्राकृत के गाथासप्तशती, वज्जालग्ग आदि, मुक्तक ग्रन्थ अधिक लोकप्रिय हुए हैं। प्राकृत के मुक्तक स्तुति, स्तवन या स्तोत्र रूप मे आविर्भूत होकर भी ऐहिकतापरक पाये जाते हैं। प्राकृत मुक्तकों की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है।

प्राकृत मुक्तक काव्य गाहासत्तसईः

प्राकृत काव्य का यह प्राचीनतम संग्रह है। गाहासत्तसई में उन्हीं गाथाओं को स्थान दिया है जो शाश्वत मूल्य रखने वाली हैं तथा देशकाल के प्रभाव से अछूती रहती हुई सार्वभौम

और सार्वकालिक बनी रहने की अद्भुत क्षमता से सम्पन्न है जो कि आज भी उपयोगी है। लोक-भाषाओं और लोक-जीवन की विभिन्न झाँकियों का समावेश इसमें निहित है। नैतिक और आचारमूलक मुक्तकों में गौरवशाली जीवन व्यतीत करने के लिए सभी व्यावहारिक बातों का समावेश इसमें मिलता है। जिसमें विद्या का महत्त्व, भक्ति, विनय, क्षमा, दया, उदारता, शील, संतोष, सज्जन, दुर्जन, आत्मप्रशंसा, साहस, धैर्य, मित्रता, परोपकार, वीरता आदि का भी कथन प्राकृत मुक्तकों में किया गया है। जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है। कतिपय गाथाएं उदाहरण स्वरूप विवेचित हैं :-

काव्य साहित्य में कवि सबसे पहले सज्जन व दुर्जन का वर्णन ही मुख्य रूप से करता है क्योंकि यह उसकी अभिलाषा होती है कि उनके गुणों की व्याख्या से ही रचनाकार की सफ़लता दिखाई पड़ती है। इसलिए सभी कवियों ने अपने द्वारा रचित मुक्तकों में सज्जन प्रशंसा के गुण-अवगुण का विस्तार से विवेचन किया है। गाथासप्तशती में सज्जन पुरूष के उदार व्यक्तित्व एवं उसके गुणों की प्रशंसा की गयी है। वज्जालग्ग में सज्जनों के गुणों पर एक पूरी वज्जा का ही संकलन किया गया है। यथा सत्पुरूष कभी क्रोधित नहीं होता यदि कुपित होता है तो बुरा नहीं चाहता, बुरा चाहता है तो कहता नहीं और कहता भी है तो लज्जित होता है। यथा-

सुयणो ण कुप्पइ व्विय अह कुप्पइ विप्पइ ण चिंतेइ।
अह चिंतेइ ण जम्पइ अह जम्पइ लज्जिओ होइ॥

वज्जालग्ग सज्जनों के आचरण के बारे में लिखा है कि सज्जन क्रोध नहीं करता है वह अमंगल नहीं सोचता, यदि सोचता है तो कहता नहीं यदि कहता है तो लज्जित हो जाता है। सज्जन का क्रोध बिजली के कौंध के समान क्षणभंगुर होता है और उसकी मेत्री पाषाण रेखा के समान कभी धुमिल नहीं होती। ये सज्जनता के कुछ सदाचार की गाथाओं का उल्लेख किया गया है। उक्त सभी बाते आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जितनी प्रथम शताब्दी में थी।

कवियों ने जिस प्रकार से सज्जनों के गुणों को बताया है उसी तरह से दुर्जन व्यक्तियों के बारे में भी विस्तार के साथ मुक्तक ग्रंथों में बताया है। कवि हाल ने करोड़ों गाथाओं में चयनित अपने संकलन गाथासप्तशती में दुर्जन के बारे में कहा है कि दुर्जन श्वान के समान चातुर्यपूर्ण, दीपक के समान स्नेह पाकर भी कालिख छोड़ने वाला, मृदंग के समान द्विमुख तथा स्वार्थपूर्ति पर्यंत मिष्टभाषी कहकर उसके संग को कष्टप्रद बताया गया है। दुष्ट की मैत्री जलरेखा के समान, और सुजन की मैत्री पाषाण रेखा के समान होती है, ऐसा बताया गया है।

दीनता :

गाथासप्तशती और वज्जालग्गं में दीनता या दारिद्र्य के संबंध में भी गाथाएँ कही गई हैं। गाथासप्तशती में कहा गया है कि –

जे जे गुणिनो जे जे अ चाइणो जे विडड्ढविण्णणा।
दारिद्द रे ! विअक्खण ताणं तुमं साणुराओ सि॥

अर्थात् दीनता गुणग्राही के समान गुणी, त्यागी, विदग्ध जनों में अनुरक्त कहा गया है। कामना की गई है कि मनुष्य संसार में कभी दरिद्र न हो क्योंकि दरिद्र का स्वजनों में रहना दुखद होता है। उसके प्रियजन उसके द्वारा खाली हाथ लौट जाते हैं। कवि जयवल्लभ ने वज्जालग्गं में कहा है कि –

ता रूवं ताव गुणा लज्जा सच्चं कुलकम्मो ताव।
ताव च्चिय अहिमाणो देहि त्ति न भण्णए जाव॥

अर्थात् दरिद्र व्यक्ति सूर्य की किरणों के साथ ही संकुचित और विकसित होता है। उसकी लज्जा, अभिमान, कुल तभी तक रहता है जब तक वह 'दे दो' न कहे।

धैर्य :

किसी कार्य को साहसपूर्वक प्रारंभ कर देना और उसमें जितनी भी कठिनाई आवे उसे निर्वाह करके पार लगाना धैर्य कहलाता है। प्राचीन ग्रंथों में धैर्य की विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान् कृष्ण ने गीता में धैर्य के तीन लक्षण बताए हैं, यथा – जो मनुष्य धैर्य के साथ मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वही सात्त्विक है। पउमचरियं में कहा गया है कि–

छज्जइ मरणं पि रणे, उत्तमपुरिसाण धीरहिययाणं।
न य परपणामजणियं, रज्जं पि करेइ निव्वाणं॥

अर्थात् धीर हृदय वाले उत्तम पुरुष के लिए युद्ध में मर जाना अच्छा है, परन्तु शत्रु को प्रणाम करने से मिलना वाला सुख–चैन और राज्य नहीं चाहिए।

पुरुषार्थ :

सभी महापुरुषों ने अपने–अपने सन्देशों में स्वयं के परिश्रम और पुरुषार्थ को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत के अनुशासनपर्व में कहा गया है कि –

यथा बीजं बिना क्षेत्रयुक्तं भवति निष्फलं।
तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्धति॥

अर्थात् जिस प्रकार बीज बोए बिना क्षेत्र फल रहित होता है उसी प्रकार पुरुषार्थ के

बिना भाग्य नहीं सिद्ध होता। आचार्य नेमिचन्द्र ने गोम्मटसार में पुरुषार्थ के बारे में कहा है कि–

आलसड्ढो णिसच्छाहो फलं किंचि ण भुंजदे।
थणकरवीरादियाणं वा पडससेण विणा ण हि॥

अर्थात् जो व्यक्ति आलस्य युक्त होकर उद्यम, उत्साह से रहित हो जाता है वह किसी भी फल को नहीं प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ से ही सफ़लता प्राप्त होती है। भगवती आराधना में कहा गया है कि –

णाणुज्जोवो जावो णाणुज्जोवस्स णात्थि पडिघादो।
दीवेइ खेत्तमप्पं सूरो णाणं जगमसेसं॥

अर्थात् ज्ञान का उद्योत ही सच्चा उद्योत है क्योंकि उसके उद्योत की कहीं रुकावट नहीं है। अतएव पुरुषार्थी व्यक्ति की समता सूरज भी नहीं कर सकता है।

भाग्य :

भारतीय धर्मों में विशेषकर ईश्वरवादी धारा के लोग भाग्य पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन कर्मवादी व्यवस्थाओं को मानने वाले अर्थात् श्रमण धर्म में कर्मवाद की महत्ता बताई गई है। काव्यों में भाग्य को भी संक्षेप रूप में विवेचित किया गया है। नीति शास्त्र में कहा है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये छः जिस पुरुष में रहते हैं, भाग्य उसी की सहायता करता है। दैववज्जा में कवि जयवल्लभ ने कहा है कि –

जं नयणेहि न दीसइ हियएण वि जं न चिंतिय कहवि।
तं तं सिरम्मि निवडई नरस्सदिव्वे पराहुत्ते॥

अर्थात् जब मनुष्य का भाग्य विपरीत हो जाता है तब वे आपत्तियाँ आ जाती हैं, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई है। मनुष्य का भाग्य विपरीत होने पर उसके गुणों का मूल्य नहीं रह जाता है, सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने हेमशब्दानुशासन में भाग्य के बारे में लिखा है कि –

गुणहिं न संपइ कित्ति पर फललिहिआ भुंजन्ति।
केसरि न लहइ वोड्डिअविगय लक्खेंहिं घेप्पन्ति॥

अर्थात् गुणों से केवल कीर्ति मिलती है, सम्पत्ति नहीं। प्राणी भाग्य में लिखे हुए फल को भोगते हैं। नीतिग्रंथों में लिखा है कि भाग्य के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ के माध्यम से मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है।

मूर्ख :

मुक्तक ग्रंथों में विद्वानों की महत्ता के साथ ही मूर्खों के महत्ता की भी चर्चा की गई

है। मुक्तक ग्रंथों में विद्वान् को पंडित और मूर्ख नाम से विवेचना की गई है। कवि हाल ने मूर्ख को चेतावनी देते हुए कहा है कि–

उप्पण्णत्थे कज्जे अइचिंतंतो गुणागुणे तम्मि।
चिरआलमंदपेच्छितणेण पुरिसो हणइ कज्जं॥

अर्थात् कार्य के फलोन्मुख हो जाने पर जो गुण दोष की अधिक मीमांसा करने लगता है वह पुरुष देर तक अनिष्ट की शंका करने के कारण बने कार्य को भी नष्ट कर देता है। करकंडचरिउ में कहा गया है कि **विज्जाविहीणु मा करहि मित्तु विवरीउ करइ सोविहेइ चित्तु।** अर्थात् विद्याविहीन को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर वह अपना चित्त विपरीत कर लेता है।

संगति :

समाज में ऐसी धारणा है कि मनुष्य का जन्म अनेक जन्मों के भाग्य उदय होने से होता है तब उसको अच्छी संगति मिलती है। जैन आगमाचार्य शिवार्य कृत भगवती आराधना में लिखा है कि –

कुसुममगंधमवि जहा देवयसेसत्ति कीरदे सीसे।
तह सुयणमज्झवासी वि दुज्जणो पूइओ होई॥

अर्थात् सज्जनों के मध्य रहने वाला दुर्जन भी पवित्र हो जाता है। दुर्जन की संगति से सज्जन भी निश्चय ही अपने गुणों को छोड़ देता है। कालिदास ने संगति के बारे में मालविकाग्निमित्रं में लिखते हैं कि–

मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः।
पंकच्छिदः फलस्येव निकशेणावलिं पयः॥

अर्थात् मंदबुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति के संगत से चतुर हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में यही है कि मनुष्य को अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए।

मित्रता :

मित्र के लक्षण, महत्व आदि का कथन प्राकृत मुक्तकों के आधार पर किया गया है। प्राकृत मुक्तक काव्य गाथासप्तशती में मित्र के बारे में कहा गया है कि –

तं मित्तं काअव्वं जं किर वसणम्मि देसआलम्मि।
आलिहियभित्ति वाउल्लअं व ण परम्मुहं ठाइ॥

अर्थात् मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। मित्र उसी को बनाना चाहिए जो हर समय दीवार में लिखित पुतले के समान संकट में भी विमुख न हो।

वज्जालग्गं में मैत्री के लिए एक स्वतंत्र वज्जा का संकलन कवि जयवल्लभ ने किया है। मैत्री के सम्बन्ध में एक गाथा है कि -

मित्तं पयतोयसमं सारिच्छं जं न होइ किं तेण।
अहियाएइ मिलंतं आवइ आवट्टए पढमं॥

अर्थात् जो मैत्री दूध और जल के समान नहीं है। उससे क्या लाभ? जल जब मिलता है तब दूध अधिक बना देता है और औटाने पर पहले वही जलता है। कवि अब्दुर्रहमान ने संदेश रासक में मैत्री के सन्दर्भ में कहा है कि -

पाणी तणइ विओइकादमि ही फारइ हियउ।
जइ इम माणसु होइ नेहु त साचउ जाणियइ॥

अर्थात् पानी के वियोग होने से कीचड़ का हृदय फट जाता है, यदि ऐसा मनुष्य रूपी मित्र हो तभी स्नेह जानिए। लक्ष्मीधर वाजपेयी ने मित्र का लक्षण बताते हुए कहते है कि प्रसन्न मुख, विमलदृष्टि, वार्तालाप में प्रेम, मधुर वाणी, स्नेह अधिक, बार-बार मिलने की इच्छा आदि मित्र के लक्षण हैं।

वाणी

किस-किस के साथ कैसे बोला जाए, किस तरह के विवेक का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार के मुक्तक भी मिलते हैं। गाथासप्तशती के संकलनकर्ता कवि हाल ने कहा है कि-

आक्खेवआइँ पिअजम्पिआइँ परहिअ आणिव्वुदिआराइं।
विरलो खु जाणइ जणो उप्पण्णे जम्पिअव्वाइं॥

अर्थात् जो प्रतिवादी का मुख भेद कर दे जो सुनने में मधुर हो और शत्रुओं को भी तृप्त कर दे, समय पर ऐसी उपयुक्त बात कहना कोई विरला ही जानता है। एक जगह और कहा गया है कि वाणी में अक्षर समान है फिर भी स्नेहपूर्ण की अलग विशेषता है और अनुरोधपूर्वक वाणी का कुछ और ही महत्व है। जो वचन हम बोलते हैं वे ही अन्य लोग भी बोलते हैं किन्तु उसके द्वारा कहे हुए वे ही वचन हृदय को सुख देते हैं जो अर्थयुक्त वचन का प्रयोग करता है। इसलिए हमें अपनी वाणी का प्रयोग भी विवेक और संयम से काम में लेना चाहिए। सूत्रकृतांग आगम में कहा गया है कि विवेकी पुरुष बातचीत कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं बोलें, मर्मभेदी बात न कहें, माया भरे वचनों का त्याग करें, जो बोलें सोच कर बोलें।

सुख-दुःखः

प्राकृत काव्यों में सुख-दुःख का विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। गाथासप्तशती में कहा गया है कि -

दुक्खेहिं लब्भइ पिओ लद्धो दुक्खेहिं होह साहीणो।
लद्धो वि अलद्धोव्विअ जइ जह हिअअं तत ण होइ॥

अर्थात् प्रिय दुःख से ही मिलता है और मिलने पर कठिनता से वशीभूत होता है। यदि हृदय के अनुकूल न हुआ तो मिलना न मिलने के समान हो जाता है।

उपर्युक्त सभी मुक्तक पद आज भी व्याहारिक दृष्टि से उपयोगी है। वशर्ते उनका परिपालन किया जाय।

सन्दर्भ ग्रंथ –

1. डॉ- नेमिचंद शास्त्री- प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
2. डॉ- वाचस्पति गैरोला- संस्कृत साहित्य का इतिहास
3. कवि हाल- गाहासत्तसई, सम्पादक परमानन्द शास्त्री
4. जयवल्लह - वज्जालग्ग, सम्पादक विश्वनाथ पाठक
5. आचार्य शिवार्य - भगवती आराहणा
6. भर्तृहरि- नीतिशतक
7. कालिदास - मालविकाग्निमित्र
8. प्रवरसेन - सेतुबंध

दंसणकहरयणकरंडु की प्रासंगिकता

–डॉ. धर्मेन्द्र कुमार जैन, नई दिल्ली

भारतीय प्राच्य विद्या के साहित्य में कथा साहित्य का सदा काल से ही महत्त्व रहा है। कथा हमेशा प्रेरक होती है। कथाएँ काल्पनिक एवं पौराणिक होती हैं, किन्तु दोनों ही प्रकार की कथाएँ जीवन में प्रेरणादायी होती हैं। कथाओं से जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है।

दंसणकहरयणकरंडु एक ऐसा ही कथा ग्रन्थ हैं। 11वीं शती में श्रीचन्द कवि ने इसकी रचना अपभ्रंश भाषा में की है। कथाओं के साथ-साथ यह एक उच्चकोटि का अपभ्रंश काव्य ग्रंथ है। इसमें दर्शन अर्थात् सम्यग्दर्शन से संबंधित कथाओं का समूह है, इस कारण इसका दर्शन कथारत्नकरंड नाम सार्थक है। इसमें सन्दर्भ के रूप में प्राकृत-संस्कृत भाषा के अनेक गाथा श्लोक हैं। इस ग्रन्थ में जैनदर्शन के सम्यग्दर्शन को कथाओं द्वारा विस्तार से समझाया है। ग्रन्थ में कुल 21 सन्धि (अध्याय) हैं। इस ग्रन्थ के प्रारंभ की 11 सन्धियों में सम्यग्दर्शन की प्रमुखता के साथ गृहस्थाचार (सदाचार) को कथाओं के माध्यम से समझाया है। इन 11 संधियों में सम्यक्त्व की 9 कथाओं का वर्णन है। संधि 9 तक सम्यग्दर्शन की 8 कथाओं (निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना) का वर्णन है। संधि 10-11 में उदितोदय राजा की कथा का आमुख है। इस प्रकार इस कथा ग्रन्थ में भारतीय जीवनशैली को अध्यात्म, दर्शन, सदाचार, नीति द्वारा दिग्दर्शित किया है। विषय निरूपण के साथ ग्रन्थ में काव्यगत विशेषताएँ भी परिलक्षित होती हैं।

कथाओं के माध्यम से ग्रन्थकार बहुआयामी व्यावहारिक पक्षों को उजागर करता है, जो सदा ही-तीनों कालों में प्रासंगिक हैं क्योंकि मानव-जीवन शाश्वत है। मानव संस्कृति-सभ्यता किसी न किसी रूप में सतत वर्तती है।

1. दुर्जनों के भय से कोई कार्य न त्यागें

ग्रन्थकर्ता प्रारंभ में ही काव्यग्रन्थ की रचना के समय कहते हैं–

जइ कवि करई कवित्तु कहमवि तो दुक्कियहरु।
णियजीहु दुज्जण जणु जिंह विसहरु।[1]

अर्थात् – कवि कैसे भी करके दु:ख का नाश करने वाली कविता करता है तो दुर्जन रूपी सर्प अपनी जिह्वा से उसमें दोषों को देखता है

दुज्जण होअउव्वी कावि भंगी मित्तगुण विणासिणि पाइतुंगि।
इक्खुरसघडहिं जिह णिवु होइ। सिंचंतु वि णिवु ण महुरु तोइ।
गुण सय सहसई किज्जंति जइवि ससहाउ णहु दुज्जणु मुयइ तइवि।
विसु होइ अहिहें पये दिण्णु जेम दुज्जणहो गुणु वि किउ दोसु तेम।
एक्कु वि गुणु कहविहु सज्जणस्स जइ किज्जइ तामणंतहो मणस्स।
जिह तेल्लविंदु एक्कु वि वहुत्तु वित्थरेवि होइ जलमज्झे पत्तु।
तिह एक्कु वि गुणपावेवि सुयणु सयसंखु होइ आवरइं भुअणु।
सज्जणु पयएउ परोवयारि जिह ससि रविउँ सहि णियरुवारि।
ता वत्थउ सइ उवयारकज्जु परकिउ ण विमण्णई खलु अलज्जु।
दुज्जण पयइउ धूयडसमाणु ण सहइ उवंतु गुणवंतु भाणु।
किं कइ तहो भएण मा करउ कव्वु जुय भइणेवत्थ मोयणु अभव्यु।
जिह जिंव गुडहं कडु महुरुसाउ खयसुयणहं तिह खरुमिउ सहाउ।
किं सज्जणेण णिम्मलमणेण मण्ण विण्ण तह दुज्जणेण।
छणससि गुण णिज्जिउ वद्धगाहु किं मेल्लि भणंतह मुयइ राहु।[2]

अर्थात् मित्र के गुणों को शीघ्र ही नाश करने वाली दुर्जन की कोई अपूर्व ही रीति है। इस रस के घट से निम्बोरी का सिंचन करने पर भी जैसे वह मधुर नहीं होती, उसी प्रकार हजारों गुणों को प्रकट करने पर भी दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे साँप में सदा ही जहर होता है, उसी प्रकार दुर्जन के लिए गुण भी दोष के समान होते हैं। सज्जन का एक गुण किसी भी प्रकार मन को विशालता ही प्रदान करता है। जैसे पानी के बीच में पहुँचकर तेल की एक बूँद भी बहुत फैल जाती है, उसी प्रकार सज्जन एक गुण पाकर भी लोक में स्वयं बहुसंख्यक होकर संसार को आवृत्त कर लेता है। जैसे सूर्य, चन्द्रमा अन्य का उपकार करते हैं, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए प्रयत्न करता है इसलिए सदैव परोपकार

करना चाहिए एवं दुर्जन निर्लज्ज होकर दूसरों के लिए किए गए उपकार को नहीं मानता है। दुर्जन का स्वभाव उल्लू के समान होता है क्योंकि वह उदित होते हुए गुणवान् सूर्य को सहन नहीं करता है। क्या कवि उन दुर्जनों के भय से कविता नहीं लिखे। अतः दुर्जनों की परवाह किए बिना अपना कार्य करना चाहिये।

2. भय का त्याग

जिउ विवरीउ भएण होइण करइ थिरत्तणु।

कहिमि पएसि कयावि तासु केम देवत्तणु।।[3]

अर्थात् – जीव भय से कभी विकास नहीं कर सकता। देवत्व भी नहीं पा सकता है।

3. निद्रा महाशत्रु है

निद्रा से प्राणों का घात होता है। घर–घर घूमता है, अतिनिद्रा मृत व्यक्ति के समान है। प्रयोजन के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इष्ट लोगों का वियोग भी हो जाता है अतः जीवन विकास के लिए अतिनिद्रा का त्याग करना चाहिये। अरिहंत के गुणों के समय निद्रा के दुर्गुणों का बखान किया है क्योंकि अरिहंत 18 दोषों से रहित होते हैं। उनमें निद्रा एक दोष है।

4. अच्छी संगति करें

तेरिसु फलु जेरिसु सेविज्जइ

जलमाणेण शालु णिप्पज्जइ

जो जेहा णरु सेवियइ सो तेहा फलुपत्ति।

जलह पमाणइं पुडइणिहिं णालइं णिप्पज्जंति।।[5]

अर्थात्– जो व्यक्ति जैसे की संगति करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है क्योंकि जल के प्रमाणानुसार ही कमलिनियों का नाल उत्पन्न होता है।

5. अति आसक्ति विनाश का कारण

किं बहुणा भणिएण सरिसोयाण विसायरु।

आसउ णरु दोसाण सयलाण वि विसयायरु।।[6]

अर्थात् – बहुत क्या कहा जाये? नदियाँ जैसे सागर के लिए स्रोत हैं उसी प्रकार सकल दोषों में विषयासक्त मनुष्य सभी दोषों की खान होता है। ग्रन्थकार ने ऐसे कई व्यक्तियों

का नामोल्लेख किया है - सुवेग नाम का चोर परस्त्री के रूप में आसक्ति के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती रसना इन्द्रिय की लम्पटता से नरक गया। स्पर्शन इन्द्रिय की लम्पटता से कीचक भीम द्वारा मारा गया। घ्राण के वशीभूत हो हस्तिनापुर का स्वामी पुष्पों के समूह में ही मर गया। गीत में आसक्त सुंदर वेशभूषा धारण कर गंधर्वदत्ता मथुरा में मरी। इस प्रकार अन्य भी एक-एक इन्द्रिय विषय के वशीभूत हुए। ये सब एक-एक के वशीभूत होने से नष्ट हुए है और दु:ख समुद्र में गिरे। जो मूर्ख पांचों इन्द्रियों के वशीभूत होता है, उसके दु:ख का क्या कहना अति आसक्ति से सर्वत्र भय और अपमान होता है।[7] अति आसक्त व्यक्ति भक्ष्याभक्ष्य, पेय/अपेय, कार्य-अकार्य, हेय अहेय को नहीं जानता है। वह मदिरापेयी की तरह प्रमादी होता है।

6. अपना गुरु आदर्श हो–

अपने हित के लिए पाखण्डी गुरु को त्याग देना चाहिए। मात्र भेषधारी स्व-पर का हित नहीं कर सकता है। यही भाव घत्ता छन्द में है।

किं बहुणा भणिएणेण जइसि सिवसुह आवजह।

पासंडीहिं समेउ तो संसग्गु विवज्जवहं।।[8]

7. स्नेह के लिए सब कुछ किया जा सकता है–

श्रीचन्द कवि प्रस्तुत ग्रन्थ में वज्जालग्गं की गाथा का संकेत देकर उक्त बात कहते हैं। स्नेह लौकिक, धार्मिक हो सकता है।

कीरइ समुद्दतरणं पइसिज्जाइ हुववहम्मि पन्जलिए।

आसंघिज्जइ मरणं णत्थि हु दुलंघं सण्णेहस्स।[9]

अर्थात् - समुद्र पार किया जाता है, अग्नि में प्रवेश किया जाता है, मृत्यु को भी स्वीकार किया जाता है, स्नेह के लिए कोई दुर्लंघ्य नहीं हैं। जहाँ मन का लगाव है वहाँ समर्पण से व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। यही स्नेह है।

8. सामान्यवर्ग को प्रोत्साहन एवं सामान्य वर्ग का उद्धार -

प्राचीनकाल से ही भारतीय परम्पराओं में सामान्यवर्ग के उद्धार की व्यवस्था रही है। स्वयं की योग्यता और समर्पण से सामान्यवर्ग को समाज और धर्म में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। जाति वर्ग की व्यवस्था गुणों पर आधारित थी। ग्रन्थकार श्रीचंद कवि ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं–

सो वंभणु दुरियणिसुंभणु जो वारइ सपरहो कुगइ।
मयमोहें मायालोहें जासु मण्णारवि ण छित्त मइ।[10]

अर्थात् - जिसके मन और बुद्धि में मद, मोह, माया नहीं होता है तथा जो स्वयं और पर को निश्चित ही कुगति और पापों से दूर करता है वह ब्राह्मण है। और भी विशेषता बताते हुए कहते हैं-जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जो वैर से रहित है, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, जो परिग्रह का परिमाण करता है, जो उपशांत भाव वाला है, जो पाँच इन्द्रियों को जीतता है, जो अभयदान में प्रवृत्ति करता है, गुणरूपी मणियों का खजाना है, जो क्षमाशील है, इन्द्रिय विजयी है, शास्त्रज्ञ है, हिंसा से दूर है, ऐसा सद्गृहस्थ ही ब्राह्मण दूसरों को पार कर सकता है।[11] इसी प्रसंग में श्रीचंदजी कहते हैं-कुल और जाति से क्या - लज्जा विहीन कभी कुलीन हो सकता है। धीवर (मछुआरा) का पुत्र वासु भी तप के प्रभाव से जय प्रकाश ब्राह्मण हो गया। यथा–

किं जाइहिं कुलेहिं विवज्जियाएं किं कुल उतियं अलज्जियाईं।
धीवरि सुओ वि णामेण वासु हुउ तवसा वंभणु जयपयासु।।[12]

इसी ग्रन्थ में आगे पँचाणुव्रत कथाओं में यमपाल चाण्डाल ने अहिंसाणुव्रत का नियम लेकर पालन किया, जिससे वह सम्यग्दृष्टि जिनधर्मी हो गया। जैन परम्पराओं में उसे ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ।

9. राज्यव्यवस्था सुदृढ़ हो–

मंत्री सुयोग्य हो, निष्पक्ष हो, न्याय प्रिय हो तभी राज्य ठीक से चलता है ऐसा वर्णन इस ग्रन्थ में अनेक जगह आता है।[13] सप्तांग राज्य हो-स्वामी, अमात्य, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बल/चार विद्याएँ राज्य में हों- साम, दाम, दण्ड और भेद। राजा को पाँच प्रकार के मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिये-सहाय, साधनोपाय, देशकाल, बलाबल और विपत्ति का प्रतिकार। राज्य में आज्ञा का पालन होना चाहिए। राजाज्ञा का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान रखना चाहिये। राज्य में अन्याय न हो। अन्याय से राज्य की अप्रतिष्ठा होती है। मंत्री ऐसा होता है कि राजा के गलत करने पर शिक्षा देता है-एक राजा वन क्रीड़ा के समय एक युवति पर मोहित हो गया, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तब उसका सुयोग्य मंत्री राजा से कहता है- राजा को राजा की तरह ही रहना चाहिये। राजा तो दुष्टों को दण्ड देता है, शिष्टाचार का पालन करता है- **दंडइ दुट्ठु सिट्ठु परिपालइ**। राजाज्ञा को स्वयं राजा के द्वारा भी पालना

चाहिये।[14] इस प्रकार मंत्री हमेशा उत्तम बुद्धिमान् ही होता था। आरक्षण का कोई चक्कर नहीं था। योग्य व्यक्ति ही शासन/प्रशासन में अपनी भूमिका प्रदान करता है।

प्राचीन भारत में राजतन्त्र में भी प्रजातन्त्र था-एक राज्य में राजा, मंत्री और पुरोहित तीनों चोर थे। राज्य में भय का वातावरण फैला दिया, तब प्रजा ने उन तीनों का बहिष्कार किया। तीनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। किसी अन्य को राजा, मंत्री, पुरोहित बना दिया।[15]

आज की राजनीति को यह बहुत बड़ा संदेश है। सेना कितनी वफादार थी। यह सम्पूर्ण कार्य आरक्षक-आर्मी ने किया। चोरों का पता लगाना, चोर कौन-सही निर्णय करना और उनका बहिष्कार करके पुनः योग्य को नियुक्त करना। नेपाल के राजा का बहिष्कार, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बहिष्कार इस सुराज्य व्यवस्था को पुष्ट करते हैं। वर्तमान के राजनेताओं को ऐसे प्राचीन ग्रन्थ जरूर पढ़ना चाहिये।

10. योग्य पात्र को शिक्षा एवं अनुभवी का लाभ लेना चाहिये

एक सरोवर के किनारे वृक्ष पर हंस रहते थे। वहाँ लता उत्पन्न होने लगी, तब एक वृद्ध हंस ने कहा कि चोंचों से इस लता के अंकुर नष्ट कर दो, उन्होंने बात नहीं मानी बल्कि वृद्ध हंस के ऊपर वे हंसने लगे तब वह कहता है- **जैसे जिमं दिण्णु अहिहि विसु होइ पउ तेम मुक्ख हिउ सहिउ।**

सांप को दूध पिलाने पर भी जहर हो जाता है, उसी प्रकार मूर्ख भी हित की बात सुनकर क्रोधित होते हैं। बाद में बहेलिया आया और उन सब को जाल में फंसाया, तब वे सभी हंस दुःखी हुए। पुनः उस वृद्ध हंस से कहने लगे-बचाओं, तब उसने सलाह दी कि तुम मृत की तरह सो जाओ तो बच जाओगे, उन्होंने वैसा ही किया। वे सब जीवित रहकर उड़ गये। अतः-

अवरोवि हु जो वुड्ढहं वयणु परमत्थेण करेसइ।
सो परिहरेवि आवयसयईं उत्तमसुहु पावेसइ॥[16]

अन्य भी जो वृद्ध/अनुभवी का वचन परमार्थ से पालन करता है, वह सैकड़ों आफतों से बचकर उत्तम सुख प्राप्त करता है।

11. कौमुदी महोत्सव

इस ग्रन्थ में कौमुदी महोत्सव का वर्णन आता है। यहाँ पर इसका स्वरूप धार्मिक है।

कार्तिक शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक यह चलता है। नगर को सजाना, घर-घर में जिनाभिषेक करवाना, पात्रों को दान देना, भगवान् की पूजा करना, एक नये कश्मीर की तरह सजाना, घर घर रंगोली बनाना, घर-घर मंगल गीत गाना, घर-घर में जीव हिंसा का निषेध, घर-घर में शांतिकर्म, घर-घर में तोरण लगाना, घर-घर में ऊँची ध्वजाएँ लगाना आदि कार्य इस कौमुदी महोत्सव में होते हैं। आँगन-आँगन, चौराहे-चौराहे पर रास रचे जाते हैं। गीत नृत्य सर्वत्र होते हैं। घर-घर में वाद्य विशेष का वादन किया जाता है।[17] किन्तु संस्कृत नाटकों में कौमुदी महोत्सव का वर्णन पूर्णतः शृंगारिक होता है। जिसमें नायक-नायिका, प्रेमी-प्रेमिका, दम्पत्ति को आनन्ददायक क्रीडाजन्य कार्य किये जाते हैं तथा कराये जाते हैं। अतः कौमुदी महोत्सव का वर्णन धार्मिक एवं लौकिक दोनों दृष्टियों से प्राचीन समय से प्राप्त होता है।

12. बहुविवाह/बहुसंतान प्रथा प्राचीन है एवं संस्कृति पोषक प्रथा है

अर्हदास सेठ की 8 पत्नियाँ थी-1. स्कंदश्री, 2. मित्रश्री, 3. विष्णुश्री, 4. नागश्री, 5. पद्मलता, 6. कनकलता, 7. विद्युल्लता, 8. कुंदलता। उनके साथ जीवन उसका आनंदमय था।[18] वरदत्त एक ब्राह्मण था जिसके सात पुत्र थे-1. सुदत्त, 2. रुद्रदत्त, 3. गंगदत्त, 4. द्रव्यदत्त, 5. रविदत्त, 6. विष्णुदत्त, 7. इन्द्रदत्त ये पुत्र धर्म, शील, नीति, विनय से युक्त थे। ये सातों प्रशस्त थे।[19] जो सम्पन्न होते थे उनका बहुविवाह एवं बहुसंतान होते थे किन्तु सामान्य एवं गरीब परिवार में ऐसी प्रथा नहीं थी। जनसंख्या वृद्धि या कमी के लिए व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार निर्णय लेने में स्वतंत्र रखा जाये। सरकार द्वारा बाधित न किया जाये। इस प्राचीन परम्परा को प्रसंग में लाना चाहिये।

इस प्रकार इस दंसणकहरयणकरंडु ग्रन्थ में अनेक तथ्य हैं जो वर्तमान में समाजोपयोगी एवं व्यवहारोपयोगी हैं। कथाओं द्वारा लेखक कवि श्रीचंद ने जनमानस को अनेक प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। जैन परम्परा में कथाओं को प्रथममानुयोग में परिगणित किया है। जैन शास्त्रों को 4 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि समन्तभद्राचार्य कहते हैं-

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्।
बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः॥[20]

पौराणिक कथाएँ/चरित्र ग्रन्थ पुण्य का कारण हैं। परमार्थ का व्याख्यान करते हैं। समीचीन प्रकार से बोध प्रदान करता है तथा ज्ञान और समाधि का खजाना प्रथमानुयोग होता है। ऐसा ही यह कथा ग्रन्थ है तथा यथार्थ में मानव संस्कृति के लिए अत्यन्त उपयोगी दंसणकहरयणकरंडु ग्रन्थ है। लेखक कवि सद्गृहस्थ के आचरण को कथाओं द्वारा प्रस्तुत

करता है उसी में बीच-बीच में अनेक प्रसंग है जिनमें से कुछ उदाहरण उपर्युक्त कुछ बिन्दुओं द्वारा प्रकट किया है जो आज भी अत्यन्त प्रासंगिक एवं उपयोगी है।

सन्दर्भ

1. दंसणकहरयणकरंडु - पृष्ठ 4, संधि-1, कडवक-2 घत्ता संपादक-डॉ. धर्मेन्द्र कुमार जैन, प्रकाशक-राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, 56-57 जनकपुरी, दिल्ली 58
2. वही - कडवक-3
3. वही - कडवक-6 घत्ता
4. वही - कड़वक-13
5. वही - कडवक-17
6. वही - कडवक-18, घत्ता
7. वही - कडवक-18
8. वही - कडवक-28 का घत्ता
9. वही - कडवक-संधि-3-कडवक-में सन्दर्भ गाथा
10. वही - कडवक-पृ.126, संधि-8, कडवक-5 घत्ता छन्द
11. वही - कडवक-संधि-8, कडवक-9
12. वही - संधि-8, कडवक 9
13. वही - संधि-10, कडवक-13
14. वही - संधि-11, कडवक-1, 2
15. वही - संधि-11, कडवक-20
16. वही - संधि-11, कडेवक-7
17. वही - संधि-10, कडवंक-13
18. वही - संधि-10, कडवक-13
19. वही - संधि-11, कडवक-16
20. रत्नकरण्डश्रावकाचार - 2रा अधिकार-श्लोक-2

प्राकृत साहित्य में वर्णित पारिवारिक संबंधों की उपादेयता

(प्राकृत कथा-ग्रंथों के संदर्भ में)

डॉ. तारा डागा, उदयपुर

परिवार समाज की महत्त्वपूर्ण इकाई है। स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। वर्तमान में हमारा समाज अनेक पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त है। परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच सामंजस्य का अभाव कटु सम्बन्धों को जन्म दे रहा है। विनय, विवेक, समता, धैर्य, प्रतिबद्धता जैसे पारिवारिक मूल्यों के अभाव में संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं उनके स्थान पर एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। या यों कहें उनके लिए परिवार शब्द का उपयोग भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि एकल परिवारों में भी पति-पत्नी के बीच कलह का वातावरण कभी भी सम्बन्ध विच्छेद के कगार पर पहुंच जाता हैं। बच्चों द्वारा बूढ़े माता-पिता की अवहेलना उनको वृद्धाआश्रम तक पहुंचा कर ही दम ले रही है। भाई बहन, ननद-भाभी आदि सम्बन्ध तो विवाह के पूर्व तक ही सीमित रह गए हैं। यही नहीं अशिक्षित वर्ग में कन्याभ्रूण हत्या, बेमेल विवाह, नारी शिक्षा में भेदभाव जैसी समस्याएं आज भी सर उठाए हुए हैं। इस प्रकार के दूषित पारिवारिक सम्बन्धों के कारण सम्पूर्ण सांस्कृतिक पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा हैं।

स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानवीय संबंधों से होता है। स्वस्थ व शुद्ध सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए गानवीय संबंधों में मधुरता एवं सौहार्द का भाव अपेक्षित है। मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति की मुख्य इकाई परिवार है। प्राकृत ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर मधुर पारिवारिक संबंधों की अभिव्यक्ति हुई है! इस साहित्य में पारिवारिक मूल्यों के प्रति जिस सजगता का परिचय दिया गया है उसका कुछ भाग भी वर्तमान में स्थानांतरित हो जाए तो समाज में स्वच्छ व स्वस्थ पारिवारिक दृश्य उपस्थित हो सकते हैं।

संयुक्त परिवार

प्राचीन काल में परिवार सामाजिक जीवन की एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित

था। प्राकृत ग्रन्थों के अध्ययन से तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार का चित्र उपस्थित होता है। सामान्यतया परिवार में माता-पिता, पुत्र एवं पुत्रवधुएं एक साथ रहते थे। किसी परिवार में अन्य जन भी रहते थे। 'उपासकदशांगसूत्र' में उल्लेख है कि कोल्लाक सन्निवेश का आनन्द गाथापति अनेक मित्र, ज्ञातिजन, निजक संबंधियों के साथ रहता था। व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र में वर्णित जमालि, राजा बल, जयंती श्राविका आदि की पारिवारिक पृष्ठभूमि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रतिनिधित्व करती है। 'ज्ञाताधर्मकथा' के रोहिणीज्ञात कथानक में धन्य सार्थवाह के चार पुत्रों व पुत्र-वधुओं के साथ रहने का तथा संघाट्ट नामक अध्ययन में माता पिता, भाई-बहन सभी के संयुक्त रूप से रहने का उल्लेख मिलता है। कुवलयमालाकहा में उल्लेख है कि चण्डसोम अपने माता-पिता, पत्नी, भाई एवं बहन के साथ रहता था। उक्त सभी उदाहरण वर्तमान युग में बढ़ते एकल परिवारों के लिए संयुक्त परिवार की उपादेयता को स्पष्ट करते हैं जहां परिवार में साथ-साथ रहने वाले सदस्यों के बीच स्नेहपूर्ण व प्रगाढ़ संबंध थे तथा काम का बंटवारा योग्यता एवं क्षमता के अनुसार होता था।

माता-पिता

प्राकृत साहित्य के आलोडन से स्पष्ट होता है कि परिवार में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि था। स्थानांगसूत्र में कहा है मातापिता के उपकारों से उऋण होना दुशक्य है- **तिण्हं दुष्पडियारं समणाउसो! तं जहा-अम्मापिउणा....** (3.1. 87)। माता-पिता को ईश्वरतुल्य माना जाता था। पुत्र व पुत्रियाँ प्रातःकाल माता पिता की चरण-वन्दना के लिए जाते थे। विपाकसूत्र में राजा पुष्यनंदी की मातृवत्सलता माता के प्रति पुत्र के प्रेम का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। राजा पुष्यनन्दी अपनी माता का अत्यन्त भक्त था। वह उसके चरणों की वन्दना करता, शतपाक, सहस्त्रपाक तेल की मालिश करता, पैर दबाता, उबटन मलता, स्नान कराता तथा विपुल अशन-पान से उसे भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करता। माता-पिता का विनय करना पुत्र का धर्म था। जैसा कि कुवलयमाला में कहा है- यदि पुत्र इसकी अवहेलना करता तो कुल की मर्यादा भंग होती थी। दीक्षा लेने से पूर्व साधक को माता-पिता की अनुमति लेना जरूरी थी। आगम कथाग्रन्थों में उल्लेख है कि राजकुमार महाबल एवं मेघकुमार माता-पिता के अनुरोध पर एक दिन के लिए राज्यश्री को स्वीकार करते हैं तत्पश्चात् दीक्षा अंगिकार करते हैं।

माता पिता को भी संतान अत्यन्त प्रिय थी। परित्यक्ता सुकुमालिका को दुःखी देखकर पिता सागरदत्त उसे खुश रखने का भरसक प्रयास करते हैं। उसे गोद में बिठाकर समझाते हैं- 'तुम्हारी यह स्थिति पूर्वकृत पाप कर्मों का उदय है अतः भग्नमनोरथ मत हो। मेरी

भोजनशाला में विपुल अशन, पान, खादिम और स्वादिम पदार्थ तैयार कर बहुत से श्रमणों, ब्राह्मणों, अतिथियों और भिखारियों को दान देती हुई यहां सुखपूर्वक रहो।' पुत्री सुंसुमा का अपहरण हो जाने पर उसे खोजते हुए व्याकुल धन्य सार्थवाह नगररक्षकों से निवेदन करता है 'धन भले ही तुम ले लो पर मेरी पुत्री मुझे लौटा देना। यहां तक कि ज्ञाताधर्मकथा में सुसमा की कथा में तो अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पिता स्वयं के रुधिर व मांस के सेवन का आग्रह करता है। माता-पिता संतान के वियोग की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। जमालि के प्रव्रज्या अंगीकार करने के प्रस्ताव मात्र को सुनकर उसकी माता मूर्छित हो कर गिर जाती है। होश में आने पर करुण विलाप करती है। जमालि के मुंडन प्रसंग में उसके अग्र केशों का ग्रहण करती हुई वियोग तथा दु:ख से आंसू बहाती हुई कहती है- ''**ये केश पर्वों, उत्सवों, यज्ञों आदि के क्षणों में अपने पुत्र की स्मृति रूप होंगे।**'' कुवलयमालाकहा में पुत्र को मृत जानकर मानभट के माता-पिता स्वयं कुए में कूद पड़ते हैं। उक्त प्रसंग माता-पिता के संतान के प्रति करुणापूर्ण प्रेम का मार्मिक चित्रण करते हैं। लेकिन कभी-कभी निजधर्म का त्याग कर देने पर माता-पिता अपनी संतान का परित्याग भी कर देते थे।

प्राकृत साहित्य में उद्भाषित माता-पिता के प्रति स्नेह व कर्तव्यपरायणता की ये रश्मियां आज के उपेक्षित वृद्ध माता-पिता एवं परिवार के अन्य बुजुर्ग लोगों के जीवन में आशा की एक लौ जगाने में सार्थक सिद्ध हो सकती हैं।

पति-पत्नी– पति-पत्नी के बीच सोहार्दपूर्ण संबंध होते थे। व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र में राजा बल व रानी प्रभावती का वार्तालाप पति-पत्नी के स्नेहपूर्ण संबंधो पर प्रकाश डालता है। राजा बल द्वारा रानी प्रभावती को मधुर शब्दों में स्वप्नफल सुनाना, रानी के दोहद का सम्मान करना, गर्भवती अवस्था में उसकी देखभाल करना आदि प्रसंग पति-पत्नी के मधुर अनुराग को दर्शाने वाले हैं। श्रेष्ठीवर्ग का दाम्पत्य जीवन भी सामंजस्य व अनुरागमय था। उपासकदशांगसूत्र में उल्लेख है कि गाथापति आनन्द की पत्नी शिवनन्दा अपने पति के प्रति इतनी अनुरक्त व स्नेहशील थी कि पति के विमुख हो जाने पर भी उससे विरक्त नहीं होती है। ज्ञाताधर्मकथा के प्रथम अध्ययन में मेघ कुमार की कथा में धारिणी की दोहद की चिन्ता राजा श्रेणिक को व्यथित कर देती है। प्राकृत कथाग्रन्थों में स्त्री के लिए पति को देवता स्वरूप माना गया है-भत्तारो देवयाओ! कुवलयमालाकहा, अनुच्छेद 105, गाथा 5। प्रोषिता के लिए श्रृंगार अनुचित बताया है- यथा पउत्थवइयाणं अंब! न कयाइ जुज्झइ विहुसा''।

उत्तराध्ययनसूत्र में भी उल्लेख है कि अनाथि मुनि के तीव्र चक्षु वेदना होने पर उनकी

पत्नी किसी तरह का श्रृंगार नहीं करती तथा पल भर के लिए भी अपने पति को अकेला नहीं छोड़ती। पति के पहले अत्यधिक अनुराग के कारण कभी-कभी पत्नी द्वारा अन्य स्त्री में अनुरक्त हुए पति का दूसरा विवाह करवाने के उल्लेख भी प्राकृत कथा ग्रन्थों में मिलते हैं। कुवलयमालाकहा20 में सुंदरी का महीनों तक मृत पति के शव के साथ रहना तो पति-पत्नि के प्रेम की पराकाष्ठा है।

दाम्पत्य जीवन में शारीरिक व मानसिक सहयोग के साथ-साथ आध्यात्मिक सहयोग के प्रसंग भी विवेचित हैं। रानी पद्मावती द्वारा राजा उदयन को संयम में दृढ रहने की प्रेरणा देना, पोट्टिला का देव रूप में आकर तेतलीपुत्र को प्रतिबोधित करना, सकडालपुत्र द्वारा अपनी पत्नी को श्रावक धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा देना, कुमार कुवलयचन्द्र द्वारा कुवलयमाला को सम्यक्त्व हेतु प्रतिबोधित करना आदि प्रसंग दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी के मध्य आध्यात्मिक सहयोग को पुष्ट करते हैं।

प्राकृत साहित्य में विवेचित दाम्पत्य प्रेम को सुदृढ़ करने वाले ये उदाहरण वर्तमान संदर्भ में इगो के कारण पति-पत्नी के बीच दरकते सम्बन्धों को सुधारने तथा विवाह-विच्छेद की संख्या में कमी लाने में किसी हद तक कारगार हो सकते हैं।

भाई-बहन, भाई-भाई आदि पारिवारिक सम्बन्ध

माता-पिता व पति-पत्नी ही नहीं प्राकृत साहित्य में परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी सम्बन्धों को भी गहराई से देखने का प्रयास किया गया है। भाई के द्वारा बहन की रक्षा के प्रसंग भारतीय संस्कृति में सर्वविदित हैं। प्राकृत कथाग्रन्थों में भी भाई-बहन के स्नेह को व्यक्त करने वाले अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वसुदेवहिण्डी-5 में उल्लेख है कि बहन के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण केतुमति के भाई जीतशत्रु ने विपुल देश ही उसे दे दिया और स्वयं उसने वसुदेव की आज्ञाकारिता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार विधवा गुणश्री द्वारा संन्यास धारण की इच्छा व्यक्त करने पर भाईयों के द्वारा अनुमति नहीं दी गई और घर में ही मन्दिर बनवाकर जिन प्रतिमा की स्थापना करावाकर उसकी सारी साधना की व्यवस्था कर दी गई 26 व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र का जयन्ती प्रकरण ननद भौजाई के प्रेमपूर्ण सम्बन्धों पर, ज्ञाताधर्मकथा का सुंसुमा एवं पुण्डरीक नामक अध्ययन तथा उत्तराध्ययनसूत्र का चित्त-संभूत नामक प्रकरण भाई-भाई के प्रगाढ़ सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त मित्रों के संबंध, विमाता का व्यवहार, सौतेले भाइयों के आपसी संबंधों के उल्लेख भी इस साहित्य में वर्णित हैं।

परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच व्याप्त मधुर सम्बन्धों के ये आदर्श आज के परिवेश

में भाई-भाई, भाई-बहन, ननद-भौजाई आदि के बीच होने वाले कलह को समाप्त कर उनके हृदय में परस्पर प्रेम व अनुराग का दीप जलाने में सहायक हो सकते हैं।

सास-ससुर एवं पुत्रवधु।

आगमों के अध्ययन से पता चलता है कि तत्कालीन समय में सास-ससुर एवं पुत्रवधुओं के बीच भी स्नधुर संबंध थे। ज्ञाताधर्मकथा का रोहिणीज्ञात प्रकरण ससुर व बहुओं के संबंधों पर विशेष प्रकाश डालता है। इस कथानक में ससुर अपने पुत्र की अपेक्षा योग्य बहू को परिवार की मुखिया के रूप में नियुक्त करता है। व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र में जमालि की माता पुत्र-वधुओं की प्रशंसा करते हुए कहती है- 'तेरी आठों पत्नियां मार्दव गुण से युक्त, निपुण, विनय व्यवहार में कुशल एवं विलक्षण हैं, ये मजुल-परिमित-मधुरभाषिणी, शील से सुशोभित, मनोकूल व हृदय को इष्ट हैं।' सास द्वारा पुत्रवधुओं की उक्त प्रशंसा सास-बहु के अटूट अनुराग को प्रस्तुत करती है।

प्राकृत कथाग्रन्थों में पुत्रवधु की स्थिति भी अति सम्मानजनक थी। पुत्रवधु के रूप में वह सामाजिक उत्तरदयित्व निभाती थी। सास-ससुर एवं पति भी वधु को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र एवं ज्ञाताधर्मकथा में सास-ससुर तथा पति द्वारा नववधुओं को विपुल धन के साथ-साथ दैनिक उपयोग में आने वाली जरूरी वस्तुएं प्रीतिदान में देने के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग वधु अपने प्रयोजनानुसार करती थी। परिवार में एक से अधिक बहुएं होने पर ससुर द्वारा परीक्षापूर्वक योग्यता के आधार पर कार्यविभाजन किया जाता था। ज्ञाताधर्मकथा में सर्वाधिक बुद्धिमान बहू को गृहस्वामिनी बनाये जाने का उल्लेख मिलता है।

पारिवारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त नारी समाज के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती थी। घर आए अतिथि का आदर-सत्कार उसका कर्तव्य था। यद्यपि पुत्रवधु परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थी, किन्तु विधर्मी विवाह के उपरांत पुत्रवधु अपने धर्म का पालन नहीं कर सकती थी अगर करती तो पति चिल्लता था और दूसरी ओर सास गालियां देती, ननदें दुःखी करती हैं और शेष कुल वाले भी उसे परेशान करते हैं।

सास-ससुर द्वारा पुत्रवधु को प्रीतिदान देने की प्रथा वर्तमान में दहेज प्रथा के उन्मूलन में उपादेय हो संकती है। आज समाज का प्रत्येक वर्ग चाहे वह समृद्ध हो या निर्धन कन्या के जन्म के साथ ही उसके विवाह में दिए जाने वाले दहेज से आतंकित रहता है। दहेज में दी जाने वाली राशि को जोड़ने के फेरे में वह कन्या की शिक्षा उसके उज्जवल भविष्य

निर्माण जैसे मुद्दे उसके लिए गौण हो जाते हैं। अगर आगम काल की तरह प्रीतिदान की प्रथा पुनः समाज में प्रचलित हो जाए तो माता-पिता के लिए कन्या का जन्म कभी भी विषाद का विषय नहीं रहेगा। उसके भविष्य के प्रति निश्चिन्त होकर माता-पिता पुत्रवत उसका पालन पोषण करेंगे योग्यता के अनुसार उसको शिक्षित कर स्वस्थ समाज एवं समाज परिवार के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यही नहीं इस प्रथा के माध्यम से नववधु के मन में अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों के प्रति स्नेह व सम्मान का भाव जागृत होगा और वह इस परिवार को अपने पितृपक्ष के समकक्ष समझने लगेगी। परिवार में कन्या की स्थिति आगम साहित्य में कन्या के प्रति घृणा या पुत्र के प्रति विशेष प्रेम के उदाहरण नहीं मिलते हैं। इस साहित्य के प्रणेता तीर्थंकर महावीर ने अपने उपदेशों में पुत्र को कभी भी अधिक महत्त्व नहीं दिया। पुत्र प्राप्ति की लालसा लुप्त हो जाने के कारण प्राकृत आगमों में माता-पिता समान रूप से पुत्र या पुत्री की कामना करते नजर आते थे। ज्ञाताधर्मकथा में धन्यसार्थवाह की भार्या नाग, भूत, यक्ष, इन्द्र आदि देवों के आयतन में पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति हेतु समान रूप से प्रार्थना करती है। विपाकसूत्र में सागरदत्त सार्थवाह अपनी पत्नी गंगदत्ता को कहता है- हे देवानुप्रिया ! मेरी इच्छा है कि तुम पुत्र या पुत्री को जन्म दो। धन की अपेक्षा कन्या को अधिक महत्त्व दिया जाता था। ज्ञाताधर्मकथा में सुंसुमा के पिता धन्य सार्थवाह अपनी पुत्री के समक्ष धन को तुच्छ बताते हुए नगररक्षकों को कहते हैं- धन भले ही आप लोग ले ले लेकिन मेरी पुत्री मुझे मिल जाए। आगे चलकर स्वतंत्र कथाग्रन्थों में भी पुत्री जन्म पर पुत्र की तरह अथवा पुत्र की अपेक्षा अधिक वर्धापन महोत्सव मनाने के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं।

कन्या शिक्षा

प्राकृत कथा ग्रन्थ पूर्णतः कन्या शिक्षा के समर्थक रहे हैं। आचार्य हरिभद्र ने तो यहां तक कहा है कि अशिक्षित स्त्रियों की कुमार्ग में प्रवृति होती है तथा जो शिक्षित और सुसंस्कृत हैं वे सदा कुल मर्यादा का ध्यान रखती हैं एवं आत्मकल्याण के मार्ग पर चलती है। इसी विचारधारा के सर्मथक होने के कारण प्राकृत कथाग्रन्थों में स्त्रियों को विभिन्न कलाओं के शिक्षण देने के संकेत प्राप्त होते हैं। आगम कथा ग्रन्थ ज्ञाताधर्मकथा में स्त्रियों की 64 कलाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। स्वत्रंत प्राकृत कथा ग्रन्थों में भी स्त्रियों को 64 कलाओं की शिक्षा देने के उल्लेख भी मिलते हैं। वसुदेवहिण्ड में उल्लेख है कि ऋषभदेव भगवान ने ब्राह्मी और सुन्दरी को अपनी गोद में बिठाकर क्रमशः दाएं और बाएं हाथ से लिपि और गणित की शिक्षा दी। कुसुमावली चित्रकला व संगीत के अतिरिक्त काव्यकला को भी जानती थी।

कन्या स्वातंत्र्य

आगम कथा ग्रन्थों के अनुसार कन्याओं को पूरी तरह स्वतंत्रता थी कि वे बिना प्रतिबन्ध के भ्रमण करती थीं। अणिवारियप्पसरा परिब्भमामि- (कुवलयमालाकहा, अनुच्छेद 191 पृ. 397) कन्या के विवाह को लेकर के कहीं भी माता-पिता आतंकित नहीं थे। ज्ञाताधर्मकथा6 में राजाकुंभ राजकुमारी मल्ली से जबरदस्ती विवाह हेतु प्रस्तुत हुए जितशत्रु प्रभृति छः राजाओं के दूतों को अपमानित कर निकाल देते हैं तथा उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाबल, मेघकुमार, सुकुमालिका आदि के विवाह प्रसंगों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायः कन्या के लिए वर का चुनाव माता-पिता ही करते थे। किन्तु, कन्या को भी अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। ज्ञाताधर्मकथा8 में द्रौपदी के पिता अपनी कन्या के लिए वर के चुनाव हेतु स्वयंवर रचना का निश्चय करते हैं। स्वयंवर में कन्या को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी परंतु फिर भी माता-पिता यही चाहते थे कि पुत्री कुल धर्म का उलंघन करके विवाह न करे (ओ प्राकृत आगम साहित्य में कन्या के प्रति माता-पिता के प्रेम-अनुराग के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। कई बार माता-पिता पुत्री का वियोग सहन न करने के कारण उसका विवाह ऐसे पुत्र से करना पसंद करते थे जो विवाह के उपरान्त पुत्री के साथ उनके घर में रहे।60 परित्यक्ता कन्या को भी माता-पिता सम्मानपूर्वक अपने घर में रखते थे। स्पष्ट है कि आगम कथा ग्रन्थों में कन्या किसी भी रूप में विषाद का विषय नहीं थी। वह अपने निर्णय लेने में स्वत्रंत थी उसके निर्णय को सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

प्राकृत साहित्य में विवेचित परिवार में कन्या की स्थिति, कन्या शिक्षा, कन्या स्वातंत्र्य आदि संदर्भो को देखने से यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि नारी स्वातंत्र्य के जितने प्रयास आज तक हुए है संभवतः उनमें सबसे पुरजोर शब्दों में नारी स्वातंत्र्य के सूत्र प्राकृत साहित्य में मुखरित हुए हैं। पुत्र के समकक्ष पुत्री की कामना, उसका जन्मोत्सव मनाना, कन्या शिक्षा का समर्थन, कन्याओं को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना, विवाह में कन्या को वर चयन की स्वतंत्रता आदि प्रसंग वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के साथ साथ स्त्री को पुरुष के समकक्ष दर्जा दिलाने में सहायक हो सकते हैं। यही नहीं अशिक्षित वर्ग में हो रहे बाल विवाह, बेमेल विवाह, कन्या अशिक्षा जैसी कुरूतियों के निवारण में भी इनकी उपादेयता सिद्ध हो सकती है।

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि प्राकृत साहित्य में माता-पिता एवं संतान, पति-पत्नी, भाई बहन आदि के बीच अनुराग तथा स्नेहपूर्ण पारिवारिक संबंधों की अभिव्यक्ति हुई

है। कन्याओं का सम्मान था। समाज में उनपर किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता है। पुत्र व पुत्री के बीच कोई बड़ी विभेद रेखा दिखाई नहीं पड़ती है, यद्यपि आगे चलकर परिस्थितियां बदलने लगी। स्वत्रंत कथा ग्रन्थों में पारिवारिक संबंधों में मधुरता के साथ कडवाहट के भी कुछ उदाहरण दृष्टिगोचर होने लगे और आगम काल की अपेक्षा कन्याओं की स्थिति भी निर्बल होने लगी। लेकिन इस साहित्य में भी पारिवारिक जीवन की वे मूलभूत बातें उजागर हुई है जो तात्कालिक जीवन की आवश्यकताएं थी। वर्तमान में पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु प्राकृत साहित्य में विवेचित पारिवारिक सामंजस्य के ये चित्र महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं बशर्त उन्हें सही अर्थों में ग्रहण किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. उवासगदसाओ, संपा. मुनि मधुकर,1.8
2. व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 9. 33, 11.11, 12. 2॥
3. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर,1.7. 3,1.19.3
4. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर,1.1. 58, 1. 8.134।
5. विपाकसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 1.9.24
6. 'भिंदसी कुल मज्जायं संपइ तुह हो ण जुत्तमिणं,' अनुच्छेद, 266
7. (क) व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 11.11. 55-57 (ख) ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.1.131-133
8. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर,1.16.66
9. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर,1.18.26
10. ज्ञाताधर्मकथा, 18.33
11. व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 9. 33. 56
12. कुवलयमालाकहा, संपा. प्रो. प्रेम सुमन जैन, भाग-1, अनुच्छेद, 105
13. नर्मदासुन्दरी, संपा. डॉ. के.आर चन्द्र,गाथा 139-140, प्राकृत जैन विद्या विकास फण्ड, अहमदाबाद, 1989
14. व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 11.11. 25, 26, 34-36
15. उवासगदसाओ, संपा. मुनि मधुकर,1.6
16. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.1.57
17. आख्यानकमणिकोश, 1.4.94 95
18. उत्तराध्ययनसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 20.28-30
19. कुवलयमालाकहा, भाग-2, अनुच्छेद 358, पृ. 865
20. कुवलयमालाकहा, भाग-2, अनुच्छेद 349
21. 'पउमावती पडियच्छइ जाव घडियव्वं सामी! जाव नो पमादेयव्वं त्ति कट्टु'--व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 13.6.30
22. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.14.50-52

23. उवासगदसाओ, संपा. मुनि मधुकर, 7.204
24. 'ता पिए, संपयं इमं जाणिऊण पडिवज्जसु सम्मत्तं', कुवलयमालाकहा, अनुच्छेद 281, पृ. 642
25. 'दिण्णं विउले देस अहं तुब्नं आणत्तिकरो', वसुदेवहिण्डी, केतुमतिलंभ, पृ. 349
26. समराईच्चकहा, पृ. 561
27. व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 12.2
28. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, अध्ययन 18-19
29. उत्तराध्ययनसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, अध्ययन 13
30. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, अध्ययन 7
31. व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 9. 33. 39
32. व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर, 11.11. 50
33. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर,1.1.105-106
34. 'रोहिणीयं सुण्णं -- वड्ढावियं पमाणभूयंठावेइ'-ज्ञाताधर्मकथा, 1.7.30
35. (क) व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा.मुनि मधुकर, 11.11. 55-56, (ख) ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.1.131-133
36. नम्मयासुन्दरी कहा, गाथा 210- 211, संपा. डॉ. के.आर चन्द्र, प्राकृत जैन विद्या विकास फण्ड, अहमदाबाद, 1989
37. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.2.12,15
38. 'मम पि णं देवाणुप्पिया एस चेव मणोरहे, कहं तुमं दारगं दारियं व पयाइजसि'- विपाकसूत्र, संपा. मुनि मधुकर,1.7.11-12
39. 'तुब्भे णं देवाणुप्पिया। से विपुले धणकणगे, ममं सुंसुमा दारिया'- ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.18. 26
40. क. कुवलयमालाकहा, अनुच्छेद, 262 ख. नर्मदासुन्दरी, पृ. 180
41. 'अणहीयसत्थो ईइसो चेव इत्थियायणो होइ', समराइच्चकहा, पृ. 845
42. ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.3.6
43. नर्मदासुन्दरी, पृ. 189
44. 'बंभी- सुंदरीणं भयवया संकमुवट्टियाण दाहिण-वामेहिं हत्थेहि लिवि-गणियाणि उवइट्ठाणि'- वसुदेवहिण्डी, नीलयशालम्भ, पृ. 163
45. समराइच्चकहा, द्वितीय भव
46. ज्ञाताधर्मकथा, 1. 8.125-131
47. (क) व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, संपा. मुनि मधुकर,11.11.49 (ख) ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर,1.1.104, 1.16.41
48. 'अज्जयाए सयंवरं वरयामी', ज्ञाताधर्मकथा, संपा. मुनि मधुकर, 1.16.85
49. वसुदेवहिण्डी, सोमश्रीलम्भ, पृ. 183
50. 'सागरदारए मम घरजामाउए भवई तो णं अहं सागरस्स सूमालियं दलयामि'- ज्ञाताधर्मकथा,, 1.16.42
51. ज्ञाताधर्मकथा, 1.16.66
52. वही

शौरसैनी प्राकृत श्रावकाचारों में प्रयुक्त व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता

डॉ. ज्योतिबाबू जैन, उदयपुर

भारत वर्ष की प्राचीन जनभाषाओं में शौरसैनी प्राकृत भाषा का अनन्यतम स्थान है, जो सिद्धान्त और आचार ग्रंथों के साथ काव्यों की भाषा रही है। प्राचीन शिलालेखों एवं पुराकालीन नाटकों में इसका पर्याप्त प्रयोग हुआ है। शौरसेनी भाषा का महावीर स्वामी की परम्परा के श्रेष्ठतम आचार्यों ने सर्वाधिक प्रयोग किया है और महावीर के समय से लेकर अबतक हो रहा है। इस भाषा के कतिपय ग्रंथ– षट्खंडागम, समयसार, मूलाचार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, द्रव्यसंग्रह, वसुनंदि- श्रावकाचार आदि हैं।

इन ग्रन्थों में साधकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक पूर्ण आरम्भ और परिग्रह के त्यागी, वे श्रमण होते हैं और दूसरे जो परिवार के साथ घर पर रहकर साधना करते हैं, वे गृहस्थ या श्रावक कहलाते हैं। उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में आचार्य कुंदकुंद के मूलाचार ग्रन्थ और दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि यति अपने आचार-विचार को किस प्रकार अभिव्यक्त करें?

कधं चरे कधं चिट्ठे कधमासे कधं सये

कधं भुंजेज्ज भासेज्ज जदो पावं ण बज्झदि॥[1]

अर्थात् हम लोग कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोये, कैसे आहार करे, कैसे बोले जिससे पाप कर्मों का बन्ध न हो, इसी के उत्तर में कहा है–

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये।

जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्झदि

अर्थात् सावधानी पूर्वक चलें, सावधानी पूर्वक उठें, सावधानी पूर्वक बैठें, सावधानी पूर्वक सोयें, सावधानी पूर्वक भोजन करें, सावधानी पूर्वक बोलें, जिससे पाप का बंध न हो।

अर्थात् स्पष्ट है कि यदि हमारा सावधानीपूर्वक और अहिंसामय आचरण है तो जीवन में अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकता है। यदि हम सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो हिंसा नहीं होने पर भी हम हिंसा के भागीदार होते हैं। प्रवचनसार के अनुसार –

जीवदु व मरदु व, अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा।

पयदस्स णत्थि बंधो, हिंसा मेत्तेण समिदस्स।।[2]

श्रावकाचार के प्रतिपादक उपासकदशांग, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र आदि आगमों के अतिरिक्त शौरसेनी प्राकृत में रचित चरित्र प्रधान ग्रंथों की एक लम्बी श्रृँखला है, जिसमें ईसा की प्रथम शताब्दी के महान् आचार्य कुन्दकुन्द का चरित्रपाहुड एवं रयणसार, इसके अनंतर स्वामी कार्तिकेय का कार्तिकेयानुप्रेक्षा, आचार्य देवसेन कृत भावसंग्रह, आराधनासार एवं आचार्य वसुनंदी कृत वसुनंदी श्रावकाचार प्रमुख हैं।

उक्त ग्रंथों का अवलोकन करके मैंने अपने आलेख का मुख्य आधार वसुनंदी कृत श्रावकाचार को बनाया है क्योंकि श्रावकाचारों की श्रृंखला में शौरसेनी प्राकृत भाषा में रचित इस श्रावकाचार का विशिष्ट स्थान है। आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय की परम्परा का अनुकरण कर आचार्य वसुनंदी ने भी प्रतिमाओं के आधार पर अपने ग्रंथ में श्रावकाचार का वर्णन किया है। अन्य आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रंथों में प्रतिमाओं के अतिरिक्त बारह व्रत, सल्लेखना, पक्ष, चर्या और साधन का वर्णन उपलब्ध होता है। इस परम्परा में आचार्य उमास्वामी और आचार्य समन्तभद्र प्रमुख है। इन दोनों के प्रतिपादन में भिन्नता होने पर भी सभ्यता के मूलस्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं है।

श्रावक का व्यवहार और सामाजिक समरसता–

श्रावकाचार श्रावकों की आचार-संहिता है। यह आज उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने की रचनाकाल में थे। श्रावकाचार श्रावक के आचरण का वह संविधान है, जिसके आधार पर गृहस्थ अपने जीवन का उत्थान करते हैं। यह बहुत व्यावहारिक है। इनमें जो समाधान सुझाये गए हैं, उनसे नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यबोध के साथ वर्तमान की अनेक समस्याओं के समाधान भी निहित हैं।

श्रावकाचार के पालन के लिए श्रेष्ठ जाति में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं अपितु श्रेष्ठ कर्म की आवश्यकता है। श्रावक धर्म में ऊँच-नीच का भेद नहीं है। उच्च कुल में उत्पन्न होने मात्र से व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ तब ही होगा जबकि उसका आचरण श्रेष्ठ हो इसलिए महावीर ने कहा है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान

बनता है। उन्होंने समानता के आधार पर चारों जातियों की नई व्यवस्था की ओर उन्हें मनुष्य जाति के रूप में प्रस्तुत किया–

कम्मुणा बम्हणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो।
वइस्सो कम्मुणो होई, सुद्धो होई कम्मुणो॥[3]

सामाजिक समता के आधार श्रावकाचार के पालन में सभी जातियों और सम्प्रदायों के लोग दीक्षित हो विशुद्ध आचरण के साथ, वीतरागता के पथ पर चलकर पतित से पावन बन सकते हैं। यही कारण है कि जैनधर्म में सभी जातियों के महान् आचार्य और महापुरुष हुए हैं। श्रावकाचार का मूल आधार अहिंसा है, जो प्राणिमात्र के प्रति गहन संरक्षण का भाव रखती है, वहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा को स्थान नहीं है। अपने प्राणों से प्रिय दूसरे के प्राणों को समझना, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाना, यहाँ तक की पेड़-पौधों, वनस्पति का भी घात नहीं करना जैन श्रावकाचार की शिक्षाएँ हैं। इन मानवीय गुणों से युक्त होना ही मानवतावादी जैनधर्म है। इस धर्म का लक्षण ही समतामूलक है। जो कि यह धर्म अथ से इति तक समता की बात करता है।

श्रावकाचार में सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन आराधना का कथन किया है, जो कि सम्यक् श्रद्धानपूर्वक शंका आदि पच्चीस दोषों से रहित और निशंकित आदि आठ गुणों से सहित होता है। श्रद्धान सम्यक् होना आवश्यक है, वह तब ही होगा जब वह गुणों से सहित और दोषों से रहित होगा। विपरीत श्रद्धान, गलत धारणा वातावरण को दूषित करती है। श्रद्धान विपरीत होगा तो ज्ञान भी विपरीत ही होगा। अतः आराधना ग्रन्थ में सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञान को एक साथ होने की बात कही है। अतः ज्ञान का सम्यग् दर्शन में अंतर्भाव हो जाता है और इसी प्रकार सम्यक्चरित्र में तप का अंतर्भाव निहित है क्योंकि बिना चरित्र के तप संभव ही नहीं है।

चारित्रविशुद्धि की आधारशिला परिवार है– परिवार ही मनुष्य की प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ पर सामाजिक संतुलन बनाये रखने की कला सिखाई जाती है। गृहस्थाचार को निरुपित करने वाले श्रावकाचारों में गृहस्थ को सागार, उपासग, समणोपासक, गेही, सावय, सावग, अगारिक, देशसंयमी आदि की संज्ञा दी हैं।

समतावादी धर्म की परिभाषा के अंतर्गत वस्तु और व्यक्ति के स्वभाव की ओर संकेत किया गया है। वस्तु का असाधारण धर्म ही उसका स्वभाव है, उसका भीतरी गुण ही उसका

स्वरूप है। धर्म तथा समता को राग-द्वेष विकार भावों की अभावात्मक स्थिति बताते हुए प्रवचनसार में कहा है–

चारितं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिदिट्ठो।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो ही समो।।[4]

समता, समरसता मानवता का रस है। बर्बरता, पशुता, संकीर्णता उसका प्रतिपक्षी स्वभाव है। मोह, क्षोभ, राग-द्वेष उसके विकार हैं। ऋजुता, निष्कपटता, विनम्रता उसकी परिणति है। सहिष्णुता, समरसता और सच्चरित्रता उसका धर्म है। गृहस्थाचार को जैनसंस्कृति में श्रावक या उपासकधर्म कहा जाता है। वह साधु-संतों से उपदेश सुनने वाले को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना का उत्तरदायित्व श्रावक के कन्धों पर होता है इसलिए श्रावक का जीवन सदाचारमय होना आवश्यक है। उसके गुणों में सत्संग, सुश्रुषा, करुणा, सत्कार, कृतज्ञता, स्थितिकरण, परोपकार आदि की उपस्थिति को श्रावकाचार ग्रंथों में उल्लिखित किया है।[5]

श्रावक का व्यवहार और व्यसनमुक्ति

वसुनंदी श्रावकाचार में कहा है कि वे खोटी आदतें जिसे जल्दी न छोड़ा जा सके और जिसका परिणाम भयानक दु:ख और अपयश करने वाला हो, वे दु:ख के पर्यायवाची व्यसन हैं। ये मनुष्य की आत्मिक शक्तियों का घात कर गर्त में ले जाते हैं इसलिए श्रावकाचार में व्यसन रहित जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा दी गई है। गृहस्थाचार के विवेचन में व्यसनों का विस्तार से कथन किया है, जो कि आज के इस युग में पतन होती मानवता और बढ़ती हुई पाशविकवृत्ति को सम्यक् दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। व्यसन सात प्रकार के कहे गए हैं

जूयं मज्जं मंसं वेसा पारधि चोर परयारं।
दुग्गइ गमणस्सेणादि हेमूदाणि पावाणि।।[6]

जुआ, मद्य, माँस, वेश्या, शिकार, चोरी, परदार . ये सब दुर्गति के कारण, अत्यंत दु:खरूप खोटे कर्म व्यसन हैं। यह ऐसे खोटे कर्म हैं, जो स्वयं को तो दुखी करते ही हैं, साथ ही दूसरों के भी दुखों के कारण बनते हैं। यदि किसी कारणवश जीवन में यह व्यसन आ जाते हैं, तो वह आश्रयदाता को अमरबेल की भाँति नष्ट कर देते हैं। मृत्यु तो एक बार ही कष्ट देती है परन्तु यह व्यसन जीवनभर कष्ट देते रहते हैं। व्यसन का अर्थ ही है–

व्यास्यति सुखाद् स्वर्गाद् वा यत् तत् व्यसनं। व्यसन की प्रकृति को लक्ष्यकर ठीक ही कहा है–

व्यस्यति प्रत्यावर्तयति पुरुषान् श्रेयसः इति व्यसनं, तथा व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते।[7]

व्यसन शब्द वि उपसर्ग पूर्वक अस् धातु से बना है, जिसका अर्थ है- भ्रष्ट करना या गिराना। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है–

जुआ और चोरी - आज मानव अंधाधुंध रूप से पैसे के पीछे भाग रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति येन केन प्रकारेण धनवान् होना चाहता है तथा कार, बंगला, मोबाईल आदि समस्त सुख सुविधाओं को एक साथ प्राप्त करना चाहता है इसलिए वह न केवल जुआ खेलता है। अपितु चोरी भी करता है। आज चोरी का रूप टैक्स चोरी, नकली माल बेचना, नकली माल को अच्छी कम्पनियों के लेबल लगा के बेचना, खाने-पीने की चीजों में मिलावट करना आदि रूपों में प्रचलित हो रहा है।

रासायनिक दूध, नकली घी जैसे उत्पाद बेचकर आज आदमी के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मानव की इस प्रवृत्ति ने इस धरा को नरक बना दिया है तथा चारों ओर असाध्य रोगों का तांडव हो रहा है। आचार्य वसुनंति ने इन्हें वर्जित एवं त्याज्य कहा है। (वसुनंदी श्री. - 60-69, 101-111)

मद्यपान- आज के समय में युवा पीढ़ी में चरस, स्मेक आदि अत्यधिक नुकसानदायक नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिनके कारण मानव ऊपर वर्णित विनाश को बहुत शीघ्र ही प्राप्त करता है। मद्यपान की लत के दुष्परिणामों को दृष्टि में रखते हुए आचार्य पद्मनंदी कहते हैं- जो मद्य इस जगत में समस्त पुरुषार्थों को नष्ट करने वाला है। तथा उसे उत्तरोत्तर अधिक दुःख का कारण है। यदि बुद्धिमान् व्यक्ति उस मद्यपान को नहीं छोड़ सकता तो वह इस लोक में धर्म के लिए अपना हितकारक कौनसा काम कर सकता है?

आचार्य वसुनंदी कहते हैं कि मद्यपान के व्यसन से ग्रस्त व्यक्ति तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ से युक्त होकर अनेक पापों को करता है, इसके कारण जन्म-जरा-मृत्युरूप सिंहादि भयानक जानवरों से आकीर्ण संसार रुपी भयानक वन में पड़कर अनंत दुखों को भोगता है इसलिए व्यक्ति को मन-वचन-काय और कृत-कारित-अनुमोदन से मद्यपान को त्याग करना चाहिए। (वसुनंदी श्री. - 71-79)

माँसाहार- एक माँसाहारी व्यक्ति की यदि स्वयं की अंगुली यदि चाकू से जरा सी कट जाये तो वह दर्द से तड़प उठता है तथा वह इस दर्द के निवारण हेतु तरह-तरह के उपाय करता है, लेकिन वही व्यक्ति अपनी जीभ की लम्पटता के वशीभूत होकर माँसाहार करते समय यह महसूस करने का प्रयास नहीं करता है की जिस पशु का वह माँस खा रहा है, वह भी चेतन प्राणी है तथा काटे जाने पर उसे कितनी वेदना हुई होगी। जिस प्रकार व्यक्ति स्वयं नहीं मरना चाहता तथा यदि उसे कोई जबरदस्ती मारने जाये तो उसकी क्या दशा होगी?

व्यक्ति में संवेदनशीलता का यह अभाव न केवल माँसाहार की प्रवृत्ति में अपितु शिकार, मद्यपान, चोरी, द्यूतक्रिया, वेश्यागमन और परस्त्रीसेवन इस सातों ही व्यसनों में विद्यमान होता है और इसलिए ये सभी आत्मा की ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य शक्तियों का घात कर व्यक्ति के आध्यात्मिक पतन का कारण बनते हैं। (वसुनंदी आ. - 85-87)

वेश्यागमन और परस्त्रीसेवन- वेश्यागमन शब्द का अर्थ है- वेश्या के यहाँ जाना अर्थात यहाँ जाना मात्र है और वह भी व्यसन की श्रेणी में आता है। चाहे कोई वेश्या का सेवन करे या न करे, किन्तु अगर वह वेश्या के यहाँ आता-जाता भी है तो भी वह लोक में महानिंदा और अपयश को प्राप्त होता है, किन्तु परस्त्री सेवन का अर्थ भिन्न है।

परस्त्री अर्थात् रिश्तेदारों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन परिवारों के सदस्यों से वार्ता करने में भी कोई दोष नहीं है, किन्तु किसी स्त्री विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसका सेवन करना, यह व्यसन की श्रेणी में आता है। इन दोनों में इतना ही अंतर समझना चाहिए क्योंकि परस्त्री सेवन और वेश्यागमन को एक मानने में कई दोष आते हैं। यहाँ परस्त्री सेवन से परपुरुष सेवन भी उपलक्षितार्थ है। (वसुनंदी श्रा. - 88-93,112-124)

शिकार खेलना- आज जिसप्रकार मानव एक दुधारू पशु को तब ही तक घर में रखता है, जब तक की वह दूध देता है तथा दूध देना बन्द कर देने पर वह उसे कसाई के हाथ बेच देता है। उसी प्रकार आज संतान कम करने के लिए माता-पिता तब तक ही माता-पिता है, जब तक की वे उसके लिए उपयोगी है। वृद्धावस्था में वे संतान के लिए बोझ बन जाते हैं तथा उनके कोई असाध्य रोग हो जाने पर वह डॉक्टर से उन्हें दवाओं द्वारा दी जाने वाली मृत्यु देने के लिए कहता है।

विवाहोपरान्त पति या पत्नी में से किसी के अपंग हो जाने पर व्यक्ति तुरंत तलाक

लेकर दूसरा विवाह करने और इन्द्रिय सुखों को भोगने में विश्वास रखता है। इस प्रकार आज तेजी से बढ़ती जा रही माँसाहार और प्राणी हिंसा की प्रवृत्ति ने मानव में जिस बर्बरता और निष्ठुरता को जन्म दिया है, उसने मानवीय संबंधों में विद्यमान अनुराग, विश्वास, और समर्पण की भावना को समाप्त कर मानव जीवन को एकाकी और बोरियत से भरा हुआ बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप ही आज के युग में आत्महत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। (वसुनंदी श्रा.-94-100)

इनके अलावा मधु को भी अभक्ष्य की श्रेणी में रखा गया है। जब हम भोजन की थाली में पड़ी हुई मक्खी को देखकर मुँह का ग्रास उगलकर भी कुल्ला कर मुखशुद्धि करते हैं, तब फिर ऐसा कौन दुर्बुद्धि होगा, जो मक्खियों के असंख्यात अण्डों से निर्दयता पूर्वक बनाई गए मधु को ग्रहण करेगा। जो औषधि के रूप में भी मधु का सेवन करता है, वह भी तीव्र दु:ख को प्राप्त होता है। यदि कोई जीवन की इच्छा से विष खावे तो क्या विष उसका जीवन नष्ट नहीं कर देता? अत: सुख के इच्छुक श्रावकों को अत्यंत घृणित और घोर दुखदायी मधु का सेवन नहीं करना चाहिए।[8]

श्रावकाचार और पर्यावरण चेतना

विश्व को पर्यावरण की समस्या का समाधान जैन श्रावकाचार ही दे सकते हैं, जहाँ षडनिकाय के जीवों की रक्षा के माध्यम से पर्यावरण चेतना का बहुआयामी संदेश दिया है। श्रावकाचार में मानव चेतना से लेकर पर्यावरण में सर्वत्र प्रदूषण विष का संचार करने वाली आसुरी वृत्ति हिंसा के स्वरूप पर बड़े विस्तार से चिंतन किया गया है। सामान्यत: किसी प्राणी का अस्त्र-शस्त्र द्वारा प्राणव्यपरोपण करना हिंसा है, किन्तु परपीड़ा, परनिंदा, किसी को मानसिक रूप से व्यथित करना या दुखी करने का भाव करना भी हिंसा है, यह विश्व को अहिंसक आचार की देन है।

पर्यावरण में जीव से जीव की कड़िया जुडती हैं। परस्पर उपग्रह की व्यवस्था चलती है। एक से लेकर पँचेंद्रिय वाले जीवों में से किसी की भी स्वार्थप्रेरित हत्या हिंसा है। संतुलन की एक भी कड़ी को तोड़ना पाप है। श्रावकाचारों में हिंसा का निषेध करते हुए सर्वोत्कृष्ट मंगल पद पर धर्म को प्रतिष्ठापित किया है। धर्म के इस स्वरूप में तीन श्रेष्ठ तत्त्वों - अहिंसा, संयम और तप को समाहित किया गया है-

धम्मो मंगल मुक्किट्ठो अहिंसा संजमो तवो। 1/1 दशवैकालिक

जैनधर्म के सम्पूर्ण सन्दर्भ में देखा जाए तो धर्म तो यहाँ उपलक्षण मात्र है, वस्तुत:

अहिंसा ही महान् गुण-धर्म है, जिसमें सभी श्रेष्ठ गुण और आचार निमग्न हो जाते हैं। भगवती आराधना में कहा है–

जीववहो अप्पवहो, जीवदया होहु अप्पणो हु दया।[9]

अर्थात जीवों का घात करना अपना ही घात है और जीवों पर की गई दया अपने पर की गई दया है जो जीवों की रक्षा करता है, वह इन जीवों के द्वारा रक्षित होता है सम्पूर्ण वायुमंडल, जल, मृदा, पेड़-पौधे सर्वत्र व्याप्त जो प्राणी जगत् है, इन सबके प्रति अनुकम्पा का भाव अहिंसा की भावना, समन्वय, निस्वार्थ प्रेम, सहानुभूति यह सब पर्यावरणीय चेतना के प्रवाह है। अहिंसा का सिद्धांत केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं, अपितु प्राणिमात्र को आत्मवत् समझकर उन्हें भी संरक्षण और समानता का अधिकार प्रदान करता है। प्राणियों की रक्षा में ही पर्यावरण की सुरक्षा है।

सव्वे भूदया परमो धम्मो

अर्थात् सब प्राणियों पर दया भाव ही परमधर्म है। पाँच महाव्रतों में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अहिंसा का ही परिकर बताया गया है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शुचिता और संयमादि सभी गुणों का अहिंसा में समावेश हो जाता है। श्रावकाचार की प्रेरणा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जल-जंगल और जमीन सभी तुम्हारें जैसे ही जीव हैं, उनमें भी सुख दु:ख का वेदन है, चेतना है, उनकी पराधीनता का हनन नहीं करना, अहिंसा धर्म है और उनकी रक्षा में ही आत्म सुरक्षा है।

आज भौतिक विकास के सोपानों पर अग्रसर होती हुई सभ्यता विनाशोन्मुखी भी हो रही है। बढ़ते हुए संसाधन और चौड़ी होती हुई सड़के, जंगल और जमीन का विनाश कर रही है। विकास के भ्रम में यह विनाश की ओर भी ले जा रही है। आज का विज्ञान प्रकृति के सभी अंगों और नियमों को जानकर भी हमारे प्रकृति के प्रति सभी संबंधों को स्थापित नहीं कर सका है। पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण से ही असंतुलन पैदा हो गया है। जिसने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। प्रकृति के प्रति सही दृष्टिकोण कर्तव्य - अकर्तव्य का विवेक ही सच्ची पर्यावरण चेतना है। मानव का प्रकृति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण ही संस्कृति को जन्म देता है।

संस्कृति मानवीय व्यक्तित्व की वह विशेषता है, जो उसके व्यक्तित्व को महत्त्वपूर्ण बनाती है, अत: संस्कृति का संबध मुख्यतया मनुष्य की वैचारिक प्रवृत्तियों से है और इन

प्रवृत्तियों का सम्बन्ध जीवन मूल्यों से होता है। मानवीय मूल्यों का ह्रास ही पर्यावरण के विनाश में प्रमुख कारण है। जैनदर्शन का सूत्रवाक्य है–

परस्परोपग्रहोजीवनाम्[10]

अर्थात् परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीवमात्र का धर्म है। जब हम प्रकृति के उपकारों को समझ कर उसके साथ अपने प्राणों की रक्षा के समान उसकी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे, तभी पर्यावरण संरक्षित रहेगा। जहाँ कहीं प्रत्येक पदार्थ की परस्परोपग्रहता या सापेक्षता खण्डित होती है, वहीं असंतुलन होता है। वस्तुतः हिंसा ही असंतुलन की जननी है, वही प्रकृति के स्वस्थ स्वरूप को प्रदूषित करती है।

आज हमें गाँधी जी की दी हुई दृष्टि – बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो से अधिक जैन दृष्टि बुरा मत सोचो की आवश्यकता है। आज मानव के गलत दृष्टिकोण से ही अशांति, भययुक्त और हिंसक वातावरण हो रहा है। इसके लिए दृष्टिकोण का सही होना आवश्यक है। सम्यक्दृष्टि से ही सम्यक्सृष्टि संभव है। सम्यक्दृष्टि श्रावक हमेशा प्रकृति में मौजूद पर्यावरणीय तत्त्वों के प्रति संवेदनशील होता है।

प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अभाव – प्रकृति ही हमारा मातृवत् पालन पोषण करती है। वह हमें जल सम्पदा, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा और ऊर्जा सम्पदा के साथ ही प्राण वायु भी प्रदान करती है। प्रकृति के इन उपकारों से प्राणीमात्र उपकृत है।

न ही कृतं उपकारं साधवो विस्मरन्ति।

इस सूक्ति के अनुसार जो मानव हैं, उन्हें प्रकृति के द्वारा किये गए उपकारों को नहीं भूलना चाहिए, परन्तु उपकृत मानव कृतघ्नी बनकर अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति के साथ अत्याचार कर पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। जिसके परिणाम प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, प्रदूषित भोजन हमें प्राप्त हो रहा है। श्रावकाचार के अनुरूप संयमित आचारण ही पर्यावरणीय समस्या का समाधान है।

समाज, राष्ट्र एवं विश्व में श्रावकाचार की गुणवत्ता विशिष्ट रूप से सर्वमान्य है, किन्तु आज समय बदल गया है। मानव की सात्त्विक मनोवृत्ति में हीनता आई है, ऐसी स्थिति में श्रावकाचार के सिद्धांतों की महत्ता विशिष्ट रूप से प्रतिभासित हो रही है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद मनुष्यत्व होना अत्यंत कठिन है, जो सर्वश्रेष्ठ है आकृति से मनुष्य होना अलग है और मानवीयता होना पूर्णतया अलग है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी यदि मनुष्यता

प्राप्त नहीं की गई तो मनुष्य जन्म निरर्थक है। श्रावकाचार मनुष्यत्व की शिक्षा देने वाला मुक्त विश्वविद्यालय है।

यह मनुष्यता के विकास की प्रथम सीढ़ी से शुरू होता है, इसी का दूसरा नाम श्रावकाचार या गृहस्थाचार संहिता है। इसके पथ का अनुसरण ही मानव की महक, परोपकार का पराग और सदाचार की सुवास जीवन को सार्थक बनाती है। वर्तमान की विकट समस्याएँ - आतंकवाद, अशांति, तनाव, अतृप्ति, चरित्रहीनता आदि हैं, ये समस्याएँ पहले जितनी छोटी थी, आज उन्होंने विकरालरूप धारण कर लिया है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में श्रावकाचार के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हैं- विश्व हिंसापरायण है, उसको अहिंसा चाहिए विश्वास घात बढ़ रहा है, अतः सत्य चाहिए वासनाएं बढ़ रही है, अतः ब्रह्मचर्य चाहिए विश्व अतृप्त है, अतः अपरिग्रह चाहिए तनाव बढ़ रहा है, अतः सामायिक चाहिए।

श्रावकाचार के अंतर्गत सबसे पहली आधारभूमि अहिंसा है, यदि मात्र इसे अपना लिया जाएँ तो श्रावकाचार स्वयमेव ही प्रकट हो जायेगा आज विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है, चारों ओर हिंसा का बोलबाला है, प्रत्येक देश परमाणु बम जैसी विनाशकारी सामग्री का निर्माण कर रहा है। जिनके प्रयोग पर समूचा विश्व समाप्त हो सकता है। हथियारों से सभी देश अंतरंग में एक-दूसरे से डर रहे हैं, इस भय को दूर करने के लिए श्रावकाचार में अहिंसा का सिद्धांत विश्लेषित किया है।

अहिंसा से तात्पर्य यह कदापि नहीं की हम आतंकवाद जैसे कुत्सित कार्यों को भी प्रश्रय दे श्रावकाचार में संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी इन चार प्रकार की हिंसा का कथन किया है, जिसमें एक मात्र संकल्पी हिंसा आतंकवाद जैसे कार्यों का पूर्ण निषेध किया है। आरम्भी और उद्योगी हिंसा का त्याग श्रावक अवस्था में संभव नहीं है एवं देश, धर्म और आत्मरक्षार्थ युद्ध भी कर सकता है अतः विरोधी हिंसा का भी अहिंसा के लिए त्याग नहीं है। हम युद्ध के लिए युद्ध या हिंसा के लिए हिंसा नहीं करते, अपितु अयुद्ध के लिए युद्ध और अहिंसा के लिए हिंसा भी हो सकती है। श्रावक धर्म हमें कायर नहीं अपितु देश, धर्म और आत्म रक्षार्थ वीर योद्धा बनाने की भी अनुमति प्रदान करता है

भारत सत्य अहिंसा का जग में आदर्श पुजारी है।
किन्तु गौरव के रक्षण में, वह प्रलयंकर त्रिपुरारी है।

हाल ही में इसका उदहारण प्रस्तुत किया है, हमारे श्रावक वीर योद्धा वर्धमान पुत्र अभिनन्दन ने, जिसके परिवार की तीन पीढ़ियाँ देश रक्षार्थ दुश्मन के छक्के छुड़ा चुकी हैं।

ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक ही देश सेवा में अपना समर्पण करते हैं। श्रावकाचार का पालक अनेक प्रकार के अनर्थों से स्वयं को एवं समाज को बचा कर राष्ट्रीय सम्पदा को समृद्ध करता है।

संदर्भ–

1. मूलाचार - आ. कुन्दकुन्द देव- 1/27-28
2. प्रवचनसार - आ. कुन्दकुन्द-217
3. उत्तराध्ययन- अध्याय-25, गाथा-31
4. प्रवचनसार- आ. कुन्दकुन्द- गाथा 7
5. सागार धर्मामृत- पं. आशधर, 10-11
6. वसुनंदी श्रावकाचार-59
7. मनुस्मृति-52
8. वसु., अमितगति-5/27-33
9. भगवती आराधना-आ. शिवार्य-791
10. तत्त्वार्थसूत्र-आ. उमास्वामी-अध्याय-5 सूत्र-21

धर्मोपदेशमालाविवरण में निहित राजीमतीचरित्र की प्रासंगिकता

रेखा जैन, जयपुर

भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में नारी-चरित्र की प्रतिष्ठा रही है। भारतीय साहित्य में साध्वी-शीलवती महिलाओं में सीता, अंजना, द्रौपदी, दमयन्ती, राजीमती, रुक्मिणी, सुभद्रा, चन्दनबाला आदि पर अनेक चरित्र-काव्यों का सृजन सम्बन्धित महापुरुषों के साथ एवं स्वतंत्र रूप में भी हुआ है। इनमें राजीमती का सृजन त्याग, आदर्श, संघर्षमयी, स्वाभिमानी, आदर्श-अनुकरणशीला आदि विशेषताओं के साथ हुआ है।

'धर्मोपदेशमाला' महाराष्ट्री प्राकृत में सृजित गद्य-पद्य मिश्रित विशाल ग्रन्थ है। श्रीकृष्णमुनि के शिष्य जयसिंहसूरि ने धर्मदासगणि की उपदेशमाला का अनुकरण कर ई.सन् 858 में भोजदेव के राज्यान्तर्गत नागौर नगर के मन्दिर में इस ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें 98 मूल गाथाएँ हैं, जिनमें राजीमती कथानक के साथ 156 कथायें गुम्फित हैं। इन कथाओं के परिचय के लिए ही धर्मोपदेशमाला-विवरण (वक्खाण) नामक ग्रन्थ की रचना स्वयं रचनाकार द्वारा की गई है, जिसका उल्लेख उन्होंने धर्मोपदेशमाला की प्रशस्ति में किया है। ग्रन्थ की बहुसंख्यक अन्तकथायें प्राचीन ग्रन्थों से ली गई है, फिर भी उनके कथन का ढंग निराला है। इसकी दूसरी कथा (शीले राजीमती) में शील का फल बतलाने के लिए राजीमती का कथानक वर्णित है।

'शीले राजीमती' के अनुसार राजीमती का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है :- नारायण श्रीकृष्ण अपने चचेरे भाई एवं जैनपरम्परा के बाईसवें तीर्थंकर नेमिकुमार के अनुरूप कन्या का अन्वेषण करते हुए, वे भोजवंशी राजा उग्रसेन की अत्यन्त रूपवती पुत्री राजीमती को देखते हैं। उस कन्या को वे नेमिकुमार के लिए पूर्णतः अनुरूप मानते हुए राजा उग्रसेन के पास जाकर राजीमती को नेमिकुमार के परिणय के लिए मांगते हैं, जिसे उग्रसेन अपना मनोरथ बताते हुए सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे दिन से ही दोनों ओर विवाह महोत्सव की तैयारियां प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ विवाह महोत्सव में राजकुमारी राजीमती को सुगंधित उबटन आदि के पश्चात् विभिन्न-आभूषणों से सजाने का विवरण ग्रन्थ की 20 गाथाओं में

पूर्ण हुआ है। देवों द्वारा कुमार नेमि को प्रसाधित करने के उल्लेख के पश्चात् ऐरावत सदृश हाथी पर चढ़कर मंगल वाद्य के साथ विवाह के लिए प्रस्थान करने का विस्तृत विवेचन हुआ है।

नेमिकुमार विवाह-मण्डप के निकट पहुँचने ही वाले थे कि बंधे हुए पशुओं का करुण-क्रन्दन सुनकर, उसका कारण जानने के लिए उन्होंने सारथी से पूछा कि पशुओं का यह करुण-क्रन्दन शब्द कैसे हो रहा है? सारथी से जानकर कि ये उन जानवरों के शब्द हैं, जिनके माँस के सूप उनके विवाह के अवसर पर बारात में आये हुए राजाओं के परमानंद के निमित्त खिलाया जाना है, उन्हें संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो गई और वे उर्जयन्त पर्वत पर जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली।

इधर राजकुमारी राजीमती जो षोडश शृंगार कर नेमिकुमार के साथ परिणय की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी, नेमि की विरक्ति का यह वृत्तान्त सुनकर रोती हुई मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। चेतना प्राप्त होने पर वह शोकग्रस्त होती हुई संसार-असारता की भावना करने लगी। सखियों द्वारा किसी तरह आश्वस्त किये जाने पर उसने कहा- ''आज सुबह स्वप्न में मैंने दरवाजे पर अनेक देव, दानव एवं विद्याधरों से अनुगम्य रूप और गुण के समुदाय तथा अत्यन्त विलक्षण एक दिव्यपुरुष को देखा। वह शीघ्र ही निवृत्त होकर, पर्वत पर चढ़कर सिंहासन पर बैठ गया। वह अनेक जीव-जन्तुओं से घिरा हुआ था। सखियों के वचन से प्रेरित होकर मैं भी वहाँ पहुँची। तब उन्होंने कल्पवृक्ष के समान चार ज्ञानरूपी फल देना प्रारम्भ किया। मैंने भी उनसे वैसा ही फल मांगा और उन्होंने मुझे भी फल प्रदान किया। उसी क्षण मुझे मंगल वाद्य के शब्दों से प्रबोधित किया गया।'' सखियों ने इस स्वप्न का परिणाम सुन्दर होना बताया। तभी, नेमि के भाई रथनेमि ने राजीमती से कहा कि ''व्रत, तप और संयम की अग्नि में डालना महिलाओं के लिए उचित नहीं है, अतः इसे छोड़कर पहले विषयसुख का उपभोग करना तथा बाद में जिनमार्ग का अनुसरण करना चाहिए''। राजीमती ने कहा कि ''धर्म बाद में करना यदि आवश्यक ही है, तो पहले विषयसुख से क्या? इसी प्रकार के अपने अनेक वचनों से रथनेमि को निरुत्तर कर उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पश्चात् नेमिनाथ से धर्म-श्रवण कर, अपने माता-पिता से पूछकर राजीमती ने नेमिनाथ के समवसरण में दीक्षा ग्रहण कर ली।

अन्य एक समय उन्हीं रथनेमि ने पर्वत की गुफा में बारिश में भींग जाने से एकमात्र साटिका को सूखने के लिए डालने के कारण वस्त्ररहित हुई एकाकी राजीमती के शारीरिक सौन्दर्य को देखकर उससे पुनः विषयभोग भोगने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजीमती ने शील

के महत्त्व का विवेचन कर रथनेमि को विविधप्रकार से प्रतिबोधित किया। इस प्रतिबोधन के परिणामस्वरूप राजीमती एवं रथनेमि- दोनों के मन व जीवन में ब्रह्मचर्यपूर्वक तप एवं ध्यान-साधना में लवलीन होकर, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की। तदनन्तर कालक्रम से मोक्ष की ओर अग्रसर हुई।

इसमें वर्णित रथनेमि-राजीमती का प्रसंग भारतीय नारीचरित्र के उस उदात्तरूप का निदर्शन करा रहा है, जो स्वयं को भी संभालती है और बिना किसी आक्रोश के अपने ऊपर विकारीभाव करने वाले को भी संभालती है। नारी उच्चकोटि की शिक्षिका और उपदेशिका रही है। उपदेशों में हृदय की मधुरिमा के साथ मार्मिकता भी छिपी रहती है। यहाँ राजीमती ने रथनेमि को जैसे प्रतिबोधित किया है, वैसा ही वर्तमान में प्रत्येक स्त्री करने लगे, तो समाज में व्याप्त भयावह समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि 'अबला' कही जाने वाली नारी में यदि शील, संयम और शक्ति के संचार का विकास हो जाये, तो मानसिक पवित्रता निश्चित ही उदित हो सकेगी।

राजीमती का जीवन हमारे वर्तमान जीवन के लिए विशेष प्रेरणादायक है। आज स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अधिक प्रगति हुई है, परन्तु इस बहिर्मुखी-ज्ञान से जीवन में इन्द्रियों भोगों के प्रति विशेष आकर्षण और पारिवारिक जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि काषायिक वृत्तियों से उत्पन्न तनाव अधिक बढ़ा है। मन अधिक चंचल और अशांत बना है। लौकिक स्तर पर फैशन-परस्ती, दिखावा की ही भाँति और धार्मिक आडम्बरों में भी विशेष वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण कष्ट-सहिष्णुता, परदुःख-कातरता, साहस, उदारता, साधना एवं समर्पण जैसे गुणों का अभाव देखा जा रहा है।

राजीमती की तप एवं ध्यान साधना भी प्रेरणा की स्रोत है। तप के नाम पर लम्बे समय तक भूखे रहने पर बल दिया गया है। भूखे रहने से इन्द्रियों को जीता जा सकता है, शरीर के प्रति ममत्व-भाव में कमी आती है, परन्तु इसका उपयोग अन्तर्मुखी बनकर, कषायों को उपशांत करके, किये हुए पापों का सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर और सत्-साहित्य का अध्ययन, मनन और चिंतन कर किया जा सकता है। इस प्रकार मानसिक पवित्रता आने से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय तनावों से मुक्त हुआ जा सकता है और सच्चे अर्थों में वास्तविक शान्ति का अनुभव किया जा सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि राजीमती का जीवन और साधना वर्तमान में घटित हो रही विकराल समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, यही इस प्रसंग की वर्तमान में उपयोगिता कही जा सकती है।

मागधी प्राकृत में निहित व्यावहारिक पक्षों की वर्तमान में उपादेयता

डॉ. सुदर्शन मिश्र, नऊँआ धनौती, भोजपुर विहार

प्राकृत साहित्य में मागधी प्राकृत का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह आज हमें दो रूपों में उपलब्ध होती है। इसका प्रथम प्राचीनतम स्वरूप अभिलेखों में राष्ट्रभाषा के रूप में तथा दूसरा मध्यकालीन स्वरूप तत्कालीन साहित्य में क्षेत्रीय भाषा के रूप में उपलब्ध होता है। अभिलेखों में सम्राट अशोक के अभिलेख महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें राजाज्ञा के द्वारा उच्चतर सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक व्यावहारिक पक्षों के माध्यम से समाज में सुशासन, शांति, समृद्धि और आनंद के वातावरण-निर्माण का प्रयास किया गया है। मध्यकालीन साहित्य में नाटक, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, स्तोत्र और प्राकृत-व्याकरण-ग्रंथों के अतिरिक्त हेमचंद्र कृत द्वयाश्रय महाकाव्य 'कुमारवालचरियं' का नाम उल्लेखनीय है। नाटकों में निम्नस्तरीय पात्रों के माध्यम से उन सभी उच्चव्यवहारों का निदर्शन कराया गया है, जो एक उच्चतम सभ्य मानव में होने चाहिए। हेमचंद्र कृत 'काव्यानुशासन' में बताया गया है कि रमणीक सरोवर का जल भी तप करने वाले मुनियों को क्षुभित कर देता है।[1] नाट्यशास्त्र में भाषा के प्रबल व्यावहारिक पक्ष को उद्घाटित करते हुए वर्णित है कि आत्मरक्षणार्थ मागधी प्राकृत का उपयोग किया जाना चाहिए।[2] स्तोत्र एवं व्याकरण-ग्रंथों में मागधी प्राकृत के माध्यम से तीर्थंकरों की कुछ स्तुतियाँ मिलती हैं, जो एक धार्मिक कृत्य है और इससे मन को अत्यंत शांति मिलती है तथा उससे मन सकारात्मक बनता है। कुमारवालचरियं के अंतिम सर्ग की पाँच प्रारंभिक गाथाओं में मागधी प्राकृत के माध्यम से जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

वस्तुतः जीवन की क्रिया का ही दूसरा नाम व्यवहार है। अतः जीवन और व्यवहार में अन्योन्याश्रय संबंध है और वह लक्ष्य सापेक्ष होता है। प्राणी का सर्वप्रमुख लक्ष्य आत्मरक्षा है। आजीविका आत्मरक्षा की प्रथम आवश्यकता है। इसके लिए हिंसक अथवा अहिंसक दोनों तरह के व्यवहार पूर्व में लेकर आज तक जों के त्यों संभावित बने हुए हैं। आजीविका

के हिंसात्मक साधन सदा से निंदित माने जाते रहे हैं। अशोक के पाँचवे स्तंभ लेख में वर्णित है कि जीव के द्वारा जीव को पोषण नहीं करना चाहिए। प्रथम शिलालेख में अशोक की भोजनशाला में मारे जाने वाले प्राणियों के मारे जाने पर प्रतिबंध का उल्लेख है। कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुंतलम् में जब एक मछुआरे की जीविका वृत्ति का मजाक उड़ाया जाता है, तो वह दृढ़ शब्दों में प्रतिकार करते हुए कहता है कि जो भी निंदित काम सहज रूप से चला आ रहा है, उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अनुकंपा से मृदु ब्राह्मण भी पशुबंधन में कठोर होता है।[3] इन उल्लेखों में स्पष्ट है कि तत्समय समुदाय विशेष में परंपरा से सहज रूप में चले आ रहे आजीविका के निन्दित साधन भी स्वीकार्य माने जाते थे, वैसे ही आज भी किसी-किसी समुदाय में स्वीकार्य हैं।

प्राणी का दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सुख-शांतिपूर्वक जीवनयापन का है। इसके लिए मानव में भिन्न-भिन्न विचार दृष्टिगोचर होते हैं। कोई सह अस्तित्व की कामना से समाज में रहकर, तो कोई समाज से दूर रहकर सुख-शांति की कामना करते देखे जाते हैं। जो समाज में रहते हैं, उन्हें सामाजिक दायित्वों का पालन करना पड़ता है और जो समाज से दूर चले जाते हैं, उनका जीवन आत्म चिंतन में व्यतीत होता है। समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित होना सुख-शांति के लिए आवश्यक माना गया है। इसके लिए मागधी प्राकृत में जो सूत्र उपलब्ध होते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार विवेचित है-

1. सुशासन

शांतिपूर्ण सामाजिक जीवनयापन के लिए सुशासन सदा से एक आवश्यक तत्त्व रहा है। अशोक के शिलालेखों में सुशासन की जो रूपरेखा दृष्टिगत होती है, वह आज भी अनुकरणीय है। इसी सुशासन की कुशल व्यवस्था और लोक कल्याणकारी कार्यों से सम्राट अशोक प्रजावत्सल सम्राट के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। धर्म निरपेक्षता उसके प्रशासन की मेरुदंड है। इसका महत्त्व आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इन अभिलेखों में धर्म से तटस्थ रहने की बात न कर इसे मानव जीवन का उत्तम कर्तव्य माना गया है।[4] इनमें सभी गुणों के समुदाय को ही धर्म की संज्ञा प्रदान की गई है तथा इसका आचरण करने के लिए सभी से आग्रह किया गया है और विश्वास व्यक्त किया गया है कि इसके आचरण से न केवल यहाँ ही सुख मिलेगा, वरन् परलोक में भी सुख उपलब्ध होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाप में भय, धर्म के प्रति प्रेम, गुरुओं की आज्ञा का पालन एवं आत्म-परीक्षा नितांत आवश्यक माना गया है।[5] अभिलेखों के अनुसार धर्म का अर्थ सभी धर्मों का सार

है, जो देश, काल और समाज से परे है। मागधी अभिलेखों में सर्वधर्म समन्वय की नीति से ही धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस अभिप्राय की पूर्ति के लिए अलग धर्म विभाग बनाने और उसके लिए अनेक धर्माधिकारियों की नियुक्ति के भी उल्लेख इन अभिलेखों में अनेक स्थलों पर दृष्टिगत होते हैं।

मागधी अभिलेखों के अनुसार प्रशासक का कर्तव्य लोकहित और पराक्रम होना चाहिए।[6] प्रशासक के लिए प्रजा का दु:ख हर वक्त, हर समय जानने-सुनने के लिए तैयार रहने का कथन है।[7] तीसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि प्रशासन संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए उच्चाधिकारियों को दौरा करना अनिवार्य होता है। धौली के प्रथम पृथक् शिलालेख में उन दोषों का वर्णन उपलब्ध होता है, जो अच्छे पदाधिकारियों में नहीं होने चाहिए। ये दोष हैं, ईर्ष्या, अधैर्य, निष्ठुरता, जल्दबाजी, अकर्मण्यता, आलस्य और तंद्रा। स्वदेश में शांति व्यवस्था के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि पड़ोस के देशों में ही नहीं सुदूरवर्ती देशों में भी शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए इन अभिलेखों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वैदेशिक नीति पर बल दिया गया है। दूतों द्वारा विदेशों में शांति और अहिंसा के प्रचार का उल्लेख हुआ है।[8]

2. सदाचार

सामान्य सदाचार को धर्म का आधार बताते हुए वर्णित है कि माता-पिता की शुश्रूषा, वृद्धों तथा गुरुओं की शुश्रूषा, जीवों के प्रति दया, सत्य, भाषण, शिष्यों द्वारा आचार्य का आदर और संबंधियों के प्रति समुचित बर्ताव-ये सभी धर्म के तत्त्व है।[9] अभिलेखों में धर्म के निम्नलिखित लक्षण उल्लिखित हैं-[10]

अपामिनवे (पापों से दूर रहना), बहुकयाने (अनेक कल्याणकारी कार्य करना), दया (दीन-दु:खी प्राणियों पर दया करना), दान (आवश्यकतानुसार यथाशक्ति सभी को दान देना), सचे (मत्य बोलना) और सोचये (शरीर, वचन और विचार की शुद्धता)।

ये सभी आधार धर्म को पूर्णतया व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. मानवीय गुणों का प्रचार

मानवीय गुण मानव को आदर्श स्वरूप उच्च बनाते हैं, सृष्टि में उसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं और आनंद, सुख तथा खुशी आदि के वातावरण का निर्माण करते हैं। अत: दया, दान, परोपकारवृत्ति, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, आत्मसंयम, धर्मानुराग, त्यागवृत्ति, समानता, क्षमता, करुणा, क्षमाभाव, शुश्रूषा आदि गुणों की व्यापक आवश्यकता एवं महत्त्व पर प्रकाश डालते

हुए उनके प्रचार और प्रसार की पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिनसे मनुष्यों में अहिंसा, त्याग, सदाचार और व्रताचार की सत्प्रेरणा प्राप्त हो सके और उनके व्यवहार इन्हीं गुणों के समावेश के साथ परिचालित हो। मागधी अभिलेखों में समाहित इन गुणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार दृष्टव्य है–

(क) अहिंसा– स्तंभ लेख संख्या 5 की 11 वीं पंक्ति में कथन है कि जीव के द्वारा जीव का पोषण नहीं करना चाहिए।[11] इसी प्रकार स्तंभलेख 7.20 और प्रथम शिलालेख में वर्णित है कि जीव को मारकर आहुति नहीं करनी चाहिए।[12] यह उत्पन्न जीव अबध्य है।[13] भूतों की अविहिंसा और प्राणियों के अनालंभ में मनुष्य की धर्मवृद्धि अधिक हुई है।[14] अतः सब प्राणियों में संयम, समचर्या और मृदुता की कामना की जानी चाहिए।[15]

(ख) संयम और भावशुद्धि– अशोक के सातवें शिलालेख में संयम और भावशुद्धि– दोनों के नित्य बढ़ने की कामना[16] करते हुए कथन है कि संप्रदाय संयम और भावशुद्धि चाहते हैं–

सवे हि ते सयमं भावसुधी च इंछति॥

द्वादश शिलालेख के अनुसार वाक्संयम सभी धर्मों का मूल है–

इंय मूले अ वचगुति।

(ग) अल्पव्यय और अल्पसंचय– तीसरे शिलालेख में अल्पव्यय और अल्प संग्रह को अच्छा बताया गया है–

अपबियति अपभंडत साधु॥

कथन का अभिप्राय यह है कि अल्पव्यय करके बचत करनी चाहिए, परंतु बचत में संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। अर्थात् मितव्ययी और अल्पसंचयी होना चाहिए।

(घ) आत्म पर्यवेक्षण– तीसरे स्तंभ लेख में आत्म–पर्यवेक्षण पर बल देते हुए उल्लिखित है कि मनुष्य केवल अपने कल्याण कार्य को देखता है कि उसने यह कल्याण किया। कोई मनुष्य अपना पाप नहीं देखता कि मैंने यह पाप किया है–

'नो मिन पापं देखति इयं मे पापे कटेति।'

इसे देखना बहुत कठिन है। इसे इस प्रकार देखना चाहिए कि ये अपराध की ओर ले जाते हैं चंडता, निर्दयता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। इन अवगुणों से निंदा हो सकती है।

इसलिए मनुष्य को यह अच्छी तरह देखना चाहिए कि ये इस लोक अथवा परलोक के लिए हैं अथवा नहीं।

(च) दोष निषेधः- धौली के प्रथम पृथक् शिलालेख में मनुष्यों को जिन दोषों से बचे रहने की चेतावनी दी गयी है, उनके नाम है ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुरता, जल्दबाजी, अकर्मण्यता, आलस्य और थकावट। इन दोषों को सफलता में बाधक माना गया है।

(छ) मंगलाचार :- नवें शिलालेख में दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का आदर, प्राणियों के प्रति संयम, श्रमण-ब्राह्मण को दान तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को मंगलकृत्य और महान् फलवाला बताया गया है- **महाफले ए धममंगले। ततेम दास- भटकसि संम्यापटिपति गुलूनं अपचिति पानेषु मंयमे समनबाभनीनं दाने राम अंने च हेदिमे धंममंगले नाम।**

(ज) शीलः- चौथे शिलालेख में वर्णित है कि शील में स्थित रहते हुए धर्मानुशासन करना चाहिए क्योंकि शील रहित में धर्माचरण संभव नहीं होता है-**धंममि मीलसि च चिठितु धंमं अनुमामिमंति। ---- धंमचलने पि चु नों होति असीलम।**

(झ) अन्य गुण- अन्य गुणों में दया के संबंध में कथन है कि धर्मोन्नति और धर्मपालन से दया की वृद्धि होती है।[17] सातवें स्तंभ लेख के अनुसार सत्य से धर्म में वृद्धि होती है[18] तथा शौच मार्दव और माधव (सत्कार्य) में धर्म का संपादन और विश्वास दोनों बढ़ता है।[19] तेरहवें शिलालेख में अंकित है कि जहाँ तक संभव हो, वहाँ तक क्षमा करना चाहिए।

मध्यकालीन साहित्य के मागधी संदर्भों में व्यावहारिक पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश उपलब्ध होता है।

1. दान :

मृच्छकटिकम् के द्वितीय अंक में संवाहक चारुदत्त के गुणों की चर्चा करते हुए दान को दया के अधीन बतलाता है- 'अणुकोशीकदेहिं पदाणे'। पुनः वह आठवें अंक में वसंतसेना द्वारा दिये गये अभयदान का स्मरण करते हुए कहता है- 'जेण में अभय दिएणं' अर्थात् जिसने मुझे अभय दान दिया था। अभयदान का अर्थ है प्राणियों के सभी प्रकार के भय को दूर करना। इस प्रकार सभी तरह के दान अभयदान के अंतर्गत आ जाते हैं।

2. अनुकंपा :

मृच्छकटिकम् के तृतीय अंक में चारुदत्त का सेवक वर्धमानक एक सज्जन स्वामी के

गुणों का वर्णन करते हुए अनुकंपा का उल्लेख करता है।[20] इसी प्रकार अभिज्ञानशाकुंतलम् के अंकावतार में मछुआरा ब्राह्मण को अनुकंपा से मृदु बताता है–अणुकंपामिदु एव्व शोत्तिए।

3. अनुग्रह :

अभिज्ञानशाकुंतलम् के अंकावतार में सूचक शूली से उतारकर हाथी के कंधे पर बैठाने का नाम अनुग्रह बताता है– **एशे णाम अणुग्रहे जे शूलादो अवदालिअ हुत्थिक्कंधे पडिट्ठाविदे।** कथन का अभिप्राय यह है कि कठिन परिस्थितियों से प्राणी को बाहर निकालना अनुग्रह है।

4. आत्मबल-ज्ञान :

व्यवहार में आत्मबल के महत्त्व को रेखांकित करते हुए मृच्छकटिकम् में प्रतिपादित है कि जो अपने आत्मबल को जानकर उसकी तुलना में भार को वहन करता है, उसका न तो स्खलन होता है न ही वह दुर्गम रास्ते पर चलते हुए कष्ट भोगता है–

जे अत्तबलं जाणिअ भालं तुलिदं वेहदू माणुश्शे।
तोह खलणं ण जाअदि ण अ कान्तालगदो विवज्जदि॥

5. प्रत्युपकार :

मृच्छकटिकम् के द्वितीय अंक में संवाहक वसंतसेना के उपकार के बदले में उपकार करना चाहता है, किंतु उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो अपने मन में सोचता है – **कंध पच्चुवकलिशं** अर्थात् किस प्रकार प्रत्युपकार करूँ। वह वसंतसेना के उपकार को भूल नहीं पाता है और आठवें अंक में अपना विचार प्रकट करते हुए कहता है–**अलं मम देण शग्गेण। जाव ता! वसन्तशेणिआए बुद्धोवाशिआए पंचवआलं ण कलेमि, जाए दशाणं शुवणकाणं किदे जूदिअलेमेहि णिवकीदे, तो पहूदि ताए किदं विअ अत्ताणअं अवगच्छामि।** अर्थात् मेरे लिए यह स्वर्ग निरर्थक है, जब तक उस बुद्धोपासिका वसंतसेना का प्रत्युपकार नहीं करता हूं, जिसने 10 सुवर्णों से मुझे दोनों जुआरियों से छुड़ाया था, तब से मैं अपने को उसके द्वारा खरीदा गया समझता हूँ।

6. स्तुति :

चण्डकौशिक के चतुर्थ अंक में चाण्डाल राजा हरिश्चंद्र से चण्डिका कात्यायिनी को प्रणाम करने के लिए कहता है और स्वयं भी निम्न स्तुति में लीन हो जाता है–

णिम्महिअ चण्ड-मस्तए! महिश्-महाशुल भिण्णगत्तिए।
कच्चाइणि गजचम्मवस्तिए! लक्खशु मं चण्डशूलत्थिए॥

अर्थात् हे चण्ड नामक असुर के मस्तक को नष्ट करने वाली! महिषासुर के अंगों को छिन्न-भिन्न करने वाली! हस्ती चर्म के वस्त्र वाली तथा हाथ में प्रचंड त्रिशूल वाली कात्यायिनी! मेरी रक्षा करो।

इसी प्रकार अमृतोदयम् के पाँचवे अंक में अर्हत् सिद्धांत जिनों की तथा षड्भाषामयानि जिनपंचक स्तोत्राणि में शांति, नेमी, पार्श्व और महावीर की स्तुति मागधी प्राकृत में उपलब्ध है।

7. मोक्ष :

भारतीय दर्शन में संसार को दु:खमय स्वभाव वाला माना गया है। अत: संसार की नश्वरता, दु:ख, जन्म, मरण आदि से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। जीवन का अंतिम लक्ष्य इसी मोक्ष को प्राप्त करना है। मागधी गाथाओं के अनुसार अत्यंत सुस्थित, पुरुषार्थ चतुष्टय में निरत, कषाय से रहित, पाप प्रवृत्ति से रहित साधु अनन्य मन अर्थात् मोक्ष की साधना करते हैं।[21] पुण्यशाली, निशातप्रज्ञ (कुशाग्र बुद्धि वाले), सुप्रांजल (कुटिलता रहित), मुनि मार्ग का अनुसरण करने वाले, समस्त जगत् के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले तथा उन अनुकूल मार्ग पर चलने वाले परमपद मोक्ष को प्राप्त करते हैं।[22] मोक्ष मार्ग में वही स्थिर होता है, जो स्वपर विवक्षा से रहित अर्थात् शत्रुमित्र के प्रति समभाव रखने वाला, समस्त प्राणियों को करुणा की दृष्टि से देखने वाला, मित और प्रिय वचन बोलने वाला होता है[23] इसीलिए जिसका वध अथवा भक्ति करते हैं - ऐसी दो आत्माओं के प्रति मैं ही हूँ, ऐसी हित बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए अर्थात् वध्य आत्मा और जिसकी भक्ति करता हूं- ये दोनों आत्माएँ मैं/हम ही है - ऐसी अभेद वृत्ति रखनी चाहिए-

एदश्श वधं कलिमो भत्तिं एदाह इदि मदी जाहँ।
ताणं दोण्हं पि हगे हिदे त्ति बुद्धि पउदव्वा॥ द्वाश्रयमहाकाव्य, 165

8. राजद्रोह का परित्याग:-

राजद्रोह को अत्यंत दूर से ही छोड़ देने का निर्देश प्राप्त होता है। मुद्राराक्षसम् के निर्वहणनामक सातवें अंक के प्रारंभ में ब्रजेलोमा नामक एक चांडाल के माध्यम से राजद्रोह के कुफल का वर्णन करते हुए उसे छोड़ने को कहा गया है। उक्ति है-

यदि महह लकिदं शे पाणे विहवे कुलं कलत्तं अ।
ता पलिहलध विशं विअ लायापश्चूछं शुदूलेण॥
होदि पुलिश्श वाधी मलणं वा शैबिदे अपश्छम्मि।
लायापश्छे उण शेविदम्मि शअलं कुलं मलदि॥

अर्थात् यदि अपने प्राण, ऐश्वर्य, कुल तथा पत्नी की रक्षा करना चाहते हो, तो विष के समान राजद्रोह को अत्यंत दूर से ही छोड़ दो। अहितकारी भोजन करने पर पुरुष को रोग अथवा मरण होता है, फिर राजा के अहित का सेवन करने पर तो संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है।

9. अकार्य का परित्यागः-

मृच्छकटिकम् के एक मागधी प्रसंग में अकार्य को वर्जित कहा गया है। कथन है 'शव्वं कलेमि, वज्जिअ अकज्जं'[24] अर्थात् सब करूँगा, अकार्य को छोड़कर। अकार्य के दुष्परिणाम को विवेचन करते हुए वर्णित है कि अकार्य से जीव दूसरे का अन्न खाने वाला बनता है[25] तथा सुकृत का परिणाम सोने से मंडित होने जैसा होता है।[26] अतः अकार्य का परित्याग करता हुआ शकार का दास स्थावरक कहता है-

पिट्टदु भट्टके, मालेदु भट्टके, अकज्जं ण कलइश्शं।
जेणम्हि जम्मदाशे विणिम्मिदे भअधेअदोशेहिं।
अहिअं च ण कीणिशं तेण अकज्जे पलिहलामि॥

– मृच्छकटिकम् 8/22

अर्थात् स्वामी पीटो या मारो अकार्य नहीं करूँगा। जिसके कारण मैं भाग्य दोष में जन्मकाल से ही दास बना दिया गया हूं। (उसे) और अधिक नहीं खरीदूंगा, उस अकार्य का परित्याग करता हूँ।

जुआ भी एक अकार्य है। अतः जुए की तुलना बिना सिंहासन वाले राज्य से की गई है और उसे कष्टदायक[27] एवं सुमेरु पर्वत की चोटी से गिरने की भाँति बताया गया है- 'शुमेलुशिहल-पडणशण्णिहं जूअं'।[28]

10. जैन सन्यासी का व्यवहारिक पक्षः-

अमृतोदयम् के तीसरे अंक में एक जैन सन्यासी के व्यावहारिक पक्ष का विवेचन करते हुए वर्णित है कि वह अस्नान, मौन, मलपंकधारण, खड़े-खड़े भोजन, तप्तशिलाधिरोहण तथा केशकुंचन आदि से अपने को कष्ट देता है और मानता है कि जीव और अजीव को एक साथ मिलाने का कारण संवर है।[29] मुद्राराक्षसम् में एक जैनानुयायी क्षपणक का कथन है कि मोह रूपी व्याधि के वैद्य अर्हन्तों के शासन को स्वीकार करें, जो आरंभ में मुहूर्त्त मात्र के लिए कटु किंतु बाद में पथ्य का काम करने वाली औषधि का उपदेश देते हैं।[30]

उसके अनुसार अर्हन्त बुद्धि की गंभीरता से लोक में लोकोत्तर उपायों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं।[31]

11. बौद्धभिक्षु का व्यावहारिक पक्षः-

मृच्छकटिकम् के आठवें अंक में संसार की अनित्यता को देखकर धर्म की शरण में आया हुआ बौद्धभिक्षु अपने व्यावहारिक पक्ष का उद्घाटन करते हुए कहता है कि अपने पेट को संकुचित करो, ध्यान रूपी नगाड़े से नित्य जागते रहो। प्रतिकूल इंद्रियरूपी चोर अधिक समय से संचित धर्म को हर लेते हैं। जिसने पाँच जनों (इंद्रियों) को मार डाला है, (अविद्या रूपी) स्त्री को मारकर ग्राम (शरीर) की रक्षा की है और निर्वले (घमण्ड रूपी) चाण्डाल को मार डाला है, वह मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। सिर मुड़ा लिया, मुख मुड़ा लिया, (किंतु यदि) चित्त नहीं मुड़ाया तो क्या मुड़ाया और फिर जिसका चित्त भलिभाँति मुड़ा हुआ है, उसका सिर भी अच्छी तरह मुड़ा गया है।[32]

मागधी प्राकृत में निहित व्यावहारिक पक्षों के विवेचनोपरांत यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विवेचित व्यावहारिक पक्षों की उपादेयता वर्तमान में पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। प्राणी जगत् के सहअस्तित्व, पर्यावरण संरक्षण, शांति और सौहार्द के लिए आज इन व्यावहारिक पक्षों की नितांत आवश्यकता है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर घृणा और कलह व्याप्त है, सर्वत्र असह्य विकृतियाँ ही दृष्टिगोचर हो रही है, ऐसी स्थिति में जीवन मूल्यों की स्थापना, शांति, समरसता और मानव सहित सभी जीवन रूपों के अस्तित्व के लिए मागधी प्राकृत में निहित व्यावहारिक पक्षों की आज महती आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में भयाक्रान्त जीवन को भयमुक्त बनाने के लिए विवेचित व्यावहारिक पक्षों को अपनाये बिना अन्य कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। पर्यावरण को विकृति और विनाश से बचाने के लिए भी इन व्यावहारिक पक्षों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं व्यावहारिक पक्षों के बल पर अशोक ने भारत से बाहर भारत का झंडा बुलंद किया था।

संदर्भ–

1. कमलाशवलालिवले मालेदि शमन्तके विशमे॥- श्री हेमचंद्र विरचितं काव्यानुशासनम् (सटीकम्), मं. महामहोपध्याय पंडित शिवदत्त एवं काशीनाथ पाण्डुरंग। प्रकाशक-मेहरचन्द लक्ष्मण दास पब्लिकेशन्स-1 अंसारी रोड, दरियागंज-नई दिल्ली-1986 ई. पृष्ठ 274 पर टिप्पणी।
2. नाट्यशास्त्र में प्राकृत संदर्भ- डॉ सुदर्शन मिश्र, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जयपुर 2013 ई0, 1/51, पृष्ठ 56.

3. शहजे किन जे विणिंदिए ण हु दे कम्भ विवज्जणीआए।
पशुमालनकम्भदानुणे अणुकंपााभिदु एव्व भोत्तिए॥ -अभिज्ञानशाकुन्तलम्, पंचमांक अंकावतार-1
4. द्वितीय स्तम्भलेख
5. प्रथम स्तम्भलेख
6. छठा स्तम्भलेख
7. वही
8. त्रयोदश शिलालेख
9. चतुर्थ, नवम, ग्यारह और त्रयोदश शिलालेख
10. द्वितीय स्तम्भलेख
11. जीवेन जीवे नो पुमितविये-स्तम्भलेख-5.11
12. नो किछिजीवं आलभितु पजोहितविये-शिलालेख-5.11
13. इमानि जातानि अवधियानि-स्तम्भलेख 7.20
14. मुनिसानं धंमवदि वदिती अविहिंमाये भुतानं अनानंभाये पानानं-वही, 20-21
15. त्रयोदश शिलालेख
16. मयमे भावमुधी चे नीचे वाढं।
17. सातवाँ स्तम्भलेख 28
18. धंमापदाने धंमपटीपति.....सचे।
19. धंमापदाने धंमपटीपति च ..... सोचवे मदवे साधवे च लोकस हेवं वढिसति ति।
20. शुअणेक्खु भिच्चाणुकुंके शमिए मृच्छकटिकम्, 3.1.
21. वही, 16.4
22. अदि शुस्तिदं निविम्टे चदुस्तवग्गं विवय्यिद-कशाए।
शावय्य-योग-लहिदे शाहू शाहूदि अणमणे॥- द्वयाश्रयमहाकाव्य, 16.2
23. पुज्जे निशाद-पज्जे शुपङ्गले यदि-पधेण वङ्गन्ते।
शयल-यय-वश्चलते गश्चन्ते लहदि पलम-पदं॥ -वही, 16.3.
24. मृच्छकटिकम्-व्या., डॉ. जयशंकरलाल त्रिपाठी, चौखम्भा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2005 ई., अंक 8, पृ. 463.
25. पलापिण्डभक्खके भृदे-वही, पृष्ठ-465
26. बहु-शोवण्ण-मण्डिदे वही, पृष्ठ-464
27. कट्टे एशे जूदिअलभावे, वही, अंक 2, पृष्ठ-135.
28. वही-2/6 29 अमृतोदय-अंक 3
30. मुद्राराक्षमम्-अंक, 4.
31. वही-अंक, 5.
32. शिर मुंडिदे तुंड मुंडिदे चित्त ण मुंडिदे कीश मुंडिदे।
जाह उण अ चित्त मुंडिदे शाहु शुशुट्ठ शिल ताह मुंडिदे॥ - मृच्छकटिकम्, 8/3

प्राकृत दसभत्ति संगहों का व्यवहारिक पक्ष

डॉ. मनीषा जैन, लाडनूँ (राज.)

भारतीय साहित्य जगत् में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का अपना विशिष्ट स्थान है। वैदिक, जैन एवं बौद्ध इन तीनों परम्पराओं का साहित्य संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में मिलता है। मानवीय जीवन की झांकी को प्रस्तुत करने में इन प्राचीन भाषाओं का योगदान है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जीवन के विभिन्न आयामों को उद्घाटित करने के लिए हमें जैनाचार्यों की दृष्टि सम्मुख रखनी पड़ती है जिसके माध्यम से मूल्य, नैतिक उत्थान, सामाजिक चिंतन, सांस्कृतिक संरक्षण और दार्शनिक विचार धाराओं को एक साथ लेकर उद्घाटित किया जाता है। जैन परम्परा के मूर्धन्य साधक और मनीषी आचार्य कुन्दकुन्द की गरिमा अतुलनीय है। उन्होंने जैन सिद्धान्त और अध्यात्म का सूक्ष्म विवेचन करने वाले अनेकों महनीय ग्रंथ लिखे। जैसे समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड आदि जो कि आज भी प्रकाश स्तम्भ की भांति जैन दर्शन के अध्येताओं का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरी ओर उन्होंने व्यावहारिक जगत् को भी जोड़े रखने में भक्ति संग्रह की रचना कर अमूल्य योगदान दिया है।

दसभत्ति संगहो की व्यावहारिकता :

आचार्य कुन्दकुन्द के भक्ति विषयक साहित्य को जब देखते हैं और उनका शोध-परक आलोडन करते हैं, तो ये बात उजागर होती है कि उन्होंने दसभक्तियों में भक्ति विषयक चिंतन को धर्म प्रभावना, आध्यात्मिक सुख-शांति के लिए सृजित किया। अपने इष्ट की भक्ति के लिए आचार्य कुन्दकुन्द ने अरिहंत, सिद्ध और आचार्य आदि की भक्ति को विवेचित किया है। कुछ भक्तियों में चारित्र शुद्धि और योग जैसे चिंतन को व्याख्यायित किया इसलिए इन भक्तियों का समसामयिक जीवन में यदि उपयोग देखना चाहें अथवा आज के संदर्भ में इनकी उपयोगिता का आकलन करना चाहें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आगमिक शास्त्रों की सुरक्षा, वैयक्तिक जीवन में चरित्र निर्माण, पारिवारिक शान्ति के सूत्र, तनाव मुक्ति का आधार और धर्म की स्थापना जैसे बिन्दु इन भक्तियों से उजागर होते हैं। यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्द की ये दस भक्तियाँ आत्मिक सुख और धर्म प्रभावना जैसे विषयों

को लेकर ही लिखी गई हैं फिर भी इनसे फलित अर्थ के रूप में अनेक विषयों को उजागर किया जा सकता है। जिन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं –

आध्यात्मिक विकास के रूप में उपयोगिता

दस भक्तियों की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो भक्ति का वह उत्कृष्ट रूप सामने आ जाता है जो मानव जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य के जीवन में भक्तिरस का समावेश आत्मविकास के लिए आवश्यक है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, पंचगुरु नामक भक्तियों में आचार्य कुन्दकुन्द ने आध्यात्मिकता के सोपान की नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसमें उनके जीवन से प्रभावित होकर हम अपने जीवन को भी आध्यात्मिकता की ऊँचाई पर ले जाना चाहते हैं। अरिहंत अथवा तीर्थंकर आदि के जीवन में जो कुछ भी अलौकिकता अथवा आदर्श प्रस्तुत हुआ है उसका उपयोग हम अपने जीवन में करना चाहते हैं।

थोस्समि हं जिणवरे, तित्थयरे केवली अणंत जिणे।

णरपवरलोयमहिए, विहुयरयमले महप्पणे॥[1]

अर्थात्– जो कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वालों में श्रेष्ठ, केवलज्ञान से युक्त हैं, अनंत संसार को जीतने वाले हैं, लोकश्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने अज्ञान नामक रजरूपी मल को दूर कर दिया है तथा जो महाप्राज्ञ– उत्कृष्ट ज्ञानवान् हैं ऐसे तीर्थंकरों की स्तुति करूँगा।

सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्तजुत्ताणं, अट्ठविहकम्मविप्पमुक्काणं, अट्ठगुणसंपण्णाणं, उड्ढलोयमत्थयमि पयट्ठियाणं, तव-सिद्धाणं, संजमसिद्धाणं, अतीताणागदवट्टमाणकालत्तयसिद्धाणं, सव्वसिद्धाणं, णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि[2]**।**

अर्थात्– जो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र से युक्त हैं, आठ प्रकार के कर्मों से सर्वथा रहित हैं, आठ गुणों से सहित हैं, ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, नय से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, अतीत, अनागत और वर्तमान कालसंबंधि सिद्ध हैं, ऐसे समस्त सिद्धों की मैं नित्यकाल अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ।

जेहिं झाणग्गिबाणेहि अइथद्दयं जम्मजरमरण-णयरत्तयं दड्ढयं।

जेहिं पत्तय सिवं सासयं ठाणयं ते मह दिंतु सिद्धा वरं णाणयं॥[3]

अर्थात् जिन्होंने ध्यानरूपी अग्निबाणों से उत्पन्न मजबूत जन्म और मरणरूपी तीन नगरों को जला डाला तथा जिन्होंने शाश्वत मोक्षस्थान प्राप्त कर लिया वे सिद्ध भगवान् मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें।

इस प्रकार हमारा जीवन उत्कृष्ट बन सके, आध्यात्मिकता को ग्रहण कर सके इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि 'आचार्य कुन्दकुन्द' की 'दस भक्तियों में आध्यात्मिकता को पुष्ट करने के संदर्भ भरे पड़े हैं और ये संदर्भ हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं।

तनाव से मुक्ति

'आचार्य कुन्दकुन्द' द्वारा रचित दस भक्तियाँ मानव जीवन के उस पहलू की ओर दृष्टिपात कराती हैं, जो हमें जीवन में उद्वेलित करती है। सभी जीव सुख चाहते हैं और वह सुख स्थायी अर्थात् शाश्वत सुख होना आवश्यक है अन्यथा इन्द्रियजन्य सुख तो सुखाभास मात्र है क्योंकि इन्द्रिय जनित सुख क्षणिक होता है कुछ समय ही साथ रहता है बाकी शाश्वत सुख की चाह हर जीव को होती है। 'आचार्य कुन्दकुन्द' ने दश भक्तियों में निर्वाण भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति का चिंतन दिया। जहाँ पाँच इन्द्रिय-निरोध का वर्णन इस प्रकार है-

1. जीव और अजीव से उत्पन्न हुए एवं कठोर, कोमल आदि आठ भेदों से युक्त सुख और दुखरूप स्पर्श में मोह-रागादि नहीं करना, स्पर्शनेन्द्रिय-निरोध है।
2. अशन आदि से चार भेदरूप, पंच रसयुक्त, प्रासुक, निर्दोष, पर के द्वारा दिये गये रुचिकर अथवा अरुचिकर आहार में लम्पटता का नहीं होना, रसनेन्द्रिय-निरोध है।
3. जीव और अजीव के स्वरूप में सुख और दु:खरूप प्राकृतिक तथा पर-निमित्तक गन्ध में राग-द्वेष का नहीं करना, घ्राणेन्द्रिय-निरोध है।
4. सचेतन और अचेतन पदार्थों की क्रिया, आकार और वर्ण के भेदों में राग-द्वेष आदि संग का त्याग करना चक्षुरिन्द्रिय-निरोध है।
5. षड्ज, ऋषभ, गान्धार आदि शब्द और वीणा आदि अजीव से उत्पन्न हुए शब्दों को सुनकर, रागादि नहीं करना, कर्णेन्द्रिय-निरोध है।

वीसं तु जिणवरिंदा, अमरासुरनंदिदा धुदकिलेसा।[4]

अर्थात्- जो देव और असुरों के द्वारा वंदित हैं तथा जिन्होंने क्लेशों को नष्ट कर दिया है ऐसे बीस जिनेन्द्र हैं।

पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं, अट्ठमहापाडिहेरसहियाणं, चउतीसातिसयविसेससंजुत्ताणं, बत्तीसदेवेंदमणिमउडमत्थमहियाणं बलदेववासुदेवचक्कहररिसिमुणिजदि अणगारोवगूढाणं थुइसहस्सणिलयाणं, उसहाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसाणं णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, णमंसामि।[5]

अर्थात्- जो गर्भ-जन्मादि पाँच महाकल्याणकों से सम्पन्न हैं, आठ महाप्रातिहार्यों से सहित हैं, चौंतीस अतिशय विशेषों से संयुक्त हैं, बत्तीस इंद्रों के मणिमय मुकुटों से युक्त मस्तकों से पूजित हैं, बलदेव, नारायण, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति और अनगारों से परिवृत्त हैं और लाखों स्तुतियों के घर हैं। ऋषभादि महावीरांत मंगलमय महापुरुषों को मैं नित्यकाल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ नमस्कार करता हूँ।

रयणत्तयरूवपरमप्पज्झाणलक्खणसमाहिभत्तीए च्चकालं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिनगुणसंपत्ति होउ मज्झं॥ [6]

अर्थात्- रत्नत्रय के प्ररूपक परमात्मा के ध्यान रूप समाधि भक्ति द्वारा मैं नित्यकाल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।

अत: जिसके माध्यम से आज हम अपने तनावपूर्ण जीवन में शान्ति तथा अतीन्द्रिय सुख का संचार कर सकते हैं, वह भक्ति ही है। आज मानव जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और प्रतिदिन सुख की चाह में भटकता रहता है, ये भक्तियाँ ऐसे भटके हुए मानव जीवन को दिशा बोध दिलाने में सहायक बन पड़ती हैं। शांति भक्ति, निर्वाण भक्ति और समाधि भक्ति इन तीनों के विषयों के आधार पर व्यक्ति का तनावपूर्ण जीवन समाप्त हो सकता है, यदि वह उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे।

समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, मान्यताएँ, प्रचलित रहती हैं, जिनके आलोक में इन भक्तियों को यदि जीवन से जोड़ा जाए तो निश्चित ही तनाव का प्रतिशत एवं स्तर घट सकता है और इसे भक्ति का ही परिणाम कहा जा सकता हैं।

आगम श्रुत का संरक्षण :

जैन परम्परा में आगम शास्त्रों को 'श्रुत-पुरुष' की संज्ञा दी गई है। भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट सिद्धांतों को श्रुत के रूप में सुरक्षित एवं संरक्षित किया गया है। सभी परम्पराओं में श्रुत का स्थान सर्वोपरि स्वीकार है। श्रुतभक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें द्वादशांग का नामोल्लेख और 14 पूर्वों के विवेचन दिए गए हैं। इन सभी आगम ग्रंथों के उल्लेख के

माध्यम से हम अपने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षण कर पाते हैं। दस भक्तियों में अंकित इन आगमों के नामोल्लेख के साथ ये भक्तियाँ महावीर द्वारा बताए गए उपदेशों से भरे पड़े हैं जिनका उपयोग मानव समाज अपने जीवन में करता ही है और साथ ही अपनी साधना के बल पर जीवन को उत्कृष्ट तथा संयमित बना पाता है।

आयारं सुद्दयणं, ठाणं समवाय वियाहपण्णत्ती।
णादा-धम्मकहाओ, उवासयाणं च अज्झयणं॥
वंदे अंतयडदसं, अणुत्तरदसं च पण्हवायरणं।
एयारसमं च तहा, विवायसुत्तं णमंसामि॥
परियम्मसुत्तपढयाणुओगपुव्वगयचूलिया चेव।
पवरवरदिट्ठिवाद, तं पंचविहं पणिवंदामि॥
उप्पायपुव्वभग्गायणीय वीरियत्थि-णत्थि य पवादं।
णाणासच्चपवादं, आदा-कम्मपवादं च।।
पच्चक्खाणं विज्जाणुवादकल्लाणणामवरपुव्वं।
पाणावायं किरियाविसालमध लोयविंदुसारसुदं॥[7]

अर्थात्- सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंत:कृद्दशा, अनुत्तरोपपाददशा, प्रश्नव्याकरण तथा ग्यारहवें विपाकसूत्र अंग को नमस्कार करता हूँ।

परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका ये पाँच दृष्टिवाद अंग के भेद हैं। मैं उक्त पाँच प्रकार के उत्कृष्ट दृष्टिवाद अंग को नमस्कार करता हूँ।

उत्पादपूर्व, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणनामपूर्व, प्राणवाद, क्रियाविशाल और लोकबिंदुसार ये चौदह पूर्व हैं।

यह दृष्टि आगम संरक्षण को बढ़ावा देती है और अपने जीवन में अहिंसक उपदेशों को पालने का सु-अवसर भी प्राप्त कराती है।

चारित्र निर्माण की उपयोगिता :

समाज में चारित्रिक बल को उत्कृष्ट माना गया है यह आवश्यक है कि पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन विकास के लिए चारित्र की पालना आवश्यक है। 'आचार्य कुन्दकुन्द' के 'दस भक्ति' नामक ग्रंथ में अणुव्रत, महाव्रत, अहिंसा, संयम जैसे सिद्धांतों का पालन

यदि किया जाए तो चारित्र भक्ति में पाँच प्रकार के चारित्र का उल्लेख मिलता है उसमें सामायिक चारित्र एक ऐसी प्रविधि है जो ऊहापोह से मुक्ति दिलाती है। जैन परम्परा में समस्त जीवों को धर्मोपदेश की आवश्यकता होती ही है और समस्त जीवों के आंतरिक स्तर पर संयम को पालने का जो क्रम है वह चारित्र भक्ति के अंतर्गत दिया हुआ है। इसीलिए राग और द्वेष से रहित और मोह के विकार से मुक्त मूलगुणों की आराधना समस्त प्रकार के संयम को जोड़ने में सहायक बनती है। अत: यह कहना उचित है कि इन भक्तियों के स्वाध्याय और इनका चिंतन करने से चारित्र निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है और यथासंभव इसका पालन समाज में देखा जा सकता है।

सामाइयं तु चारित्तं, छेदोवट्ठावणं तहा
तं परिहारविसुद्धिं च, संजमं सुहुमं पुणो
जहाखादं तु चारित्तं, तहाखादं तु तं पुणो[8]

अर्थात्- सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात यह पाँच प्रकार का चारित्र है। इनमें यथाख्यात को तथाख्यात भी कहते हैं।

1. **सामायिक संयम** :- सदा के लिए अथवा किसी निश्चित काल तक के लिए अभेदरूप से समस्त पापकार्यों का त्याग करना सामायिक नाम का चारित्र है।
2. **छेदोपस्थापना संयम** :- छेदोपस्थापना शब्द का समास दो प्रकार से होता है- 'छेदेन उपस्थापनं छेदोपस्थापनम्' और छेदे सति उपस्थापनं छेदोपस्थानम्'। प्रथम पक्ष में छेदोपस्थापना का अर्थ है छेद अर्थात् भेदपूर्वक पापकार्य का त्याग करना, जैसे मेरे हिंसा का त्याग है, असत्य का त्याग है आदि। और दूसरे पक्ष में अर्थ है कि गृहीत व्रत में छेद-दोष लगने पर पुन: प्रायश्चित्तविधि से उसे शुद्ध करना।
3. **परिहारविशुद्धि संयम** :- जो मनुष्य तीस वर्ष की अवस्था तक घर में सुख से रहकर समय व्यतीत करता है, अनन्तर दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पादमूल में रहकर आठ वर्ष तक प्रत्याख्यानपूर्वक अध्ययन करता है। उसके तपस्या के प्रभाव से ऐसी विशिष्ट ऋद्धि होती है कि जीवराशि पर चलने पर भी उसके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता। इस संयम के धारी मुनि आवश्यक क्रियाओं के करने के बाद प्रतिदिन दो कोश प्रमाण विहार करते हैं। चातुर्मास के समय विहार करने का नियम नहीं है। यह संयम छठवें और सातवें गुणस्थान में होता है।
4. **सूक्ष्म साम्पराय संयम** :- उपशमश्रेणी वाले मुनि के नवम गणस्थान के जब समस्त

स्थूल कषायों का उपशम हो जाता है तथा क्षपक श्रेणी वाले के समस्त स्थूल कषायों का क्षय हो चुका होता है तब वह दशम गुणस्थान में प्रवेश करता है। उस समय उसके संज्वलन सम्बन्धी सूक्ष्म लोभ का ही उदय शेष रह जाता है। उसी समय उसके सूक्ष्मसाम्पराय नाम का चारित्र प्रकट होता है। यह संयम सिर्फ दशम गुणस्थान में ही होता है।

5. यथाख्यात संयम :-

कषायों के सर्वथा अभाव होने से उत्पन्न हुई शुद्धि विशेष को यथाख्यात संयम कहते हैं। यह बारहवें आदि गुणस्थानों में होता है।

शांत सहभाव की महत्ता

मानव जीवन आकांक्षाओं एवं इच्छाओं के वशीभूत रहता है जिस कारण से उसका परिवार भी खंडित और अपूर्ण बन जाता है। 'आचार्य कुन्दकुन्द' 'योगिभक्ति' और 'चारित्र भक्ति' में ऐसे विषयों को स्पष्ट करते हैं जो पारिवारिक दृष्टि से शांत भाव को बढ़ावा देते हैं। 'योग' शब्द जोड़ने का भाव रखता है। योगि भक्ति में 'आचार्य कुन्दकुन्द' ने मुनियों की स्तुति करते हुए उस योग की चर्चा की जो व्यक्ति को जीवन में शांत होकर जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। चारों कषायों और इन्द्रियनिग्रह जैसे विषयों के माध्यम से जीवन को सरल व शांत रूप में बनाने का प्रयत्न इस भक्ति में किया गया है।

चउविहकसायमहणे, चउमइसंसारगमणभयभीए।
पंचासवपडिविरदे, पंचिदियणिज्जिदे वंदे॥[9]

अर्थात्- जो चार प्रकार की कषायों का मनन करने वाले हैं, जो चतुर्गतिरूप संसार के गमनरूप भय से भीत हैं, जो मिथ्यात्व आदि पाँच प्रकार के आस्रव से विरत हैं और पंच इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है ऐसे मुनियों की मैं वंदना करता हूँ।

'आचार्य कुन्दकुन्द' ने योगिभक्ति में विशिष्ट प्रकार की 'ऋद्धियों और लब्धियों का भी विवेचन किया, जिनके द्वारा व्यक्ति अपना शांत जीवन जीने के उपाय करता है। यद्यपि ये ऋद्धियाँ जीवन के ऐश्वर्य और भोग को प्रस्तुत करती हैं फिर भी इनके प्रतिफल रूप शांत सद्भाव की प्रवृत्ति प्राप्त होती है।

उग्गतवे दित्ततवे, तत्ततवे महातवे य घोरतवे।
वंदामि तवमहंते, तवसंजमइड्ढिसंजुत्ते।।[10]

अर्थात्- जो उग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, महातप और घोरतप को धारण करने वाले हैं, जो तप के कारण इंद्रादि के द्वारा पूजित हैं तथा जो तप, संयम और ऋद्धियों से सहित हैं उन मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ।

आमोसहिए खेलोसहिए जल्लोसहिए तवसिद्धे।

विप्पोसहिए सव्वोसहिए वंदामि तिविहेण॥[11]

अर्थात्- जो आमर्षौषधि, खेलौषधि, जल्लौषधि, विपुष औषधि और सर्वौषधि के धारक हैं तथा तप से प्रसिद्ध अथवा कृतकत्य हैं उन मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ।

अमयमहुखीरसप्पिसवीए अक्खीणमहाणसे वंदे।

मणबलि-वचबलि-कायबलिणो य वंदामि तिविहेण॥[12]

अर्थात्- अमृतस्रावी, मधुस्रावी, क्षीरस्रावी, सर्पि:स्रावि (घृतस्रावी) ऋद्धियों के धारक, अक्षीणमहानस ऋद्धि के धारक तथा मनोबल, वचनबल और कायबल ऋद्धि के धारक मुनियों को मैं तीन प्रकार से मन, वचन, काय से नमस्कार करता हूँ।

वरकुट्ठबीयबुद्धी, पदाणुसारी य भिण्णसोदारे।

उग्गहईहसमत्थे, सुत्तत्थविसारदे वंदे॥[13]

अर्थात्- उत्कृष्ट कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, पदानुसारी और संभिन्नश्रोतृत्व ऋद्धि के धारक, अवग्रह और ईहा ज्ञान में समर्थ तथा सूत्र के अर्थ में निपुण मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यावहारिक जीवन में भक्ति बहुत उपयोगी है क्योंकि इनका उपयोग यदि व्यक्ति करता है तो उनका जीवन अध्यात्म से युक्त होकर उत्कृष्ट पद को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। ये दस भक्तियाँ धर्म प्रभावना की ज्योति से आप्लावित (युक्त) हैं इसलिए समसामयिक जीवन में इन दस-भक्तियों की महती आवश्यकता प्रतीत होती है।

निष्कर्ष–

'आचार्य कुन्दकुन्द' जैन परम्परा के एक ऐसे आचार्य हैं, जिन्होंने जैन साहित्य की परम्परा को संवर्धित किया है। इतना ही नहीं के अध्यात्म और दर्शन परक चिंतन को गहराई से विवेचित किया, जिसका परिणाम यह है कि हम आज जैनदर्शन के गंभीर विषयों को सहजता से प्राप्त कर पा रहे हैं। 'आचार्य कुन्दकुन्द' न केवल एक जैन धर्म के गुरु के रूप

में हैं बल्कि उन्होंने संसार और जीव के अंत:संबंध को उजागर करने में एक नई दृष्टि और चिंतन प्रस्तुत किया है। भेद-विज्ञान जैन दर्शन का एक नया चिंतन है। दृश्यमान जगत् में जीव के स्वरूप को आधार बनाकर संसार के साथ अनंत-अनंत कल्प तक जो संबंध था उसे भेद-विज्ञान के द्वारा पृथक्-पृथक् जानकर यथार्थ सत्ता को स्वीकार कराया गया है। 'आचार्य कुन्दकुन्द' ने 'दसभक्ति' नामक संग्रह में अनेक ऐसे विषयों को उजागर किया जो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक विकास के लिए और समाज उत्थान के लिए अत्यावश्यक है। उन्होंने दसभक्तियों को सैद्धान्तिक रूप में विवेचित किया जिसे आज के संदर्भ में भी स्वीकार किया जा रहा है। अरहंत आदि भक्तियों में उनके स्वरूप के साथ-साथ दर्शन और आचार के विभिन्न बिन्दुओं को भी स्पष्ट किया गया है। कुछ भक्तियाँ जीवन निर्माण के और दैनिक जीवन के साधना पक्ष को उद्घाटित करती है। 'आचार्य कुन्दकुन्द' की इन भक्तियों में इष्ट के गुणों के प्रति अनुराग रखना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जीवन में शांति, योग, आलोचना और समाधि जैसे सिद्धांत वर्णित हैं।

सन्दर्भः–

1. तीर्थंकर भक्ति, गाथा-1, पृ. 365
2. सिद्धभक्ति, अंचलिका, पृ. 369
3. पंचगुरुभक्ति, गाथा-2, पृ. 388
4. निर्वाण भक्ति, गाथा-2, पृ. 381
5. भांति भक्ति अंचलिका, पृ. 386
6. समाधि भक्ति अंचलिका, पृ. 387
7. श्रुत भक्ति, गाथा-2-6, पृ. 370
8. चारित्र भक्ति, गाथा-3, पृ. 372
9. यागिभक्ति, गाथा-4, पृ. 374
10. योगिभक्ति, ऋद्धि गाथा-15, पृ. 376
11. योगिभक्ति, ऋद्धि गाथा-16, पृ. 376
12. योगिभक्ति, ऋद्धि गाथा-17, पृ. 377
13. योगिभक्ति, ऋद्धि गाथा-18, पृ. 377

संस्कृत काव्यशास्त्रों में प्राकृत गाथाओं की प्रासंगिकता

डॉ.राकेश कुमार जैन, जयपुर

संस्कृत काव्यशास्त्र का स्वरूप एवं महत्त्व-

काव्यसौन्दर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम 'काव्यशास्त्र' है। अथवा वह शास्त्र जिसमें काव्य के स्वरूप, भेद, रस, दोष, गुण, रीति और अलंकारों का निरूपण किया जाता है उसे 'काव्यशास्त्र' कहते हैं। काव्यस्य शास्त्रम् इति काव्यशास्त्रम् षष्ठितत्पुरुषसमास से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। 'शास्त्र' शब्द की व्यत्पुत्ति दो प्रकार से हो सकती है - 'शंसनात् शास्त्रम्' और 'शासनात् शास्त्रम्'। प्रथम व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'किसी गूढ तत्त्व का 'शंसन' अर्थात् प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ को 'शास्त्र' कहते हैं। यहाँ काव्य के रसादि गूढ तत्त्वों का विवेचन किया जा रहा है अत: काव्य के इस ग्रन्थ को 'काव्यशास्त्र' कहा जाता है। वैसे भी काव्य के विविध प्रयोजनों में रसादि की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन भी है। जैसे कि कहा है- **सद्य: परनिर्वृतये** इत्यादि। दूसरी व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'शासनात् शास्त्रम्'। शासनात्- शासन करने वाले अर्थात् प्रवृत्ति निवृत्ति का उपदेश देने वाले ग्रन्थ को शास्त्र कहते हैं। काव्य में कौनसा रसादि हो जिससे पाठक या सामाजिक समग्र रसास्वादन कर सके। तथा रसास्वादन में बाधक दोषों को जानना जिससे उनसे बचा जा सके ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण होने से भी अलङ्कारशास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है।

जैसे भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरणशास्त्र की आवश्यकता होती है वैसे ही काव्य में निपुणता प्राप्त करने के लिये अलंकारशास्त्र की आवश्यकता होती है। वैदिक और लौकिक ग्रन्थों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलंकारशास्त्र का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। राजशेखर ने तो इसे वेद का अंग ही मान लिया है।

संस्कृत काव्यशास्त्र में प्राकृत गाथाओं का उपयोग

काव्यशास्त्र के कितने ही प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान हैं जिनमें भरत, भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट, आनन्दवर्धन, कुन्तक, अभिनवगुप्त, वाग्भट्ट, रुय्यक, भोजराज, मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज जगन्नाथ के नाम मुख्य हैं। काव्यशास्त्र के इन उद्भट विद्वानों ने संस्कृत काव्य तत्त्वों का एवं प्राकृत भाषा संबन्धी चर्चा करने के साथ-साथ ग्रन्थ में

प्रतिपादित विषय के उदाहरण स्वरूप प्राकृत के अनेक सरस पद्य उद्धृत किये हैं , जिससे पता लगता है इन विद्वानों के समक्ष प्राकृत साहित्य का अनुपम भण्डार था। इनमें से बहुत से पद्य गाथासप्तशती, सेतुबंध, गउडवहो, रत्नावलि, कर्पूरमंजरी आदि से उद्धृत हैं। 'अलंकारदर्पण' एक ऐसा काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है इसमें तो शब्दालंकार और अर्थालकारों के लक्षण भी प्राकृत भाषा में दिये गये हैं।

अब यहाँ कुछ ऐसे संस्कृत के काव्यशास्त्रों को बताया जायेगा जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है –

1. काव्यादर्श

अलङ्कारसम्प्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान् हुए हैं – आचार्य दण्डी। इन्होंने सातवीं शताब्दी में 'काव्यादर्श' नामक संस्कृत काव्यशास्त्र की रचना की है। जिसमें काव्य की शोभा बढाने वाले अलंकारों का अपने ग्रन्थ में वर्णन किया है। काव्यदर्श में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र के भेद से चार प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया है।[1] यहाँ सूक्तियों का सागर होने के कारण महाराष्ट्री को उत्कृष्ट प्राकृत माना है। शौरसेनी, गौडी, लाटी तथा अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाओं को प्राकृत तथा गोप, चाण्डाल और शकार आदि द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को अपभ्रंश कहा है।

2. काव्यालङ्कार

नवमी शताब्दी में आचार्य रुद्रट ने काव्यालङ्कार की रचना की है। जिसमें यद्यपि भाषा, रीति, रस और वृत्ति का सम्यक् रूप से वर्णन किया है लेकिन अलंकारों का विशद वर्णन करना इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इन्होंने भाषा के छह भेद बताये हैं – प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश।[2] उक्त छहों भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत-प्राकृत मिश्रित गाथाओं की रचना की है। इन गाथाओं के संस्कृत और प्राकृत में अलग-अलग अर्थ निकलते हैं।

3. ध्वन्यालोक

ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन ने नवमी शताब्दी में ध्वन्यालोक की रचना की है। जिसमें उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित किया। आनन्दवर्धन के समय से अलंकार ग्रन्थों में महाराष्ट्री प्राकृत के पद्य बहुलता से उद्धृत किये जाने लगे। ध्वन्यालोक और अभिनव गुप्त की टीका में प्राकृत की लगभग 46 गाथायें मिलती हैं।[3] नीति की एक उक्ति है –

होइ ण गुणाणुराओ खलाणं णवरं पसिद्धिसरणाणम्।
किर पह्लवइ ससिमणी चंदे ण पिआमुहे दिट्ठे।।[4]

प्रसिद्धि को प्राप्त दुष्टजनों के प्रति गुणानुराग उत्पन्न नहीं होता है। जैसे चन्द्रमणि चन्द्र को देखकर ही पसीजती है , प्रिया का मुख देखकर नहीं।

एक अन्य उक्ति भी है –

चन्दमऊएहिं णिसा णलिनी कमलेहिं कुसुमगुच्छेहिं लआ।
हंसेहिं सरहसोहा कव्वकहा सज्जणेहिं करइ गरुइ।।[5]

रात्रि चन्द्रमा की किरणों से, नलिनी कमलों से, लता पुष्प के गुच्छों से, शरद हंसो से और काव्यकथा सज्जनों से गुरुता को प्राप्त होती है।

4. दशरूपक

दसवीं शताब्दी में मालवा के परमारवंश के राजा मुंज के राजकवि धनंजय नें दशरूपक नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा। भरत के नाट्यशास्त्र पर आधारित इस ग्रन्थ में रूपक के नाटकादि दस भेदों का विवेचन है। इसके ऊपर धनंजय के छोटे भाई धनिक ने 'अवलोक' नाम की वृत्ति लिखी है। इस दशरूपक ग्रन्थ में प्राकृत के 26 पद्य उद्धृत हैं। जिसमें कुछ पद्य गाथासप्तशती, रत्नावली और कर्पूरमंजरी से लिये हैं, कुछ स्वतन्त्र हैं। धनिक के बनाये हुए पद्य भी यहाँ मिलते हैं। लज्जावती भार्या की प्रशंसा में लिखा यह पद्य द्रष्टव्य है –

लज्जापज्जत्तपसाहणाइं परतित्तिणिप्पिवासाइं।
अविणअदुम्मेहाइं धण्णाण घरे कलत्ताइं।।[6]

लज्जा जिसका यथेष्ट प्रसाधन है, पर-पुरुषों द्वारा तृप्ति में पिपासारहित और अविनय से अनभिज्ञ ऐसी कलत्र किसी भाग्यवान् के ही घर होती है।

वृत्तिकार धनिक द्वारा रचित एक गाथा देखिये –

तं चिअ वअणं ते च्चेअ लोअणे जोव्वणं पि तं च्चेअ।
अण्णा अणंगलच्छी अण्णं चिअ किं पि साहेइ।।[7]

वही वचन है, वही नेत्रों में मदमाता यौवन है, लेकिन कामदेव की शोभा कुछ निराली है और वह कुछ और ही बता रही है।

5. सरस्वतीकंठाभरण

ग्यारहवीं शताब्दी में मालव देश के कविराज भोजराज हुए हैं जिन्होंने शृङ्गारप्रकाश और सरस्वतीकंठाभरण नाम से दो काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखे हैं। शृङ्गारप्रकाश में शृङ्गार रस को सब

रसों में प्रधान रस स्वीकार किया है। सरस्वतीकंठाभरण में 331 प्राकृत पद्य हैं, जो कि अधिकांश गाथासप्तशती और रावणवहो में से लिये गये हैं तथा कुछ अन्य काव्यों से। कुछ सुभाषित उदाहरणार्थ यहाँ द्रष्टव्य हैं –

ण उण वर कोअण्डदण्डए पुत्ति ! माणुसे वि एमेअ।
गुणवज्जिऐण जाअइ वंसुप्पण्णे वि टंकारो।।[8]

हे पुत्रि धनुष के दण्ड में ही यह बात नहीं बल्कि मनुष्य के सम्बन्ध में भी यही बात है कि सुवंश (बाँस और अच्छा वंश) में उत्पन्न होने पर भी गुण (रस्सी और गुण) रहित होने पर उसमें टंकार नहीं होती।

धीर पुरुषों की महत्ता का वर्णन –

सच्चं गरुआ गिरिणो को भणइ जलासआ ण गंभीरा।
धीरेहिं उवमाउं तहवि हु मह णत्थि उच्छाहो।।[9]

यह सत्य है कि पर्वत महान् होते हैं और कौन कहता है कि तालाब गम्भीर नहीं होते। फिर भी धीर पुरुषों के साथ उनकी उपमा देने का मेरा उत्साह नहीं होता।

कौन सच्चा प्रेमी है और कौन स्वामी है –

दूणन्ति जे मुहुत्तं कुविआ दासव्विअ ते पसाअन्ति।
ते च्चिअ महिलाणं पिआ सेसा सामिच्चिअ वराआ।[10]

जो अल्पकाल के लिए भी कुपित अपनी प्रिया को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें दास की भाँति प्रसन्न करते हैं, वे ही सचमुच महिलाओं के प्रिय हैं , बाकी तो बेचारे स्वामी हैं।

6. अलङ्कारसर्वस्व

काश्मीर निवासी राजानक रुय्यक ने 12 वीं शताब्दी में 'अलङ्कारसर्वस्व' नामक काव्यशास्त्र की रचना की। संस्कृत के इस ग्रन्थ में अलंकारों का बडा पाण्डित्यपूर्ण वर्णन किया है। जयरथ ने इस पर विमर्शिनी नाम की व्याख्या लिखी है। अलंकारसर्वस्व में प्राकृत के लगभग 10 पद्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। दीपकालङ्कार का उदाहरण द्रष्टव्य है –

रेहइ मिहिरेण णहं रसेण कव्वं रसेण जोव्वण्णम्।
अमएण धुणीधवओ तुमए णरणाह भुवणमिणम्।।[11]

चन्द्रमा से आकाश, रस से काव्य, कामदेव से यौवन और अमृत से समुद्र शोभा को प्राप्त होता है। लेकिन हे नरनाथ ! तुम से तो यह समस्त भुवन शोभित हो रहा है।

आक्षेपालंकार का उदाहरण –

सुहअ ! विलम्बसु थोअं जाव इमं विरहकाअरं हिअअं।
संठाविऊण भणिस्सं अहवा बोलेसु किं भणिमो।।[12]

हे सुभग ! जरा ठहर जाओ। विरह से कातर इस हृदय को जरा संभाल कर फिर बात करूँगी। अथवा फिर चले जाओ, बात ही क्या करूँ ?

7. काव्यप्रकाश

संस्कृत काव्यशास्त्र का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यप्रकाश के प्रणेता काश्मीर निवासी आचार्य मम्मट हैं। बारहवीं शताब्दी में रचा गया यह ग्रन्थ काव्यतत्त्वों का समग्ररूप से वर्णन करने वाला एक अद्भूत ग्रन्थ है। इस काव्यप्रकाश में प्राकृत की 49 गाथाएँ उद्धृत हैं जिसको आचार्य मम्मट ने विविध काव्यों से ग्रहण किया है। एक भाषाश्लेष के उदाहरण में प्राकृत की गाथा दी गयी है जिसका अर्थ प्राकृत से भिन्न तथा संस्कृत से भिन्न अर्थ होता है, जैसे –

महदे सुरसन्धम्मे तमवसमासंगमागमाहरणे।
हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा।।[13]

प्राकृत भाषा में श्लोक का अर्थ –

(– मह देसु रसं धम्मे, तमवसं आसं गमागमा हरणे।
हरबहु सरणं तं चित्तमोहं अवसरउ मे सहसा)

हे हरवधु गौरि ! तुम्हीं एक मात्र शरण हो, धर्म में मेरी प्रीति उत्पन्न करो, आवागमन के निदान इस संसार में मेरी तामसी वृत्ति का नाश करो, और मेरे चित्त का मोह शीघ्र ही दूर करो।

संस्कृत भाषा में श्लोक का अर्थ –

(अन्वय–हे उमे ! महदे आगमाहरणे तं सुरसन्धं अव,
अवसरे (च) बहुसरणं चित्तमोहं सहसा हर)

हे उमे ! मेरे जीवन के महोत्सव रूप आगमविद्या के उपार्जन में देवों द्वारा भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोग की निरन्तर रक्षा करो, और समय–समय पर प्रसरणशील चित्तमोह को शीघ्र ही हटाओ।

प्रतीपालंकार का उदाहरण –

ए एहि दाव सुन्दरि ! कण्णं दाऊण सुणसु वअणिज्जम्।
तुज्झ मुहेण किसोअरि ! चन्दो उवमिज्जइ जणेण।।[14]

हे सुन्दरि इधर आ, कान लगाकर अपनी निन्दा को सुन। हे कृशोदरि ! अब लोग तेरे मुख की उपमा चन्द्रमा से देने लगे हैं।

8. काव्यानुशासन

आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश के आधार पर हेमचन्द्र, विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ मे अपनी अपनी रचनायें लिखीं। जिसमें सर्वप्रथम कलिकालसर्वज्ञ हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की रचना की। आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण पर शब्दानुशासन और छन्दशास्त्र पर छन्दोनुशासन लिखा, वैसे ही काव्य पर काव्यानुशासन लिखकर उसमें काव्यसमीक्षा की। हेमचन्द्र के काव्यानुशासन और उसकी स्वोपज्ञवृत्ति में शृङ्गार और नीति सम्बन्धित 78 प्राकृत के पद्य संग्रहीत हैं जो गाथासप्तशती, सेतुबन्ध, कर्पूरमंजरी, रत्नावली आदि से लिये गये हैं।

किसी नायिका की नाजुकता का वर्णन किया है –

सणियं वच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण ठवसु महिवट्ठे।
भज्जिहिसि वत्थ(ट्ट) यत्थणि विहिणा दुक्खेण निम्मविया।।[15]

हे किशोरि ! धीरे चल, फूँक फूँक कर अपने पैरों को पृथ्वी पर रख। हे गोलाकार स्तनवाली ! तू गिर जायेगी, विधि ने बडे कष्ट से तेरा सर्जन किया है।

युद्ध के लिये प्रस्थान करते हुए नायक की मनोदशा पर दृष्टिपात किया है–

एकत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतूरनिग्घोसो।
नेहेण रणरसेण य भडस्स दोलाइयं हिअअम्।।1[16]

एक ओर प्रिया रुदन कर रही है, दूसरी ओर रणभेरी बज रही है। स्नेह और युद्धरस के बीच भट का हृदय दोलायमान हो रहा है।

का विसमा दिव्वगई किं लट्ठं जं जणो गुणग्गाही।
किं सुक्खं सुकलत्तं किं दुग्गेज्झं खलो लोओ।।[17]

विषम क्या है ? दैवगति। सुन्दर क्या है ? गुणग्राही जन। सुख क्या है ? अच्छी स्त्री। दुर्ग्राह्य क्या है ? दुष्टजन ।

9. साहित्यदर्पण

चौदहवीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश की आलोचना के रूप में साहित्यदर्पण नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा। 10 परिच्छेद में सम्पूर्ण काव्यतत्वों को और नाट्य तत्त्वों को समाहित करने वाला यह एक अनूठा ग्रन्थ है। अठारह भाषाओं के ज्ञाता उत्कलीय विद्वान् आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण में प्राकृत के 24 पद्य उद्धृत किये हैं। इनमें अधिकांश गाथासप्तशती से लिये गये हैं, कुछ स्वयं लेखक के हैं, कुछ रत्नावली से तथा कुछ अज्ञात कवियों के हैं। निम्नलिखित पद्य यथा मम लिखकर उद्धृत किया है –

पन्थिअ ! पिआसिओ विअ लच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो।
ण मणं वि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअन्ताणं।।[18]

हे पथिक ! तू प्यासा मालूम होता है, तू अन्यत्र कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है। मेरे घर में गाढ रस का पान करने वालों को कोई रोक-टोक नहीं है।

किसी विरहिणी की दशा बताते हुए कहा है -

भिसणीअलसअणीए निहिअं सव्वं सुणिच्चलं अंगं।
दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइ जीअइ त्ति परं।।[19]

कमलनीदल के शयनीय पर जिस नायिका का सर्वांग निश्चल रूप से स्थापित कर दिया गया है (जिससे नायिका मृतक की भाँति जान पडने लगी) उनके दीर्घ निश्वास की बहुलता से ही उसके जीवित होने का भान होता है।

10. रसगंगाधर

संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में पण्डितराज जगन्नाथ का नाम अत्यन्त सम्मान से लिया जाता है। प्राचीन और अर्वाचीन काव्यशास्त्रीय विद्वानों की बीच की कडी थे पण्डितराज जी। वैसे तो दशाधिक रचनाएँ हैं लेकिन काव्यशास्त्रीय एक मात्र कृति रसगंगाधर है। न्यायशैली मं रचा यह ग्रन्थ विद्वज्जगत् में अत्यन्त आदरास्पद है। चुंकि इसमें प्रायः सभी पद्य पण्डितराज द्वारा संस्कृत में ही रचे गये हैं फिर भी कुछ प्राकृत भाषा के उदाहरण भी द्रष्टव्य है -

ढुंढुंणन्तो हि मरीहिसि कंटककलिआइं केअइवणाइं।
मालइ कुसुमसरिच्छं भमर ! भयन्तो न पाविहिसि।।[20]

हे भ्रमर ! तू ढूँढते-ढूँढते मर जायेगा, केतकी के वन काँटो से भरे हैं। मालती के पुष्पों के समान इन्हें तू कभी भी न पा सकेगा।

संस्कृत काव्यशास्त्र में प्राकृत गाथाओं की प्रासंगिकता

संस्कृत काव्यशास्त्रों में प्राकृत गाथाओं की प्रासंगिकता तो इसी से सिद्ध हो जाती है कि कई काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने प्राकृत की गाथाओं को अपने उदाहरणों में उद्धृत किया है। जैसे कोई बहुत बडा वक्ता अपने वक्तव्य के बीच में वहाँ की प्रादेशिक भाषा में कुछ बोल देता है तो वह बहुत मधुर लगता है और आत्मीयता बढाने वाला वक्तव्य माना जाता है ठीक उसी तरह काव्यशास्त्र का उपदेष्टा समग्र उपदेश संस्कृत में दे रहें हैं और उदाहरण की बात को बडी ही मधुरता के साथ आम जनता की भाषा प्राकृत भाषा में कह कर काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों को अत्यन्त सुन्दरता के साथ परोसते हैं तो यह अत्यन्त मधुर लगता है।

व्यङ्यार्थ प्रगट करने वाली भाषा –

काव्यशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान् आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीयोल्लास में ''**सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते**'' कह कर वाच्य लक्ष्य और व्यङ्य तीनो अर्थों की व्यञ्जकता के तीनों उदाहरण प्राकृत की गाथाओं में प्रस्तुत किये हैं। वाच्य की व्यञ्जकता जैसे–

माए घरोवअरणं अज्ज हु णत्थित्ति साहिअं तुमए।
ता भण किं करणिज्जं एमेअ ण वासरो ठाइ।।[21]

हे मातः आज घर की (आटा दाल) सामग्री नहीं है (खत्म हो गयी है) ऐसा तुमने बतला ही दिया है। तो अब बताओ कि क्या करना चाहिये , क्योंकि दिन ऐसा ही तो नहीं बना रहेगा। (थोडी देर में दिन छिप जायेगा फिर क्या होगा।) यहाँ कहने वाली वधू स्वच्छ विचरण के लिए अर्थात् उपपति के पास जाना चाहती है यह बात व्यङ्य है।

इसी प्रकार लक्ष्य की व्यञ्जकता का उदाहरण –

साहेन्ती सहि सुहअं खणे खणे दूम्मिआसि मज्झकए।
सब्भावणेहकरणिज्जसरिसअं दाव विरइअं तुमए।।[22]

हे सखि, उस सुन्दर व्यक्ति के पास बार–बार जाकर मेरे लिए तुमने बडा कष्ट उठाया है। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। (मेरे प्रति) अपनी सद्भावना और स्नेह के सदृश जो तुमको करना चाहिये था सो तुमने कर लिया। यहाँ मेरे प्रिय के साथ रमण करके तूने मेरे साथ शत्रुता निबाही है, यह लक्ष्यार्थ है और उससे कामुक विषयक सापराधत्व का प्रकाशन व्यङ्य है।

व्यङ्य की व्यञ्जकता का उदाहरण भी द्रष्टव्य है –

उअ णिच्चलणिप्पंदा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाहा।
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ संखसुत्ति व्व।।[23]

देखो, कमल के पत्ते पर निश्चल और बिना हिले डुले बैठी हुई बलाका निर्मल हरे रंग की मरकत मणि की तश्तरी में रखी हुई शङ्ख–शुक्ति की तरह विदित होती है। यहाँ बलाका के निश्चल होने से उसकी निडरता आश्वस्तता लक्षणा से सूचित होती है।और उस आश्वस्ततारूप लक्ष्यार्थ से स्थान का जनरहित होना व्यञ्जना से सूचित होता है। इसलिये यह संकेत स्थान है यह बात पहले व्यङ्यार्थ से फिर व्यञ्जना द्वारा कोई नायिका किसी से कह रही है। अथवा झूठ बोलते हो तुम यहाँ आये ही नहीं अन्यथा यह बलाका ऐसी निश्चल–निष्पन्द नहीं रह सकती थी। यह पहले व्यङ्यार्थ से व्यञ्जना द्वारा सूचित होता है।

पात्रानुकूल भाषा का विधान

काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य एवं नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के

सत्रहवें अध्याय के अन्तर्गत अभिनय में पात्रों के अनुकूल भाषा का विधान किया है। उन्होंने नाट्यशास्त्र में[24] धीरोदात्त और धीरप्रशान्त नायक, राजपत्नी, गणिका और श्रोत्रिय ब्राह्मण आदि के लिए संस्कृत भाषा बोलने का निर्देश दिया है तथा श्रमण, तपस्वी, भिक्षु, चक्रधर, भागवत, तापस,उन्मत्त, बाल, नीचग्रहों से पीडित व्यक्ति, स्त्री, नीच जाति और नपुंसकों के लिए प्राकृत बोलने का नर्देश दिया है। भिन्न भिन्न पात्रों के लिये भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाएँ बोलने का भी निर्देश किया है। जैसे नायिका और उसकी सखियों द्वारा शौरसेनी, विदूषक आदि के द्वारा प्राच्या, धूर्तों द्वारा आवन्तिजा, चेट, राजपुत्र और श्रेष्ठियों द्वारा अर्धमागधी, राजा के अन्तःपुर में रहने वालों, सुरंग खोदने वालों, सेंध लगाने वालों, अश्वरक्षकों और आपत्तिग्रस्त नायकों द्वारा मागधी, योद्धा, नगर रक्षक आदि और जुआरिओं द्वारा दाक्षिणात्या तथा उदीच्य और खसों द्वारा बाह्लीक भाषा बोली जाती थी।[25] विभाषाओं में शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, शाबरी, द्राविडी और आन्ध्री के नाम गिनाये हैं। इनमें पुल्कस द्वारा चाण्डाली, अङ्गारकारक, व्याध, काष्ठ और यन्त्र से आजीविका चलाने वालों द्वारा शाबरी, गज,अश्व, अजा, उष्ट्र, आदि की शालाओं में रहने वालों द्वारा आभीरी, तथा वनचरों द्वारा द्राविडी भाषा बोली जाती थी।[26] संस्कृत नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए भिन्न भिन्न पात्रों के मुख से उन्हीं की बोलियों में बातचीत कराना आवश्यक भी था। नाटक में यथार्थता तभी आती है जब अनुकर्ता अनुकार्य का न केवल वेषभूषादि का अनुकरण करे बल्कि भाषा का भी अनुकरण करे। इससे अभिनय उत्तम होता है।

संस्कृत नाटकों में प्राकृत होने से काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्रों मे प्राकृत होना अनिवार्य –

प्राकृत भाषाओं का प्रथम नाटकीय प्रयोग संस्कृत नाटकों में उपलब्ध होता है। अश्वघोष (ई.स. प्रथमशताब्दी) के नाटकों में सर्वप्रथम प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इनके शारिपुत्रप्रकरण तथा अन्य दो अधूरे नाटकों में प्राकृत भाषा में संवाद हैं। महाकवि भास के तेरह नाटकों में से बारह नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। दूतवाक्य नाटक में स्त्री पात्र की तरह प्राकृत भाषा का भी अभाव है। महाकवि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम् में तो 32 में से 26 पात्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं। मात्र छह पात्र संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। महाकवि कालिदास के तीनों नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में गद्य के लिए प्रायः शौरसेनी और पद्य के लिये प्रायः महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग मिलता है। जैसे शकुन्तला द्वारा गाया गया यह पद्य –

तुज्झ ण जाणो हिअअं मम उण कामो दिवापि रत्तिम्मि।
णिग्घिण तवइ बलीअं तुइ वुत्तमणोरहाइ अंगाइं।।[27]

मैं तेरे हृदय को नहीं जानती। लेकिन यह निर्दय प्रेम, जिनके मनोरथ तुममें केन्द्रित हैं ऐसे मेरे अंगों को दिन और रात कष्ट देता है।

कालिदास की प्राकृत रचनायें समासांत पदावलि से युक्त हैं जिन पर संस्कृत शैली का प्रभाव है। कान्यकुब्ज नरेश श्री हर्ष ने(ई.स.600 से 648) प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागान्द में प्राकृत भाषाओं का प्रचुर प्रयोग हुआ है। यद्यपि कवि भवभूति (सातवीं शती) के महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तररामचरित नाटकों में संस्कृत का प्राधान्य पाया जाता है लेकिन शौरसेनी प्राकृत भाषा का भी यथावसर प्रयोग किया है। कवि विशाखदत्त(नवमी शताब्दी)के मुद्राराक्षस में भी संस्कृत की बहुलता है लेकिन शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी प्राकृत का प्रयोग भी यहाँ द्रष्टव्य है। भट्टनारायण के वेणीसंहार(आठवीं शताब्दी) में संस्कृत और प्राकृतों में कोई विशिष्ट रूप देखने में नहीं आते। यहाँ शौरसेनी की ही प्रधानता है। तीसरे अंक के आरंभ में राक्षस और उसकी पत्नी मागधी में बातचीत करते हैं। कवि सोमदेव द्वारा रचित ललितविग्रहराज 12 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना है। इस नाटक में महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी का प्रयोग हुआ है। कवि महादेव द्वारा सत्रहवीं शताब्दी में रचित अद्भुतदर्पण संस्कृत का नाटक हैं जिसमें 10 अंक हैं। सीता, सरमा और त्रिजटा आदि स्त्री-पात्र तथा विदूषक और महोदर आदि प्राकृत में बातचीत करते हैं। अठारहवीं शताब्दी में मलयालम के सुप्रसिद्ध लेखक रामपाणिवाद ने संस्कृत में लीलावती नामक वीथि लिखी है। जिसमें प्राकृत का प्रयोग किया है।

इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत के अनेक नाटकों में प्राकृत भाषा का बडा सुन्दर प्रयोग मिलता है। जब इन नाटकों का नाट्यशास्त्रीय विवेचन अथवा काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायेगा तो प्राकृत भाषा का स्पर्श तो अत्यावश्यक है। बिना प्राकृत प्रयोग के अथवा प्राकृत उदाहरणों के इनका विवेचन बन ही नहीं पायेगा।

यथार्थ भावों की प्रस्तुति के लिए प्राकृत अत्यावश्यक

काव्य वह होता है जो रसास्वादन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक, आदि परिस्थितियों से भी परिचय कराता है। जनमानस की भावनाओं को समझकर पाठक और दर्शक तक उसकी अनुभूति कराता है। चुंकि जन सामान्य बहुभाषी होता है अत: उसके अन्त:करण को समझने और मञ्च पर उसका अभिनय करने के लिये तथा यथार्थ भावों को आत्मसात् करने के लिये काव्यों में प्राकृत आदि भाषाओं का प्रयोग कवि के लिए अनिवार्य हो जाता है। जब काव्य में इसकी आवश्यकता है तो फिर काव्यशास्त्र में इसकी आवश्यकता स्वत: सिद्ध हो जाती है।

संस्कृत काव्यशास्त्र की समग्रता अन्य सहयोगी भाषाओं को साथ में लेने से है

संस्कृत वाङ्मय की समृद्ध परम्परा इस बात की साक्षी है कि संस्कृत में लिखे गये काव्य समय समय पर जनमानस को अनुरंजित करते रहे हैं। संस्कृत की इस लोकप्रियता में अथवा समग्रता में अन्य सहयोगी भाषाओं का भी कहीं न कहीं सहयोग रहा है। यही कारण है कि न जाने कितने ही अन्यभाषी ग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद हुआ है या फिर संस्कृत के ग्रन्थो का अन्यभाषाओं में अनुवाद हुआ है। जहाँ तक प्राकृत पाली भाषा की बात है इनका तो संस्कृत भाषा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अत: इनके साहित्य में एक दूसरे का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। जहाँ प्राकृत व्याकरण के ग्रन्थ पाणिनि अष्टाध्यायी की तर्ज पर लिखे गये वहीं काव्यशास्त्रों में सुमधुर एवं ध्वनि के उत्कृष्ट उदाहरण के लिए प्राकृत साहित्य का सहारा लेना पडा। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि संस्कृत की समग्रता में प्राकृत अथवा प्राकृत की समग्रता में संस्कृत अत्यन्त उपयोगी रही हैं।

उपसंहार

प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में कौनसी पूर्वकालिक है और कौनसी परकालिक है यह कहना तो सम्भव नहीं है लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि दोनो भाषा समकालीन जरूर थी। जहाँ उच्चवर्गीय एवं शिक्षित समाज संस्कृत भाषा का उपयोग करता था वहीं निम्नवर्गीय समाज एवं स्त्रियों आदि के द्वारा प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता था। यही कारण रहा कि जब जब भी भारतीय वाङ्मय मे संस्कृत भाषा में काव्य अथवा काव्यशास्त्र लिखे गये साथ ही प्राकृत भाषा का भी उपयोग भी किया जाता रहा। अत: आज यह कहना उपयुक्त होगा कि संस्कृत काव्यशास्त्र में प्राकृत का प्रयोग पूर्णत: प्रासंगिक था है और रहेगा। बिना प्राकृत प्रयोग के संस्कृत काव्यशास्त्र पंगु हैं, रसहीन हैं तथा अधूरे हैं।

सन्दर्भ –

1. काव्यादर्श 1.32
2. पं.दुर्गादास द्वरा सम्पादित, निर्णसागर, बम्बई
3. पट्टाभिरामशास्त्री द्वारा सम्पादित, चौखंबा संस्कृत सीरिज, बनारस
4. अभिनवभारती टीका –1.13
5. अभिनवभारती टीका 2.50
6. अवलोक टीका 2.15
7. अवलोक टीका – 2.33
8. सरस्वतीकण्ठाभरण, परिच्छेद 3

9. सरस्वतीकण्ठाभरण, परिच्छेद -4
10. सरस्वतीकण्ठाभरण, परिच्छेद - 5
11. अलंकारसर्वस्व दीपकनिरूपण, पृ.74
12. अलंकारसर्वस्व आक्षेपनिरूपण, पृ.140
13. काव्यप्रकाश- 9.372
14. काव्यप्रकाश - 10.554
15. काव्यानुशासन-1.19.21
16. काव्यानुशासन 3.2 टीका 187
17. काव्यानुशासन - 6.29.650
18. साहित्यदर्पण - 3.128
19. साहित्यदर्पण 3.192
20. रसगंगाधर - पृ.165
21. काव्यप्रकाश उदाहरण- 6
22. काव्यप्रकाश उदाहरण- 7
23. काव्यप्रकाश उदाहरण- 8
24. नाट्यशास्त्र 17.31.43
25. नाट्यशास्त्र 17.50-2
26. नाट्यशास्त्र 17.52-6
27. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 3 अंक

वसुदेवहिण्डी में निहित व्यावहारिक पक्षों की प्रासंगिकता

डॉ. आनन्द कुमार जैन
(राष्ट्रपति सम्मानित)

आचार्य संघदासगणिजी की सुप्रसिद्ध रचना वसुदेवहिण्डी अनेक कथाओं-अन्तरकथाओं का संग्रह है जिसमें स्वयं आचार्य संघदासगणी ने अपने से बहुत पूर्ववर्ती समय की कथा का विवेचन किया है। यद्यपि यह कथा उन्हें परम्परा से प्राप्त हुई है अतएव कथा की प्रामाणिकता उसी आधार पर स्वीकार है।

जैनाचार्यों की विशेषता रही है कि वे जैन धर्म के सिद्धान्तों को क्षेत्र और काल की सीमा में सँवारते हुए सर्वग्राह्य रूप से समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ''सर्वग्राह्य'' शब्द व्यावहारिकता का प्रतिफल है और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता यहाँ विचारणीय है।

सर्वप्रथम यह ग्रन्थ मूलग्रन्थ न होकर गुणाढ्यकृत पैशाची भाषा में निबद्ध 'बृहत्कथा' का रूपान्तर है।[1] यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब एक ग्रन्थ उपलब्ध है तब पुनः उसी विषय को पुनर्स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? यद्यपि डॉ. ऑल्सजोर्फ की मान्यता है कि वसुदेवहिण्डी में अनेक परिवर्तन हैं किन्तु उसका मूल स्रोत 'बृहत्कथा' ही है।[2] बृहत्कथा की छाप उत्तरकालीन बुधस्वामीकृत बृहत्कथाश्लोकसंग्रह, सोमदेवभट्टकृत 'कथासरित्सागर' क्षेमेन्द्रकृत 'बृहत्कथामञ्जरी' पर रही है। आ. सोमदेव ने बृहत्कथा को कथाओं का अमृत गृह तक कह दिया है। यह सुदीर्घ परम्परा स्वयं इन कथाओं की व्यावहारिकता को सिद्ध करती है। जनमानस के चित्तपटल पर वे अंश ही अंकित रह जाते हैं जो रुचिकर हों।

यह कहना आवश्यक है कि बृहत्कथा का विषय शृंगार प्रधान था किन्तु उसी आधार से रची गई वसुदेवहिण्डी रचना धर्मकथा और लोककथा के रूप में गुम्फित हो शृंगार प्रधान होकर भी सर्वग्राह्य हो गई। उपर्युक्त समस्त कथाग्रन्थ कश्मीर से लेकर नेपाल तक प्रतिष्ठित रहे। ये कथायें उस समय की जीवनियाँ हैं जिनसे प्रेरित होकर श्रोता अपने कष्टों को भूलकर पुनः श्रम करता था और सफलता प्राप्त करता था। जिस प्रकार आज के प्रसिद्ध लोगों की

जीवनी पढ़कर आज के युवा जोश से भर जाते हैं उसी प्रकार उस समय की जनता इन कथाओं से प्रेरणा ग्रहण करती थी।

इतिहास आज गर्त में पड़ा है, यदि इसे आधुनिक रूप से समाज के सामने प्रस्तुत किया जाय है तो हजारों लोग प्रेरित होकर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं।

भारतीय साहित्य में अनेक कथायें हैं किन्तु मुक्ति की अवधारणा को केन्द्र में रखने वाली संस्कृति कथाओं के अन्त की सार्थकता धर्ममय स्वीकारती है। मुक्ति की इस अवधारणा की आज क्या आवश्यकता है? उचित रीति से इस अवधारणा के अनुरूप पालन करने वाले शान्त स्वभावी लोग एक सुदृढ़ समाज की संरचना करते हैं। परस्पर में हित चिन्तक स्व-पर कल्याण की भावना रखते हैं, जो स्वस्थ समाज का परिचायक है।

जैसा मुखिया होता है वैसा ही संघ होता है। बृहत्कथा में कथानायक नरवाहनदत्त आमोद-प्रमोद में मग्न होकर सम्पूर्ण कथा को श्रृंगार की ओर ले जाता है जबकि वसुदेवहिण्डी में श्रृंगार के साथ-साथ धर्म और लौकिक पक्षों का भी समावेश किया गया है।

वसुदेवहिण्डी के प्रारम्भ में ही लिखा है 'तत्थ रायगिहे नयरे सेणिओ नाम राया, 'पयासुहे सुहं' ति ववसिओ[3] अर्थात् उस राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का राजा था। वह प्रजासुख में ही अपना सुख मानता था। आज भी ऐसे शासकों की अपेक्षा समाज को है अन्यथा दु:शासक समाज में विष वपन का कार्य करते हैं। 'पयासुहे सुहं' यह शब्द आज किसी भी शासक का ध्येय वाक्य बन सकता है।

ग्रन्थ में आगे जम्बु-प्रभव संवाद का उल्लेख है[4] जहाँ सर्वसुख सम्पन्न जम्बु (जम्बुस्वामी) वैराग्य की ओर अग्रसर हैं वहीं प्रभव पापकार्य में लिप्त हैं किन्तु दोनों का संवाद अन्त में बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाता है। आज भी इस तथ्य की प्रासंगिकता है कि जहाँ तक हो विवाद का समाधान संवाद से किया जाय। युद्ध के पूर्व या पश्चात् जो सन्धि होती है वह भी संवाद ही है।

भगवान् महावीर ने अपने विरोधियों को संवाद से अनुकूल बनाया। भगवान् बुद्ध के अनमोल वचनों से प्रभावित हो अङ्गुलिमाल ने आत्म कल्याण के पथ को चुना। आज भी बुद्धिजीवियों के समझाये जाने पर कट्टर आतंकवादी देशद्रोह आदि के मार्ग को त्यक्त कर साधारण जीवन की राह को चुनते हैं। किसी भी युग में पाप या पुण्य की मशाल को प्रज्वलित करनेवाला व्यक्ति अपने विचारों से पाप या पुण्य की ओर जनसमूह को प्रवाहित कर देता है। भरत एवं बाहुबलि के युद्ध से पूर्व दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने आपसी

विचार-विमर्श के पश्चात् सेनाओं को युद्ध विराम के लिए निर्णय दिया। ये संवाद लाखों सैनिकों, युद्ध में प्रयुक्त पशुओं के जीवन रक्षण का कारण बना। वही भरत और बाहुबलि के मध्य संवाद की कमी युद्ध का कारण बनी। यद्यपि युद्ध के अन्तिम पड़ाव में बाहुबलि का आत्म-संवाद ही उस युद्ध की समाप्ति का हेतु सिद्ध हुआ। वसुदेवहिण्डी या इसी विधा के अन्य अनेक ग्रन्थों में इस संवाद को ही प्रथम स्थान दिया गया है।

अगडदत्त की कथा

वसुदेवहिण्डी के अन्तर्गत उल्लिखित अगडदत्त के कथानक में एक रुचिकर प्रसंग आया है[5] जहाँ धम्मिल्ल नामक व्यक्ति आत्महत्या के लिए उद्यत दिखता है और इसके लिए धम्मिल्ल आस-पास के क्षेत्र में कुछ खोजने लगता है किन्तु तभी उसका ध्यान वहाँ उपस्थित एक साधु पर जाता है और उनके प्रति सहज आकर्षण से वह उनके समीप पहुँच जाता है। साधु ने धम्मिल्ल को सम्बोधित किया। चूँकि साधु निमित्तशास्त्र के ज्ञाता थे अतएव उन्होंने (साधु ने) धम्मिल्ल के आत्महत्या के मनोभावों को समझ कर उसे इस दुष्कृत्य से बचने के लिए प्रेरित किया। साधु मुख से अपनी इच्छा को उद्घाटित जान कर धम्मिल्ल ने कहा जिसने स्वयं दुःख का अनुभव नहीं किया उससे व्यथा कहने से क्या लाभ होगा? इस पर साधु ने कहा कि मैंने भी दुःख का अनुभव किया है, मैं दुःख दूर करने में समर्थ हूँ, किन्तु अन्य के दुःख से दुःखी होना मेरा स्वभाव है अतः तुम अपना दुःख मुझसे कह सकते हो। धम्मिल्ल पुनः पूछता है कि क्या आपने मुझसे भी ज्यादा कष्ट का अनुभव किया है तो साधु ने इसे भी स्वीकारा। वह समस्त ओर से निराश हो जाता है किन्तु यदि उसे पुनः कोई आशा की किरण दिखाई दे तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। वर्तमान में प्रायः पाश्चात्य देशों में यह समस्या फैल रही है। बहुत ही तेजी से लोग अवसाद ग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसके जो प्रमुख कारण हैं उनमें पहला कारण धर्म का अभाव है दूसरा कारण साधु वर्ग का अभाव है। धर्म को छोड़कर जब भौतिकतावादी जीवन हो जाता है तो व्यक्ति भौतिकता के अभाव में स्वयं को अपूर्ण मानता है। इस अभाव की चरमता पर आत्महत्या का भाव उपजता है।

भौतिकता की चकाचोंध से जो ऊपर उठ चुके हैं ऐसा वर्ग साधु कहा जाता है। ऐसे भी वर्ग का विदेशों में अभाव ही है। अतः हतोत्साहित व्यक्ति सांसारिक पदार्थों से अपना अस्तित्व मानकर एवं जानकर साथ ही स्वयं को सर्वथा असहाय जानकर आत्महत्या करता है।

यद्यपि प्राचीन भारतीय कथानक साहित्य से पूर्णतया स्पष्ट है कि जब कोई सांसारिक पदार्थों में अरुचि रखता था तो वह अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होता था जिससे जीवन का नवीन पहलू प्रारंभ होता था किन्तु कहीं भी निराशा आत्महत्या का कारण नहीं बनती थी। जहाँ कहीं भी आत्मघात के प्रसंग मिलते हैं वे पूर्णत: नास्तिक लोगों के जीवन का ही अङ्ग होते थे। यही भौतिकतावाद, नास्तिकता और साधुओं के अभाव पाश्चात्य संस्कृति में आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं। अत: विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के सिद्धान्त जीवन की सुरभि को महकाते हैं। सद्गृहस्थ का लक्षण स्वस्थ एवं समृद्ध समाज की संकल्पना को साकार करता है जो कि सार्वकालिक सिद्धान्त है। जो अध्यात्ममार्ग में पूर्णत: प्रवृत्त नहीं होता, वह गृहस्थमार्ग में रहकर भी स्व-पर (गृहस्थ-साधु) का उपकार कर सकता है। भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है कि अध्यात्म से अछूता व्यक्ति भी अध्यात्म की शक्ति को नतमस्तक हो प्रणाम करता है। यही कारण है कि जैनधर्म के सिद्धान्तों ने भारत एवं बाहरी शक्तियों में भी मैत्री, प्रमोद, करुणा, आदि की भावनाओं को संवर्धित किया है।

स्व के साथ पर के अस्तित्व को स्वीकारना, सम्मान देना जैन संस्कृति किंवा भारतीय संस्कृति का आधारस्तम्भ है। वसुदेवहिण्डी में श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव अपने देश-देशान्तर के भ्रमण में सभी स्थानों पर अपनी रीति-नीति द्वारा सभी के प्रिय हो गये। भारतीय संस्कृति मधुकरी संस्कृति है जिसमें स्वयं का कल्याण भी निहित है और पर की सुगन्ध सर्वत्र फैलाने का प्रयास भी सदैव रहता है।

चोर पकड़ने का उपाय

अगडदत्त कथानक में ही अवान्तर कथा के अन्तर्गत चोर को पकड़ने का उपाय बताया गया है। किसी नगर में चोरी हो जाने पर नगर का राजा चोर पकड़ने के लिए चिन्तित दिखता है। तभी अगडदत्त ने राजा से निवेदन किया कि वह चोर को पकड़ेगा। इसी उधेड़बुन में वह चोर की खोज में निकल जाता है। चोर के मिलने की आशंका कहाँ-कहाँ है इसका वर्णन ग्रन्थ में इस प्रकार है- ''दुट्ठपुरिस-तक्करा पाणागार-जूयसालासु कुल्लरियावण-पंडगपरिव्वायगावसह-सुण्णदेउल-विहारेसु संसिया अच्छंति। तत्थ य चोरा उन्मत्तपिरव्वायगनाणाविहलिंगिवेसपरिच्छण्णा, बंभणवेसधारिणो, विविसिप्पकुसला य विगयविसरूवयाए यभमंति।[6] अर्थात् दुष्ट पुरुष और चोर आदि जन प्राय:कर मधुशाला, द्यूतशाला, हलवाई की दुकान, हिजड़ों और गेरुए वस्त्रधारी साधुओं के घर, तलघर और कोठरी, दासीगृह, आरामगाह, उद्यान, सभा, प्रपा (पानी पिलाने की जगह), शून्य देवस्थल और विहारों में आश्रय लेते हैं। वहाँ वे पागल, परिव्राजक आदि अनेक प्रकार के रूपों में

अपने को छिपाते हैं। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान में भी दुराचारी अपने दुष्कृत्यों को छिपाने के लिए विविध प्रकार के छद्म, छल आदि का प्रयोग करते हैं। आज भी पुलिस इन्हीं स्थानों पर दुराचारियों को खोजती है और उन्हीं के भेष में बनकर खोजती है।

कथा में संसार की असारता दिखाते हुए कहा है कि जिस प्रकार अगडदत्त अपनी पत्नी श्यामदत्ता की रक्षा करता हुआ अत्यधिक प्रेम करता है किन्तु फिर भी उसकी पत्नी श्यामदत्ता उसके भी विनाश के लिए उद्यत हो जाती है। जब इस सत्य का उसे ज्ञान होता है तब वह वैराग्योन्मुख हो जाता है।

आज भी वैराग्य के कारणों में यह प्रमुख कारण है कि या तो किसी आत्मज के वियोगवश या किसी पर के कष्ट देने से या किसी आत्मज या पर के ठगने आदि कारणों से व्यक्ति वैराग्योन्मुख हो जाता है। कभी-कभी कोई समझदार दूसरों के इन कारणों से संसार की असारता को जानकर वैराग्य धारण करता है। आधुनिक कालीन साधुओं के भी जीवन वृतान्त पढ़ने से यही समग्र कारण वैराग्य के प्रतीत होते हैं।

वस्तुतः वसुदेवहिण्डी ग्रन्थ तत्कालीन परिवेश का परिचायक है जिसमें समस्याओं और समाधान का अनूठा संगम है। यह लोक संस्कृति और मानसिकता का भी परिचायक है अतः इसके पठन-पाठन से तत्कालीन एवं वर्तमान के समाज का अच्छा ज्ञान होता है।

सन्दर्भ–

1. वसुदेवहिण्डी : एक अध्ययन, भूमिका पृ. 11
2. वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की वृहत्कथा, पृ.-28, पैरा 3
3. वसुदेवहिण्डी, पृ. 2
4. वसुदेवहिण्डी, पृ. 7
5. अगडदत्तकहा, अनु. डॉ. रञ्जन सूरिदेव, देखें।
6. अगडदत्तकहा, पृ. 15-16, प्रथम संस्करण 1994 ई.।

जम्बुचरियं के लोककल्याण तत्त्व की साम्प्रतिक उपयोगिता

डॉ. अमित कुमार, जयपुर

लोकशब्द की व्युत्पत्ति

लोक दर्शने धातु में घञ् प्रत्यय करने से होती है। विभिन्न शब्द कोशों में 'लोक'- लोग, मानव, यश, कीर्ति, सृष्टि आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वी. एस. आप्टे के अनुसार लोक मानव जाति, प्रजा समुह, प्रान्त, कक्ष, सात और चौदह की संख्या, संसार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक राष्ट्र का स्वरूप है, अर्वाचिन मानव के लिए सर्वोच्च प्रजापति है। लोक का व्यक्त रूप मानव है। लोक के अन्तर्गत उसके आचार, व्यवहार, रीति-रिवाज, कला, मान्यताएँ, प्रयोग इत्यादि समाहित है।[1]

दो जिह्वा वाले, टेढि चाल वाले, दूसरों के दोष को देखने में तल्लीन, अधिक क्रोध वाले भय को उत्पन्न करने वाले, दुष्ट सर्प की तरह स्थिर (खल) विद्यमान गुण का नाश करता है तथा अविद्यमान गुण को आरोपित ऐसे ईश्वर की रचना रूपी खल से कौन नहीं डरता है। यहाँ लोक के कल्याण के लिए दुष्टजनों से समस्त जन समुह को सावधान रहने के लिए निर्देशित किया गया है। दुष्टों की संगती को सर्वत्र हानिकारक बतलाया गया है। शुकनासोपदेश में तो दुष्ट को उपदेश देने से भी वर्जीत किया गया है।

खणरत्त-खणविरत्तं खणेण मम्माणि तह य मग्गतं।
दुट्ठकलत्तं व खलं विवज्जणीयं सयाकालं।।[2]

दुष्ट पत्नी और दुष्ट लोग को सदा के लिए विवर्जित किया है एवं खल को उन्मत्त हाथी की तरह, सर्प, सिंह व्याघ्र की तरह दुग्राह्य बताया है। गुणपाल मूनि कहते हैं की प्राणनाश करने वाले यम-पुरुषों का मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ फिर भी अतिधृष्टता के कारण भव्य जीवों के कल्याण के लिए दुष्टजनों का तिरस्कार करके मैं कु छ कहना प्रारम्भ करूँगा। दुष्टजनों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब क्या नुकसान कर दें। वे सर्प की तरह विषधर, लोमड़ी की तरह खल बुद्धि वाले होते हैं। सुजनों के बारे में निर्देशित

करते हैं वे क्रोधित नहीं होते, यदि हो भी जायें तो अनिष्ट का विचार नहीं करते हैं, यदि विचार कर भी लें तो बोलते नहीं हैं, यदि बोलते हैं तो लज्जित होते हैं। सुजन किसी के भी अनिष्ट की इच्छा नहीं करते हैं वे नुकसान पहुँचाने वाले का भी अनिष्ट नहीं करते हैं, यदि गलती से उनसे किसी का नुकसान हो भी जाये तो उसके लिए हृदय से लज्जित होते हैं। जम्बुचरियं को कथा के अन्तर्गत समाहित करते हुए कथा के चार भेद बताए हैं – अर्थ, काम धर्म एवं संकिर्ण।

संक्षेप में तीर्थंकर श्रेष्ठ गणधरादि पाँच प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, उनको जिनसहित छह प्रकार का स्वीकार किया गया है।

1. अधमाधम
2. अधम
3. मध्यम
4. मध्यम-उत्तम
5. उत्तम
6. उत्तमोत्तम।

अधमाधम- धर्म-अर्थ-काम से रहित, कुट(पाप) आचरण वाले मधु-मांस-मद्य में लगे हुए भीलादि मध्यम हैं।

अधम- धार्मिक जनों की निंदा में लगे रहने वाले जुआड़ी नटादि अधम माने जाते हैं।

मध्यम- जो उद्यत स्वभाववाले ब्राह्मण कुटुम्बादि धर्म, अर्थ, काम की अविरत सेवा करते हैं, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं।

मध्यमोत्तम- धर्मादि में प्रसक्त (लगे हुए) यथाशक्ति विविध प्रकार के व्रतों का सेवन रहित घर, पुत्र, स्त्री से विरत उत्तम मार्ग में जाने वाले उत्तम साधु लोग होते हैं।

उत्तमोत्तम- चौंतीस अतिशयों के भण्डार, देव-मनुष्यों से पूजित अनंतज्ञानी श्रेष्ठ प्रतिहारों से युक्त तीर्थंकर उत्तमोत्तम पुरुष होते हैं।[4]

यहाँ पुरुषों के भेद निरुपित कर उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर उनका विभाजन विभिन्न श्रेणियों में किया गया है।

समस्त जीवलोक में उस जिनेश्वर के द्वारा यह अभय घोषणा घोषित है जो जिनवचन एक भी दुखार्त जीव का बोध करता है। यह विस्तारपूर्वक अनेक साधुओं के द्वारा पूर्व में कहा गया है। उनका अनुसरण करते हुए संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। परोपकार का

वर्णन करते हुए कहते हैं, परोपकार को (इस परम गुण को) जिनवर के द्वारा देखा गया है, इसलिए अपनी शक्ति से परोपकार में प्रयत्न करना चाहिए अर्थात् परोपकार करना चाहिए। गुणवानों की तुलना सूर्य से करते हुए कहते हैं। गुणवानों के मार्गचरण से गुणसमूह का विकास होता है जैसे सूर्य की संगति से काला आकाश भी निर्मल हो जाता है। कुटिल स्वभाव वालों का गुण से क्या लेना देना क्योंकि जैसे कमलिनि अमृत सदृश चंद्रमा के किरणों को भी नहीं चाहती है वैसे कुटिल स्वभाव वाले भी होते हैं। जो विमल गुणों के पालन में भक्तियुक्त होते हैं, तपश्चरण में समग्र रूप से लीन रहते हैं वे भव्य होते हैं। प्रसन्नता से पूर्ण होकर इस पीठबंध को जानकर क्लेशों को समाप्त कर (वे भव्य) सिद्धि सुख को प्राप्त करते हैं।[5]

जीवों की नारक गति- जीवों की नारक गति को बताकर के कष्टों का वर्णन करते हुए जीवों को पाप कर्म से दूर करने का प्रयत्न किया गया है। देव, मनुष्य, तिर्यंच् और नारक गतियों में भ्रमण करते हुए अनुकम्पा से रहित, दु:खी पतित, विलपित, चिन्ता, परादेश एवं दुसरे के धन पर आसक्त होकर परेशान होता हुआ जरा, मरण, रोग, पापमल, क्लेश, जरायु, जर, खाँसी, श्वाँस, दाह, अतिसार, भगंदर, इष्टवियोग, अनिष्ट सम्प्रयोगादि से पीड़ित मनुष्यों से युक्त होकर अंगच्छेदन, जलन, बंधनादि उपद्रवों से दु:खी होकर फाड़ना, काटना, भेदना, छेदना, तोड़ना, तपाना, गलाना आदि पीड़ित नारकों से युक्त चार गतियों के दु:ख प्राणादि के भवरों के तरंग में भ्रमण करते हुए तथा कोध, मान, माया, लोभ, मोह, मायादि से ग्रसित होता है।[6]

धर्मकथा के श्रवण के लाभ

कम्माणं खओ पुन्नाण संभवो पाववज्जणं तह य।
होइ पमायाणं जओ, सवणे तह धम्मपडिवत्ती॥[7]

धर्म कथा के श्रवण से कर्मों का क्षय, पुण्य की उत्पत्ति, पाप का विनाश तथा प्रमाद पर विजय की प्राप्ति होती है।

मिथ्यात्व से मोहित मन निंदित अहंकारादि पापकर्मादि करके जीव घोरान्धकार युक्त नरककुप में गिरता है। वहाँ पर छेदन-भेदनादि नाना प्रकार के दु:ख भोगने पड़ते हैं। वधादि दु:ख जो तिर्यंच जीवों को प्राप्त होते हैं। वे ही दु:ख मनुष्य रूप में भी प्राप्त होते हैं। धर्म के कारण जीव मनुष्य एवं देव के सुन्दर शरीर को प्राप्त करता है। अतएव धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही संसार से मुक्त करने में समर्थ है। सम्यक्ज्ञान से वस्तु को जानकर कोध नहीं करना, यदि कोध हो तो उसे शान्त करना क्षान्ति है। मुक्ति होने तक मान का

उदय न होना एवं हो जाए तो उसे शान्त करना मार्दव कहा जाता है। अनशन, उनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायक्लेश तथा संलीनता बाह्य तप है॥

कोधग्रस्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए निरुपित करते हैं कोधी व्यक्ति धर्म-अधम, कार्य-अकार्य, सुकृत-दुस्कृत, भक्ष्याभक्ष्य, कुशल, अर्थ-अनर्थ, काम-अकाम, यश-अपयश, कीर्ति-अपकीर्ति, गम्य-अगम्य, वाच्य-अवाच्य, पेय-अपेय, बल-अबल, दुर्गति-सुगति, सुन्दर-असुन्दर एवं पंथ- अपंथ को नही जानता है। इसलिए स्वभाव से सज्जन पुरुषों के द्वारा अकार्य से उत्पन्न कोधादि का परित्याग करना चाहिए[8]। इस तरह से जम्बुचरियं में वर्णित लोक कल्याण तत्वों का वर्णन करके आज फैले हुए राग-द्वेषादि को समाप्त करने हेतु इसकी साम्प्रतिक उपयोगिता इस शोधालेख में यथासम्भव उद्घाटित करने की कोशिश की गई है।

सन्दर्भ–

1. जम्बुचरियं प्रथम उद्देस गाथा 8-9
2. वही गाथा 10
3. वही
4. वही गाथा 32
5. वही गाथा 49
6. जं. च. द्वि. उ.
7. वही गाथा 2
8. जं. च, तृ. उ. गा, 83

गाहासत्तसई की लोकधर्मिता - एक प्रासङ्गिक निरूपण

– डॉ. बलराम शुक्ल

तं णमह जस्स वच्छे लच्छिमुहं कोत्थुहम्मि संकंतं।
दीसइ मअपरिहीणं ससिविंवं सूरविंव व्व। गास2.51
पसुवइणो रोसारुणपडिमासंकंतगोरिमुहअंदम्।
गहिअग्घपंकअं मिअ संझासलिलंजलिं णमह।। गा.स.1

गाहासत्तसई (गास) को सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में काव्यसाहित्य को प्रस्थान बिन्दु देने वाले ग्रन्थ के रूप में देखा जा सकता है। इसके पहले का साहित्य धार्मिक अथवा इतिहासात्मक है। शुद्ध रूप से रसानुप्राणित अथवा रसानुगुण कविता का बीजनिक्षेप गा.स. के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इसके कर्ता अथवा संग्रहीता कविवत्सल सातवाहन हाल की ख्याति प्राचीन भारत में पुराकथा के नायकों की भाँति हुई है। अनेक कथासंग्रहों में उनके इर्द गिर्द चमत्कारी कथाएँ बुनी गई हैं। इसमें तो वे नायक के रूप में ही उभरे हैं। प्राकृतपैंगलम् के टीकाकार पृथ्वीधर के अनुसार हाल प्राकृत के उसी प्रकार आदिकवि हैं जैसे वाल्मीकि संस्कृत के आदिकवि हैं। वस्तुतः हाल आर्येतर वाङ्मय में शुद्ध काव्यसाहित्य के प्रथम कवि के रूप में सम्मानार्ह हैं। उनकी महत्ता केवल एक संवेदनसमृद्ध कवि के रूप में ही नहीं बल्कि गुणग्राही संग्रहीता के रूप में भी है जिन्होंने अपने समकालीन प्राकृत कवियों की रत्नतुल्य गाथाओं को एकत्र कर उनका एक सुन्दर कोश बनाया तथा उन्हें विस्मृति के गर्त में जाने से बचाया। परम्परा ने इस अभूतपूर्व कार्य के लिए हाल की अतीव प्रशंसा भी की है। हाल प्राकृत के कवि होते हुए भी सुसंस्कृत हैं तथा उनमें कहीं भी च्युतसंस्कृति नहीं आने पाई है, ग्राम्य कविताएँ लिखते हुए भी उनकी कविता में कहीं भी ग्राम्यत्व दोष नहीं आने पाया है, स्वयं गाथासप्तशती में उनकी उदारता से सम्बन्धित कई पद्य हैं। कइवच्छल।

अनेकानेक कवियों द्वारा किए गए पद्यरत्नों का संग्रह होने के कारण गास में वर्णनीय

वस्तु की जो प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वर्त्य विषयों की विविधता के बावजूद गास का प्रतिपाद्य प्रायः रस है और वह भी शृङ्गार रस[1]। रसोत्तर काव्य होने के कारण गा.स. अपने उत्तरवर्ती प्राकृत अथवा संस्कृत के सभी कवियों का आदर्श बना है। कालिदास से लेकर बाणभट्ट तथा प्रायः सभी प्राकृत कवि प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः गास के आधमर्थ्य को स्वीकार करते हैं। रस का इस प्रकार का निर्गल तथा प्रचुर अभिव्यञ्जन करने में गास कैसे सफल हो पायी है इस तथ्य का अन्वेषण आवश्यक है।

गा.स. तथा उसके सहवर्ती काव्यों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट होकर सामने आती है और वह यह कि अपने उत्तरवर्ती सभी काव्यों की अपेक्षा गास अधिक सहज एवं अकृत्रिम है। इसकी सहजता, स्वाभाविकता और अकृत्रिमता का बड़ा कारण यह है कि गास ग्रन्थ की रचना प्रक्रिया में उसके उपादान तथा निमित्त दोनों प्रकार के कारण अधिकाधिक लोक से सम्बद्ध हैं। उसके वर्क्स विषय तो ठेठ लोक से लिए ही गए हैं साथ ही उसके कवि भी जनपदीय कवि हैं। वासुदेव विष्णु मिराशी के अनुसार गास के कवियों में हालिक किसान से लेकर मन्त्री पोट्टिस और राजा हाल तक समाज के सभी लोग हैं। लोक का स्वरूप सहज एवं अकृत्रिम होता है। मनुष्य में कर्तृत्व की जो अनन्त सम्भावनाएँ हैं वे उसकी अकृत्रिमता से फूटती हैं। कृत्रिमता इन सम्भावनाओं का अवरोध है। लोक में जीवन तथा जगत् अपने अकृत्रिम रूप में उपलब्ध होते हैं।

वस्तुतः लोक तथा शास्त्र एक दूसरे के उपकारक होते हैं फिर भी लोक के शिव तथा सुन्दर रूप को ही आगामी पीढ़ियों के उपयोग के लिए शास्त्र में निबद्ध किया जाता है इसलिए लोक शास्त्र का आधार होता है। शास्त्र अपना प्रामाण्य लोक से ही गृहीत करता है। कविता जो रसप्राण होती है उसके लिए तो लोक का आश्रय बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि स्वभावोक्तियों का अकृत्रिम संसार लोक में ही बसता है। गास में लोकधर्मिता के प्रचुर विन्यास के कारण ही उसमें रसोज्वलता आ सकी है जिसके कारण वह युगों युगों से भारतीय साहित्य से सबसे उत्तम रत्न के रूप में प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र में हम गाथासप्तशती में लोकतत्त्व के विन्यास तथा उसकी चिरन्तनता पर कुछ विचार करेंगे। हम देखेंगे कि गास में लोकधर्मिता को किन विशेष बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

अकृत्रिम लोक जीवन

गाथासप्तशती का अध्ययन प्रारम्भ करते ही हमारा पहला अनुभव यह होता है कि कहीं नागर जीवन की कृत्रिमताओं और भीड़ भाड़ से दूर दक्षिण में कहीं गोदावरी नदी

के कछार में उपजे कुओं और उसके निकट के गाँवों में पहुँचा दिए गए हों। ग्राम्य जीवन के जितने उपमान हो सकते हैं उन सभी को प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत रूप में उद्दीपन अथवा आलम्बन के प्रकार में सुन्दर रीति से प्रस्तुत किया गया है। ग्राम्य जीवन की सारी विशेषताएँ जैसे मनुष्यों के मध्य सम्बन्धों की प्रगाढ़ता, मनुष्यों तथा पशुओं के मध्य, पशुओं का संसार, ग्राम्य जनता की जीविका के साधन, ग्रामीण क्रिया कलाप, ग्राम्य उत्सव सारे उपादान अपने सबसे चटख रंगों में यहाँ उपलब्ध हैं। अधिकतर प्रेम की घटनाएँ गोदावरी नदी के तट पर अथवा सन, अरहर, कपास आदि के खेतों में घटित होती हैं। सारे ग्राम्य उपादानों का प्रयोग किया गया है रस की प्रचुर निष्पत्ति के आलम्बन के रूप में। ध्यान रहे ग्राम्य जीवन से उपादानों को लेने के बावजूद कहीं भी वर्णन में अग्राम्यता नहीं आई है। जैसा कि गाथासप्तशती की प्रमुख विशेषताओं में बाण ने भी अग्राम्यता को परिगणित किया है– अविनाशिनमग्राम्यमकरोत् सातवाहनः॥ विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नैरिव सुभाषितैः॥

गाथासप्तशती में उपादान की दृष्टि से स्वभावोक्ति है जबकि प्रस्तुति की दृष्टि से वक्रोक्ति है। कविता की संज्ञा के लिए जितने उपादान आवश्यक हो सकते हैं वे सभी इन गाथाओं विपुल मात्रा में दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए तो कवि ने इन गाथाओं को सालंकार कहा है हालेण विरइआई सालंकाराएँ गाहाणं।

गा.स. के काव्योपादान इतने स्वाभाविक, अकृत्रिम तथा सरस हैं कि वे प्राचीन भारत के सांस्कृतिक अध्ययन के लिए विश्वसनीय सामग्री प्रदान करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है और तत्कालीन समाज को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए गा.स. की इस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसके इन वर्णनों से लोकजीवन में प्रकृति तथा मनुष्य के साथ परस्परोपग्रह की चिरन्तन भारतीय शैली का आदर्श भी प्रस्तुत करता है।

1. स्वाभाविक ग्रामीण सौन्दर्य–

उअ णिच्चलणिप्पंदा भिसिणीवत्तम्मि रेहइ वलाआ।
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ संखसुत्ति व्व।।

ग्राम की व्यवस्था, ग्रामणी तथा ग्रामणिपुत्र तथा ग्रामणि दुहिता का सरस वर्ण मिलता है जिससे प्राचीन भारत मेंस्थानीय स्वशासन की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है। गाँव की अपनी स्वयं की सुरक्ष व्यवस्था थी–

पहरवणमग्गविसमे जाआ किच्छेण लहइ से णिद्दं।
गामणिउत्तस्स उरे पल्ली उण से सुहं सुअइ।। गाहा31

ग्राम के उत्सवों तथा अन्य मनोरञ्जन के साधनों की रसपूर्ण चर्चा गा.स. में विद्यमान है–

फग्गुच्छवणिद्दोस केण वि कद्दमपसाहणं दिण्णं।
थणअलसमुहपलोट्टतसेअधोअं किणो धुअसि।। गा.स.4.69

गाँव के लोगों में जो पारस्परिक बन्धुत्व होता है जिसके कारण सभी लोग किसी न किसी सम्बन्ध में जुड़े होते हैं। जिसकी कमी आज के शहरी कृत्रिम जीवन में महसूस होती है उसका घना वर्णन गास में दिखाई देता है। नायिका अपने दिल की बात जिससे करती है वह प्राय: मामी, बुआ अथवा माँ है। बदले में जवाब देने वाली भी उसे पुत्ति कहती है–

कइअव रहिअं पेम्मं णत्थि विवअ मामि माणुसे लोए।

ध्यान रहे यह आवश्यक नहीं कि ये उसकी असली मामी आदि है। ये तो गाँव के सम्बन्ध है जो अनेक बार उसके प्रेम प्रसंगों में सहायता भी करते हैं।

ग्राम की कई श्रेणियाँ बताते हुए सग्गाम, क्कुगाम, अग्गाम जैसे वर्णन भी आते हैं।

2. अभावों का दारुण चित्रण

गा.स. में ग्रामीणों की निर्धनता का दारुण चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। अनेकश: ऐसी मनस्वी गृहिणियों का चित्र है जो घर की निर्धनता के कारण अपने मायके वालों को वैभव का अपने घर वैभव के सात आना नापसन्द करती ताकि पति के स्वाभिमान को ठेस न लग जाए–

अहिआइमाणिणो दुग्गअस्स छाइं पइस्स रक्खंती।
णिअवंधवाण जूरई घरिणी विहवेण एंताणं।। 1.38

अनेक बार ग्रामीणों के दारुण जीवन का भी चित्रण किया जिसमें व्यवस्था की विषमता के कारण उन्हें अनेकानेक कष्ट सहने पड़ते हैं–

दुग्गअक्कुडंवअट्ठी कह णु मए धोइएण सोढव्वा।
दसिओसरंतसलिलेण उअह रुण्णं व पडएण।।

तूफान में उसका घर उड़ गया, कोनों से पानी दीवालों पर आ रहा है और वह लगी हुई भीत पर लिखे हुए अवधि के दिनों की रेखाओं को बचाने में–

झंझावाउत्तिणघरविवरपलोट्टंतसलिलधाराहिं।
कुड्डुलिहिओहिदिअहं रक्खइ अज्जा करअलेहिं।। गाहा 2.70

ग़रीब की स्त्री गर्भावस्था में दौहद को भी प्रकट नहीं कर पाती है–

हिअअ चेअ विलीणो ण साहिओ जाणिऊण घरसारं।
वंधवदुव्वअणं मिव दोहलओ दुग्गअवहूए।। गाहा 3.90

3. अभाव का सौन्दर्य–

गाँव का दृश्य खींचते हुए गा.स. के कवियों ने ग्रामीण जनों में भौतिक सुविधाओं के अभाव के बावजूद उनकी जिजीविषा का स्वाभाविक चित्र खींचा है–

रंधणकम्मणिउणिए मा जूरसु रत्तपाडलसुअंधं।
मुहमारुअं पिअंतो धूमाइ सिही ण पज्जलइ।।1.14
घरिणीअ महाणसकम्मलग्गमसिमइलिएण हत्थेण।
छित्तं मुहं हसिज्जइ चंदावत्थं गों पइणा।।1.13

4. आदिवासी समाज का वर्णन–

जनपदीय कृषकों तथा ग्रामीणों के वर्ण के साथ गास में बार बार आदिवासियों की बस्तियों का वर्णन आता है जो प्रायः पर्वतीय इलाक़ों में निवास करे थे। व्याध अथवा भील युवा की शक्ति और यौवन स्पृहणीय है। प्रायः वह अपनी नववधू के मोहपाश में फंसकर शिकार करने में कोताही बरतने लगता है, अपना पुराना धनुष उठा तक नहीं पाता

जह जह वड्डुन्ति थणा तह तह झिज्जन्ति पञ्च वत्थूणि।

5. प्रवास का वर्णन–

प्रवास प्राचीन भारत की प्रमुख परिघटना रही है और अब भी है। गाँवों के समुचित विकास न होने के कारण जवानों को परिवार छोड़ कर शहर आने का दंश गा.स. के प्रमुखतम स्वरों में से एक। पथिक जवान है। इसलिए उसे सबसे ज्यादा कष्ट पत्नी से बिछड़ने का है। प्रवास के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रेम वर्णन गास में बुने गये हैं। प्रवासी का घर से जाने में कठिनाई, बिछडने का दारुण वर्णन, गाँव छोड़ने पर गाँव का शून्य हो जाना, मार्ग के गावों में रात होने पर आश्रय के लिए किसी के घर जाना जहाँ के पुरुष खुद प्रवासी हैं और पत्नियाँ घर में अकेली हैं। उन दोनों के सम्भावित प्रमालापों का सरस वर्णन। पतिव्रता पत्नी का पति के वियोग में वसन्त, वर्षा अथवा शीत ऋतुओं में तड़पना आदि वर्णन प्रमुख हैं। ये सभी दृश्य आर्थिक विषमता से उत्पन्न प्रवास की विडम्बना से उत्पन्न हुए हैं जो भारत में अब भी बदस्तूर जारी है। कुछ दृश्य प्रस्तुत हैं–

एक्को वि कालसारो ण देइ गंतु पहिण चलंतो।
किं उण वाहाउलिअं लोअणजुअलं पिअअमाए।। गा.स. 1.25

सुअणो जं देसम् अलंकरेइ तं चिअ करेइ पवसंतो।
गामासण्णुम्मूलिअ महावडद्वाणसारिच्छं।। गा.स.1.94
एहिज्ज सो पउत्थो अहअं कुप्पेज्ज सो वि अणुणेज।
इअ कस्स वि फलइ मणोरमाण माला पिअअमम्मि।। गा.स.1.17
अज्ज मए तेण विणा अणुहूअसुहाइ संभरंतीए।
अहिणवमेहाण रवो णिसामिओ वज्झपडतो व्व।। गा.स.1.29
चिंताणिअदइअसमागमम्मि कअमण्णुआइ भरिऊण।
सुण्णं कलहाअंती सहीहि रुण्णा ण ओहसिआ।। गा.स.1.60

6. प्राकृतिक उपादानों का वर्णन

गा.स. में हम गोदावरी, तापी आदि नदियों, विन्ध्य आदि पर्वतों और जंगलों का स्वाभाविक वर्णन पाते हैं। ये सब ग्रामीन नायक नायिकाओं के रतिकर्म के साक्षी हैं–

मा वच्च पुप्फलाविर देवा उअअंजलीहि तूसंति।
गोलाणईअ पुत्तअ सीलुम्मूलाइ कुलाइं।। गा.स. 4.55

खेतों की फ़सलो जिसमें सन, तुवर, कपास आदि हैं उन्हें प्रेमियों के मिलन स्थल बहाने से वर्णित किया गया है–

एत्थ मए रमिअव्वं तीअ समं चिंतिऊण हिअएण।
पामरकरसेउल्ला णिवडइ तुवरी वविज्जंती।। गाहा 4.58गघ
गहवइसुओच्चिएस वि फलहीवेंटेसु उअह वहुआइ।
मोहं भमइ पुलइओ विलग्गसेअंगुली हत्थो।। गाहा 4.59गघ
अज्जं मोहणसुहिअं मुअ त्ति मोत्तुं पलाइए हलिए।
दरफुडिअवेटभारोणआइ हसिअं व फलहीए।। गाहा 4.60 गघ

विभिन्न प्रकार से जन्तुओं का सुन्दर जात्यात्मक वर्णन किया गया है जैसे बन्दर (2.71) सुअरी (5.2)–

गोलाणईअ कच्छे चक्खंतो राइआइ पत्ताई।
उप्फडइ मक्कडो खोक्खेइ अ पोट्टे च पिट्टेइ।। 2.71

प्राचीन भारत की पारिस्थितिकी को जानने के लिए ये बड़े ही महत्त्वपूर्ण सूत्र हैं।

7. प्रकृति का उपमान के रूप में प्रयोग–

गा.स. में कहीं तो स्वाभावोक्ति द्वारा ग्राम्य उपादानों का वर्णन किया गया है तो कहीं उन्हें उपमान के रूप में प्रयुक्त करके उन्हें वक्रोक्ति का अंग बना दिया गया है। दोनों स्थितियों में उनके वर्णन मनोहर हैं–

कह सा णिव्वण्णिज्जउ जीअ जहालोइअम्मि अंगम्मि।
दिट्ठी दुव्वलगाइ व्व पंकपडिआ ण उत्तरइ।। गा.स. 3.71
जइ होसि ण तस्स पिआ अणुदिअहं णीसहेहि अंगेहिं।
णवसूअपीअपेओसमत्तपाडि व्व किं सुअसि।। गा.स.1.65
उज्झसि पिआइ समअं तह वि हू रे भणसु कीस किसिअ त्ति।
उअरिभरेण अआणुअ मुअइ वइल्लो वि अंगाई।। गा.स. 3.75
एसो मामि जुआणो वारं वारेण जं अडअणाओ।
गिम्हे गामेक्कवडोदअं व किच्छेण पावंति।। गाहा 3.94

गा.स. में अनेक ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जिनमें कवि शहरों की अपेक्षा गाँव को श्रेष्ठ बताता हुआ तथा उसकी स्पृहा करता हुआ लगता है। अधिलिखित गाथा में पहले पहले शहर पहुंचा प्रवासी व्यक्ति जाड़े से ठिठुर रहा है क्योंकि वहाँ उसे तापने के लिए गावों या जंगलों की तरह लकड़ियाँ तक नहीं मिल पा रही हैं–

खंधग्गिणा वणेसुं तणेहि गाममम्मि रक्खिओ पहिओ।
णअरवसिओ णडिज्जइ साणुसएण व्व सीएण।। गाहा77

अनेक गाथाओं में शहर गया हुआ कवि अपने गाँव की याद वैसे ही करता है जैसे दुर्गति के कारण किसी युवती का रूप और यौवन सब नष्ट हो गया हो। आज के दौर में जब गाँव तेजी से उजड़ रहे हैं ये गाथाएँ एक बार फिर हमारी पीड़ा को स्वर देती हैं–

वोलीणालक्खिअरूअजोव्वणा पुत्ति कं ण दूमेसि।
दिट्ठा पणट्ठपोराणजणव जम्मभूमि व्व।। गा.स.4.40
ते अ जुआणा ता गामसंपआ तं च अम्ह तारुण्णं।
अक्खाणअं व लोओ कहेइ अम्हे वि तं सुणिमो।। गा.स.6.17

एक अन्य गाथा में कवि कहता है कि गाँव का लवण रहित भोजन ठीक है शहर

का नहीं जहाँ भोजन सलवण तो है लेकिन सस्नेह नहीं। यह आजकल के शहर ही तो है जिसमें लावण्य यानी चाकचक्य तो बहुत है लेकिन स्नेहभाव लुप्त हो गया है

भंजसु जं साहीणं कत्तो लोणं कुग्गामरिद्धम्मि।
सुहअ सलोणेण वि किं तेण सिणेहो जहिं णत्थि।। गाहा 4.16

ग्रामीण तथा लोकधर्मी उपादानों को लेकर रचित गाहासत्तसई के बारे में किसी अन्य प्राकृत कवि की यह उक्ति बहुत ही सटीक है जिसमें नायिका कहती है मैं गाँव में पैदा हुई हूँ, गाँव में पली-बढ़ी हूँ, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ कि शहरी की औरतों के पतियों को मैं जब चाहूँ उनसे छीन सकती हूँ–

गामारुहम्मि गामे वसामि णयरट्ठिइं न याणामि।
नायरिआणं पइणो हरामि जा होमि सा होमि॥

मानवीय संवेदना (प्रेम) का सर्वविध वर्णन

साहित्य का सर्वोपरि उद्देश्य होता है मानव की संवेदनात्मक भावभूमि को समृद्ध करना ताकि वह दूसरे जीवों के दुखों को समझ सके। प्रेम के बिना इस प्रकार सघन भावभूमि की उपलब्धि नहीं हो सकती-इश्क़ बिन ये अदब नहीं आता। इसी कारण प्रेम तथा उसके समान्तर शृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। गास में सभी प्रेम प्रकारों का सुन्दर वर्णन है। हाल के अनुसार इस ग्रन्थ के बिना प्रेम के रहस्य को समझने का दावा करना हास्यास्पद ही है–

कामस्स तत्ततन्ति कहँ वि कुग्गन्तो न लज्जन्ति॥

वर्णन के स्तर पर गा.स. ने किसी भी तरह के प्रेम को हेय अथवा अस्पृश्य नहीं समझा है। वैध, अवैध, मनुष्य-मनुष्य, मनुष्य-जीवजगत्, जन्तुओं का पारस्परिक प्रेम। प्रेम में रूठना, मनाना, पूर्वराग आदि 10 अवस्थाएँ सबका अतीव सरस एवं मनोहर वर्णन गा0 स0 में हमें मिलता है।

1. निश्छल एवं उदात्त प्रेम

अह संभाविअमग्गो सुहअ तुए चेअ णवर णिव्बूढो। गा.हा.32
एपिंह हिआए अण्णं अण्णं वाआइ लोअस्स।। गाहा32
कइअवरहिअं पेम्मं ण त्थि च्चिअ मामि माणुसे लोए। गाहा 124
अह होइ कस्स विरहो विरहे होंतम्मि को जिअइ।। गाहा 124

वृद्ध दम्पती का दारुण करुणशृंगार का वर्ण द्रष्टव्य है–

णिक्कम्माहि वि छेत्ताहि पामरो ऐअ वच्चाए वसहिं। गाहा 169
मुअपिअजाआसुण्णइअगेहदुक्खं परिहरंतो।। गाहा 169

वास्तविक प्रेम हमें उदार तथा संवेदनशील बनाता है। एक दृश्य प्रस्तुत है जहाँ नायिका पति के घर आने भी अपने को नहीं सजाती इस अन्देशे से कि उसकी प्रोषितपतिका पड़ोसन का जी न दुख जाए। अनुभूति की सघनता ही वस्तुत: मानवजीवन का परम उद्देश्य है जिसे गास में हम अनेकत्र पाते हैं

साहीणे वि पिअअमे पत्ते वि छणे ण मंडिओ अप्पा। गाहा39कख
दुग्गअपउत्थवइअं सअज्जिअं संठवंतीए।। गाहा39गघ

इसी तरह प्रिय का परदेश नहीं जा पाना–

एक्को वि कालसारो ण देइ गंतुं पाहिण चलंतो। गाहा25कख
किं उण वाहाउलिअं लोअणजुअलं पिअअमाए।। गाहा25 गघ

जनसामान्य के प्रेमसम्बन्धों का हृदयावर्जक वर्णन सर्वत्र इस काव्य में मिलता है जिसमें भिक्षुक और गृहिणी, प्रपापालिका और पानी पीने वाला आदि उल्लेखनीय है–

उद्धच्छो पिअइ जलं जह जह विरलंगुली चिरं पहिओ।
पावालिआ वि तह तह धारं तणुअ पि तणुएई॥

2. परकीया रति अथवा अवैध सम्बन्ध–

वासना प्रेम की स्थूलतम अभिव्यक्ति है। सामान्य लोक में इस प्रकार के विपुल प्रसंग स्वाभाविक रूप विकसित हो जाते हैं इसी कारण कोषों में रतकर्म को ग्राम्यधर्म भी कहा गया है। लोकधर्मी होने के कारण हम गास में परकीय रति का प्रचुर वर्णन पाते हैं–

णिक्किव जाआभीरु दुद्देसण जिंवकीडसारिच्छ। गाहा30कख
गामो गामणिणंदण तुज्झ कए तह वितणुआई।। गाहा30गघ

गा.स. के अनुसार पातिव्रत्य एवं पुंश्चलीत्व दोनों का कारण प्रेम ही है।

फलहीवाहणपुण्णाहमंगलं लंगले कुग्गंतीए। गाहा 165कख
असईअ मणोरहगब्भिणीअ हत्था थरहरंति।। गाहा 165गघ

इन प्रसंगों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये क्रियाएँ काव्य में विधानतया वर्णित हैं। इनका वर्णन काव्य में इसलिए है क्योंकि ये लोक में विद्यमान हैं तथा साहित्य में दर्पण वत् रस्य रूप में संक्रान्त होता है

न हि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः।
कर्तव्यतयान्येषाम् न च तदुपायोभिधातव्यः॥

3. मनुष्य तथा अन्य जीव

मनुष्य का अन्यान्य जीवों के साथ परस्पर उपग्राहिता भारतीय संस्कृत का आदर्श रही है। गास में इस स्नेह बन्धन के अनेक उज्ज्वल दृश्य मिलते हैं

गहवइणा मुअसेरिहड्डुमदामं चिरं वहेऊण। गाहा 172कख
वग्गसआई णेऊण णवरि अज्जाहरे वद्धं।। गाहा 172गघ

4. पशुओं का पारस्परिक प्रेम

जन्तु जगत् के भी पारस्परिक प्रेम का मानवजगत् की ही भाँति वर्णन किया गया है। कई दृश्य बड़े ही अद्भुत बन पड़े हैं–

गरुअछुहाउलिअस्स वि वल्लहकरिणीमुहं भरंतस्स। गाहा383कख
सरसो मुणालकवलो गअस्स हत्थे ब्रुअि मिलाणो। गाहा383गघ
तडविणिहिअग्गहत्था वारितरंगेहि घोलिरणिअंवा। गाहा 391कख
सालूरी पडिविंवे पुरिसाअंति व्व पडिहाइ। गाहा391गघ
भमइ परिदो विसूरइ उक्खिविउ से करं पसारेइ। गाहा 454कख
करिणो पंकखुत्तस्स ऐहणिअलाविआ करिणी। गाहा454गघ ।
रइक्केलिहिअणिअंसणकरकिसलअरुद्धणअणजुअलस्स। गाहा 455कख
रुद्दस्स तइअणअणं पव्वइपरिडेविअं जअइ। गाहा 455गघ

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रेम के स्वाभाविक एवं अकृत्रिम सरस वर्णनों से गास हमें भावनात्मक रीति से समृद्ध तथा संवेदनशील बनाती है। यही इसका चिरन्तन तथा सार्वभौमिक उपयोगिता है।

सन्दर्भ

1. गाथासप्तशती गङ्गाधरस्य टीकया समेता (1911) सं. केदारनाथ, वासुदेवशर्मा पणशीकर, निर्णयसागर मुम्बई।
2. गाथासप्तशती मराठी व्याख्या (1956) स आ जोगलेकर
3. हिन्दी गाथासप्तशती (1961) अनु नर्मदेश्वर चतुर्वेदी
4. संस्कृतगाथासप्तशती व्यंग्यसर्वंकषोपेता (1983) भट्टमथुरानाथशास्त्री (पुनः.) मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
5. गाथासप्तशती (1995) अनु. डॉ. विश्वनाथ पाठक. पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी-5
6. गाथासप्तशती सविमर्शप्रकाशहिन्दीव्याख्योपेता(2064) डा जगन्नाथ पाठक (पुनः.) चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी।

पउमचरिये साम्प्रतिके च सन्दर्भे युद्धं परिणामश्च

सिद्धसुरकिन्नरोरगदणुवइभवणिन्दपरिमहियं उसहं जिणवरवसहं पणमामि

डॉ. प्रभात कुमार दास, जयपुर

भारतस्य संस्कृतिः 'वैदिकी' 'श्रामणी' इति नाम्ना द्विधा प्रचलिता। तत्र वैदिकसंस्कृतौ रामस्य स्वरूपं यथा प्राप्यते ततो भिन्नत्वेन श्रमणसंस्कृतौ रामस्य स्वरूपं पश्यामः। 'राति' – यच्छति सर्वाणि मङ्गलानि इति 'रामः'। राम-शब्दस्य पउम/पद्म इति प्रयोगः 'पउमचरियं' इति महाकाव्ये कृतः। प्राकृतभाषायां 'पद्म' इति शब्दस्य 'पउम' इति प्रयोगः सुलभोऽस्ति। पउमस्य चरियं पउमचरियं रामचरितमिति जानीमः। रामो वा पउमो भारतीयवाङ्मयस्य प्रत्येकस्मिन् काव्ये काव्यांशे वा स्रोतोविषयत्वेन उपजीव्यते। ततो वदन्ति शास्त्रकाराः, उपदेशकाः आलङ्कारिकाश्च ''रामादिवत् प्रवर्तितव्यम् न रावणादिवद्'' इति।

तादृशस्य पद्मस्य चरितं भारतस्य विविधेषु प्रान्तेषु, क्षेत्रेषु वा भारतेतरेषु देशेषु विविधतामावहन् विस्तृतमस्ति प्रथितिप्रमाणत्वेन। अद्य सर्वप्राचीनचरितरूपेण रामस्य चरितं गण्यत एव। तस्य चरितं श्रुत्वा विचार्य वा तस्य कृते पुरुषोत्तमविशेषणं प्राकटितं प्राचीनविचारकैः कविभिश्च।

श्रीविमलसूरिविरचितेऽस्मिन् 'पउमचरियं' इति महाकाव्ये श्रमणसंस्कृत्यनुरूपं रामस्य च तत्सम्बद्धानां सर्वेषां खलु चरितानि रचितानि सन्ति। मानवस्य कृते विहिताविहातानां धर्माणां प्ररूपणमत्र वैशद्येनैव प्राप्यते। मोक्ष एव परमगतिः, तदवाप्तये खलु क्रियन्ते सकलानि कर्माणीति अत्र काव्यानुशीलनेन प्रतिपदमनुभूयते। तच्च चिन्तनं कथं पात्राणां जीवने उदेति, परिवर्धते च सफलीभवतीति तदत्र युद्धपरिणामचिन्तनपूर्वं परञ्च भवतीति पश्यामः॥

पुराणकालादेव शृणुमः देवानां च रक्षसां मध्ये संग्रामारभवन्निति। तत्र रक्षसां विषये वयं साधारणाः मानवाः यथा चिन्तयामः तदितरत्वेन किमपि वर्णनं पउमचरिये अत्र प्राप्यते, तद्यथा-

रक्खन्ति रक्खसा खलु, दीवा पुण्णेण रक्खिया जेण।
तेणं चिय खयराणं, रक्खसनामं कयं लोए॥[1]

पुण्यस्य बलेन परितः स्वस्य सुरक्षामवाप्य बलवन्तः सन् राक्षसाः खलु द्वीपानां रक्षां कृतवन्तः। तस्मादेव कारणात् लोके ये खेचराः (विद्याधराः) आसन् ते खलु 'राक्षस' इति नाम्ना

प्रसिद्धाः जाताः। अर्थात् त एव स्व-स्वविद्यानां बलेन स्वस्य रक्षां कुवन्तः द्वीपानामपि रक्षां कृतवन्तः। अत्र विद्यानां प्राधान्यं स्पष्टं प्रतीयते। जानन्ति च विद्वांसः शास्त्रकाराः यद् विद्यानां प्राप्तौ कानिचित् नियमानि सन्ति। ततः बहिर्गते विद्याः स्वधर्मानुरूपमाचरन्त्यः अपसरन्ति वा कुफलं यच्छन्ति। अतः तात्कालिकाः विद्याधराः यदा कदाचित् केनचित् शत्रुणा सह युद्ध्यन्ति तदा ते स्व-स्वविद्यानां परिसीमाः विज्ञाय युद्धस्य नियमानि खलु युद्धकाले स्मरन्ति, विपरीताचरणे जाते तेषां विद्याबलेन जयो न सम्भविष्यतीति ते सम्प्रत्ययाः भवन्ति।

युद्धं - युद्धस्य संज्ञा खलु सर्वविदिता। मन्मते -**कस्यचित् शासकस्य वा बलवतः मनसि अपरं दुर्बलं, समबलं वा अतिबलं प्रति केनापि भौतिकवस्तुनः कारणात् यन्मानसिक वा शारीरिक द्रोहः तदेव युद्धम्।** प्राचीनकालादेव युद्धस्य कानिचित् नियमानि आसन्, यत्र उभयपक्षेन तस्य अनुपालनमनिवार्यमासीत्, तदाधारेण युद्धं खलु युध्यन्ति स्म सर्वे। परन्तु तेषु कालान्तरेषु बहुनि खलु परिवर्तनानि स्वाच्छन्द्यमाधारीकृत्य जातानि, अद्यापि जायन्ते। एतादृशस्य युद्धस्य भयानकं रूपं तदैव दृश्यते यदा खलु महाबलाः योद्धाः स्व-स्वयुद्धसामग्र्याः संकलय्य युद्धस्य नियमानुसरणं कृत्वा एकैकं मारयितुं प्रारभन्ते। परन्तु प्रायतः दृश्यते यत् विजयकामिनो युद्धे अतीवस्वाच्छन्द्यस्य वशीभूताः सन्तः प्राकृतस्वरूपमतिरिच्य अधर्मस्यावलम्बनं कृत्वा विजयश्रियं लभन्ते। तेन तस्य व्यक्तित्वस्य कुपरिचयः सर्वविदितो भवति। अर्थात् काम-क्रोध-मोह-लोभानां प्राबल्यस्य वशीभूतः सः कदाचित् बहुनिन्दितो वा प्रशंसितो भवति, स्थानानुरोधेन। स्वाच्छन्द्यातिरेकात् तेषां स्वरूपमतीव निन्दनीयं रूपं धारयन्नस्ति। वस्तुतः एतच्छर्वं योद्धुः व्यक्तित्वमाधिक्येन समाश्रित्य भवत्येव। यदि स्वभावे तस्य भावस्य विद्यमानता अस्ति तर्हिः कदाचित् तं रूपयति वा।

अत्र **पउमचरिये** महाकाव्ये बहुषु स्थानेषु विविधानां युद्धानां वर्णनमस्ति। आदौ केषाञ्चित् अवसराणां नामग्रहणपुरस्सरं परिचयो दीयते। ततः तेषां युद्धानां विशिष्य वर्णनं तेषां परिणामस्योपरि चर्चां च कुर्मः। अनन्तरं युद्धानां साम्प्रतिकपरिणामानां कथनञ्च।

पउमचरिये घटितानि कानिचित् युद्धानि -1. विजयसिंह-किष्किन्धयोर्युद्धम्, 2. मालि-निर्घातयोर्युद्धम्, 3. इन्द्र-विमालयोर्युद्धम्, 4. सुरसुन्दर-रावणयोर्युद्धम्, 5. रावण-वैश्रमणयोर्युद्धम्, 6. यम-रावणयोर्युद्धम्, 7. वालि-रावणयोर्युद्धम्, 8. सहस्रकिरण-रावणयोर्युद्धम्, 9. रावण-नलकुबरयोर्युद्धम्, 10. रावण-लक्ष्मणयोर्युद्धमिति बहुनि युद्धान्यपि घटितानि सन्ति।

अत्र केषाञ्चिदेव युद्धानां कथनं करिष्यते, तदुत्थः परिणामः एव अपरेषां कृते शिक्षा इति मत्वा निष्कर्षं प्राप्स्यामः।

विजयसिंह-किष्किन्धयोर्युद्धम् -पउमचरिये वर्णनप्रसङ्गे विमलेन सूरिणा 'रक्खस-

वाणरपव्वज्जाविहाणाहियारो' नाम्नः षष्ठोद्देशकस्य अन्ते आदित्यपुरस्य राज्ञः मन्दरमालेः वेगवत्याः गर्भात् समुत्पन्ना श्रीमाला[2] इति कन्या स्वयंवरमाध्यमेन स्वस्य वररूपेण किष्किन्धिपुरस्य वानराणां राज्ञः किष्किन्धेः वरणमकरोत्।[3] तस्मात् रुष्टः विद्याधरराजा विजयसिंहः किष्किन्धिं जेतुं विद्याधरराजानां साहाय्येन वानरसुभटैः सह युद्धमारभत। अस्मिन् युद्धे बहुसुभटानां प्राणहानिरभवत्। तत्र सर्वादौ विजयसिंहः किष्किन्धेः सहोदरभ्रात्रा अन्धककुमारेण मारितः।[4] येन तस्य पिता अशनिवेगः विलप्य पुनः किष्किन्धिना सह योद्धुं किष्किन्धिपुरमवाप। तत्र च घोरे युद्धे अन्धककुमारः मारितः। एवं प्रकारेण कुत्रचित् दुःखं वा कुत्रचित् प्रमोदमनुभूय ते वानरराजाश्च विद्याधराः स्व-स्वराज्येषु निवसन्ति स्म।[5]

परिणामः -अत्र सूक्ष्मेक्षिकया पश्यामः चेत् तर्हिः अनुभवामः यत् यस्याः कृते युद्धं कृतं सा तु न प्राप्ता अपि तु स्वस्य, स्वबान्धवानां स्वसैन्यशक्तीनाञ्च हानिः चिराय अभवत्। 'नष्टे प्राणे किं राज्येन? शक्तिना? वा' अर्थात् स्त्री-रत्नस्य प्राप्त्यर्थं यदा कदाचित् हिंसामार्गस्य अवलम्बनं वीरैः कृतं तदा कुत्रचित् अपरेषां जीवननाशेन सह तैः स्वप्राणैरपि तस्य परिणाममवाप्तम्। तादृशः परिणामः चिरं स्वजनानां पीडां जनयति च स्मारं-स्मारं ते दुःखिनो जायन्ते।

2. मालि-निर्घातयोर्युद्धम् -सुकेशी पातालालंकारपुरनाम्नि नगरे जीवन्नासीत्। तन्मुखात् तस्य पुत्राः लङ्कापुरी कदाचित् तेषां राज्यमासीदित्, तत्र बलेन निर्घातः राज्यं करोति चेति वृत्तान्तं श्रुत्वा पितुः वारितवचांसि अमान्यं कृत्वा निर्घातं दण्डयितुं लङ्कायां प्रविशन्ति। घोरे युद्धे सुकेशिपुत्रः मालिः निर्घातं निहत्य स्वबन्धुवर्गैः सह लङ्कापुर्यां निवसति।

परिणामः -अनेन ज्ञायते यत् पुनः राज्यलोभेन वशीभूतः कश्चित् वीरः कदाचित् स्वबलस्य दुरुपयोगं करोति चेत् तर्हिः कालान्तरे तस्य पुण्यक्षये वा अपरस्य बलवृद्धौ तस्य वीरस्य पराजयस्य कारणं तस्य पूर्वकर्मतरुपजायते। भारतीये वाङ्मये सर्वैः खलु दार्शनिकैः धर्माचार्यैश्च सार्वकालिकं तत्त्वं 'कर्म एव गतेराधारमिति' स्वीकृतम्। तदुक्तं श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन "**ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्**" एवञ्च तत्रैव उक्तं भगवता "**अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सदसत्परम्॥**" इति अत्र निर्घातः स्वबलं सदैव अधिकं स्यादिति विचिन्त्य निश्चितो भूत्वा राज्यभोगमकरोत् तदेव कारणं तस्य पराजयस्य इति कदाचित् वक्तुं शक्यते। परन्तु मन्मते यदि अन्याय्येन कदाचित् किमपि प्राप्तं तर्हिः तन्नूनं न्याय्यानुरूपं परिणतिं समनुलभते।

अत्र युद्धस्य परिणामः पीडाः पुनरपि युद्धमिति परिणामानन्तरं अवाप्य एवं विचिन्तयितुं शक्नुमः यत् यदा कदाचित् युद्धस्य अवसर आयाति तदा प्राचीनयुद्धानां परिणामाः नूनमेव स्मर्तव्याः। येन युद्धे प्रवृत्तिरप्रवृत्तिविवेकः स्यात्, यदि कदाचित् युद्धे प्रवृत्तिः स्याच्चेत् तर्हिः तस्मिन् नूनमेव

समता वा शमता अवलम्बनीया, येन युद्धस्य परिणामः युद्धस्य पुनरापतने वाधको भवेत्। अर्थात् युद्धहानिः जनानां नूनमेव युद्धे अरतिं जनयतीति जानीमः।

3. इन्द्र-विमाल्योर्युद्धम् -रथनूपुर-चक्रवालपुरस्य राज्ञः सहस्रारस्य पुत्रः इन्द्रः बहूनां विद्यानां तथा बहुमूल्यवस्तूनां प्राप्तौ अधिक बलवान् भूत्वा स्वस्थेन निःशङ्केन च राज्यं करोति। तस्य समृद्धिं दृष्ट्वा लङ्काधिपः विमालिः स्वभ्रातृ-बन्धु-सैन्यैः सह अत्यन्तं गर्वयुक्तः सन् तदुपरि आक्रमणं कर्तुं प्रारभते।[6] तदा सुमालिः अरिष्टसूचकानां गर्दभ-अश्व-बलिवर्दादीनां ध्वनिं दक्षिणदिशि श्रुयत इति विज्ञाय युद्धे पराजयस्य चिन्तामाशङ्क्य, सः विमालिं युद्धाद्वारयति चाग्रे गन्तुम्। परन्तु बलगर्वितः विमालिः तस्य वचांसि श्रुत्वा वक्ति यत् -

किं दाढीभयभीओ, नियगुहं केसरी रियइ ॥18॥
नन्दणवणे महन्ता, जिणालया कारिया रयणचित्ता।
अणुहूयं पवरसुहं, दाणं च किमिच्छियं दिन्नं ॥19॥
समलंकियं च गोतं, जसेण ससिकुन्दनिम्मलयरेणं।
जइ होई समरमज्झे, मरणं तो कि न पज्जतं ॥20॥[7]

तदनुसारम् अस्माभिः सर्वाणि खलु सुखानि प्राप्तान्यत्र महीतले, यदि समरे मरणमपि जायते तर्हिः तत्र का चिन्ता।

परिणामः- परिणामतः समुत्पन्ने घोरे युद्धे विमालिः इन्द्रेण हतः। तस्य वधं ज्ञात्वा सुमालिरपि युद्धभूमेः स्वराज्यं प्रति सहसा प्रत्यावर्तनं नीतियुक्तमिति विचार्य पलायति। मार्गे नाम्ना सोमः इति देवेन भिण्डमालास्त्रेण तस्य अवरोधे कृते सोऽपि सुमालिप्रयुक्तेन अस्त्रेण मूर्च्छां प्राप्तम्, तदन्तरे सुमालिः पातालालंकारपुरं प्राप्तम्। तेषां सैन्याः अपि तथैव कुर्वन्तः स्वप्राणानां रक्षार्थं पातालालङ्कारपुरं प्रविशन्ति।[9]

कदाचित् दशमुखः मातृमुखात् शृणोति यत् इन्द्रस्य मुख्यसुभटपदे स्थितेन वैश्रमणेन तस्य कुलपरम्परायां स्थिताया: लङ्कापुर्याः हरणं कृतमिति। तथा तस्य पिता तेषां सुन्दरनगरीणां कृते क्षणमपि शान्तिं नानुभवतीति। तस्मात् सः विद्यानां साधनं कर्तुं भ्रातृभिः सह वनं प्रस्थौति।

तत्र बहुवाधाभिः व्याहतोऽपि सन् सभ्रातृकः दसमुखः प्रभूतं तपः संसाध्य बहूनां विद्यानां प्राप्तिं करोति। ताः विद्याः यथा -1.आकाशगामिनी, 2.कामदायिनी, 3.कामगामी, 4.दुर्निवारा, 5.जयकर्मा, 6.प्रज्ञप्तिः, 7.भानुमालिनी, 8.अणिमा, 9.लघिमा, 10.मनस्तम्भनी, 11.अलोभ्या, 12.संवाहिनी, 13.सुरध्वंसी, 14.कौमारी, 15.वधकारिणी, 16.सुविधाना, 17.तमोरूपा,

18.विपुलाकरी, 19.दहनी, 20.शुभदायिनी, 21.रजोरूपा, 22.दिन-रजनीकरी, 23.वज्रोदरी, 24.समदृष्टी, 25.अजरामरा, 26.विसंज्ञा, 27.जलस्तम्भनी, 28.अग्निस्तम्भनी, 29.गिरिदारणी, 30.अवलोकनी, 31.अरिविध्वंसिनी, 32.घोरा, 33.वीरा, 34.भुजंगिनी, 35.वारुणी, 36.भुवना, 37.दारुणी, 38.मदनाशनी, 39.रवितेजा, 40.भयजननी, 41.ऐशानी, 42.जया, 43.विजया, 44.बन्धनी, 45.वाराही, 46.कुटिला, 47.कीर्तिः, 48.वायूद्भवा, 49.शान्तिः, 50.कौवेरी, 51.शंकरी, 52.योगेश्वरी, 53.बलमथनी, 54.चाण्डाली, 55.वर्षिणी इत्यादयः अपराः बहव्यः अनेकगुणधारिण्यः विद्याः दशमुखेन सिद्धाः। ताः सर्वाः विद्या सिद्धिक्षणादनन्तरमेव तस्य शरीरे लीनाः जाताः।[10]

पउमचरिये दशमुखस्य राज्यशासनावसरे घटितानि युद्धानि तेषां परिणामानि च पश्यामः। वैताढ्यस्य दक्षिणस्यां दिशि सुरतसङ्गीत नाम नगरस्य राजा मयः आसीत्। तस्य कन्या मन्दोदरी, तस्याः विवाहार्थं यद्यपि राज्ञः मन्त्रिभिः (मारीच-वज्रमध्य-गगनतडित्-वज्रसेन-मरुत्-उर्ज-उग्रसेन-मेधा-सारण-शुकादिभिः) इन्द्रः प्रकृष्टो वरः इति मन्यते तथापि तत्र मयराजेन दशमुखः सर्वोत्कृष्टरिति उक्ते सति मन्त्रिणस्तस्य कारणानि ज्ञात्वा सन्तुष्टाः जायन्ते। ततः ते दशमुखस्य सविधे गत्वा राज्ञः समीपे एव तद्विषयं समुपस्थाप्य दशमुखेन सह मन्दोदर्याः विवाहे सहायकाः भवन्ति।[11] दशमुखः ताम् अग्रमहिषीपदे संस्थाप्य सुखानां बहुभोगं कृत्वा व्यतीतं कालमपि न गणयति।

पूर्वशत्रुभावं पालयन् जीवमानः दशमुखानुजः भानुकर्णः लङ्कायां प्रविश्य बलेन धनदस्य हस्ति-अश्व-महिलानां हरणं कृत्वा आनयति।[12] स्वस्य परिभवं ज्ञात्वा वैश्रमणः सुमालिनं प्रति स्वस्य दूतं प्रेषयति, तन्माध्यमेन बहुभर्त्सनाः करोति, स्वस्य बलाधिक्यं च प्रचारयति।

नाऊण य वेसमणो, नियय चिय देसपरिहवं रुट्ठो।
पेसेइ सुमालिस्स य, वयणालंकारदूयं सो॥
गन्तूण पणमिऊण य, सुमालिणं दहमुहं च दूओ सो।
अह साहिउँ पयत्तो, जे भणियं सामिसालेणं॥
अह जंपइ वेसमणो, समत्थतेलोक्कपायडपयावो।
जह उत्तमो कुलीणो, सुमालि! नयपण्डिओ सि तुमं।।
एवंविहस्स होउं, न य जुत्तं तुझ ववसिउँ एयं।
नासयसि मज्झ देसं, जेणं चिय कुम्भयण्णेणं॥
अहवा किं पम्ड?, जं सि तया सव्वनिसियरसमक्खं।
इन्देण समरमज्झे, वहियं मालिं न संभरसि?॥

सो हु तुम दहुरो इव, इन्दस्स रणे भयं अयाणन्तो।
दाढाकण्टयविसमे, कीलसि वयणे भुयङ्गस्स॥
मालिवहेण न सन्ती, जाया वि हु तुज्झ अणयकारिस्स।
सेसनिययाण वि वहं, कप्पसि नत्थेत्थ संदेहो।
जइ न निवारेसि तुमं, एयं चिय बालयं अबुद्धीयं।
दढनियल संजमेरों, चारगिहत्थं निवारे हं॥
पायालंकारपुरं, चइऊण ठिओ सि जं चिरं कालं।
पुणरवि धरिणीविवरं, सुमालि! किं पविसिउ महसि?॥
रुडे मए निसायर!, इन्दे वा कोहसंगए तुज्झ।
न य अस्थि समत्थे वि हु, ताणं सरणं च तेलोक्के।[13]
तदाकर्ण्य क्रोधमुखः दशवदनः वैश्रमणाय दूतं भाषते –
को वेसमणो नामं?, को वा वि हु भण्णए इन्दो?॥
अम्हें परंपराए, कुलागयं भुञ्जसे तुमं नयरं।
वेसमण! मुञ्चसु लहुं, जइ इच्छसि अत्तणो जीयं।
सो सेणायइ काओ, सीहायडू कोल्हुओ अवुद्धीओ।
भिच्चयणबन्धवारी, जो कुणइ मए समं जुज्झं।
रे दूय! अवयणाई, एव भणन्तस्स उत्तमङ्गं ते।
पाडेमि धरणिवडे, असिणा तालप्फलं चेव।
एवं भणिऊण सहसा, आयडइ असिवरं परमरुट्ठो।
दूयस्स उच्छरन्तो, रुद्धो य बिभीसणभडेणं।
पाययपुरिसेण पहू! इमेण परवयणपेसणकरेणं।
दूएण मारिएण वि, सुहडाण जसो न निव्वडइ।[14]

वैश्रमण! मे कुलनगरस्य परित्यागं त्वरया कुरु। मूर्ख! शृगालो भूत्वाऽपि यः सिंह इव आचरते सः नूनं स्वजनानां शत्रुरेव भवति। तत्कथयित्वा यावद्दशमुखः भृत्यं हन्तुमुद्यतो भवति तावन्मध्ये विभीषणो वारयन् च वक्ति, प्राकृतजनस्य हत्या न शोभते वीराय। तत्र सुभटाश्च तं भृत्यं बहिर्क्षिपन्ति, येन क्षतशरीरः सः लङ्कां गत्वा वैश्रमणं सर्वं श्रावयन् वदति तत्र दशमुखेन स्वानुजाः न निवारिताः न च भवत्कथनानुरूपं किमपि कृतम्। नूनमेव दशमुखः योद्धुमिच्छति।[15]

दूतमुखाद्दशमुखेच्छां विजानता वैश्रमणेन युद्धाय सैन्यान् च स्वसुभटांश्च आत्मजैः सह

सज्जीकृतं। एवं वैश्रमणः रथ-अश्व-हस्तिपकसैन्यैः विविधायुधैः सज्जीकृतैः यक्ष-सुभटैश्च सह गुञ्जावरं पर्वतमुपरि आगच्छति। वैश्रमणं ससैन्यं गुञ्जावरे विज्ञाय दशमुखोऽपि स्व-सुभटैः सैन्यैश्च सह सज्जीकृतरथाश्वहस्ती तमेव पर्वतमुपरि क्षणेन आयाति। तत्र शत्रुसैन्यान् दृष्ट्वा यक्ष-सुभटाः अत्यानन्दिताः जायन्ते।

दशमुख-वैश्रमणयोः युद्धम् - शर-ग्रन्थि-शक्ति-कण्टकी-करालकुन्तेषु क्षिप्यमाणेषु चक्रेषु व्यासङ्गेषु च गगनाङ्गनं सहसा छन्नम्। रथिकाः रथिकैः सह, गजारूढाः गजारूढैः सह तथा अश्ववाराः सुभटाः अश्वावलग्नैः सह युध्यन्ति। स्वामीकार्योद्यताः अभिमुखमापतिताः सुभटाः केचित् खड्गेन, मुद्गरेण च चक्रेण एकैकं प्रहरन्ति। रणमुखे चटत्कारप्रहारोपमेषु प्रहारेषु युध्यन्ति। तत्क्षणमात्रेण युद्धभूमिः नृत्यत्कबन्धप्रेक्षणका कृता। तदैव रणे दशमुखः चक्रावर्तमिव भ्रामयन् राक्षसानां सैन्यं यक्षसुभटानां समक्षमानयति। दृढचापगृहीतहस्तेन विशिखान् त्यजता दशमुखेन गुरुप्रहाराभिहतारिव यक्षभटाः विमुखाः कृताः। न कोऽप्यस्ति रणे दशमुखस्य पुरतः यक्षबले रथ-गज-तुरग-पदातिकः यो दशवदनकराग्रमुक्तैः विशिखैः न भिन्नः। अर्थात् सर्वे शत्रुसैन्याः दशमुखस्यास्त्रेण नूनमेवाहताः हताश्च केचन।

समरमध्ये अभिमुखमायान्तं रावणं दृष्ट्वा यक्षनरेन्द्रस्य तीव्रः बान्धवस्नेहो उपजायते, तदा सः चिन्तयति यथा पूर्वमेव बाहुबलिः महाभवे संवेगसमापन्नो भूत्वा संसारविषये चिन्तितं तथैव मम कृते रणं धिगिति भावना आयाति। तदा अतिमानगर्वितेन विषयविमूढेन मया बन्धुवधार्थम् अकीर्तिकरमेतद्युद्धं रचितम्। तथा च दशाननाय सम्बोधयित्वा वदति, हे दशमुख! क्षणभङ्गरायै श्रियै कथं पापकर्म करोसि?, अतः विरमस्व, यतो आवामेकोदरोत्पन्नयोः भगिन्योः पुत्रौ स्तः। बन्धूनाम् एकैकेन सह संग्रामः न युज्यते। जीवघातेन घोरः नरकः प्राप्यते। विषयसुखाशया तीव्रलुब्धाः पुरुषाः जीवघातं कृत्वा पुण्यरहिताः सन्तः बहुवेदनं नरकं व्रजन्ति॥

भोक्तुमेकदिवसं, राज्यं संवत्सरं भवति पापम्।
सूत्रस्य कारणार्थं, नाशयन्ति मणीः अविज्ञाताः॥

तं रागदोषं त्यज, निजकं बान्धवस्नेहं दर्शय, विषयभोगतृषितः सन् निजकेषु अङ्गेषु मा प्रहर। एतच्छ्रुत्वा अतिबलोन्मत्तः दशाननो भणति, वैश्रमण! संग्रामे धर्मश्रवणस्य कालो न भवति। मम खड्गस्य मार्गे आगच्छ, बहुभाषितेन वृथा? अथवा प्रणामं कुरु, तवान्यत्किमपि शरणं नास्ति।

ततो रणमुखे अभिमुखम् दशाननं वैश्रमणः भणति, त्वमेतानि जल्पन्नासन्नमरणभावो वर्तसे। मया तु बान्धवस्नेहेन मधुरवचनैः निवारितः। तत्त्वं यक्षाधिपस्य भीतिरिति परिगणयसि। दशमुख!

यदि तावद् बलसमर्थोऽसि एवञ्च तव कठिनदर्पमाहात्म्यमस्ति तर्हि: अविलम्बं प्रथमं प्रहर। अथ राक्षसेन्द्र: दशमुखो भणति यत् संग्रामे प्रथमं रिपुभटस्योपरि सर्वायुधकृतसङ्गा: मे हस्ता: न चलन्ति।

तस्माद् बहुरुष्ट: यक्षाधिपति: वैश्रमण: दशमुखस्योपरि शरशतानि वर्षति। तानि शराणि किरणप्रसरन्निवह: मध्यस्थित: सूर्यरिव ज्ञायते। वैश्रमणकरविमुक्तं शरसमूहम् अर्धचन्द्रबाणै: छित्त्वा दशमुख: गगने शरमण्डपं करोति। यक्षपतिना आकर्णपूरितै: धनुर्विमुक्तै: सुनिश्चितबाणै: दशमुखस्य चापं द्विधा विभक्तं, रथश्च तस्य संचूर्णित:।

तत्क्षणमेव अन्येन रथेन विलग्न: चापं गृहीत्वा शरवरशतै: दशवदन: धनदस्य देहस्थं कवचमुत्कर्तति। ततश्च तेन यमदण्डसदृशेन भिन्धिमालेन अस्त्रेण यक्षाधिपते: वक्षस्थले प्रहत:, तस्मात् धनद: मूर्च्छां गत:।[16]

तं मूर्छितं दृष्ट्वा यक्षसैन्या: हतोत्साहा: जाता:, अथ च राक्षसयोद्धा: विजयश्रियं विचिन्त्य आनन्दिता: जाता:। यक्षसैन्या: हतोत्साहिता: सन्त: रोदनमकुर्वन्। तदवसरे वैश्रमणं भृत्या: युद्धभूमे: यक्षपुरं नयन्ति।

परिणाम: –चिकित्सित: स्वस्थमना: वैश्रमण: स्वस्य विषयासक्ति: खलु एतादृशस्य पीडाजनकस्य युद्धस्य कारणमिति विज्ञाय प्रव्रज्यामंगीचकार। तस्य पुष्पकविमानं दशमुख: आरोहति एवञ्च ततोऽधिकेन ऋद्धिना सम्पन्न: दशानन: राज्यं करोति।

अपि च हरिषेणचक्रवर्तिप्रसङ्गे दशमुख: भुवनालङ्कार नामानं हस्तिनं वशीकृत्य तदुपरि स्वस्य आधिपत्यञ्च प्राप्य स्वं त्रिभुवनविजयी इति मनुते।

दशानन-लक्ष्मणयोर्युद्धम् –स्वसम्मानस्य रक्षायै दशानन: (रावण:) बहुरूपिणीविद्याबलेन स्वस्याकृतिं पर्वताकारं कृत्वा रणे प्रविशति, तस्य समीपे लक्ष्मण: गरुडरथारूढ: सन् युद्धाय प्रवृत्तो भवति। तन्मध्ये उभयपक्षस्थानां सुभटानां मध्ये महासंग्राम: समारब्ध:। यदा रामस्य बाणसमूहेन आक्रान्तो मयराजा भय-व्याकुलितो भवति तदा रावण: स्वयं युद्धाय प्रवर्तते। तदा लक्ष्मण: तं युद्धाय आह्वयन् वदति –सीतां त्यज, अथवा चिन्तय स्वहृदि यत् 'गर्दभग्रीवालम्बितो विजयघण्टो न शोभते' तादृशमपमानसूचकं वाक्यं श्रुत्वा असह्यमान: रावण: लक्ष्मणेन सह भीषणं युद्धं समारभते। एकैकमुपरि बहुनि खलु अस्त्राणि च शस्त्राणि उभयपक्षत: प्रक्षिप्यन्ते। अन्ते रावण: चक्ररत्नं स्मरति। तस्य अवतरणे जाते स: लक्ष्मणं हन्तुं तस्य प्रयोगं करोति, परन्तु तस्य विपरीतं किमपि सङ्घटितेटने जाते रावणश्चकितो भवति। तच्चक्रं मन्दगत्या लक्ष्मणस्य प्रदक्षिणां कृत्वा तस्य हस्ते स्वयमेवाधिष्ठितो भवति। तदैव दशानन: स्मरति चक्रविषयकम् अनन्तवीर्यस्य कथनम्। तत: लक्ष्मणक्षेपितेन चक्रेण रावण: हत:।

निष्कर्षः – एवं प्रकारेण बहुनि खलु युद्धान्यत्र ग्रन्थे वर्णितानि सन्ति। यद्यपि तेषां खलु समेषां परिणामाः भिन्नाः सन्ति तथापि कुत्रचित् जनानां मङ्गलकरो, कुत्रचिच्च व्यक्तेः पतनकारकः, क्वचिच्च ज्ञानोदयकारणात् व्यक्तेः ऊर्ध्वगमनं भवतीति परिलक्षितम्।

परन्तु दशाननस्य लक्ष्मणेन सह युद्धकाले यानि खलु चिन्तनानि तस्य मनसि आयान्ति तानि सर्वाणि सम्यग् विज्ञाय अपि दशाननः स्वस्य सम्मानरक्षायै लक्ष्मणेन सह युद्धं करोति। अपि च कस्यचिद्वचांसि मङ्गलकराण्यपि न शृणोति न च तदनुरूपं व्यवहृत्य युद्धाद्विरमते। परिणामतः समग्रबलसहितो भूत्वाऽपि विविधशास्त्रशस्त्राणां ज्ञाता प्रयोक्ता च सन्नपि सः लक्ष्मणेन हतो।

अद्यापि तादृशानि युद्धानि बहूनां देशानां मध्ये भवन्ति, विश्वयुद्धादिकं च अन्यानि खलु युद्धानि अस्माकं समक्षं सन्ति। परन्तु तत्र यावदेव नियमानामनुपालनं कृतं तावदेव युद्धे बहुहानिर्न जाता। परन्तु यदा खलु तद्विपरीतं किमपि देशैः कृतं तदा बहुजनानां सम्पदां च हानिः भूत्वा अद्यापि मानावान् व्याकुलयन्ति ते परिणामाः। कालानुरोधेन यद्यपि मानवः पौनःपुन्येन युद्धानि रचयति तथापि तत्र उभयपक्षस्य जन-सम्पदां चिराय हानिः व्याकुलयति बहूनां स्वजनानां मनांसि च विदारयति हृदयानि बहूनि। युद्धस्य परिणामरूपेण देशानां स्वरूपमपि तत्र परिवर्तते। अपि च देशानां प्राकृतिकसम्पदां च कृत्रिमसम्पदां चिराय हानिर्भवति।

अतः मनोविकाराणां कारणात् यदा कदाचित् वैमनस्यमुत्पद्यते तदा नूनमेव तस्य समाधानं वार्तालापेन स्वस्य चाहंकारत्यागेन अविलम्बेनैव करणीयमिति मे अल्पमतेर्मतमिति शम्।

संदर्भः –

1. पउम. 5/257
2. पउम. 6/158
3. परम, 6/175
4. पउम. 6/186
5. पउम. 6/202
6. पउम. 7/11-13
7. पउम. 7/18-20
8. पउम. 7/36-38
9. पउम. 7/39
10. पउम. 7/135-143
11. पमउ, 8/7-22
12. पउम, 8/66
13. पउम. 8/67-76
14. पउम, 8/77-82.
15. पउम, 8/86
16. पउम, 8/95-120
17. पउम, 8/125-127
18. पउम, 8/125-127

प्राकृत कोश साहित्य का व्यावहारिक पक्ष

डॉ. पत्रिका जैन, लखनऊ (उ.प्र.)

शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध है क्या? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 'आम' कहने पर आम के फल का अर्थ ही बोध क्यों होता है? अमरूद आदि अन्य फल क्यों नहीं जाने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि प्रत्येक सार्थक शब्द किसी अर्थ (वस्तु) विशेष का बोधक होता है। हर भाषा में यह शब्द इस अर्थ में होगा ये संकेतित है। यह संकेत सामान्यतः स्वेच्छाजन्य या यादृच्छिक होता है। प्रारंभ में कोई व्यक्ति किसी विशेष अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करता है। कालान्तर में वह शब्द उस समाज या उस भाषा में लोकप्रिय हो जाता है। वहीं उस शब्द का संकेतित अर्थ माना जाता है। एक ही शब्द या ध्वनि समूह विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अर्थ बताता है। जैसे- अंग्रेजी Know (नो, जानना) प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी में निषेधार्थक नो माना जायेगा। इसलिए कह सकते हैं कि किसी एक ध्वनि का कोई एक अर्थ नहीं है किसी शब्द से किसी अर्थ का सम्बन्ध स्थापित करना संकेतग्रह है। अतः किसी ध्वनि समूह से किसी वस्तु का सम्बन्ध बोध करना संकेतगृह है। यह संकेतगृह लोकव्यवहार एवं अनुमान से होता है।

आचार्य जगदीश ने 'शब्दशक्ति प्रकाशिका' में संकेतग्रह/अर्थज्ञान के आठ साधन बतायें हैं–

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥

व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष (प्रकरण), विवृत्ति (व्याख्या) प्रसिद्ध पद का सानिध्य।

कोशग्रन्थों से शब्दों का अर्थ ज्ञात करने में बहुत सहायता मिलती है। धूआ, हलुअं, हेट्ठं, णडालं, लुक्को, बाहो, सिलिट्ठं आदि का अर्थ ज्ञान नहीं है तब कोशग्रन्थ की सहायता से इनका अर्थ पुत्री, लघुकम्, अधस्, ललाटं, रुग्णः, वाष्पः, श्लिष्टम् आदि ज्ञात कर सकते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ बोध के तीन साधन (1) व्यवहार (2) विवरण (3) अनुवाद

बताएँ हैं। व्यवहार (Demonstration) से किसी वस्तु का बोध कराने के लिए उसे बार-बार दिखाना या उसकी ओर इंगित करना होता है। बच्चों को सीखने के लिए ब्लेकबोर्ड, पेन्सिल, कलम, चाक, पुस्तक, कॉपी आदि शब्दों का बोध कराया जाता है जिससे कि वो आगे चलकर उन शब्दों का अर्थ जान सके। ऐसे ही प्राकृत कोश ग्रन्थ भी दुरुह प्राकृत शब्दों के साथ व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं या यूं कहें उनका अर्थ बोध कराते हैं।

कोश लोकव्यवहार में प्रयोग किये जाने वाले शब्दों का परिरक्षण, विद्वानों द्वारा शब्दों की नवीन रचना तथा व्याकरण के अनुसार शब्दों की व्युत्पत्ति तथा हमारे सामने शब्दों के खजाने को प्रस्तुत करता है तथा उनके अर्थ एवं लिंग, प्रयोग आदि की एक सामान्य व्यवस्था देता है।

प्राचीन काल में कोश का कोई अलग साहित्य नहीं था। गुरु-शिष्य परम्परा से ज्ञान गंगा बहती थी। आचारांग, सूत्रकृतांग आदि में कई जगह एक ही शब्द के कई रूप मिलते हैं। भगवती सूत्र में शताधिक शब्दों के पर्याय प्राप्त होते हैं। भगवती सूत्र को प्राकृत साहित्य का सबसे प्राचीन कोश कहा जा सकता है। आगमों एवं उपांगादि में तथा उनकी विभिन्न टीकाओं में भी एकार्थक एवं निरुक्तिमूलक शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगम एवं उनके व्याख्या साहित्य को प्राकृत कोश साहित्य के उद्गम स्थल के रूप में देख सकते हैं।

धनपाल की पाइयलच्छीनाममाला प्राकृत साहित्य का प्रथम कोश ग्रन्थ है। इसकी रचना विक्रम संवत् 1029 में की गई थी। इसमें 279 गाथाएँ हैं। इसमें एक शब्द के कई नाम हैं, जैसे- हाथी के दस नाम, पार्वती के बारह नाम आदि। विषय, स्थान आधार पर केवल नामशब्दों का चयन किया है, जैसे- पीलू गओ मयगलो मायंगो सिंधुरो करेणू या दोघट्टो दंती वारणो करी कुंजरो हत्थी।

विक्रम संवत् 1214-15 ई. में (1159) में देशीनाममाला की रचना हेमचन्द्र ने की। उन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य आदि अनेक विधाओं में संस्कृत एवं प्राकृत में प्रमाणित ग्रंथों की रचना की। देशीनाममाला में देशी शब्दों का संकलन है। इसके कुछ शब्द शैल, संथाल, मुण्डा, द्रविड आदि भाषाओं से मिलते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण का बनारस के विद्वान् दामोदर शास्त्री ने अपने शिष्यों के लिए 12वीं शताब्दी में कोश ग्रंथ के रूप में निर्माण किया। इसका दूसरा नाम प्रयोगप्रकाश है लोकभाषा में प्रचलित देशज शब्द कैसे संस्कारित होकर शुद्ध रूप या संस्कृत रूप धारण करते हैं, इसमें सरल रूप से समझाया गया है। व्याकरण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। जैसे

आथि इति कर्तृनिष्ठा कीज इति साध्यगा क्रिया तस्मात्।

अस्ति-करोति धातु अकर्मक-सकर्मका एवम्।।7।।

17वीं शताब्दी के एक जैन विद्वान् साधु सुन्दरगणी ने उक्तिरत्नाकर ग्रंथ की रचना की। इसमें देशज उक्तिमूलक शब्दों का संग्रह किया गया है। इसका दूसरा नाम औक्तिक पद हैं इसमें शब्दों का संस्कृत रूप भी है जैसे- छावडउ-शावक, रीसालू ईर्ष्यालू आदि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से प्राकृत में गढ़े गए जैसे- वड़ी-वाटिका, मिठाई-मृष्टाटिका।

जैन कक्को कोश' द्विभाषिक कोश है इसमें प्राकृत शब्दों का गुजराती में अनुवाद किया गया है। इसे बल्लभी छगनलाल ने अहमदाबाद में 1812 में निर्माण कर प्रकाशित कराया।

अभिधानराजेन्द्रकोश- विजयराजेन्द्रसूरि का एक वृहत्कोश है इसकी श्लोक संख्या साढ़े चार लाख हैं इसका अंतिम खंड 1924 ई. में प्रकाशित हुआ। अकारादिक्रम में लगभग साठ हजार प्राकृत शब्दों का संग्रह है। प्राकृत शब्दों का संस्कृत में अनुवाद, लिंग निर्देश, संदर्भ एवं जैनागमों के अनुसार उनका अर्थ आदि प्रस्तुत किया गया है। जैसे-प्राकृत शब्द- एगगंध, संस्कृत छाया- एकगंध, व्याकरणिक कोटि- त्रिकालिक, संदर्भ- सुगन्धीतरान्यतरगन्धोपेते, उत्त. 1 अ.

सचित्र अर्धमागधी कोश, साधु मुनिरत्नचन्द्र ने गुजराती में लिखा था। हिंदी एवं अंग्रेजी रूपान्तर प्रीतमलाल आदि विद्वानों ने किया। यह पांच भागों में है। यह पंचभाषा कोश हैं प्राकृत के शब्द संस्कृत, गुजराती एवं अंग्रेजी भाषाओं में रूपांतरित किए हैं। जैसे अर्धमागधी शब्द- अंगुलिज्जग, व्याकरणिक कोटि- संज्ञा (नपुं.), संस्कृतछाया- अङ्गुलीयक, गुजराती अर्थ, हिंदी अर्थ- अंगुलियों का गहना, अंगूठी वगैरह, अंग्रेजी अर्थ- A ring, संदर्भ- जीवा. 3, 3 य नाया. 1 य ओव. 31 य कप्प, 4, 62 ॥

पाइअसद्दमहण्णवो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पं. हरगोविंददास त्रिकमचंद सेठ ने रचना की। इसमें 300 ग्रंथों का उपयोग हुआ है। इसमें अभिधानराजेन्द्र कोश के दोष दूर करने का प्रयास किया गया है प्रत्येक ग्रंथ के साथ किसी न किसी ग्रंथ का प्रमाण है। परन्तु उदाहरण में कई स्थानों पर संदर्भ ही मिलते हैं पूरा उदाहरण नहीं। जैसे- प्राकृत शब्द- अंगुलिअ/अंगुलिज्जक/अंगुलिज्जग, व्याकरणिक कोटि-संज्ञा (नपुं.), संस्कृत छाया अङ्गुलीयक, हिंदी अर्थ- अंगूठी (दे. 9, कप्पय पि 252)

प्राकृत हिंदी कोश को डॉ. के. आर चन्द्र ने पाइअसद्दमहण्णवो का संक्षिप्त एवं लघुकाय आकार कोश रूप में निर्माण किया। यह अहमदाबाद से 1887 में प्रकाशित हुआ। इसमें

प्राकृत शब्दों के बाद कोष्ठक में संस्कृत रूप, इसके बाद हिंदी को दिया गया है। एक शब्द के अन्य अर्थों को भी दिया है। जैसे- प्राकृत शब्द- अंगुलिअ/अंगुलिज्जक/अंगुलिज्जग, संस्कृत छाया- अङ्गुलीयक, व्याकरणिक कोटि- संज्ञा (पुं., नपुं.), हिंदी अर्थ- अंगूठी, इसमें संदर्भ संकेत हैं पूरा संदर्भ नहीं है।

एकार्थक कोश श्रमणी कुसुमप्रज्ञा द्वारा सम्पादित विश्वभारती लाडनूं से 1984 में प्रकाशित हुआ। जैन पारिभाषिक शब्दों के अर्थज्ञान के लिए यह कोश उपयोगी हैं। जैसे प्राकृत शब्द- अंगुलेयक, हिंदी अर्थ- अंगूठी, संदर्भ- अंगुलेयकं मुद्देयकं वेंटकं। अंगविज्जा

देशी शब्दकोश का सम्पादन तथा इसका प्रकाशन महाप्रज्ञ जी द्वारा विश्वभारती लाडनू में 1988 में हुआ। इससे पूर्व 1984 में आपका निरुक्त कोश प्रकाशित हुआ। निरुक्तकोश लगभग 400 पृष्ठों का है। मूल ग्रंथ में प्राकृतशब्दों के बाद कोष्ठक में संस्कृत रूप देकर संस्कृत या प्राकृत में निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। निर्वचन का हिन्दी अनुवाद भी है। अर्धमागधी आगमों के शब्दों के लिए यह कोश विशेष उपयोगी है। हेमचन्द्र के बाद यह सबसे उत्तम देशी कोश है। इसमें लगभग 10 हजार शब्दों का संग्रह है।

कुन्दकुन्द कोश- प्रो. उदयचन्द्र जैन उदयपुर ने 1991 में निर्माण कर प्रकाशित कराया। इसमें कुंदकुंद साहित्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या दी गई है। जैसे-

प्राकृत शब्द- अइसय, व्याकरणिक कोटि- (संज्ञा पुं.), संस्कृत छाया- (अतिशय), हिंदी अर्थ सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, आधिक्य, प्रमुखता, उत्कृष्टता, अत्यधिक, बहुत बड़ा (प्र. व. 13 द. 29 वो. 31)।

A comprehensive and critical Dictionary of the Prakrit Language पूना में भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट से 7 जिल्द में प्रकाशित हो चुकी है क वर्ण तक और कार्य चल रहा है यह अपने में प्रमुख है। इसकी व्यावहारिकता है इसके कई संदर्भ जैसे- प्राकृत शब्द- अंगुलेज्जग angulejjag, अंग्रेजी अर्थ- a fingerring, संदर्भ- अंगुलेज्जग ललियंगयलयिकयाभरणे दश. (4 संदर्भ अन्य), New Entry- अंगुलेयग anguleyag, 2 संदर्भ।

प्राकृत हिन्दी शब्दकोश- प्रो. उदयचन्द्र जैन उदयपुर ने बनाया, जो कि प्रकाशित हुआ। इसमें प्राकृत शब्द अंगुलीअअ, **व्याकरणिक कोटि**- विशेषण, **हिंदी अर्थ**- अंगूठीयुक्त (मा. 22) बिन्दुओं पर कार्य हुआ है।

पाइय-सद्दकोस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर से प्रकाशित हुआ है। जिसमें प्राकृत साहित्य के काव्य व संस्कृत नाटकों से शब्दों का चयन किया गया है। इससे पूर्व के कोशों संस्कृत नाटकों से शब्दों की उपेक्षा नहीं हुई है। प्रस्तुत कोश उसका छोटा सा नमूना है। उदाहरणार्थ– प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में आधुनिक पद्धति में ऑनलाइन द्वारा बेवसाइट पर प्राकृत के शब्दकोश भी उपलब्ध है। प्रारंभिक रूप में आए बिन्दुओं पर कार्य हुआ है। प्राकृत शक, संस्कृत रूप, व्याकरणिक कोटि, हिन्दी अर्थ, अंग्रेजी अर्थ और प्रयोग पर कार्य हुआ है। आगे ऑनलाइन के चरण का कार्य बाकी है।

अंगुलीअअ / अंगुलिअ / अंगुलिज्जक / अंगुलिज्जग /अंगुलेयय angulnaa / angulia / angulijjaka / angulijjaga / anguleyaya

संस्कृतच्छाया- अङ्गुलीयक व्याकरणिक कोटि संज्ञा (नपुं.) Naun,

हिन्दी अर्थ- अंगूठी, मुद्रिका अंग्रेजी अर्थ- finger-ring

प्रयोग- (अनसूया-) ता इदो अहिण्णाणं अंगुलीओं से विसज्जेम?

(तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयकं तस्य विसृजाव) अभि.शाकु,, पृष्ठ 269

संदर्भ ग्रन्थ

1. अमरकोश,
2. भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र
3. पाइयलच्छीनाममाला देशीनाममाला,
4. उक्तिव्यक्तिप्रकरण,
5. उक्तिरत्नाकर,
6. अभिधानराजेन्द्रकोश
7. सचित्र अर्धमागधी कोश
8. पाइअसद्दमहण्णवो प्राकृत हिंदी कोश- डॉ. के. आर चन्द्रा,
9. एकार्थक कोश,
10. देशी शब्दकोश,
11. कुन्दकुन्द कोश। A comprehensive and critical Dictionary of the Prakrit Languages.

प्राकृत साहित्य में वर्णित वैवाहिक जीवन की प्रासंगिकता

डॉ. सतेन्द्र कुमार जैन, जयपुर

भारतीय संस्कृति में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिये चार आश्रमों की व्यवस्था की है। जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् गृहस्थाश्रम की प्राप्ति के लिये मनुष्य को विवाह करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिये तीन मार्ग हैं, गृह, परिवार, रिश्ते, सम्पत्ति आदि सभी का त्यागकर साधक बनकर उत्तममार्ग में अग्रसर हो अथवा साधक बनने की सामर्थ्य न होने पर गृह, परिवार आदि में मोह कम करता हुआ ब्रह्मचर्य धारणकर साधक के समीप रहकर धर्माचरण करता हुआ मध्यम मार्ग का अनुसरण करें अथवा उत्तम एवं मध्यम मार्ग के धारण की सामर्थ्य न होने पर विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेशकर जघन्य मार्ग का अनुसरण करें।

धार्मिक साहित्य में एवं समाज में विवाह को पवित्र बंधन कहा गया है। इस कारण पं. आशाधर जी ने तथा अन्य साहित्यकारों ने विवाह में कन्या के प्रदान करने को कन्यादान शब्दों से व्यवहृत किया है। विवाह दोषों के नियंत्रण का उपाय है। जहाँ अविवाहित रहकर तथा ब्रह्मचर्य का नियम न लेकर संसार के सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं के प्रति आसक्ति के भाव से निरन्तर पाप बंध होता रहता है, वहीं विवाह के पश्चात् केवल दम्पत्ती के आपस में आसक्ति के भाव से पापबंध में नियंत्रण हो जाता है। इसकारण विवाह को पवित्र बन्धन माना गया है। कुछ पापी प्रवृत्ति के लोग विवाह को समाज में खुले रूप से पाप करने का अधिकार भी मानते हैं, जो उनकी दुर्बुद्धि का परिचायक है। विवाह के कारण दायित्व का भार ग्रहण करने की सामर्थ्य में भी उन्नति होती है। इसकारण मोक्षमार्ग में विवाह-बन्धन का कारण है, तो विवाह ही संसार में हो रहे असीमित पाप का नियंत्रक भी है।

विवाह- प्राकृत साहित्य में स्पष्ट रूप से विवाह का लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है। विवाह की विधि आदि का वर्णन प्राप्त होता है। अन्य शास्त्रों में विवाह के विषय में कहा है- **सद्वेद्यस्य चारित्रमोहस्य चोद्यात् विवहनकन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते।** अर्थात्

सातावेदनीय और चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से कन्या के वरण करने को विवाह कहते हैं। (राजवार्तिक 7/28/1/554/22)

विवाह के प्रकार- मनुस्मृतिकार ने विवाह के आठ प्रकारों का वर्णन किया है। जिनके उदाहरण प्राकृत साहित्य में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। वे विवाह इस प्रकार है- ब्राह्मविवाह, दैवविवाह, आर्षविवाह, प्रजापत्यविवाह, गान्धर्वविवाह, पैशाचविवाह, राक्षसविवाह और आसुरविवाह। प्रारम्भ के चार विवाह माता-पिता की आज्ञा से सम्पन्न होते हैं। इस कारण इन्हें शुभ माना गया है। गान्धर्वविवाह प्रेमविवाह है, जिसमें वर-वधू विवाह का स्वयं निर्णय लेते हैं। सागार धर्मामृत में पं. आशाधर जी ने गान्धर्व विवाह के लिये कहा है कि- माता-पिता और बन्धुजनों की सम्मति के बिना ही वर और वधू परस्पर के अनुराग से जो विवाह कर लेते हैं, उसे गान्धर्व विवाह कहते हैं। (सागारधर्मामृत, अध्याय-3, श्लोक-23) राक्षस विवाह कन्या का अपहरण करके किया जाता है, इसे हरणविवाह भी कहा जाता है। पैशाच विवाह कन्या की स्वीकृति के बिना बलपूर्वक होता है। आसुर विवाह कन्या का क्रय करके किया जाता है।

वर्तमान में परम्परागत लोग ब्राह्म-विवाह करते हैं तथा जो अपने आप को वर्तमान की चकाचौध में झोंक चुके हैं, ऐसे लोग गान्धर्व-विवाह कर रहे है तथा कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पैशाच-विवाह तथा राक्षस-विवाह भी करते हैं तथा कुछ अविवाहित लोग जिनकी आयु विवाह की सीमा से अधिक हो चुकी है, वे आसुर विवाह भी करते हैं। अधिकतर लोग गान्धर्व-विवाह को माता-पिता की स्वीकृति कराकर ब्राह्म-विवाह में परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं।

शास्त्रकारों ने वर्तमान में प्रचलित गान्धर्वविवाह को न करने का निर्देश दिया है। ब्राह्मविवाह तथा गान्धर्वविवाह की तुलना में देखा जाये तो ब्राह्मविवाह समाज तथा परिवार की लाज के कारण, परिवार के हस्ताक्षेप तथा सूझबूझ के कारण दीर्घकाल तक निर्वाहित हो रहे हैं; जबकि माता-पिता तथा समाज की रजामंदी के बिना किये गये गान्धर्व-विवाह में संबंध विच्छेद अधिक दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण पति-पत्नी के आपसी टकराव में माता-पिता तथा समाज का हस्तक्षेप नहीं होने से सुलह कम हो पाती है और अन्ततः संबंध-विच्छेद हो जाता है। अतः वर्तमान में समाज में संबंध-विच्छेद के बढ़ते प्रकरण को देखते हुये ब्राह्मविवाह को अधिक महत्व देना चाहिये।

विवाह की विधि- पुत्र-पुत्री के विवाह के योग्य होने पर माता-पिता के द्वारा वर-वधू का अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण की प्रकिया से ही विवाह की विधि प्रारम्भ हो

जाती है। जो वर या वधू माता-पिता को पुत्र अथवा पुत्री योग्य इच्छित होती है उसकी कुण्डली ज्योतिषी से दिखाई जाती है। इसके बाद विवाह की वास्तविक विधि प्रारम्भ होती है।

वर्तमान में दो प्रकार की विवाह विधि प्रचलित है। पहली कोर्ट मैरिज (अदालती विवाह) तथा दूसरी परम्परागत विवाह-विधि। अदालती विवाह-विधि का अनुकरण अधिकांश गान्धर्वविवाह करने वाले वर-वधू करते हैं तथा ब्राह्म-विवाह करने वाले वर-वधू परम्परागत विवाह-विधि का अनुकरण करते हैं।

प्राचीन साहित्य होने के कारण प्राकृत साहित्य में परम्परागत विवाह-विधि का उल्लेख अधिकता से प्राप्त होता है। कुवलयमालाकहाकार उद्योतनसूरि जी ने कुवलयमालाकहा में विवाह की पूर्ण विधि का वर्णन किया है, जिसमें वर-वधू के विवाह की तिथि निकालने से लेकर वधू की विदाई तक का वर्णन किया है। वर्णन निम्नलिखित चरणों में वर्णित है-

ज्योतिषियों द्वारा विवाह-लग्न का वर्णन- विवाह-लग्न के विषय में कुवलयमाला के अनुच्छेद 273 में कहा है कि- कुवलयचन्द्र और कुवलयमाला के इसप्रकार के शीतकाल में दिन व्यतीत होते रहने पर महाराज ने एक दिन सांवत्सरिक (ज्योतिषी) को बुलाया और कुवलयमाला के विवाह लग्न की गणना कराई। ज्योतिषी के द्वारा विवाह लग्न के विषय में कहा गया- हे देव! कुवलयचन्द्र के जन्म नक्षत्र चन्द्र उपचय पुष्टि कारक है, सूर्य स्वर्ण देने वाला है, बृहस्पति पुत्र लाभकारी है, बुध भोग प्रदान करने वाला है, मंगल कुटुम्ब को विजय दिलाने वाला है, शुक्र शान्तिप्रद है, शनिश्चर भूमिलाभ करने वाला है। इसके अलावा उत्तरायण बीत गया है, लग्न बलशाली है, सभी ग्रहों की दृष्टि सौम्य है, पाप ग्रहों की दृष्टि क्षीण है, गर्भादान पीड़ादायक नहीं है, जन्मनक्षत्र उपद्रव रहित है, जन्म पीड़ारहित है, सभी कर्मों का योग ठीक है। अतः सब प्रकार से एक सौ आठ ज्योतिषियों के देखने पर भी यह लग्न विरुद्ध नहीं होगा। यदि इस लग्न को हम चूक गये, तो फिर बारह वर्षों के बीच में ऐसा लग्न खोजने पर भी नहीं मिलेगा। यह लग्न फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की पंचमी, बुधवार, स्वाति नक्षत्र, रात्रि के प्रथम पहर के बीतने पर दूसरे प्रहर की चार घडी पूर्ण होने पर पांचवी घडी के पौने दो नालिका में कर्क पूरा होने पर, सिंह लग्न बीतने पर कन्या लग्न चालू रहने पर मैं जब शंख बजाऊ, तब यदि कन्या का विवाह करो, तो उसका पति दीर्घायु होगा, वह लम्बे समय तक सौभाग्य प्राप्त करेगी, पति उसके वश में होगा, वह सुखी होगी, करोडों का धन प्राप्त होगा, पृथ्वी में सारभूत एक पुत्र होगा, पहले भोग भोगने वाली और बाद में धर्म भागिनी होगी, पति के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होगी। इसप्रकार ज्योतिषी ने विवाह-लग्न का

फलसहित वर्णन किया। तत्पश्चात् कुवलयचन्द्र और कुवलयमाला का विवाह लग्न स्वीकृत किया गया। (कुवलयमालाकहा, अनुच्छेद-273, भाग-4, पृष्ठ-619)

वर्तमान में भी इसी पद्धति से वर-वधू के जन्मादि नक्षत्रों का मिलान कर शुभाशुभ ज्ञात कर विवाह का लग्न निकाला जाता है।

विवाह की सूचना- विवाह लग्न निकालने के पश्चात् वधू पक्ष के लोग एक दूसरे को विवाह लग्न की सूचना भेजते हैं, जिसे वर्तमान में लग्न वांचना अथवा लग्न पढ़ना कहा जाता है। इसी प्रकार की सूचना कुवलयमाला के परिजनों ने कुवलयचन्द्र के परिवार को भेजी। (कुवलयमालकहा, अनुच्छेद-273, भाग-4, पृष्ठ 619)

विवाह की तैयारियाँ- विवाह की सूचना प्राप्ति होने पर वर एवं वधू पक्ष में जोर-शोर से तैयारियाँ प्रारम्भ हो जाती है। रसोई से लेकर मंच-सज्जा, गृहों की सजावट, वाहनों की सजावट, नूतन वस्त्रों को सिलवाना आदि तैयारियाँ की जाती हैं। इसी विषय का संकेत कुवलयमाला में किया गया है कि- विवाह की सूचना प्राप्ति के बाद वर-वधू के महलों में धान्य तैयार किये जाने लगे, गेहूँ का आटा तैयार किया जाने लगा, शक्कर, खांड बनाई जाने लगी, भोज्य पदार्थों की तैयारी प्रारम्भ हो गई, भवनों की सज्जा होने लगी, दीवालों में रंग किया जाने लगा, राजाओं को निमंत्रण भेजे जाने लगे, आभूषण तैयार किये जाने लगे, नूतन वस्त्रों को सिलवाया जाने लगा आदि तैयारी की गई।

विवाह में वर की सजावट- वधू की माता के द्वारा दामाद को स्नान कराया गया, सरसों एवं अक्षत से नजर उतारी गई, स्नान पूर्वक शुद्ध धोती दुपट्टे पहनाये गये तथा कंधे पर सफेद सुगंधित पुष्पों की माला धारण किये हुये कुवलयचन्द्र महेन्द्र कुमार के साथ विवाह मण्डप में प्रविष्ट हुआ।

वाग्दान- वाग्दान का शाब्दिक अर्थ है कन्या के पिता के द्वारा वर के पिता को विवाह का वचन देना। इसकी विधि में कन्या एवं वर के द्वारा विवाह-मण्डप पर प्रवेश करने के पश्चात् विवाह का लग्न उपस्थित होने पर अग्निकुण्ड के समीप शास्त्र के पारगामी विद्वानों के द्वारा वधू के पिता का नाम उच्चारण कर वधू का हाथ वर के पिता का नामोच्चारण के पश्चात् वर को वधू की हथेली समर्पित की जाती है तथा वर एवं वधू के विवाह का वचन दिया जाता है, इसे ही वाग्दान क्रिया कहते हैं इसका उदाहरण कुवलयमालाकहा में प्रस्तुत किया गया है कि- आभूषणों से सजी हुई वधू तथा वर कुवलयचन्द्र जब विवाह की वेदी में प्रवेश करते हैं, तब अग्निकुण्डों में अग्नि प्रज्वलित की गई। अग्नि में समिधा आदि

आवश्यक सामग्री डाली गई तथा वृद्धजनों के समक्ष शास्त्रों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा उच्च स्वर से वर के पिता दृढवर्मन का नामोच्चारण कर वर के हाथों में कन्या की हथेली रख कन्या देने का संकल्प लिया। दोनों ने अपनी हथेलियाँ मिलाकर पकड़ा तथा सौभाग्यवती नारियाँ गीत गाने लगी, तूर वाद्य बजने लगे, शंख बजाये जाने लगे, झल्लरी पर ताल प्रारम्भ हो गया। ब्राह्मण समूह मंत्र पढ़ने लगे, कुल की महिलाएँ आशीष देने लगी, गान-आचार्य मंगलपाठ करने में व्यस्त हो गये।

विवाह में फेरे- विवाह में फेरों का बहुत महत्व है। परम्परागत भारतीय संस्कृति में बिना फेरों के विवाह सम्पन्न नहीं माना जाता है। कुछ प्रथा में सात-फेरों का वर्णन प्राप्त होता है तथा कुछ प्रथा में चार फेरों का वर्णन प्राप्त होता है। वास्तव में चार ही फेरे होते हैं जिसमें कन्या प्रथम तीन फेरों में आगे होती है तथा अंतिम चौथे फेरे में वर आगे होता है। इसप्रकार कन्या के मुख्य तीन फेरे तथा वर के चार फेरे सात फेरे गिने जाते हैं। इसप्रकार का वर्णन कुवलयमालाकहा में प्राप्त होता है। कहा है- वाग्दान के पश्चात् ब्राह्मण गण होम करना प्रारम्भ करते हैं तथा उच्च स्वर से वाग्दान क्रिया को दोहराते हुये कहते हैं कि- इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न सोमवंश कुल के अलंकार महाराजाधिराज दृढवर्मन के सुपुत्र राजकुमार कुवलयचंद्र को विजयसेन महाराज की यह सुपुत्री कुवलयमाला प्रदान की जाती है। कन्याप्रदान की यह घोषणा समस्त तीनों लोक के लोकपाल देव, सुर, असुर, मनुष्य, तिर्यंच, लोक एवं अलोक की देवता साक्षी होकर सुने। अग्नि में यह प्रथम अंजली आहूति दी जाती है। इसप्रकार प्रथम मण्डल अर्थात् फेरा सम्पन्न हुआ। दूसरी आहूति देकर दूसरा मण्डल (फेरा) तथा लोकपालों को आमंत्रित कर तीसरा मण्डल (फेरा) सम्पन्न हुआ। फिर कमशः आवश्यक आहूति देकर चौथा मण्डल (फेरा) सम्पन्न हुआ। फेरों के सम्पन्न होने के पश्चात् जय-जय के शब्द करती हुई वृद्ध देहवाली हर्ष से फूली हुई कुल की प्रौढ महिलाएँ भी अपनी बाहुओं को उठाकर नृत्य करने लगी। कुवलयमाला की माता तथा अन्य महिलाएँ भी उन्माद के साथ घूमती हुई, लड़खड़ाते चरणों से नूपुरों को बजाती हुई इच्छानुसार नृत्य करने लगी। इसके पश्चात् अदृश्य हथेलियाँ के द्वारा पुष्पवर्षा की गई। विवाह के पश्चात् कुश्ती, गीत, नृत्य आदि किये गये।

विवाहोपरान्त सम्मान एवं भेंट- सामान्यतः वर्तमान में विवाह के पश्चात् मेहमानों को सम्मान देकर विदा किया जाता है तथा अपने यहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। इसीप्रकार का वर्णन कुवलयमालाकार ने विवाहोपरान्त किया है- विवाह के उपरान्त वृद्धों के आशीर्वाद के पश्चात् राजा ने विवाह में आमंत्रित सम्माननीय लोगों को

सम्मानित किया, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा की, संतोष पाने वालों को सन्तुष्ट किया, सत्कार किये जाने वालों का सत्कार किया, आश्रित परिजनों को पारितोषित दिया, राजाओं के लिये भेंट दी गई। गुरुजनों को सादर निमंत्रण दिया गया, जनपद के लोगों को भेंट दी गई। अन्त:पुर के परिजनों को संतुष्ट किया गया, नगर के लोगों को यथास्थान ससम्मान भेजा गया, इसप्रकार अनगिनत लोगों की अभिलाषा पूरी की गई। उनमें दीन, दु:खी, आश्रित, परिजन आदि को धन दिया गया। और भी उस विवाह महोत्सव में 'दिया जाय, दे दो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, डाल दो, मांगों, कहो, क्या इच्छा है आदि' कोलाहल ही सुनाई देता था।

वधू के लिये माता की शिक्षा- विवाह के समय माता के द्वारा अपनी पुत्री को पति के गृह में किसप्रकार व्यवहार करना चाहिये, पति के अनुसार किसप्रकार आचरण करना चाहिये, गुरुजनों को कैसे सम्मान करना चाहिये तथा समाज के मध्य कैसे धर्माचरण करते हुये व्यवहार करना चाहिये आदि शिक्षा दी जाती है। इसी बात का संकेत शास्त्रकारों ने पत्नी के लिये किया है। कहा है- कुलीन स्त्री को सदा पति के चित्त के अनुकूल होकर ही आचरण करना चाहिये। क्योंकि पतिव्रता स्त्रियाँ धर्म, विभूति, सुख या कीर्ति का एक घर या ध्वजा होती हैं। (सागार धर्मामृत, तृतीय अध्याय, श्लोक-28) परिजनों में वृद्धजनों की सदैव सेवा करनी चाहिये। (उमास्वामी श्रावकाचार, श्लोक 472)

हे पुत्रि! प्रियतम के अन्य में आसक्त होने पर उसका अधिक सम्मान (आदर) किया करो, क्योंकि हे मृगी तुल्य विशाल लोचने! प्रेम से रस की वृद्धि होती है। अर्थात् प्रेम से आनन्द में वृद्धि होती है। (गाहारयणकोसो, गाथा- 427, पृष्ठ 106)। हे मृगलोचने! नहीं देखने, अत्यधिक देखने, अन्य युवती से स्नेह, मान और प्रवास, इन पाँच विधियों से पति-पत्नी का प्रेम नष्ट होता है। इसकारण इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये। (गाहारयणकोसो, गाथा 430, पृष्ठ 106)

वर के लिये पिता की शिक्षा- जिसप्रकार कन्या को उसकी माता शिक्षा देती है उसीप्रकार वर के लिये पिता के द्वारा गृहस्थी की शिक्षा दी जाती है। जिससे पुत्र का परिवार सुखी और सम्पन्न हो। एक पिता अपने पुत्र से विवाह के उपरान्त कहता है- हे पुत्र! पति का स्त्रियों के प्रति अनादर ही विशेष बैर का कारण होता है, इसलिये इस लोक और परलोक में सुख को चाहने वाला पुरुष कभी भी स्त्री को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखें। (सागार धर्मामृत, तृतीय अध्याय, श्लोक 27) उदाहरण स्वरूप शास्त्रों में बहुतायत से उदाहरण हैं कि- महाभारत द्रौपदी के अपमान के कारण, राम-रावण का युद्ध, सीता का अपमान एवं

हरण के कारण आदि हुये। इसके अतिरिक्त पिता के द्वारा पुत्र को विशेष सलाह दी जाती है कि- पति अपनी स्त्री को विशेष प्रेम करता हुआ, धर्म में अन्य कुटुम्बियों की अपेक्षा अधिक व्युत्पन्न करें, क्योंकि मूर्ख अथवा अपने से विरुद्ध स्त्री धर्म से पुरुष को परिवार के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक भ्रष्ट करती है। (सागार धर्मामृत, तृतीय अध्याय, श्लोक 27) इस कारण स्त्रियों की विशेष शिक्षा का प्रबंध करना चाहिये। स्त्रियाँ पति के घर तथा पिता के घर दोनों घरों का सम्मान बनाये रखती हैं। ऐसी अवस्था में स्त्रियों को विवेक व्युत्पन्न होना आवश्यक है।

इसीप्रकार साहित्यकारों ने पति के विषय में व्यंग्य करते हुये कहा है-

णूमेंति जे पहुत्तं कुवियं दास व्व जे पसायंति॥
ते च्चिय महिलाण पिया, सेसा सामि च्चिय वराया॥390॥

अर्थात् जो अपना स्वामित्व प्रकट नहीं करते तथा कुपित होने पर दास की भांति प्रसन्न करते हैं, वे ही पुरुष महिलाओं के प्रिय होते हैं, शेष बेचारे पति ही है। (गाहारयणकोसो, गाथा-427) यहाँ वर्तमान में चल रहे विचारों को भलीभाँति प्रकट किया है। आज वर्तमान में परिवारों में विवाद का कारण ही पति-पत्नी में अनादर, परस्पर की उपेक्षा, व्युत्पन्न मति का अभाव तथा सहनशीलता की कमी देखी जाती है। स्थिर प्रेम को अमृत के समान तथा अस्थिर प्रेम को विष के समान कहा है- प्रेम जब स्थिर रहता है, तब तक अमृत है। अस्थिर प्रेम विष से भी अधिक भयानक बन जाता है। हे मृगलोचने! तुमने क्या कहीं भी विष से मिश्रित अमृत को देखा या सुना है। (गाहारयणकोसो, गाथा-427, पृष्ठ 106) इस प्रकार पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई, बहिन-भाई आदि परिजनों में प्रेम स्थिर रहता है, तो वह प्रेम अमृत के समान कार्यकारी होता है।

प्रथमरात्रि वर्णन- विवाह के उपरान्त प्रथम रात्रि से तृतीय रात्रि पर्यन्त वर तथा वधू वार्तालाप के द्वारा एक-दूसरे को पहचानते हैं, समझते हैं, जो उनके दीर्घ सुखी-जीवन का आधार होता है। प्रथम रात्रि में हास-परिहास, विनोद करते हैं। द्वितीय रात्रि में विश्वास उत्पन्न होता है तथा तृतीय रात्रि में समागम करते हैं।

वर्धापन किया- समागम के पश्चात् वृद्धजनों के द्वारा वर्धापन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जिसमें वर वधू-वृद्धों का आशीष ग्रहण करते हैं तथा वृद्धजन वर-वधू को भेंट देते हैं। वर्तमान में यह क्रिया मुख दिखाई क्रिया कहलाती है। जिसका वास्तविक नाम वर्धापन क्रिया है।

महादान- वर्धापन क्रिया के पश्चात् परिजनों के द्वारा वर-वधू के हाथों से महादान दिलाया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वर्तमान में विवाहोत्सव के अवसर पर वर-वधू के द्वारा महादान की क्रिया पूरी की जाती है।

दम्पत्ती का मनोरंजन- विवाहोपरान्त पति-पत्नी कुछ अधिकांश समय आपस में व्यतीत करते हैं, ऐसे समय में पति-पत्नी के बीच किसप्रकार का मनोरंजन होना चाहिये तथा दम्पत्ती का आपस में किस प्रकार विश्वास बना रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

इसी विषय को लक्षित करते हुये ग्रन्थकारों ने दम्पत्ती के मनोरंजन का वर्णन किया है। जब दम्पत्ती अकेले समय व्यतीत करते हो, तो उन्हें मनोरंजन स्वरूप प्रहेलिकाएँ खेलनी चाहिये। जिससे बुद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ में वार्तालाप में समय भी व्यतीत होता है। पति-पत्नी का अधिक-अधिक समय साथ में व्यतीत होने से आपसी प्रेम में वृद्धि होती है तथा तनाव कम होते हैं और परस्पर समझने का अवसर प्राप्त होता है। यदि मन में तनाव है तो उसका परिहार होता है, शंकाओं का निवारण होता है, आपसी मनमुटाव का परिहार होता है। कुवलयमालाकहा में उद्योतनसूरी ने पति-पत्नी की वार्ता को प्रस्तुत करते हुये कुवलयमाला के मुख से कहा है- आर्यपुत्र! बुद्धिशाली व्यक्तियों द्वारा निन्दनीय एवं अन्य दुर्जन पुरुषों द्वारा बहुमान्य अपनी आपस में प्रशंसा के वचनों के विस्तार को रहने दे, अन्य किसी बुद्धि के विस्तार करने वाले विनोद से हम अपना समय व्यतीत करें। तब कुमार ने कहा- प्रिये! तुमने अच्छी बात कही। विदग्ध लोगों के मनोविनोद के कारण ये कहे गये हैं- प्रहेलिका पूछी गई। अंतिम अक्षरवाली, बिन्दुयुक्त, अष्टपिष्टक, प्रश्नोत्तर, गूढार्थ वाले अक्षर, अक्षररहित अधूरे वाक्य, मात्रा रहित अधूरे वाक्य, बिन्दुरहित, गूढ चतुर्थ पाद, कथन योग्य सूक्तियाँ, हृदय, पक्ष, संविधान, गाथा का आधा भाग, गाथाराक्षस, तथा प्रथम अक्षर से पूरी गाथा की रचना आदि। अन्य भी महाकवियों द्वारा निर्मित कल्पना वाले काव्य के कठिन प्रयोग भी है। इनका विस्तार से वर्णन कुवलयमालाकहा में दिया गया है। (कुवलयमालाकहा, भाग-2, अनुच्छेद 280, पृष्ठ 635) इनके नाम इस प्रकार है- बिन्दुमति विनोद, अष्टपिटक, प्रश्नोत्तर, गूढोत्तर, गूढोत्तर विनोद, पृष्ठार्थ, अक्षरच्युत विनोद, वकुलावली मनोहर, मात्राच्युत विनोद, देवकुलावली विनोद, गूढ चतुर्थ पाद, प्रतिपादिता पहेली, पद्म प्रहेलिका, गाथार्थ पहेली, संविधान पहेली, गाहाराक्षस, प्रथमाक्षर रचना आदि मनोरंजन के साधन हैं।

वर्तमान में मनोरंजन के साधन में परिवर्तन हो गया है। मोबाइल, टी.वी, फेसबुक, ट्यूटर वाट्सअप आदि साधनों ने मनोरंजन का स्थान ले लिया है। वर्तमान की व्यस्त जीवन शैली में कुछ समय निकलता है, तो इन साधनों में चला जाता है। परिजनों के साथ वार्ता

करने का समय ही नहीं रहता है, ऐसी अवस्था में पति-पत्नी के मध्य मनोविनोद का अवसर ही नहीं हो पा रहा है। पति-पत्नी के मध्य में तनाव की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण यही है। उपरोक्त साधनों के मनोरंजन से पति-पत्नी के मध्य में परिजनों से अतिरिक्त व्यक्तियों का चरित्र परिजनों के हृदयग्राही हो रहा है। फलतः आपसी मनमुटाव, क्लेश, तनाव, संबंध विच्छेद आदि समस्याएँ वैवाहिक जीवन को नष्ट कर रही हैं। यदि वैवाहिक जीवन को सुरक्षित, सुखी बनाना है, तो शास्त्रोक्त मनोरंजनों का अवलम्बन दाम्पत्य जीवन के लिये आवश्यक है।

गुरुशिक्षा- वैवाहिक जीवन संयमित जीवन शैली का प्रतीक है। विवाह करने का मुख्य उद्देश्य अनेक पुरुषों और महिलाओं से आकर्षण को पृथक् कर दम्पत्ती परस्पर में आकर्षित होते हैं। यहीं संयमित जीवन है, इसी को स्वदार संतोष व्रत तथा स्वपति संतोष व्रत कहते हैं। संयमित जीवन की शिक्षा देने के लिये संयमित गुरु का होना अनिवार्य है। इस कारण विवाहोपरान्त माता-पिता वर-वधू को गुरु की शिक्षा हेतु, गुरु के आशीर्वाद हेतु गुरु के समीप ले जाते हैं। जहाँ उन्हें गुरु मद्यत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग, सप्तव्यसनों का त्याग कराते हैं, स्वदार संतोष अथवा स्वपति संतोष व्रत दिलाते हैं, नीतिगत शिक्षा का उपदेश देते हैं, गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिये पुण्योपार्जन हेतु का उपदेश देते हैं।

दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा के उपाय- दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा के निम्न उपाय हो सकते हैं -

1. दाम्पत्य जीवन पति-पत्नी के विश्वास पर आधारित होता है, इस कारण पति-पत्नी को आपस में अटूट विश्वास करना चाहिये।
2. पति-पत्नी का आपसी कलह उत्पन्न होने पर आपस में मिलकर सुलझाना चाहिये
3. पति-पत्नी को आपस में मधुर व्यवहार का निर्वाह करना चाहिये।
4. पति को पत्नी के पक्ष का आदर सत्कार करना चाहिये तथा पत्नी को पति के पक्ष का आदर सत्कार करना चाहिये।
5. पति-पत्नी को ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिये, जिससे समाज में निन्दा हो।
6. पति के द्वारा अन्याय मार्ग का अनुसरण करने पर पत्नी को सुशिक्षा द्वारा पति को अन्याय मार्ग से दूर करना चाहिये। उसी प्रकार पत्नी के द्वारा अन्याय मार्ग का अनुसरण किये जाने पर पति द्वारा सदुपदेश देना चाहिये॥
7. धर्मपालन करने में आपसी सामंजस्य होना।

अदालती विवाह-विधि एवं परम्परागत विवाह-विधि में अन्तर–

1. अदालती विवाह-विधि गान्धर्वविवाह के अन्तर्गत आती है, जबकि परम्परागत विवाह विधि ब्रह्म विवाह के अन्तर्गत आती है।
2. अदालती विवाह-विधि में केवल कुछ ही लोगों की सहमति होती है, जबकि परम्परागत विवाह-विधि में माता-पिता, परिजनों एवं समाज की सहमति होती है।
3. अदालती विवाह-विधि से विवाह करने के पश्चात् वे समाज के सम्पर्क से दूर होने लगते हैं, जबकि परम्परागत विवाह विधि से विवाह करने पर समाज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कुमार्ग में भटकने पर समाज के लोग सलाह आदि देते रहते हैं। अदालती विवाह-विधि में पूर्ण दस्तावेज होते हैं, जिससे समय रहते तलाक लिया जा सकता है, उसके लिये पुनर्विचार करने का समय कम होता है। जबकि परम्परागत विवाह-विधि में पूर्ण दस्तावेज बनवाने में कुछ समय लगता है, तलाक लेने की आवश्यकता होने पर समाज के लोग, परिवार के लोग सुझाव देते हैं और पुनर्विचार करने पर आपसी लोकलाज बचाने में संबंधों का निर्वाह होता जाता है।
4. वर-वधू की आपसी आकर्षक के फलस्वरूप अदालती विवाह-विधि होती है। जिससे परिजनों से संबंध न के बराबर हो जाता है। जबकि परम्परागत विवाह-विधि में सभी परिजनों, रिश्तेदारों एवं समाज का सहयोग होता है, वे सभी इस विवाह-विधि को सम्पन्न कराते हैं, जिससे वर-वधू का पारिवारिक संबंध, कौटुम्बिक संबंध, एवं सामाजिक संबंध बना रहता है।

प्राकृत कथा साहित्य में वर्णित जीवनशैली एवं सामाजिक प्रभाव

डॉ. दर्शना जैन, जयपुर

भारतीय साहित्य में कथाओं का बहुतायत उपयोग किया गया। किसी सिद्धान्त का सरल रूप में प्रस्तुतिकरण करने के लिये कथाएँ एक माध्यम होती हैं। जो श्रोता सिद्धान्तों को साक्षात् नहीं समझ पाते, उन्हें समझाने के लिये कथाओं का उपयोग किया जाता है। जिसे जैन साहित्य में प्रथमानुयोग के नाम से जाना जाता है। यह कथा साहित्य महापुरुषों, पुराणपुरुषों एवं आदर्श पुरुषों के गुण-दोषों को बताने का साधन है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से सामान्यजन आदर्श पुरुषों के गुणों को ग्रहण करने में उद्यमी होते हैं तथा दोषों का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं।

कथा का विशिष्ट अर्थ किसी ऐसी कथित घटना का वर्णन करना है, जिसका निश्चित परिणाम हो, घटना किसी से भी संबंधित हो सकती है, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। किसी विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का निश्चित आदि और अंत से युक्त वर्णन ही कथा कहलाती है। कथाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, किन्तु उन्हें मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है :

1. इतिहास पुराण की कथाएँ
2. कल्पित कथाएँ

कथा शब्द इतना रूढ़ हो गया है कि इसका प्रयोग अनेक अर्थों में मिलता है। संस्कृत की कथ् धातु से इस शब्द की रचना हुई है। इस अर्थ में कथन मात्र को कथा कहा जा सकता है। कथा काव्य एक ऐसा व्यापक और लचीला काव्य रूप है, जिसके अंतर्गत चरित, रास, विलास, पुराण, धर्मकथा, वार्ता, ख्याल, लीला आदि अनेक काव्यरूप समाहित हैं।

कथा के भेदों का निरूपण करते हुए आगमों में अकथा, विकथा, कथा तीन भेद किए गए हैं। उनमें कथा तो उपादेय है, शेष त्याज्य हैं। उपादेय कथा के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण विषय शैली, पात्र एवं भाषा के आधार पर किया गया है। विषय की दृष्टि से चार प्रकार की कथाएँ होती हैं- अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा और मिश्रकथा। धर्म कथा के

चार भेद किए गए हैं। आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदनी और निर्वेदनी। मिश्रकथा में मनोरंजक और कौतुकवर्धक के कथानक भी देखने को मिलते हैं। पात्रों के आधार से दिव्य, मानुष और मिश्र कथाएँ कही गई हैं।

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र भाषाओं में कथाएँ लिखी गई और शैली की दृष्टि से सकलकथा, खण्डकथा, उल्लासकथा, परिहासकथा और संकीर्णकथा के भेद से पंचविध कथाएँ प्रचलित हुई एवं गद्य-पद्य मिश्रित तथा प्राकृत, संस्कृत मिश्र भाषाओं में लिखी जाती हैं। कथा साहित्य के उद्देश्य, कथानक, पात्र और शैली ये चार मूल तत्त्व हैं। कथा साहित्य का उद्देश्य केवल लोकरुचि का मनोरंजन मात्र नहीं है; अपितु अपने पात्रों का चारित्रिक विशेषण करना है, उनके मानसिक अन्तर्द्वन्द्व को दिखाना एवं चारित्रिक मनोविज्ञान का अध्ययन प्रस्तुत करना और उनके अन्तर्द्वन्द्व के गूढ रहस्यों को दर्शाना है। शैली की दृष्टि से भी आधुनिक और प्राचीन कथाओं में अन्तर है। कहीं कलात्मक है, तो आत्मचरित्र शैली में या किसी अन्य प्रकार में परन्तु प्राचीन कथाओं की भाँति जैन कथाएँ इतिवृत्तात्मक शैली में अधिक हैं। जैसे अमुक नगर में अमुक राजा या व्यक्ति रहता था। जैन पुराणों में भारतीय कथा साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टव्य हैं, जो अन्य कहीं प्राप्त नहीं होते।

धर्मोपदेश में संयम, शील, तप, त्याग, और वैराग्य आदि भावनाओं को प्रमुख बताया गया है। कथाओं के प्रारम्भ में, प्रवचन के प्रारम्भ में, साधु कुछ शब्दों या श्लोकों में अपनी धर्मदेशना को प्रकट करने के बाद विविध कथाएँ कहते हैं। जिससे मनोरंजक घटनाएँ और अवान्तर कथाएँ अर्थात् एक कथा में से दूसरी कथा निकलती है। औपदेशिक कथाओं में उपन्यास, दृष्टान्त कथाएँ, प्राणिनीति कथा, परिकथाएँ, पुराणकथाएँ और अद्भुत कथाएँ इत्यादि अन्य कौतुक देखने को मिलते हैं। औपदेशिक कथा साहित्य में अनेक कथाकोश और अनेक संग्रह ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें हरिषेण का बृहत्कथाकोश प्राचीन है। कहानियों में कौतूहल एवं जिज्ञासा पैदा करने की क्षमता का होना आवश्यक है। यदि कहानी सुनने में कौतूहल और जिज्ञासा का भाव जागृत न हो, तो वह कहानी नीरस हो जाने के कारण मनोभावों को उद्वेलित करने में अक्षम रहती है। प्राचीन जैनकथा ग्रंथों से ही यह ज्ञात होता है कि जनपद विहार करने से जैन-साधुओं की दर्शन-विशुद्धि, होती है तथा महान् आचार्य आदि की संगति प्राप्तकर वे अपने को धर्म में दृढ़ रख सकते हैं तथा विविध परिवेशों का ज्ञानकर उसे कथा के माध्यम से धर्म से जोड़ते हैं।

विश्व की सभी भाषाओं में आचार्यों ने अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए कथा की रचना की है। शौरसेनी, अर्धमागधी प्राकृत साहित्य में विपुल कथा साहित्य की संरचना की

गई है। गूढ़ से गूढ़ विचारों एवं गहन अनुभूतियों को सरलतम रूप में जनमानस तक पहुँचाने के लिए तीर्थंकर, गणधर एवं अन्य आचार्यों ने कथाओं का आधार ग्रहण किया है। कथा साहित्य की लोकप्रियता के कारण आधुनिक हिन्दी आलोचकों ने कहा है कि- कथाओं को साहित्य के माध्यम से इसप्रकार से उपस्थित किया जाए कि वे रचनाएँ जनमानस को प्रभावित करें। चाहे वे कथाएँ सिद्धान्त प्रतिपादन अभिप्रेत हो, चरित्र चित्रण की सुन्दरता इष्ट हो या किसी घटना का महत्त्व, किसी वातावरण की सजीवता, मानसिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करती हो अतएव वैयक्तिक एवं सामाजिक शोधन के लिए कथा की अनिवार्यता है।

पुराण पुरुषों की कथाएँ चारित्र, बोधि और समाधि के निधान हैं। इन कथाओं की अधिकांश रचना श्रमणों द्वारा की गई है। महाश्रमण भगवान् महावीर ने सर्वप्रथम द्वादशांग में इसकी प्ररूपणा की। उसका अवधारण गौतमादि गणधरों ने किया। अनन्तर वे आचार्य परम्परा से हमें प्राप्त हुई। इन कथाओं के जो नायक या श्रेष्ठ चरित हैं, उनके जीवन को नया मोड़ देने और उज्ज्वल बनाने में जैन श्रमणों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्रमणों द्वारा उपदेश देकर परोपकार करना दूसरी ओर उन्होंने साहित्य सृजन भी किया, कथा साहित्य भी इसका एक अङ्ग है, दशवैकालिक में कथा के तीन भेद किए गए हैं- **अकहा, कहा व विकहा वे होज्ज पुरिसंतरं पप्प** अर्थात् अकथा, कथा, विकथा।

अकथा- मिथ्यात्व के उदय से अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जिस कथा का निरूपण करते हैं, वे कथाएँ संसार के परिभ्रमण के कारण से अकहा कहलाती हैं।

कथा- तप, संयम, दान, शील आदि से पवित्र व्यक्ति लोक कल्याण के लिए अथवा विचार शोधन हेतु जिस कथा का निरूपण करते हैं, वह कथा कहलाती है। इस कथा को ही कुछ मनीषियों ने सत्कथा कहा है।

विकथा- प्रमाद, कषाय, राग, द्वेष, स्त्री, भोजन, राष्ट्र, चोर एवं समाज को विकृत करने वाली कथा विकथा कहलाती है।

दशवैकालिक में वर्णन विषय की दृष्टि से कथाओं के चार भेद किए गए हैं। **अत्थकहा कामकहा धम्मकहा चेव मीसिया य कहा। एत्तो एक्कक्का वि य णेगविहा होइ नायव्वो** अर्थात् अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा, और मिश्रितकथा।

1. अर्थकहा- विद्या, शिल्प, उपाय, प्रयास, अर्थार्जन के लिए किया गये, निर्वेद, संचय, साम, दंड और भेद का जिसमें वर्णन हो या जिसमें ये विषय अनुमित या व्यंग्य हो वह अर्थकथा है।

2. कामकथा- रूप सौन्दर्य अवस्था, युवावस्था, देश, दाक्षिण्य आदि विषयों की तथा काल की शिक्षा की दृष्टि, श्रुत, अनुश्रुत और असंयम परिचय प्रकट करना कामकथा है।

3. धर्मकथा- जिसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, आकिंचन, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अनर्थदण्डव्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग-परिभोग, अतिथि संविभाग, अनुकम्पा और अकामनिर्जरा के साधनों का बहुलता से वर्णन हो, वह धर्मकथा है। धर्मकथा के चार भेद हैं-आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेगिनी और निर्वेदनी॥

(अ) आक्षेपिणी- आक्षेपिणी कथा में चार बातें मुख्य हैं-आचार, व्यवहार, प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद। आचार के अन्तर्गत लोक व्यवहार, मुनि और गृहस्थों के रहन सहन, सदाचार मार्ग आदि परिगणित हैं। व्यवहार के अंतर्गत प्रायश्चित दोषों का परिमार्जन, भूलों और प्रमादों के लिए पश्चाताप आदि हैं। प्रज्ञप्ति में संशयापन्न व्यक्ति के संशय को मधुर वचनों के द्वारा निरूपण करना, दु:खी और पीड़ित व्यक्ति को सान्त्वना देना, विपरीत आचरण वाले के लिए माध्यस्थभाव रखना तथा समस्त प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना परिगणित हैं। दृष्टिवाद में श्रोता की अपेक्षा सूक्ष्म, गूढ़ और हृदयग्राही-भाव एवं संवेदनाओं का निरूपण करना अभिप्रेत है।

(ब) विक्षेपिणी - विक्षेपिणी कथा के चार भेद हैं

1. स्वशास्त्र का कथन कर परशास्त्र का कथन करना।
2. परशास्त्र का निरूपण कर स्वशास्त्र का कथन करना।
3. मिथ्यात्व कथन कर सम्यक्त्व का कथन करना।
4. सम्यक्त्वव का कथन कर मिथ्यात्व का विवेचन करना।

(स) संवेगिनी - वैराग्यवर्द्धक कथायें संवेगिनी कथाएँ हैं।

(द) निर्वेदनी- कथा में सांसारिक सुख-दु:ख से संबंध रखने वाली ऐसी बातें तथ्य रूप में अंकित की जाती हैं, जिनका प्रभाव पूर्णतया निर्वेद आसक्ति त्याग के लिए होता है।

4. मिश्रित कथा- अर्थकथा, कामकथा, और धर्मकथा इन तीनों का जिसमें मिश्रण पाया जाता है, वह मिश्रित कथा है। हरिभद्रसूरि ने इसे उदाहरण, हेतु और कारणों से समर्पित माना है।

पात्रों के आधार पर कथाएँ तीन भागों में विभाजित हैं-1. दिव्य 2. मानुष 3. दिव्य-

मानुष। लीलावईकहा में भाषा के आधार पर भी कथायें तीन प्रकार की कही गई हैं, संस्कृत, प्राकृत और मिश्र। स्थापत्य के आधार पर उद्योतन सूरि ने कुवलयमालाकहा में कथाओं के पाँच भेद किए हैं। सकलकथा, खण्डकथा, उल्लासकथा, परिहासकथा, संकीर्णकथा।

1. सकलकथा- जिसके अन्त में समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो ऐसी घटना का वर्णन सकलकथा में होता है। सकलकथा की शैली महाकाव्य की होती है। श्रृंगार, वीर, शांत, रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। यद्यपि अंग रूप में सभी रस निरूपित रहते हैं। नायक कोई अत्यन्त पुण्यात्मा, सहनशील और आदर्श चरित वाला व्यक्ति होता है। इसमें नायक के साथ प्रतिनायक का भी नियोजन रहता है तथा प्रतिनायक अपने क्रियाकलापों से सर्वदा नायक को कष्ट देता है। जन्म-जन्मान्तर के संस्कार अत्यन्त सशक्त होते हैं।

2. खण्डकथा- जिसका मुख्य इतिवृत्त रचना के मध्य में या अन्त के समीप लिखा जाए उसे खण्डकथा कहते हैं। खण्डकथा की कथावस्तु छोटी होती है।

3. उल्लासकथा- ये एक प्रकार की साहसिक कथाएँ हैं। जिनमें समुद्र-यात्रा या साहसपूर्वक किए गए कार्यों का निरूपण रहता है। इसमें असंभव और दुर्धर कार्यों की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। उल्लासकथा का उद्देश्य नायक के महत्त्वपूर्ण कार्यों को उपस्थित कर पाठक को नायक के चरित्र की ओर ले जाना है। इसकी शैली वैदर्भी रहती है। छोटी-छोटी ललित पदावली में कथा लिखी जाती है।

4. परिहासकथा- यह हास्य व्यंग्यात्मकता का सृजन करने में सहायक होती है।

5. संकीर्णकथा- इन कथाओं की शैली वैदर्भी होती है तथा इनमें अनेक तत्त्वों का मिश्रण होने से जनमानस को अनुरंजित करने की अधिक क्षमता होती है। मिश्र कथा गद्य-पद्य मिश्रित शैली में ही लिखी जाती है। उपदेश को मध्य में इसप्रकार निहित किया जाता है, जिससे पाठक के मन में जिज्ञासा वृत्ति उत्तरोत्तर विकसित होती जाती है।

साहित्य में उल्लिखित कथाओं के माध्यम से ही पुराकाल के सामाजिक जीवन का ज्ञान होता है। समाज में लोगों का रहन-सहन, खान-पान, प्रथाएँ, धार्मिक रीति-रिवाज, शिक्षा, पारिवारिक-जीवन, राजतंत्र आदि का ज्ञान कथाओं के माध्यम से होता है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रतीक हो सकते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव- प्राकृत साहित्य की विधा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नत है। प्राकृत साहित्य शिक्षा के विषय में हर वर्ग का उदाहरण प्रस्तुत करता है,

चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो। बालकों की शिक्षा के संबंध में माता-पिता को सदैव चिन्ता रहती थी, इस संबंध में राज्यों के द्वारा गुरुकुल स्थापित किये जाते थे तथा जो समृद्ध लोग होते थे, वे अपने बालकों की शिक्षा अपने निवास स्थान पर ही करते थे। इसका एक उदाहरण राजा चण्ड का प्रस्तुत हुआ। राजा घृतिसेन द्वारा अपने पुत्र चण्डप्रद्योत की शिक्षा के लिये कालसंदीप नामक गुरु को अपने निवास स्थान में नियुक्ति की गई थी। (कहकोसु, संधि 6, कडवक 13, पृष्ठ 137) इसी प्रकार किसी गुरु के द्वारा अथवा पाठक के द्वारा शब्दों का गलत उच्चारण किया जाता है तो क्या हानि होती है। इसका उदाहरण भी कहकोसु में प्रस्तुत किया है जिसमें अर्थहीन तथा व्यंजनहीन कथा दी गई है व्यंजनहीन कथा में पाठक के द्वारा अध्यापयित्वा के स्थान पर अंधापयित्वा पढने पर छात्र को अंधा किया जाने लगा तथा उसी प्रकार अर्थहीन कथा में मसि का अर्थ स्याही के स्थान पर कोयला लेने पर गुरु को भोजन के साथ कोयला खाने को दिया जाने लगा।

इस प्रकार के उदाहरण वर्तमान में कुछ शिक्षकों के द्वारा भी देखे जाते हैं जिसमें शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को शब्दों का अर्थ विपरीत बता दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों की हानि होती है तथा शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है।

उत्सवों में सात्विक आहार- प्राकृत साहित्य में विवाह उत्सव, अष्टानिका उत्सव, वसंतोत्सव आदि उत्सव मनाये जाने का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें सात्विक भोजन का प्रचलन देखने को मिलता है, कहकोसु में एक उदाहरण आता है कि एक मदिरा व्यापारी अपनी पुत्री के विवाह में राज्य के सभी पदाधिकारियों, ब्राह्मणों को आमंत्रित करता है। सभी को सात्विक भोजन कराता है, फिर भी राज्य का पुरोहित उसके उत्सव में आने के लिये मना करता है कि वह मदिरा व्यापारी है। इसकारण वह भोजन नहीं कर सकता है। मदिरा व्यापारी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि वह मदिरा का व्यापार करता है, भोजन में मदिरा का निषेध है, तब वह पुरोहित विवाह में उपस्थित होकर केवल दूध-मिष्ठान ग्रहण करता है। (कहकोसु, संधि 7, कडवक 15,16, पृष्ठ- 175) उस समय मदिरा का व्यापार किया जाता था पर विवाह उत्सवों में मदिरा का प्रचलन नहीं था, वर्तमान में विवाहोत्सव में सात्त्विक आहार के स्थान पर तामसिक आहार का प्रचलन अधिक होता जा रहा है, तथा मदिरा का सेवन अधिकांश उत्सवों में होता जा रहा है। इसप्रकार वर्तमान में उत्सवों की पवित्रता समाप्त होती जा रही है। प्राचीन कथाओं से वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि उत्सवो में मद्य, मांसादि अपवित्र पदार्थों का निषेध करना चाहिये।

व्रती का समाज में प्रभाव- व्रत दो प्रकार के होते हैं, नियम रूप तथा यम रूप। व्रतों को ग्रहण करने के बहुतायत उदाहरण प्राकृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं, उनके प्रभाव से देवों के द्वारा आश्चर्य भी देखे जाते हैं, उन आश्चर्यों को देखकर नगर की प्रजा, राजादि व्रतों को अंगीकार करते हैं, यहाँ तक कि कई कथानकों में राजाओं के द्वारा वैराग्य तक प्राप्त किया गया है। सोमा सति के उदाहरण में सोमा द्वारा प्रत्येक नूतन कार्य के पहले णमोकार मंत्र पढ़ने तथा श्रद्धान् पूर्वक भगवान् जिनेन्द्र की भक्ति करने से भयानक सर्प भी पुष्पमाला में परिवर्तित हो गया। यह आश्चर्य देखकर राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। सभासदों एवं समाज के कई लोगों ने श्रावक के व्रत अंगीकार किये। इसप्रकार व्रती का समाज पर प्रभाव पड़ता है।

उपसंहार- लोक में कथाओं का प्रचलन समाज में शिक्षा का प्रसार-प्रचार करना है, समाज में फैल रही कुरीतियों का उन्मूलन करना तथा समाज को सही दिशा का ज्ञान कराना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कथाकारों ने अनेक चारित्र संबंधी ग्रन्थों का प्रणयन किया। महापुरुषों की जीवनी का उद्घाटन किया। जिससे समाज अच्छाई को ग्रहण करके बुराईयों को दूर कर सके। इसी शृंखला में अपभ्रंश में सर्वप्रथम मुनिश्रीचन्द्र ने दंसणकहरयणकरण्डु, तथा कहकोसु की रचना की, जिसमें विभिन्न प्रकार के समाजिक तथा धार्मिक पक्षों को प्रस्तुत किया एवं समाज को दिशा-निर्देश दिया। इसीप्रकार कुछ कथाओं को आधार बनाकर विस्तृत चरित्र ग्रन्थों की रचना की जिसमें सेठ सुदर्शन द्वारा णमोकार मंत्र का माहात्म्य दिखाने वाली कथा प्रसिद्ध हुई। सेठ सुदर्शन का शीलव्रत समाज को प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने शीलव्रत का त्याग नहीं करना चाहिये। (कहकोसु, संधि 22) वहीं रुद्रदत्त द्वारा छल से विवाह की गई सति सोमा एकाकी जीवन व्यतीत करती है परन्तु अपने पति के अनुसार अन्याय मार्ग का अनुसरण नहीं करती, अपनी सम्पत्ती का दान करती है, जिनमन्दिर बनवाती है, ऐसे उपकार के अनेक कार्य करती है। जो समाज में यह संदेश प्रसारित करती है कि विपरीत परिस्थितियों में धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिये तथा सदैव अन्याय मार्ग का विरोध करना चाहिये। (कहकोसु संधि 25) इसीप्रकार कोतवाल द्वारा ईमानदारी का परिचय देने वाली कथा के द्वारा समाज में शिक्षा का प्रसार होता है कि चोर कोई भी हो उसका साथ नहीं देना चाहिये (कहकोसु संधि 24)। इसप्रकार कथा साहित्य में अनेकों शिक्षाप्रद कथाएँ समाज को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं तथा पाठक को प्रत्येक बार आश्चर्यचकित करती है।

तीसरी से दसवीं शताब्दी के प्राकृत चरित ग्रन्थों की वर्तमान में उपादेयता

प्रो. कल्पना जैन, नई दिल्ली

समस्त चरितकाव्य प्रथमानुयोग के अन्तर्गत आने वाले ग्रन्थ हैं। इन चरितकाव्यों में पुराण, चरित, कथा, महाकाव्य आदि विधाओं के ग्रन्थ भी आते हैं। चरितकाव्यों का मूल स्रोत आगम एवं पुराण हैं। यद्यपि कल्पना के आधार पर भी कई उपदेशात्मक चरित ग्रन्थ लिखे गए हैं। सामान्यतया जिस ग्रन्थ में अनेक नायकों के चरित का विकास हो, वह पुराण कहलाता है और जिस ग्रन्थ में किसी एक नायक के चरित का उत्कर्ष विभिन्न माध्यमों से किया गया हो, वह चरितकाव्य कहलाता है। डॉ.नेमिचन्द्र शास्त्री ने चरितकाव्यों का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा है- वह चरितनामान्त महाकाव्यों से हमारा तात्पर्य उस प्रकार के महाकाव्यों से है, जिनमें किसी तीर्थंकर या पुण्यपुरुष का आख्यान निबद्ध हो, साथ ही वस्तु-व्यापारों को नियोजन काव्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार संगठित हुआ हो। अवान्तर कथाओं और घटनाओं के वैविध्य के साथ अलौकिक और अप्राकृतिक तत्त्वों का समावेश अधिक हो। दर्शन और आचारशास्त्र इस श्रेणी के कार्यों में अवश्य समन्वित रहते हैं। इनकी कथावस्तु व्यापक, मर्मस्पर्शी स्थलों से युक्त और भावपूर्ण होती है।[1]

प्राकृत भाषा के साहित्य का सृजन कई विधाओं में हुआ है। धर्म और अध्यात्म विषय से सम्बन्धित साहित्य के अतिरिक्त प्राकृत भाषा के आचार्यों के द्वारा कई लौकिक ग्रन्थ भी लिखे गए हैं। आगम साहित्य के महापुरुषों के जीवन चरितों के सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध होती है। उसमें चरितकाव्यों के विभिन्न बीज प्राप्त होते हैं। प्रारम्भ में तीर्थकरों एवं शलाकापुरुषों के चरित्रों का प्रणयन प्राकृत में हुआ बाद में लौकिक आदर्श पुरुषों के भी चरित्र लिखे गये।

प्राकृत साहित्य में लोक में प्रचलित महापुरुषों के चरित्रों को भी चरित काव्यों में स्थान दिया गया है। राम और कृष्ण कथा लोक में बहुत प्रचलित थी अतः प्राकृत कवियों ने इन दोनों महापुरुषों के जीवन चरित को अपने काव्यों में विषय बनाया है। उनके जीवन

में अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किये हैं। प्राकृत में जो चरित ग्रन्थ लिखे गये हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्राकृत गाथा में निबद्ध हैं और कुछ चरित गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में लिखे गये हैं महापुरुषों के जीवन चरितों से सम्बन्धित प्राकृत और अपभ्रंश से जो चरित ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। उनमें चरित काव्य स्वरूप का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है। उस दृष्टि से प्राकृत अपभ्रंश के प्रमुख चरित काव्य इस प्रकार हैं।

पउमचरियं

आचार्य विमलसूरि प्राकृत कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने रामकथा को आधार बनाकर महाराष्ट्री प्राकृत में पउमचरियं नामक महाकाव्य लिखा है। पउमचरियं की प्रशस्ति में विमलसूरि का समय ईसा की प्रथम शताब्दी दिया है, किन्तु ग्रन्थ के अन्तःपरीक्षण से विद्वानों ने इन्हें तीसरी-चौथी शताब्दी का महाकवि माना है। इस महाकाव्य में उन्होंने कई मौलिक उद्भावनाएँ प्रकट की हैं। इस ग्रन्थ में कवि ने राम और रावण दोनों के चरित को स्वाभाविक रूप से विकसित किया है। यह प्राकृत का सर्वप्रथम चरित महाकाव्य है। यह ग्रन्थ 118 अधिकारों में विभक्त है, जिनमें कुल मिलाकर 8651 गाथाएँ हैं जिनका प्रमाण 12 हजार श्लोक प्रमाण है। रामचरित पर यह एक ऐसी प्रथम जैन रचना है जिसमें यथार्थता के दर्शन और अनेक ऊटपटांग तथा अतार्किक बातों का निरसन हुआ है। इसमें पात्रों के चरित्र-चित्रण में परिस्थितिवश उदात्त भूमिका प्रस्तुत की गई है और पुरूष तथा स्त्री चरित्र को ऊँचा उठाया गया है। उत्प्रेक्षा द्वारा कवि ने वर्णनों को बहुत सरस और अभिव्यञ्जना पूर्ण बनाया है। सन्ध्याकालीन अन्धकार द्वारा सभी दिशाओं को कलुषित होते देखकर कवि उत्प्रेक्षा करता है। कि यह तो दुर्जन स्वभाव है, जो सज्जनों के उज्ज्वल चरित्र पर कालिख पोतता है। यथा-

उच्छरई तमो गयणो मइलन्तो दिसिवहे कसिणवण्णो।
सज्जणचरिउज्जोयं नज्जइ ता दुज्जण सहावो 112/100।।[2]

विमलसूरि ने इस चरितकाव्य में वाल्मीकि रामायण की कथा को कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत कर अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यथा-इसमें राक्षस एवं वानर दोनों को ही नृवंशीय कहा है, इसी प्रकार इंद्र, सोम, वरुण इत्यादि को देव न मानकर विभिन्न प्रान्तों के मानववंशी सामन्तों के रूप में चित्रित किया है। सीता को राजा जनक एवं उसकी पत्नी विदेहा की औरस पुत्री माना है। रावण के दशानन नाम का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि नौ मणियों के हार में उसके नौ प्रतिबिम्ब दृश्यमान होने के कारण पिता ने उसका नाम दशानन रख दिया। इस प्रकार विमलसूरि ने वाल्मीकि रामायण की

अनेक बातों को यथार्थ रूप देकर मौलिकता प्रगट की है। इस ग्रन्थ की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है।

चौपन्नमहापुरूषचरित (चउपन्नमहापुरिसचरियं)

चौपन्नमहापुरूषचरित आचार्य शीलांकाचार्य द्वारा रचित विशालकाय ग्रन्थ है। विद्वानों ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर इसका रचनाकाल ई. सन् 868 निर्धारित किया है। शीलांकाचार्य ने इस चरितकाव्य में 24 तीर्थकरों, 12 चक्रवर्तियों, 9 वासुदेवों, 9 बलदेवों को मिलाकर चौवन श्लाकापुरुषों का जीवन-चरित ग्रथित किया है। ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती, शान्तिनाथ, मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ के जीवन-चरित का इसमें विस्तार से निरूपण हुआ है। इस चरितकाव्य का उद्देश्य शुभ अशुभ कर्म परिणामों की विवेचना करना है, अतः मूल चरित-नायकों के पूर्वभवों का विवेचन भी ग्रन्थ में हुआ है। मूलकथानकों के साथ अनेक अवान्तर कथाओं के गुम्फन द्वारा जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों, विकारों, आसक्तियों, निदान आदि का भी इनमें विश्लेषण किया गया है। वस्तुतः यह चरितकाव्य सांसारिक नश्वरता के बीच-बीच में जीवन के विराट रूप को प्रस्तुत करता है। दान, दया, करुणा आदि मानवीय मूल्यों का भी इसमें सुन्दर अंकन हुआ है। जीव-दया एवं पक्षियों के प्रति करुणा के फल का संदेश देने वाली यह गाथा दृष्टव्य है।

पक्खीण सावयाण य विच्छोयं ण करेइ जो पुरिसो।
जीवेसु य कुणइ दयं तस्स अवच्चाई जीवंति।।[3]

अर्थात् पक्षियों के बच्चों को जो व्यक्ति वियोग नहीं करता है और जीवों पर जो दया करता है, उसको सन्तान चिरंजीवी होती है। इस ग्रन्थ में प्रचुर सामग्री है। विवाह, जन्म, उत्सवों आदि के वर्णन-प्रसंगों में तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं और लौकिक रीति-रिवाजों की झलक दृष्टिगत होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें चित्रकला और संगीत कला की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।

जंबूसामिचरियं

जंबूचरित प्राकृत का गद्य-पद्य मिश्रित पौराणिक चरितकाव्य है। इसके रचयिता वीरभद्रसूरि के प्रशिष्य गुणपाल मुनि है। इसका रचनाकाल अनुमानतः 9 वीं शताब्दी माना गया है। इस चरितकाव्य का मूल स्रोत वसुदेवहिण्डी नामक कथाग्रन्थ है। प्रस्तुत चरितकाव्य की कथावस्तु 16 उद्देशों में विभक्त है, जिनमें अंतिम केवली जंबुस्वामी के आदर्श जीवन-चरित्र को समग्रता के साथ वर्णित किया गया है। नायक के चरित को विकसित करने के लिए वर्तमान जीवन के साथ-साथ उनके पूर्वभवों के विभिन्न प्रसंगों को भी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया

है। इस काव्य का मूल उद्देश्य जीवन की चिरन्तन समस्याओं पर प्रकाश डालना तथा सांसारिक दु:ख एवं संतापों से निवृत्ति प्राप्त करना है। जंबुकुमार द्वारा अपनी नवविवाहिता आठ रानियों को संसार की नश्वरता का परिज्ञान कराने वाली दृष्टान्त कथाएँ सरस एवं शिक्षाप्रद हैं। उनके माध्यम से जैन दर्शन के सिद्धान्तों, आचार-व्यवहार आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक वातावरण से व्याप्त यह ग्रन्थ काव्यात्मक सरसता को भी लिए हुए है। उपदेशों को भी वक्रोक्तियों द्वारा सरस बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यथा–

उवयारसहस्सेहिं वि, वंकं को तरइ उज्जुयं काउं
सीसेण वि वुबभंतो, हरेण वंको वि मयंको॥[4]

अर्थात् –हजारों उपकार करने के द्वारा भी टेढ़े व्यक्ति को सीधा करने में कौन समर्थ हो सकता है? जैसे शिव द्वारा सिर पर धारण किये जाने पर भी चन्द्रमा टेढ़ा ही रहता है।

यह काव्य महाराष्ट्री प्राकृत में रचित है। इसमें काव्य-लेखक ने कथाक्रम को ऐसा व्यवस्थित किया है कि पाठक की जिज्ञासा और कुतूहल प्रारंभ से अन्त तक बने ही रहते हैं। इसमें वर्णनों की विविधता देखी जाती है। यह काव्य प्राकृत गद्य और पद्य के सुन्दर नमूने प्रस्तुत करता है। यहाँ धार्मिक कथा का आदर्श रूप दिया गया है। नायक को अपनी वीरता प्रकट करने का कहीं अवसर भी नहीं आया। यह कृति परवर्ती कवियों का आदर्श रही है।

णायकुमारचरिउ

अपभ्रंश में नागकुमार के चरित से संबंधित सबसे प्रसिद्ध काव्य पुष्पदंत का नागकुमारचरित अथवा णायकुमारचरिउ है। कवि ने श्रुतपंचमी व्रत का महत्त्व समझाने के लिए यह कथा कही है। यह नागकुमारचरित कृति नौ सन्धियों में पूर्ण हुई है। कृति में श्रुतपंचमी के महत्त्व को बताते हुए मगध के राजा जयन्धर के पुत्र की कथा है। चूँकि जयन्धर के पुत्र को नागों ने पाला था, इसी कारण उसका नाम नागकुमार पड़ा। धार्मिक वातावरण से युक्त इस कृति को प्रेमकथा कहा जा सकता है। राजा जयन्धर तथा पृथ्वीदेवी के परिणय की कथा एक संक्षिप्त प्रेमकथा है। इसमें चित्र देखकर राजा की आसक्ति, पृथ्वीदेवी का नख शिखा वर्णन, विवाह, उद्यान की क्रीड़ा, सपत्नी-ईर्ष्या इत्यादि प्रसंगों के वर्णन है। इसी प्रकार नागकुमार का मनोहारी स्वरूप, किन्नरी से विवाह, जलकीडा के प्रसंग प्रेमकथात्मक है। नि:सन्देह कृति की आत्मा प्रेमप्रधान काव्यात्मक है। यह जरुर है कि कवि ने उसे धार्मिक वातावरण में ढ़कने का प्रयास अवश्य किया है। डॉ देवेन्द्रकुमार जैन इसे रोमांटिक कथा काव्य मानते हैं, जो अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।[5]

पउमचरिउ

पउमचरिउ की कथावस्तु को स्वयम्भू कवि ने काण्डों में विभक्त किया है। कथावस्तु को काण्डों में विभाजित करने में इन्होंने महाकवि वाल्मीकि का अनुसरण किया है। इसमें पाँच काण्ड है-विद्याधर काण्ड, अयोध्या काण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तर काण्ड। पौराणिक महाकाव्य पउमचरिउ के सभी पात्र सबके लिए चिर परिचित हैं। इन सभी पात्रों के चरित्र-चित्रण में कवि स्वयंभू की अपार मार्मिकता, हृदयग्राहिता और प्रभावकारिता दिखाई देती है। राम और सीता सभी पात्रों में प्रधान है। महाकवि स्वयंभू ने प्रकृति चित्रण की दृष्टि से पउमचरिउ में उसे उद्यान के विषय में लम्बी सूची गिनाई है। नन्दनवन के वृक्षों की परिगणना करते करते तो स्वयंभू थक से गये प्रतीत होते हैं और वे कह उठते हैं कि और भी बहुत से वृक्ष हैं जिन्हें कौन समझ सकता है। पर्यावरण के प्रति तत्कालीन समाज बहुत अधिक जाग्रत था और उसके लिए वह जो भी प्रयत्न करता था वह वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के सटीक उपाय हो सकते हैं। महाकवि स्वयम्भू की रचनाओं में उनके व्यावहारिक अनुभव सूक्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं। आज के विश्व को इन सूक्तियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। कवि को यह विश्वास है कि उसके काव्य-वचन सुभाषित की तरह अमर रहेंगे-होन्तु सुहासिये वयणाई।[6]

जसहरचरिउ

यशोधर या जसहर के जीवन चरित को लेकर जितने भी काव्य लिखे गए, उनमें पुष्पदन्त चरिउ का स्थान सर्वोपरि है।[7] यह आचार्य पुष्पदन्त की तीसरी और अन्तिम रचना है इसमें कवि ने मान्यखेट की लूट का समय 902 ईसा के लगभग लिखा था। इसमें जैनधर्म की विजय की कहानी बारह सन्धियों में व्यक्त की गई है। अनेक जन्मान्तरों में ऐसी उनकी कहानी अपभ्रंश साहित्य में कही गई है। यह कथा यथार्थवादी है, जिसमें राजाओं के छल-कपट पर स्त्री आसक्ति पर, पुरुष अनासक्ति, धोखा, लूट, खसोट, चोरी इत्यादि पर मानवीय दुबर्लताओं का चित्रण हुआ है।

पउमसिरिचरिउ

यह चार संधियों में समाप्त होने वाली सुन्दर धार्मिक प्रेम कथा धाहिल कवि की एकमात्र कृति है।[8] भाषा एवं शैली के आधार पर उन्हें दसवीं शताब्दी के लगभग माना जा सकता है। कवि इसमें पारिवारिक समस्या का धार्मिक हल ढूंढने के पक्ष में है। धार्मिक कल्पना का रंग होने पर भी एक सम्पन्न परिवार में विधवा लड़की की स्थिति गृह कलह,

पारिवारिक कूटनीति तथा गन्धर्वविवाह की रोमांटिक प्रवृति का अत्यन्त ही सुन्दर वर्णन है। धार्मिक होते हुए भी यह चरित काव्य सरस भावयुक्त और काव्ययुक्त है। कपट का परिणाम दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है इसे कवि ने उचित प्रकार से समझाया है जो कि आज के मानव के लिए भी बहुत सी समस्याओं से मुक्ति का उपाय हो सकता है। कवि का उपनाम दिव्यदृष्टि था।[9]

उपर्युक्त चरित काव्यों की समस्त विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हैं। अत: यहाँ मैं इन चरितकाव्यों में अंकित नारी की स्थिति, चारित्रिक गुण एवं सुभाषितों पर विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ।

प्राकृत चरित साहित्य के ग्रन्थों में समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हुए नारी की विभिन्न स्थिति व अवस्थाओं का अंकन हुआ है। आयामों की विभिन्नताओं के कारण प्राकृत साहित्य के आकाश में अनेक नारी पात्र ऐसे हैं जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण चमकीले नक्षत्रों की भाँति जगमगाते हैं। स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में इन नारियों के चरित आज भी पथप्रदर्शक हैं, प्रेरणास्पद हैं। प्राकृत चरित साहित्य में नारी के विविध रूपों का जीवन्त चित्रण हैं। आचार्य विमलसूरि ने अपने काव्य में सीता, मंदोदरी, कैक्कयी तथा अंजनी आदि नारी पात्रों का उत्कृष्ट चित्रण किया है–

सीता

आचार्य विमलसूरि ने सीता के चरित को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है। वह आज के युग की नारी के लिए प्रेरणास्पद है। जब सीता को वन में छोड़ा जाता है तब वह सारथी के द्वारा यह वचन राम से कहती है हे स्वामी! दुर्जनों के वचनों से जिस प्रकार आपने मेरा त्याग किया है उसी तरह धर्म का त्याग मत करना[10] वर्तमान में भी नारी इस प्रकार का नैतिक विरोध प्रस्तुत कर अपने सम्मान की रक्षा कर सकती है। पउमचरिउ की सीता युगों-युगों से मानव द्वारा प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की प्रतिनिधि बनकर पुरुष के समक्ष उपस्थित हो गई है और नारियों के प्रति होने वाले अन्याय, अत्याचारों का विरोध करते हुए कहती है कि वह पुरुष द्वारा प्रदत्त यातनाओं को अधिक समय तक सहने में असमर्थ है। यदि अवमानना, उपेक्षा और अपवाद का पलड़ा भारी रहे तो एक ही रास्ता है नैतिक विरोध का- सीता राम से यही कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रसाद से देवों के समान भोग भोगे हैं इसलिए उसकी इच्छा नहीं, अब वही काम करूंगी जिससे फिर स्त्री ना होना पड़े –

तुज्झ पसायण पहु, भुत्ता भोया सुरोवया विविहा।
संपइ करेमि कम्म तं, जेण न होमि पुण महिला॥[11]

अंजना

आज की नारी के लिए अंजना एक ऐसी शक्ति है जिसने अपने कर्तव्य परायण का, मातृत्व और अपने आप को सही साबित करने की अदम्य इच्छा शक्ति रखकर धैर्यपूर्वक विपत्ति सहन करने का साहस दिखाया है। यह सहन करने की शक्ति एक नारी में ही संभव है जो अपने जीवन को सार्थक बनाकर अन्य को सन्मार्ग पर लगा दे और इस जगत् को ऐसा पुत्र प्रदान करे जो राक्षसत्व को मिटा कर रामत्व स्थापित करे। वर्तमान युग में इसी इच्छा शक्ति का अभाव है। इस इच्छा शक्ति एवं धैर्य के लिए इन सशक्त नारियों के चरित को विभिन्न संचार माध्यमों से हमें उभारना होगा। आचार्य विमलसूरि ने पुरुषों के चंचल स्वभाव के कारण स्त्रियों को जो भुगतना पड़ता है उसे मानो प्रतीक स्वरूप ही अंजना के वर्णन से चित्रित किया है। कवि ने पति के द्वारा पतियक्ता स्त्री की निराधार अवस्था को भी सामाजिकता से अधोरेखित किया है।

कैकयी

इसी क्रम में राम पक्ष की सशक्त नारी है कैक्केयी, आचार्य विमलसूरि की महानता है कि उन्होंने सभी चरितों को उदात्त रखा। कैकयी एक आधुनिक नारी थी जो समय के साथ चलती थी कैक्कयी एक योग्य सारथी तथा रण विद्या में प्रवीण थी।[12]

युद्ध स्थल हो अथवा वन स्थल हो सुदुर द्रोण की राजरानी कैक्कयी अपनी मानसिक और आत्मिकबल के आधार पर प्रत्येक स्थल पर एकाकी होते हुए भी पूरे दम खम से खड़े रहने का सामर्थ्य रखती है। इस काव्य में उन्हें सुचरित और सहृदया महिला रत्न के रूप में उभारा है।

विशल्या भी नारी संचेतना की संवाहिका है। जिसके शरीर से संस्पर्शित जलधारा ही औषधि बन गई। विशल्या संदेश देती है कि वह महिलाओं की चारित्रिक आध्यात्मिक प्रगति को और उसके नारीत्व को ऊँचा उठा देती है।[13]

इन चरित काव्यों का उद्देश्य भी यही है कि महापुरुषों में छिपे गुणों को उभारे ताकि वे आज की पीढ़ी के लिए आदर्श उपस्थापित कर सकें। विमलसूरि कृत पउमचरियं चरित महाकाव्य में राम धीरोदात्त नायक हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं।

मातृ-पितृ भक्ति

राम अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य समझते हैं। कैक्कयी द्वारा भरत को को राज्य माँगने पर दशरथ को द्वन्द में फँसा देखकर कहते हैं कि योग्य पुत्र

वही है जिसके पिता एकमूहुर्त के लिए भी शोक न करें।[14] यदि वर्तमान में पुत्रों में यह गुण आ जाये तो देश के वृद्धाश्रम बन्द हो जाँए।

भातृ एवं पुत्र स्नेही

राम अपने भाईयों से सदैव स्नेह रखते थे। राम लक्ष्मण का मुहूर्त भर के लिये भी वियोग नहीं सह सकते।[15] राम अपना राज्य अभिषेक इसलिये नहीं कराते क्योंकि यह समाचार सुनकर भरत विरक्त न हो जाए।[16] वर्तमान समय में यदि यह गुण मनुष्यों में आ जाए तो सम्पत्ति विवाद के कारण तमाम विषमताओं से छुटकारा मिल सकता है।

धैर्यशाली एवं मधुरभाषी

राम धैर्यशाली एवं मधुरभाषी थे। वन में भटकते हुए अनेक परेशानियों तथा मान-अपमान का सामना करते हुए, जब लक्ष्मण को क्रोध आता था तो राम सुमधुर वचनों से शांत कर देते थे।[17] वर्तमान युग में इस विशेषता की अत्यंत आवश्यकता है। आज के माहौल पर जो बात-बात पर धैर्य खो देते हैं तथा हिंसा पर उतारू हो जाते हैं उसके कारण कितने ही व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता हैं। यदि आपस में मधुरता से बात कर समस्या को सुलझा दिया जाय तो समस्या हल हो सकती है। किन्तु आज न तो धैर्य है और न ही मधुरभाषिता अतः इस तरह के महापुरुषों के चरित को विभिन्न माध्यमों से उजागर कर प्रकाश में लाना आवश्यक है। इसलिए ग्रन्थ में स्पष्ट निर्देश किया है कि राम के चरित को सुनने वाला अनेक अभ्युदयों को पाता है।[18] आचार्य विमलसूरि ने रावण के चरित को भी उदात्त बनाया है। रावण धीर, दयालु, सत्यवादी धर्मार्थ के विवेक का ज्ञाता उत्तम कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति था।[19] किन्तु अभिमानी होने के कारण दुर्गति का पात्र हुआ। यदि व्यक्ति में एक भी दुर्गुण है तो उसके समस्त गुण उसी दुर्गुण में समाहित हो जाते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश चरित काव्यों में विभिन्न सुभाषितों का प्रयोग आचार्यों द्वारा करना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भले ही हो किन्तु उसके पीछे एक गहन विचार होता है कि इसके माध्यम से जन-जन तक लोकभाषा में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, लोग अच्छे-बुरे की पहचान करते हैं चूंकि यह सूत्र रूप है।

अतः इसका प्रसरण तेजी से होता है। कुछ सुक्तियाँ विभिन्न चरितकाव्यों से द्रष्टव्य हैं।

1. कि दिणरस्स दीवो, विज्जइ विहु मग्गणणए। 70/27 पउमचरियं
2. अवसेण कज्जरिद्धि, हवइ नयं ववहरन्ताणं। 53/37 पउमचरियं
3. एक्क पयं पि वैरं तं, जे नियमणेण वसाएइ। 107/14 पउमचरियं

4. एक्को वि कुओ नियमो, पावई अच्चवभुयं महासुरलच्छि 76/34 पउमचरियं
5. धम्मो सुहाण मूलं। 84/14
6. पत्ते विणास काले नासइ बुद्धी नराण निक्खुत्तं 53/138 पउमचरियं
7. सुमिणसमा होन्ति इमे, बन्धुसिणेटा य भोगो या 36/54 पउमचरियं

अइदुल्लहु मणुयजम्मु लद्धिवि 2/16 णायकुमार चरिउ

अभागे मनुष्य से मित्र भी मुँह फेर लेता है और भाग्य के बल से काला सर्प भी स्वप्न बन जाता है। 2/14 णायकुमारचरिउ

पुण्यवान के लिये क्या नहीं किया जाता 2/14 णायकुमारचरिउ

इअ के सुत्थिउ को दुत्थियउ, सयलु वि कम्मेण गलित्थियउ 2/4 णायकुमारचरिउ

'जं कल्ले कायव्वं अज्ज चिय तं करेह तुरमाणा।

बहुविग्घो ये मुहुत्तो मा अवरह पडिक्खेहु।'' 6/204 जंबूचरियं

अर्थात्- जो कल करना है उसे आज ही जल्दी कर डालो प्रत्येक मुहुर्त विघ्नकारी है अतएव उस की अपेक्षा मत करो।

चउपन्नमहापुस्सिचरियं में परिसंवादों में अनेक नैतिक तथ्यों का समावेश हुआ है। उदाहरणार्थ एक संवाद उद्धृत है:

धन सार्थवाह के प्रधान कर्मचारी से एक वणिक् ईष्यावश पूछता है कि तुम्हारे सार्थवाह के पास कितना धन है, कौन-कौन गुण हैं? वह क्या दे सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में मणिभद्र अपने सेठ का परिचय देते हुए कहता है कि हमारे स्वामी में एक ही वस्तु है और वह है विवेक-भाव और जो एक वस्तु नहीं है वह है अनाचार। अथवा दो वस्तुएँ हैं- परोपकारिता तथा धर्म की अभिलाषा, जो दो वस्तुएँ नहीं हैं, वे हैं अहंकार और कुसगंति। अथवा तीन वस्तुएँ उनमें कुल, शील एवं रूप हैं और तीन नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाना, उद्धत्तता और परदारगामित्व। अथवा उनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार वस्तुएँ हैं और फल की अभिलाषा, बडप्पन की भावना, विषयान्धता एवं दुखी को कष्ट पहुँचाना ये चार बातें नहीं हैं। अथवा उनमें ज्ञान, विज्ञान, कृतज्ञता और आश्रितों का पोषण आदि पाँच बातें पायी जाती हैं एवं दुराग्रह, असंयम, दीनता, अनुचित व्यय और कर्कश भाषा प्रयोग ये पॉच बातें नहीं पायी जाती हैं। इस प्रकार वार्तालापों द्वारा नैतिक तथ्यों पर तो प्रकाश डाला गया है।[20]

आलंकारिकों ने महाकाव्य के प्रमुख उद्देश्य चतुर्वर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों को फल की प्राप्ति माना है। कवि विमलसूरि ने भी इन चारों पुरुषार्थों को इस चरित में स्थान दिया है-

कामत्थ-धम्म-मोक्खा एत्थ पुराणम्मि वण्णिया सव्वे।[21]

जैन चरितकाव्यों की विशेषता के अनुसार कवि ने पउमचरियं का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही माना है।[22] अन्य पुरुषार्थों को भी प्रसंगानुकूल वर्णित किया है। धर्म पुरुषार्थ इस चरित के अधिकांश पात्रों में प्रदर्शित किया है। काम के बारे में कवि का स्पष्ट मत है कि वह अधोगति का कारण है।[23] अर्थ की प्राप्ति को पूर्वकृत पुण्य का उदय माना है।[24] धन की महिमा बताते हुए आचार्य ने लिखा है–

जस्सत्थो तस्स सुहं, जस्सत्थो पण्डिओ य सो लोए।
जस्सत्थो सो गुरुओ, अत्थविहूणो य लहुओ य॥
तस्स महतो य जस्सो, धम्मो वि य तस्स होइ साहिणो
धम्मो वि सो समत्थे, जस्स अहिंसा समुद्दिट्ठा।[25]

एक जगह तो कवि ने धन को ही प्राण कह दिया है।

जो जस्स हरइ दव्वं, निक्खुत्तं तस्स सो पाणे।[26]

कवि उस काल में भी धर्म की महत्ता को जानते थे और वर्तमान काल में तो धन के माहात्म्य के बारे में क्या कहना आप सभी प्रबुद्ध हैं। वैसे अर्थ से धर्म संबंधी दानादि, आहार आदि कार्य होते हैं। धर्म के आचरण से मोक्ष प्राप्ति होती है और प्राणी धर्म की ओर अग्रसर होता है कवि ने मोक्ष सुख का वर्णन किया है –

जं तिहुयणे समत्थे, सोक्खं सव्वाण सुरवरिन्दाणं।
तं सिद्धाणं न अग्घई, कोडिसयसहस्से भागम्मि।[27]

अत: मोक्षसुख प्राप्त करने के लिए जैनधर्म के सिद्धान्तों का परिपालन आवश्यक है उन सिद्धान्तों की वर्तमान में उपादेयता संक्षेप में बताना चाहूँगी।

आचार्य विमलसूरि ने पउमचरियं में स्पष्ट कहा है कि वे भयानक नरक के पात्र हैं जो धर्मबुद्धि से माँस देते हैं या खाते हैं।[28] माँसत्यागी के लिये कहा गया है कि बड़ा भारी तप करने वाला है तथा सभी तीर्थों की सेवा करने वाला माँसत्यागी की बराबरी नहीं कर सकता।[29] वर्तमान युग में माँसाहार के दुष्परिणाम के रूप में स्वाइन फ्लू हमारे सामने हैं।

प्राकृत चरितकाव्यों में प्रतिपादित अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण– ये पाँचों व्रत न केवल आत्मकल्याण के लिये उपयोगी है वरन् इन पाँचों व्रतों का पालन करने से जगत् की अनेक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।[30]

1. अहिंसा- आंतकवाद, मांसाहार, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, जलाभाव
2. सत्यव्रत- भ्रष्टाचार, साक्ष्यपरिवर्तन, मिथ्या भाषण, मिथ्याभिलेख
3. अचौर्यव्रत- रिश्वतखोरी, टैक्सचोरी, असुरक्षा की भावना।
4. ब्रह्मचर्य पालन- जनसंख्या वृद्धि, भ्रूण-हत्या, एड्स, बलात्कार।
5. परिग्रहपरिमाण व्रत पालन से-भण्डारण, बँटवारा, दहेजप्रथा इत्यादि पर रोक लगेगी।

इन चरित काव्यों में जैन धर्म के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है और वे सभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है। यह तो वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो चुका है। आज जो वर्तमान में बहिन-बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहे हैं, वे इस प्रकार के चरितग्रन्थों में वर्णित जैनधर्म के सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार से कम होंगे।

उपसंहार

इस प्रकार प्राकृत चरितकाव्यों का अध्ययन करने से उसे लोक में विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने से न सिर्फ आत्मकल्याण होगा वरन्, परिवार, समाज, राष्ट्र की भी उन्नति होगी। चरित काव्यों में नारी पात्रों का रेखांकन एवं दु:ख दोनों में प्रेरणा देता है। इनके माध्यम से हम एक ऐतिहासिक विरासत से जुड़ते हैं जो तमाम विषमताओं में सुख एवं शांति नष्ट होने से बचा लेती है। इन महिलाओं के जीवन चरित में आज की नारी से जुड़े समस्त प्रश्नों के उत्तर और सामाजिक विसंगतियों का सर्वसम्मत प्रतिकार दृष्टिगोचर होता है। जब भी जीवन में समस्याएँ आएं कोई राह न सूझे तो सत्यनिष्ठता, एकाग्रता, पवित्रता से इन सात्विक नारीयों का स्मरण हमें राह दिखा देगा। आज की प्रत्येक नारी के अन्दर इनका निवास है, सिर्फ उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। चरितकाव्यों में वर्णित जैनधर्म के सिद्धान्त का पालन करने से न सिर्फ व्यक्ति सुधरेगा वरन् समाज और राष्ट्र भी सुधर जाएंगे। विभिन्न प्रकार के सुभाषितों एवं सूक्तियों के माध्यम से व्यक्तियों में जीवन मूल्यों का विकास होगा वे सभ्य नागरिक बनेंगे। परिवार में सामंजस्य उत्पन्न होगा, भाई-भाई के प्रति प्रेम बढेगा और माता-पिता का सम्मान होगा। प्राकृत चरितकाव्य लिखने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि महापुरुषों की जीवनी से हम अपना चारित्रिक विकास करके अपना तथा अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ायें।

संदर्भग्रन्थ

1. प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास: डॉ.नेमिचन्द्र शास्त्री
2. अपभ्रंश काव्य, णेमिनाहचरिउ: डॉ.सरोज जैन

3. जैन सिद्धान्तों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता: डॉ.सुषमा रोटे
4. पउमचरियं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन: डॉ.सुरेन्द्र कुमार जैन
5. प्राकृत रत्नाकर- प्रो.प्रेमसुमन जैन
6. Ganges of woman empowerment in indian literature– Prof Ramesh Kumar Pandey
7. जंबूसामि-चरिउ: प्रो.राजाराम जैन
8. जंबूसामिचरियं-सिंघी जैन शोध विद्यापीठ, भारतीय विद्याभवन बम्बई 1959
9. चउप्पनमहापुरिसचरियं-प्राकृत-ग्रंथ-परिषद्, वाराणसी 1961
10. पउमचरियं- डॉ.हर्मन जैकोबी, भावनगर-1914
11. पउमचरियं- भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली

संदर्भ–

1. प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डॉ. नेमिचन्द शास्त्री
2. पउमचरियं- आचार्य विमलमूरि, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, वाराणसी
3. प्राकृत रत्नाकर: प्रो. प्रेमसुमन जैन
4. जंबूसामिचरियं 15/34
5. डॉ.देवेन्द्र कुमार जैन, अपभ्रंश गाथा और साहित्य
6. पउमचरियं 1.1
7. डॉ.नामवर सिंह हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पृ.209
8. श्री मधुसूदन मोदी तथा हरिवल्लभ भायाणी द्वारा सम्पादित मुम्बई 1948
9. पउमसिरिचरिउ पृ. 140
10. पउमचरियं 06/6
11. पउमचरियं 102-43
12. पउमचरियं 24.23 4
13. पउमचरियं 64/45, 46
14. पउमचरियं 31.77
15. पउमचरियं 62.5
16. पउमचरियं 77.36
17. पउमचरियं 35-14-15
18. पउमचरियं 118.86
19. पउमचरियं 93.28-6
20 (अ) प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ.नेमिचन्द जैन पृ.339
(ब) चउपन्नमहापुरिम चरियं पृ.1।
21. पउमचरियं 118.11॥
22. पउमचरियं 118.113
23. पउमचरियं 118.1 04-108
24. पउमचरियं 108.106
25. पउमचरियं 35.66-67
26. पउमचरियं 69.43
27. पउमचरियं 102.172
28. पउमचरियं 14.47
29. पउमचरियं 14.48
30. जैन सिद्धान्तों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, जैन वीरसागर पृ.15

पालि भाषा और साहित्य की उपयोगिता

प्रो. संघसेन सिंह, नई दिल्ली

पालि व अन्य प्राकृतों के विषय में लिखते समय उनका प्राचीन इतिहास और सदी दर सदी उनके योगदान का उज्ज्वल कीर्तिमान स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। इन भाषाओं के उद्‌भव और क्रमिक विकास को लेकर विद्वानों के बीच अनेक चर्चाएँ हुई हैं, अनेक शास्त्रार्थ हुये हैं और आज भी हो रही हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि चूँकि वेद-उपनिषद् आदि की भाषाएँ प्राचीनतम प्राकृत हैं, इसलिये भारतीय आर्यभाषाई प्राकृतों और पाणिनीय संस्कृत का मूल स्रोत एक ही है अथवा वेदकालीन भाषाओं के अन्य विविध स्रोत जिनकी आज तक पहचान नहीं हो पाई है। भाषा विज्ञानियों ने ऋग्वेद की भाषाओं में कम से कम सात अलग अलग बोलियों की पहचान की है। अतः आज यह कहना कठिन होगा या है कि कौन सी प्राकृत और पाणिनीय संस्कृत किस किस वेदकालीन बोली से निर्गत हुई है। किन्तु यह बात निर्विवाद रूप से सच है कि वेदों की रचना से पूर्व और उनके काल में अनेक भाषायें व बोलियाँ सक्रिय और जीवन्त थीं। भारतीय आर्यभाषाओं के उद्‌भव और विकास का खाका इस प्रकार दर्शाया जाता है–

प्राचीन युग (2000 ई.पू. से 500ई.पू. तक

वैदिक संहितायें व वेद कालीन अन्य भाषाई स्वरूप, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि

मध्ययुग (500 ई.पू. से 1000ई.)

(क) प्राचीन मध्ययुग (500ई.पू. से 01 ई.पू.तक)

पालि, अशोकी प्राकृत, गांधारी प्राकृत, अर्धमागधी, संकर संस्कृत, पाणिनीय संस्कृत आदि

(ख) मध्य मध्ययुग (01 ई. से 500ई. तक)

साहित्यिक प्राकृतें– शौरसेनी, पैशाची, मागधी, महाराष्ट्री आदि

(ग) उत्तर मध्ययुग (500ई. से 1000ई. तक)

अनेक उद्‌विकास (अपभ्रंश) भाषायें व बोलियाँ

आधुनिक युग (उत्तरोत्तर युग 1000ई. से वर्तमान तक)

आधुनिक आर्यभाषाएँ

कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, मुलतानी, सिन्धी, गुजराती, राजस्थानी, हरयाणवी, मेरठी, ब्रजी (ब्रजभाषा), अवधी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली मगही, बंगला, ओड़िया, छत्तीसगढ़ी, बुन्देलखंडी, मराठी, कोंकणी आदि।

इस प्रकार भाषाओं के विकास का खाका देख कर स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार अनेक क्षेत्रीय उद्विकासों (अपभ्रंशों) ने विकसित होकर आधुनिक भाषाओं व बोलियों का स्वरूप ले लिया और आज अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय व जीवन्त हैं। उनमें से खड़ी बोली हिन्दी ने सबसे ज्यादा विकास किया और राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया किन्तु अन्य क्षेत्रों की भाषायें व बोलियाँ भी अपना-अपना विशिष्ट महत्त्व रखती हैं। वे भी अपने अपने क्षेत्रों या प्रदेशों की सरकारी भाषायें है और उन उन क्षेत्रों में पठन-पाठन और प्रशासन की भाषायें हैं।

इस पूरे खाके को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार वैदिक प्राकृत व उसके विविध स्वरूप आज की बोलियों से जुड़े हैं। उसी प्रकार मध्ययुगीन प्राकृत-पालि, अर्धमागधी और अन्य प्राकृतों की छोटी इकाई आज के बहुसंख्य पदों, शब्दों और वाक्यांशों से जुड़ी हुई हैं और यह भी स्पष्ट है कि आज का पाठक आधुनिक भाषाओं के इस संबन्ध से किस प्रकार लाभान्वित होता है।

उन्नींसवीं व बीसवीं सदियों में फिलिप्स, कनिंघम आदि को पुरातत्त्ववेत्ताओं की खुदाइ से जो पुरातात्त्विक अवशेष मिले हैं और जिन पर राजा देवानंप्रिय प्रियदर्शी, अशोक आदि अंकित हैं, उनके आधार पर यह निर्णय करना कठिन था कि उस राजा का वास्तविक या मूल नाम अशोक था अथवा देवानंप्रिय प्रियदर्शी आदि। इस गुत्थी को सुलझाने में इतिहासकारों ने जहाँ एक ओर अभिलेखों आदि से मदद ली, वहीं पालि के ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थों दीपवंस और महावंस और (संकर संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थ दिव्यावदान) से भी मदद ली। दिव्यावदान में तो एक अवदान कथा अशोकावदान शीर्षक से संकलित है। यह उदाहरण पालि भाषा-साहित्य की व्यावहारिक उपयोगिता का जीता-जागता नमूना है।

प्राचीन भारतीय इतिहास से संबन्धित विशिष्ट तिथियों के निर्धारण के विषय में इतिहासकारों में बड़ा विवाद चला है, विशेषतः उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों के इतिहासकारों में कोई ऐसी सर्वमान्य और ठोस सबूतों पर आधारित तिथि नहीं थी, जिसको आधार बना कर अन्य तिथियों का निर्धारण किया जा सके। इसी बीच विद्वानों को रुम्मिनदेई (आधुनिक

नेपाल) का अशोकी शिलालेख हाथ लगा, जिस पर महाराज अशोक ने उस शिलालेख की स्थापना की तिथि अंकित कराई है। यह तिथि है भगवान बुद्ध के महापरिनिब्बान के दो सौ छत्तीस वर्ष बाद की। यह तथ्य दीपवंस और महावंस से पुष्ट होता है। वह पालि ग्रन्थों की व्यावहारिक उपयोगिता का एक और जीता-जागता उदाहरण है।

यह भारत के लिये अत्यन्त गौरव का विषय है कि प्रारंभिक बौद्धों ने अपना एक विशिष्ट राजदर्शन विकसित किया। यह बात तिपिटक में अंकित है, विशेषत: महासुदस्सनसुत्त, अग्गञ्ञसुत्त आदि सुत्तों में उन सुत्तों के अनुसार किस प्रकार प्रारंभिक मानव समाज में किसी नायक का चुनाव हुआ और उसे ही आगे चल कर 'राजा' का नाम (अभिधान) दिया गया। उसने ही समाज को व्यवस्थित किया और व्यवस्थित रखा भी। इसी प्रसंग में आगे चल कर चक्रवर्ती राजा पद की प्रतिष्ठा हुई। बौद्धों की इस राज-संस्थान (Institution of Kingship/Benevolent Monerchy) में किसी प्रकार के दैवी या ईश्वरीय प्रभाव की गुंजाइश नहीं की गई। इस राज-संस्था के विषय में यह जानकारी हमें पालि साहित्य में ही मिलती है, कहीं अन्यत्र नहीं। इसे देश का प्रत्येक बुद्धिजीवी पालि भाषा और साहित्य की बहुत बड़ी व्यावहारिक उपयोगिता ही मानेगा, कुछ और नहीं।

सामाजिक व धार्मिक अन्धविश्वासों के उन्मूलन में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने किसी भाषा, किसी वर्ण, किसी जाति, किसी नदी, किसी पहाड़ और इसी प्रकार के किसी भी अन्य वस्तु को दैवी या ईश्वरीय मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने किसी भी ग्रन्थ को प्रमाण नहीं माना। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे उनकी बातों को भी बिना जाँचे, बिना परखे स्वीकार न करें। वैचारिक स्वतंत्रता की ऐसी मिसाल हमें पालि साहित्य में ही मिलती है।

ऊपर दिये हुये तथ्यों के एक-एक घटक को उठा कर तिपिटक से उदाहरण दे देकर उन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। किन्तु यहाँ पर इस छोटे से लेख में कुछ संकेत मात्र से काम चल सकता है-

(1) उन्होंने अपने वचनों (बुद्धवचनों) का छान्दस (वेदों की भाषा या बोली) में अनूदित करने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत, बुद्धवचनों को जन भाषाओं में कहे जाने की सलाह दी। (अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापूणितुं)।

(2) किसी भी वर्ण (जाति) को न तो श्रेष्ठ कहा और न किसी को निम्न। सबको बराबर बताया और बराबरी का दर्जा दिया। (दे. वसलसुत्त, अस्सलायन सुत्त, अम्बट्ठ सुत्त आदि)।

(3) पुण्यार्जन अथवा पाप-क्षालन के लिये किसी तथाकथित पवित्र नदी में स्नान को भगवान् बुद्ध ने कोई अहमियत (महत्त्व) नहीं दी थी। किसी ब्राह्मण द्वारा बाहुका नदी में स्नान करने की सलाह को भगवान् बुद्ध ने ठुकरा दिया था।

(4) यज्ञ आदि अनुष्ठानों को निरर्थक बताया। (दे. कूटदन्त सुत्त आदि)।

(5) किसी को सृष्टि का कर्ता मानना भगवान बुद्ध को स्वीकार नहीं था और न ही उसे ईश्वर स्वीकार करना।

(6) पापों के शोधन अथवा क्षालन के लिये शरीर को सन्ताप देना उनके लिये बेमानी था। (दे. मज्झिमा पटिपदा आदि)।

(7) आत्मा और लोक (विश्व, दुनियाँ) को शाश्वत मानना उन्हें स्वीकार नहीं था, उनका मानना था कि ऐसा होने पर मनुष्य में किसी प्रकार के सुधार की कोई संभावना नहीं रह जायेगी।

(8) पूरे विश्व (कायनात, जगत) को सतत परिवर्तनशील मानना आदि कुछ ऐसे बिन्दु हैं, जिन पर गौतम बुद्ध की स्पष्ट राय थी, जिसे उन्होंने सारा जीवन प्रचारित व प्रसारित किया।

इनके अलावा और भी अनेकों बिन्दु हैं जो तिपिटक में अंकित हैं और जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव बुद्धकालीन समाज पर पड़ा। इस प्रकार के बिन्दुओं को अंकित करने के कारण पालि वाङ्मय की उपयोगिता अत्यन्त बढ़ गई है।

पालि वाङ्मय की सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोगिता गौतम बुद्ध के अन्तिम उपदेश में सन्निहित है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है– मगध के शासक, अजातशत्रु ने वेसाली के वज्जियों को जीत कर उनके राज्य को मगध राज्य में मिलाने की योजना बनाई। इस विषय पर गौतम बुद्ध की राय और सलाह की इच्छा से उसने अपने दो मंत्रियों (वस्सकार और सुनिध) को भगवान् बुद्ध के पास भेजा और उनके माध्यम से अपनी बात भगवान् बुद्ध तक पहुँचाई। भगवान् बुद्ध ने उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बल्कि अपने शिष्य आनन्द के द्वारा वहाँ उपस्थित शिष्यों को एकत्रित हो जाने पर सात अपरिहानिया धम्मों की देशना की। ये सात अपरिहानि धम्म हैं–

(1) वज्जि लोग अपनी सभा या संगीति पूरी (अर्थात् सभी सदस्य मिलकर) और बार बार बुलाते हैं।

(2) वज्जि लोग एकजुट होकर बैठक करते हैं, एकजुट होकर बैठक से उठते हैं और एकजुट होकर निर्णय लेते हैं।

(3) यथास्थापित के विपरीत कुछ भी कानून नहीं बनाते हैं, जो पहले से कानून के दायरे में है, उसे तोड़ते नहीं, वज्जियों के प्राचीन कानून की धाराओं के अनुकूल आचरण करते हैं।

(4) वज्जिलोग अपने बुजुर्गों/विद्वानों का सम्मान करते हैं और उनकी बातों को आदर के साथ सुनते हैं।

(5) वे महिलाओं व कुमारियों को जबरन नहीं उठाते और न ही उन्हें देर तक अपने कब्जे में रखते हैं।

(6) वज्जि लोग वज्जियों के चैत्यों का आदर करते हैं और उनका किसी प्रकार का भी निरादर नहीं होने देते।

(7) वज्जि लोग वज्जि सन्तों की पूरी रक्षा करते हैं, आदर करते हैं, ताकि दूर प्रदेशों से सन्त लोग आयें और शान्ति के साथ उनके बीच ठहरें।

अन्त में भगवान् बुद्ध ने बताया कि ये वही सात अपरिहानिया धम्म हैं जिनकी देशना उन्होंने वर्षों पहले वज्जियों के बीच की थी। इसके साथ भगवान् बुद्ध ने बताया कि जब तक वज्जि लोग इन सात अपरिहानिया धम्मों का अनुपालन करते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता।

ये सात अपरिहानिया धम्म लोकतंत्र के लिये कितने उपयोगी है, यह कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। वस्तुतः इन सात बिन्दुओं में संविधान की सारी धारायें समाहित हैं। पूरे तिपिटक में इस प्रकार के कितने ही प्रसंग अंकित हैं जिनको यदि व्याख्यायित करके जनता तक पहुँचाया जाय, तो आज समाज में व्याप्त विवाद दूर किये जा सकते हैं।

पालि साहित्य में वर्णित राजनैतिक सन्दर्भों की उपयोगिता

प्रो. विजय कुमार जैन, लखनऊ

पालि साहित्य मूलतः भगवान् बुद्ध के वचन एवं उनका अनुगामी साहित्य है। भगवान् बुद्ध का स्पष्ट उद्घोष था कि **'वैर से वैर शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है।'** यह सनातन नियम है। लेकिन आतंक के चलते समाज में/देशों में तो युद्ध एक आवश्यक उपाय जैसे हो गया है जैसे- भोजन, पानी।

पहले प्रश्न उपस्थित होते थे 'हिंसा' की चर्चा/प्रयोग, आवश्यकता पर? आज अहिंसा की बात कहने पर प्रश्न चिह्न उठते हैं।

- हिंसा के सामने अहिंसा बौनी साबित हो रही है। यह इसलिए भी कि अहिंसा को ठीक से समझा नहीं गया है। आत्मरक्षा में अहिंसा बाधक नहीं है।
- पालि साहित्य में अजातशत्रु एवं प्रसेनजित् के कुछ सन्दर्भ द्रष्टव्य हैं
- अशोक का बहुत बड़ा सन्दर्भ दिया जाता है कि कलिंग का युद्ध लड़ने के पश्चात् उसे युद्ध की विभीषिका से वैराग्य हो गया।
- उत्तराधिकारी को लेकर भी पिता एवं पुत्र को मारने के लिए प्रेरित करने वाले होते थे, जो आज भी देखे जाते हैं।
- भगवान् बुद्ध द्वारा वास्तव में जय/पराजय के लिए सात अपरिहानीय धर्मों का वर्णन किया गया है तथा स्पष्ट कहा गया है कि आपस में फूट डालकर किसी भी राष्ट्र को पराजित किया जा सकता है।

पालि ग्रन्थों में गणतंत्र प्रदेशों के नाम मिलते हैं। जैसे शाक्यों का कपिलवस्तु, कोलियों का रामग्राम, मौर्यों का पिप्पलिवन, मल्लों का कुसीनारा पावेय्यक, लिच्छवियों की वैशाली, इसी तरह तीन गणतंत्रों में मिथिला-विदेह, सुषुमारगिरि के मल्ल, कालाम केसपुत्त। शाक्यों के संस्थागार का उल्लेख मिलता है जिसका प्रारम्भ (उद्घाटन) भ. बुद्ध ने किया था। हमें उन बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिनके कारण प्रजातंत्र का स्वरूप मजबूत होता है-

- संघ में प्रवज्या देते समय भिक्षुओं से पूछा जाता था, संघ की स्वीकृति के बाद ही प्रवज्या एवं उपसम्पदा का विधान था।

संघ में उपोसथ की व्यवस्था थी, जिसमें 15 दिन में एक निश्चित एरिया में रहने वाले भिक्षु उपस्थित होते थे, पातिमोक्ख का पाठ करते थे। इसमें व्यवस्था थी कि सभी लोग अपने-अपने दोषों का वर्णन करें तदनुसार ही दण्ड की व्यवस्था थी। भिक्षु द्वारा दोष छिपाए जाने पर दूसरा भी प्रकट कर देता था। इस प्रकार सूक्ष्मतया देखने से पता चलता है कि यहाँ के नियमों के विधान में तानाशाही व्यवस्था नहीं थी, तीन-तीन बार अनुमोदना का विधान था।

बुद्ध के पश्चात् संगीतियों के माध्यम से जो बुद्धवचनों का संग्रह किया गया, उसमें प्रजातंत्र का स्वरूप प्राप्त होता है।

- भगवान् बुद्ध के पश्चात् महाकाश्यप ने अनुभव किया कि बुद्धवचनों का संग्रह होना चाहिए।
- इसमें तीन महीने पूर्व सभी विहारों के भिक्षुओं को सूचना दे दी गई, स्थान निश्चित हो गया, अध्यक्ष का निर्णय हुआ। विचार किया गया कि कैसे बुद्धवचनों का संग्रह किया जाय।
- आनन्द को सुत्त के लिए तथा विनय के लिए उपालि को चुना गया। प्रत्येक सुत्त के संग्रह के पश्चात् संघ से अनुमोदना करायी गयी। इसमें आनन्द की सदस्यता (अर्हतत्व) को लेकर भी रोचक चर्चा है कि पहले आनन्द को प्रायश्चित लेना पड़ा, क्षमा याचना करनी पड़ी। पश्चात् ही उसको इसके लिए अर्हत् माना गया।

प्रथम सङ्गीति के बाद 100 वर्ष में संघ में 10 वस्तुओं के सेवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कुछ भिक्षु दस वस्तुओं का सेवन करना चाहते थे, कुछ उनके पक्ष में नहीं थे, भगवान् बुद्ध ने कुछ क्षुद्रक नियम बना दिए थे जिनके प्रयोग करने पर दोष होता है अपराध नहीं, जैसे संविधान में जहाँ अधिकारों की चर्चा है वहीं नीति निर्देशक सिद्धान्तों का भी उल्लेख है, विवाद होने पर यहाँ पर बटवारा हो जाता है एक प्रकार से बुद्ध की भावना यहाँ लागू नहीं होती है कि एक होकर निर्णय किया जाय तथा निर्णय होने पर उसे सभी स्वीकार करें। वृद्ध भिक्षु अपना अलग संघ बना लेते हैं जो स्थविरवाद के नाम से जाना गया तथा अधिक संख्या वाले भिक्षु महासांघिक कहलाए, मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों ने बुद्ध वचनों का संग्रह भी अलग-अलग किया। स्थविरवादियों ने जहाँ बुद्धवचनों का संग्रह पूर्व परम्परानुसार किया महासांघिकों ने संस्कृत भाषा में बुद्ध वचनों का संग्रह किया।

तृतीय संगीति सम्राट अशोक के समय सम्पन्न हुई। उसके बुलाने का कारण था कि बौद्ध सम्प्रदाय 18 सम्प्रदायों में विभक्त हो गया था। अशोक ने मोग्गलिपुत्त तिस्स थेर की अध्यक्षता में यह निर्णय करना आवश्यक समझा कि वास्तविक बुद्धवचन क्या है? इसमें ही

प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रयोग किया गया। विभिन्न पक्ष उपस्थित रखने के बाद निर्णय किया गया कि यह यही है शेष समुचित नहीं हैं। इसका विस्तार से प्रतिपादन कथावत्थु नामक रचना में किया गया है जिसे त्रिपिटक में समाहित किया गया है।

जब अशोक निर्णय कर लेते हैं कि स्थविरवाद ही सही है शेष नहीं तब बुद्धवचनों के प्रचार व प्रसार के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाती है। बुद्धवचन शिलालेखों में उत्कीर्ण कराए जाते हैं तथा विभिन्न प्रदेशों में भिक्षुओं को भेजा जाता है।

श्रीलङ्का स्वयं उनके पुत्र एवं पुत्री जाते हैं तथा जाते समय कहते हैं कि '**आपके उपकार के लिए आए हैं, विजय प्राप्त करने के लिए नहीं।**' धर्म प्रचार का भी यह उदाहरण अनुपम है, प्रजातांत्रिक है, तानाशाही नहीं।

महापरिनिब्बाणसुत्त दीघनिकाय में सात अपरिहानीय धर्म तो किसी भी राष्ट्र के प्रजातंत्र के लिए मूलमंत्र है। इसी प्रकार इनको संघ में अनिवार्य किया गया।

'महापरिनिब्बाणसुत्त' में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान् ने वैशाली में लिच्छवियों को सर्वप्रथम सात अपरिहानीय धम्म का उपदेश दिया था और उसी का स्मरण राजगृह में वर्षकार ब्राह्मण के आने पर आयुष्मान् आनन्द की उपस्थिति में किया गया। ये सात उन्नतिगामी अपरिहानीय धम्म भी प्रजातंत्र की सफलता में अपना विशेष योगदान देते हैं। ये सात अपरिहानीय धम्म इस प्रकार हैं–

1. सम्मति के लिए बराबर बैठक करना।
2. एक साथ बैठक करना, एक साथ उठना और एक साथ करणीय कार्यों को करना।
3. अवैधानिक कार्यों को न करना और विधान का उल्लंघन न करना।
4. वृद्धों का सत्कार-सम्मान करना, उनकी बातें सुनने योग्य मानना।
5. महिलाओं के साथ जोर जबर्दस्ती न करना, उचित व्यवहार करना।
6. पूजनीय स्थानों की पूजा का लोप न करना।
7. अर्हतों (पूज्यों) की धार्मिक रक्षा करना।[1]

जब शासक और प्रजा एक साथ बैठक करेंगे और करणीय कार्यों को करेंगे तभी प्रजातंत्र की सफलता मान्य होगी। इसी प्रकार अवैधानिक कार्यों को न करने और वैधानिक कार्यों के उल्लंघन न करने से, वृद्धों का सम्मान करने तथा महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करने पर भी प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है क्योंकि वृद्ध और महिलाओं के प्रति एक बड़े समूह की उपेक्षा प्रजातंत्र शासन के लिए घातक सिद्ध होती है।

जिस देश में प्रजा व्यर्थ की बात (बकवास) न करने वाली होगी, निद्रालु न होगी,

पापेच्छु (बदनियत) से युक्त न होगी, बुराई की ओर रुझान न रखने वाली हो, कर्मठ होगी अर्थात् थोड़े से विशेष (साफल्य) को पाकर बीच में न छोड़ देने वाली होगी, उस देश की प्रजा का नैतिक स्तर समुन्नत होगा। यह प्रजातंत्र शासन की कुंजी है। भगवान् बुद्ध अन्य सात अपरिहानीय धर्मों का उपदेश देते हुए कहते हैं कि अन्य भी सात अपरिहानीय धर्म हैं जो इस प्रकार हैं–

1. जब तक भिक्षु सारे दिन चीवर आदि के काम में लगे रहने वाले कर्मरत युक्त नहीं होंगे तब तक उनकी उन्नति होगी, हानि नहीं।
2. बकवाद से युक्त न होना।
3. निद्रारमता से युक्त न होना।
4. संगणिकारमता से युक्त नहीं होना।
5. पापेच्छु के वश में न होना।
6. पाप-मित्र पाप-सहाय बुराई की ओर रुझान न होना।
7. थोड़े से विशेष को पाकर बीच में न छोड़ देने वाला न होना।[2]

ये अपरिहानीय धर्म भी प्रजातंत्र की सफलता में सहायक हैं।

भगवान् बुद्ध ने जो अन्य सात अपरिहानीय धर्मों का उपदेश दिया है, वे इस प्रकार हैं–

1. भिक्षुओं का श्रद्धालु होना।
2. पाप से लज्जाशील होना।
3. पाप से भय खाने वाला होना।
4. बहुश्रुत होना।
5. उद्योगी होना।
6. याद रखने वाला होना।
7. प्रज्ञावान् होना।[3]

इन सात अपरिहानीय धर्मों के विद्यमान रहने पर प्रजातंत्र की सफलता निश्चित है क्योंकि जनता जब पाप से लज्जा और भय खानेवाली होगी, तो उसका नैतिक स्तर विकसित होगा तथा जनता के बहुश्रुत, उद्योगी एवं प्रज्ञावान् होने पर ही योग्य शासक चुना जा सकेगा। अतएव ये सात अपरिहानीय धर्म भी प्रजातंत्र की सफलता के पूरक हैं।

प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता में त्याग की भावना हो। यदि त्याग की भावना नहीं होगी, तो शासक (जो जनता में से जनता के द्वारा चुना जाता है, वह) राष्ट्रीय सम्पत्ति को लोभवश अपने घर लाता चला जायेगा। 'धम्मपद' में त्याग की महत्ता का उपदेश देते हुए भगवान् बुद्ध कहते हैं कि जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र,

धन और राज्य नहीं चाहता और न धर्म से अपनी उन्नति चाहता है वही शीलवान्, प्रज्ञावान् और धार्मिक है।[4]

प्रजातंत्र के दो भेद किये गये हैं–

1. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 2. अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र

इन भेदों का नमूना भी पालि साहित्य में देखने को मिल जाता है। उपोसथ के दिन जब भिक्षु एकत्रित होकर संघ में अपने-अपने पापों का स्वीकरण, क्षमायाचना और कृतसंकल्प होते हैं और इस प्रकार अपने किये हुए अपराधों से जो मुक्त होते हैं वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक अच्छा उदाहरण है।[5]

अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण हमें 'महावंस' में द्वितीय संगीति के अवसर पर मिलता है जब असंख्य भिक्षुओं में से चार-चार पंच अधिकरण शमथ (झगड़े को शान्त करने) के लिए चुना जाता है। विनयपिटक में आपसी झगड़ा सुलझाने के लिए अधिकरण शमथ का विधान है तथा आवश्यकता पड़ने पर शलाका पद्धति से भिक्षुओं को निर्णय जानने का विधान है।

भगवान् बुद्ध के समय जब यह विवाद उठता है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा तथा देवदत्त अपने को उत्तराधिकारी बनवाना चाहता है। भ. बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि उनके बाद बुद्धवचन (37 बोधिपाक्षिक धर्म) ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। जब कोई विवाद की स्थिति बने तो इनसे मिला लेना चाहिए इनके अनुकूल हो तो स्वीकार करें अन्यथा छोड़ दें।

प्राय: इतनी व्यवस्था के बाद भी हम देखते हैं कि बौद्ध संघ में भेद-प्रभेद होते गए, यह भी प्रजातंत्र की निशानी है कि सभी लोग अपनी व्याख्या के अनुरूप धर्म पालन के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म थोपा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप मध्यममार्ग की व्याख्या में ही चार दार्शनिक सम्प्रदाय, धार्मिक सम्प्रदाय तथा बोधिसत्त्व जैसे विश्वोपयोगी धारणा विकसित हुई।

यदा मम परेषां च भयं दु:खं च न प्रियम्
तदात्मन: को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्।

कोसलराज प्रसेनजित :–

कोसलराज प्रसेनजित् की राजधानी श्रावस्ती थी।[7] इसके अधीन पाँच राजाओं का उल्लेख मिलता है।[8] इसकी पत्नी का नाम मल्लिका देवी था।[9]

प्रसेनजित् भगवान् बुद्ध के उपासक थे। इसके पहले वे अन्य तैर्थिकों को मानते थे।[10] राजा प्रसेनजित् को यज्ञ करते हुए भी बतलाया है। उसने यज्ञ के निमित्त पाँच-पाँच सौ

बैल, बछड़े, बछड़िया, बकरियां एवं भेड़ों को यज्ञ-थून में बँधवा दिया था। जब भगवान् बुद्ध को इस बात का पता चला तो भगवान् ने उसके पास जाकर ऐसे उचित यज्ञ का विधान किया जिसमें जीवहिंसा नहीं होती और पुण्य प्राप्ति होती है।[11] प्रसेनजित् के प्रति भगवान् की सहानुभूति रहती थी। जब यह अजातशत्रु से हार जाता है तो भगवान् कहते हैं कि प्रसेनजित् की आज की रात्रि परेशानी से व्यतीत होगी क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति है।[12]

प्रसेनजित् भगवान् बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि वह स्मृतिमान् रहते मात्रा से भोजन करेगा। इसके लिए वह एक माणवक को नियुक्त करता है, जो उसके भोजन करते समय मात्रा से भोजन करने वाले आशय की गाथा दोहराता है। मात्रा से भोजन करने से प्रसेनजित् अपने लिए सुडौल और गठीला महसूस करता है।[13]

प्रसेनजित् धार्मिक थे। वह कचहरी जाना इसलिए छोड़ देते हैं कि वहाँ सभी लोग झूठ बोलते हैं।[14] वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। वह विभिन्न आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करता है।[15]

प्रसेनजित् की लड़की पैदा होने का वृत्तान्त भी मिलता है। वर्णित है कि लड़की पैदा . होने से प्रसेनजित् उदास हो गया था।[16]

प्रसेनजित् की दादी एक सौ बीस वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुई थी। प्रसेनजित् शोक व्यक्त करते हुए कहता है कि वह हस्तिरत्न और अश्वरत्न को भी छोड़ सकता है यदि उसकी दादी न मरे। उसे दादी से इतना प्यार था। उत्तर में भगवान् सभी को मरणशील बतलाते हैं।[17]

अजातशत्रु :

वह मगध का राजा था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसको वैदेहि पुत्र कहा गया है। संयुत्तनिकाय में इसका उल्लेख पापेच्छु के रूप में मिलता है। भगवान् इसे बुरे लोगों से मिलने वाला और बुराई ग्रहण करने वाला बतलाते हैं।[18]

भगवान् उपदेश देते समय कहते हैं कि जिस प्रकार लिच्छवि लापरवाही करेंगे तो अजातशत्रु उन पर आक्रमण कर देगा, उसी प्रकार भिक्षुओं की लापरवाही से मार उन पर आक्रमण कर देगा।[19] यहाँ पर अजातशत्रु का व्यक्तित्व सद्धर्म विरोधी मार (काम वासना) के सदृश वर्णित है।

अजातशत्रु कोशलराज प्रसेनजित् का भाँजा था। काशी प्रसेनजित् के अधीन थी। संयुत्तनिकाय में अजातशत्रु और प्रसेनजित् के बीच दो बार युद्ध होने का उल्लेख मिलता

है।[20] इन दोनों में युद्ध का मूल कारण यह था कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी, जिससे दु:खी होकर प्रसेनजित् की बहिन कौसला देवी ने भी आत्महत्या कर ली थी। तत्पश्चात् प्रसेनजित ने काशी प्रदेश अजातशत्रु से छीन लिया था। काशी प्रदेश कोशलराज द्वारा मगधराज बिम्बिसार को दहेज में दिया गया था।[21]

अजातशत्रु और प्रसेनजित् के मध्य हुए युद्ध में प्रथम बार अजातशत्रु की जीत हुई थी।[22] दूसरी बार प्रसेनजित् की। प्रसेनजित् ने अजातशत्रु को बन्दी बना लिया था लेकिन बाद में उसे अपना भाँजा समझकर छोड़ दिया।[23]

कुमार अजातशत्रु को पापेच्छु देवदत्त का सहायक बताया गया है।[24] अजातशत्रु को लिच्छवियों के प्रति आक्रामक बताया गया है। वह हमेशा दाँवपेच चलाता रहता था कि किसी प्रकार वह लिच्छवियों को वश में कर ले।[25] दीघनिकाय में भी वर्णित है कि लिच्छवियों को जीतने के लिए उसका अमात्य भगवान् के पास जाता है और जीतने के उपाय पूछता है।[26]

लिच्छवि–

लिच्छवियों के सम्बन्ध में वर्णित है कि वे लकड़ी के बने तख्त पर सोते थे, अप्रमत्त हो उत्साह के साथ अपना कर्तव्य पूरा करते हैं इसलिए मगधराज अजातशत्रु उस पर दाँवपेच नहीं चला पा रहा है।

लिच्छवियों के सम्बन्ध में भविष्य कथन किया गया है कि अनागत काल में लिच्छवि सुकुमार कोमल हाथ वाले, गद्देदार बिछावन और गुलगुले तकिया लगाकर दिन चढ़े तक सोने वाले हो जाएँगे तो लिच्छवियों के विरुद्ध अजातशत्रु को आक्रमण करने का अवसर मिल जाएगा।[27]

राजा उदयन–

यह वत्स-देश का राजा था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसके सम्बन्ध में संयुत्तनिकाय में मात्र यह उल्लेख है कि यह पिण्डोल भारद्वाज से ब्रह्मचर्य की सफलता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछता है और उत्तर से सन्तुष्ट होकर भगवान् धर्म तथा भिक्षुसंघ की शरण स्वीकार कर लेता है।[28]

अभय राजकुमार :

इनका उल्लेख मात्र इतना है कि ये भगवान् के पास राजगृह में जाकर पूरणकाश्यप के अहेतुवाद के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं। भगवान् के उत्तर से सन्तुष्ट होकर ये कहते हैं कि गृद्धकूट पर्वत में चढ़ने-उतरने से जो थकान हुई थी वह शान्त हो गई।[29]

सम्राट् कनिष्क के राज्यकाल में महाकवि अश्वघोष और आचार्य नागार्जुन ने दार्शनिक विचारों से बौद्धधर्म की देश-विदेश में ध्वजा फहराई। कनिष्क, कुग में महायान शाखा का उदय और विकास हुआ। इसमें संस्कृत भाषा को अपनाया गया। ब्राह्मण विद्वानों में बौद्ध धर्म के पंडित हुए। यही कारण है कि बौद्धधर्म में कर्मकाण्ड पद्धति तथा मूर्तिपूजा आदि अपनाई गई।

डॉ. विद्याधर महाजन के अनुसार महायान के उदय से बौद्धधर्म हिन्दू धर्म के निकट आ गया। कुछ लोगों का मानना है कि बौद्ध साधारण एवं स्तूपों को देखने के पश्चात् ही दूसरे धर्मानुयायियों के मन में मूर्तियों के प्रति आकर्षण हुआ।[30]

सम्राट् अशोक और कनिष्क कालीन युगों में जो कार्य नहीं हुआ वह कार्य गुप्तकाल में हुआ। बौद्धधर्म की आशातीत उन्नति हुई। इसमें ब्राह्मण धर्म की उन्नति के साथ बौद्धधर्म की उन्नति धर्म सहिष्णुता का अच्छा उदाहरण है।

1. कला के क्षेत्र में गुप्तकाल महत्त्वपूर्ण है। अजन्ता की कलाकृतियाँ भी इसी गुप्तकाल की हैं।
2. साहित्य के क्षेत्र में भी महनीय योगदान हुआ है।

इसे स्वर्णयुग कहा गया है। इसका प्रमुख कारण कला का विकास एवं धार्मिक सहिष्णुता है।

- कुमारगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गुप्तवंश का शासक हुआ। यह बड़ा पराक्रमी राजा था।
- नालन्दा विश्वविद्यालय गुप्तकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुप्तकाल में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। इसमें बड़े-बड़े विद्वान हुए जो संसार के बौद्ध धर्मानुयायी भक्तों को आकर्षित करते थे। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा बौद्धधर्म के प्रचार में अत्यधिक कार्य हुआ।

कुमारगुप्त के पश्चात् राज्य का उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त हुआ। इसी काल में हूणों के देश पर आक्रमण होने लगे थे। इसने तन-मन-धन से देश की रक्षा कर अपना परम कर्तव्य निभाया।

- नालन्दा विश्वविद्यालय में अनेक दार्शनिकों को तैयार किया। इसमें अन्य दर्शनों के साथ बौद्धदर्शन का अध्ययन बौद्ध विद्वानों द्वारा होता रहा। उसी का परिणाम है कि बौद्ध धर्म चरम उन्नति पर पहुँचा और विश्वप्रसिद्ध हो गया एवं इसे प्राचीन विश्वविद्यालय

की सर्वोच्च संस्थाओं में गिना गया। खण्डन-मण्डन की सूक्ष्म दृष्टियाँ विकसित हुई।

राजनीति में जहाँ प्रतिशोध, पराजय और वैर की भरमार है वहीं तथागत बुद्ध ने सभी क्षेत्रों में उद्घोष कर रखा है कि-

नहि वेरेन वेरानि समन्तीध कुदाचनं।
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो।

दूसरे प्रसङ्ग में स्पष्ट कहा गया है कि-

जयं वेरं पसरवति, दुःखं सेति पराजितो।
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जय पराजयं॥

जय से वैर पैदा होता है, पराजय से दुःख होता है और जो जय-पराजय को छोड़ देता है ऐसा उपशान्त सुखपूर्वक सोता है।

यद्यपि इस तरह के अहिंसात्मक वाक्यों के कारण आरोप लगते रहे हैं कि देश-विदेशियों के हाथ में पराधीन हुआ लेकिन यह भी साथ-साथ इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि आप में फूट, परस्पर में छोटे-छोटे राज्य लड़ते रहे तथा जिसके कारण विदेशियों ने इसका लाभ उठाया।

भारत देश की स्वतन्त्रता में अहिंसा एवं सत्याग्रह का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अहिंसा के बीज हम पालि साहित्य की उक्त गाथाओं में पाते हैं। पालि एवं बौद्ध साहित्य वास्तव में इतना प्रभावी नहीं होता तो बौद्धधर्म की विजय पताका एशिया में इतनी नहीं फहराती।

देश में असंयमी और दुराचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ तक कह दिया गया कि- **असंयमी दुराचारी हो, राष्ट्र का पिण्ड खाने से अग्निशिखा के समान तप्त लोहे का गोला** खाना उत्तम है

''सेय्यो अयोगुलो भुत्तो तत्तो अग्गिसिखूपमो।
यञ्चे भुञ्जय्ये दुस्सीलो रट्ठपिण्डं असञतो।''

राज्याश्रय से जहाँ एक ओर हजारों वर्ष तक (ई. पूर्व 6शती से 7-8 शती) बौद्धधर्म की ध्वजा फहरी, वहीं दूसरी ओर राज्याश्रय न होना (पाल वंश में) राजाओं के कुपित हो जाने के कारण बौद्धधर्म के पतन का भी कारण बना। यद्यपि बौद्धधर्म के ह्रास के कारणों पर विपक्ष में एक मत नहीं हैं। लोग अलग-अलग संभावनाएँ बतलाते हैं।

यही बौद्धधर्म जब विदेशों में गया, तो वहाँ भी वही स्थिति रही, यहाँ यह ध्यातव्य है

कि भारत में जिस तरह से आक्रान्ता आए एवं अपने धर्म का प्रचार किया, उस तरह से बौद्धधर्म विदेशों में डण्डे के जोर पर नहीं फैलाया गया। आज भी शांति की जब बात होती है तो पालि साहित्य में निहित बौद्धधर्म की बात होती है। तथागत बुद्ध करुणामूर्ति हैं, उनकी शिक्षा में मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा का व्यापक प्रभाव है।

इस तरह वर्तमान सन्दर्भ में पालि साहित्य का विशेष महत्त्व है कि यहाँ व्यवस्था में प्रजातंत्र के बीज प्राप्त होते हैं तथा अशान्त वातावरण में शांति का सन्देश प्राप्त होता है।

संदर्भ-ग्रन्थ–

1. द्रष्टव्य- महापरिनिब्बाणसुत्त, पृ. 12-14
2. द्रष्टव्य महापरिनिब्बाणसुत्त, पृ. 14-16
3. द्रष्टव्य- महापरिनिब्बाणसुत्त, पृ. 16
4. न अत्तहेतु न परस्स हेतु न पुत्तिमिच्छे न धनं न रट्ठं।
   न इच्छेय्य अधमेन समिद्धिमत्तनो, स सीलवां पञ्ञावा धम्मिको सिया। - धम्मपद, पण्डितवग्ग, पृ. 57
5. महावग्ग, उपोसथ खन्धक।
6. पाचीनक च चतुरो चतुरो पावेय्यके पि च।
   उब्बाहिकाय तं वत्थु समेतुं निच्छयं अका।। - महावंस, चतुत्थो परिच्छेदो, गाथा संख्या 47, पृ. 20
7. संयुत्त. 1, पृ. 67-112
8. वही, पृ. 78
9. वही, पृ. 73
10. वही, पृ. 67
11. वही, पृ. 75
12. वही, पृ. 82-83
13. संयुत्त. 1, पृ. 81
14. वही, पृ. 73
15. वही, पृ. 67-102
16. वही, पृ. 85
17. वही, पृ. 96
18. वही, पृ. 82
19. संयुत्त. 2, पृ. 222
20. वही, 1, पृ. 82-83
21. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ. 2-3
22. संयुत्त. 1, पृ. 82
23. वही, पृ. 83-84
24. वही, 2, पृ. 201
25. वही, 2, पृ. 223
26. दीघ. 2, पृ. 58
27. संयुत्त. 2, पृ. 223
28. वही, 4, पृ. 102
29. वही, 5, पृ. 110
30. प्राचीन राजवंश और बौद्धधर्म पृ. 336

आधार ग्रन्थ–

1. संयुत्तनिकाय एक अध्ययन, सं.- डॉ. विजय कुमार जैन, मैत्री प्रकाशन, 3/65, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
2. पालि सौरभ, सं.- प्रो. विजय कुमार जैन, मैत्री प्रकाशन, 3/65, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
3. राजवंश और बौद्धधर्म
4. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, डॉ. गोविन्द चन्द्र पाण्डेय
3. धम्मपद

पालि अट्ठकथाओं की उपयोगिता

प्रो. धर्मचन्द्र जैन, कुरुक्षेत्र

पालि साहित्य में अट्ठकथाओं का सर्वाधिक वैसा ही महत्त्व है जैसा कि वैदिक, प्राकृत एवं जैन वाङ्मय में भाष्य, चूर्णि, निर्युक्ति, वृत्ति टीकानुटीकाओं एवं टिप्पणियों का है। अट्ठकथा का अर्थ है- अर्थ का कथन करना अर्थात् कठिन पदों का अर्थ वा अनुवाद एवं उनका भावार्थ, व्याख्या, सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों की जानकारी आदि प्रस्तुत करना तथा स्वयं के विचारों का भी यथास्थान अभिनिवेश करना अट्ठकथा शब्द में निहित है। **अंगुत्तरनिकाय** में जैसा कि आता भी है - **अत्थं च धम्मं च**[1] जिसका अर्थ है - **अट्ठकथं च पालिं च**[2]। इस तरह जहाँ भाष्य व व्याख्या ग्रंथ में सूत्र का अर्थ और उसकी व्याख्या मात्र उपलब्ध होती है वहीं अर्थ एवं व्याख्या के साथ ही साथ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

अट्ठकथाओं का मूल स्त्रोत :

त्रिपिटक में यत्र तत्र विभंग, निद्देश, वेय्याकरण, वण्णना, अट्ठवण्णना, अत्थसेवण्णना आदि शब्दों का स्पष्ट प्रयोग मिलता है। विभंग (व्याख्या) अभिधम्मपिटक का एक स्वतंत्र ग्रंथ है, ऐसे ही सुत्तविभंग भी विनयपिटक का और निद्देश (चूलनिद्देश एवं महानिदेश) सुत्तपिटक खुद्दकनिकाय के स्वतन्त्र ग्रन्थ विशेष हैं। वेय्याकरण गाथा विशेष का कथन व अर्थकथन मात्र है जबकि वण्णना (वर्णन), अट्ठवण्णना (अर्थवर्णन) और अत्थसेवण्णना (अर्थ सेवण वा वर्णन) आदि पद पूर्व उक्त अभिप्राय विशेष को ही दर्शाते हैं।

अट्ठकथाओं का संगायन :

सिंहल परम्परानुसार अट्ठकथाओं का संगायन, संगीतियों में ही हुआ था कारण कि सम्राट अशोक पुत्र (ईसापूर्व तीसरी शती) जब धर्मप्रसार-प्रचारार्थ सिंहल गए तब वे त्रिपिटक के साथ पुषभ अट्ठकथाएं भी वहाँ ले गए थे।[3] त्रिपिटक का टंकन वट्टगामणी[4] (ईसा पू. प्रथम शताब्दी) के समय में हुआ था। इस तरह निस्संदेह अट्ठकथाओं ने बुद्धवचन के रूप मान्यता प्राप्त कर ली थी- **पालिमत्तभिधानितं, अट्ठकथा इध।**[5] इससे यह भी स्पष्ट होता है

कि 4-5वीं शताब्दी में सिंहल में अट्ठकथाएँ विद्यमान थीं जिनमें कुछ एक प्रमुख हैं- **महाअट्ठकथा, महापच्चरि, कुरुन्दी** और **सुतन्त अट्ठकथा**।[6] इन अट्ठकथाकारों को पुराणकत्थेर या अट्ठकथाचार्य नाम से उल्लेख किया गया है (गंधवंस)[7]

अट्ठकथाओं का विधिवत् लेखन :

निस्संदेह पालि अट्ठकथाओं का विधिवत् लेखन 5वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ मिलता है। इस शती के बुद्धदत्त और बुद्धघोस ये दो प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने अनुराधपुर में रहकर त्रिपिटक पर अट्ठकथाएं लिखीं और भी समकालीन धम्मपाल, उपसेन और महानाम जैसे विशिष्ट विद्वान् आचार्यों ने भी पालि अट्ठकथाओं का लेखन किया। उपलब्ध पालि अट्ठकथाएं-

	ग्रन्थ	**लेखक**
1.	विसुद्धिमग्ग -	बुद्धघोस
2.	समन्तपासादिक विनयपिटकट्ठकथा-	बुद्धघोस
3.	कंखावितरणी-पातिमोक्खट्ठकथा -	बुद्धघोस
4.	सुमंगलीविलासिनी - दीघनिकायट्ठकथा -	बुद्धघोष
5.	पपंचसूदनी - मज्झिमनिकायट्ठकथा -	बुद्धघोस
6.	सारत्थप्पकासिनी - संयुक्तनिकायट्ठकथा -	बुद्धघोस
7.	मनोरथपूरणी - अंगुत्तरनिकायट्ठकथा -	बुद्धघोस
8.	परमत्थज्योतिका - खुद्दकपाठट्ठकथा -	बुद्धघोस
9.	धम्मपदट्ठकथा - धम्मपद -	बुद्धघोस
10.	परमत्थदीपनी - उदानट्ठकथा -	धम्मपाल
11.	परमत्थदीपनी - इतिवृत्तकट्ठकथा -	धम्मपाल
12.	परमत्थजोतिका - सुत्तनिपातकथा -	बुद्धघोस
13.	परमत्थदीपनी - विमानवत्थुट्ठकथा -	धम्मपाल
14.	परमत्थदीपनी - पेतवत्थुट्ठकथा -	धम्मपाल
15.	परमत्थदीपनी - थेरगाथाअट्ठकथा -	धम्मपाल
16.	परमत्थदीपनी - थेरीगाथाअट्ठकथा -	धम्मपाल
17.	जातकट्ठकथा - जातक -	बुद्धघोस
18.	सद्धम्मपजोतिका - निद्देस -	उपसेन

19. सद्धम्मपकासिनी - पटिसंभिदामग्ग - भ. महानाम
20. विसुद्धजनविलासिनी - अपदानट्ठकथा - अज्ञात
21. परमत्थदीपनी - चरियापिटकट्ठकथा - धम्मपाल
22. अट्ठसालिनी - धम्मसंगणीकथा - बुद्धघोस
23. सम्मोहविनोदिनी - विभंगट्ठकथा - बुद्धघोस
24. पंचप्पकरणट्ठकथा - कथावत्थुट्ठकथा - बुद्धघोस
25. पंचप्पकरणट्ठकथा - पुग्गलपञ्ञति - बुद्धघोस
26. पंचप्पकरणट्ठकथा - धातुकथा - बुद्धघोस
27. पंचप्पकरणट्ठकथा - यमक - बुद्धघोस
28. पंचप्पकरणट्ठकथा - पट्ठान - बुद्धघोस
29. नेत्तिप्पकरणट्ठकथा - नेतिप्पकरण - धम्मपाल
30. मधुरत्थविलासनी - बुद्धवंसट्ठकथा - बुद्धदत्त
31. अभिधम्मावतार - (अभिधम्मट्ठकथा) - बुद्धदत्त
32. विनयविनिच्छय -(विनयपिटकट्ठकथा) - बुद्धदत्त
33. उत्तरविनिच्छय - (सुत्तपिटकट्ठकथा) - बुद्धदत्त
34. रूपारूपविभाग - बुद्धदत्त
35. परमत्थमंजूसा - विसुद्धिमग्गट्ठकथा - धम्मपाल

उक्त अट्ठकथाओं का कालक्रम निश्चित करना बहुत कठिन है फिर भी यह तो निश्चित ही है कि विसुद्धिमग्ग की रचना पहले हुई होगी क्यूंकि इसका उल्लेख लगभग सभी अट्ठकथाओं में हुआ है। ये अट्ठकथाएँ सिंहल अट्ठकथाओं का अनुवाद मात्र नहीं हैं बल्कि इनमें पालि त्रिपिटक तथा अन्यत्र उपलब्ध सामग्री का भी उपयोग हुआ है जैसे कि **दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुक्तनिकाय एवं अंगुत्तरनिकाय** की अट्ठकथाओं में स्पष्ट कथन मिलता है। - **महाअट्ठकथायं सारमा दाय पोराणकथायं सारमादाय।**[9]

ऐसे ही '**अयं पन मे अत्तनो गति**' उद्धरण भी यह दर्शाता है कि बुद्धघोस को सिंहल महाविहार-परम्परा का विशेष ध्यान रखना पड़ा होगा फिर भी उन्होंने यथासम्भव यथास्थान अन्यत्र उपलब्ध सामग्री का भरपूर उपयोग किया है, साथ ही उनमें सिंहल अट्ठकथाओं में उपलब्ध सामग्री का संक्षिप्तीकरण और अपना भी अभिमत व्यक्त किया है।

उपयोगिता की दृष्टि से अट्ठकथाओं की महत्ता :

अनेक दृष्टियों से अट्ठकथाओं की उपयोगिता एवं महत्ता देखी जा सकती है, जैसे -

1. **पाठान्तरों की दृष्टि से** - इनमें विभिन्न पाठान्तरों का उल्लेख मिलता है यथा - जातकट्ठकथा[10] में।
2. **योग और छूट की दृष्टि से** - कुछ ऐसे भी स्थल है जहाँ गाथा भाग छोड़ दिया गया है और कुछ जोड़ (योग) दिया गया है - यथा बुद्धवंस अट्ठकथा में नये पद्यों (गाथाओं) की संख्या अधिक है।
3. **स्वाभिमत की दृष्टि से** - अट्ठकथाओं में स्वगत विचारों को संयोजित किया गया है। जैसे - मज्झिम निकाय की अट्ठकथा में बुद्धघोस ने यह विचार दिया है - दीक्षा के लिए गृहपति वर्ग अर्थात् गृहस्थ अधिक अनुकूल है क्यूंकि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों जैसा अधिक अहंकार उनमें नहीं होता।
4. **उपलब्ध सामग्री का विस्तृत और अतिरंजित वर्णन की दृष्टि से** - त्रिपिटकों में उपलब्ध सामग्री को यथास्थान विस्तृत और अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करना यथा - दीघनिकाय[11] के महापदानसुत्त एवं मज्झिमनिकाय के अच्छरियभुतधम्म में समागत तथा बुद्ध जन्म संदर्भ को तथा बुद्ध की रक्षा का जहाँ उत्तरदायित्व चार देवों पर है वहीं बोधिसत्त्व की रक्षा चालीस हजार देव करते हैं, ऐसा अतिरंजित वर्णन अट्ठकथाओं में उपस्थापित किया गया है। इस तरह यहाँ विषय विस्तार स्पष्ट दृष्ट है।
5. **संमिश्रण और संकलिन दृष्टि से** - कहीं-कहीं बुद्धवचन के नाम पर गद्य-पद्य सम्मिश्रण हुआ है तथा पँच अन्तरधानानि जैसे विषय भी यहाँ संकलित हैं, जो मूल त्रिपिटक में नहीं मिलते।
6. **विषय वर्णन में अन्तर की दृष्टि से** - शब्दों की नियुक्ति और घटनाओं के आकलन में अन्तर मिलता है यथा - उदानअट्ठकथा में संकेत किया गया है। पपंचसूदनी[15] में पाँच ब्राह्मण सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने की भविष्यवाणी करते हैं जबकि मनोरथपूरणी में यही कार्य एकमात्र कोडञ्ञ करते हैं।

दूसरे, पालिजातकट्ठकथा से ज्ञात होता है कि सिंहल अट्ठकथा एवं जातक में अन्तर है। गोधा[17] जातक में कलिं की जगह फल का प्रयोग हुआ है। तीसरे, **संमोहविनोदनी** में एक स्थल पर मूल से विरोध दिखलायी देता है। यह तथ्य **पटिसम्भिदामग्ग** अट्ठकथा से स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह **उदानट्ठकथा** और **बुद्धवंस** में भी विरोध है। चौथे, **बुद्धवंस**

की मूल अट्ठकथा में बुद्ध पण्णिकखण्ड और धातुभाजनीय कथा भाग नहीं मिलते।[18] पाँचवें, **सुमंगलविलासिनी** और **पपंचसूदनी** में व्याख्या पद्धति को **संबहुलवार**[19] और **समन्तपासादिका**[20] में इसके लिए पालिमुत्तनय पदों का प्रयोग हुआ है। **पुग्गलपञ्ञत्ति** में भी इस विधा का प्रयोग मिलता है। इस तरह अट्ठकथाओं में विषय विस्तार देखने को मिलता है।

अन्य विशेषताएँ :

अधिकांश अट्ठकथाओं के नाम अपनी विशेषता लिए हुईं हैं जैसे समन्तपासादिका, सुमंगलविलासिनी, कंखावतरणी इत्यादि जबकि कतिपय रचना के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे है धम्मपदट्ठकथा आदि।

सामान्यतः ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण और अन्त में प्रशस्ति, लेखक का परिचय और जिनकी प्रेरणा से यह लिखा गया है, ग्रन्थ लेखन का उद्देश्य और पोराणाचारियों के अभिमतों का उल्लेख आदि भी किया गया है। इन अट्ठकथाओं में विनय-नियम, सुत्त, अभिधम्म, बुद्धजीवनी, कथाएँ, ऐतिहासिक घटनाएँ और व्याकरण आदि का भी समावेश दृष्टिगोचर होता है।

इस तरह अट्ठकथाओं की उपयोगिता और महत्ता स्वतः सिद्ध है। अट्ठकथाओं का लेखन निरन्तर छठी शताब्दी ईस्वीं तक तो रहा ही साथ ही ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक उन पर टीका-अनुटीकाओं के लेखन का ही दौर रहा है। ग्यारहवीं सदी के संघराज कश्यप और उनके शिष्य सारिपुत्र और उनके भी आठ प्रधान शिष्य प्रमुख हैं जिन्होंने अपनी-अपनी प्रतिभा से विभिन्न ग्रन्थों पर स्वतंत्र ग्रंथ एवं अनुटीकायें लिखीं। बीसवीं सदी के आचार्य धर्मानन्द कौशाम्बी द्वारा लिखित नवनीत टीका और विसुद्धिमग्गदीपिका अनुटीका आदि स्पष्ट दृष्ट हैं।

सन्दर्भ :

1. दे. अंगु.नि. 1/69/23
2. दे. मनोरथपूरणी 2/143/14
3. दे. दीपवंस 11/41 : ततो मासं अतिक्कम्म जेट्ठमासे उपोसथे।
महिन्दो उत्तमो हुत्वा जम्बुदीपा इधागतो॥
तथा मिलाइए - तत्थ मासं वसित्वान जट्ठेमासस्सुपोसथे।
थेरो चतूहि थेरेहि सुमनेनाथभण्डुना॥
सद्धिं तेन गहट्ठेन नरतानात्तिहेतुना।
तस्मा विहारा आकासं उग्गन्त्वा सो महिद्धिको॥
महावंश 13/18-19 तथा दे. दीघनिकाय अट्ठकथा गाथा 6-7

4. दे. भरतसिंह उपाध्याय – पालिसाहित्य का इतिहास
5. दे. भास्कर – पालिभाषा और साहित्य का इतिहास, पृ. 283 पर उद्धृत
6. वही
7. वही, पृ. 287
8. दे. भिक्षु धर्मरक्षित – पालि साहित्य का इतिहास, पृ. 169–170 (प्रथम संस्करण) वाराणसी, 1971
9. दे. दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुत्तनिकाय एवं अंगुत्तर निकायों की अट्ठकथाएँ
10. दे. जातक पृ. 488 इत्यादि
11. दे. दीघनिकाय अट्ठकथा भाग 2 पृ. 407
12. मज्झिमनिकाय अट्ठकथा 4, पृ. 16
13. दीघनिकाय अट्ठकथा, भाग 1, पृ. 238 एवं संयुत्तनिकाय अट्ठकथा, भाग 1, पृ. 201, अंगुत्तरनिकाय अट्ठकथा, भाग 1, पृ. 89
14. दे. उदान अट्ठकथा, पृ. 101
15. पपंचसूदनी, भाग 2, पृ. 189
16. मनोरथपूरणी, भाग 1, पृ. 177
17. जातकअट्ठकथा, भाग 1, पृ. 488
18. संमोहविनोदनी पृ. 27–28 तथा पटिसम्भिदामग्गट्ठकथा पृ. 75 तथा दे. उदानट्ठकथा, पृ. 171, बुद्धवंसट्ठकथा, पृ. 18
19. सुमंगलविलासिनी भाग 1, पृ. 338
20. समन्तपासादिका, पृ. 290–94 तथा 476
21. पुग्गलपञ्ञत्ति, पृ. 171

पालि साहित्य के संस्कृत छायानुवाद की व्यावहारिक उपादेयता

प्रो. उमाशंकर व्यास, नालंदा

जिस प्रकार बौद्ध धर्म-दर्शन संसार की महान् धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन-धाराओं में अन्यतम के रूप में सुप्रतिष्ठित हो चुका है, ठीक उसी प्रकार पालि, संस्कृत एवं प्राकृत आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं में रचित बौद्ध-साहित्य भी सार्वभौम हो चुका है तथा इसकी सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक महत्ता निर्विवाद रूप से सुस्वीकृत हो चुकी है। अत्यन्त प्राचीन काल से ही समस्त सभ्य क्षेत्रों में इस साहित्य ने विश्व के मूर्धन्य चिन्तकों के मस्तिष्कों एवं कवियों के हृदय को उत्प्रेरित एवं उद्वेलित किया है। इधर परा-आधुनिक (Post Modern) सभ्यता ने विभिन्न मानव-समूहों एवं राष्ट्रों के बीच विद्यमान शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समग्र सांस्कृतिक परिवेश को अक्षुण्ण बनाए रखने में नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। आज का मानव जीवन-मूल्यों में गतिरोध की जिस दयनीय स्थिति में पहुँचा हुआ है उससे बाहर निकालने का अत्यन्त सशक्त माध्यम बौद्ध-चिन्तन का व्यापक प्रभाव ही हो सकता है। अतः आज बौद्ध-साहित्य में प्राप्त बौद्ध-चिन्तन के विभिन्न पक्षों की नए दृष्टिकोणों के साथ पुनः समीक्षा आवश्यक हो गई है।

यहाँ सर्वप्रथम यह ध्यातव्य है कि बोधिसत्त्व सिद्धार्थ गौतम ने उरूवेला में जिस सत्य/सनातन धम्म/धर्मता/भूततथता/प्रतीत्यसमुत्पन्नता/अनित्यता एवं अनात्मकता का साक्षात्कार कर बुद्धत्व की प्राप्ति की थी वह 'धम्म' वस्तुतः देशकाल-निरपेक्ष सार्वभौम, सार्वकालिक एवं सनन्तन धम्म था- 'एस धम्मो सनन्तनो' धर्मों की प्रतीत्यसमुत्पन्नता, अनित्यता, दुःखमयता एवं अनात्मकता का यह बोधि ज्ञान अथवा विशुद्ध चित्त में अमला प्रज्ञा के आलोक में भूततथता का यह प्रत्यवेक्षण सभी कालों एवं सभी लोकों के लिए सर्वथा प्रासंगिक था एवं आगे भी रहेगा। अतः आज की समसामयिक चुनौतियों के सन्दर्भ में भी इस ''सद्धर्म'' की उतनी ही उपादेयता एवं ग्राह्यता है जितनी कि भगवान् बुद्ध के स्थितिकाल में थी।

इस तथ्य की पुष्टि बुद्ध-प्रवेदित उस ''धम्म'' की प्रकृति एवं स्वरूप के अनुचिन्तन से हो जाती है। जिसका प्राचीनतम एवं प्रामाणिकतम स्वरूप इस समय प्राचीन मागधी

अथवा पालि-भाषा में बुद्ध के स्थविर शिष्यों द्वारा संकलित ''तिपिटक'' नामक संग्रह में देखा और परखा जा सकता है।

यह सत्य है कि भगवान् बुद्ध के ''अनुजानामि भिक्खवे, सकायनिरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितुं'' इस निर्देश के फलस्वरूप उनके मौखिक उपदेशों के संग्रह तत्कालीन विविध प्राकृतों एवं सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त संस्कृत में भी किये गये थे, परन्तु दुर्भाग्यवश संस्कृत-आगमों सहित ये बुद्ध-वचन-संग्रह अपने मूल में विलुप्त हो चुके हैं। वे या तो चीनी भाषान्तरों के रूप में उपलब्ध हैं या फिर मध्य एशियाई क्षेत्रों में प्राप्त कुछ खण्डों (Fragments) की पाण्डुलिपियों के रूप में अपने अतीत के अस्तित्व को सूचित करते हैं। इसी प्रकार गान्धारी धर्म-पद तथा कतिपय अन्य लघुखण्डों को छोड़ पश्चिमोत्तर क्षेत्र की भाषा में रचित बुद्ध-वचनों एवं उनके निर्वचनों के संग्रह भी अभी तक प्रकाश में नहीं आ सके हैं यद्यपि पश्चिम के शोधार्थी इन्हें प्रकाश में लाने हेतु गम्भीर प्रयास कर रहे हैं। इस वस्तुस्थिति में बौद्ध धर्म-दर्शन के ज्ञान के स्रोत के रूप में पालि-साहित्य का महत्त्व स्वतः स्पष्ट है। आज के सुधीजनों एवं सामान्य जनों को बुद्ध धर्म का प्राचीनतम एवं प्रामाणिक स्वरूप बतलाने वाले एकमात्र विश्वसनीय साहित्यिक स्रोत पालि भाषा में संगृहीत बुद्धवचन (त्रिपिटक) ही रह गए हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल से लेकर वर्तमान काल तक श्रीलंका एवं म्यांमार के समर्पित एवं श्रद्धावान् स्थविरों ने बुद्धवचन-संग्रह के रूप में समादृत अविच्छिन्न पालि-पिटक-परम्परा को अक्षुण्ण ही नहीं रखा अपितु अट्ठकथाओं, वंश-साहित्य, मूल-टीका एवं अनुटीका आदि के लेखनों द्वारा पुष्पित एवं पल्लवित भी किया। इन्हीं के सत्प्रयासों के फलस्वरूप आधुनिक काल के पूर्व एवं पश्चिम के सुधी-जनों ने पालि-त्रिपिटक में संगृहीत विविध पक्षों को बौद्धिक अनुशीलन (परियत्ति-ञाण) किया है। वहीं सहस्त्रों श्रद्धालु सामान्यजनों ने सद्धर्म की शिक्षा का व्यावहारिक धरातल पर प्रयोग कर (पटिपत्ति-ञाण) आधुनिक काल की चुनौतियों का सामना किया है, मानवीय मूल्यों के सृजन के सत्प्रयास किए हैं तथा शान्त एवं समरसता-भाव से ओतप्रोत सामाजिक मानसिकता के वास्तविक अवतरण में अनुपम योगदान दिया है। वस्तुतः आधुनिक काल में पालि साहित्य के बिना सद्धर्म से अनुप्राणित एवं उत्प्रेरित मानव-चेतना के अभ्युदय की कल्पना भी दुष्कर है तथा पालि-त्रिपिटक की मूल विषय-वस्तु में ऐसे दिशा निर्देश हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्तावाद, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक भेदभाव तथा धार्मिक कट्टरता की समसामयिक चुनौतियों का मुकाबला करने तथा अशान्त मानवीय चेतना को मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा पालि-पिटक-साहित्य एवं अनुपिटक-साहित्य के संस्कृत-छायान्तरण की महत्त्वाकांक्षी परियोजना की एक प्रमुख व्यावहारिक उपयोगिता यह भी है कि इसके द्वारा संस्कृतज्ञ सुधीजन, शोध-प्रज्ञ एवं छात्र बौद्ध धर्म, बौद्ध-चर्या, बौद्ध-विनय एवं बौद्ध मनो-नैतिकी (अभिधम्म) के उस प्राचीनतम एवं आधारभूत स्वरूप से सुपरिचित हो सकेंगे जिसका उत्तरकालीन विकास स्वयं बौद्ध-धर्म-दर्शन की वैभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद एवं माध्यमिक नामक शाखाओं के संस्कृत भाषा में निबद्ध शास्त्रों एवं सूत्रों में दृष्टिगत होता है।

संस्कृत में रचित उत्तरकालीन बौद्ध एवं बौद्धेतर ग्रन्थों में प्रतिपादित आत्मा, जीव, कारणकार्य-सिद्धान्त, चित्त तथा निर्वाण की अवधारणाओं का जो मूल स्वरूप है वह अभी तक पालि में ही प्राप्त था परन्तु इसकी संस्कृत-छाया हो जाने पर स्वयं संस्कृत में बुद्ध के धर्म का प्राचीनतम एवं मूलभूत स्वरूप प्राप्त हो सकेगा।

जैसा कि सुविदित है कि बौद्धों की सर्वास्तिवादी शाखा में पालि-निकायों के समानान्तर आगम-नामक संग्रह संस्कृत भाषा में थे। इसी प्रकार पालि-भाषा में संग्रहीत थेरवादी विनय का संस्कृत समानान्तर विनय भी था। दुर्भाग्यवश इस समय ये अपने मूलरूप में विलुप्त हैं एवं केवल चीनी एवं तिब्बती भाषाओं में किए गये रूपान्तरणों के रूप में ही प्राप्त हैं। पालि-निकायों के साथ इन रूपान्तरित संस्कृत बौद्ध-आगमों के कुछ तुलनात्मक अध्ययन विद्वानों ने किए हैं। पालि-निकायों की संस्कृत छाया भी ऐसे गम्भीर तुलनात्मक अध्ययनों में किसी न किसी रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

संस्कृत भाषा को और भी अधिक समावेशी तथा समृद्ध बनाने में भी पालि साहित्य की संस्कृत-छाया की उपयोगी भूमिका हो सकती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि संसार की प्राचीन एवं अर्वाचीन, सभी भाषाओं की समृद्धि के पीछे यह ऐतिहासिक तथ्य छिपा हुआ है कि जिन भाषाओं ने अन्य भाषाओं की शब्द राशि, शब्दरूप-संरचना, वाक्य-संरचना एवं अभिव्यक्तिविधा आदि को ग्रहण कर तथा भाषान्तरण आदि के माध्यम से जितनी अधिक मात्रा में अन्य भाषाओं के आन्तरिक एवं बाह्य पक्षों का आत्मसात्करण किया है, वे भाषाएँ अत्यधिक समृद्ध एवं हर तरह से परिपूर्ण हुई हैं। प्राचीन भाषाओं में संस्कृत तथा आधुनिक भाषाओं में अंग्रेजी, इस भाषाई प्रवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण हैं। अंग्रेजी भाषा का वाङ्मय विश्व की विविध साहित्यिक कृतियों के अनुवादों तथा विभिन्न भाषाओं की शब्दराशि को उन्मुक्त भाव से ग्रहण कर कितना समृद्ध हुआ है, यह हस्तामलकवत् स्पष्ट है। स्वयं संस्कृत भाषा ने तमिल, कन्नड़ जैसी आर्येतर परिवार की भाषाओं से कम्बु, घण्टा, अम्बु जैसे शब्द

ग्रहणकर तथा नाटकों में प्रयुक्त विविध प्राकृतों का छायानुवाद कर अपने शब्द भण्डार तथा अभिव्यक्तिविधा को पुष्पित एवं पल्लवित किया है। यद्यपि पालि-साहित्य की तुलना में संस्कृत साहित्य अभिव्यक्ति एवं विषयक्षेत्र आदि की विविधता आदि की दृष्टि से अधिक प्रशस्त कहा जा सकता है, परन्तु यहाँ इस तथ्य का अपलाप करना भी उचित नहीं होगा कि पालि भाषा के साहित्य में भाषाशैलीगत अनेक ऐसी विशिष्टताएँ हैं जो संस्कृत-छायाओं के माध्यम से संस्कृत वाङ्मय में अवतरित होकर उसे और भी अधिक समृद्ध बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अभिधम्म की मनोनैतिकी के विवेचन की परिप्रश्नात्मक शैली, जातक-कथानकों में चित्रित सामान्यजनों का जीवन, उदात्त मानव-मूल्यों, सामाजिक समानता एवं विश्वबन्धुत्व का भाव, मनोरम काव्यशैली के अत्यन्त प्राचीन नमूने, आदि भी संस्कृत के ज्ञान-भण्डार को समृद्ध करेंगे, यह आशा की जा सकती है।

तुलनात्मक धर्म (Coperateive philology) के अध्ययन क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु जब बाइबिल एवं कुरानशरीफ के भाषान्तरण किये जा सकते हैं तब समान सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्टभूमि वाली वैदिक एवं स्थविरवादी बौद्ध-परम्परा के तुलनात्मक अध्ययन एवं शोध को समृद्ध करने में पालि ग्रन्थों की छाया के महत्त्व का अपलाप भला कैसे किया जा सकता है। पालि-परम्परा एवं संस्कृत-परम्परा (बौद्ध एवं बौद्धेतर) के अन्तःसम्बन्धों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी संस्कृत-छाया की भूमिका उपयोगी हो सकती है। प्रारम्भिक चरणों से लेकर वर्तमान काल तक पालि एवं संस्कृत के पारस्परिक सम्बन्ध एकपक्षीय रहे हैं। एक ओर पालि-साहित्य ने अपने विकास के प्रथम चरण में वैदिक-भाषा के मुनि, अस्सम, कुटी तथा गिनि जैसे शब्द तथा धम्मासे, बुद्धासे जैसे नामरूप तथा भवामसे, चरमसे जैसे क्रियारूप ग्रहण किये तथा अपने विकास के चतुर्थ चरण में श्रीलंका में बारहवीं सदी ई. के उपरान्त संस्कृत रचनाओं से अनुप्राणित होकर काव्य, छन्दशास्त्र, काव्यशास्त्र शब्दकोशों आदि ऐसे विषयों पर अनेकों रचनाएँ लिखीं जिन पर पिटकों एवं अट्ठकथाओं आदि में कुछ भी नहीं लिखा गया। इस प्रकार पालि-परम्परा ने अनेक नूतन लेखनविधाएँ उन्मुक्त भाव से संस्कृत से ग्रहण कर तथा पालि-साहित्य को समृद्ध किया परन्तु ठीक इसके विपरीत बौद्धेतर संस्कृत साहित्य में प्रतिबिम्बित संस्कृत-परम्परा की मानसिकता पालि-भाषा एवं पालि-साहित्य के प्रति उपेक्षापूर्ण या उदासीनता भरी प्रतीत होती है। कारण जो भी रहे हों, परन्तु यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है एवं दोनों भगिनी-भाषाओं के तुलनात्मक अनुशीलन के लिए हितकर नहीं कही जा सकती है। अतः संस्कृताध्ययन के लिए समर्पित राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रवर्तित संस्कृत-छाया की परियोजना अभी तक संस्कृत भाषा में विद्यमान पालि-भाषा-

विषयक अपरिचय-भाव एवं उदासीनतामय दृष्टिकोण के अपनयन में सहायक सिद्ध होगी, यह आशा की जानी चाहिए। साथ ही साथ संस्कृत की समृद्ध-परम्परा से जुड़े हुए सुधीजनों के मन-मस्तिष्क में पालि-विषयक कतिपय भ्रान्तियों के निराकरण में भी इस परियोजना की कुछ न कुछ भूमिका अवश्य ही रहेगी।

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि जनभाषाओं में बुद्धवचनों का प्रसार करने के भगवान् बुद्ध के स्पष्ट निर्देश के रहते हुए भी आगे चल कर स्वयं बौद्धों को संस्कृत भाषा में सूत्रों एवं शास्त्रों का प्रणयन करना पड़ा। बौद्ध-साहित्य में रचित इस विशाल एवं गम्भीर बौद्ध-साहित्य के कारण ही बौद्ध-दर्शन एवं बौद्ध न्याय की गुरु-गम्भीर शास्त्र-परम्परा ब्राह्मण-परम्परा की सूक्ष्म एवं गम्भीर चुनौती का सामना कर सकी। बौद्धों द्वारा अपने लेखन-माध्यम के रूप में संस्कृत को ग्रहण करने के अनेक कारण हो सकते हैं। संभवतः गुरु-गम्भीर शास्त्रों की रचना के लिए पालि-सहित किसी जनभाषा में समृद्ध शब्द-भण्डार एवं अभिव्यक्ति की विद्याओं की विविधता नहीं थी तथा यह क्षमता प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध संस्कृत भाषा में ही थी। पुनश्च कोई भी जनभाषा एक क्षेत्र विशेष के सामान्य जनों के बीच ही बोली-समझी जा सकती है, समस्त राष्ट्र के विद्वज्जनों के बीच वाद-विवाद या विचारों के आदान-प्रदान के लिए तो संस्कृत ही एकमात्र सशक्त माध्यम थी। इसी कारणवश समूचे देश में ब्राह्मण प्रतिद्वन्दियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बौद्धों को संस्कृत अपनानी पड़ी। इस दृष्टि से भी संस्कृत छाया का मूल्याकंन करना अयुक्तिकर नहीं होगा।

इसी प्रकार धार्मिक एवं भाषाई संकीर्णता को मिटाने, पालि-अध्येताओं को बहुभाषा-ज्ञान के आधार पर पश्चिम के शोधकर्ताओं के समान गम्भीर तुलनात्मक शोधकार्य करने में सक्षम बनाने तथा बौद्धसंकर-संस्कृत के अनेक अनसुलझे भाषातत्त्वीय मुद्दों का समाधान तलाशने आदि में भी संस्कृत-छाया कार्य की व्यावहारिक उपयोगिता का मूल्यांकन भी अपेक्षित है।

अन्त में निगमन-वचन के रूप में यह आशा की जा सकती है कि जिस प्रकार अतीत में संस्कृत भाषा के निष्णात आचार्य बुद्धघोष तथा सिंहली स्थविर सारिपुत्त एवं संघरक्षित थेर आदि ने पालि-साहित्य को अनेक रूपों में समृद्ध किया, ठीक वैसे ही आज भी यूरोप के प्रो. रिस डेविडस जैसे विद्वानों की भाँति भारत में भी संस्कृत में निष्णात विद्वानों द्वारा भी पालि पठन-पाठन की परम्परा को पुनरुज्जीवित किया जा सकेगा तथा इस ज्ञान-यज्ञ में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रवर्तित संस्कृत-छाया जैसी परियोजनाओं की भूमिका निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण रहेगी।

पालि सूक्तियों की सामाजिक उपयोगिता

डॉ. राका जैन, लखनऊ (उ.प्र.)

तथागत बुद्ध के समस्त वचन सुभाषित हैं। अशोक के धर्मलेख-भाब्रू शिलालेख में स्पष्ट लिखा है- **भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते।** धर्म प्रधान ग्रन्थों और साहित्यिक रचनाओं में जीवन के विविध पक्षों पर प्रचुर सूक्ति-सुभाषित मिलते हैं।

सुभाषित शब्द भाष् धातु से क्त प्रत्यय के संयोग से बना है। सुन्दर कहा गया वचन सुभाषित है। और वच् धातु से क्तिन् प्रत्यय से सूक्ति शब्द बना। त्रिकाल सत्य को प्रकट करने वाली, सुन्दर एवं सीमित शब्द-शक्ति सूक्ति है।

पालि-साहित्य में लोक-जीवन के सुन्दर-सुन्दर सारगर्भित शब्द संजोए गए हैं। यदि गम्भीरता से चिन्तन किया जाए तो पालि-साहित्य में लोक-जीवन के हर पक्ष दृष्टिगत होंगे। यहाँ हमारा लक्ष्य पालि सूक्तियों की सामाजिक उपयोगिता को प्रतिपादित करना है।

भ. बुद्ध की शिक्षाओं के दो रूप मिलते हैं

1. सांसारिक जीवन में सुख एवं शान्ति प्राप्त कराने वाली बुद्ध देशना।
2. पूर्ण विमुक्ति या निर्वाण की ओर ले जाने वाली उपदेश-देशना।

इनमें पहली देशना दिन-प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं के समाधान की दृष्टि से है जिनसे पालि सूक्तियों की सामाजिक उपयोगिता सिद्ध होती है।

पालि साहित्य स्वयं ही सूक्ति-सुभाषितपरक साहित्य है यहाँ आचरण, सन्तोष, सत्पुरुष, आसक्ति, अज्ञान, लोककल्याण, आलस्य, द्यूतक्रीड़ा, अवनति के कारण, करणीय कर्म विषयक कुछ मॉडल रूप सूक्तियां उपस्थित की गई हैं।

सुभाषित -

सूक्ति-सुभाषित अपने में अर्थ-गाम्भीर्य को धारण किए हुए है और इसे उत्तम मंगल कहा गया है-

- **सुभासिता च या वाचा एवं मंगलमुत्तमं।** -मंगलसुत्तं

सुभाषित ज्ञान के सारभूत हैं–

विज्ञातसारानि सुभासितानि –सु.नि.पा. 2.9.6

– **सुभाषिता वाचा, सफला होति सकुव्वतो**– कथनानुकूल कार्य करने वाले व्यक्ति के भलीभांति कहे हुए वाक्य सफल होते। –ध.प. 52

– जो बात आनन्दमयी हो उसी प्रिय बात को बोलें–

'प्रियवाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता –सु.निपा. 3.3.3

क्योंकि उसी बात को बोले जिससे न स्वयं कष्ट पाएं और न दूसरे को ही दु:ख हो।

– **तमेव भासं भासेय्य, यायत्तानं न तापये।**

परे च विहिंसेय्य, सा वे वाचा सुभासिता। –सु.नि. 3.3.2

किञ्चिन् मात्र भी कठोर वचन मत बोलो क्योंकि तुम्हारे प्रति वह भी वैसा ही बोलेगा– **मावोच फरुसं कञ्चि , वुत्ता पटिवदेय्यु तं।** – ध.प. 132

और बहुभाषण से कोई पण्डित नहीं हो जाता–

न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति। –ध.प. 258

मित्र के सन्दर्भ में –

– श्रेष्ठ और समान मित्रों का साथ करना चाहिए।

सेट्ठा समा सेवितव्वा सहाया। –सु.नि.पा.1.3.13

– आजकल नि:स्वार्थी मित्र दुर्लभ है–

निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। –सु.नि.पा.1.3.41

पापमित्र, मित्र वेशधारी शत्रु, कल्याणमित्र परक अनेक समाजोत्थानक सुन्दर वाक्य है।

आचरण–

आचरण का सदा सम्मान किया जाता है।

– **मा जातिं पुच्छ, चरणं च पुच्छ** – सु.नि.पा. 34.8

अर्थात् जाति मत पूछो, आचरण पूछो।

– क्योंकि शील–सदाचार की गन्ध सर्वोत्तम है–

सीलगन्धो अनुत्तरो। – ध.प. 55

– **तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति** –ध.प. 68

अर्थात् वही कर्म अच्छी तरह किया हुआ कर्म है जिसके करने पर कर्ता दु:खी नहीं होता।

– कल्याणकारी कार्यों में शीघ्रता करना चाहिए। – ध.प. 116

यथा– '**अभित्थरेथ कल्वाणे**' (अभित्वरेत् कल्याणे)

सन्तोष –

'सन्तोषी सर्वदा सुखी' बात को सार्थक करने वाले पालि वचन देखिए '**चतुद्दिसो अप्पटिघो च होति, सन्तुस्समानो इतरीतरेन।**' –सु.नि.पा.1.3.8

– जो मिले, उसी से सन्तुष्ट और सबके प्रति समान रहने वाला चारों दिशाओं में निर्भय से रहता है क्योंकि '**संतुट्ठी परमं धनं**' –ध.प. 204 अर्थात् सन्तुष्टि परम धन है। '**तुट्ठी सुखा या इतरीतरेन**'। –जिस किसी भी वस्तु से जो तुष्टि होती है वह सुखदायिनी होती है।

– **नत्थि सन्तिपरं सुखं।** – ध.प. 202 – शान्ति से बढ़कर सुख नहीं है।

– जय–पराजय को त्याग कर पूर्णतया शान्त मनुष्य सुख की नींद सोता है–

उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजयो। – ध.प. 201

– **असज्झायमला मन्ता** – ध.प. 241 – स्वाध्याय न करना मन्त्रों का मल है।

सत्पुरुष –

– सत्पुरुष सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं–

सब्बत्थ वे सत्पुरिसा चाजन्ति – ध.प.83

– सत्पुरुषं का यश सभी दिशाओं में व्याप्त होता है–

'सत्पुरिसो पवाति' – ध.प. 54

– बुद्धिमान, बहुश्रुत सत्पुरुष की संगति करनी चाहिए–

'**तस्मा हवे सप्पुरिसं भजेय मेधाविनं चेव बहुस्सुतं च।**' – सु.नि.पा. 2.88

– सन्निवासो सदा सुखो।

सन्तों के साथ निवास हमेशा सुखदायक है।

– धैर्यशाली के साथ रहना सुख है – '**धीरो च सुखसंवासो**'। –ध.प.पा. 207

– ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं जो सामने आयी शंकाओं का समाधान करते हैं– **आलोकदा चक्खुदा भवन्ति, ये आगतानं विनयन्ति कङ्खं**। –थेरगाथापालि 3 पृ. 2

आसक्ति- आसक्ति ही दु:ख का कारण है-

- **नहि सो सोचति यो निरूपधीति।** - सु.नि.पा. 1.2.17

  अर्थात् जो विषय-भोग से रहित है, वह कभी शोक नहीं करता है।

- **निविस्सवादी न हि सुद्धिनायो।** -सु.नि.पा. 4.13.16

  अर्थात् जो किसी बात में आसक्त है, वह शुद्धि को प्राप्त नहीं होता।

- सब्बरतिं धम्मरतिं जिनाति। - ध.प.पालि 354

  धर्म की अनुरक्ति सभी रागों को जीत लेती है।

- **अभिवादन सीलस्स निच्चं वद्धापचायिनो।**

  चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं॥ - ध.प. 109

अर्थात् अभिवादनशील एवं वृद्धजनों की सेवा में तत्पर रहने वाले व्यक्ति के आयु, वर्ण, सुख और बल- ये चार बढ़ते हैं।

इसी तरह का भाव संस्कृत साहित्य में मिलता है।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन:।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यशो जलम्॥ -मनु. 2.11.1

द्यूतक्रीड़ा - जुआ खेलना समाज में प्रचलित बुरी आदत है। तथागत ने इस व्यसन को प्रमाद (असावधानी, स्मृतिध्वंस), प्रधान स्थान (पनादट्ठान) कहते हुए इस दुर्व्यसन से होने वाली छ हानियाँ बतलाई हैं।

जयं वेरं पसवति : इस क्रीड़ा में जो जीत जाता है उसके प्रति हारने वाला वैरभाव बना लेता है। दूसरे शब्दों में घूतक्रीड़ा में अनुरक्त गृहस्थ जाने अनजाने अनेक शत्रु बना लेता है। महाभारत का युद्ध इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

जिनो वित्तमनुसेवति : हारने वाला अपनी सम्पत्ति के नाश को सोच-सोच कर सदा मानसिक अनुताप से ग्रस्त रहता है, कभी भी मानसिक शान्ति का लाभ नहीं कर पाता।

सन्दिठिका धनहानि : इस क्रीड़ा में सभी के धन की हानि प्रत्यक्ष दिखलाई देती है।

समागतस्स वचनं न रूहति : सभाओं में जुआड़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता।

मित्तामच्चानं परिभूतो होति : मित्रों और साथियों का भरोसा नहीं रह जाता।

आवाहति विवाहकानं अपथितो होति : कोई भी जुआड़ी के साथ अपनी पुत्री का विवाह इस आधार पर नहीं करता कि जुए की क्रीड़ा में धुत रहने वाला अपनी पत्नी के भरण-पोषण में समर्थ नहीं होगा।

इस प्रकार द्यूतक्रीड़ा की इन छः प्रत्यक्ष हानियों को देख गृहस्थ को भगवान् ने इससे विरत रहने का उपदेश दिया है।

सामाजिक दृष्टि से इन सूक्तियों में जो सन्देश मिलता है वह यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है–

– **न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो।**

कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो॥

कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, भी उक्त कथ्य को चरितार्थ करता है। क्योंकि

– मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है और स्वयं ही अपनी शरण है–

'अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हह अत्तनो मति। – ध.प. 380

इसलिए सुख विहाहिसि॥

– अपने द्वारा अपने को प्रेरित करो – **अत्तना चोदयत्तानं** –ध.प. 379

– अपने द्वारा अपने को संलग्न करो – **पटिवासे अत्तमत्तना।** – ध.प. 379

– क्योंकि जीवन सभी को प्रिय है– **सब्बेसं जीवितं पियं**– ध.प. 130

– अपने द्वारा किया गया पाप अपने को ही क्लेश देता है–

– **अत्तना हि फलं पापं, अत्तना सकिलिस्सति।** –ध.प. 165

– अत्तदण्डा भयं जातं। – सुत्तनिपातपालि 4.15.1

– अपने दुष्कर्म से ही भय उत्पन्न होता है।

– **अज्झत्तमेव उवसमे।** – सुत्तनिपातपालि 4.14.5

व्यक्ति अपने भीतर शान्त रहे।

– **'एवं पियो पुथु अत्ता परेस, तस्मा न हिंसे परमत्त को'** – वि.सं.-2

अर्थात् सभी को अपना जीवन प्रिय है अतः स्वार्थ के लिए दूसरे की हिंसा न करे। विसुद्धिमग्गपालि का यह वाक्य आज के हिंसामय वातावरण को दूर करने का अचूक उपाय है। लोग स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक हनन एवं दुरुपयोग कर रहे हैं।

लोककल्याण–

– **चरथ भिक्खवे चारिकं, बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकम्पाय।**

विनयपिटक के इस वाक्य में बहुजन हित, बहुजन सुख, लोकहित एवं लोक कल्याणार्थ विचरण करने की सलाह दी गई है।

– **उठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो।**

सञ्ञतस्स च धम्मजीविनो अप्पमत्तस्स यसोभिवड्ढति।

–धम्मपद, अप्पमादवग्ग 4

अर्थात्- उद्योगी, सजग, शुचिकर्मवान्, सोचकर कार्य करने वाले संयमी तथा पवित्र आजीविका से जीवन-यापन करने वाले अप्रमत्त व्यक्ति का यश बढ़ता है।

ये बुद्धवचन हमारे व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन को एक दृष्टि प्रदान करते हैं कि हमें सदैव श्रमशील रहना चाहिए, मात्र भाग्य पर भरोसा करके बैठे नहीं रहना चाहिए। सदैव सजग रहना चाहिए। आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन में भी सजगता से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सजगता के लिए व्यक्ति मनसा-वाचा-कर्मणा शुचिकर्म करे। अहितकर कर्म छोड़े और उपयोगी/ हितकर कर्म करे। विचारपूर्वक कार्य करे। हिंसादि पाप-कर्मों से अपने को विरत रखकर संयममय जीवन जीना चाहिए। आजीविका भी न्याय-नीतिपूर्वक होनी चाहिए जिससे पर्यावरण एवं समाज का अहित न हो। इसे ही धर्मयुक्त जीविका या सम्यक् आजीव कहते हैं इसप्रकार श्रमशीलता, सजगता, शुचिकर्मता, विचारशीलता, संयम, सम्यक् आजीविका आदि गुणों से युक्त अप्रमत्त व्यक्ति स्वयं के एवं समाज के लिए उपयोगी तथा आदरणीय होता है जिससे उसका यश बढ़ता है। धम्मपद में प्रदत्त संदेश वर्तमान जीवन को तनाव रहित, किन्तु प्रगतिशील, कलहरहित किन्तु सौमनस्य युक्त, प्रदूषण रहित किन्तु समृद्धिमय बनाने हेतु प्रेरित करता है। पालि साहित्य में ऐसे अनेक बुद्धवचन हैं जो मानव-जीवन को समुन्नत बनाते हैं।

– जो कुछ दुःख होता है वह सब चंचलता के कारण होता है।

'यं किञ्चि दुक्खं सम्भोति, सब्बं इञ्जितपच्चया। सु.नि.पा.3.12.27

– **न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्ञो।** – सु.नि.पा. 4.4.5

महानपुरुष ऊंची-नीची दृष्टियों में नहीं पड़ता है।

– **सभोति अत्तानमनूपनेय्य, हीनो न मञ्ञेथ विसेसि वा पि।** –सु.नि.पा.4.54

न तो अपने को दूसरों के समान समझे और न उनसे नीच या श्रेष्ठ।

अज्ञान- द्वे पुग्गला बाला-यो च अनागतं भारं वहति, यो च आगतं भारं न वहति।

–विनयपिटक, परिवारवग्ग 7.2.5

अर्थात्- दो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, एक वह, जो भविष्य की चिन्ता का भार ढोता है और दूसरा वह जो वर्तमान में प्राप्त कर्तव्य की अपेक्षा करता है।

– संसार अविद्या से ढका हुआ है। मात्सर्य तथा प्रमाद के कारण वह प्रकाशित नहीं होता है–

अविज्जाय निबुतो लोको, वेविच्छा पमादा नप्पकासति। –सु.नि.पा. 5.2.2

आलस्य–

– **अप्पमत्तस्स यसोऽभिवड्ढति।** – ध.प. 24

अप्रमादी का यश बढ़ता है।

– **पमादो रहितो सदा।** – ध.प. 30

आलस्य सदा निन्दनीय है।

अवनति के कारण –

– जो व्यक्ति जाति, धन और गोत्र का घमण्ड करता है अपने भाई-बन्धुओं का भी जाति के कारण अनादर करता है वह उसकी अनवति का कारण है।

जातित्थद्धो धनत्थद्धो गोत्तत्थद्धो च यो नरो।

सञ्ञांतिं अतिमञ्ञेति तं पराभवतो मुखं। –सु.नि.पा. 1.6.14

जो व्यक्ति स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता है, शराबी एवं जुआरी है और कमाए हुए धन को नष्ट कर देता है वह भी उसकी अवनति का कारण है–

इत्थिधुत्तो सुराधुत्तो, अक्खधुत्तो च यो नरो।

लद्धं लद्धं विनासेति तं पराभवतो मुखं॥ – सु.नि.पा.1.6.16

आज के उपभोक्तावादी समाज में वृद्ध अभिभावकों के प्रति पुत्रों का जो उपेक्षाभाव है वह भगवान् की दृष्टि में पतन की ओर ले जाने वाला है। पराभवसुत्त में यह कहा भी है।

यो मातरं वा पितरं वा जिण्णकं गतयोब्बन।

पहु सन्तो न भरति, तं पराभवतो मुखं॥ - सु.नि.पा. - पराभवसुत्त

करणीयकर्म- हमें अपने करणीय कर्म पर ध्यान देना चाहिए।

- **धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसन्नेन चेतसा।** - ध.प. 79
  धर्मप्रिय प्रफुल्लित मन से सुखपूर्वक सोता है।
- **कयिरञ्जे कयिराथेनं।** - ध.प. 313
  जो करणीय है, उसे ही करना चाहिए।
- **न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं।** - ध.प. 5
  इस संसार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते।
- **पापा चित्तं निवारये।** - ध.प. 196
  पाप कर्म से मन को दूर रखें।

मनसा च प्रसन्नेव भासति वा करोति वा, ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनुपायिनी। -धम्मपद की यह हृदयंगम करने वाली पंक्ति प्रसन्नचित्त से कार्य करने को प्रेरित करती है, जो छाया के समान सुख देने के लिए पीछे-पीछे चली आती है।

सिगालोवादसुत्त में भी आदर्श सामाजिक सेवाओं के रूप में छः सम्बन्धों को बताया है, गृहस्थ जनों को भगवान् ने अपने-अपने समाज में प्रचलित विधि-विधानों की चित्तशुद्धि के उपाय के तौर पर अपनाने का उपदेश दिया जो सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पालि साहित्य की सूक्तियों की समाजोत्थान में महती भूमिका है एवं सांसारिक जीवन में सुख एवं शान्ति प्रदान करने वाली है। अन्त में यही कह सकते हैं कि- **सुभासिता च या वाचा, एतं मंगलमुत्तमं।**

आधारग्रन्थ–

1. सुत्तनिपातपालि
2. धम्मपदपालि
3. दीघनिकाय-सिंगालोसुत्त
4. विनयपिटकपालि

सतिपट्ठान सुत्त की वर्तमान में प्रासंगिकता

प्रो. बालचंद्र खांडेकर, नागपुर (उ.प्र.)

भगवान बुद्ध के धम्म की विशेषता व्यक्ति का सर्वाङ्गीण विकास किस प्रकार किया जाय यह उपदेशित है। आर्य अट्ठांगिक मार्ग यह मार्ग उन्होंने खोज के निकाला है और यह मार्ग दुक्खमुक्ती का मार्ग है। व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का विकास हो यह अत्यंत आवश्यक है। आज व्यक्ति सुखोपभोग कि ओर आकर्षित हो रहा है लेकिन आकर्षित होते समय वह दु:ख को प्राप्त करता है। क्योंकि तण्हा (तृष्णा) यह दु:ख का मूल कारण है। दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है, आपस में संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं इससे मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया – सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजिविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग में 'सतिपट्ठान मार्ग' अभिभूत है। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते है, मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब आदमी मलीन चित्त से बोलता या कार्य करता है तब दु:ख उसके पिछे पिछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिये बैल के पैरो के पिछे पिछे चलते है। इसी धम्मपद की दुसरी गाथा में कहा है कि सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते है, मनही मुख्य है वे मनोमय है, जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता या कार्य करता है, तब सुख उसके पिछे पिछे हो लेता है जैसे कभी साथ न छोडनेवाली छाया आदमी के पिछे पिछे रहती हैं। इसका तात्पर्य है कि, कुशल और अकुशल यह अवस्थाएँ मन में उत्पन्न होती है। अकुशल अवस्था लोभ, द्वेष और मोह है और कुशल अवस्था अलोभ, अद्वेष, अमोह है। कुशल अवस्था को प्राप्त करना यह कार्य 'सतिपट्ठान' से ही हो सकता है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के अनुसार काया, वाचा और मन परिशुद्ध करना ही धम्म है।

पवित्रता तीन तरह की है.....शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता।

1) शरीर की पवित्रता किसे कहते है?

एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है। यह शरीर की पवित्रता है।

2) वाणी की पवित्रता किसे कहते है?

एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है.....व्यर्थ बाचतीत से विरत रहता है। यह वाणी की 'पवित्रता' कहलाती है।

3) मन की पवित्रता किसे कहते है?

एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रखता है। यह मन की पवित्रता है। ये तीन तरह की पवित्रताएँ है।

ये पाँच तरह की दुर्बलताएँ है, जिन से साधना में बाधा पहुंचती है। कौन सी पाँच?

जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ बोलना और नशा पैदा करनेवाली शराब आदि नशीली चीजों का ग्रहन करना। ये पाँच तरह की दुर्बलताएँ है जिनसे साधना में बाधा पडती है। जब साधना की ये पाँचो बाधाएँ दूर हो जाती हैं, तो साधक के चित्त में चार स्मृती उपस्थानों की उत्पत्ती होती है। एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपश्यना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में करना है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपश्यी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होनेवाले विचारों (धर्मों) के प्रति धर्मानुपश्यी हो विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में करना है तब साधना की ये पाँच बाधाएँ दूर हो जाती है और चार स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होती है।

कुशल व अकुशल ये अवस्थाएँ मन में उत्पन्न होती है। कुशल अवस्था प्राप्त करने का कार्य सतिपट्ठान के द्वारा ही हो सकता है। सतिपट्ठान में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश देते समय कहा, भिक्षुओ! यह चार सतिपट्ठान की भावनाएँ प्राणीयों की चित्तविशुद्धी के लिये, शोक आदि छुटकारा दिलाने के लिये, दुक्ख दौर्मनस्य की पूर्णता अतिक्रमण के लिये, सत्य मार्ग की प्राप्ती के लिये एवं निर्वाण की अधिगती के लिये एकमात्र (एकायनो) मार्ग है।

महासतिपट्ठान सुत्त का उपदेश तथागत भगवान बुद्ध ने कुरु प्रदेश में विहार करते समय कम्मासम्म नामक कुरुवासीयों के निगम में दिया है। सतिपट्ठान सुत्त यह दीघनिकाय में वर्णित है। उसी प्रकार मज्झिमनिकाय के दो सुत्तो में वर्णित है। सतिपट्ठान और सच्चविभंग सुत्त इसमें आया है। सतिपट्ठान सुत्त में चार सतिपट्ठानो का वर्णन किया है। 1) कायानुपस्सी, 2) वेदनानुपस्सी, 3) चित्तानुपस्सी और 4) धम्मानुपस्सी। कायानुपस्सना में आनापानसति प्रथम वर्णित की है। आनापानसति में चित्त को एकाग्र करने के लिए श्वासों का अवलोकन

करने का अभ्यास किया है। जैसे स्मृतियुक्त रहते हुए श्वास लेना और छोडना है। साधक लम्बी श्वास लेते समय लम्बी श्वास ले रहा हूं यह जानता है, लम्बी श्वास छोडते हुए यह जानता है कि लम्बी श्वास छोडता हूँ। छोटी श्वास लेता हुआ छोड़ रहा हूँ यह जानता है। समग्र काया (शरीर) का अनुभव करते हुए श्वास लूंगा यह अभ्यास करता है। समग्र काया को अनुभव करते हुए श्वास छोडूंगा यह अभ्यास करता है। काया के संस्कार को शान्त करता हुआ श्वास लूंगा - यह अभ्यास करता है। काया के संस्कार को शान्त करता हुआ श्वास छोडेगा - यह अभ्यास करता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए आनापान महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

धम्मपद–

फन्दनं चपलं चित्तं, दूरक्खं दुन्निवारयं।
उजूं करोति मेधावि उसुकारो व तेजनं॥

अर्थ : चित्त बहुत चंचल, चपल होना है। चित्त को एकाग्र करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार बाण बनानेवाला बाण को सिधा करता है, उसी प्रकार मेधावी पुरुष अपने चित्त को संयमित करता है।

इस प्रकार के चित्त को संरक्षित करने के लिए आनापानसति के अभ्यास की आवश्यकता है। आज व्यक्ति सुखोपभोग की ओर दौड़ रहा है। उसका मन अशांत है। अस्थिर है, सुख की ओर दौडते दौडते वह दु:ख की ओर जाते हुए दिखता है। आज का जीवन संघर्षमय है।, यह संघर्षमय जीवन में शांती प्राप्त करने के लिए चित्त एकाग्र करना अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधी इसको समाधी बताया है। समाधी का मतलब सम के अधीन रहना है। सुखद या दुखद जो भी अवस्था है, उस अवस्था में सम रहना। यह कार्य आनापानसति से ही होता है।

संसार में आतंकवाद बढ़ते जा रहा है। ऐसे में करुणा, मैत्री की आवश्यकता है। यह करुणा और मैत्री समाधी से ही प्राप्त होती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में शील, समाधी और प्रज्ञा बताया है। पंचशील का पालन करने से ही समाधी प्राप्त हो सकती है। और समाधी से प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है। प्रज्ञावान बनने के लिए सतिपट्ठान सुत्त में बताया गया मार्ग का अभ्यास करना आवश्यक है। सतिपट्ठान सुत्त में कायानुपस्सना में इरियापथ इसमें जागरुक रहना, असुभानुपस्सति इसको वर्णित करते हुए कायानुपस्सना करते हुए काया के स्वरुप को जानता है।

वेदनानुपस्सना में भिक्षु वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। भिक्षु सुखमय वेदना का अनुभव करता हुआ सुखमय वेदना का अनुभव कर रहा हूँ। - यह जानता है। दुःखमय (दुःखा) वेदना का अनुभव करते हुए ..... अदुःख असुखमय वेदना का अनुभव करते हुए..... भोगमय (सामिष) सुखा वेदना का अनुभव करते हुए.....। भोगरहित (निरामिष) सुखा वेदना का अनुभव करते हुए..... भोगमय दुःखा वेदना का अनुभव करते हुए.....भोगरहित दुःख वेदना का अनुभव करते हुए..... भोगरहित अदुःख असुखमय वेदना का अनुभव करते हुए जो भोगरहित अदुःख असुखमय वेदना का अनुभव करते हुए भोगरहित अदुःख असुखमय वेदना का अनुभव करता हूँ - ऐसा जानता है। इस तरह वह साधक आन्तरिक वेदनाओं में.....बाह्य वेदनाओं में.....आंतरिक बाह्य वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर साधना करता है। उनके उत्पत्ति और नाश को जानकर साधना करता है। इस तरह इसकी 'यह वेदना है' ऐसी स्मृति निरंतर उपस्थित रहती है, जितनी ज्ञान के लिये आवश्यक होती है। इस तरह वह भिक्षु साधना करता हुआ लोक में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसके प्रति उपेक्षाभाव से विचरण करता हुआ वेदनानुपस्सना की साधना करता है।

यह वेदना 'अय्य समान चेतसिका' में अंतरभूत होती है। जो आलंबन के रस का वेदन करती है वह वेदना। आलम्बन के रस को अनुभव करना उसका कार्य है। (अभिधम्मत्थ संगहो) सुखद या दुःखद जो भी अनुभूती होती है। वह अनुभूती वेदना से होती है। आज आदमी सुख की ओर दौड रहा है। सुख की ओर दौडने से वह अप्रत्यक्ष रुप से दुःख को निर्माण करता है। इसीलिए ध्यान भावना महत्वपूर्ण है। नाम, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विञ्ञाण (विज्ञान) का समावेश 'नाम' में होता है। और 'रुप' में पृथ्वी, आप, तेज और वायु से बना हुआ रुप है नाम इसमें शुरुवात वेदना से होती है। वेदना के अनुभूती से आदमी कार्य करता है। आचार्य वसुबंधु के अनुसार इन्द्रिय, विषय और विज्ञान इन तीनो के परस्पर सम्बध से स्पर्श उत्पन्न होता है। सुख दुःख दी के कारण जानने की शक्ती से परे सुख दुःख और उदासीनता की अनुभूती को वेदना कहा जाता है। संसारीक सुखो के उपभोग के लिए जो राग उत्पन्न होता है। उसे तृष्णा कहते है। भोगो से आसक्त होकर उसकी प्राप्ती के लिए चारो और दौडने का, प्राप्त भोगों को चिपकने का नाम उपादान है। ज्यादा भोगों की प्राप्ती के लिए कर्म किए जाते है। तो वेदना की वजह से आज सुख की ओर दौड़ रहे है। आदरणीय दलाई लामा कहते आज इमारत की उचाँई बढी है लेकिन इन्सानियत कम हुई है। रास्ते बडे हो गये लेकिन दृष्टी छोटी हुई है। इस प्रकार की परिस्थिती आज उत्पन्न हो गई है। इसका निराकरण है कि वेदना की अनुभूती को जानकर सुखद वेदनाओ की

तरफ आकर्षित नही होना चाहिए। क्योंकि जो वेदना उत्पन्न होने वाली है। वह नष्ट होने वाली है।

संसार में आतंकवाद फैल रहा है। ऐसे परिस्थिती में सतिपट्ठान सुत्त में बताया हुआ मार्ग सांप्रदायिकता और आतंकवाद को नष्ट कर सकता है। सतिपट्ठान की विचारधारा यह लोगो के मानस में बदलाव लाने में परिपूर्ण है।

धम्मानुपस्सना में पाच निवरणों को आलंबन बनाकर धर्मानुपस्सना करना है। पंचनिवरणों में कामछन्द, व्यापारद् (परहिंसाभाव), स्थानमृद्ध (आलस) औदत्य और कौकृत्य और विचिकित्सा इसके बारे में पश्यना करता है। फिर उसके बाद पंचउपादानस्कन्धो में धर्मानुपश्यना करता है। यह रुप है, रुप का उत्पाद, रुप का विनाश होता है। यह वेदना है, यह वेदना की उत्पत्ती है। यह वेदना का विनाश है। यह संज्ञा है, यह संज्ञा का उत्पाद है और यह संज्ञा का विनाश है। यह संस्कार है, यह संस्कार का उत्पाद है, यह संस्कार का विनाश है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उत्पाद है, यह विज्ञान का विनाश है। उसी प्रकार छह आंतरिक और छह बाह्य आयतनो में साधक विपश्यना करता है।

चक्षुइंद्रिय, श्रोतइंद्रिय, घ्राणइंद्रिय, जिव्हाइंद्रिय, कायइंद्रिय, मनइंद्रिय इनका उत्पन्न होना, प्रहीण होता है। ऐसे दोनो आयतनों में उत्पाद और विनाश के विषय में धर्मानुपश्यना करता है। सात बोज्झांग की भावना करता है। इसमें स्मृतिसम्बोधी, धर्मविचय सम्बोधी, वीर्यसम्बोधी प्रीतीसम्बोधी, प्रश्रब्धि सम्बोधी, समाधी सम्बोधी और उपेक्षा सम्बोधी अंग आदि सम्बोधी अंग की भावना धर्मानुपश्यना में करता है।

धर्मानुपश्यना में दु:ख, दु:ख समुदाय, दु:ख निरोध और दु:ख निरोध का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग सतिपट्ठान सुत्त में वर्णित किया है। प्रथम आर्यसत्य है कि समस्त जगत में दु:ख है। साथ ही जन्म, जरा, व्याधी मरण की चर्चा की गयी है।

विपश्यना और सतिपट्ठान इस साधना का प्रचार और प्रसार भारत में ही नही तो संपूर्ण विश्व में गोयंका गुरुजी ने किया है। सतिपट्ठान शिबीर में यह साधना करने के पहले प्रथमत: तीन दस दिवसीय निवासी शिबीर पूर्ण करने होते है। इसके पश्चात् सतिपट्ठान शिबिर में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। विपश्यना और सतिपट्ठान शिबिरों का प्रचार और प्रसार तिव्र गतीसे हो रहा है। और इसका कारण चित्त की विशुद्धी प्राप्त करना दु:ख से मुक्ति पाना है। श्री. ई. जी. टेलर ने अपने बुद्धिज्म एन्ड मॉडर्न थॉट में कहा है कि–

'काफी समय से आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है। यदि उसे सभ्य शब्द के

वास्तविक अर्थों में सभ्य बनना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशसित रहना सीखना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिसमें आदमी को 'स्वयं अपना आप' अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई है। इसलिये इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है। ताकि वह इससे यह उँची शिक्षा हासिल कर सके। बौद्ध धम्म के अनुसार सतिपट्ठान यही धम्म है। और इस सतिपट्ठान साधना से ही सुख प्राप्त हो सकता है।'

मानवता की प्राप्ति करना सतिपट्ठान की साधना करने से ही प्राप्त हो सकती है। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हो गया और आंतकवाद जो फैल रहा है इस प्रकार के आतंकवाद का निराकरण बुद्ध की शिक्षा में ही है। दुनिया में आज बुद्ध की विचारधारा का जो प्रसार और प्रसार हो रहा है उसका कारण विपश्यना और सतिपट्ठान शिबिरों से होनेवाला फायदा है। यह साधना भारत की प्रमुख साधना है। भारत से इसका लोप किया गया था और भारत में फिर से स्थापित करने का कार्य महान विपस्सनाचार्य सत्यनारायण गोयंका जी ने किया है। इस शिविरों में सभी जात, धर्म, सम्प्रदाय के लोग आते है और इसका अनुभव करते है, और अपने ध्येय को प्राप्त करते है। सच देखा जाए तो भारत सरकार की ओर से जिस प्रकार योग का प्रचार और प्रसार किया जाता है। उसी प्रकार भारत सरकार ने इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ–

1. दीर्घनिकाय
2. मज्झिम निकाय
3. धम्मपद
4. अभिधम्मकोश

केसमुत्तिसुत्त-कालाम सुत्त की वर्तमान में उपयोगिता

डॉ. मालती साखरे, नागपुर (उ.प्र.)

प्रस्तावना : अपने पास भले ही धन दौलत अथवा संपत्ति न हो लेकिन योग्य बुध्दी हो, योग्य वाणी हो तो अपनी क्षमता के अनुसार यही अपनी बड़ी पूँजी होती है। इस क्षमता का उपयोग कैसे करते है, यह महत्वपूर्ण होता है। यदि ठीक से अपने शब्दों का विश्लेषण किया तो इसी से सत्य और झूठ जुड़ा होने से उसका महत्व समझता है। हमें ऐसे शब्दों का, वाणी का, बुध्दी का उपयोग करना चाहिये जो अगले के लिए हितकारी हो। प्राचीन काल से आज तक सत्य का उचित वाणी को जीवन में महत्व रहा है। हमारी कुछ बातें समझने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होता है।

इसी प्रासंगिकता पर सत्य भी उजागर होता है कि बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध ने हिमाचल से विध्यांचल के भीतर 45 वर्ष तक प्रचार किया। इस विचार के अनुयायी चिरकाल तक महान सम्राटों से लेकर साधारण जन तक बहुत अधिकता से भारत में फैले हुए थे। इसके विचारक और दार्शनिक हजारों वर्षों तक अपने विचारों से भारत के विचार को प्रभावित करते रहे। इसके कल विशारदो ने भारतीय कला पर अमिट छाप लगायी। इसके दार्शनिक और सदाचार नियमों को आरम्भ से आज तक सभी विद्वाव बड़े आदर की दृष्टि से देखते रहे।[1]

भगवान बुद्ध की देसना त्रिपिटक साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें चौराशी हजार सुत्तों का समावेश है। सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक यह तीन भाग है। सुत्तपिटक के पाँच निकाय है। दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, अंतुत्तरनिकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दकनिकाय। हर निकाय का अपना स्वतंत्र महत्व है। उसमें समाहित सारे सुत्तों को अपना महत्व है। उसी प्रकार अंगुत्तर निकाय के केसमुत्तिसुत्त का कालामों को दिया उपदेश महत्वपूर्ण है।[2] प्राचीन काल में समाज के हित और कल्याण के लिए दिया यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

केसमुत्तिसुत्त के विविध आयाम :

पालि साहित्य के अंगुत्तरनिकाय के तिक निपात में यह उदाहरण मिलता है। कोसल

के केसमुत्ति नगर के कालाम शाक्यपुत्र गौतम बुद्ध के बारे में ऐसे कीर्तीशब्द सुनते है। वह भगवान अरहन्त सम्मासम्बुध्द विद्याचरण सम्पन्न सुगत लोक को जानने वाले अनुत्तर श्रेष्ठ है, उनके दर्शन करना उत्तम होता है, इसलिये कालाम भगवान के दर्शनार्थ जाते है। जाकर भगवान को अभिवादन कर नामगोत्र बताकर अंजलीबध्द प्रणाम करते है।

बाद में कालाम भगवान से चर्चा करते हुए बताते हैं कि भगवान, श्रमण-ब्राह्मण केसमुत्ति आत है और अपना-अपना विचार, वाद रखते है। ऐसे समय हम किस पर श्रध्दा रखे और किसे शंका कर विचिकिच्छा करे? किसे हम सच्चा और किसे मुसा समझे?

अलं हि वो कालामा, कङ्खितुं अल विचिकिच्छितुं कङ्खनीयेव पन वो ठाने विचिकिच्छा उप्पन्ना। एथ तुम्हें कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिट्ठिनिज्झानक्खान्तिया, मा भवरूपताय, मा समणो, नो गरूति। यदा तुम्हें कालमा, अत्तना व जानेय्याथ- 'इमे धम्मा अकुसल, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा विशुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवतन्ती' ति अथ तुम्हे कालामा, पजहेय्याथ।[3]

ऐसे समय में भगवान कालामों को सचत करते है। हे कालामो, किसी सुनाई से, परम्परा से, इतिक्रिया, तर्क से, नयहेतु से आकार परिवर्तन से, किसी से रूप से, किसी भव्यता अथवा कोई श्रमण से स्वयं उनपर शंका नहीं करना चाहिये। ना श्रध्दा करना चाहिए, न सत्य वा मुसा समझना चाहिए। आपने स्वयं जानना चहिए की क्या धम्म कुशल है, कौनसा धम्म सम्यक् है, कौनसा हितकारक है।[4]

उसी समय अनेक परियाय से समझाया की, क्या लोभ, द्वेष और मोह अपने अहित के लिए है अथवा दक्खकारक होते है। इसमें मनुष्य प्राणों के अकुशल चित्त की भावना कार्यरत होती है, इसलिए यह दुक्खकारक होते है।

हे कालामो क्या अलाभ, अद्वेष और अमोह अपने हित और सुख के लिए होते है। जब आप स्वयं जानेंगे की यह तीन बातें जीवन के लिए, मानव के लिए हित और सुखकारक है, तब आप स्वयं ऐसा जीवन स्वीकार करेंगे। अर्थात् स्वयं जानकर अनुभव कर स्वीकार करना चाहिये।

सा कालामो, आर्यश्रावक इस प्रकार लोभरहित, व्यापादहित, मोहरहित स्मृति और संप्रजन्य के साथ मैत्रीयुक्त चित्त से करूणायक्त चित्त से, मुदितायुक्त चित्त से, उपेक्षायुक्त चित्त से एक दिशा प्लवित कर चारों ओर विहार करता है। ऐसा विशुध्द चित्त निश्चय ही काया छोड़ने पर सुगति प्राप्त कर सुगतिफल विपाक से पूर्व सुखपूर्वक अपने को रखता है।[5]

विद्या और शील का महत्व –

कोई व्यक्ती जन्म से बुद्धिमान अथवा पराक्रमी नहीं होता। उसे विद्या ग्रहण कर अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करना पड़ता है। विद्या का भी उचित उपयोग करना चाहिए। विद्या के साथ शील होना जरूरी है। विद्या और शील अन्न के समान आवश्यक है। मानव प्राणी के विकास प्रक्रिया में दोनों बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। मानवी जीवन की वैचारिक और नैतिक मूल्य हमेशा परिवर्तनशील रही है। वह कभी भी स्थिर नहीं है। वह कालक्रम से बदलती रहती है, बदल के साथ वह प्रगत होती रहती है। भारतीय जीवन पद्धती में नए–नए जीवनमूल्यों को सूचित कर मानव के आचरण में लाने के लिए सिद्ध रहना चाहिये।[6] वैचारिक और बौद्धिक स्तर ऊंचा करना, अपनी प्रतिभा, प्रज्ञा का विकास करना सामाजिक हित, कल्याण के लिए पूरक होता है।

सत्य की शोध करने के लिए मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिये। जिससे अपनी समस्या खुद सुलझा सकेंगे। किसी ने बताया इसलिए कोई बात को विश्वास नहीं करना बल्कि वह बात अपने विचार शक्ति, तर्कशक्तियों को पटती हो तब ही विश्वास करें अथवा स्वीकार करें।[7] सत्य का शोध ही सत्यधर्म है। सत्य भी कालपरत्वे अपूर्ण होने से उसका बार–बार शोध किया जाता है। सत्य के अन्वेशक के लिए मनुष्य का पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसलिए तर्क की स्तर पर विश्व में कई अन्वेशक निर्माण हुए। कालामों को निर्देशन करने वाले भगवान बुद्ध भी एक अन्वेशक के रूप में हमारे सामने दृष्टीगत होते है। जिन्होंने मनुष्य प्राणी को स्वयं की बुद्धिमत्ता और पराक्रम को निखारने की स्वतत्रता सर्वप्रथम प्रदान की।

मानवी जीवन में वैचारिक और नैतिक मूल्य कभी स्थिर नहीं रही। कालमान से प्रलमी प्रवाहित रही है। नये नये जीवन मूल्यों का मनुष्य ने स्विकार कर आचरण में लाना चाहिये। आचरण में शील और सौजन्य को प्राथमिक स्थान होना जरूरी है। मानवता का स्विकार कर हमें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिये। वर्तमान युग की परिवर्तनशील परिस्थिती में कालाम केसमुत्तिसुत्त की यही प्रासंगिकता है।

वर्तमान परिस्थिति में उपयागिता :

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विचार का साधर्म्य देखना बहुत जरूरी होता है।

लोकमत, नागपुर,

दि. 11 फरवरी 2019 के वर्तमान पत्र के अनुसार अभिनेता अमोल पालेकर इनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर बंदी लायी गयी। शासन स्तर पर आज भी पालि साहित्य में वर्णित भगवान बुद्ध के विचारों की जरूरत है।

संविधान में मनुष्य प्राणी को कलम क्र. 14/1 क, इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान को गई है। जो भी स्वतंत्रता के कलम दिये है वह यह बुद्ध के विचारों के आधार पर है। हमें उसका पूरा लाभ मिलना चाहिये। भारत देश का कोई भी व्यक्ति/नागरिक को भाषण अथवा अभिव्यक्ति इसकी पूरी स्वतंत्रता है और इसके संबंध में विवादित अधिकार का संरक्षण दिया गया है।[8] यह जनता के हित और संरक्षणार्थ पर्याय से राज्य के, राष्ट्र के हित और संरक्षणार्थ दिये है। वाजवी निर्बंध व्यक्ति पर लगाने का निषेध करते है। समान नागरिकता, सामाजिक न्याय तत्त्व की आधारशीला है। उसका अधिकार हरक नागरिक को मिलना यही देश का उच्च ध्येय है। तब ही सामाजिक पुर्नरचना प्रगतीपथ प्रदर्शक होगी।

कालामों को देशना यह भगवान बुद्ध की शिक्षा की एक विधि है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत मूल्यों की बात देखी जाए तो अब तक जो रिती-रिवाज, रूढी-परंपरा, अंधश्रद्धाएं समाज़ पर हावी थे वह सब शिक्षित होने के कारण बदल रहे है। वैज्ञानिक बुध्दिवादी विचार और मूल्यों के मानकों से शिक्षित समाज में आमुलाग्र परिवर्तन दिखाई देता है। यही प्रगत समाज की पहचान है।[9] बौद्ध संस्कृति के मूल सिध्दांत मानवतावादी है। ढाई हजार वर्षों के विकास के बाद भी यह तत्त्व मनुष्य प्राणी के हित, कल्याणकारी और सुखकारक होते है। बिना रक्तपात, बिना बल प्रयोग के सभ्य जगत के अधिकांश भाग पर उसका स्वागत और सम्मान हुआ। दुनिया के कई धर्मों ने भी अपनी विचारधारा इसी संस्कृति की नीति है।[10] नैतिक मूल्यों पर अधिष्ठित है। बौद्ध संस्कृति ने हर देश में जाकर आपना उदार दृष्टिकोण सौंप दिया। इसलिए बौद्ध देशों में विदेशी और स्वदेशियों का संघर्ष न होकर उन्होंने इसी मानवतावादी मूल्यों को आत्मसात कर अपना विकास किया।

संदर्भ सूची

1. बुद्धचर्या, पृ. 16, पं. राहुल सांकृत्यायन, सम्यक् प्रकाशन नई दिल्ली, 2011
2. पालि साहित्य का इतिहास- भिक्षु धर्मरक्षित-पृ. 38, ज्ञानमंडल वाराणसी 1971.
3. अङ्गुत्तर निकायो-पृ. 174, नवनालन्दा महाविहार, बिहार 1960.
4. कित्ता
5. बुद्धचर्या पृ. 406- पं. राहुल सांकृत्यायन, सम्यक् प्रकाशन नई दिल्ली, 2011
6. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :- भाषणे आणि विचार, पृ. 88, संकेत प्रकाशन, नागपूर, 2012 7. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :- दी आर्किटेक्ट ऑफ माडर्न इंडिया, पृ. 473, प्रकाशन रा.तु.म.ना.वि.वि., नागपुर 2016
8. भारताचे संविधान - पृ. 212, समता प्रकाशन, नागपूर 2004
9. बौद्ध संस्कृतिके प्रवाह पृ. 46- साक्षी प्रकाशन, नागपूर 2015
10. बौद्ध संस्कृति- पृ. 33 राहुल सांकृत्यायन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली 2011

पालि साहित्य में निहित राजनैतिक अवधारणा की आधुनिक समय में उपयोगिता

डॉ प्रियसेन सिंह, नोएडा

यद्यपि यह एक सर्वविदित तथ्य नहीं है, किन्तु यह सत्य है कि भारत में राज्य एवं सुशासन का प्राचीनतम सिद्धान्त बौद्धधर्म के पवित्र साहित्य पालि तिपिटक में पाया जाता है। हालाँकि यह उतने व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में।

भारत में बुद्ध के पूर्व, उपरान्त एवं समकाल में स्वीकार मान्यता यह थी कि राज्य एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा निर्मित एक संस्था है। यह विचार कि ईश्वर ने सामाजिक बुराईयों को मिटाने कि लिए राज्य की स्थापना की पश्चिमी संस्कृति के लिए भी आम है। मानवता के इतिहास में पहली बार, यह बुद्ध ही थे जिन्होंने दावा किया कि राज्य मानव निर्मित है। बुद्ध द्वारा इस विषय में किये गये दावे को इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवर्तन के साथ सामूहिक संपत्ति वाले विशिष्ट चरित्र के आदिम समाज में व्यक्तियों में सामाजिक बुराईयां बड़े पैमाने पर फैल गयीं, जिसके परिणामस्वरूप समाज हिंसक एवं अनुशासनहीन हो गया। इन परिवर्तनों का परिणाम था निजी संपत्ति की पद्धति पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए शासन की एक नई प्रणाली की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अभूतपूर्व परिवर्तनों के इस मोड़ पर, मानव ने राज्य की स्थापना का निर्णय लिया, जिसका प्रमुख राजा था। राज्य निर्वाचकों एवं निर्वाचितों के मध्य हुए अनुबन्ध द्वारा अस्तित्व में आया। अतः बौद्धधर्म जोर दे कर कहता है कि राज्य एक सामाजिक अनुबन्ध द्वारा उत्पन्न हुआ है।

बुद्ध ही ने राजनैतिक इतिहास में एक व्यापक एवं विस्तृत तरीके से मूलभूत विशेषताओं की पहचान की थी। तिपिटक में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करती है जो राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक हैं :

1. भौगोलिक क्षेत्र जो संप्रभु है।
2. एक व्यक्ति जिसका अधिकार निर्विवाद है।
3. सजा के प्राधिकरण।
4. सशस्त्र बलों को बनाए रखने के लिए प्राधिकरण।
5. केन्द्रीकृत विधान-संबंधी शक्ति।
6. नौकरशाही।
7. नैतिकता के बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित अर्थव्यवस्था की संगठित प्रणाली।

राजा राज्य का प्रमुख है। उसे प्रदत्त अधिकार इंगित करते हैं कि बौद्धधर्म एक केन्द्रीकृत प्रशासन का प्रावधान करता है। इस संबंध में यहाँ दो बिन्दुओं पर जोर दिया गया है।

सबसे पहला, बौद्धधर्म गणतान्त्रिक प्रणाली की अपेक्षा राजतंत्रीय प्रणाली को प्राथमिकता देता है। उस समय तक जब बुद्ध परिदृश्य में आये, भारत ने गणतान्त्रिक प्रणाली को खारिज करते हुए उसके स्थान पर राजतंत्रीय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था। दूसरा, बौद्धधर्म ने चक्रवर्ती राजा के अधीन उत्तर भारत को केन्द्रीकृत करने के लिए जो विभिन्न छोटे राज्यों में विभक्त था शासन की प्रणाली प्रस्तुत की। बौद्धधर्म आगे घोषणा करता है कि भूमि को स्वामित्व, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को केन्द्रीकृत होना चाहिए। चक्रवर्ती राजा इस तरह की शासन की एक केन्द्रीकृत प्रणाली को प्रभावी बना सकते थे। सुतों की सावधानीपूर्वक जांच में आदर्श राजा के निम्नलिखित गुणों को एक प्रभावी शासक होने के लिए आवश्यक माना जा सकता है:

1. प्रतिष्ठा
2. आर्थिक समृद्धि
3. सैन्य ताकत
4. सक्षम सलाहकार
5. राजनयिक की प्रशंसा
6. व्यक्तित्व
7. माता-पिता का स्नेह
8. देशभक्ति और लोकप्रियता
9. योग्यता और अनुशासन
10. शिक्षा, बुद्धि और अंतर्ज्ञान

समाज ने उपरोक्त उद्देश्यों के साथ राज्य की स्थापना की थी। अतः राज्य का कर्तव्य उन्हें पूरा करना है, भले ही राज्य किसी भी नाम से या किसी भी रूप में अस्तित्व में आये। प्रथम, राज्य का दायित्व अपने क्षेत्र के भीतर रहने वाले प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए उसे कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी उपाय करने चाहिये। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब सजा के प्राधिकरण पूर्णतया लागू किये जायें। वह किसी भी तरह इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में किसी भी प्रकार की विफलता निर्वाचकों एवं निर्वाचितों के मध्य हुए अनुबन्ध का उल्लंघन होगा। द्वितीय, राज्य केवल और विशुद्ध रूप से निजी संपत्ति की रक्षा के लिये जिम्मेदार है। मनुष्य को केवल तभी राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता होती है जब उसकी संपत्ति किसी अन्य द्वारा चोरी कर ली जाती है। अतः राज्य का मुख्य कर्तव्य न केवल उसकी सुरक्षा प्रदान करना है जो मनुष्य अर्जित करता है बल्कि उसकी वृद्धि के लिये भी कदम उठाना है।

राज्य की आर्थिक नीति निजी उद्यम के विकास पर आधारित होनी चाहिये। इस नीति का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। बौद्धधर्म निर्देशित करता है कि सभी सामाजिक बुराईयों का मूल गरीबी है। इसका उन्मूलन ऐसे समाज का निर्माण करके किया जा सकता है जहाँ उन सभी के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जो रोजगार की उम्र (सकम्मपसुत) में हैं। अतः, राज्य को कृषि, व्यापार एवं सरकारी सेवाओं के क्षेत्रों के विकास द्वारा बेरोजगारी की समस्या का सफाया करने के लिये जागरूक रहना चाहिये। गरीबों के मध्य धन उत्पन्न करने के लिये सभी कदम उठाना राज्य का कर्तव्य है। कुछ धनी लोंगों द्वारा धन एकत्र करने की संभावना एक ऐसे राज्य में नहीं हो सकती जहाँ बौद्ध आर्थिक नीतियों का पालन किया जाता है। बौद्धधर्म एक ऐसा धर्म है जो नैतिकता पर आधारित है। अतः, बौद्धधर्म नैतिकता की कीमत पर किसी भी आर्थिक लक्ष्य की सिफारिश नहीं करता है। राज्य उन लोंगों को दण्डित करने के लिये बाध्य है जो आर्थिक विकास के नाम पर नैतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं।

बौद्धधर्म युद्ध के विरुद्ध है। बौद्धधर्म में यह भी मान्य है कि राज्य युद्ध से नहीं बच सकता है। जिस प्रकार अहिंसा अपरिहार्य स्थितियों में अपराधियों को सजा देने की अनुमति देती है उसी प्रकार राज्य को रक्षा के लिये युद्ध में संलग्न होने की अनुमति है। बौद्ध राजदर्शन राज्य की, अपने लोंगों की, राज्य संपत्ति एवं निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिये युद्ध का विचार कर सकता है। बौद्धधर्म के अनुसार सशस्त्र बलों के बिना कोई भी राज्य अस्तित्व में

नहीं आ सकता है। सशस्त्र बलों का प्रमुख कर्तव्य बाधक परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में जाना है। राज्य एवं युद्ध के मध्य निहित संबंध चक्रवर्ती राजा की अवधारणा और बौद्धधर्म के कल्याण एवं विकास की सात शर्तों के शिक्षण पर स्पष्ट रूप से जोर देता है।

बौद्धधर्म तानाशाही शक्तियों के साथ शासन की एक प्रणाली का समर्थन नहीं करता है। बौद्धधर्म के अनुसार, संप्रभुता जनसमुदाय के ऊपर टिकी हुई है। इसलिये, बौद्ध राजदर्शन लोंगों के अधिकारों की गारंटी और राज्य की शक्तियों को घटाने के विभिन्न तरीकों एवं प्रणालीयों को मान्यता देता है। यहाँ तक कि चक्रवर्ती राजा भी, जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसी बात को आज की भाषा में कहा जाये तो कानून सर्वोपरि है। शासक को कानून से परे जाने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। निर्वाचकों एवं निर्वाचितों के मध्य हुआ अनुबन्ध इसे भली-भाँति मान्यता देता है। धर्म के अधिकार की अवधारणा राज्य को परंपरा, नैतिकता, संस्कार और अनुष्ठानों, मानदंडों और मूल्यों तथा धर्म के उल्लंघन की अनुमति नहीं देता है। जब राज्य बौद्ध सिद्धान्तों के मार्ग पर है तो वहाँ तानाशाही के किसी भी रूप के लिये कोई स्थान नहीं है।

सार्वजनिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और आम नागरिकों के साथ सरकार की बातचीत में सुशासन एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। बौद्ध परिप्रेक्ष्य में सुशासन, शासन की एक बलिदान उन्मुख प्रणाली की ओर इंगित करता है जो पर्यावरण गतिशीलता, लक्ष्य, कार्य पद्धति, मानवीय प्रतिबोध, व्यवहार संहिता एवं संस्थाओं के साथ जमीनी स्तर की भागीदारी और जवाबदेही सहित सुशासन की एक प्रणाली को प्रतिलक्षित करे। आत्मनिर्भर गाँव प्रणाली और अतीत की सभ्यताओं का सुशासन पश्चिम में तैयार एक आदर्श है, जब पश्चिम के लोगों ने देखना चाहा कि कैसे एक सभ्य देश में एक सुप्रशासन एक देश पर शासन करता है। उन्होंने जिसका निर्माण किया वो बुद्ध द्वारा 2500 वर्ष पूर्व शिक्षित विचारों के अनुरूप है। सुशासन को अच्छे प्रजातांत्रिक राजनेता, लोकतंत्र या न्यायसंगत समाज के लिये एक उपकरण माना जाता है; बौद्ध राजधर्म या सुशासन के सिद्धांतों के सख्त पालन के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है कि कैसे एक पूर्ण राष्ट्र भ्रष्ट, पतित और दुखी हो सकता है जब उसकी सरकार वा प्रमुख, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण हो जाते हैं। एक राष्ट्र के प्रसन्न होने के लिये उसके पास अवश्य ही एक न्यायसंगत सरकार होनी चाहिये। सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण बौद्धधर्म के आदर्श समाज की दो विशेषतायें हैं। एक समाज में कृषि और उद्योग सहित समस्त गतिविधियाँ धम्मेन माध्यम द्वारा धम्मिका होनी चाहिये। सभी सामाजिक समूहों

जैसे माता-पिता, बच्चे, पति, पत्नी, शिक्षक, छात्र, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, साथी, गृहस्थ और धार्मिक को भली-भाँति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये। यहाँ तक कि राजा या राष्ट्र के प्रमुख को भी दस राजधर्मों सहित धर्मपरायणता में स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिये। भगवान बुद्ध द्वारा प्रदत्त आर्य अट्ठगिंको मग्गो, बह्म विहार, इत्यादि सीधे सुशासन से जुड़े थे।

'मानव-केन्द्रित' शब्द का अर्थ अस्तित्व के केन्द्र में मानव जाति के होने से है। इस अर्थ में बौद्धधर्म एक ऐसा दार्शनिक धर्म है जो इस जीवन में मानव जाति के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करता है। बुद्ध का यह सिद्धांत व्यक्ति के प्रयासों एवं व्यक्ति की क्षमता पर उत्तरदायित्व डालता है। किसी भी दिव्य या अलौकिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अनुशासित व्यक्ति विशेष कर राजनेता जो सत्ता और संपदा संभालते हैं सुशासन पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं एवं नागरिकों को तसल्ली बख्श पर्यावरण उपलब्ध करवा सकते हैं। इस अर्थ में बौद्धधर्म प्राणियों एवं प्रकृति के लिये एक जीवन दर्शन है जो सुशासन पर एक प्रबल प्रभाव डाल सकता है।

बौद्ध परिप्रेक्ष्य में सुशासन

धम्मप्पसासन शब्द का अर्थ सुशासन है। धम्म का अर्थ पुण्य/कानून/धर्म है और पसासन का अर्थ है शासन व्यवस्था। बौद्धधर्म में, एक राजा अन्य सभी मनुष्य के समान इस दुनिया में अपने पिछले कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है। अन्य धार्मिक परंपराओं के विश्वास की तरह उसे कभी भी एक अवतार के रूप में या स्रष्टा के रूप में नहीं माना गया है। पालि ग्रन्थ 'सम्मुतिदेव' शब्द का एक राजा के लिये उल्लेख करते हैं। शब्द का सामान्य अर्थ 'पारंपरिक भगवान' या 'जनता की राय में भगवान है, न कि जन्म से भगवान इससे भी महत्वपूर्ण जो बात है वह है कि एक बार वह सिहांसन पर आरूढ़ हो जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह सभी लोंगों द्वारा सदैव के लिये तहे दिल से सम्मानित या पूजनीय हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह अपनी प्रजा के मध्य व्यापक रूप से स्वीकार्य या सम्मानित होता रहे। बुद्ध कहते हैं कि राजा को उनके द्वारा विभिन्न अवसरों व ग्रन्थों में उपदेशित पालि ग्रंथों में विहित विभिन्न गुणों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। दीघ-निकाय के अगन्न सुत्त में बुद्ध जोर दे कर कहते हैं कि मानव समाज का विकास आवश्यकता का परिणाम है, न कि किसी दिव्य शक्ति की इच्छा का। राजा या क्षत्रिय का चयन उनकी धर्मपरायणता और क्षमता के आधार पर होता है। लोगों को सबसे गुणी और सक्षम व्यक्ति को अपना प्रमुख चुनने की स्वतंत्रता है। उसे राजपद से उखाड़

फेंकना भी सम्भव है यदि बाद में उसे अनैतिक और असमर्थ पाया जाता है। इसका यह अर्थ है कि एक राजा के गुण और दक्षता महत्वपूर्ण है। जातकों में बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि एक अच्छे राजा को सख्ती से दसविध-राजधम्म का पालन करना चाहिये - जिसका लोगों, देशों, राष्ट्रों या अन्य संगठनों के मुखिया, प्रमुख या शासक पालन करते हैं। ये हैं-

- दानः (charity)
- सीलः (morality)
- परिच्चगः (altruism)
- अज्जवः (honesty)
- मद्दवः (gentleness)
- तपः (self restraining)
- अकोधः (non-anger)
- अविहिंसाः (non-violence)
- खन्तिः (forbearance)
- अविरोधनः (uprightness)

इनके अतिरिक्त दीघनिकाय में कहा गया है कि राष्ट्र के शासक के रूप में अपनी प्रजा के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण या झुकाव का भाव किसी भी हालात में नहीं रखना चाहिये। उसे ब्रह्म विहार भावना का प्रचार करना चाहिये- मेत्ता, करूणा, मुदिता और उपेक्खा। राजा को अपनी प्रजा के प्रति चार आगति से बचना चाहिये - छन्दगति, दोसगति, मोहगति, भयगति। इनके अतिरिक्त दीघ निकाय राजा द्वारा पशु बलि का भी विरोध करता है। जब हम बौद्धधर्म में दिये गये एक अच्छे राजा के गुणों की तुलना सुशासन के लक्षणों से करें तो हमें अनेकों समानतायें मिलती है।

राज्य और राजा से सम्बन्धित उपरोक्त बौद्ध सिद्धान्त व अवधारणायें आज के वर्तमान युग में भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी वे बुद्ध के समय में थीं। हमारे देश के वर्तमान शासक वर्ग द्वारा इनका प्रयोग निसन्देह समाज व राष्ट्र के मध्य विद्यमान समस्याओं के समाधान हेतु उपाय सुझा सकते हैं और यही इस पत्र का मूल उद्देश्य है।

थेरीगाथापालि का व्यवहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता

डॉ. नीलिमा चौहान, मेरठ (उ.प्र.)

थेरीगाथा यह 73 बौद्ध भिक्षुणियों की 522 गाथाओं का संग्रह है। अत्यन्त संगीतात्मक भाषा में आत्माभिव्यञ्जनात्मक गीतिकाव्य की शैली के आधार पर अपने जीवनानुभवों को व्यक्त करते हुए यहा बौद्ध भिक्षुणियों ने अपने जीवनकाव्य को गाया है। यहा की हर गाथा जीवन का एक निश्चित संदेश देती है कि अपने भिक्खुणी होने के पूर्वजीवन को और भिक्खुणी होने के बाद के जीवन को जो उन्होंने अनुभव किया, जाना, पहचाना उसको बहुत ही सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। सभी भिक्खुणियों ने जीवन के दुक्खों को स्वीकार किया तथा उसे दूर करने के मार्ग को जाना। सभी का दुक्ख भिन्न है, सभी समाजव्यवस्था से प्रताडित है लेकिन सभी का समाजव्यवस्था से निर्मित दुक्ख है। भिक्खुणी बनने के पहले उनका जीवन निराशाओं से भरा हुआ था। उनके चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार छाया हुआ था। लेकिन बुद्धवचनों को सुनने के बाद उनके जीवन में नूतन आशाओं का संचार हुआ। जब उन्होंने प्रत्यक्ष बुद्ध वचनों को सुना तो उन्हें एक रोशनी प्राप्त हुई उनकी निराशा दूर हो गई। उनके जीवन में बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश छा गया और वे बुद्ध के पथ पर चल पडीं। वे कहती हैं– ओरसा धीता बुद्धस्स[1] बुद्ध कन्या हूँ बुद्ध की पुत्री हूँ बुद्ध के हदय से उत्पन्न कन्या हूँ। इस प्रकार बुद्ध के साथ वे अपना सम्बन्ध प्रदर्शित करना इस बात का प्रतीक है कि वे बुद्ध के प्रति कितनी अनुकम्पा रखती है और उनके मन में बुद्ध के प्रति कितना आदरभाव था। निर्वाण की परम शान्ति से भिक्षुणियों के उद्‌गारों का एक एक शब्द उच्छ्वसित है। वे इसका वर्णन करते हुए कभी नही थकतीं। बुद्ध की शरण लेने के बाद एक नये जीवन के नये रूपान्तर की सर्वत्र सूचना भिक्षुणियों के उद्‌गारों में हमें मिलती है।

विनय धारण करने में पटाचारा का नाम आता है। पटाचारा का जीवन बहुत दुक्खदायक था। अपनी सामाजिक एवं परिवारिक समस्याओं से वो जूझती रही किन्तु उसे कभी भी सुख नही मिला। वह अपने परिवार में खुश थी किन्तु जीवन में भविष्य में घटने

वाली घटनाओं को कोई नही जान सकता। परिवार तो उसका छूटा किन्तु समाज ने भी उसे पागल का दर्जा दे दिया। उसके अस्तित्व को एक नई पहचान भगवान बुद्ध ने दी। भगवान बुद्ध ने उसे नया जीवन दिया जिसके कारण पटाचारा का करूण पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया।

उसने जीवन का सच्चा दर्शन किया। उसने अपने दुक्खों पर, विषमताओं पर विजय पाई। इसका पूरा जीवन ही नारीयों के लिए प्रेरणादायी है। वे कहती हैं कि बुद्ध शासन को पूरा करो, जिसे करके पछतावा नही होता। अभी शीघ्र पैर धोकर एकान्त में बैठ जाओ उसे पता है की जो बुद्ध शासन को पूरा करता है वह सुखी होता है वह उस ज्ञान तक पहुँचेगा जिसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।[2] उसके यह वाक्य हमें जीवन के अनुभवों से जोडते हैं। हमारे पारविारिक जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आयें हमें हार मानना नहीं हैं यही प्रेरणा हमें पटाचारा के जीवन से मिलती है।

जब महाराज शुद्धोधन की मृत्यु के पश्चात महाप्रजापती गौतमी का दुक्ख पति विरह में बढ़ने लगा तो उसे भी भगवान बुद्ध के वचनों का सहारा मिला। उसे भगवान ने दो बार प्रव्रज्जा देनेसे मना किया किन्तु उसने हार नहीं मानी और वह पाचसौं शाक्य महिलाओं को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई और फिरसे निवेदन करने लगी किन्तु आनन्द के तर्क ने भगवान बुद्ध को 'हाँ' कहने पर विवश किया और प्रथम महिला भिक्खुणी संघ की स्थापना हुई। भिक्खुणी संघ की स्थापना न केवल महिलाओं के प्रति अनुकम्पा के आधार पर हुई किन्तु बुद्ध ने पुरूष की तरह नारी में भी पूर्ण व्यक्तित्व को देखा। महाप्रजापती गौतमी कहती है, मेरे सब दु:ख दूर होगें क्योंकि मुझे पता चल गया कि दु:ख कैसे आते हैं। उसके मूल कारण तृष्णा को मैंने अपने अन्दर सुखा डाला है। आज मैंने दु:खनिरोधगामी आर्य आष्टांगिक मार्ग को स्पर्श किया है, उसमें विचरण किया है। माता, पुत्र, पिता, भाई, स्वामिनी, मैं पूर्व जन्म में अनेक बार बनती रही। यथार्थ रूप में वस्तुओं को न जानती हुई मैं लगातार संसार में घूमती रही। मुझे वह कभी नहीं मिला, जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मेरा आवागमन क्षीण हो गया, अब मेरा फिर जन्म नहीं होगा।[3]

महाप्रजापती गौतमी को जब तक भगवान बुद्ध का मार्ग नही मिला था तब तक वह अज्ञानता में थी किन्तु वह आष्टांगिक मार्ग को पाकर पूर्वजन्म के चक्र से मुक्त हुई। उसे जीवन और मृत्यु की श्रृंखला ज्ञात हो गई तथा उसका आवागमन क्षीण हो गया। यह सत्यता अगर हर व्यक्ति को ज्ञात हो तो उसके जीवन के सभी दु:ख दूर हो सकते है। वह कहती है। सीतिभूताम्हि निब्बुता[4] अर्थात् निर्वाण को प्राप्त कर वह परम शन्ति का

अनुभव करती है जिस राजकीय तथा सामाजिक परिवेश से महाप्रजापती गौतमी सम्बन्धित थी उससे आज भिन्न परिवेश में वह जीवन बिता रही है। उसने अपने जीवन के सभी ऐश्वर्य, सुख, छोड़ दिये तथा महिलाओं की दु:ख मुक्ति हेतु वह कार्य करती रही। उसने परिवार हेतु जो त्याग किया उसका दूसरा उदाहरण हमें पालि साहित्य में नहीं मिलता। उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई तथा राजा शुद्धोधन को सदैव सहकार किया। उसने माता, पत्नी, सास, दादी, महाराणी ऐसी कई भूमिकाओं में बंधने की बजाय बुद्ध के पथ पर जाकर दु:खमुक्त होना उचित समझा तथा कई महिलाओं को भी दु:ख मुक्त किया। इसका पूरा जीवन समाज में प्रेरणादायी रहा है। आज भी महिलायें विभिन्न भूमिकाओं में बंधकर अपना जीवन निर्वहन कर रही है। कोई व्यक्तिगत तो कोई सांघिक तौर पर कार्यरत है। किन्तु उसे कई तरह के सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कोई इन संघर्षोंपर विजय पाकर मुक्त होता है तो कोई इन संघर्षोंको सहन नहीं कर पाते तथा अपना जीवन समाप्त करते हैं। किन्तु जब थेरीगाथा पालि जैसे ग्रन्थों में नारियों के जीवन के कर्तृत्व त्याग तथा संघर्षों को प्रेरणादायी माना जायेगा तब आधुनिक नारियों के जीवन की निराशा भी कम होगी। तथा उनके जीवन में आदर तथा सम्मान बढ़ेगा। इस तरह आधुनिक नारी नारी अपने संकुचित दायरे से बाहर आकर समाज को भी अपने कर्तृत्व से प्रभावित करेगी।

थेरीगाथा पालि ग्रंथ की व्यावहारिकता जब बताते है तब पुण्णिकाथेरी का उदाहरण हमारे में प्रतिष्ठान होकर एक तथाकथित ब्राह्मण को वह वास्तविक विशुद्धी का मार्ग बताते हुए कहती है, स्नान शुद्धि से पापमुक्ति होती है, यह तुझे किसने बताया यह तो अज्ञानी, मूर्ख के प्रति उपदेश है। यदि जल से ही शुद्धि होती, तब तो मेंढक, कछुए, जल के सर्प, मगर और अन्य जलचरों का स्वर्ग गमन निश्चित है।[5] धर्म के नाम पर पाखण्ड का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों को करारा जवाब देने का बल बुद्ध के कारण एक दासी पुत्री पुण्णिका को प्राप्त हुआ। आज भी हमें समाज में इस तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने वाले ब्राह्मण दिखाई देते हैं जो समाज को शोषण कर लोगों को अंधश्रद्धा में डालने का कार्य करता है तथा उन की मानसिकता का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ पूरा करता है। इस अर्धश्रद्धा को 2600 साल पहले एक दासी पुत्री ने ब्राह्मण को अंधश्रद्धा से निकाला तथा उस ब्राह्मण द्वारा उसे अपना वस्त्र अर्पण करने की घटना हमें केवल बुद्धकालीन समाज में ही दिखाई देती है। यह केवल घटना न होकर एक सामाजिक क्रान्ति थी जो उस समय महिलाओं ने बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर की है। इस क्रान्ति की आज भी आवश्यकता

है। आज के आधुनिक युग में भी शुभ मुर्हत, कम्प्यूटराइज्ड कुंडलियाँ, ग्रह, नक्षत्र का प्रभाव आदि चीजों को महत्व दिया जाता है। जो कि बुद्ध ने उसे पूरी तरह से नकारा और एक विज्ञानवादी तथा विवेकवादी विचारधारा प्रदान की जिससे की समाज और देश का विकास हो, किन्तु आज भी समाज में अन्धश्रद्धा, लिंग, जाती तथा धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा है। बुद्ध ने इसका विरोध किया तथा समतामूलक समाज की निर्मिती में योगदान दिया और लिंगभेद को पूरी तरह से नष्ट किया। समाज में महिलाओं को सम्मान तथा आदर देने का प्रेरणादायी कार्य थेरीगाथापालि के माध्यम से हुआ है।

अनित्यता का मार्मिक विवेचन आम्रपाली तथा किसा गौमती ने अपने अनुभव के माध्यम से किया। आम्रपाली ने अपनी वृध्दावस्था में अपने शरीर का प्रत्यवेक्षण कर जो उद्गार व्यक्त किये वे तो पालि-काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण है। उसने अनित्यता का वर्णन सौन्दर्य के साथ किया। किसा गौतमी के पुत्र वियोग से उत्पन्न दु:ख का सम्बन्ध किस तरह मनुष्य से है। तथा यह दु:ख कैसे अनित्य है इसे बड़ी मार्मिकता से बुद्ध ने समझाया। शुभा भिक्षुणी अपनी आँखों को निर्विकार भाव से निकालकर कामी पुरूष को देती है। विदित होता है कि भिक्षुणियों की प्रवृत्ति अपने आन्तरिक अनुभव के वर्णन के साथ-साथ अपने पूर्व आश्रम के जीवन की अवस्थाओं का वर्णन भी है। मुक्ता, पूर्णा अपनी ज्ञानसम्पत्ति की पूर्णता के कारण प्रव्रजित हुईं तो भद्रा कुण्डलकेशा और ऋषिदासी ने अकृतज्ञ धूर्त पतियों के कारण प्रव्रज्या ली तो अपने पति का अनुसरण कर के भद्रा कपिलायिनी और चाफा प्रव्रजित हुई। इस तरह अपनी विषमताओं पर विजय पाकर सभी ने बुद्ध के शान्ति मार्ग का अनुसरण किया और दु:खमुक्त हुई।

थेरीगाथापालि इस ग्रंथ के माध्यम से समाज में नारी का क्या स्थान है इसका पता चलता है। इस ग्रंथ में वर्णित सभी महिलाओं के व्यक्तित्व में चरित्र के गुण त्याग, समर्पण आदि का दर्शन होता है। वे सभी मानती थी कि 'जब चित सुसमाहित है तो स्त्री भाव इसमें हमारा क्या करेगा' (इत्थिभावो नो कि कयिरा चितम्हि सुमाहिते)[6]। भगवान बुद्ध ने महिलाओं को समानता प्रदान की। नारी जीवन का बुद्ध ने जितना सम्मान किया और नारी जीवन की जितनी प्रतिष्ठा बुद्ध ने बढ़ाई उतनी शायद ही दुनिया के किसी भी धर्मसंस्थापक ने बढ़ाई होगी। जो नारी पुरूष प्रधान समाज में किसी भी प्रकार के अधिकार की अधिकारिणी नहीं थी उसको सभी प्रकार के अधिकारों की अधिकारिणी बनाना, उसको ज्ञानप्राप्त करने की, ज्ञान का उपदेश देने की और निर्वाण, परमशान्ति को प्राप्त करने की अधिकारिणी घोषित करना यह बुद्ध का बहुत ही क्रान्तिकारी कदम था। तथागत बुद्ध के

विचार नारी के जीवन में कितना बड़ा विश्वास, आशा और उम्मीदें जगाते है इस बात का पता इन थेरियों के वचनों से ज्ञात होता है जो कि आज के समाज में भी नारियों के लिए प्रेरणादायी है। निराशावाद और संघर्षों से हार न मानकर विषम परिस्थिति में अपने ज्ञान और संयम के आधार पर नारी अपने दु:खों पर विजय पा सकती हैं यह समाज को अपने विचारों से संदेश भी देती है। अगर आज की सामाजिक व्यवस्था नारी के अधिकारों का हनन करती है, उसका विरोध दर्शाती है तो नारी का उत्थान असम्भव है। नारी के पूर्ण विकास तथा उत्थान हेतु थेरीगाथापालि में निहित सभी भिक्षुणियों का अनुभव तथा उसका कार्य समाज को प्रेरणा देता है। समाज में प्रचलित अंधश्रद्धा, भेदभाव तथा असमानता को पूरी तरह से नष्ट करते हुए महिलाओं को सम्मान दिलाने हेतु थेरीगाथापालि बुद्ध के समय से आधुनिक काल तक के लिए मार्गदर्शक है।

संदर्भ ग्रंथ–

1. स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, 1982, थेरीगाथापालि, अपराउत्तमा-थेरीगाथा, संख्या 46, तिक निपातो, बौद्धभारती प्रकाशन । 2. डॉ. उपाध्याय भारतसिंह 1985, पालि साहित्य का इतिहास, पृ. क्र. 327
3. स्वामी द्वारिकादास शास्त्री 1995, थेरीगाथापालि छभ्क निथातो, महाप्रजापति गौतमी गाथा संख्या- 160
4. वही .....चतुक्क निपातो, भदाकपिलानी थेरी, गाथा संख्या- 66
5. वही ..... सोळस निपातो, पुण्णाथेरीगाथा, गाथा संख्या- 240, 241
6. वही ..... तिक निपातो, सोमा थेरी, गाथा संख्या- 61

वंश साहित्य का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता

-डॉ. सोनल सिंह, लखनऊ (उ.प्र.)

बौद्ध धर्म विश्व के महनीय धर्मों में अन्यतम है। भगवान बुद्ध भारत की पवित्र भूमि में अवतीर्ण हुए थे। वह दिव्य विभूति थे। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् ने जिस धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, वह इतना सजीव, व्यावहारिक व मंगलमय था कि ढाई हजार वर्ष के बाद भी उसका प्रभाव जनमानस पर पूर्णतः परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर, मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद लगातार पैंतालीस वर्षों तक पीड़ित मानवता के हित में, घूम घूम कर धर्म का न केवल उपदेश दिया बल्कि अपने भिक्षुओं को भी कहा कि हे भिक्षुओं चारिका करते रहो, बहुजन के हित में, बहुजन के सुख के लिए। सभी लोगों पर अनुकम्पा करत हुऐ। देवों और मनुष्यों के हित में, सुख में । यथा– **चरथ भिक्खवे चारिक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लोकानुकंपाय अथाय हिताय, सुखाय देवमनुस्मानं** (विनय महावग्ग 1/10 पृ- 23, नालन्दा संस्करण)

किन्तु ऐसा बन्धन कभी नही रखा कि यदि कोई बात समझ में न आये तो उसे भी आँख मूंद के मान लेना, अपितु यह कहा कि हे भिक्षुओं मेरी बात को इसलिए न मान लेना कि उसे बुद्ध ने कहा बल्कि पहले उसकी ठीक से परीक्षा करना, जैसे कोई स्वर्णकार सोने को तपाकर, गलाकर, पीटकर, छेदकर परखता है अपनी कसौटी पर उसी प्रकार कसना, यदि ठीक लगे तो स्वीकार करना अन्यथा त्याग देना। सातवीं शती के दार्शनिक आचार्य शान्तरक्षित ने बुद्ध के मन्तव्य को इस प्रकार व्यक्त किया है- **तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पंडितैः। परीक्ष्य भिक्षवो ग्राहयं मद्वचः न तु गौरवात्॥** (तत्वसंग्रह)यही मुख्य कारण रहा सद्धर्म रूढिवादी न होकर प्रगतिशील बन गया, और अपनी नमनीयता के कारण ही यह धर्म देशकाल और परिस्थिति के अनुसार संचरणशील बन गया।

इस प्रकार भगवान् बुद्ध द्वारा उपदेशित वचनों के संकलन को त्रिपिटक कहा गया,

त्रिपिटक का सर्वप्रथम मौखिक रूप में ही संगायन होता था। प्रथम, द्वितीय व तृतीय संगीति का मौखिक संगायन ही प्राप्त है।[1] तृतीय संगीति के समय राजा अशोक के काल में उनके पुत्र महिन्द, सिंहल देश जाते हैं। वहाँ के राजा वढगामणि अभय ने चतुर्थ संगीति बुलवायी तथा इस संगीति के संगायनोपरांत उस पालि त्रिपिटक को लिपिबद्ध करवाया। इस संगीति को पुस्तकारोपण संगीति कहते है।[2] यहीं से भगवान् बुद्ध के वचनों को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया का आरम्भ होता है ऐसा स्थविरवादी मत है। वर्तमान में सांची[3] के स्तूपों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक ने भिक्षुओं को धर्म प्रचारार्थ विदेश भेजा था, इसका समर्थन पुरातत्व विभाग ने भी किया। सांची स्तूप सं. 2 में जो धातु डिविया मिली उसके ढक्कन पर सुपुरिस मज्झिमस लिखा है, सांची के स्तूप सं. 2 में सुपुरिस मोग्गलिपुत्तस्स भी लिखा मिलता है। महावंश ग्रन्थ के अनुसार मज्झिम स्थविर व स्थविर मोग्गलिपुत्तस्स हिमालय में धर्म प्रचारार्थ गये थे। इस प्रकार संगायन लिपिबद्ध होकर त्रिपिटक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। तीन पिटक हैं- सुत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधर्मपिटक[4]। पिटक साहित्य के बाद की कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अट्ठकथा साहित्य, टीका साहित्य, वंश साहित्य तथा स्वतन्त्र लेखकों द्वारा रचित साहित्य की गणना होती है।

वंश साहित्य का सम्बन्ध मूलतः सिंहलद्वीप (वर्तमान श्रीलंका) से वंश साहित्य की है, विषय वस्तु में भगवान् बुद्ध का जन्म, उनकी शिक्षा, बुद्धत्व प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, संगीतियां तथा भारत से विदेशों में जाने की कथा का वर्णन है। इन वंश साहित्यों में भगवान् बुद्ध का लंकागमन भी दिखलाया गया है, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार वंश साहित्य के लेखक भी प्रायः श्रीलंका, थाईलैण्ड (म्यांमार) व वर्मा देश से सम्बन्ध रखने वाले हैं।

मुख्य रूप से वंश साहित्य में 17 ग्रन्थ आते हैं, किन्तु उसमें दो ग्रन्थों को ऐतिहासिक माना जाता है- 1. दीपवंस व महावंस[5]। इन दोनों ही ग्रन्थों में बुद्ध शासन के इतिहास के अतिरिक्त राजवंशों व राजाओं का भी वर्णन मिलता हैं तथा भारत से बौद्ध धर्म का लंकागमन भी प्राप्त होता है। इन दोनों ग्रन्थों की रचना आचार्य बुद्धघोष (ई. सन् 380-440) के पूर्व ही हो चुकी थी। आचार्य बुद्धघोष ने अपने अट्ठकथा में इसका विवरण दिया है। इन दोनों ही ग्रन्थों में आदिकाल से लेकर राजा महासेन (325-352) ई. सन् तक का इतिहास है। इनमें दीपवंस को प्राचीन मानते हैं इसके लेखक का का नाम अज्ञात है। महावंस इसी के आधार पर लिखित हैं और इसके लेखक महानाम नामक स्थविर थे।

यह ग्रन्थ 37 परिच्छेदों में विभक्त है, इसकी शैली काव्यमय है। इसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है।

महावंस ग्रन्थ के प्रारम्भ में तथागत के तीन बार लंका गमन का वर्णन है[6]। प्रथम बार बुद्धत्व प्राप्ति के नौवें महीने में, दूसरी बार पांचवें वर्ष में तथा तीसरी बार बुद्धत्व प्राप्ति के नौंवे वर्ष में जाना दिखलाया गया है। यह प्रकरण सम्पूर्ण वंश साहित्य में पुष्ट होता है। महावंश के 37वें परिच्छेद के 50वीं गाथा में 'महावंसो निट्ठितो कह कर सम्बोधित है। अर्थात् महावंश समाप्त। इसके बाद में लिखे हुए अंशों को चूलवंश नाम से जानते हैं।

दीपवंस व महावंस के बाद अन्य वंश साहित्यों के नाम हैं- चूलवंस, बुद्धघोसुप्पत्ति, सद्धम्मसंगह, महाबोधिवंस, थूपवंस, अत्तनगलुविहाररवंस, दाठावंस, जिनकालमालिनी, छकेसधातुवंस, नलाटधातुवंस, सन्देशकथा गन्धवंस संगीतिवंस सासनवंस, सासनवंसदीप। दीपवंस व महावंस को मिलाकर कुल 17 ग्रन्थ हैं जिन्हें वंश साहित्य कहा जाता है। वंश नाम से एक और भी ग्रन्थ है।- अनागतवंस, जिसमें भावी बुद्ध मैत्रेय की कथा का वर्णन है। नाम से यह वंस ग्रन्थ है किन्तु पालि साहित्य के इतिहास में भरत सिंह उपाध्याय ने इसे काव्य व्याकरण कोश के अन्तर्गत रखा है। अनागतवंस की रचना शैली पद्यमय है अतः यह एक काव्य ग्रन्थ है।[7] अतः हम संक्षिप्त रुप में वंश ग्रन्थ के विषय में जानेंगें। चूलवंस जो महावंस के 37वें परिच्छेद की 50वीं गाथा के बाद आता है। इसे सिंहली भाषा में सेलुवंसथ कहते हैं।[8] चूलवंस में सन् 352 ई. से लेकर महासेन के शासन के अन्तिम तक का वर्णन है अर्थात् लंका के इतिहास का वर्णन है। बुद्धघोसुप्पत्ति[9] में बुद्धघोष की जीवनी के रूप में लिखित ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के प्रणेता सिंहली भिक्षु महामंगल थे। सद्धम्मसंगह[10] ग्रन्थ ग्यारह परिच्छेदों में लिखित गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इस ग्रन्थ में प्रारम्भिक काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक के भिक्षु संघ का इतिहास मिलता है। इस ग्रन्थ के लेखक धम्मकीर्ति भिक्षु थे, जिन्होंने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं का परिचय दिया हैं। महाबोधिवंस[11] ग्रन्थ में अनुराधपुर में लगाये गये उस बोधि वृक्ष की कथा वर्णित है। जिसे भारत से लाकर यहाँ आरोपित किया गया। महाबोधिवंस का रचयिता सिंहली भिक्षु उपतिष्य को माना गया है। थूपवंस[12] ग्रन्थ भिक्षु सारिपुत्र के शिष्य वाचिस्सर की रचना है, इस ग्रन्थ में भगवान बुद्ध की अस्थियों के द्वारा निर्मित स्तूपों का वर्णन मिलता है। अत्तनगलुविहारवंस[13] यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है, इस ग्रन्थ के प्रथम आठ परिच्छेदों में लंकाधिपति सिरि-संघबोधि[14] का वर्णन है, तथा अन्तिम तीन परिच्छेदों

में उनके विहारों के निर्माण की कथा मिलती है। दाठावंस[15] ग्रन्थ सारिपुत्र के शिष्य महास्थविर (धम्मकित्ति 3 महाथेर) ने की थी इस ग्रन्थ में भगवान बुद्ध के दांत धातु की कथा का वर्णन है। दाठावंश ग्रन्थ के अन्त में स्वयं ग्रन्थकार ने इसे जिनदन्तधातुवंश[16] कहकर पुकारा है। जिनकालमालिनी ग्रन्थ जो थाई देश में 16वीं शताब्दी में स्थविर रतनपञ्ञ द्वारा लिखित ग्रन्थ है, इस ग्रन्थ की विषय वस्तु भी पूर्व के समान भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित दिखलाई पड़ती है किन्तु वैशिष्ट्य यह है कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से थाई देश और सिंहल के पारस्परिक धार्मिक सम्बन्धों को समझने में आसानी हो जाती है। छकेसधातुवंश[17] यह 19वीं शताब्दी की रचना है। यह वर्मी भिक्षु की रचना है, लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस ग्रन्थ की विषय वस्तु को देखें तो इनमें भगवान बुद्ध के छः केशों के ऊपर बनवाये गये स्तूपों का वर्णन है। यह गद्य-पद्य मिश्रित रचना है।

नकाटधातुवंस[18] इस ग्रन्थ में पाँच अध्यायों में भगवान बुद्ध के ललाट की हड्डी का इतिहास मिलता है। इस ग्रन्थ के भी लेखक का पता नहीं मिलता है, किन्तु गायगर इसे 19वीं शताब्दी का मानते हैं।

सन्देश कथा[19] यह ग्रन्थ 19वीं शताब्दी में वर्मा में लिखित ग्रन्थ है, इस ग्रन्थ का वैशिष्ट्य यह है कि जिन ग्रन्थों के लेखक अज्ञात हैं, उनका विवरण इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ में लेखक के निवास स्थान का परिचय है। गन्धवंस ग्रन्थ के प्रणेता भिक्षु नन्दपञ्ञ थे।

संगीतिवंस[20] थाई देश में 18वीं शताब्दी में रचित ग्रन्थ है इसके लेखक भदन्त वनरतन थे, इसे थाई देश की एक महत्त्वपूर्ण रचना मानी जाती है।

सासनवंस[21] यह रचना 19वीं शताब्दी की है। भिक्षु प्रज्ञास्वामी इसके प्रणेता हैं, इस ग्रन्थ का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें बुद्ध काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक बुद्ध शासन काल की व्यवस्था का परिचय मिलता है। तथा वर्मा में बौद्ध धर्म का विकास क्रम कैसा रहा, इस ग्रन्थ के छठे परिच्छेद से ज्ञात होता है, यह ग्रन्थ दस परिच्छेदों में विभक्त हैं। इस ग्रन्थ में भी भगवान् के लंका गमन की बात मिलती है। तथा चीन राष्ट्र तक बौद्धधर्म के विस्तार का भी विवरण मिलता है। सासनवंश में एक महत्त्वपूर्ण बात यह मिलती है कि वर्मा के राजा का मन त्रिपिटक के अध्ययन में लगता था। तस्स हि चित्तं परियत्तियं येव रमति[22] तथा राजा की पुत्री भी पालि स्वाध्याय में रत थी, अरिमर्दन नगर में स्त्रियों को भी पालि पढ़ने में रुचि थी, और वे ग्रन्थों को कण्ठस्थ करती थी। पुब्बे किर अरिमद्दननगरे मातुगामा पि गन्थं उग्गण्हिसुं वाचुग्गतं अकंसु[23] तथा संलाप में अति निपुण

थी। यह प्रकरण आश्चर्यचकित करने के बजाय हमें प्रेरणा देता है कि हम पालि के स्वाध्याय में रत होवे तथा इसे जनसामान्य की भाषा बनाकर संलाप में निपुण होवें। वहाँ की स्त्रियां भी प्रबुद्ध थीं तथा पालि भाषा का स्तर भी उन्नत स्वरुप में था इस प्रकार शिक्षा के स्तर के बारे में भी हमें वंश साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है।

सासनवंशदीप यह एक पद्यबद्ध रचना है। यह रचना श्रीलंका में 19वीं शताब्दी में लिखी गयी इसके लेखक विमलसारतिस्स थेर हैं। सासनवंसदीप का पहला संस्करण सन् 1880 ई. में कोलम्बो से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थ में कुल 1671 गाथायें हैं। जो 12 परिच्छेदों में विभक्त है।

प्रस्तुत पत्र में पालि साहित्य के अन्दर गणनीय 17 वंश साहित्य तथा अन्य वंश साहित्यों का संक्षिप्त परिचय है। भगवान बुद्ध की भूमि भारत देश है किन्तु ग्रन्थों की रचना लंका, वर्मा व थाई देशों में भी रचित हैं, जिनमें जिनकालमालिनि, सद्धम्मसंगह और सासनवंश ग्रन्थ थाई देश, श्रीलंका और बरमा में लिखे गये। यह सभी ग्रन्थ सांस्कृतिक व धार्मिक सम्बन्धों को जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन ग्रन्थों ने भारत के साथ बड़ी ही तारतम्यता स्थापित कर ली। इनके व्यापक सांस्कृतिक महत्त्व को भूलाया नहीं जा सकता।

इन ग्रन्थों की विषय वस्तु को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ विदेशों में रचित है। इसमें विषय वस्तु में भेद होते हुए भी भगवान बुद्ध के जीवन सम्बन्धित घटनाओं को क्रमबद्ध करते समय भारतीयता का ध्यान रखा गया है। इन ग्रन्थों को पढ़ने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि सभी घटनाएं व्यावहारिक ही घटित हो रही हैं, चाहे वह स्याम देश में घटी हो या वर्मा में या भारत देश में।

भगवान बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है, उसका ध्यान वर्तमान समय में भी झलकता है। वहीं वर्तमान काल में श्रीलंका में श्रद्धा स्वरूप आज भी समन्तकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह अंकित हैं, ऐसा विश्वास है। किन्तु इस पर्वत का वैशिष्ट्य यह है कि उन पैरों के चिन्ह को शिव भक्त शिव का मानते हैं तथा ईसाई धर्मावलम्बी आदम का मानते हैं। इस कारण इस पर्वत को आदम की चोटी या एडम पीक कहते हैं।[24] साथ ही प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका दौरे में अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहाँ कोलम्बोवासियों को यह सन्देश दिया कि बौद्ध धर्म की रोशनी से न केवल कोलम्बो अपितु सम्पूर्ण विश्व जगमगाए क्योंकि बौद्ध धर्म की नींव मानवता

केन्द्रित है। वहाँ के राष्ट्रपति ने भी भारत में शिरकत की इससे दोनों देशों को आर्थिक व सांस्कृतिक सुदृढ़ता प्रदान हुयी। श्रीलंका देश में ही नहीं वरन् वर्मा, थाईलैण्ड, चीन, जापान, कोरिया आदि देशों से भी भारत के सम्बन्ध मजबूत दिखाई देते हैं। चीन देश में, यू झेंगशग ने पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के वुशी शहर में शनिवार को आयोजित चौथे विश्व बौद्ध मंच के शुभारम्भ के लिये लिखित संदेश में शुभकामनाएं दीं। यू ने चिट्ठी में कहा कि बौद्ध धर्म विभिन्न संस्कृतियों के बीच सीखने की दोहरी प्रक्रिया का उदाहरण है। यह शांति व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यू ने कहा कि चीन में निवास कर रहे बौद्ध समुदाय ने बुद्ध के मानवीय सिद्धान्तों को पालन करते हुए समाज में मैत्रीपूर्ण माहौल कायम रखने में अहम् योगदान दिया है। यह प्रकरण इस बात की ओर इंगित करता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत से बौद्ध धर्म विदेशों को गया, वहाँ उसे सहर्ष अपनाया गया। वही नींव आज भी भारत से बाहरी देशों के सम्बन्ध को मजबूती प्रदान कर रही है। यह बौद्ध धर्म का ही व्यापक स्वरूप है और इस स्वरूप में मुख्य भूमिका वंश साहित्य ने निभायी है। डल्ब्यू गैगर[25] कहते हैं कि एशिया का शायद ही कोई दूसरा राष्ट्र ऐसा है जिसका इतिहास उतना सुरक्षित हैं, जितना सिंहल देश का। इस बारे में माननीय रीज डेविड्स[26] का कहना है कि सिंहल के इतिहास ग्रंथों की कालानुक्रमणिका इग्लैण्ड और फ्रांस के पीछे के लिखे हुए ग्रन्थों की कालानुक्रमणिका से किसी भी तरह हेठी नहीं है।

इस प्रकार हम देख पाते हैं कि अतीत का बोया हुआ बीज वर्तमान में भी फलित व पुष्पित है, इसके उदाहरण में भगवान् बुद्ध की मूर्तियां, उनके स्तूप उनकी पूजा आदि के प्रति जनमानस की श्रद्धा तथा उन ग्रन्थों का भी वैशिष्ट्य है, जिनमें इतने प्राचीन इतिहास की रूपरेखा वर्णित हैं। यह ऐसी धरोहर है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है। इस प्रकार बौद्ध संस्कृति को जानने के लिये जितना आवश्यक त्रिपिटक का अध्ययन हैं, उससे कहीं अधिक वंश साहित्य का अध्ययन करना है, वंश साहित्य एक ऐसी कड़ी है जो एक देश को दूसरे देश की परम्पराओं से जोड़ती है, इसे आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा विरासत में छोड़ी हुयी वस्तु, जो हमें हमारे अस्तित्व का ध्यान कराती रहती है। इस प्रकार बौद्ध धर्म सबका विकास लेकर चलने वाला धर्म है। भले ही इसकी संस्कृति पुरानी हो लेकिन यह आज भी जीवंत है। इसका मूल कारण वंश साहित्य को जाता है, क्योंकि वंश साहित्य में विभिन्न देशों की संस्कृति समाहित है, वहाँ की संस्कृति, खान-पान रहन- सहन सबका मिला-जुला रूप वंश साहित्य है। बौद्ध परम्परा में वंश साहित्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कारण आज भी वंश साहित्य की उतनी ही

उपयोगिता है जितनी पूर्वकाल में थी। यह साहित्य बौद्धधर्म की सुदृढ़ता का परिचायक है।

ऊपर हमने पालि के वंश साहित्य का संक्षिप्त विवरण दिया है, जो लंका और बरमा में लिखा गया था। इस प्रकार थाई देश में लिखे गये संगीति वंश का भी थोडा परिचय देने का प्रयास किया है। इन सब देशों के साथ वंश साहित्य भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ सम्बन्ध जोडने में सफल रहा। विशेषतः सिंहल के भाषा और साहित्य के विकास पर पालि वंश साहित्य का बड़ा प्रभाव है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभातिं जान सकते है। कि अनेक पालि वंश ग्रन्थों के पालि और सिंहली दोनों ही संस्करण मिलते हैं कुछ पालि वंश ग्रन्थों के मूल सिंहली में हैं और कुछ उत्तरकालीन सिंहली वंश-ग्रन्थ पालि वंश ग्रन्थों पर आधारित हैं।

इस प्रकार हम देख पाते है कि पालि वंश ग्रन्थ तथा सिंहली वंश-ग्रन्थ दोनों का आपस में तारतम्य है। इस कारण आज भी वंश साहित्य की उतनी ही उपयोगिता है। जितनी पूर्वकाल में थी। इस तरह वंश साहित्य बौद्धसाहित्य का मेरुदण्ड है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. सद्धम्मसंगहो, मूलपालि एवं हिन्दी अनुवाद, अनुवादक सिद्धार्थ मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली 2006, पठमो परिच्छेदो, दुतियो परिच्छेदो, ततियोपरिच्छेदो देखे।
2. दीपवंस महिन्दत्थेरागमनं, बौद्ध आकर ग्रन्थमाला, 1996, पृ.13
3. महावंसो, परिचय, अनु. डा. भदन्त आनन्द कौसाल्यायन सम्यक् प्रकाशन नई दिल्ली
4. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 2013
5. पालि साहित्य का इतिहास, भिक्षु धर्मरक्षित, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी 1961, पृ. 152
6. महावंसो, महियंगगमन परिचय, अनु. डा. भदन्त आनन्द कौसाल्यायन सम्यक् प्रकाशन नई दिल्ली
7. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 683
8. बुद्धघोसुप्पत्ति, सम्पादक, डा. राजेश रंजन, सम्यक प्रकाशन,2004
9. सद्धम्मसंगहो, लेखक परिचय, पृ. 128
10. महाबोधिवंसो, डा. कोमलचन्द्र जैन, सं. सं. वि. वि. वाराणसी 2005
11. थूपवंसो, डा. राहुल अमृतराज,रा. सं. सं लखनऊ परिसर 2018

12. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 698
13. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 699
14. जिनकालमाली रोमन लिपि में बुद्धदत्त महाथेर, पालि टैक्ट्स सोसायटी लन्दन 1962
15. पालि प्राकृत अनुशीलनम्, डॉ. संतोष प्रियदर्शी, पा.अ.केन्द्रम्, 2015, पृ. 33
16. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 704
17. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 704
18. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 705
19. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 711
20. सासनवंश, भिक्षु चन्दिमा उपासक, नव नालन्दा महाविहार पटना 1961
21. पालि साहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 719
21. पालि साहित्य का इतिहास पृ. 716
22. पालि साहित्य का इतिहास पृ. 717
23. Wikipedia.org, Seruwila to Sri Pada (Secred foot print Shrine) Unesco.org. Retrived 1911, 08:25, I was visited this site then wrote last edited v month ago by Elkost w January 2918, 20:32
24. अनीता वर्मा, Publish date May, 15, 2017, 1:02 P.M.
25 दीपवंस एण्ड महावंस डब्ल्यू गैगर, पृ. 1
26. The ceylon chronicles would not suffer in comparison with the best of the chronicles even thought so considerbly later in date written in england or, (Buddhist India P. 274, 1903)

मैत्री ब्रह्मविहार का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता

डा. जगमोहन, भरतपुर (राज.)

अनुस्मृति कर्मस्थान के पश्चात् कहे गए - मैत्री, करूणा, मुदिता, उपेक्षा - इन चार ब्रह्म बिहारों में से मैत्री की भावना करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक योगी को विघ्नों को दूर करके दर्भस्थान को ग्रहण कर भोजन करके, भोजन से उत्पन्न शरीर की पीड़ा को मिटाकर एकान्त स्थान में भलीभाँति बिछाए हुए आसन पर सुखपूर्वक बैठ, प्रारम्भ से द्वेष में अवगुण और शांति में गुण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए। इस पावन से द्वेष को त्यागना चाहिए, शांति को प्राप्त करना चाहिए, परन्तु विना देखे हुआ कोई भी अवगुण दूर नहीं किया जा सकता है इसलिए - ''आवुसो, द्वेष से दूषित हुआ, पछाड़ा गया, सब प्रकार से पकड़ा गया वित्त वाला जीव - हिंसा भी करता है।'' आदि सूत्रों के अनुसार द्वेष में अवगुण देखना चाहिए।

खन्ती परमं तपो तितिक्खा,
निब्लानं पर वदन्त बुद्धा।[2]

(क्षांति नाम से कही जाने वाली तितिक्षा (सहनशीलता) परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाण को परम पद बताते हैं।)

'खन्तिबलं बलानीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।'

क्षमा-बल ही जिसके बल (सेना) का सेनापति है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

स्वन्त्या मिय्यो न विज्जत।

(क्षमा से बढ़ाकर अन्य कुछ नहीं है।)

इस प्रकार अवगुण देखने से द्वेष से चित्त को अलग करने और गुण देखने से क्षमा में लगाने के लिए मैत्री - भाव का आरम्भ करना चाहिए और आरम्भ करने वाले को प्रारम्भ से ही व्यक्ति के दोषों को जानना चाहिए - 'इन व्यक्तियों में मैत्री - भावना पहले नहीं भावना करनी चाहिए।'

अप्रिय व्यक्ति, अति प्रिय सहायक, मध्यस्थ और बैरी व्यक्ति - इन चारों में पहले मैत्री - भावना नहीं करनी चाहिए।

सब्बे सत्ता अवेरा अव्यापज्झा अनीघा सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सब्बे पाणा ..... सब्बे भूता सब्बे पुग्गला ..... सब्बे अत्तभाव - परियापन्ना अवेरा अव्यापज्झा अनीघा सुख अत्तानं परिहरन्तू' ति।

(सारे सत्व बैर रहित, व्यापार रहित, उपद्रत रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें। सारे प्राणी ..... सारे भूत (उत्पन्न हुए जीव) ..... सारे व्यक्ति ..... सारे ..... आत्म-भाव (पञ्चस्कंध से बने शरीर) में पड़े हुए बैर रहित, व्यापाद रहित, उपद्रव रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करे।)

इस प्रकार कहा गया है और जो मेन सुत्त में कहा है-

सुखिनो वा खेमिनो होन्तु।
सबे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता।''[5]

(सारे सत्व सुखी, कल्याण प्राप्त हों, (वे) सुखी चित्त वाले हों।)

ककचूपम ओवादआदीनं अनुसारतो।
पटिघस्स पहनाय घटितर्ब पुनप्पुनं॥

ककचूपम[6] (= आरा की उपमा) के उपदेश आदि के अनुसार प्रतिघ (= प्रतिहिंसा का भाव) को दूर करने के लिए पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिए)।

और वह भी इस आकार से अपने को उपदेश करते हुए ही - 'अरे, क्रोध करने वाले आदमी, क्या भगवान् ने नहीं कहा है -भिक्खुओ, यदि दोनों ओर मुठिया लगे आरा (= क्रकच) से लुटेरे चोर अंग - प्रत्यंग चीर डालें, तो वहाँ भी जो मन द्वेषयुक्त (= दूषित) करे, वह मेरा अनुशासन करने वाला नहीं है।[7] और -

तस्सेव तेन पापियो यो कुद्धं पटिकुज्झति।
कुद्धं अप्पटिकुज्झन्तो संगामं जति दुज्जयं॥

(जो क्रोधी के प्रति क्रोध करता है उससे उसी की बुराई है, क्रोधी के प्रति क्रोध नहीं करने वाला दुर्जय संग्राम को (भी) जीत लेता है।)

उमिन्नमत्थं चरति अत्तनो च रस्स च।
परं संकुपितं त्वा यो सतो उपसम्मत॥

(दूसरे को कुपित हुआ जानकर जो स्मृतिमान् शांत हो जाता है, वह अपना और दूसरे-दोनों की भलाई करता है।) भिक्खुओं, ये सात बातें बैरियों द्वारा इच्छित हैं, बैरियों

द्वारा करणीय हैं, जो क्रोध स्वभाव वाले स्त्री या पुरूष को आती हैं। कौन सी सात? भिक्खुओं, यहां बैरी - बैरी के लिए ऐसा चाहता है - बहुत अच्छा कि यह कुरूप होता', सो किस कारण ? भिक्खुओं, यह पुरूष = पुद्गल क्रोधी स्वभाव वाला है, क्रोध से पछाड़ा गया है, क्रोध के वशीभूत है। यद्यपि वह भली प्रकार स्नान किया, सुंदर ढंग से लेपन किया हुआ, केश, श्मश्रु बनाया और श्वेत वस्त्र पहना हुआ होता है, किंतु वह क्रोध से पछाड़ा गया कुरूप ही होता है। भिक्खुओं, यह पहली बात वैरियों द्वारा इच्छित, वैरियों द्वारा करणीय है जो क्रोध स्वभाव वाले स्त्री या पुरूष को आती है।

तमेव बाल पच्चेतिं पापं।
सुखमों जो पटिवातं' य खित्तो॥

(जो दोषरहित शुद्ध निर्मल पुरूष को दोष लगाता है तो उसी मूर्ख को उसका पाप लौट कर लगता है, जैसे सूक्ष्म धूल को हवा के आने के रूखमें फेंकने से वह फेंकने वाले पर पड़ती है। यदि ऐसे कर्म - स्वक् होने का भी प्रत्यवेक्षण करने वाले का क्रोध नहीं शांत होता है, तो उसे शास्ता के पूर्वचर्य्या - गुणों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए।

मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापजझेन फरित्वा विहरति।

(मैत्री - युक्त चित्त से एक दिशा को परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे ही दूसरी दिशा को, वैसे ही तीसरी दिशा को, वैसे ही चौथी दिशा को। इस प्रकार ऊपर, नीचे तिरछे सब जगह सर्वात्म के लिए, सारे प्राणी वाले लोक को विपुल, महान् प्रमाण रहित, वैर रहित, व्यापाद रहित, मैत्री -युक्त चित्त से पूर्ण कर विहरता है।)

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में मैत्रेय की आवश्यकता है।

संदर्भ - संकेत

1. अंगुत्तर निकाय 1
2. धम्मपद 14 , 6
3. वही (धम्मपद) 26, 17
4. संयुक्त निकाय 1
5. वही (संयुक्त निकाय 1, 8
6. मज्झिम निकाय 1, 3
7. मज्झिम निकाय 1,3,1
8. संयुक्त निकाय 11, 1, 4
9. धम्मपद 9, 10
10. मज्झिम निकाय 1, 1, 7

चूळवंश की व्यावहारिकता तथा उपयोगिता

– डॉ. मोहन मिश्र, लखनऊ

असेवना च बालानं पण्डितानञ्च सेवना।

पूजा च पूजनीयानं, एते मंगलमुत्तमं।।

एक ओर जब लंका में त्रिपिटक पर अट्ठकथाओं की रचना की जा रही थी, उसी समय कुछ ग्रंथकारों ने इतिहास लेखन की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप वंशग्रंथों की रचना का आरम्भ किया। पालि में वंस-साहित्य की परम्परा बुद्धघोष के पूर्व से ही विद्यमान थी। इन ग्रंथों में पालिभाषा में रचित श्रीलंका के राजाओं का इतिहास है। इस ग्रन्थ में चौथी शताब्दी से लेकर 1815 तक के काल का इतिहास है। इसकी रचना अनेक वर्षों में अनेकों भिक्षुओं के माध्यम से सम्पन्न हुई, अतः इसमें अनेक प्रकार की काव्य-शैलियाँ प्राप्य हैं। सामान्य मान्यता इसे महावंस का उत्तर ग्रंथ स्वीकार करती हैं।

37 वें परिच्छेद की 51 वीं से 198 गाथाओं को जोड़कर और उसे सात राजा शीर्षक देकर 79 वें परिच्छेद तक की रचना स्थविर धर्मकीर्ति कृत है जिन्हें तम्बरट्ठ का निवासी बताया गया है और जो प्रसिद्ध सिंहले राजा पराक्रमबाहु द्वितीय (1236-1268 ई.) के समकालिक थे।[1] उसमें महासेन 352 ई. के काल के अन्तिम समय से लेकर पराक्रमबाहु द्वितीय (1236-1268 ई.) तक 78 राजाओं की वंशपरंपराओं का ऐतिहासिक वर्णन है।[2] इसमें पराक्रमबाहु प्रथम (1153-1186 ई.) का वर्णन 18 अध्यायों में किया गया है। महावंश का यह तथा इससे आगे का परिच्छेद चूळवंश कहलाता है। सिंहली भाषा में इसे 'सेलुवंसथ' कहा गया है।[3] 80 से 90 तक के 11 परिच्छेदों के रचयिता बुद्धरक्षित भिक्षु ने पराक्रमबाहु द्वितीय से लेकर पराक्रमबाहु चतुर्थ (1325 ई.) तक आगामी 23 राजाओं का वर्णन किया है। 91 से 100 तक के 10 परिच्छेद तिब्बोतुवाबे सुमंगल स्थविर द्वारा रचे गए और उनमें भुवनेकबाहु तृतीय से लेकर कीर्तिश्री राजसिंह के काल (ई. 1747-1780 ई.) तक के 24 राजाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ लंका में ईसाई धर्म के प्रचार की भी सूचना मिलती है। 101वाँ परिच्छेद सुमंगलाचार्य तथा देवरक्षित द्वारा रचा गया। यह 1785 और 1815 ई. के बीच तक के लंकन राजाओं का वर्णन करता है। इसे सन् 1877 ई. में प्रकाशित किया

गया। तत्पश्चात् वहाँ के राज्य अंग्रेजों के हाथ में चले जाने की भी सूचना मिलती है। महावंश का अंतिम परिवर्धन भिक्षु स्थविर युगिरल प्रज्ञानंद नायक द्वारा 1936 में प्रकाशित हुआ और इसमें 1815 से 1935 ई. तक का लंका का इतिहास समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार महावंश की रचना में छह ग्रंथकारों का हाथ है, जिनके द्वारा इसमें भगवान् बुद्ध से लेकर लगभग ढाई हजार वर्षों का लंका का इतिहास अविच्छिन्न रूप से अंकित किया गया है। यह ग्रंथ इस बात का भी प्रतीक है कि दीर्घकाल तक लंका में पालिभाषा को किस प्रकार जीवित रखा गया और उसमें साहित्यिक रचना की धारा को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया गया।

दीपवंश और महावंश आदि रचनाओं के कारण तीव्र ऐतिहासिक वृत्ति जागृत हुई। परिणामतः अनेक वंशग्रंथ रचे गए। इसमें ऐतिहासिक तथ्य तो प्रायः उक्त दोनों ग्रंथाधृत हैं, किंतु उनमें जो विविध विषयों की श्रुतिपरंपराओं का चयन किया गया है, वह महत्वपूर्ण है। इन ग्रन्थों में विषय को रोचकता प्रदान करने के लिए कुछ अतिशयोक्ति तथा कल्पनाओं का भी आश्रय लिया गया है, परिणामतः कहीं कहीं इतिहासज्ञ को अश्रद्धा उत्पन्न होने लगती है।

उक्त ग्रंथों में अधिकांश भाग प्राचीन त्रिपिटक, उनकी अट्ठकथाओं तथा महावंश के अंतर्गत वार्ता की संक्षेप या विस्तार से पुनरावृत्ति मात्र है। किंतु फिर भी उनमें अपने अपने विषय की कुछ मौलिकताएँ भी हैं, जिसके आधार पर हमें उक्त विषयों का कुछ इतिहास बुद्धकाल से लेकर अब तक का अविच्छिन्न रूप में प्राप्त होता है। यह पालि साहित्य की अपनी विशेषता है।

चूलवंश में श्रीलंकन राजाओं के क्रमवार इतिहास वर्णन के साथ-साथ कर्म, कर्मफल जैसे दार्शनिक मूल्यों का भी विवरण मिलता है–

असाधुसङ्गमेनेवं, यावजीवं सुभासुभं॥
कत्त्वा गतो यथाकम्मं, सो महासेनभूपति॥[5]

(राजा महासेन ने जीवनपर्यन्त असाधु लोगों के समागम तथा शुभाशुभ कर्मों के उपरान्त यथाकर्म गति प्राप्त किया।)

तस्मा असाधुसंसग्गं, आरका परिवज्जिय।
अहिं वा सि विसं खिप्पं, करेय्य त्थहितं बुधो॥[6]

(इसलिए एक बुद्धिमान् को चाहिए कि जिसप्रकार एक विषैले सर्प से दूरी रखी जाती है, उसी प्रकार असाधुओं से त्वरित दूरी बना ले, जिससे वह आत्मविमुक्ति की ओर अग्रसर होवे।)

अहु राजा सिरिमेघवण्णो तस्स सुतो ततो।

वन्धाता विय लोकस्स, सब्बसम्पत्तिदायको॥[7]

(उसके बाद महासेन का पुत्र सिरिमेघवण्ण वहाँ का राजा हुआ जिसने मान्धाता की तरह लोक को अपना सर्वस्व अर्पण करना आरम्भ किया।)

अट्ठारस विहारे च, कारापेसि महीपति।

अनुकम्पाय पाणिनं, वापियो च थिरोदिका॥[8]

(राजा ने अट्ठारह विहारों का निर्माण कराया और प्राणियों की अनुकम्पा हेतु उसने कई स्थिरोदक (जल से सदा पूर्ण रहने वाले) तालाबों का भी निर्माण कराया।)

बोधि पूजादि पुञ्ञानि, अप्पमेय्यानि कारिय।

अट्ठवीसतिमे वस्से, गभो सो तस्स या गति॥[9]

(बोधिपूजादि अनेक पुण्यों को कराकर अपने शासन के 28वें वर्ष में अपने कृत्यानुसार गति को प्राप्त किया।)

इतिहास के मुख्य आधार युगविशेष और घटनास्थल के वे अवशेष हैं, जो किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। जीवन की बहुमुखी व्यापकता के कारण स्वल्प सामग्री के सहारे विगत युग अथवा समाज का चित्रनिर्माण करना दु:साध्य है। सामग्री की जितनी प्रचुरता होती है उसी अनुपात में बीते युग तथा समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करना आसान होता है। पर्याप्त साधनों के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि कल्पनामिश्रित चित्र निश्चित रूप से शुद्ध या सत्य ही होगा। इसलिए उपर्युक्त कमी का ध्यान रखकर कुछ विद्वान् कहते हैं कि इतिहास की संपूर्णता असाध्य सी है, फिर भी यदि हमारा अनुभव और ज्ञान प्रचुर हो, ऐतिहासिक सामग्री की जाँच पड़ताल को हमारी कला तर्कप्रतिष्ठत हो तथा कल्पना संयत और विकसित हो तो अतीत का हमारा चित्रण अधिक मानवीय और प्रामाणिक हो सकता है। सारांश यह है कि इतिहास की रचना में पर्याप्त सामग्री, वैज्ञानिक ढंग से उसकी जाँच, उससे प्राप्त ज्ञान का महत्व समझने के विवेक के साथ ही साथ ऐतिहासक कल्पना की शक्ति तथा सजीव चित्रण की क्षमता की आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास न तो साधारण परिभाषा के अनुसार विज्ञान है और न केवल काल्पनिक दर्शन अथवा साहित्यिक रचना है। इन सबके यथोचित संमिश्रण से इतिहास का स्वरूप रचा जाता है।

इतिहास कमोवेश वैसा ही सत्य है जैसा विज्ञान और दर्शन। जिस प्रकार वैज्ञानिक

और दार्शनिक निष्कर्षों में परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है उसी प्रकार ऐतिहासिक विवरणों में भी। हम अपने ज्ञान और साधनों की सहायता से ऐतिहासिक विवरणों का संस्कार करते रहते हैं। प्रत्येक युग में हम अपने-अपने प्रश्नों का समाधान उपलब्ध इतिहास में ढूंढ़ते हैं। यह सब होते हुए भी साधनों का वैज्ञानिक अन्वेषण तथा निरीक्षण, कालक्रम का विचार, परिस्थिति की आवश्यकताओं तथा घटनाओं के प्रवाह की बारीकी से छानबीन और उनसे परिणाम निकालने में सर्तकता और संयम की अनिवार्यता अत्यंत आवश्यक है। उनके बिना ऐतिहासिक कल्पना और कपोलकल्पना में भेद सम्भव नहीं।

इतिहास मनुष्य का एक सच्चा शिक्षक है जो समाज को भविष्य का उचित पथ बतलाता है। किसी भी जाति या राष्ट्र को सजीव, उन्नतिशील तथा गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इतिहास हमें मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं पक्षों से अवगत कराता है। इसके अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। वर्तमान समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि इस विकास के उन विभिन्न सोपानों को जान सकें जिनमें से गुजरकर यह समाज वर्तमान स्थिति में आया है। जिस प्रकार चलचित्र में भूतकाल की किसी घटना का सम्पूर्ण चित्र हमारी आँखों के सामने आ जाता है उसी प्रकार इतिहास किसी तत्कालीन समाज के आचार विचार, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, राजनैतिक व्यवस्था, शासन पद्धति आदि सभी ज्ञातव्य बातों का एक सुन्दर चित्र हमारी अंतदृष्टि के सामने स्पष्ट रख देता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा ही किसी राष्ट्र के उत्थान के साथ-साथ उसके पतन की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है।

एडमंड बर्क के अनुसार इतिहास उदाहरणों के साथ-साथ तत्त्व ज्ञान का भी शिक्षण है। उन्नति का आधार अनुभव है तथा इसके लिए हमें उसके तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। उन तत्वों का ज्ञान उनके पूर्व परिणामों पर आधृत है और उनके जानने का माध्यम इतिहास ही है।

वर्तमान को समझने तथा सुधारने के लिए आवश्यक है कि हम उस देश अथवा सभ्यता के प्राचीन इतिहास, उत्थान, पतन के कारणों तथा परिस्थितियों से अवगत हों।

महान लेखक और राजनीतिज्ञ सिसरो ने इतिहास के बारे में कहा था कि इतिहास व्यतीत हुए समय का साक्षी होता है और वास्तविकता का दर्शन कराता है, स्मृति को ताजा बनाता है तथा गए समय का विवरण दे हमारा मार्गदर्शन करता है। यह भारतीय इतिहासकारों

के लिए हैरत की बात हो सकती है कि इतिहास के बारे में सिसरो का यह वचन ईसा पूर्व का है। यह पूर्णत: भ्रान्त धारणा है कि भारत इतिहास लेखन को लेकर कभी भी बहुत सक्रिय देश नहीं रहा। हमारे यहाँ पुराकाल से ही इतिहास लेखन की प्रवृत्ति रही किन्तु पद्धति अवश्य भिन्न रही। हमारे पुराण आदि ऐतिहासिक ग्रन्थ ही हैं कोई माने या ना माने। कुछ अन्य देशों में भी ईसा पूर्व से ही इतिहास लेखन को एक गंभीर कार्य माना जाने लगा था। कुछ विद्वानों की दृष्टि में भारत में इतिहास लेखन बारहवीं सदी में आरम्भ हुआ, जब कल्हण ने कश्मीर के राजाओं पर केंद्रित राजतरंगिणी लिखी किन्तु महमूद गजनवी के साथ भारत आए अल बरूनी ने समय को शब्दों में बताने की परंपरा पहले ही शुरू कर दी थी। इतिहास लेखन की मुगल कालीन परम्परा में दरबारी इतिहासकारों का आधिक्य रहा, जिन्होंने अपने-अपने काल के सम्राटों का महिमा मण्डन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू होने के साथ छापाखाने और लेखन परंपरा का ठीक-ठाक विकास हो चुका था। देखा जाए तो भारत की आजादी के उपरान्त कुछ इतिहासकारों में हमारे इतिहास को क्रमबद्ध करने का उल्लास जगा जिनमें सुमित सरकार, रोमिला थापर, इरफान हबीब आदि मुख्य हैं, किन्तु इनका कार्यक्षेत्र भारत की स्वतन्त्रता तक ही सीमित है। हम यह नहीं बताना चाहते कि आजादी के बाद से अब तक भारत की विदेश नीति में कितने बदलाव आए हैं। यह काम हो रहा है, परंतु इसे करने वाले लोग इतिहासकार न होकर समाजविज्ञानी और राजनीतिशास्त्री जैसे लोग हैं। भारतीय इतिहासकार यदि बार-बार प्राचीन भारत के इतिहास को खंगालना छोड़ समकालीन भारत का इतिहास लिखें, तो संभवत: वे इतिहास को नई दिशा और ऊंचाई दे सकेंगे।

संदर्भ–

1. पालिसाहित्य का इतिहास, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1994, पृ. 673।
2. पालिसाहित्य का इतिहास, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1994, पृ. 6731
3. पालिसाहित्य का इतिहास, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1994, पृ. 673।
4. पालिसाहित्य का इतिहास, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1994, पृ. 674
5. महावंस 37 परिच्छेद, गा. सं. 51।
6. महावंस 37 परिच्छेद, गा. सं. 52।
7. महावंस 37 परिच्छेद, गा. सं. 53।
8. गा. सं. 98।
9. गा. सं. 99।

सुत्तपिटक में आगत सांस्कृतिक पक्षों की उपादेयता

डॉ. जयवंत खंडारे, नई दिल्ली

सिंधु सभ्यता के लोप के बाद भी श्रमण संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा था। श्रमण और वैदिक परम्परा का संमिश्रण बढ़ने लगा था। जन-मानस में अध्यात्म चेतना के स्वर गुंजित होने लगे थे। पालि-प्राकृत साहित्यकारों ने लोकभाषा और बोली के माध्यम से जनसामान्य की आवाज को रचनाबद्ध किया था, उनकी आवाज को सभी तक पहुँचाया तथा उन्हें साहित्य जगत् में जोड़ा था। इस प्रकार श्रमण विद्या पल्लवित हुई। महावीर और बुद्ध ने स्वानुभूति, करुणा, मानवता और वर्गहीनता पर जोर दिया, अहिंसा और अपरिग्रह का सन्देश दिया। ईश्वर और भाग्य के भरोसे न बैठकर पुरुषार्थ करने पर बल दिया। स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाया। इस प्रकार सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन आया।

पालि-प्राकृत साहित्य में 'श्रमण-ब्राह्मण' परम्परा का उल्लेख बहुत आया है। 'दीघनिकाय' में तो बासठ प्रकार की मिथ्यादृष्टियों वाले सम्प्रदायों का वर्णन है। सुत्तपिटक में अनेक प्रकार के मुनिसंघों का वर्णन मिलता है- जैसे- श्रमण, ब्राह्मण, परिव्राजक, निगण्ठ, जटिल, आजीविक आदि। निगण्ठों को कठोर तपस्वी कहा जाता था। इनके अतिरिक्त पूरण कस्सप, मक्खलिगोसाल, अजित केसकम्बलि, संजय बेलट्ठिपुत्त आदि। सामान्य लोग यज्ञादि कर्मकाण्ड, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र एवं दिशा पूजा में विश्वास रखते थे। यक्षपूजा-चैत्यपूजा भी आम बात थी। इसके माध्यम से वे स्वर्गलोक तक जाएंगे ऐसी उनकी धारणा थी। सुत्तपिटक में तत्कालिक समाज के चारों वर्णों के उत्तरदायित्व और कर्त्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था। इस व्यवस्था का प्रचार मध्यदेश में अधिक था। अन्यत्र आर्य और दास इन दो श्रेणियों में समाज विभाजित था।[1] बुद्ध के अनुसार श्रेष्ठता का मानदण्ड सदाचार एवं कर्म है, जन्म नहीं।[2] 'धम्मपद', 'सुत्तनिपात', 'दीघनिकाय', 'मज्झिमनिकाय' एवं 'संयुत्तनिकाय' में इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा मिलती है। व्यापारी वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी। शूद्रों की स्थिति अत्याधिक हीन थी। पुत्र का जन्म होना आवश्यक माना जाता था, और कन्या का जन्म होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। राजा प्रसेनजीत

की रानी मल्लिका को कन्यारत्न प्राप्त होने पर राजा ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। बुद्ध ने उसे नारी का महत्त्व बताया था तब राजा प्रसन्न हुआ।[3]

संस्कृति का एक पक्ष धार्मिक मान्यता एवं रीतिरिवाज भी है। सुत्तपिटक में इसके संदर्भ मिलते हैं। इनमें से कुछ पक्षों एवं उन पर बुद्ध के विचारों की वर्तमान में क्या उपादेयता है यही यहाँ अपेक्षित है। सुत्तपिटक में वर्णन है कि तात्कालिक लोग चमत्कार करनेवालों पर भरपूर विश्वास करते थे, उनका मान-सम्मान करते थे, सेवा करते थे। उन्हें भगवान् मानते थे। राजा-महाराजा भी उन्हीं का मान-सम्मान करते थे। किंतु बुद्ध चमत्कार को केवल मनोरंजन की कला मानते थे धर्म का अंग नहीं। 'दीघनिकाय' में एक प्रसंग आता है कि एक सुनक्षत्र नामक भिक्षु भगवान् बुद्ध से चमत्कार करके दिखाने का आग्रह करता है। ऐसा न करने पर वह संघ छोड़ने की धमकी देता है। बुद्ध उससे पूछते है कि क्या चमत्कार देखने-दिखाने से किसी के दु:ख दूर होते हैं? सुनक्षत्र ने उत्तर दिया नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा : चमत्कार देखने पर लोग क्या झूठ बोलना, ठगना, चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, नशा आदि छोडेंगे 'नहीं'। 'फिर चमत्कार दिखाने का फायदा क्या है? चमत्कार दिखाने से मेरा 'धम्म' मदारी के खेल की तरह दो कोड़ी का हो जाएगा। लोगों का मनोरंजन होगा पर उनके चरित्र में कोई सुधार नहीं होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर भी तेरे लिए मैं चमत्कार दिखाऊंगा। बाद में उन्होंने राजसभा में सबके सामने कुछ चमत्कार दिखाए। उसे देखकर सुनक्षत्र खुश हुआ पर संघ छोड़कर चला गया। एक दिन वह सड़क के किनारे लावारिस रूप में मरा हुआ पाया गया। बुद्ध ने इस घटना पर भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा- ''देखा आप लोगों ने चमत्कार चाहने वालों का यही हाल होता है।''

उस समय के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला और शूद्रों को धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा अधिकार नहीं थे। वे धार्मिक शिक्षा ग्रहण एवं धर्मोपदेश नहीं कर सकते थे। अर्हत् नहीं बन सकते थे। केवल उपवास आदि पूजा कर सकते थे। उस समय दास-दासी प्रथा प्रचलित थी। उन्हें खरीदा-बेचा जाता था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इस प्रथा पर बहुत बाद में सम्राट अशोक ने रोक लगाई थी। बुद्ध काल में भी आज कि तरह अदालतों में भ्रष्टाचार, झूठ बोलकर सजा दिलाना, झूठे दावों में फँसाना, अपराधी को छोड़ देना आम बात थी। सम्राट अशोक ने ऐसे जजों पर लगाम लगाई थी। नए जज बनाकर निरपराध लोगों को छुड़ाया एवं असली अपराधियों को सजा दिलवाई थी। ऐसा ही सूत्र पालि में भी मिलता जहाँ राजा प्रसेनजित् भ्रष्ट जजों से तंग होकर बुद्ध के पास बैठा था। बुद्ध ने एक अन्य प्रसंग में सिंह सेनापति से कहा था की अपराधी को सजा देना ही चाहिए, अपराधी

को सजा देना पाप नहीं है, बिल्कुल ठीक कार्य है, यह तो राजा का कर्तव्य है। इससे पुण्य ही बढ़ता है। तत्कालीन राजा महाराजा तपस्वी साधकों का बड़ा सत्कार किया करते थे। यज्ञादि कर्मकांड ब्राह्मणों से करवाते थे, इस विषय पर बुद्ध कहते थे- जिस यज्ञ में भाँति-भाँति के भेड़, बकरे या गाएँ मारी जाती हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले महर्षि उसका समर्थन नहीं करते। जातक कथा में महाविजित राजा को उसके पुरोहित ने कहा आपके राज्य में लूटमार होती है। पहले इसे शांत करना चाहिए। इसके लिए आप को कृषि एवं गो-रक्षा में उत्साह रखने वालों को बीज एवं भोजन, वाणिज्य में उत्साह रखने वालों को पूंजी, राजकार्य में उत्साह रखने वालों को भत्ता-वेतन देना चाहिए। इससे ये लोग अपने-अपने काम में लगे हुए आपके जनपद को सतायेंगें नहीं। आपको भी विपुल राशि प्राप्त होगी। बुद्ध इस प्रसंग पर दानयज्ञ, त्रिशरण यज्ञ, शिक्षापद यज्ञ, शील यज्ञ, समाधि यज्ञ, प्रज्ञा यज्ञ का महत्व बताते हैं।

तक्षशिला विद्यापीठ में उस समय आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। जीवक वहीं से पढ़कर वापस पाटलिपुत्र लौट आया था। वह बुद्ध का वैद्य था। राजा बिम्बिमार एवं अजातशत्रु का भी। वह सर्जन भी था, उस समय गोमुत्र और हर्र को औषधी के रूप में प्रयोग किया जाता था (विनयपिटक)। इसके बाद भी रोग ठीक न होने पर मन्त्र-तन्त्र का प्रयोग करना आम बात थी। स्वयं बुद्ध भी 'बोध्यंग सुत्त' का प्रयोग मंत्र के रूप में किया करते थे।[6] पर इसके बाद भी संपूर्ण इलाज नहीं हो पाया इसलिए सम्राट अशोक ने औषधियों के बाग लगाए, कई हॉस्पिटल खुलवाए। पशु एवं मनुष्य दोनों के लिए। इन्होंने होस्पिटलों में आयुर्वेद का विकास जारी रखा। प्रथम शताब्दी में जब सम्राट् कनिष्क ने आयुर्वेद जानने वालों की संगीति बुलाई और उसे पहली बार लिपिबद्ध कराया।

नशापान एवं जुआ खेलना बुद्ध के समय भी था। इसके परिणामों की विस्तार से चर्चा जातक कथाओं में आई है। बुद्ध ने अपने उपदेशों, नैतिक मूल्यों को अमल में लाने के लिए विपस्सना 'ध्यान-साधना' सिखाई है।[7] विपस्सना में साधक को आत्म-अवलोकन एवं विश्लेषण करना सिखाया जाता है। चित्त के दोषों को दूर कर चित्त को स्वच्छ एवं सुदृढ़ करना सिखाया जाता है। सुख-दु:ख के अनित्यता और अनात्मता का अनुभव करना सिखाया जाता है। साधक 'उपेक्षा चित्त' वाला होकर शांति का अनुभव करता है। इस सब में साधक अपनी बुरी आदतों एवं चित्त के साथ उसके जन्म को अच्छी तरह से जानता है। उस जकड़न को सरलता से दूर करना एवं उनसे मुक्त होना जानता है। इस प्रकार निरंतर प्रयास में वह बुरी आदतों से भी मुक्त हो जाता हैं इसी विधि से अनेक लोग नशा एवं

अंधविश्वास से मुक्त होने लगे हैं। उनके व्यक्तिगत परिवर्तन के बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता गया। इस कल्याणमय कार्य को पूर्ण करते सिखाने के लिए कल्याणमित्र भिक्षुओं का बड़ा योगदान रहा।

संदर्भ सूची -

1. दीघनिकाय-1, 1. ब्रह्मजालसुत्त, www.tipitak.org, दीघमज्झिमसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ. 1, वि.वि.वि., ईगतपुरी, नाशिक।
2. दीघनिकाय -1, अंबट्ठसुत्त, दीघमज्झिमसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ. 5
3. संयुत्तनिकाय-1, 3. कोसाल संयुत्त, संयुत्तसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ. 55, www.tipitak.org
4. दीघनिकाय-3, 1. पाथिकसुत्त, www.tipitak.org, दीघमज्झिमसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ. 48
5. दी.नि., कूटदन्तसुत्त; सं.नि.-1, कोसल संयुत्त, www.tipitak.org, संयुत्तसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ. 10,
6. संयुत्तनिकाय-3, बोध्यंग सुत्त; संयुत्तसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ.144, www.tipitak.org
7. दीघनिकाय-2, 9. महासतिपट्ठानसुत्त, www.tipitak.org, दीघमज्झिमसार, सत्यनारायण गोयंका, पृ. 44-46

पालि त्रिपिटक में वर्णित बुद्ध की जीवनचर्या की प्रासंगिकता

डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, लखनऊ (उ.प्र.)

सद्धर्म के प्रचार-प्रसार, संघ की स्थापना आदि दृष्टियों से निश्चय ही बुद्ध एक विभ्राट् पुरुष के रूप में समुपस्थित होते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश बौद्ध परम्परा में किसी एक स्थल पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का समग्र क्रमबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि परवर्ती बौद्ध संस्कृत साहित्य में बुद्ध के समग्र जीवन के विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यह अतिशयोक्तिपूर्ण व कहीं-कहीं किंवदन्तिपरक दिखाई देता है, जबकि प्रारम्भिक त्रिपिटक साहित्य में उनके जीवन का अव्यवस्थित विवरण मिलता है; जिनमें दीघनिकाय के महा परिनिब्बानसुत्त एवं महावग्ग का विवरण प्रामाणिक स्वीकार किया जाता है। और उनके प्रकाश में बुद्ध के जीवन की विशिष्ट घटनाओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सुत्तपिटक, विनयपिटक के अन्य अनेक प्रसंगों से भी क्रमविहीन ही सही, बुद्ध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। इनके समग्र अध्ययन से बुद्ध के जीवन एवं उनके व्यक्तित्व का आकलन करना सम्भव है। क्रमबद्धता की दृष्टि से जीवनी सम्बन्धी उपलब्ध विवरणों के आलोक में बुद्ध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जन्म से लेकर राजगृह में सारिपुत्र एवं मौद्गल्यायन की संघ-दीक्षा तदनन्तर विविध क्षेत्रों में उनके सद्धर्म के प्रचार-प्रसार के सफल प्रयास जैसे दो चरणों में रखकर यहाँ अध्ययन करना सुविधाजनक होगा।

तथागत का जन्म कपिलवस्तु के शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ के रूप में हुआ था।[1] इनके 21 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना के पीछे बौद्ध परम्परा चार विशेष दृश्यों- रोगी, वृद्ध, मृतक एवं संन्यासी का उल्लेख करती है। इन दृश्यों को गौतम द्वारा संसार-त्याग की घटना का प्रेरक तो माना जा सकता है, परन्तु पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं, अपितु इसमें उनके चिन्तनपरक संवेदनशील व्यक्तित्व का कहीं अधिक महत्त्व प्रतीत होता है।

गृहत्याग के पश्चात् गौतम ने दो ब्राह्मण आचार्यों आलार-कालाम एवं उद्रक रामपुत्त को अपना गुरु मानकर उनके सानिध्य में ध्यान की कुछ अवस्थाओं का अभ्यास किया।

इसी प्रकार उरुवेला में तपस्या के दौरान पाँच भिक्षु उनके मित्र बन गए।[2] जिन्होंने यद्यपि बीच में ही पाखण्डी समझकर इनका साथ छोड़ दिया। परन्तु साधना एवं लगन से उन्हें गया में उरुवेला नदी के तट पर सम्बोधि की प्राप्ति होती है और वे सिद्धार्थ से सम्यक् सम्बुद्ध बन जाते हैं। लोगों में विवेक जागरण के लक्ष्य से स्वानुभूत ज्ञान के उपदेश का निर्णय लेते हैं और अपने पूर्व के सहयोगी पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) के योग्य मानकर सारनाथ (ऋषिपत्तन मृगदाव) प्रस्थान करते हैं। उनकी धर्मचक्र प्रवर्तन यात्रा के प्रसंग की दो घटनाओं का भी विशेष महत्त्व प्रतीत होता है।

ऋषिपत्तन यात्रा के प्रसंग में प्रथमतः बुद्ध की तपस्सु तथा भल्लिक नामक दो वणिक-व्यवसायियों से भेंट होती है। दोनों उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खाद्यान्न भेंट करते हैं।[3] प्रारम्भिक पालि साहित्य में इन्हें द्विशरण-गमन द्वारा प्रथम उपासक बनने का श्रेय भी दिया जाता है। पुनः कुछ और आगे बढ़ने पर बुद्ध को उपक आजीविक मिलता है, वह बुद्ध-दर्शन से प्रभावित तो होता है, उनसे उनके गुरु, धर्म-विनय आदि के सन्दर्भ में जिज्ञासा भी व्यक्त करता है; किन्तु बुद्ध के इस वक्तव्य पर, कि उन्होंने बिना किसी आचार्य के स्वयं के प्रयत्न से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनकी वासनाएँ नष्ट हो चुकी हैं और वे काशियों के नगर की ओर धर्मोपदेश करने जा रहे हैं, उदासीनता प्रदर्शित करते हुए चला जाता है।[4]

ऋषिपत्तन मृगदाव पहुँचने पर बुद्ध की भेंट पूर्व में उपेक्षा भाव प्रदर्शित करने वाला पञ्चवर्गीय भिक्षुओं से होती है।[5] बुद्ध उनके समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, जिसे पालि परम्परा में प्रायः धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से स्मरण किया जाता है। पाँचों भिक्षु प्रभावित होते हैं और उनके प्रति श्रद्धा-वन्दन करते हुए प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करते हैं।

बुद्ध ने यहीं से सामान्य जन-मानस को भिक्षु के रूप में दीक्षित करने की प्रक्रिया का सूत्रपात किया एवं वाराणसी के श्रेष्ठीपुत्र यश एवं उसके मित्रों, स्वजनों को दीक्षित कर संघ की स्थापना की। यहीं यश के माता-पिता एवं पत्नी का त्रिशरण-गमन द्वारा गृही उपासिका-उपासक बनने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार काशी से बौद्ध धर्म में गृहत्यागी भिक्षु एवं गृही उपासक-उपासिका बनने की श्रृंखला का न केवल प्रारम्भ होता है बल्कि बौद्ध धर्म संघ के सदस्यों की सांख्यिक वृद्धि होती है। और यहीं वे अपने शिष्यों को 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकम्पाय.....' का महत्त्व समझाते हुए पृथक्-पृथक् दिशाओं में जाकर उपदेश देने का निर्देश देते हैं[6] और स्वयं इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रवंचित तीस भद्रवर्गीयों से उनकी भेंट होती है और वे सभी बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हो संघ के सदस्य बन जाते हैं।

मगध पहुँचने पर बुद्ध का वहाँ के वर्चस्व प्राप्त जटिल काश्यप बन्धुओं से सम्पर्क होता है। इन काश्यप बन्धुओं- उरुवेल नदी एवं गय काश्यप को अपने क्रमशः पाँच सौ, तीन सौ एवं दो सौ अग्निपूजक जटिल शिष्यों के साथ रहने का उल्लेख प्राप्त होता है। यद्यपि प्रथमतः उरुवेला काश्यप से उन्हें सशक्त प्रतिरोध मिलता है, उनके उपदेशों का इन पर प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई देता- अतः उन्हें प्रभावित करने के लिए बुद्ध को प्रतिहार्य प्रदर्शन तक का सहारा लेना पड़ता है। अन्ततः उरुवेल काश्यप अपने शिष्यों के साथ बुद्ध का शिष्य बनता है तथा अपने भ्राता के अनुकरण में नदी एवं गय काश्यप भी अपनी शिष्य मण्डली के साथ संघ में दीक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से संघ को सहस्राधिक सदस्यों की प्राप्ति होती है।

यह संख्या भले ही अतिरंजित हो किन्तु जटिलों का अत्यधिक संख्या में प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं लगता। निश्चय ही मगधवासियों के लिए यह घटना कौतूहलवर्द्धक सिद्ध हुई होगी। बिम्बसार एवं मगधवासियों को इस घटना पर सहसा विश्वास न करने का भी विवरण प्राप्त होता है और उन्हें तभी विश्वास होता है कि जब स्वयं जनसभा में उरुवेल काश्यप बुद्ध के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं।[7] तदपश्चात् राजगृह के संजय परिव्राजक के ब्राह्मण शिष्यद्वय सारिपुत्र एवं मौद्गल्यायन ने अपने 450 शिष्यों सहित बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की और ये सारिपुत्र-मौद्गल्यायन बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में बहुविध सहायक सिद्ध हुए।

बुद्ध के जीवन-वृत्त को उनके द्वारा भिन्न-भिन्न स्थलों पर की गई चारिका एवं सम्पादित कृत्यों के आधार पर निरूपित करना उपयुक्त होगा।

बुद्ध की चारिका एवं बुद्ध की बहुविध वृद्धि-समृद्धि तथा राज्याश्रये की दृष्टि से बौद्ध परम्परा मगध का विशिष्ट स्थल के रूप में उल्लेख करती है। मगधराज बिम्बसार की सद्धर्म-श्रद्धा तो सर्वविदित है ही, किन्तु अजातशत्रु बुद्ध-विरोधी था और किञ्चित् बाद में वह स्वयं भी बुद्ध से प्रभावित होकर उनका उपासक बन गया था।[8] यहीं के पञ्चशाला नामक ब्राह्मण ग्राम के निवासियों ने उन्हें बिना भिक्षा दिए वापस कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्पन्न परिवार के व्यक्तियों एवं नवयुवकों को संघ दीक्षित करने के लिए बुद्ध की आलोचना भी की थी।[9]

मगध की राजधानी राजगृह में ही अत्यन्त प्रतिष्ठित ब्राह्मण महाकास्सप ने संघ-दीक्षा ग्रहण की थी एवं यहीं बुद्ध से इनका चीवर परिवर्तन हुआ था।[10] जिसे बौद्ध परम्परा उत्तराधिकारी चुनने के रूप में ग्रहण करती है। यहीं के कलन्दक निवाप में भगवान बुद्ध ने

''सिगालोवादसुत्त'' जैसा महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया था और अपना दूसरा, तीसरा, चौथा, सत्रहवाँ एवं उन्नीसवाँ वर्षावास भी यहीं व्यतीत किया था। अतः पूर्व प्रतिष्ठित आजीविक, जटिल, निगण्ठ एवं ब्राह्मणों के विरोध, अजातशत्रु की प्रारम्भिक उपेक्षा के बावजूद बुद्ध को अपने सर्वातिशायी व्यक्तित्व से बौद्ध धर्म-संस्थापन में सहायता मिली और समाज के विभिन्न वर्गों ने संघ में प्रवेश लिया जिससे उन्हें बौद्ध धर्म सम्बन्धी अभिनव प्रतिमानों को प्रतिस्थापित करने में बहुशः सफलता मिली।

बुद्ध के धर्मचक्र-प्रवर्तन और काशी में उनकी प्रारम्भिक चर्या पालि परम्परा बुद्ध के अनेक बार काशी आने तथा बौद्ध धर्म-संघ सम्बन्धी उनके कृत्यों के सम्पादन का स्मरण करती है। इस दृष्टि से ऋषिपत्तन मृगदाव महत्त्वपूर्ण तो था साथ ही कीटागिरि, मच्छिकाषण्ड जैसे स्थलों पर भी बुद्ध की चरिया का प्रसंग मिलता है। यहाँ से सुप्पिया उपासिका द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति प्रदर्शित श्रद्धा तो उल्लेखनीय है ही, मच्छिकाषण्ड के चित्रगृहपति को बौद्ध उपासक बनाना भी महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिसका बौद्ध उपासकों में विशिष्ट स्थान लक्षित होता है। यहीं उन्होंने अस्सजी एवं पुनब्बसु जैसे कुत्सित मानसिकता वाले भिक्षुओं को ''कीटागिरि सुत्त'' का उपदेश दिया।[12]

गौतम बुद्ध ने लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत में अपना धर्म-प्रचार किया किन्तु उनके जीवन का अधिकतर भाग कोसल, विशेषकर श्रावस्ती में व्यतीत हुआ। यद्यपि यहाँ आरम्भ में अनेक धर्मावलम्बियों, आजीवको[13] जैन, ब्राह्मणों आदि का वर्चस्व था, किन्तु राज्याश्रय एवं दान-सम्मान से इन्होंने शीघ्र ही अपना महत्त्व बना लिया और बौद्ध धर्म को सर्वाधिक प्रतिष्ठित कर लिया। शाक्य जनपद कोसल के अधीन था तथा कोसल-राज प्रसेनजित स्वयं बुद्ध के इस क्षेत्र-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण अतिशय श्रद्धालु थे।[14] और इन सबका सुफल था कि यहाँ बौद्ध धर्म-संघ की बहुआयामी वृद्धि हुई बौद्ध परम्परा में यहाँ बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास का उल्लेख प्राप्त होता है।

श्रावस्ती में बुद्ध के प्रथम आगमन का श्रेय अनाथपिण्डक को दिया जाना चाहिए, उन्हीं के आमंत्रण पर बुद्ध श्रावस्ती आए थे। और यहीं पर अनाथपिण्डक ने किंवदन्ती के रूप में प्रसिद्ध हो चुके जेतवन का दान बुद्ध को दिया था। उल्लेखनीय है कि जानुस्सोणि, तोदेय्य, चंकि, पोक्खरसाति तथा लोहिच्च जैसे अति सम्पन्न तथा ब्रह्मायु एवं वशिष्ठ जैसे अति विद्वान् ब्राह्मणों ने यहीं बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।[15]

बुद्धचर्य्या तथा संघ के सर्वतोभावेन विकास की दृष्टि से अंग जनपद उल्लेखनीय है।

और यहाँ की राजधानी चम्पा थी तथा यह जनपद मगधराज के अधीन था।[16] सोणदण्ड ब्राह्मण यहीं बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध उपासक बना एवं धर्मसंघ की बहुविध सहायता की। भद्दिया नामक स्थान पर भी बुद्ध के जाने का विवरण मिलता है। यहीं के जातियवन में सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ मेण्डक बौद्ध उपासक बना था और दूसरे दिन बुद्ध एवं भिक्षुओं की भोजनादि से परिचय करते हुए परिजनों को भी बौद्ध उपासक-उपासिका बनने की सफल प्रेरणा दी थी। यहाँ के अंगुत्तराप में बुद्ध को बारह सौ पचास भिक्षुओं के साथ विहार करने का भी उल्लेख मिलता है।

वज्जि जनपद की राजधानी वैशाली निगण्ठों के केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित थी।[17] इसके उपरान्त भी बुद्ध को यहाँ पर्याप्त सफलता मिली। बौद्ध परम्परा बुद्ध के तीन बार वैशाली आगमन का उल्लेख करती है। वैशाली की महावन कूटागारशाला में बुद्ध अनेक अवसरों पर निवास करते तथा उपदेश देते हुए वर्णित हैं। यहीं पर निगण्ठ भिक्षु सच्चक को बुद्ध ने पाँच सौ लिच्छवियों की सभा में पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी, एवं सच्चक ने भी उनमें अपनी श्रद्धा व्यक्त कर भोजन हेतु आमंत्रित किया था।[18] वैशाली के निगण्ठ उपासक लिच्छवि-सेनापति सीह को बौद्ध उपासक बनाना निगण्ठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। यहीं की सुप्रसिद्ध गणिका अम्बपाली बुद्ध की उपासिका बनी थी तथा भोजनोपरान्त उसने आम्रवन का दान दिया था। वैशाली में बुद्ध के पाँचवें वर्षावास का उल्लेख प्राप्त होता है।

शाक्य जनपद का बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में तो महत्त्व है ही, यहाँ के अनेक क्षत्रिय राजकुमारों की संघ-दीक्षा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यहाँ के देवदत्त द्वारा कुछ समय तक बुद्ध के समानान्तर नेतृत्व पद प्राप्ति का विवरण मिलता है। स्वयं बुद्ध अपनी मातृ-स्वशा के निवेदन पर स्त्रियों के लिए संघ-प्रवेश की अनुमति देते हैं।

राहुल की प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा का विवरण महावग्ग में प्राप्त होता है तथा स्वयं बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोदन के आग्रह पर अल्पवयस्कों को प्रव्रज्या देने के पूर्व माता-पिता की अनुमति का विधान बनाया था।[19] उल्लेखनीय है कि बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन का प्राचीन पालि साहित्य में कोई विश्वसनीय विवरण सुरक्षित प्राप्त नहीं होता है।

कपिलवस्तु के पूर्व अवस्थित कोलिय जनपद बुद्ध के ननिहाल के रूप में उल्लिखित है।[20] परवर्ती बौद्ध परम्परा शाक्यों एवं कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के जल के बँटवारे का विवाद हल करने का श्रेय बुद्ध को ही प्राप्त होता है। भिक्षुणी-संघ की स्थापना में भी

प्रज्ञापति गौतमी के साथ कोलिय महिलाओं की भी उल्लेखनीय भूमिका थी। यहीं की सुप्पवासा भिक्षादायिकाओं में प्रथम घोषित हुई थी। यहाँ के हलिवसन एवं सन्जलेन ग्राम का भी बुद्धचारिका के प्रसंग में उल्लेख प्राप्त होता है।

वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी का बुद्धचारिका एवं बौद्ध धर्म की दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व लक्षित होता है। यहाँ का बुद्धकालीन शासक उदयन न केवल उपासक बना बल्कि बौद्ध धर्म के सर्वक्षेत्रीय विकास में उसके राज्याश्रय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसी अनुसार यहाँ के वणिक श्रेष्ठि वर्ग को भी बुद्ध के प्रति अतिशय सम्मान दिखाई देता है।

भर्ग देश में स्थित भैसकलावन मृगदाव का भी बुद्धचर्या के प्रसंग में उल्लिखित है। बुद्ध ने आठवाँ वर्षावास यहीं पर व्यतीत किया था। यहीं पर बुद्ध ने नकुल माता-पिता जैसे लोगों को उपासिका-उपासक बनाया। अङ्गुत्तरनिकाय में उपासक-उपासिकाओं में इनकी श्रेष्ठता का वर्णन है।

प्राचीन पालि साहित्य के सामान्य अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध ने एकाधिक बार चेतिय जनपद में चारिका की एवं उपदेश दिए।[21] यहाँ का सहजाति निगम भी आयुष्मान महाचुन्द के निवास की दृष्टि से प्रतिष्ठित था।[22] यह स्थल अनुरुद्ध के अर्हत्व प्राप्ति के लिए भी सुख्यात है।[23] इसी जनपद के जन्तु नामक ग्राम में भी बुद्ध के जाने का प्रसंग प्राप्त होता है।

बुद्ध की चारिका में वेरञ्जा का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध परम्परा में इसी तथ्य को लेकर विवाद है कि बुद्ध किसके आमंत्रण पर वहाँ गए थे। जहाँ प्रारम्भिक पालि परम्परा बुद्ध के वेरञ्जा-आगम का श्रेय वेरञ्जक ब्राह्मण के आमंत्रण को देती है वहीं सर्वास्तिवादी परम्परा ब्राह्मण शासक अग्निदत्त को। वेरञ्जा में बुद्ध का उचित आदर-सत्कार नहीं हुआ था, परन्तु बुद्ध स्वयं निर्मित नियम वर्षावास तोड़कर अन्यत्र जाने का उपक्रम भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ से गुजर रहे व्यापारियों द्वारा प्रदत्त अन्न पर वर्षावास व्यतीत किया। चूंकि उस समय वेरञ्जा अकालग्रस्त था, व्यक्ति के लिए अपनी आजीविका चलाना ही कठिन था, अतः ऐसी स्थिति में बुद्ध एवं भिक्षु-संघ की उचित देखभाल न होना स्वाभाविक लगता है।

इस कुल से स्वयं वेरञ्जक ब्राह्मण भी आहत था। उसने बुद्ध की विदाई के अवसर पर क्षमा-प्रार्थना के साथ उनको भिक्षु-संघ सहित भोजन हेतु आमंत्रित किया तथा बुद्ध को त्रिचीवर तथा भिक्षुओं को धुस्स के एक-एक जोड़े भी प्रदान किए।

कतिपय साक्ष्यों से बुद्ध के मथुरा जाने का भी प्रमाण मिलता है। वेरञ्जा जाने के प्रसंग को देखे हुए यह सम्भव भी प्रतीत होता है। कुरु जनपद स्थित कम्मासदम्म निगम का भी बुद्ध की चारिका की दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। यहीं पर प्रथमतः तो मागन्दिय बुद्ध के व्यवहार से कुपित हुआ था, परन्तु बाद में उनके उपदेश से प्रभावित होकर भिक्षु बन गया था।[24]

मल्ल जनपद बुद्ध की चारिका की दृष्टि से ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नहीं है, वरन्- राजकीय प्रश्रय एवं बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि के रूप में भी विख्यात है। कुशीनारा में इनके द्वारा रोजमल्ल को प्रभावित करने और उसके अनुरोध पर खाद्य सम्बन्धी कतिपय नियमों में छूट देने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। चारिका के एक अन्य प्रसंग में बुद्ध ने वैशाली से यहाँ के लिए प्रस्थान किया। भण्डग्राम भोगनगर होते हुए पावा नगर के चुन्दकर्मारपुत्र के यहाँ पहुँचकर विश्राम किया और उसके अनुरोध पर सूकरमद्दव का भोजन कर अस्वस्थ हो गए। यहाँ से कुशीनारा की यात्रा के बीच आलार-कलाम के शिष्य पक्कुस मल्लपुत्त के बौद्ध उपासक होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

मल्लों के उपत्तन शालवन में अस्वस्थ हों विश्राम करने लगे। यहीं पर सुभद्द नामक परिव्राजक उनसे प्रभावित होकर उनके द्वारा दीक्षित अन्तिम भिक्षु बना।

भगवान् बुद्ध ने अपने अन्तिम वक्तव्य में भिक्षुओं को परस्पर सद्भाव से रहने, धर्म-विनय को शास्ता मानने, नियमों में यथेष्ट परिवर्तन करने का निर्देश दिया। यहीं उन्होंने अपने जीवन से सम्बद्ध-जन्म, बोधि- प्राप्ति धर्मचक्र-प्रवर्तन एवं परिनिर्वाण, जैसे महत्त्वपूर्ण घटनाओं से सम्बन्धित स्थलों क्रमशः लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा इन स्थलों की बौद्ध तीर्थस्थलों के रूप में घोषणा की। तथागत के पार्थिव शरीर को चक्रवर्ती राजा के समान सम्मान देने, उस पर स्तूप निर्माण आदि की उद्घोषणा करते हुए वे यहीं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

वैशाली से कुशीनारा की यह यात्रा न केवल बुद्ध की चारिका की बल्कि जीवन की अन्तिम यात्रा के रूप में सिद्ध हुई। चुन्द कम्मारपुत्त का सूकरमद्दव अन्तिम भोजन, पक्कुस मल्लपुत्त अन्तिम उपासक तथा सुभद्द अन्तिम भिक्षु सिद्ध हुए; बल्कि अन्त में आनन्द आदि की जिज्ञासा-शमन के प्रसंग में दिया गया वक्तव्य अन्तिम उपदेश सिद्ध हुआ, जिसे बौद्ध परम्परा ''महानिब्बानसुत्त'' के रूप में सश्रद्धा स्मरण करती है।[25]

सन्दर्भ ग्रन्थ–

प्रारम्भिक बौद्धधर्म-संघ एवं समाज, डॉ. शिवाकान्त बाजपेयी संस्करण 2002 प्रकाशक-ज्ञानभारती पब्लिकेशन्स, दिल्ली

सन्दर्भसूची

1. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, पृ.सं. 40
2. मज्झिम निकाय 'बोधि राजकुमारसुत्त'।
3. विनय महावग्ग, 1.4
4. विनय महावग, 1.6.7-9
5. कौण्डिन्य, वप्प, भद्दिय, महानाम तथा अश्वजित-यही पाँचों मित्र बौद्ध परम्परा में 'पञ्चवर्गीय भिक्षु' के नाम से विख्यात हैं।
6. विनय महावग्ग, 1.11, नालन्दा प्रकाशन 'चरन्थ भिक्खवे चारिकम्- बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय लाकानुकम्पाय, अत्थाय हिताय, सुखाय देवमनुस्सानं। मा एकेन द्वे आगमित्थ देसेघ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्झे कल्यानं....पकासेम।'
7. विनय महावग्ग, 1.22.6; डिक्शनरी ऑव पालि प्रापर नेम्स, जि.-2 पृष्ठ सं. 286 पाद टिप्पणी।
8. दीघ निकाय 'सामञ्ञफल सुत्त'।
9. संयुक्तनिकाय, 4.18 (पिण्डसुत्त)
10. संयुक्तनिकाय 16.11 (चीवरसुत्त)
11. संयुक्तनिकाय 41.1 चित्तसंयुत्त, अंगुत्तरनिकाय, 2.12.3, 4.18.6 (आयाचन सुत्त)।
12. मज्झिमनिकाय, ''कीटागिरि सुत्त''।
13. हिस्ट्री एण्ड डाक्ट्रूनि ऑव आजीविकाज, बैशम, ए.अ., पृ.सं.-132
14. मज्झिमनिकाय भाग-2, पृ.सं.-124
15. मज्झिमनिकाय ''चूलहत्थिपदोपम्-सुत्त''।
16. दीघनिकाय, ''सोणदण्डसुत्त''।
17. दि हिस्ट्री ऑव जैन मोनाशीज्म फ्राम इन्सक्रिप्शन्स एण्ड लिटरेचर, शान्ताराम भालचन्द्र, पृ.सं-71
18. 'मज्झिमनिकाय चूलसच्चकसुत्त'।
19. विनय महावग्ग 1.54
20. बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, भरतसिंह उपाध्याय, पृ0 307
21. दीघनिकाय 'जनवसभसुत्त'।
22. अंगुत्तरनिकाय, 10.9.5 (महाचुन्दसुत्त तथा कुत्थी सुत्त), 6.5.4 (महाचुन्दसुत्त)
23. अंगुत्तरनिकाय, 8.3.10 (अनुरुद्ध महावत्तिक सुत्त)।
24. थेरीगाथा, गाथा सं. 92-96, रीस डेविड्स, सिस्टर्स गाथा, 42, पृ.सं. 57॥
25. दीघनिकाय, 'महापरिनिब्बानसुत्त'।

संयुत्तनिकायपालि का व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता

डॉ. वेदव्यास पाण्डेय, लखनऊ (उ.प्र.)

सुत्तपिटक का तीसरा निकाय संयुत्तनिकाय है। इस ग्रन्थ में छोटे-बड़े सभी प्रकार के 7762 सुत्तों का संग्रह है। जो पाँच वग्गो में विभक्त है, यथा- सगाथवग्ग, निदानवग्ग, खन्धवग्ग, सळायतनवग्ग, एवं महावग्ग, जिनमें क्रमशः 11, 10, 13, 10,12 अर्थात् कुल मिलाकर 56 संयुत्त है। सगाथवग्ग का नामकरण इसमें प्राप्त गाथाओं के आधार पर हुआ है तो वही इसके संयुत्तों का नामकरण संयुत्त के प्रमुख श्रोता के आधार पर किया गया है, जैसे देवतासंयुत्त के प्रमुख श्रोता देवता है, कोसलसंयुत्त के प्रमुख श्रोता कोसलराज प्रसेनजित है आदि। सगाथवग्ग को छोड़ कर अन्य वग्गो का नामकरण उस वग्ग के प्रथम संयुत्त के नाम पर किया गया है, जैसे- निदानवग्ग निदान-संयुत्त, खन्धवग्ग खन्धसंयुत्त, सळायतनवग्ग सळायतन संयुत्त एवं महावग्ग महा-संयुत्त। इस निकाय के स्रोताओं को मुख्य रूप से दो भागों में बाट सकते हैं, यथा- मनुष्य एवं मनुष्येतर। मनुष्य के अन्तर्गत राजा, ब्राह्मण, भिक्षु, भिक्षुणिया, श्रावक एवं श्राविकाये आदि है। मनुष्येतर के अन्तर्गत देवता, देवपुत्त, वनदेवता, यक्ष एवं शक्र आदि है। हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर में विण्टरनित्ज महोदय कहते हैं कि संयुत्तनिकाय के वर्गीकरण में तीन सिद्धान्तों का पालन किया गया मालूम पड़ता है। 1- बुद्ध धर्म के किसी मुख्य पहलू का विवेचन करने वाले सुत्तों को एक संयुत्तों में रख दिया गया है, जैसे बोध्यंग संयुत्त आदि। 2- मनुष्य, देवता या यक्ष आदि के निर्देश के आधार पर उनका अलग-अलग वर्गों में विभाजन है, जैसे देवतासंयुत्त आदि। 3- वक्ता या उपदेष्टा के रूप में जो प्रधान व्यक्ति अनेक सुत्तों में दृष्टिगोचर होते हैं, उससे सम्बन्धित उपदेशों को एक संयुत्त में सम्मिलित कर दिया गया है, जैसे सारिपुत्तसंयुत्त आदि।[1]

संयुत्तनिकाय की विषय वस्तु को हम निम्न भागों में बाट सकते हैं- दार्शनिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, स्त्रीविमर्श, नीतिशास्त्र, एवं बुद्धस्तुति आदि। जिसके सम्बन्ध में बुद्ध या बुद्ध शिष्यों द्वारा व्याख्यान किया गया है।

दार्शनिकदृष्टिः- इस निकाय में दर्शन से सम्बन्धि विचारों की प्रधानता है। बुद्ध की प्रमुख दार्शनिक शिक्षा अर्थात् चार आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद, त्रिलक्षण, आदि का अनेक दृष्टिकाणो से प्रतिपादनकिया गया है। इस विषय से संबन्धित दो अत्यन्त प्रमुख गाथा जटा सुत्त में प्राप्त होता है जो इस प्रकार है

अन्तो जटा वहि जटा, जटाय जटिता पजा।

तं तं गोतम पुच्छामि, को इमं विजटये जटं नि।।[2]

भीतर जटा है, बाहर जटा, यह प्रजा जटा से जटित है। हे गौतम मैं यह पूछता हूँ कि कौन इस जटा को सुलझा सकता है।

इस प्रश्न के प्रति-उत्तर में बुद्ध कहते हैं कि-

सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो, चित्तं पञ्ञं च भावयं।

आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं ति।।[3]

शील में प्रतिट्टित कोई प्रज्ञावान् नर, समाधि एवं विपश्यना की भावना करते हुए, विर्यवान् निपक भिक्षु ही इस जटा को छिन्न-भिन्न कर सकता है। इस गाथा में शील, समाधि एवं प्रज्ञा का प्रमुख रुप से उल्लेख किया गया है। जो बौद्ध दर्शन की आधार शीला है। इन्हीं दो गाथाओं को आचार्य बुद्धघोष की परीक्षा लेने के लिए लंका के भिक्षु-संघ ने दी थी, जिनकी व्याख्या करते हुए उन्होंने विसुद्धिमग्ग की रचना की जो बौद्ध-दर्शन के साधना पक्ष पर लिखी गई प्रामाणिक ग्रन्थ है।

इस निकाय के विभिन्न प्रसंगों में बुद्ध ने मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ बतलाते हुये। दोनों अन्तों की भर्त्सना करते हुए उसे हीन निम्न तथा दुःख रूप बतलाया है। काम सुख के विषय में भिक्षुओं से चर्चा करते हुए कहते हैं कि कामभोगों में आसक्त, कामभोगों से अन्धा बने, किसी सीमा की चिन्ता नहीं करने वाले को कटु फल होता है। जिस प्रकार जाल में पड़ी मछलियों का परिणाम कडुआ होता है।[4] रासिय सुत्त में कामभोगों के प्रकार एवं उनके गुण-दोष का वर्णन बड़े ही विस्तृत रूप से किया है।

1. कोई कामभोगी अधर्म एवं हृदयहीनता में कामभोगों को पाने की कोशिश करता है तो वह कामभोगों को पाकर वह न तो अपने को सुखी बनाता है, न आपस में बांट कर पुण्य करता है। इस प्रकार वह आदमी तीन प्रकार से निन्द्य होता है- अधर्म और हृदयहीनता की अजीविका से, स्वयं उपभोग न करने से तथा आपस में न बांटकर पुण्य न कमाने से।[5]

2. कोई अधर्म से भोगों के पाकर आपस में न बांटता है, न पुण्य कमाता है- इस प्रकार वह दो से निन्द्य है, लेकिन वह स्वयं अपने को सुखी बनाता है। इस एक से प्रशंसनीय है–

वजिरा सुत्त में अनात्मवाद से सम्बन्धित विषयत्पर चर्चा भिक्षणी वजिरा एवं माट के साथ हुआ है। माट ने यह प्रश्न वजिरा भिक्षुणी के सम्मुख उपस्थित करता है कि दार्शनिक विषय का प्रतिपादन हुआ है इस सुत्त में। एक गाथा प्राप्त होता है जो इस प्रकार है–

यथा हि अङ्गसम्भारा, होति सद्दो रथो इति।

एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सुत्तोति सम्मुति।।[6]

ऐतिहासिकदृष्टि- सकलिक सुत्त में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि देवदत्त ने एक सीलाखण्ड को बुद्ध के उपर फेंका था। फेंके गए पत्थर के टुकड़े से बुद्ध के पैर में चोट लग गई थी। जिसके कारण बुद्ध के शरीर में दु:खद तीव्र कठोर एवं असाध्य वेदनाएँ होने लगीं। बुद्ध स्थिरचित्त, स्मृतिमान तथा सम्प्रज्ञ होकर कटु वेदनाओं को सहन कर रहे थे। उसी समय सात सौ देवता उनके सम्मुख पहुंचे तथा उनके सहन शक्ति को देखकर उन्हें हाथी, सिंह, आजानीय अश्व एवं वृषभ की उपमा से सम्बोधित किया।[7]

ऐसा प्रतीत होता है कि इसी सुत्त के आधार पर बौद्धकला के चिह्नों में इन पशुओं की आकृति को प्रमुखता दी जाने लगी। इस सुत्त का प्रभाव सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह- स्तम्भ पर भी दृष्टिगोचर होता है, जिस पर सिंह, हाथी, अश्व एवं वृषभ की आकृतियाँ अंकित है।

राजनैतिक दृष्टि–

दुतियसंगामसुत्त से यह ज्ञात होता है कि मगधराज अजातशत्रु और कोशलनरेश प्रसेनजित के बीच काशी प्रदेश को लेकर युद्ध हुआ था। प्राथमिक विजय अजातशत्रु की हुई, किन्तु अन्तत: वह पराजित हो गया तथा प्रसेनजित के द्वारा बन्दी बना लिया गया। पुन: उसने यह विचार करते हुये अजातशत्रु को छोड़ दिया कि यद्यपि यह वैदेहिपुत्र मगधराज अजातशत्रु मेरा विश्वासघाती शत्रु बना हुआ है। परन्तु है तो मेरा भानजा ही। अत: क्यों न मैं इसकी सारी हस्तिसेना, अश्वसेना एवं पैदल सेना छीनकर इसे जीवित ही छोड़ दूँ। दोनों राज्यों के बीच में सम्बन्ध अच्छे हो इस दृष्टि से कोशलनरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्रा का उसके साथ विवाह कर काशी-प्रदेश उसे भेंट-स्वरूप प्रदान किया। अत: वर्तमान समय में यह सुत्त बुद्धकालीन राजनैतिक स्थीति को जानने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

स्त्रीविमर्श–

मल्लिका सुत्त से स्त्री के महत्व के विषय में सूचना प्राप्त होती है। यह सुत्त लड़की पैदा होने पर उस समय की सामाजिक स्थीति को दर्शाता है। कोशल–राज प्रसेनजित श्रावस्ती में बुद्ध के साथ बैठे थे। उसी समय किसी भृत्य ने आकर कान में उन्हें कहा कि मल्लिका देवी को लड़की पैदा हुई है। यह सूचना प्राप्त होने पर राजा उदास हो गया। इस पर बुद्ध ने स्त्री के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि राजन! कोई–कोई स्त्रियाँ भी पुरुषों से उत्कृष्ट, बुद्धिमती, शीलवती, सास की सेवा करने वाली और पतिव्रता होती है, अतः आपको इनका अच्छी रीति से पालन–पोषण करना चाहिए। जिनसे आगे चलकर महान शूर–वीर तथा दिशाओं को जीतने वाला राजा पैदा होता है जो सुदृढ़ अनुशासक होता है।[9] इस प्रकार बुद्ध ने स्त्रियों के महत्व को दर्शाया जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी दृष्टिगोचर होता है।

नीतिशास्त्र–

यह निकाय बुद्ध एवं उनके शिष्यों के नैतिक एवं दार्शनिक उपदेशों के साथ–साथ नीति परक उपदेशों का भी संग्रह है। सगाथवग्ग के दरहसुत्त में बुद्ध ने प्रसेनजित को नीति परक उपदेश देते हुये कहते है कि–

भुजंगमं पावकं च, खत्तियं च यसस्सिनं।

भिक्खु च सीलसम्पन्नं, सम्मदेव समाचरेनि॥[10]

बुद्धिमान् पुरूष को चाहिये कि वह अपना हित देखता हुआ राजा, साँप, अग्नि एवं शीलसम्पन्न भिक्षु के साथ सदा सम्यक् आचरण करें।

न वण्णरूपेन नरो सुजानो, न विस्ससे इत्तरदस्सनेन।

सुसञ्ञतानम्हि वियञ्जनेन, असञता लोकमिमं चरन्ति॥[11]

किसी मनुष्य के बाह्य रूप रंग से, हाव भाव से उसको नहीं पहचाना जा सकता। अतः केवल देखने मात्र से उस पर विश्वास न करें। अच्छे भले संयमी का अभिनय करते हुये बड़े बड़े धूर्त भी इस लोक में विचरण किया करते हैं।

सामाजिकः–

इस निकाय में बुद्धकालीन सामाजिक स्थिति का उल्लेख प्राप्त होता है। अपुत्तक–सुत्त में धन संचय करने वाले एक कंजूस निपूत सेठ के मरने का उल्लेख है। कोशलराज प्रसेनजित् दोपहर में भगवान् के पास आये और बोले– भन्ते! श्रावस्ती का एक सेठ गृहपति मर गया

है। उस निपूत के धन को मैं राजकोष में भिजवा कर आ रहा हूँ। भन्ते! अस्सी लाख अशर्फियाँ प्राप्त हुई है, रूपयों की तो बात क्या? आगे सेठ के भोजन एवं कंजूसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह सेठ मट्ठा के साथ खुद्दी का भात खाता एवं तीन पेबंद लगे हुए टाट का कपड़ा पहनता था, रथ भी जर्जर एवं पत्तों से अच्छादित था।[12] इस पर बुद्ध ने उसकी कंजूसी पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जैसे मनुष्य से रहित स्थान में शीतल जल बिना पिये ही सूख जाता है, उसी प्रकार बुरे लोग धन पाकर, न तो अपने भोग करते हैं और न दान देते हैं। लेकिन जो धीर और विज्ञ पुरूष भोगों को पा, उसका उपयोग करते हुये सगे सम्बन्धियो का पालन-पोषण करता है वह विज्ञ पुरूष निन्दा रहित हो स्वर्ग को प्राप्त करता है।[13] इस प्रकार बुद्ध ने दोनों अन्तों अर्थात् अत्यधिक भोग विलास एवं अत्यधिक कंजूसी का निरोध कर मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ बतलाया है।

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त इस निकाय में चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित ज्ञान कि प्राप्ति होती है। इन्दकसुत्त में किसी यक्ष द्वारा बुद्ध से शरीर के निर्माण के विषय में पुछे जाने पर बुद्ध कहते हैं कि सर्वप्रथम कलल होता है, तब कलल से अर्बुद (पिण्डावस्था) बनता है। अर्बुद से पेशी बनती है। पेशी से घन (स्थूल आकार) बनने लगता है। घन से शाखा प्रशाखाएं तथा केश, लोभ, नख आदि बनते हैं। इस सत्व की माता जो कुछ अन्न-पान भोजन करती है, प्रीति है, उसी भोजन से माता के गर्भस्थान में इस मानव शरीर का पोषण होता है।[14]

यही क्रम भागवत में इस प्रकार प्राप्त होता है जो इस प्रकार है- एक रात में कलल, पाँच रात में बुदबुद, दस में कर्कन्धु, उसके पश्चात् पेशी। एक महीने में शिर, दो मास में बाहु आदि अंग और तीन मास में नख, लोभ, चर्म तथा लिंगच्छेद होते हैं। 15 इस निकाय में शरीर निर्माण से सम्बन्धित जो उल्लेख है वही भागवत एवं आज के समय में वैद्यक शास्त्र में भी प्राप्त होता है।

इस प्रकार संयुत्तनिकाय में दर्शन के क्षेत्र में मध्यममार्ग की व्याख्या प्रतीत्यसमुत्पाद के रूप में की जाती है। आचरण के क्षेत्र में जहाँ दो अन्तों कामसुख एवं कठोर तपस्या का प्रतिपादन किया जाता है, वहीं विचार के क्षेत्र में दो अन्त शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद है। बौद्ध दर्शन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, जो रागक्षय, द्वेषक्षय एवं मोहक्षय रूप है। बुद्ध ने सामाजिक परम्पराओं में सुधार करने के लिए भी गृहस्थों के प्रति उतना ही ध्यान दिया है जितना भिक्षु एवं भिक्षुणियों। इस निकाय में देवता, देवपुत्त, ब्रह्मा, यक्ष, मार, इन्द्र

आदि अनेक अलौकिक शक्तियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्मा को सद्धर्म में सहायक तथा मार को सद्धर्म का विरोधी बतलाया गया है। देवता, देवपुत्त, यक्ष एवं इन्द्र को सद्धर्म में श्रद्धालु चित्रित किया गया है। कुछ यक्षों को मार के समान आचरण करने वाला प्रतिपादित किया गया है एवं ब्रह्मा को अच्छे आदर्श के रूप में। वर्तमान समय में भी इन सभी शक्तियों का हिन्दू परम्परा में विशिष्ट स्थान है।

इसमें सामाजिक व्यवस्था का भी अच्छा चित्रण मिलता है। जन्मना वर्णव्यवस्था का खुला विरोध किया गया है। समाज में प्रतिष्ठित ब्राह्मण संज्ञा कर्मों के आधार पर वर्णित की गई है। ब्राह्मण को बौद्ध धर्म के गुणों के आधार पर श्रमणों के समान महत्त्व दिया गया है। नारियों की स्थिति का चित्रण करते हुए पुरुष की अपेक्षा उनके प्राकृतिक अक्षमताओं एवं कष्टों की ओर ध्यान दिलाते हुए परमपद की प्राप्ति में समान बतलाया है। राजनीतिक स्थिति के रूप में राजा प्रसेनजित से सम्बन्धित अधिक वृत्तान्त है॥

इस तरह संयुत्तनिकाय में बुद्ध के जीवन, धर्म-दर्शन एवं उस समय की स्थिति का चित्रण मिलता है।

संदर्भ–

1. हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर, विण्टरनित्ज महोदय,
2. संयुत्तनिकाय सगाथवग्ग, पालि-अध्ययन-केन्द्र, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, लखनऊ परिसर, सन्-2012, पृ.-24.
3. वही,पृ.- 24
4. संयुत्तनिकाय सळायतवग्ग, पालि-अध्ययन-केन्द्र, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, लखनऊ परिसर, सन्-2018, पृ. 557
5. वही.,पृ.- 560
6. वही, पृ.-269, भिक्खुणि संयुत्त
7. वही, पृ.-49,50
8. वही, पृ.-165
9. वही, पृ.-166
10. वही, पृ.-133
11. वही, पृ.-153.

अपदान का व्यवहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता

डॉ. प्रियंका, लखनऊ (उ.प्र.)

साहित्य समाज का दर्पण होता है, नदी के प्रवाह के सदृश उसका परिवर्तन नित्य है। जैसे-जैसे समाज बदलता जाता है, वैसे-वैसे ही साहित्य भी अपना नूतन स्वरूप ग्रहण करता जाता है और भाषा से उसका पार्थक्य भी होता जाता है। इतना ही नहीं काल-परिवर्तन के साथ भाषा भी बदलती जाती है और भाषा तथा समाज के परिवर्तन के साथ साहित्य बदलता जाता है। भारत के प्राचीन साहित्यों के अध्ययन से विदित होता है कि जिस समय हमारे पूर्वज अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्राचीनतम भाषा आदि प्राकृत बोलते थे, उस समय भी उनका एक विशिष्ट साहित्य था। उस युग के हमारे पूर्वजों के भाव, जिस साहित्य में संकलित हैं, उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। इसी प्रकार पालि साहित्य का उद्भव और विकास तथागत के वचनों के माध्यम से स्वीकार है। भगवान् बद्ध ने संबोधि-प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यन्त प्राणियों के हित में जो उपदेश दिये, वे ही पालि-साहित्य के मूलाधार हैं। भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मौखिक परम्परा में विद्यमान उनके उपदेशों को सुरक्षित एवं चिरस्थायी बनाने के लिए पर्याप्त सतर्कता अपनायी गयी। स्थविर महाकाश्यप ने विनय एवं धर्म के संज्ञायन के निमित्त संगीति का आयोजन किया। प्रथम संगीति में स्थविर महाकाश्यप ने उपालि से विनय सम्बन्धित और आनन्द से धर्म सम्बन्धित बाते पूछीं। इस संगीति में सुत्त और विनय का मौखिक संगायन किया गया।[1]

तत्पश्चात् वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं द्वारा नियमविरुद्ध आचरण को देखकर द्वितीय संगीति को बुलाया गया। इस संगीति में विनय एवं धर्म का मौखिक संगायन किया गया। तृतीय संगीति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि सम्राट अशोक ने देखा कि द्वितीय संगीति में स्थविरवादि एवं महासांघिक के भेद से अष्टादश निकाय हो गये थे। अतः वे चिन्तित हो उठे और पुनः संगायन पाटलिपुत्र में करवाया। तत्पश्चात् अपने पुत्र महेन्द्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। वहीं चतुर्थ संगीति का संगायन हुआ और राजा व गामिनी के सानिध्य में त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया।

त्रिपिटक के निकाय ग्रन्थों में अपदानपालि सुत्तपिटक खुद्दकनिकाय के पन्द्रह ग्रन्थ-समूहों में से क्रम संख्या तेरह पर आता है, जिसके अन्तर्गत बुद्धापदान, पच्चेकबुद्धापदान, थेरापदान के साथ-साथ बुद्ध के पूर्व जन्मों के उत्तम एवं त्यागपरायण कर्मों, थेरी-अपदान तथा अन्य बौद्ध सन्तों के पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मों के कथानक गाथाओं में हैं, इनमें से अनेक कथानक, थेरगाथा अट्ठकथा एवं थेरीगाथा अट्ठकथा में भी उपलब्ध है तथा बौद्ध संस्कृत के दिव्यावदान, अवदानशतक एवं अवदानकल्पलता में प्राप्त होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। त्रिपिटक का प्रत्येक ग्रन्थ अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विषयवस्तु की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगि और सार्थक है। जिसमें से अपदान का विशेष महत्त्व है क्योंकि इसमें भिक्षु-भिक्षुणियाँ अपने इस जन्म की ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के कर्म एवं कर्मफल के विषय में भी बतलाते है।

भगवान बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं ही अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं। अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बन्धन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ-अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ-अशुभ प्राप्त होंगे। और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है। वह हमारे ही किए का परिणाम है।[2]

जो दार्शनिक पुनर्जन्म को मानते हैं, चाहे पुनर्जन्म लेने वाला वैदिक दर्शनानुसार शाश्वत आत्मा हो अथवा बौद्धदर्शनानुसार क्षणिक विज्ञान प्रवाह हो, पुनर्जन्म तो पूर्वकर्म का ही फल है। यह वैदिक वाङ्मय से लेकर बौद्ध जैन वाङ्मय तक से पूर्णतः समर्थित है। अपदान में कर्म-कर्मफल का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। ग्रन्थ में शुभ कर्म करने और पुनर्जन्म ग्रहण करने पर उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इस पर थेर-थेरियां गाथाओं के द्वारा व्यक्त करती है। थेर-थेरियां बतलाते है कि वे निकृष्ट कर्म कर निकृष्ट स्थानों पर पड़े थे। परन्तु जब वे तथागत को देखते है तो उन्हें दानादि देते है जिसके परिणमस्वरूप वे भव चक्र में संसरण करने से मुक्त हो जाते हैं तथा अपने किये हुए कर्मफल को बतलाते है।

आज के समय में कोई भी व्यक्ति अशुभकर्म करने से पहले किंचित् विचार नहीं करता और बाद में दुःखी होते हैं। यह अपदान का व्यवहारिक पक्ष है जिस पर वर्तमान में विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

अपदान ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक साहित्य का अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चार भागों में विभक्त है- बुद्धापदान, पच्चेकबुद्धापदान, थेरापदान एवं थेरी-अपदान। अपदान ग्रन्थ को थेरगाथा, थेरीगाथा का पूरक ग्रन्थ कह सकते हैं क्योंकि इसमें उन्हीं थेर-थेरियों के चरित हैं।

अपदान शब्द का अर्थ जीवन-चरित है। यह ग्रन्थ प्राचीन आत्मकथा आटोबायोग्राफी का बहुत ही प्राचीनतम नमूना कहा जा सकता है। पच्चेकबुद्धापदान में 40 प्रत्येक बुद्धों द्वारा कही गयी गाथाएं हैं, जो सभी सुत्तनिपात के खग्गविसाणसुत्त की हैं। खागविसाण-सुत्त के समान प्रत्येक बुद्ध प्राणी के एकान्तशील जीवन के सम्बन्ध में उदात्त गाथाएं हैं। थेरापदान में 550 थेरों के जीवन-चरित हैं। जिसमें बुद्धशिष्य, मोग्गल्लान, महाकाश्यप, अनुरुद्ध, पूर्णमैत्रायणीपुत्र, उपालि, अज्ञात कौंडिन्य, पिंडोलभारद्वाज, खदिरवनीय रेवत ने अपने जीवन-चरित को बतलाया है। इन जीवन-चरितों का मुख्य उद्देश्य धर्म में प्रवृत्त करना है तथा सभी चरित शिक्षाप्रद हैं। इसमें ये सभी धूप, दीप, स्तूप निर्माण, माला, औषधि, रत्न, वस्त्र इत्यादि का दान करते है और उस दान के परिणामस्वरूप वे निर्वाण को प्राप्त करते है; वे ये स्पष्ट करते हैं कि उनकी जीवनी इसी जन्म से सम्बन्धित नहीं है, अपितु वे दान के महाफल के कारण पूर्व में क्या थे इसका भी स्थान-स्थान पर उल्लेख करते हैं। गाथा कहने वाले स्वयं स्थविर हैं, वे अपने मुहँ से इन अपदानों को उद्घाटित करते हैं।

भारतीय धर्म के इतिहास में यह प्रथम अवसर देखा जाता है जबकि पुरुष की भांति नारियों ने भी संघ में प्रवेश किया। उन्होंने गृही जीवन की श्रृंखला को तोड़कर प्रव्रजित जीवन के उन्मुक्त सुख की अनुभूति का अवसर प्राप्त किया। थेरी-अपदान में जो उनके उद्गार उपलब्ध होते है, उनसे प्रकट होता है कि शायद उनका गृहस्थ जीवन कई प्रकार कि उलझनों से परिपूर्ण था। उनके सम्मुख परिस्थितियाँ विषम थी तथा जीवन अशान्त ढंग से व्यतीत हो रहा था। ऐसी स्थिति में जब उन्हें गृहत्याग कर प्रव्रज्या का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने शान्तिपूर्ण वातावरण में साँस लेना प्रारम्भ किया। बुद्धकाल में ही प्रथम बार एक ठोस धरातल पर प्रव्रजित समाज की स्थापना हुई।

थेरी-अपदान में नारी चेतना के स्वर प्राप्त होते हैं, उन्हें अपने मार्ग से विचलित किया जाता था परन्तु वे अपने मार्ग पर अडिग रहती थी। जब भिक्षुणियाँ गृहस्थ जीवन के कष्ट से मुक्त हो संघ में प्रवेश करती हैं तत्पश्चात उन्होंने जिस आनन्द का अनुभव किया उसका भी वर्णन इस आत्मकथा रूपी अपदान में किया गया है। जिसमें से सुमेध, महाप्रजापतीगौतमी, खेमा, पटाचार कुण्ड्लकेसा, धम्मदिन्ना, किसागोतमी, यसोधरा, सुजाता, अम्बपालि, चम्पा, विशाखा, सुन्दरी, चिंचा, उत्पलवर्णा तथा सुकुला इत्यादि थेरियाँ हैं।

यह समस्या उस समय की ही नहीं थी अपितु आज भी समाज में व्याप्त हैं। आज भी नारी समाज पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है। अपना जीवन स्वतन्त्र रूप से अपना जीवनयापन नहीं कर पा रही है। अतः यह सन्दर्भ भी वर्तमान की उपयोगिता बन गयी है।

भगवान् बुद्ध विश्व के पहले महामानुष थे जिन्होंने स्त्री जाति के प्रति सम्मान व समानता की भावना प्रकट करते हुए धर्म के समक्ष उन्हें बराबर समझा और भिक्षुणी संघ की स्थापना की। तथागत ने इस मामले में क्रान्तिकारी विचार देकर भिक्षुणियों द्वारा अर्हत् पद प्राप्त करने की सम्भावनाओं के द्वार खोल दिए। जिसका वर्णन स्वंय भिक्षुणियां थेरी अपदान में करती हैं। इसकी भाषा बड़ी ही सरल, सुबोध एवं वर्णन शैली की दृष्टि से रोचक तथा हृदयग्राही है, यह पद्यात्मक होते हुए भी त्रिपिटक के अन्य पद्यात्मक ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है।

जातक के समान अपदान के भी दो भाग हैं-एक अतीत जन्म-सम्बन्धि और दूसरा वर्तमान जीवन-सम्बन्धि। अपदान का जातक से सम्बन्ध है। जातक में बोधिसत्त्व के अवदान, उनके महान् कार्य, लक्षणीय कार्य या उससे सम्बन्धि कथाएं वर्णित है, जबकि अपदान में बुद्ध के शिष्य-शिष्याओं, स्थविर और स्थविरियों के महान् कार्यों का वर्णन है। इस दृष्टि से आर्यशूरकृत 'जातकमाला' का जो दूसरा नाम 'बोधिसत्त्वावदान माला' है, वह बड़ा लक्षणीय है, अर्थात् बोधिसत्त्व के अवदानों की माला। जातक बोधिसत्त्व के अवदान ही हैं। जातक और अपदान दोनों की ही कहानियों में कर्मफल की अमोघता दिखायी गयी है।[3]

अपदानपालि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसका साहित्यिक, सामाजिक ही नहीं अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जो इसका व्यावहारिक पक्ष दिखाई पड़ता है। और वर्तमान में यही इसकी उपयोगिता है। अपदानपालि के बुद्धवग्ग से ज्ञात होता है कि उस समय की संस्कृति वैभव सम्पन्न थी। अपदान कालीन प्रासाद बहुमंजिले स्वर्ण निर्मित, रजत निर्मित, मणिमय निर्मित, बहुमूल्य पाषाणरत्न जटित फलिकाओं से युक्त होते थे तथा उन प्रासादों में आवश्यकता पूर्ति की समस्त सामग्री सहजता से प्राप्त हो जाती थी।

वर्तमान समय में यदि इसकी उपयोगिता देखे तो प्रबन्धशास्त्र की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। अपदान में स्तूपों का विशिष्ट स्थान है। स्तूप का अर्थ एक टीला होता है या साधरणतः जो भी वस्तु उठाई जाए या स्थापित की जाए वह स्तूप कहलाती है। पहले स्तूप मिट्टी से निर्मित किये जाते थे तत्पश्चात् पक्की ईंटो से निर्मित किये जाने लगे।

अपदानपालि के सुभूतिवग्ग में वर्णन आया है कि पद्मोत्तर नामक जिन जब परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते है तब शरीर कृत्य को पूर्ण करने के पश्चात् देवता और मनुष्य धातु, अस्थि को लाकर उस पर स्तूप निर्माण करते हैं, जो कि प्रथमतल में स्वर्णमयी, द्वितीय में मणिमयी, तृतीय में रजतमयी तथा चौथी में स्फटिकमयी, पाँचवी लोहितमयी, रक्तवर्णी छठवीं भूमि

हीरे, पन्ने इत्यादि बहुमूल्य रत्नों से जटित थी। उस स्तूप का मध्यभाग मणिमय तथा उसकी वेदिका रजतमयी थी। इस प्रकार वह स्वर्णमय एक योजन ऊँचा स्तूप था। तत्पश्चात् देवताओं ने एक योजन, नागजनों ने तीन योजन, गरुड़जाति के लोगों ने एक योजन, कुम्भण्डों ने दिव्यलोक के प्राणि ने एक योजन की वृद्धि की, यक्षों ने एक योजन की वृद्धि की, गन्धर्वों ने भी एक योजन की वृद्धि की। इस प्रकार वहाँ पर सात योजन ऊँचा स्तूप का निर्माण हुआ।[4] स्तूपों का ही नहीं इस ग्रन्थ में उपालि स्थविर ने सम्बुद्ध एवं भिक्षु संघ को दान देने हेतु प्रासाद, मण्डप, हर्म्य, गुहा, तथा सुकृत चङ्क्रमण स्थानों से युक्त संघारामों का निर्माण कर उसमें जनतागृह, अग्निशाला, जल रखने का स्थान एवं स्नानगृह का निर्माण कर भिक्षु संघ को प्रदान किया। तत्पश्चात उस प्रासाद में आसन्दिका, पीठक, उपभोग की वस्तु, सेवक, भैषज्य, आरक्षी, पहरेदार को स्थापित कर दृढ़ चारदीवारी का निर्माण किया जिससे कि शान्तचित्त तायिया को कोई कष्ट न हो। तथा संघाराम में सौ हजार आवास वाले वैपुल्य भवन का निर्माण कर उसे सम्बुद्ध को भेंट स्वरूप प्रदान किया। जिसमें भिक्षु संघ ध्यान धारण करते हुए निर्वाण प्राप्ति का प्रयास करते थे। ये सभी उद्धरण एक कुशल प्रबन्धक के दिखते हैं जो कि आज के एक कुशल प्रबन्धक के गुणों में से एक है।

स्पष्टत: यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आज के हमारे अधिक्षण अभियन्ता बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करने में सक्षम है उसी प्रकार हमारे बौद्धकालीन अर्हत् गण।

अपदानपालि में अन्य विशेषताओं के साथ प्रकृति चित्रण भी अप्रतिम एवं रमणीय है। मानव के साथ प्रकृति का अटूट सम्बन्ध है। मानव अपने सुख दु:ख का रूप प्रकृति में देखता है, प्रकृति भी मानव से संश्लिष्ट है। उनके प्रति वह पूर्ण सहानुभूति रखती है, उसके दु:ख में दु:खी होती और सुख में आनन्द का अनुभव करती है, कोई भी मानव व्यापार प्रकृति क्षेत्र से बाहर नहीं है। प्राकृतिक दृष्टि से भी देखे तो इस ग्रन्थ की अत्यधिक उपयोगिता है। इसके बुद्धवग्ग में गाथा संख्या 141 से 173 में अत्यन्त मनोरम प्रकृति का चित्रण हुआ है। थेर कहते हैं कि हिमालय के समीप लम्बक नामक पर्वत है उस पर्वत पर उनके लिए अत्यन्त मनोरम पर्णशाला युक्त आश्रम निर्मित है उस आश्रम के समीप उत्तानुकूला नामक नदी प्रवाहित हो रही है। जिसका जल सस्वाद और निर्गन्ध है. नदी में मगरमच्छ, शिंशुमार, मछली, कछुआ, बरसाती मछलियां नदी के किनारे पर फल और फूल से पुष्पित वृक्ष झुक गये हैं। इतना ही नहीं आश्रम में आम, शाल, तिलक, पाटल, सिन्दुवारिक, चम्पा, सरला, कदम्ब, नागपुच्छि, नागकेतक, अशोक, रंग-बिरंगे कमल पुष्प पुष्पित हो मेरे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं।

अपदान ग्रन्थ में प्रयोग किये जाने वाले व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में इस ग्रन्थ की अत्यधिक उपयोगिता हैं। इस ग्रन्थ में वर्णित सभी सन्दर्भ आज के व्यवहारिक पक्ष की रीढ़ है। और इतना ही नहीं इस ग्रन्थ में व्यावहारिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दानकर्म जैसे सभी पक्षों की आज के समय में अत्यधिक उपयोगिता है। यह ग्रन्थ शान्तरस, उपमा एवं अलंकार से परिपूर्ण है, पूजा, वन्दना के माध्यम से निर्वाण तक पहुँचने का मार्ग भी इस ग्रन्थ में बतलाया गया है। इस ग्रन्थ में वर्णित मुख्य पात्रों में पूर्वबुद्ध एवं बौद्ध संघ के प्रमाण पाये जाते हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इन सभी पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि हमारे भारतीय ज्ञान परम्परा में अपदानपालि की अतुलनिय उपयोगिता है।

सन्दर्भ सूची-

1. पालि साहित्य का इतिहास, भिक्षु धर्मरक्षित, पृ.31
2. न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणों। कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणों॥ सुत्तनिपातपालि, द्वारिकादास शास्त्रि, पृ. 28
3. पालिसाहित्य का इतिहास, भरत सिंह उपाध्याय, पृ. 374
4. अपदानपालि, भिक्षु जगदीश काश्यप, बिहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल, पृ. 82-85
5. हिमवन्तस्स अविदूरे, लम्बको नाम पब्बतो।
   अस्समो सुकतो महं, पण्णसाला सुमापिता॥ उत्तानकूला नदिका, सुपतित्था मनोरमा।
   सुसुद्धपुळिनाकिण्णा, अविदूरे ममस्समं॥
   असक्खरा अपमारा, सादु अप्पटिगन्धिका। सन्दती नदिका तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम॥
   कुम्भीला मकरा चैत्थ, सुसुमारा च कच्छपा। चरन्ति नदिया तत्थ, सोभयन्ता ममस्समं ॥
   पाठीना पावुसी मच्छा, बलजा मुञ्जमरोहिता। वग्गळा पपतायन्ता, सोनयन्ति ममरसमं॥
   उभो कूलेसु नदिया, पुष्फिनो फलिनो दुमा। उभतो अभिलम्बन्ता, सोभयन्ति ममस्समं॥
   अम्बा साला च तिलका, पाटली सिन्दुवारका। दिब्बगन्धा सम्पवन्ति, पुफिता मम अस्समे॥
   चम्पका सळला नीपा नागपुन्नागकेतका॥ दिब्बगन्धा सम्पवन्ति, पुफिता मम अस्समे॥
   अतिमुत्ता असोका च, भगिनीमाला च पुप्फिता। अकोला बिम्बिजाला च, पुफिता मम रा॥
   केतका कन्दलि चेव, गोधुका तिणसूलिका। दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं॥
   कणिकारा कणिका च, असना अजुना बहू। दिब्यगन्धं सम्पयन्ता, सोभयन्ति ममस्समं॥
   पुन्नागा गिरिपुन्नागा, कोविळारा च पुफिता। दिब्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं॥
   उद्धालका च कुटजा, कदम्बा वकुला बहू। दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं॥
   आळका इसिमुग्गा च, कदलिमातुलुङ्गियो। गन्धोदकेन संवड्ढा, फलानि धारयन्ति ते॥
   अञ्ञे पुप्फन्ति पदुमा, अञ्ञे जायन्ति केसरी। अञ्ञे ओपुप्फा पदुमा, पुप्फिता तळाके तदा॥
   ग गण्हन्ति पदुमा, निद्धावन्ति मुलाळियो। सिंघाटिपत्तमाकिण्णा, सोभन्ति तळाके तदा॥

नयिता अम्बगन्धी च, उत्तली बन्धुजीवका। दिब्बगन्धा सम्पवन्ति, पुफिता तळाके तदा॥
पाठीना पावूसा मच्छा, बलजा मुञ्जरोहिता। संगुला मग्गुरा चेव, वसन्ति तळाके तदा॥
कुम्भीला सुसुमारा च, तन्तिगाहा च रक्खसा। ओगुहा अजगरा च, वसन्ति तळाके तदा॥
पारेवता रविहंसा, चक्कवाका नदीचरा। कोकिला सुकसाळिका, उपजीवन्ति तं सर॥
कुमुत्थका कुळीरका, वने पोखरसातका। दिदिभा सुवपोता च, उपजीवन्ति ते सरं॥
हंसा कोचा मयूरा च, कोकिला तम्बचूळका। पम्पका जीवंजीवा च, उपजीवन्ति तं सरं॥
कोसिका पोट्ठसीसा च, कुररा सेनका बहू। महाकाळा च सकूणा, उपजीवन्ति तं सरं॥
पसदा च वराहा च, चमरा गण्डका बहू॥ रोहिच्चा सुकपोता चे, उपजीवन्ति तं सरं॥
सीहब्यग्घा चे दीपी च, अच्छकोकतरच्छका। तिधा पभिन्नमातङ्गा, उपजीवन्ति तं सरं॥
किन्नरा वानरा चेव, अथोपि वनकम्मिका। चेता च लुद्दका चेव, उपजीवन्ति तं सरं॥
तिन्दुकानि पियालानि, मधुका कासुमारयो। धुवं फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्समं॥
कोसम्बा सळला निम्बा, सादुफलसमायुता। धुवं फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्समं॥
हरीतका आमलका, अम्बजम्बुविभीतका॥ कोला भल्लातका बिल्ला, फलानि धारयन्ति ते॥
आलुवा च कळम्बा च, बिळालीतळानि च। जीवका सूतका चेव, बहका मम अस्समे॥
अस्समस्साविदूरम्हि, तळाकासुं सुनिम्मिता। अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा॥
पदुमुप्पलसञ्छन्ना, पुण्डरीकसमायुता। मन्दालकेहि सञ्छन्ना दिब्बगन्धो पवायति॥
एवं सब्बसम्पन्नो, पुप्फिते फलिते वने। सुकते अस्समे रमे, विहरामि अहं तदा॥

अपदानपालि, भिक्षु जगदीश काश्यप, बिहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल, पृ. 18–21

आधुनिक सन्दर्भ में पालि सुत्तपिटक में प्राप्त बुद्ध के उपदेशों की उपयोगिता

डॉ. घनश्याम पाल, लखनऊ (उ.प्र.)

सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु के राजप्रासादों में उपलब्ध सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को वास्तविक सुख नहीं समझा तथा साधारण लोग जिस पत्नी और पुत्र के अन्धे अनुराग में फंस कर आज भी समाज के लिए अनेक अहितकारक काम करते रहते हैं। उस पत्नी यशोधरा तथा कुछ ही दिनों पूर्व जन्म लेने वाले शिशु राहुल को त्याग कर महा-अभिनिष्क्रमण किया। इस महा-अभिनिष्क्रमण के पीछे जो भावना छिपी है वह आगे चलकर पालि साहित्य में सहित समूचे बौद्ध साहित्य के रूप में प्रकाशित हुई है।

संसार के काम भोगों में वास्तविक सुख नहीं है, सांसारिक भोगों और पुत्र, पत्नी, पिता, परिवार आदि के प्रति मन में जो गहरा लगाव है, उसमें सिद्धार्थ ने वास्तविक सुख नहीं देखा और भोगवाद में सुख तलाशने को निरर्थक समझा तथा वास्तविक सुख की तलाश में गृह त्याग किया। अनेक वर्षों तक कठोर प्रयास करके सिद्धार्थ गौतम ने जो अनुपम बोधिज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने जिस मध्यम मार्ग का अनुसरण किया वह मार्ग भोगवाद और तपवाद इन दोनों ही मार्गों को सुखकारक एवम् हितकारक न मानते हुए सुखप्राप्ति के संतुलित मार्ग का संकेत करता है।

ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त उन्होंने मार्ग तथा सत्य को सभी प्रकार के श्रोताओं के समक्ष मौखिक रूप से प्रकाशित किया। उनके महापरिनिर्वाण के उपरान्त उनके भिक्षु शिष्यों ने समय-समय पर संगीतियों का आयोजन कर उनके मौखिक उपदेशों का संग्रह किया। उपदेशों की शैली अथवा विषयवस्तु के आधार पर भगवान् बुद्ध के वचनों को तीन खण्डों में आगे चलकर विभाजित किया गया। इन खण्डों को थेरवादी परम्परा में पिटक अर्थात् बुद्धवचनों की पिटारी कहा गया।

भगवान् बुद्ध के जो वचन भिक्षुओं के आचरण को नियंत्रित करने के लिए कहे गये थे, उन्हें विनयपिटक नाम से जाना गया और इस संग्रह को आज्ञा-देशना अर्थात् बुद्ध की

आज्ञा वाला उपदेश कहा गया। परम सत्य तथा उसको पाने के मार्ग से सम्बन्धित सरल व्यवहारिक शैली में दिये गये भगवान् बुद्ध के उपदेशों को वोहार-देशना कहा गया, जिसका अर्थ व्यावहारिक उपयोगिता वाले बुद्ध वचन हैं। कहानियों, कविताओं तथा दिन प्रतिदिन के जीवन से ली गयी उपमाओं के द्वारा सरल शैली में धर्म के गम्भीर विषयों वाले उपदेशों का यह संग्रह ही सुत्तपिटक है। ऊँचे मानसिक धरातल वाले श्रोताओं को परम सत्य के गम्भीर धर्मोपदेश को अभिधम्म अथवा गम्भीर धम्म माना गया तथा परमत्थ-देशना के रूप में इन गम्भीर उपदेशों के संग्रह को अभिधम्मपिटक कहा गया।

पिटकों के इस विभाजन में ही यह बात सामने आ जाती है कि तीनों पिटकों में सुत्तपिटक में ही व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से दिये गये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हैं। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान् बुद्ध ने जिस धम्म का साक्षात्कार किया। था और जिसका उपदेश व्यावहारिक शैली में दिया था वह धर्म (धम्म) वस्तुतः देशकाल निरपेक्ष, सार्वभौम, सार्वकालिक एवं सनन्तन धम्म (धर्म) था- **'एसधम्मो सनन्तनो'**[1]

धर्मों की प्रतीत्य-समुत्पन्नता, अनित्यता, दुखमयता एवं अनात्मकता का यह बोधि ज्ञान अथवा विशुद्ध चित्त में अमला प्रज्ञा के आलोक में भूर्ताथता का यह प्रत्यवेक्षण सभी कालों एवं सभी लोकों के लिए सर्वथा प्रासंगिक था एवं आगे भी रहेगा। अतः आज भी समसामायिक चुनौतियों के सन्दर्भ में भी इस संग्रह की उतनी ही उपादेयता एवं ग्राह्यता है। जितनी कि भगवान् बुद्ध के स्थितिकाल में थी।

आज का युग वैज्ञानिक प्रगति तथा औद्योगिक क्रान्ति आदि से प्रेरित होकर भूमण्डलीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। प्रायः यह दावा किया जाता है कि आज की पूरी दुनिया सूचना प्रौद्योगिकी तथा विश्व बाजार की खुली अर्थ व्यवस्था आदि के कारण बहुत छोटी हो गयी है तथा देश, जाति, धर्म आदि की संकीर्ण सीमाएं टूट गयी हैं। परन्तु सच्चाई कुछ और है, क्योंकि भूमण्डलीकरण अर्थव्यवस्था का हुआ है, मनुष्य के मन की संकीर्णता और मलिनता और भी अधिक बढ़ गयी है।

उपभोक्तावाद की अन्धी दौड़ आदमी के मन को बेचैन कर रही है। अमीर देश अपने उत्पादों को अधिक से अधिक निर्धन देश के बाजारों तक पहुंचाना चाहते हैं और भारी से भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं, इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो गयी है। धार्मिक (मजहबी) आतंकवाद का घिनौना रूप, इराक, सीरिया और कश्मीर में हो रही लाखों निरपराध लोगों की हत्याओं आदि के रूप में देखा जा सकता है। आज की इस

परिस्थिति में सुत्तपिटक में संगृहीत बुद्ध के वचन आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने बुद्ध के समय में थे। इन वचनों की व्यावहारिक उपयोगिता की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

(1) आज अथवा कभी भी जो भी समस्यायें हैं या रही हैं उनका मूल कारण हमारा अपना मन ही है। भगवान् बुद्ध के अनुसार जब तक मन लोभ-द्वेष-मोह नामक बुराइयों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक हमारे जीवन में व्याप्त अशान्ति, बेचैनी और दु:ख का अन्त नहीं हो सकता। धम्मपद की प्रथम गाथा में ही इसी बात पर जोर देते हुए कहा गया है कि–

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया।
मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा॥
ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्कं व वहतो पदं॥[2]

अर्थात् मन सभी धर्मों (चेतना आदि चित्तवृत्तियों) का पूर्वंगम एवं प्रमुख प्रयोजक है। चूंकि बौद्ध-चिन्तन में चेतना ही कर्म या काय-संखार एवं वची-संखार है तथा कर्म का कुशल एवं अकुशल विपाक अवश्य होता है, इसलिए लोभ, द्वेष एवं मोह नामक अकुशल मूलों से प्रदूषित चेतना वाला कोई भी मनुष्य जब शारीरिक अथवा वाणी के कर्म करता है। तो उसके ये कर्म प्राणातिपात, अदत्तादान, परस्त्री-गमन नामक तीन प्रकार के अकुशल कायद्वारिक कर्म होते हैं जो काम भूमि के बारह (12) प्रकार के अकुशल चित्तों द्वारा अभिसंस्कृत होकर दु:ख का कारण बनते हैं। दुख समुदय-नामक दूसरे आर्य सत्य में तथा प्रतीत्यसमुत्पाद के धर्मोपदेश में भगवान बुद्ध ने अकुशल चेतना की प्रतिनिधि-भूत कामतृष्णा, भव-तृष्णा एवं विभव-तृष्णा को ही दु:ख का कारण बतलाते हुए चित्त के प्रदूषण को ही मानव-जीवन की सारी समस्याओं का मूल माना था। धम्मपद में कहा गया है–

दिसो दिसं यं तं कयिरा, वेरी वा पन वेरिनं।
मिच्छापणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे॥[3]

अर्थात् मिथ्या संकल्प करने वाला चित्त पापी व्यक्ति का जितना अहित करता है। उतना उसका शत्रु भी नहीं कर सकता।

इस प्रकार इन गाथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज हम जो कुछ भी हैं। हमारे मन के सोचने की प्रकृति के कारण ही है तथा आज हमारे सामने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, धार्मिक, असहिष्णुता, आतंकवाद एवं पर्यावरण प्रदूषण आदि की जो चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं, वे हमारे उस चित्त-प्रबन्धन की प्रकृति का स्वाभाविक प्रतिफल है जो बुद्ध

के उपदेशों में वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन-प्रबन्धन का आधारभूत सार-तत्त्व है।

मन का सुप्रबन्धन अथवा परिशोधन ही आज की सारी चुनौतियों का एकमात्र समाधान है। यह बात '**यं किंचि समुदय-धम्मं सब्बं तं निरोध-धम्म**' इस बुद्ध-वचन में तथा तृतीय आर्यसत्य के उपदेश में सुस्पष्ट कर दी गई है। कलुषित चेतना का निरोध होते ही उसके कारण उत्पन्न समस्याओं का उपशमन हो जाता है तथा सर्वत्र सुख-शान्ति का प्रसार हो जाता है।

धम्मपद की निम्नलिखित गाथाओं में चित्त प्रबन्धन की इसी महत्ता का ही यशोगान किया गया है :-

मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया।
मनसा चे पसन्नेन, भासति वा करोति वा।
ततो नं सुखमन्वेति, छायाव अनपायिनी।।[4]
न तं माता पिता कयिरा, अञ्ञे वापि च ञातका।
सम्मापणिहितं चित्तं, सेय्यसो नं ततो करे।।[5]

दूसरे शब्दों में आधुनिक काल के सांसारिक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की कामभूमि की चेतना को यदि अलोभ, अद्वेष एवं अमोह की कुशल प्रवृत्तियों द्वारा नियन्त्रित किया जाए, तो निश्चित रूप से आज की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। तथा आज के मानव जीवन की भीतरी एवं बाहरी उलझनों को सुलझाया जा सकता है। कहा भी गया है

सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो, चित्तं पञ्ञं भावयं।
आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटंति।।[6]

अर्थात् शील पर आधारित होकर व्यावहारिक प्रज्ञा से युक्त मनुष्य चित्त की और प्रज्ञा की भावना आदि करता है तो कठोर प्रयास करने वाला बुद्धिमान भिक्षु इस उलझन को सुलझा सकता है। तात्पर्य यही है कि शील, समाधि और प्रज्ञा की सुत्तपिटक में संगृहीत तीन शिक्षाओं के पालन से आज की भीतरी और बाहरी उलझनों से छुटकारा पाया जा सकता है।

वर्तमान युग वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युग है। इस युग में धर्मों की वैसी ही बातें ग्रहण की जा सकती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से तर्कसंगत हों। सुत्तपिटक में सुरक्षित बुद्ध के धर्मोपदेशों

का मूल स्वर ही समस्त आडम्बरों, ईश्वर तथा भाग्य जैसे काल्पनिक तत्वों की कृपा आदि पर पूरी तरह से निर्भर होने की प्रवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त हैं। इसलिए सुत्तपिटक के बुद्धवचन इस समय की वैज्ञानिक मानसिकता के लिए अधिक स्वीकरणीय हैं। सुत्तपिटक के कई स्थलों में मनुष्य के अपने प्रयास की महिमा का बखान करते हुए यह कहा गया है कि मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है एवम् उसके भाग्य को बनाने एवं बिगाड़ने वाला ईश्वर, ब्रह्मा, नियति आदि कोई भी दूसरा नहीं है।

अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया।
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं॥[7]

बुद्ध ने मनुष्य के अपने प्रयास को ही उस के सुख एवं दु:ख का मुख्य प्रयोजक माना। अपने महापरिनिर्वाण से पहले उन्होंने अपने भिक्षु-शिष्यों को आत्म-दीप, आत्म शरण एवं अनन्य-शरण बनकर विहार करने का निर्देश दिया। साथ ही भगवान् बुद्ध ने यह भी सुस्पष्ट कर दिया कि मनुष्य अपने स्वयं के प्रयास एवं अपनी सम्यक्-दृष्टि द्वारा ही समस्त बन्धनों से विमुक्त हो परम सुख प्राप्त कर सकता है। मार्ग पर उसे स्वयं चलना होगा। तथागत तो उसके केवल परम सुख या विमुक्ति का मार्ग ही बतलाते हैं। बुद्ध की भक्ति करने अथवा उनकी कृपा प्राप्त करने मात्र से मनुष्य का उद्धार सम्भव नहीं है

तुम्हेहि किच्चं आतप्पं, अक्खातारो तथागता।[8]

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पालि सुत्तपिटक में संगृहीत बुद्ध-धर्म का मूल स्वर सार्वकालिक एवं सार्वभौम है। इसमें व्यावहारिक आचरण तथा चित्त को शुद्ध करने पर विशेष बल दिया गया है। सभी तरह के अन्धविश्वासों और कर्मकाण्ड के आडम्बरों से मुक्त सुत्तपिटक में प्रतिपादित सन्देश सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता का सन्देश वाहक होने से वर्तमान काल की परिस्थितियों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

सन्दर्भ–

1. धम्मपद, गाथा संख्या 4
2. धम्मपद, गाथा संख्या 1
3. धम्मपद, गाथा संख्या 42
4. धम्मपद, गाथा संख्या 2
5. धम्मपद, गाथा संख्या 43
6. संयुत्तनिकाय, सगाथवग्गो (स.नि.-1), रा.सं.सं. सन् 2012, पृ.24
7. धम्मपद, गाथा संख्या 160
8. धम्मपद, गाथा संख्या 276

भवतु सब्ब मंगलम्॥

सुबोधालंकार का पालि साहित्य के विकास में योगदान

डॉ. सुष्मिता व्यास, दिल्ली

पालि साहित्य का आरम्भ तथागत के वचनों के साथ हुआ, जो कि बुद्ध के महापरिनिब्बान तक मौखिक ही था। तथागत के महापरिनिब्बान के बाद विभिन्न बौद्ध संगीतियों में त्रिपिटक का संगायन किया गया जिसे तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक के द्वारा प्रथम बार बौद्ध धर्म भारत के बाहर के देश श्रीलंका में भेजा गया और राजा वट्टगामिनी अभय के समय त्रिपिटक को लिखित रूप प्रदान किया। त्रिपिटक के बाद अनुपिटक अट्ठकथा, वंश साहित्य के रूप में क्रमशः पालि साहित्य का विकास दृष्टिगत हुआ।

पालि त्रिपिटक के समूचे साहित्य पर प्रकाश डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग या शील, समाधि और प्रज्ञा की जो शिक्षा दी है, वहीं काल और हर क्षेत्र में व्यावहारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है परन्तु यह शिक्षा मुख्य रूप से चित्त की मलिनता और चित्त के अशांत होने के विषय को वर्णित करते हुए कहता है कि जब तक हमारा मन अशांत है तब तक दुखों से मुक्ति सम्भव नहीं है इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में शास्त्र ज्ञान और विभिन्न विषयों को गंभीर विवेचन महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। और इसी कारण त्रिपिटक में संग्रहित बुद्धवचनों की व्यावहारिक उपयोगिता आज भी है और सम्भवतः इसी कारणवश पालि त्रिपिटक अट्ठकथा साहित्य में छन्दशास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे विषयों का कोई विवेचन नहीं किया गया क्योंकि भगवान बुद्ध की दृष्टि में कोरा किताबी ज्ञान और शास्त्र ज्ञान जीवन के दुखों को दूर नहीं कर सकता है।

परन्तु आगे चलकर श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कर ऐसे विषयों में रचनाएं लिखी जो शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि और व्यावहारिक रूप से उपयोगी थी और आज भी है।

भिन्न प्रकृति वाले पालि साहित्य में भी संस्कृत-वाङ्मय के ही समान कवित्वमय लेखन के साक्ष्य प्रारम्भिक काल से मिलते है। पर पालि वाङ्मय के ये लेखन मुक्तक काव्य के रूप में ही मिलते है, प्रबंधन काव्य के रूप में नही संस्कृत साहित्य में जहां काव्य रचना

के साथ-साथ काव्य की समालोचना से सम्बन्धित स्वतंत्र काव्य शास्त्रीय अनेक रचनाएं मिलती है वहीं पालि साहित्य के तीनों पिटकों में कहीं भी कविता की समालोचना से सम्बन्धित कोई भी रचना पूरी पालि साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होती है। भिक्षु सारिपुत्त श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु प्रथम (1153-1186D) के राज दरबार में थे। जिसके शासनकाल में पालि साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा।[1]

उनके पुत्र राजा विजयबाहु तृतीय (1227-1231) ई0 के शासन काल में सारिपुत्त के परिनिर्वाण के बाद स्थविर संघरक्खित को संघथेर बनाया गया।[2] भिक्षु सारिपुत्त की शिष्य मंडली में से एक संघरक्खित थेर थे जिनके द्वारा सुबोधालंकार लिखा गया। यद्यपि सुबोधालंकार के पहले भी रामशर्मा आदि आचार्यों द्वारा अंलकारशास्त्र पर रचनाएँ लिखी गयी, परन्तु यह शुद्ध मागधी (पालिभाषा) में नहीं लिखे जाने के कारण पालि भाषा के विद्वानों के लिए बोधगम्य नहीं होने के कारण लेखक को प्रयासरत होना पड़ा।[3] सुबोधालंकार पालि काव्य शास्त्र पर एकमात्र रचना है। इसमें 371 गाथाएं हैं। सुबोधालंकार में विषय वस्तु की कुल पाँच परिच्छेदों में इसे विभाजन किया गया है। प्रथम परिच्छेद दोषावबोध परिच्छेद में अंलकारों का महत्व, उनका सामान्य अर्थ एवं प्रभेद बतलाकर काव्यगत दोषों को बतलाया गया है, दूसरे परिच्छेद में दोष परिहार बोध नामक काव्य सौन्दर्य का हनन करने वाले दोषों का वर्णन किया गया है। तीसरा परिच्छेद गुणावबोध परिच्छेद में अर्थ काव्य गुणों का विवेचन किया गया है। अर्थालंकार बोध नामक चतुर्थ परिच्छेद है। रसभावबोध नामक पञ्चम परिच्छेद में काव्य रसों का विश्लेषण कर ग्रंथ को परिपूर्ण कर दिया गया है।

सुबोधालंकार शीर्षक में प्रयुक्त 'अंलकार' शब्द आचार्य भामह के काव्यालङ्कार से अनुकरण किया गया। भामह, उद्भट एवं रूद्रट का संघरक्खित ने पूरी तरह नकल न करते हुए अंलकारों को काव्य की आत्मा का दृष्टिकोण न मानते हुए कविता को दोषों से रहित होना अनिवार्य माना। संस्कृत अंलकार शास्त्र के अंलकारवादी शाखा के विविध ग्रंथों से अनुप्राणित होने पर भी सुबोधालंकार के लेखक ने ग्रन्थ के सभी विषयों का सरल एवं संक्षिप्त विवेचन करते हुए संस्कृत के किसी भी एक आचार्य का अन्धानुकरण नहीं किया है। निश्चित रूप से उन्होंने दण्डी, भामह, वामन, भोजराज तथा वाग्भट प्रथम सभी से कुछ न कुछ ग्रहण तो किया है। परन्तु सुबोधालंकार के लेखक ने पूर्वाचार्यों से प्राप्त सामग्री को अपनी मौलिक सूझबूझ एवं काव्य प्रतिभा के बल पर अपने ही ढंग से निस्त किया है।[4] उन्हें उपन्यसन करने का तरीका उनकी अपनी मौलिक कृति है, जैसे की पद्य, गद्य एवं मिश्र नामक काव्य प्रभेदों का पुनः निबन्ध एवं अनिबन्ध नामक दो उपभेदों में विभाजन

किया है। पुनः दोष परिहार के विषय -विन्यसन क्रम में संघरक्खित ने दण्डी भामह आदि पूर्ववती आचार्यों का अन्धानुसरण नहीं किया है। संघरक्खित के द्वारा उल्लेखित अंलकारों में से कुछ न दण्डी की सूची में है, न भामह की। उत्तर काल में थेरवादी परम्परा में इसे अत्यधिक सम्मान मिलता है।

सुबोधालंकार पालि साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें अंलकार शास्त्र का सरल तरीके से वर्णन किया गया है जो कि संस्कृत साहित्य का अल्प ज्ञान रखने वाले पालि साहित्य के अध्येता के लिए अत्यन्त उपयोगी साथ ही साथ जिसमें कि बौद्धधर्म की प्रतित्यसमुत्पाद एवं मध्यमा- प्रतिपत् जैसी मूलभूत धारणाओं ने भारतीय अंलकारशास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों पर भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव डाला है. वक्रोक्ति के साथ स्वभावोक्ति में अंलकारों को मूल मानने के पीछे बौद्धों के यथाभूत प्रत्यवेक्षा, एवं धर्मता की अनुपश्यना के सिद्धान्त की भूमिका की दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ वर्तमान में पालि तथा संस्कृत और इनका अध्ययन करने वालों के बीच मधुर सम्बन्ध और विचारों का आदान-प्रदान करने के कारण यह अत्यन्त महत्व पूर्ण सिद्ध होता हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में सुबोधालंकार की बहुत बड़ी भूमिका रही और भविष्य में भी रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. History of Celyon, voll Part II, P. 618, University Press Celyon 1960
2. वहीं पृ. 770
3. सुबोधालंकार, परि.-1, गाथा, 3
4. ब्रह्ममित्र अवस्थी, बौद्धालङ्कारशास्त्रम् भूमिका, पृ 9-10



प्राकृत-अध्ययन-शोध-केन्द्र,
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर
द्वारा अयोजित
पालि-प्राकृत राष्ट्रिय संगोष्ठी (दिनांक : 5-6 मार्च, 2019)

विषय : **पालि एवं प्राकृत साहित्य के व्यावहारिक पक्ष एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता**

लेखक परिचय

1. **प्रो. सत्यप्रकाश शर्मा**
पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश)
मो. 9837112523

2. **प्रो. श्रीयांशकुमार सिंघई,**
जैनदर्शन विभाग, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानितविश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 9509846622

3. **प्रो. प्रेम सुमन जैन**
29, विद्याविहार कॉलोनी, नार्थ सुंदरवास,
उदयपुर, राजस्थान-313001
मो. 9413371053

4. **डॉ. ऋषभ चन्द्र जैन 'फौजदार'**
निदेशक, प्राकृत जैन शास्त्र एवं
अहिंसा शोध संस्थान,
वैशाली, बासोकुंड, बिहार-844128
मो. 9431441951

5. **प्रो. कमलेश कुमार जैन**
एन 13/23, इ 14 ए, उमानाथ अखाड़े के पास, सराय
सुरजन, पोस्ट-बजरडीहा, वाराणसी (उ.प्र.)-221106
मो. 06392029805

6. **प्रो. जगतराम भट्टाचार्य,**
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग, भाषा भवन,
विश्वभारती, शान्ति निकेतन, वीरभूमि, वेस्ट बंगाल-731235
मो. 9475406014

7. **प्रो. अनेकान्त कुमार जैन,**
जैनदर्शन विभाग, श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत
विद्यापीठ, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
मो. 9711397716

8. **प्रो. सुदीप कुमार जैन**
पूर्व संकाय प्रमुख, प्राकृत भाषा विभाग,
श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब
सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
मो. 9810660657

9. **प्रो. डॉ. दीनानाथ शर्मा**
पालि-प्राकृत विभाग, भाषा साहित्य भवन,
गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात-380009
मो. 9428245944

10. **प्रो. सलोनी जोशी,**
पालि-प्राकृत विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात
विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
मो. 9426441818

11. **प्रो. कमलेश कुमार जैन,**
जैनदर्शन विभाग, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानितविश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 8619264309

12. **प्रो. जयकुमार उपाध्ये,**
प्राकृत विभाग, श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत
विद्यापीठ, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110016
मो. 9810083413

13. **प्रो. दामोदर शास्त्री,**
संस्कृत प्राकृत विभाग, जैन विश्वभारती (मानित
विश्वविद्यालय), लाडनूं, नागौर - 341306
मो. 9571773477

14. **डॉ. महावीर प्रभाचंद्र शास्त्री,**
75-ईस्ट मंगलवार पेठ, सोलापुर, महाराष्ट्र-02
मो. 9422457982

15. **डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा**
पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत विभाग,
जैन विश्व भारती, लाडनूँ, राजस्थान

16. **डॉ. समणी भास्कर प्रज्ञा**
जैन विश्व भारती, लाडनूँ, राजस्थान

17. **डॉ. सुमत जैन**,
एम.एल.एस.यूनिवर्सिटी, उदयपुर-313001, राजस्थान
मो. 902476349

18. **डॉ. अनिल कुमार जैन**,
प्राचार्य, श्रीदिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
बीरोदय नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.) - 302029
मो. 8504038905

19. **डॉ. रजनीश शुक्ला**,
संविदागत प्राध्यापक, मुक्तस्वाध्याय पीठ,
रा.सं.संस्थान (मुख्यालय), 56-57, इंस्टीट्यूशनल
एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मो. 9910127475

20. **डॉ. धर्मेन्द्र जैन**,
विकास अधिकारी (प्राकृत) रा.सं.संस्थान
(मुख्यालय), 56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मो. 9461016260

21. **डॉ. तारा डागा**,
प्राकृत भारती अकादमी, मालवीय नगर, जयपुर
(राजस्थान) - 302015
मो. 8619007911

22. **डॉ. ज्योतिबाबू**,
जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग, एम.एल.एस.यूनिवर्सिटी,
उदयपुर (राजस्थान) 313001
मो. 9414234793

23. **रेखा जैन**
एम.एल.एस.यूनिवर्सिटी, उदयपुर-313001, राजस्थान
मो. 7732884250

24. **डॉ. सुदर्शन मिश्र**,
तिलकनगर, कतिरा, पोस्ट- नवादा,
जिला - भोजपुर, बिहार - 802301
मो. 6207676277

25. **डॉ. मनीषा जैन**
जैन विश्वभारती (मानित विश्वविद्यालय)
लाडनूं, नागौर-341306
मो. 7220089302

25. **डॉ. राकेश कुमार जैन**,
साहित्य विभाग, रा.सं.संस्थान (मानित
विश्वविद्यालय), जयपुर परिसर, जयपुर - 302018
मो. 9920538435

26. **डॉ. आनन्द कुमार जैन**,
प्राकृताध्ययन-शोधकेन्द्र, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 9571660887

27. **डॉ. अमित कुमार**,
प्राकृताध्ययन-शोधकेन्द्र, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानितविश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 7007634097

28. **डॉ. बलराम शुक्ल**,
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
मो. 9818147903

29. **डॉ. प्रभात कुमार दास**,
प्राकृताध्ययन-शोधकेन्द्र, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 7023979452

30. **डॉ. पत्रिका जैन**,
पीडीएफ, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
मो. 9621967355

31. **डॉ. सतेन्द्र कुमार जैन**,
प्राकृताध्ययन-शोधकेन्द्र, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 9716763302

32. **डॉ. दर्शना जैन**,
प्राकृताध्ययन-शोधकेन्द्र, जयपुर परिसर, रा.सं.संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय), जयपुर - 302018
मो. 9716763305

33. **प्रो. कल्पना जैन**,
प्राकृत विभाग, श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत
विद्यापीठ, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली - 110016
मो. 9911511168

34. **प्रो. संघसेन सिंह**,
199, वैशाली एंक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110734
मो. 9868120067

35. **प्रो. विजय कुमार जैन**,
प्राचार्य एवं संकायाध्यक्ष, जैन-बौद्ध-सर्वदर्शन विभाग, रा.सं.संस्थान, लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड - 4, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) - 226010
मो. 9415789445

36. **प्रो. धर्मचन्द जैन**,
पूर्व विभागाध्यक्ष (पालि), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) - 136119
मो. 9416840305

37. **प्रो. उमाशंकर व्यास**,
पूर्व निदेशक, नालंदा विहार,
नालंदा (बिहार) - 803111
मो. 8407071445

38. **डॉ. राका जैन**,
जैन-बौद्ध-सर्वदर्शन विभाग, रा.सं.संस्थान, लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड - 4, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) - 226010
मो. 9044290073

39. **प्रो. बालचंद खांडेकर**,
पूर्व-विभागाध्यक्ष, बौद्ध दर्शन विभाग, रा.तु.म. नागपुर विद्यापीठ, नागपुर
मो. 9370695605

40. **डॉ. मालती साखरे**,
पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रा.तु.म. नागपुर विद्यापीठ, नागपुर, महाराष्ट्र - 440033
मो. 9764182098

41. **डॉ. प्रियसेन सिंह**,
199, वैशाली एंक्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110734
मो. 8178376413

42. **डॉ. नीलिमा चौहान**
एसो.प्रोफेसर, सुभारती विश्वविद्यालय,
सुभारती पुरम्, एन.एच.58, दिल्ली हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उ.प्र.-250005
मो. 8855963327

43. **डॉ. सोनल सिंह**
पीडीएफ, रा.सं.संस्थान, लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)-226010
मो. 8299829806

44. **डॉ. जगमोहन**,
इण्डियन स्कूल के पास, गोलपुरा रोड़,
सुभाष नगर, भरतपुर, राज-321001
मो. 9887346069

45. **डॉ. मोहन मिश्र**,
रा.सं.संस्थान, लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड - 4, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) - 226010
मो. 9839064390

46. **डॉ. जयवंत खंडारे**,
विकास अधिकारी, पालि, रा.स.संस्थान (मुख्यालय), 56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
मो. 8081414977

47. **डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव**,
बौद्ध दर्शन विभाग, लखनऊ परिसर, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मा.वि.), विशाल खंड - 4, गोमती नगर, लखनऊ
मो. 8604201089

48. **डॉ. वेदव्यास पाण्डेय**,
पीडीएफ, रा.सं.संस्थान, लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड - 4, गोमती नगर,
लखनऊ (उ.प्र) - 226010
मो. 88876122664

49. **डॉ. प्रियंका**,
पीडीएफ, रा.सं.संस्थान, लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड - 4, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)-226010
मो. 9889507793

50. **डॉ. घनश्याम पाल**,
बौद्ध दर्शन विभाग, लखनऊ परिसर, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मा.वि.), विशाल खंड - 4, गोमती नगर, लखनऊ
मो. 9795436068

51. **डॉ. सुस्मिता व्यास**,
एसिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007
मो. 9311523241

